राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक–11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या–16

शुक्रवार,

दिनांक 21 जुलाई, 1989

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

झुन्झुनूं जिले में कुओं का निर्माण

462. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)** : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झुन्झुनूं जिले में गत वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत कितने नये कुओं की स्वीकृति जारी हुई तथा उनमें कितने कुएं अधूरे रहे? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल राहत के अन्तर्गत कितने निर्माण के कार्य विभिन्न ग्राम पंचायतों में बाकी रहे और उन्हें कब तक पूरा करने का प्रस्ताव है?

राज्य मन्त्री, बाढ़ एवं अकाल सहायता (श्री सूरजपाल सिंह) : (1) झुन्झुनूं जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत 2815 कुओं की स्वीकृति जारी की गयी तथा इनमें से 207 कुएं अपूर्ण रहे। तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अकाल राहत के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों द्वारा कराये गये कार्यों में से 204 कार्य अपूर्ण रहे हैं। पंचायतवार अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के अपूर्ण कुओं को विशिष्ट योजनाओं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग की जीवनधारा योजना में शामिल किया जाकर पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो 207 कुएं अपूर्ण बताये हैं, उनको कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? चूंकि काफी लम्बा अन्तराल निकल चुका है, करीब एक-डेढ़ साल का समय निकला है। किसान का सारा परिश्रम और सारा पैसा लग गया पर कुएं अधूरे पड़े हैं। उससे कोई दूसरा काम नहीं ले सकते हैं। इसलिए

(श्री नवरंग सिंह)

मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि कोई निश्चित समय बतायें कि इस समय के अन्तर्गत इन गांवों को पूरा कर दिया जायेगा।

दूसरा यह निवेदन है कि कुछ कुओं को अकाल में लेना बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभिकरण के पास वैसे ही बहुत फण्ड होता है लेकिन उनके कुएं भी अधूरे पड़े हैं। इसमें तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। वे कुएं क्यों अधूरे रहे हैं और उनको पूरा कराने में अब क्या दिक्कत है ?

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि अकाल के दौरान जो कुएं बने हैं उनका अब भी लोगों का पैसा बाकी है। किसी न किसी कारण से उनको भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह से कुछ क्षेत्रों में मुझे ऐसी जानकारी है कि मजदूरों को भी भुगतान नहीं हुआ है कुछ अकाल के दूसरे कामों में है। मैं चाहूंगा कि यह भुगतान चाहे मजदूरों का बाकी हो, चाहे किसानों का बाकी हो, तत्काल कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

भाग दो में मैं पूछना चाहता हूं कि 204 कार्य अपूर्ण बताये हैं। ये मुख्यत: पंचायतों ने काम किये अकाल राहत के दौरान वे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जवाहर रोजगार योजना में पैसा दे दिया, क्यों नहीं पंचायतों को हिदायत दी कि अधूरे कार्य हैं पहले उनको पूरा किया जाय ? आज तक वे अधूरे कार्य अधूरे पड़े हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंचायत में काम शुरू होते हैं तो सबसे पहले उस योजना से या दूसरी योजना से जो काम अधूरे हैं उनको कराया जाय। कब तक पूरा करा दिया जायेगा, यह भी बताएं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री नवरंग सिंह : इसके साथ ही उन्होंने जीवनधारा की बात कही....

श्री अध्यक्ष : कही नहीं, आपने प्रश्न किया।

श्री नवरंग सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीवनधारा में तो सारे के सारे नये कुएं लिये हैं, एक भी अधूरा काम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : यह कहते हैं, जो कहते हैं वह दोहराते हैं फिर अपनी बात करते हैं। पता नहीं क्या है ?

श्री नवरंग सिंह : फिर कैसे उनको पूरा करायेंगे ?

श्री नारायण सिंह (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं में जो अधूरे कुएं हैं उनको स्पेशल स्कीम जीवन धारा में पूरा कराने के निर्देश दिये गये हैं। उसके जो मापदण्ड तय किये हैं....

श्री नवरंग सिंह : जीवनधारा में तो, मंत्री महोदय, चयनित व्यक्ति ही आयेंगे। बाकी के लिये क्या करेंगे ?

श्री नारायण सिंह : जो मापदण्ड तय किया है उसके अनुसार अधूरे कुओं को जो

(श्री नारायण सिंह)

पूर्ण होने से रह गये हैं, पूरा कराया जायेगा। जहां तक दूसरे काम पंचायतों से लिये जाने हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैसे करवायेंगे।

श्री नवरंग सिंह : जीवनधारा में नहीं आ सकते, इसमें तो चयनित हैं वही आयेंगे।

श्री नारायण सिंह : 2815 कुओं में से 204 कुएं अधूरे रहे हैं। वे भी ऐसे रहे हैं जिनमें बहुत कम समय और बहुत कम पैसा लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको पूरा कराने के गवर्नमेंट ने निर्देश दिये हैं। उनको पूरा किस प्रकार करना है उसके लिये जीवनधारा में जो मापदण्ड तय किये हैं उसमें करेंगे। जहां तक पंचायतों के द्वारा दूसरे अधूरे कार्य रहे हैं उनको जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पैसा मिल गया है। उनको इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि वे काम जो अधूरे रहे हैं प्रायोरिटी में लेकर पूरे किये जाने चाहिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुएं खोदे और जिनका पेमेण्ट बाकी रह गया वह पेमेण्ट कब तक करेंगे ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। मन्त्री महोदय ने जैसा उत्तर दिया कि जीवनधारा में पूरे करायेंगे 207 कुएं, जो अधूरे पड़े हैं। उनमें से क्या आपने पता किया है कि जीवन धारा में जो मापदण्ड हैं, उसमें से कितने कुएं आ जायेंगे ? मुश्किल से एक या दो आ जाएं तो बात अलग है। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट का होना जरूरी है और शिड्यूल्ड कास्ट में भी चयनित हैं वही जीवनधारा में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें आपके विभाग ने गुमराह किया है। आपको जवाब देते समय यह बताना चाहिये था कि इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं व उनमें भी जो चयनित हैं वे 204 में से एक या दो होंगे। एक तो यह गलत बात है। दूसरा जो आपने कहा, निर्देश दे दिये हैं। निर्देश से नहीं हो सकता है, आप योजना बतायें कि विकास बैंक से लोन दिला रहे हैं या किस प्रकार पूरा करा रहे हैं यह झुन्झुनू जिले का ही नहीं है, सीकर जिले में भी 1200 कुएं अधूरे पड़े हैं। इन कुओं को पूरा कराने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू में कुछ पंचायत समिति क्षेत्र डार्क जोन में हैं। जो पंचायत समितियां डार्क जोन में हैं उनमें कुएं गहरे कराने का काम जीवन धारा में नहीं हो सकता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन धारा स्कीम एस. सी., एस. टी. और मार्जिनल फार्मर पर लागू होती है। इसलिये यह जो डार्क जोन के कुएं हैं झुन्झुनू जिले के, खास तौर से गुडामालानी के डार्क जोन में हैं, उस पंचायत समिति के अन्दर आप यह कुएं कैसे पूरे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका नहीं है।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : मेरा है। यह सरकार का उत्तर है मेरे पास में कि जीवन धारा और कौन कौन सी धारा सरकार लायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मैंने गत सत्र में 32 काश्तकारों की सूची दी थी। उसमें सरकार ने पूरी जांच करके पांच–पांच किसानों के नाम बताये हैं कि इन पांच किसानों के कुएं खोदे जा सकते हैं, बाकी के नहीं। उनके नाम हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कहां का बोल रहे हैं ?

श्री नवनीत लाल नीनामा : बांसवाड़ा राजस्थान का बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पर यह तो झुन्झुनूं का आ रहा है।

श्री नवनीत लाल नीनामा : मैं राज–स्थान का बता रहा हूं। वह सवाल देखा है मैंने। जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल में ये पांच ही व्यक्ति चयनित हैं। हरिजन सनिक और आदिवासी हैं। बाकी यह सरकार ने जो खर्च किया है उसके लिये मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्यों अकाल राहत में गड्ढे खुदवाये ? वहां गायें पड़ती हैं, भैंसे पड़ती हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 32 काश्तकार हैं उनके लिये क्या किया जायेगा।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दो कुओं के लिए कहा है, यह डेफिनेट तो मैं नहीं कह सकता हूं कि दो या अधिक है लेकिन इसके लिए जो भी निर्धारित मापदण्ड हैं उनमें जितने आ सकते हैं उनको उसके अनुसार पूरा कराया जायेगा बाकी जो नहीं आते हैं वह दूसरे बैंकों, भूमि विकास बैंकों या दूसरे बैंकों से लोन लेकर पूरा करें तभी पूरे हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री नाथू सिंह।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जीवन धारा के अन्तर्गत माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि ये आ ही नहीं सकते हैं। ये अगर जीवन धारा के अन्तर्गत नहीं आयेंगे तो दूसरा क्या रास्ता है ?

टोडारायसिंह व देवली में रेफरल हॉस्पिटल

463. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार टोडारायसिंह व देवली में रेफरल हॉस्पिटल खोलने का इरादा रखती है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य में रेफरल अस्पताल किस आधार पर खोले जाते हैं ?

उप मन्त्री, चिकित्सा (श्री ललित भाटी) : टोडाराय सिंह में रैफरल अस्पताल खोला जाना सम्भव होगा लेकिन देवली में नहीं....

श्री नवरंग सिंह : लोन लेने की बात कह दी आपने, माननीय मन्त्री महोदय। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है मान–नीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नवरंग सिंह : 40-40 मिनट एक-एक सवाल में खा जाते हैं और मेरे प्रश्न....(व्यवधान) मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मन्त्री महोदय इस बात का जवाब दें कि कितने सालों का अधूरा पैसा है और कब तक उस बाकी का भुगतान करेंगे मजदूरों को और किसानों को ? मैं इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जीवन धारा में नहीं आ सकते तो और कोई धारा निकाले सरकार। उसको बिना कोई उधार के जो अनुदान है उसके पैसे से पूरा कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : अब सुन लें आप। माननीय मन्त्री जी।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को भूल रहे हैं कि सरकार ने नये कुएं जो सिंचाई के हैं उनके काम करने के लिए सहायता के रूप में मंजूरी दी, पैसे दिये। अब जिन्होंने समय पर पूरे काम नहीं किये, अधूरे रह गये तो उनकी खुद की भी जिम्मेदारी थी। जितनी सहायता उनको मिल गई उसके अलावा यह भी मापदण्ड में आता है तो उनको और सहायता दी जायेगी। नहीं तो दूसरे बैंकों से लेकर उनको पूरी करवायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री ललित भाटी : (1) टोडारायसिंह में रैफरल अस्पताल खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा, लेकिन देवली में नहीं।

(2) क्योंकि देवली पंचायत समिति का रैफरल अस्पताल (उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) दूनी में कार्यरत है।

(3) राज्य में रैफरल अस्पताल मानदण्ड के अनुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक खोलने का लक्ष्य सन् 2000 तक प्राप्त करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): एक मिनट, माननीय मन्त्री महोदय, कोई अगर बैंक से सहायता लें, लेकिन डार्क जोन में जो कुएं खुद गये उनमें बैंक से भी सहायता नहीं मिलेगी, उनका क्या होगा ?

श्री नारायण सिंह : डार्क जोन उदयपुर वाटी में है, वहां हमने एक भी कुएं की सैंक्शन नहीं दी। मैं झुन्झुनु की बात कह रहा हूं। उदयपुरवाटी में एक भी कुआं स्वीकृत नहीं हुआ।

सुश्री पुष्पा जैन : पाली जिले में जहां डार्क जोन घोषित कर रखा है वहां क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : नाट रिलेवेन्ट। माननीय मन्त्री जी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि रैफरल अस्पताल खोलने की पिछले साल जो सूची बनी थी उसमें टोडारायसिंह का नाम सम्मिलित था जब जोशी जी मुख्य मंत्री थे। लेकिन उसके बाद जब माथुर साहब मुख्य मंत्री बने तो क्या इन्होंने टोडारायसिंह का नाम काट करके उसे सूची से निकाल दिया ?

नम्बर 2, क्या यह सही है कि जनसंख्या के आधार पर और दूसरे मान-

(श्री नाथू सिंह)

दण्डों के आधार पर टोडारायसिंह में रैफरल अस्पताल अब तक खुल जाना चाहिये था लेकिन राजनैतिक भेदभाव के कारण वह नहीं खुला ? इसी तरह देवली में भी रेफरल अस्पताल खुल जाना चाहिये था माननीय मन्त्री महोदय जानते है देवली को और दूनी को भी कि दूनी में खोलना उचित था या दूनी में, लेकिन चूंकि दूनी दूसरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और देवली मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है इसलिये राजनैतिक भेदभाव के कारण आपने देवली में नहीं खोला।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : राजनैतिक भेदभाव होता तो उनियारा में कैसे खोलते ? इस समय उनियारा में खुला है। श्री दिग्विजय सिंह जी भी विपक्षी पार्टी के हैं, उस पर यह बात क्यों कह रहे हो आप ?

श्री नाथूसिंह : वह किसी दूसरे के कहने से खुला है जिसको आप भावी उम्मीदवार कांग्रेस का लेना चाहते हैं। देवली में किस कारण से आप नहीं खोल रहे हैं ? क्या एक लाख की जनसंख्या वहां नहीं है ? क्या वह सिटी बड़ी नहीं है ? 20 हजार की आबादी है उसकी और सेण्ट्रल प्लेस है जहां बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टौंक और सवाई माधोपुर पांच जिले टच होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी आधार पर यह मांग करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय, आप कह रहे हैं सम्भव होगा। पिछली बार आपने सारे अस्पताल खोल दिये लेकिन सूची में उसका नाम काट दिया। इस बार क्या आप महीने भर के अन्दर–अन्दर टोडारायसिंह में रेफरल अस्पताल खोलने के आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जनसंख्या के हिसाब से रैफरल अस्पताल खोलने का बताया, क्या टौंक जिले में जो अस्पताल खोला है उसकी जनसंख्या का आपका मानदण्ड वही है एक प्रश्न तो मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष : इसको जनरल नहीं करूंगा मैं। माननीय सदस्य, नो-नो। प्रश्न को मैस नहीं बनाना चाहता हूं। प्लीज सिट डाउन।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दिलायें कि टौंक जिले में जिस जगह रैफरल अस्पताल खोला है उस कस्बे या गांव की जनसंख्या क्या इतनी है जितना मानदण्ड सरकार ने तय किया है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि टौंक जिले का निवाई कस्बा ऐसा है जिसकी जन संख्या सारी तहसील में ज्यादा है, फिर भी निवाई को इस तरह क्यों छोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी।

श्री ललित भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के खण्ड तीन के जवाब में कहा कि 2 हजार तक अस्पताल खोले जाने हैं और उसमें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री ललित भाटी : जहां पर ग्रामीण आबादी एक लाख की हो वहां पर सन् 2000 तक रैफरल अस्पताल खोले जाने हैं। सन् 2000 तक 377 लाख ग्रामीण आबादी हो जाने की है। उसके हिसाब से 377 रैफरल अस्पताल चाहिए होंगे सन् 2000 पूरे होने तक। अभी भी 136 रैफरल अस्पताल प्रदेश के अन्दर खुले हुये हैं। 50 इस बजट के अन्दर खुल जाने प्रस्तावित हैं। जैसा मैंने कहा, माननीय सदस्य, कहते हैं, जनता की भी मांग होती है और खोला जाना औचित्यपूर्ण होता है तो बगैर राज–नैतिक भेदभाव के पहले भी खोले हैं और सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्यारसी लाल जी, बैठें आप। आपका तो जवाब कल ही तय हो गया था। आप हर चीज को मैस मत कीजिए।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : राज–नैतिक भेदभाव किया गया है जबकि टौंक जिले की.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ग्यारसी लाल जी, बैठें आप। आप तो पूरे राजस्थान की कहेंगे तो माननीय मंत्री जी नहीं दे सकेंगे।

श्री नाथू सिंह : मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपका आ गया। यह गलत बात है। किसी का नोट नहीं किया जाये। हरजीरामजी, डूंगरराम जी, किसी का नोट नहीं किया जायेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री हरजीराम बुरडक : × × ×

श्री अध्यक्ष : जिनका प्रश्न होगा, मैं नाम बोलूंगा उनका लिखेंगे। ये सब उसको मैस कर देते हैं। प्रश्न कुछ है और आप बोल कुछ और रहे हैं। नहीं लिखेंगे इनका।

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह गलत है। कई प्रश्न–कर्ता बीच में लाड़े की बुआ बनते हैं और जवाब नहीं आने देते हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का लिखेंगे।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मान–नीय मंत्री महोदय बतायें कि क्या पिछली साल टोडारायसिंह क्षेत्र और देवली के साथ अन्याय किया गया है? एक विधान सभा क्षेत्र उनियारा के लिए दो रेफरल अस्पताल, आप रिपोर्ट देख लें, और देवली और टोडारायसिंह, इन दोनों जगह एक भी रेफरल अस्पताल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों टोडारायसिंह बन्द रहा और आंदोलन हुआ।

श्री अध्यक्ष : कह तो दिया।

श्री नाथू सिंह : जवाब क्या दिया,

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथू सिंह)

अध्यक्ष महोदय ? पिछली बार भी इन्होंने यहां कहा कि एक महीने के अन्दर आदेश निकालने हैं। आपको किस आधार पर लिस्ट के अन्दर निकालना था इसका आदेश और आपने किस आधार पर उसको हटा दिया ? क्या अब एक महीने में आप आदेश निकाल देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री ललित भाटी : मैं क्लीयर कर चुका हूं मगर जैसा देवली के लिये आप कह रहे हैं, पंचायत समिति देवली के अन्दर एक रैफरल अस्पताल हास्पीटल खुला हुआ है और वहां पर जूनियर स्पेशलिस्ट भी लगा रखे हैं। बीस बैड का हॉस्पीटल वहां पर है। हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। मैं नहीं सोचता कि ऐसी बात है जो आप यह सोच रहे हों कि वहां पर लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैंने कहा भी है कि सरकार देख रही है जो प्रपोजल्स आयेंगे, आप भी देखें....

श्री नाथूसिंह : टोडारायसिंह के बारे में प्रपोजल्स आ गया आपके पास, कब तक खोलेंगे ?

श्री ललित भाटी : देखेंगे, पचास हास्पीटल जो खोले जाने हैं। आपके लिये तो स्पेशल आर्डर निकलने से रहा। पचास के लिये एक साथ निकलेंगे उसमें अगर आपके यहां की ज्यादा आवश्यकता महसूस होगी तो....

श्री नाथू सिंह : नहीं, यह गोलमोल जवाब है, अध्यक्ष महोदय। पिछले साल रिकमण्ड करके भेजा टोडारायसिंह के लिये। रिकमण्डेशन आयी उसको तो काट दिया और रिकमण्डेशन नहीं होकर गया उसके यहां खोल दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 464, श्री हरजीराम जी बुरड़क। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, और किसी का नहीं लिखेंगे प्रश्नकर्ता का लिखेंगे।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : ×××

श्री भूदरमल वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, हो गया। आपका हो गया। श्री हरजीराम जी।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : ×××

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : You cannot press. No. No. You cannot press.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : नो,–नो, ऐसा नहीं है। You cannot press.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अन्याय नहीं है। 20 बैड का है, 20 बैड आलरेडी दे दिये हैं।

श्री नाथूसिंह : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे। नोट नहीं करेंगे किसी का।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये, बैठिये आप। आपको हो क्या जाता है? मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए आप।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं हो रहा है। किसी का नहीं लिखेंगे। 464

श्री भूदरमल वर्मा : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं हो रहा है, 15 मिनट हो गये। It has taken 15 minutes.

श्रीमती कमला (शिक्षा मन्त्री) : माननीय नाथूसिंह जी, आपका ही ऐसा क्षेत्र नहीं है अकेला जहां पर ऐसी सुविधा नहीं है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुविधाओं की मांग है। उनकी पूर्ति हर साल सबकी नहीं हो सकती। आप मन्त्री जी के मुंह से अभी घोषणा करवाना चाहते हैं यह कोई उचित थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : 464.

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह जी, यह आपका तरीका बहुत गलत है। You are not a special case. You are not a special M.L.A. कि आप कमिटमेंट करा लें।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : No, No, You cannot press. You cannot press the Government and the Chair.

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है आपका। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे किसी का। This is very wrong habit. This is very wrong practice. Very wrong practice. I cannot allow him.

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं लिखेंगे किसी का। You cannot press. You cannot get it through. Everyboy will press for it Very bad habit.

श्री गणेश लाल बैरागी : × × ×

श्री अध्यक्ष : You are not a special Member of the House. You are not a privileged man.

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कहता हूं आप बैठ जाइये, यह गलत बात है ।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है । कृपया बैठें, कृपया बैठें । मुझे लाचार नहीं करें आप ।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : हर एक करेगा, प्रेस करेगा । You are not a privileged man No. No.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : Nathu Singhji, I don't want to take displeasure. You are a senior Membcr. I warn you to sit dwon.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : I warn you to sit down. I warn you to sit down.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : सब कहेंगे कि मेरा करो, मेरा करो, बैठिये आप ! (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : ××× (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : ×××

श्री गणेशलाल बैरागी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, बैठिये, आप बैठ जाइये । कूल डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन ।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : I tell you to sit down. Please. Marshal. please get him out He is not a proper man. I am very sorry. Please, get him out (व्यवधान) मार्शल, मार्शल । विपक्ष के नेता महोदय । (व्यवधान) माननीय भैरों–सिंह जी । मैं बहुत दुखी हूं, आपके कार्यों से मैं बहुत दुखी हूं, निहायत दुखी हूं इस सिस्टम से ।

I am a Gandhian philosopher.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आप न्याय की कुर्सी पर हैं और विधान सभा में विपक्ष आपसे न्याय चाहता है । हम न्याय केवल यह चाहते हैं कि विकास के कामों में किसी प्रकार का राजनैतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बता दीजिए कि अगर हमारे क्षेत्र में राजनैतिक भेदभाव के आधार पर अस्पताल खुले हैं या अन्य विकास के काम हुये हैं तो हम किस को जाकर कहें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिंह जी, आज मैं बहुत दुखी हूं । (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आज मैं बहुत दुखी

×××माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

हूं। यहां के सिस्टम से नहीं, यहां का हमारा अच्छा है। लेकिन बहुत दुखी हूं जो हमारे हाउसेज में सब जगह चल रहा है, चाहे किसी की गवर्नमेण्ट हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जैसी सरकार चलती है वैसा सिस्टम होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी को खतम करेंगे तो हम हाउस वाले खतम करेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह उनकी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : यहां कुश्ती का दंगल करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

चेयर की सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी मर्जी पर चलना चाहते है। क्या होगा इस डेमोक्रेसी का ? इस लोकतन्त्र का बनेगा क्या ? मैं अफसोस यह कर रहा हूं। (व्यवधान) हमें चाहिये, जवाब भी आते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर अखाड़ा बना कर मिल कर लड़ें यहां पर।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : रजवाड़ों में और अंग्रेजों के जमाने में भी इतना बड़ा प्रिफरेंस सिस्टम नहीं था। आप सरकार को प्रताड़ित करिये।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां की नहीं कह रहा पूरे हिन्दुस्तान की कह रहा हूं। आज मैंने माननीय भैरोंसिंह जी से कहा। आज मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं इस हालात को देख कर। चाहे मेरे सेण्टीमेण्ट्स कह लीजिये या पुराने संस्कार कहिये, कुछ भी कहिये, बहुत बुरा लगता है। मैंने आज उन से भी सलाह ली कि क्या करना चाहिये इसके लिये। वह खुद खुश नहीं हैं, भैरोंसिंह जी खुद खुश नहीं हैं। भैरोंसिंह जी खुद दुखी हैं, और भी हैं जो दुखी हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : न्याय मांगते हैं, हक मांगते हैं। इसके ऊपर आज मन्त्री जी को नहीं कह रहे हैं। मन्त्री जी को कहिये कि न्याय करें।

श्री अध्यक्ष : दंगल बनाइये इसको, लोकसभा में बनाइये, राज्य सभा में बनाइये। यह हाउस कैसे चलेगा ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता को भी मालूम है, माननीय सदस्यों को भी मालूम है कि वैसे भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं....

श्री अध्यक्ष : तमाशा देख रहा है, हिन्दुस्तान देख रहा है। दुनिया देख रही है तमाशा। दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। क्या बना रहे हैं, क्या सिस्टम होना चाहिए ? इस सिस्टम को डेमोक्रेसी को खराब कर रहे हैं।

श्री गणेशीलाल बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नाथूसिंह जी की ही पीड़ा नहीं है। मैं मेरे इलाके के लिए लगातार चार साल से चिकित्सालय की मांग कर रहा हूं। मंत्री जी ने मुझ से जो सूचनायें मांगी हैं मैंने तीन बार सूचनायें दी हैं लेकिन मेरे मांगने के बाद भी अपनी इच्छानुसार चिकित्सालय खोल देते हैं यह।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती कमला)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता को और तमाम सदस्यों को यह मालूम है कि बहुत से कांग्रेसी सदस्यों के भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी यह सुविधा नहीं मिली है और बहुत से गैर कांग्रेसी और प्रतिपक्ष के सदस्यों के भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऐसी सुविधायें मौजूद हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे अभी भी कायम हैं जिनमें इसकी मांग है। इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि कोई एक सदस्य सदन में खड़ा हो कर मंत्रीजी को मजबूर करे कि आप को घोषणा करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको कोई भाषण की जरूरत नहीं है, आप बिराजिये। हम जानते हैं आप क्या हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जकियाजी को पूछ लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या पूछ लीजिए जकियाजी को, उपदेश देने खड़ी हो गयीं।

श्री विजय सिंह (रूपवास) : हमारी पार्टी असत्य बोलने में विश्वास नहीं करती है और न मंत्री महोदय घोषणा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत–से ऐसे क्षेत्र हैं जिन में एक भी रैफरल हास्पिटल नहीं हैं, पूरे क्षेत्र में नहीं है। आपके टोडारायसिंह में पास में तो कोई एक बता रहे हैं वहां है। क्या बात कर रहे हो आप ?

श्रीमती कमला : जयपुर जिले के कई ऐसे क्षेत्र मैं गिना सकती हूं। यह कोई जबर्दस्ती थोड़े–ही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज मेरी मन:स्थिति ठीक नहीं है, माननीय उपाध्यक्षजी को बुला रहा हूं।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : मन: स्थिति क्या ठीक नहीं है।

(11.35 प्रात:)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री विजय सिंह : आपकी सरकार आये तब आप बोल लेना, क्या बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दो मिनट में सम–अप करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे....

श्री भूदरमल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता खड़े हुए हैं। I will not allow.

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) : दौसा जैसे क्षेत्र में, जो डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, रैफरल हास्पिटल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में चलिये, भूदरमल जी। बैठिये पहले। (व्यवधान) पहले प्रतिपक्ष के नेता को सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसी भी क्षेत्र में विकास के काम या सार्वजनिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सेवाओं के काम खुलें या नहीं खुलें, यह केवल विपक्ष का ही विवाद का विषय नहीं है। कई बार इस सदन में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी यह कहते हुए मैंने सुना है कि हमारे क्षेत्र में यह काम नहीं खुले, राजनीतिक दुर्भावना से। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि हर आदमी की अपेक्षा होती है कि मैं निर्वाचित हो कर आया हूं अपने क्षेत्र में विकास का काम करूं। विकास का काम करने के दो तरीके हैं, एक तो सरकार नैचुरल वे में करे, कोई क्राइटेरिया फिक्स-अप करे कि हास्पिटल खोलना है तो किस प्रकार से क्षेत्र में हास्पिटल खुलेगा, रैफरल हास्पिटल कहां खुलेगा, स्कूल कहां खुलेगा या कालेज कहां खुलेगा। इसके लिए कोई क्राइटेरिया तय हो जाय तो मैं समझता हूं कि किसी मैम्बर को कोई शिकायत नहीं रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया के अभाव में आदमी के पुल्स और प्रैशर्स काम करते हैं जिसके पुल्स और प्रेशर्स ज्यादा होंगे जल्दी उसके क्षेत्र में काम खुलेंगे, जिसके पुल्स एवं प्रैशर्स नहीं होंगे उसके क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। इसी उपेक्षा को लेकर माननीय सदस्यों ने अपना रोष व्यक्त किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए केवल एक ही स्थान है कि हम राजस्थान विधान सभा में हमारे साथ या हमारे क्षेत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को किसी न किसी प्रकार से सरकार के ध्यान में लायें। सरकार यदि उसकी उपेक्षा करती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति लेकर हम इस प्रकार के प्रश्नों को सदन में उठाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार को इस गम्भीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए। बिना क्राइटेरिया आप काम करेंगे तो आप चाहे कितने ही साधु हो जायं या भगवान हो जायें, कहीं न कहीं पक्षपात की बू उसमें निश्चित रूप से आयेगी। इन सब चीजों में पक्षपात हुआ है जिसका विरोध किया जा रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि आप भी दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय भी इस कारण कई बार अपना दुःख व्यक्त कर चुके हैं। यहां कई माननीय सदस्य बैठें हैं वह भी दुःखी हैं। इस सारे सम्बन्ध में पहले तो सरकार यह आश्वासन दे कि जितने भी विकास के काम होंगे, चाहें हास्पिटल खोलें, दवाखाना बने या और प्रकार के विकास के काम हों सरकार निश्चित रूप से कोई क्राइटेरिया फिक्स अप करे। जब तक क्राइटेरिया नहीं होगा, आप मान कर चलिये, सदन में उत्तेजना पैदा होगी। मैम्बर्स अपने निर्वाचन क्षेत्र के इन्टरेस्ट को ले कर उत्तेजित होते हैं। होंगे और सदन का समय भी जायेगा। यह गलती तो सरकार की है कि सरकार कोई क्राइटेरिया फिक्स अप नहीं करती और राजनीतिक हथियार के रूप में विकास के कामों को अपने हाथ में रखना चाहती है। पहले तो मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। जहां तक टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य और निवाई से आने वाले माननीय सदस्य की ग्रिवांसेज का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप ठीक प्रकार से सुनें तो आपका भी निर्णय यह होगा कि यह क्राइ–

(१५)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टेरिया के आधार पर नहीं खुले, यह राजनीतिक पक्षपात के आधार पर खुले हैं।

श्रीमती कमला : नो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इनकार कर देना, आपको बिलकुल छूट है। आपके जवाब देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जवाब देने की स्वतन्त्रता है। मैं चाहूंगा कि आप स्वयं इनकी ग्रीवांसेज सुन लें और सरकार को भी सुन लें। जो कुछ भी आपका फैसला होगा हमें मंजूर होगा।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने दो बातें बहुत आपत्तिजनक कहीं। एक तो यह कि राजनीतिक भावना से ही यह कार्य खोले गये। अभी भी मैं यह कह सकती हूं कि माननीय सदस्य का जो क्षेत्र है, जो जगह है उससे कहीं बड़ी जगह, उससे कहीं बड़े क्षेत्र में आज भी इसकी मांग मौजूद है लेकिन वहां पर नहीं खोला जा सका है। जो वित्तीय प्रावधान किये जाते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सीमायें हैं। उन सीमाओं में जितने दिये जा सकते हैं प्रति वर्ष उतने ही दिये जाते हैं। उसमें बहुत–से ऐसे कांग्रेस के भी क्षेत्र हैं जिनको आज भी इनसे ज्यादा उपयुक्त होते हुए भी नहीं दिया जा सका है क्योंकि साधनों की सीमा है। मैं आपको यह पूछना चाह रही हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Now please hear it.

श्रीमती कमला : आप इतने जोर से सिद्धांतों और नीति की बात कह रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत ने आपकी हुकूमत आने से पहले कितने स्कूल और दवाखाने खोले थे जिनको आपने एक कलम से खारिज कर दिया था। खोलना तो दूर रहा आपने तो खारिज किये खोले हुए। हम उस तरह नहीं करते हैं, न कोई राजनीतिक भावना से कर रहे हैं लेकिन वित्तीय साधनों की एक सीमा है जिसमें हर साल कुछ न कुछ दिया जाता रहा है। इनसे बड़े–बड़े क्षेत्र अभी भी बाकी हैं। रोष प्रकट करना, मांग करना, दबाव देना आपका फर्ज है, अधिकार है लेकिन खड़े ही रहें और मन्त्री से यह कहें कि आपको घोषणा करनी पड़ेगी, यह कोई तरीका नहीं है। इसको उनको भी समझना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन। माननीय मन्त्री महोदया ने चार्ज लगाया है। आपने चार्ज किस आधार पर लगाया ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदया ने यह कहा कि जनता पार्टी के शासन में एक कलम से हमने कैन्सिल कर दिये तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो तय किये, आप ईमानदारी से कह दीजिये कि वह सही किये थे या भागते–भागते दस्तखत किये थे ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : हमने सही किये थे और सही किये थे....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जब तक संवैधानिक दृष्टि से राज को अधिकार था काम किया....

श्रीमती कमला : This is pure and simple a fact. (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको कुछ पता तो है नहीं। और सीनियर मिनिस्टर बनना चाहती हैं और यहां बैठकर बोलने का तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप। डूंगरराम जी, बैठें आप। आसन पैरों पर है, बैठियेगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, बैठें आप। हियर मी नाउ। आसन पैरों पर है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज आसन ने मार्शल को बुलाया, आसन को कतई अच्छा नहीं लगता है कि मार्शल को बुलाया जाय। आसन तो आखिर तक हर-चन्द प्रयास करता है कि हाऊस अच्छी तरह से चले। हाऊस में सदस्य अपनी अपनी जो प्रिविलेज हैं जो कहीं और फोरम से नहीं कह सकते हैं उनको इस हाउस के माध्यम से उठायें। किन्तु उसकी भी एक प्रक्रिया हैं, सीमायें हैं और जब उन सीमाओं से बात आगे निकल जाती है तो आसन को अल्टीमेटली यह भी प्रयास करना पड़ता है कि मार्शल को बुलाये ताकि इस हाउस को संयत कर दिया जाय और हाउस चले।

यह निर्विवाद बात है माननीय सदस्यों का अधिकार है इस सदन में अपनी बात को कहने का। अगर कहीं पक्षपात की बात भी है तो वह कहने का उनको अधिकार है। किन्तु साथ ही जो विपरीत में उसका जवाब आये उसको भी सुनना चाहिये। यह आसन की मर्यादाओं में है कि वह दोनों पक्षों को बोलने दे, कहने दे और अपनी बात रखने दे। इसलिये आज अगर आसन को मार्शल को बुलाना पड़ा क्योंकि लगा कि सीमा से बाहर बात हो गयी है। नाथू-सिंह ने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से कहा है और मैं सरकार से चाहूंगा कि इसको एग्जामिन करा लीजियेगा और अगर कहीं उसमें उनके क्षेत्र के साथ अन्याय होता है तो न्याय करने का प्रयास कीजि-येगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (विधि मन्त्री) : पहले ही आश्वासन दे दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 464।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महो-दय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें। डूंगरराम जी आप बैठें। Now please sit down. Order please.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : 464.

मूण्डवा पंचायत समिति (नागौर) को खाद-बीज का प्रकरण

464. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) (श्री रामदेव चौधरी के स्थान पर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है विगत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जिला नागौर की पंचायत समिति मूण्डवा में बीज व खाद का मामला पकड़ा था और सीज किया था? यदि हां, तो कब और क्यों?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या तत्संदर्भ में कोई जांच हुई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मन्त्री (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जी हां। दिनांक 24-11-1987 को मुखबिर ने सूचना दी कि पंचायत समिति, मूण्डवा के गोदाम से खरीफ की फसल के बीज व खाद के कट्टे जो कि (खरीफ की फसल 1987) में लघु व सीमान्त कृषकों को प्रदर्शन हेतु मुफ्त बांटने थे, बाजार में बेचने के लिये ले जाये जा रहे हैं। इस पर कट्टे जब्त कर प्रारम्भिक जांच हेतु अग्रिम कार्यवाही की गयी।

(2) प्राथमिक जांच संख्या 4/88 पंजीबद्ध कर जांच की गई। जांच से आरोप अप्रमाणित पाये गये व जांच नस्तीबद्ध की गई।

(3) जी हां। जनहित में तात्विक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामदेव चौधरी।

श्री नारायणराम बेड़ा : लिखकर दे दिया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : सॉरी, श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (1) में बताया कि 24-11-1987 को गोदाम से 11 कट्टे पकड़े थे, और यह खरीफ की फसल में मुफ्त में बांटने के लिये थे, तो खरीफ की फसल में कब बंटने चाहिये ? मई में यह बंटने चाहिये थे और नवम्बर में इन्होंने पकड़ा था, इससे यह साबित किया गया है कि इसमें ब्लैक किया गया है। दूसरा आपने यह बताया कि....। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को जनरलाईज कर देंगे ? स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लें....

श्री हरजीराम बुरड़क : स्पेसिफिक क्वेश्चन...

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : नवम्बर में बिका, जो बिकना चाहिये था मई-जून में।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो एण्टी-करप्शन से सम्बन्धित है ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : एण्टी-करप्शन इसी में है क्यों दबाये रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष : वह मन्त्रीजी जिनसे आप पूछना चाहते हैं यहां नहीं हैं इसलिये आप उनकी सैंक्टिटी गौण कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : इन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट जनहित में रखना उचित नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बुरड़क साहब के क्वेश्चन को गौण क्यों कर रहे हैं ? पहले उनको कहने तो दीजिये। क्या हरजीराम जी के क्वेश्चन को मरवा दें हम ? (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : हरजीराम जी काफी सक्षम हैं इसलिये इन्हें ही पूछने दें।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न के भाग दो में आपने बताया है कि प्रारम्भिक जांच आपने 1988 में पंजीबद्ध की। 1987 में जब यह माल पकड़ा तो 1988 तक आप क्या करते रहे, साहब ? कौनसे टेली-फोन का इन्तजार करते रहे या कोई दबाव देख रहे थे आप ? अन्त में भाग तीन में आपने यह कह दिया कि प्रतिवेदन की प्रति जनहित में सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है। यह क्या इसमें बोफोर्स सौदा था जो रखना उचित नहीं था ? आखिर वह भी रखी गई है। यह कौनसी जांच रिपोर्ट है जिसको रखना उचित नहीं है, मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात माननीय सदस्य ने यह पूछी कि यह कट्टे कब बेचने चाहिये थे। सदन के सारे माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि 1987 में हमारे प्रदेश में भीषण अकाल था, नागौर में भी अकाल था और चूंकि बरसात नहीं हुई थी इसलिये यह बीज वास्तव में खरीफ में बंटने के लिये आया था.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज हियर इट।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिये, फिर आप और पूछ लीजियेगा।

श्री नारायणराम बेड़ा : साफा बांध कर आ गये, खरीफ की नवम्बर में फसल कटती है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरी बात सुन ले पूरी....

श्री नारायणराम बेड़ा : सुनें क्या आपकी बात ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप नहीं सुनना चाहते हैं तो बैठ जाता हूं। फिर प्रश्न ही क्यों पूछा था ? जवाब सुनिये, तसल्ली रखिये कुछ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता रहा था कि चूंकि खरीफ की फसल के समय में बरसात नहीं हुई थी इसलिये उस समय यह कट्टे कृषि विभाग ने विकास अधिकारी की मार्फत बांटने के लिये दिये उस समय वह नहीं बंटे। इस-लिये जब रबी का मौसम आया तो यह जो कट्टे बचे हुये थे वह बांटने के लिये दे दिये कि कट्टे अब बांट दिये जायं। अब इस सम्बन्ध में, जैसा आपने कहा कि 1987 में पकड़े गये और 1988 में क्या किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भ्रष्टा-चार निरोधक विभाग में तरीका यह है, वहां जिस आदमी ने पकड़ा वह चूंकि डी. वाई.एस.पी. थे, उन्होंने पकड़ कर, रेड करके यहां पर रिपोर्ट भेजी। यहां पर जो एस.पी. हैं उन्होंने सारे कागजात देखने के बाद प्रारम्भिक जांच को रजिस्टर्ड करने के आदेश दिये। उसमें 3–4 महीने का समय लगा। उसके बाद फिर इसकी जांच की गयी। जो भी सम्बन्धित व्यक्ति थे, बीज ले जा रहे थे छकड़े वाले वह लोग, रजिस्टर वगैरह थे वह लोग, जो इसमें एक्यूज्ड पर्सन थे वह लोग, जो भी सम्भावित थे उन सब की जांच करने के बाद जो जांच अधिकारी

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

था उसने यह पाया कि इसमें कोई दोष या अपराध प्रमाणित नहीं होता है। उसने अपनी यह रिपोर्ट यहां हैडक्वार्टर में भेजी। यहां के डी.आई.जी. साहब ने सारे प्रकरण के जो भी दस्तावेज और जो मौखिक साक्षियां इसमें प्रस्तुत हुयी थीं उनको देखने के बाद इस बात को पाया कि इसमें दोष प्रमाणित नहीं होता है, कोर्ट में जाकर सफल नहीं होंगे इसलिये इसको नस्तीब कर दिया जाय।

अब जहां तक तीसरा सवाल है कि इसकी रिपोर्ट में जनहित में क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी यह परम्परा रही है। मुझे एतराज नहीं हैं, जैसा आप आदेश देंगे। आप देख लें, माननीय सदस्य देख लें। अगर आप कहेंगे कि इसको यहां पेश किया जाय तो मैं पेश करने के लिये भी तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें गोपनीयता क्या है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप हरजीरामजी को पूछने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने यह कहा है कि जनहित में नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह पब्लिक डाक्युमेंट नहीं है।

श्री नारायणराम बेड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाह रहा हूं कि जनहित में वाजिब बात है। इसके आगे जनहित में यह उचित नहीं है बताना, यह उचित नहीं है। इसमें जनहित नहीं फंसता है। दूसरा, जब 24–11–87 को कट्टे जब्त किये गये तो वे किस स्थान से किये गये, किस व्यक्ति के पास थे, कौन ले जा रहे थे और कहां ले जा रहे थे ? इन तीनों के नाम बता दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सवाल की तो पूरी जानकारी नहीं है। सवाल पूछने वाले जो सदस्य थे वह तो आज अनुपस्थित हैं। अब यह वैसे हैं जैसे चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो यह बैठने की कोशिश कर रहे हैं। यह मूण्डवा का केस है....

श्री उपाध्यक्ष : सिट डाउन। मैं आपकी बात से सहमत हूं। वह जवाब दे दीजिएगा। रिपोर्ट इस संबंध में जो दिखाने की बात है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे दें, मैं हरजीराम जी को वह दिखवा दूंगा। नाम पूछा है वह बता दीजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नाम जो पूछा है। मूण्डवा के बाजार में एक छकड़े में भर के 38 कट्टे जा रहे थे तो जाते हुए वहीं पकड़ लिया। किसी ने सूचना दी, इसके ऊपर जाकर के पकड़ लिया और उनको ले जाकर मूण्डवा के थाने में रख दिया, एक बात। दूसरी बात आपने पूछी है कि उसमें कौन थे। उसमें एक खन्ना था जो मालिक था, जो ले जा रहा था छकड़ा और एक अजीबा थी। ये दो आदमी उसको भरकर छकड़े में ले जा रहे थे जो ग्रामसेवक हैं उनको देने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर केदार। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रोफेसर केदार। (व्यवधान) जवाब नहीं देने दूंगा इसका। No further question. माननीय कालवी जी।

श्री नारायणराम बेड़ा : तो थाने में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको रिपोर्ट दिखवाने की बात कह दी है ? (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : 38 कट्टे आपके गोदाम से कैसे निकले।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कट्टे किसको सम्भलाये। आपने तो एफ.आर. दे दी, यह किसको सम्भलाये ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : किसका यह माल था, किसको यह जा रहा था, कौन सी ग्राम सहकारी समिति का था ?

श्री उपाध्यक्ष : वह नाम आ गये। आप रिपीट करना चाहते हैं। नाम आ गये। प्रोफेसर केदार।

श्री नारायणराम बेड़ा : इसमें नाम आया है ठेले वाले का।

श्री उपाध्यक्ष : यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि समय सदन का जाय इसमें। प्लीज सिट डाउन। प्रोफेसर केदार। (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : उसने सिर्फ 10 रुपये लिए और 10 रुपये के व्यक्ति को आप....(व्यवधान) यह उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में न्याय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार। Another question. (व्यवधान) नाम बता दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, वापस किसको सम्भलाया ?

श्री उपाध्यक्ष : वापस किसको सम्भलाया, बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी : +++

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं कर रहा है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : छकड़े वाले का, वह माल के मालिक का नाम बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : छकड़े वाला तो होगा ही होगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : छकड़े वाले का बता दिया, मालिक छकड़े वाला था।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मालिक छकड़े वाला कैसे होगा ? माल का मालिक छकड़े वाला नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : छकड़े का मालिक भी छकड़े वाला ही है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : कौनसी सहकारी समिति को जा रहा था और कौन सरपंच को डिलीवर करना था, सवाल तो वह है। उसको छिपा रहे हो।

+++अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : वे बता रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे छिपाने से कोई मतलब नहीं, न मैं चाहता हूं कि कुछ छुपाया जाय। आप जो पूछेंगे, मैं बताने को तैयार हूं। मैंने तो छकड़ा जो चला रहा था उसके मालिक का नाम बता दिया। माल जो था।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्लीज, कालवीजी, बैठें आप।

श्री कल्याणसिंह कालवी : +++

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ रहा है न।

श्री कल्याणसिंह कालवी ; छकड़े वाले का नाम बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है ? डाइरेक्ट तो वह है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : असलियत तो यह है कि जो छकड़े वाले हैं वे +++ के खास आदमी हैं। +++ के सिफारिश के ऊपर ये जा रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : +++ का नाम मत लीजिए। उसका नाम है ही नहीं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : +++ से कोई मतलब नहीं है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : +++ का नाम इसी रिपोर्ट में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके कहने से हो जायेगा क्या ? आप जिसका चाहें नाम जोड़ देंगे ? (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : नहीं तो, आप छकड़े वाले का नाम नहीं बताते।

श्री लालचन्द डूडी : अगर +++ का नाम नहीं होता तो आप निश्चित तौर से रिपोर्ट सदन के पटल पर रख देते।

श्री उपाध्यक्ष : लालचन्द जी, बैठें आप। कालवी जी, बैठें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 38 कट्टे थे यह बी.डी.ओ. साहब के गोदाम में रखे हुए थे। वहां से बी.डी.ओ. साहब से जो ग्राम सेवक थे उनका नाम आपको बता देता हूं। कहां जा रहा था वे आप पूछना चाह रहे हैं। एक छकड़ा तो जा रहा था साकिया, वहां के ग्राम सेवक को। 14 कट्टे यूरिया के और पांच कट्टे डी.ए.पी. के देने थे। दूसरा छकड़ा जा रहा था करली, पुलवा, सीलगांव। इनके ग्रामसेवकों को देने के लिए जा रहा था। इसमें न तो कोई+++का मतलब है और न और किसी साहब का मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कालवी साहब, बैठें आप। रिप्लाई आ रहा है। आप खड़े क्यों हो गये ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जिसके ऊपर जो मर्जी आये अनर्गल आरोप लगाते जायं? कोई मतलब नहीं, लेना–देना नहीं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पैसे वापस किसको दिये ? One more question.

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वापस किसी को नहीं दिये, वे थाने में पड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सवाल का जवाब आ गया।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कट्टे हैं यह+++

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत है। यह काट दीजिए। यह चार्ज काट दीजिए। अनर्गल चार्ज है आपका। प्रोफेसर केदार।

श्री डूंगरराम पंवार : डर लगता है सरकार को क्योंकि वह केन्द्र में कपड़ा मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार, क्वेश्चन नम्बर 465. (व्यवधान) माननीय सिंचाई मंत्री जी।

गंग कैनाल की लिंक चैनल

465. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंग कैनाल लिंक चैनल कब शुरू हुई और कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ? इस पर कुल कितना व्यय होगा?

(2) हरियाणा राज्य ने अपने क्षेत्र में इस चैनल का कितना काम पूरा कर लिया ?

(3) गंग कैनाल की मरम्मत के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ?

(4) अब तक इस कार्य में कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

(5) क्या यह सही है कि मौजूदा नहर केवल 2200 क्यूसेक पानी ही ले सकती है।

(6) गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ था ? पंजाब सरकार ने कितनी धनराशि मरम्मत के लिए मांगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) गंग नहर लिंक चैनल का कार्य वर्ष 1984 में आरम्भ हुआ एवं माह जून, 1990 तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके निर्माण पर लगभग 2044 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(2) हरियाणा राज्य में स्थित 6.31 किलोमीटर नहर में मिट्टी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब एक मुख्य रेगुलेटर एवं अन्य पक्के कार्य बनने शेष हैं।

(3) गंग कैनाल की मरम्मत के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक 820 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

(4) 891.54 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

(5) बीकानेर नहर की कुल क्षमता राजस्थान सीमा पर 2640 क्यूसेक है।

+++अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

इसके स्थान पर नहर की लाइनिंग खराब हो जाने के कारण लगभग 2100 क्यूसेक पानी पहुंचता है।

(6) गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के कारण बीकानेर नहर बुर्जी 0 से 45 तक पूर्ण जलमग्न हो गयी थी व इसमें जगह–जगह पर कटाव हुए। बीकानेर नहर को जोड़ने वाली फिरोजपुर फीडर में भी तीन जगह कटाव हुए। पंजाब सरकार ने फिरोजपुर फीडर, बीकानेर नहर, इन्दिरा गांधी फीडर एवं हैड वर्क्स इत्यादि पर हुए नुकसान की मरम्मत के लिए 8.75 करोड़ रुपये की मांग की थी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा : पार्ट दो, हरि–याणा सरकार ने कितने पैसे मांगे ? 6.31 किलो मीटर अपना हिस्सा निर्माण करने के लिए कितने पैसे मांगे और कितने पैसे आप दे पाये और यह कब पैसे दिये ? क्या इसके लिए कोई और भी शर्त हरियाणा सरकार ने रखी है ? दूसरा, आपने मरम्मत के लिए 1985 से लेकर 1989 तक 8 करोड़ रुपये दिये ? क्या यह प्रोपर यूटिला-इजेशन के खिलाफ नहीं हो जायेगा ? आपको कोई शिकायत मिली या आपको किसी भी अफसर ने इसकी जांच की कि प्रोपर यूटिलाइजेशन भी हुआ इस पैसे का ?

तीसरा, मान्यवर, कि 0.45 मीटिंग पाइंट है फिरोजपुर फीडर और बीकानेर कैनाल का। वहां 2600 क्यूसेक पानी हमको मिलता है। उसके बाद यहां हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइंट है, वहां कुल 2100 क्यूसेक्स आता है। बीच में हमारे लासेज बढ़ने का कारण केवल कुल टूट-फूट है। पंजाब ने अपनी ओर से आज से 6–7 साल पहले हमारी बीकानेर कैनाल में एक कैनाल का और निर्माण कर लिया। आखिरी क्वश्चन पार्ट 6 में, पंजाब सरकार ने मरम्मत के लिए कितने पैसे मांगे, कितने पैसे आप दे पाये ? केन्द्र सरकार से आपने बीकानेर कैनाल की मरम्मत के लिए कितने पैसे मांगे और कितने आपको प्राप्त हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) पहले इसका जवाब आने दें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 163 लाख रुपये मांगे, जिसमें से 80 लाख रुपये दे दिये गये। मरम्मत के कार्य में 820 लाख रुपये खर्च किये गये। इसमें कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई। जीरो से 45 आर. डी. पानी का जहां तक सवाल है 0 आर.डी. से 27 सौ क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। 45 आर. डी. से लेकर 380 आर, डी. तक नहर खराब होने की वजह से जो अनुमानित लास पहले जो नहर बनी उसमें 80 क्यूसेक का था उसके बाद में करीब 500 क्यूसेक लासेज की हानि अनुमानित है और इस तरह जाकर के हमें राजस्थान और पंजाब सीमा पर 2100 क्यूसेक के लगभग पानी मिलता है नहर के खराब होने की वजह से। जहां तक पंजाब में आई बाढ़ के कारण नुकसान हुआ उसमें दो सौ लाख यानि दो करोड़ रुपये राजस्थान के पेटे भारत सर-कार ने और एक करोड़ रुपये हमने अपनी

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तरफ से, लगभग तीन करोड़ रुपये दिये। उनकी मांग 8.75 लाख की थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पार्ट थर्ड के रेफरेंस में पूछना चाहती हूं। क्या यह सही है कि गंग कैनाल जिसको हरियाणा में बीकानेर कैनाल भी कहते हैं उसमें 1987–88 की बाढ़ के लिए पांच करोड़ रुपये हरियाणा सरकार ने मांगे थे जिसके पेटे हम दो करोड़ रुपए तो भेज चुके? परन्तु, उन्होंने न तो उसकी मरम्मत कराई है, न वह रुपया वापिस दे रहे हैं और न आपकी चिट्ठियों का जवाब दे रहे हैं।

दूसरा, पार्ट 6 के रेफरेंस में मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, क्या यह सही है कि पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर के सुधार के लिए आपने एक करोड़ की अग्रिम राशि भेजी थी और आपने जो एस्टीमेट बाढ़ सुधार कार्य के लिए केन्द्र को भेजें उसमें पंजाब सरकार द्वारा भेजे 8.65 करोड़ का एस्टीमेट भी साथ ही लगाकर भेज दिया? केन्द्र सरकार ने वह एस्टीमेट जो पंजाब सरकार ने आपको भेजा था, सीधा ही भुगतान कर दिया परन्तु आपका एक करोड़ रुपया अटक गया, क्या यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा कि 1987–88 में क्रम संख्या तीन में जो पैसा दिया गया था उसका हरियाणा सरकार से मतलब नहीं है, आप हरियाणा सरकार गलत बोल गई। बाढ़ का मामला तो पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार का है।

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं, गंग कैनाल की बात कर रही हूं और हरियाणा की बात कर रही हूं। हरियाणा और राजस्थान के बीच की डीलिंग की बात कर रही हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। गंग कैनाल की मरम्मत के लिए 1985 से 1989 तक जो पैसा हमने दिया था....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, इसमें दो प्रश्न हैं। विज–ए–विज एक पंजाब और एक राजस्थान, फिर पंजाब और हरियाणा। इन दोनों की बात अलग-अलग है। तीसरा, हरियाणा में जो गंग कैनाल का पार्ट पड़ता है उसकी बात है, जो उनके क्षेत्र में पड़ता है। जो भाग 6 में है, पंजाब में पार्ट पड़ता है उसके लिए कह रही हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्या, आप कन्फ्यूज हो रही हैं। क्योंकि गंग कैनाल का पार्ट तो हरियाणा में आता ही नहीं। आप लिंक कैनाल की बात करें तो समझ में आती है।

श्रीमती विद्या पाठक : लिंक की बात कर रही हूं। जो नहर आती है, जो राजस्थान स्टेट को सप्लाई करती है, अगर है तो उन नहरों की मरम्मत कब की, आप इस बात का जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, 6 नम्बर का जवाब दे दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पंजाब सरकार ने पौने नो करोड़ की मांग की थी भारत सरकार से। हमने एहतियात के तौर पर कि जल्दी से जल्दी मरम्मत हो जाय, उनको एक करोड़ रुपये दे दिये। लेकिन जब प्रपोजल हमने भेजा तो भारत सरकार ने उसको जस्टिफाइ नहीं मानते हुए, दो करोड़ रुपये हमारी तरफ से दे दिये। इस प्रकार से तीन करोड़ रुपये हमने दिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रही हैं उनका कार्य नहीं करा रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : कार्य नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने तो पूरा अमाउन्ट रिएम्बर्स कर दिया पंजाब सरकार को, मगर जो अग्रिम राशि राजस्थान सरकार ने भेजी थी वह पंजाब सरकार ने न तो लौटाई है और न ही उसका जवाब दे रहे हैं। वह तो एडीशनल हो गया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमने बाढ़ से सम्बन्धित मांग की थी। उसमें दो करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिये और एक करोड़ हमने दिये. राजस्थान की तरफ से। इस तरह पंजाब सरकार को तीन करोड़ रुपये दिये गये। रख-रखाव के लिए एक करोड़ की मांग भारत सरकार से और की है। अब सवाल यह है कि वह बना नहीं रहे हैं, हमारे इन्जीनियर, चीफ इंजीनियर वहां देख कर आये हैं, काम हुआ है। आप कह रहे हैं शिकायतें हैं। ऐसी शिकायत हमारे पास तो नहीं आई कि बना नहीं रहे हैं। जब यह बाढ़ आई थी तो पानी का झगड़ा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया था, मैंने वहां कटाव भी देखा। उस समय मैं मन्त्री नहीं था, एम.एल.ए. की हैसियत से गया था क्योंकि वह पूरा क्षेत्र जो मेरी कान्स्टीट्यूएंसी का है उस कैनाल से सिंचित होता है। इसलिए मैंने वह देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी हाउस को मिस लीड कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमंत्री) : मैं बता दूं आपका जो प्रश्न है।

श्री शोपतसिंह : आप सुनकर जवाब दे देना। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : यह तो कन्फ्यूजन में पड़ जायगा। मेरा डाइरेक्ट प्रश्न है और हाउस को मिस लीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : पहला सवाल यह है कि गंग कैनाल लिंक चैनल के लिए आपने हरियाणा सरकार को किस-किस तारीख को, किस-किस वर्ष में रुपये जमा कराये, यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। इससे कन्सर्न नहीं है। इसमें केवल मरम्मत की बात है।

श्री शोपतसिंह : अलग से नहीं है। हरियाणा राज्य ने अपने क्षेत्र में कितना काम पूरा कर लिया है और हमने कितना पैसा दिया इनको? यह इसी से संबंधित है।

(श्री शोपत सिंह)

है। (व्यवधान) इस सदन में यह सवाल आया है कि हमने पैसा दिया एक करोड़ 19 लाख रुपये।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी बात मत करिये, यह सवाल पहले आया होगा। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आप प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं या हमारी इमदाद करने के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सम्बन्धित क्वश्चन हो तो पूछिये।

श्री शोपतसिंह : मैं पूछ रहा हूं कि हमारी सरकार ने लिंक चेनल के लिए हरियाणा सरकार को कौनसे साल में कितना–कितना रुपया दिया, यह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल आ गया।

श्री शोपत सिंह : दूसरा, क्या मैं यह समझू कि पंजाब सरकार ने पौने नौ करोड़ इन्दिरा गांधी कैनाल और गंग कैनाल की रिपेयर के पेटे एस्टीमेटेड खर्चा बताया कि इतने रुपये लगेंगे और हमारी सरकार ने तीन करोड़ दिया ? तो क्या समझा जाय कि जब तक वह पूरी नहरें रिपेयर नहीं हो जाएगी तब तक हमको अपनी क्षमता का पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

नम्बर 3, क्या हमारी सरकार ने इस बात की तसल्ली कर ली है कि जो हमारी नहरों में पानी चल रहा है, जिस क्षमता से हम पानी ले रहे हैं उसके लिए इस तीन करोड़ का कोई उपयोग अब तक हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मानिकचन्दजी सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरनसर) : मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि गंग कैनाल का जो पार्ट पंजाब में है उस पार्ट में से जब मुख्य मन्त्री जैलसिंह थे क्या उस वक्त पंजाब के लिए 30 क्यूसेक की चैनल अलग से हमारे पानी में से निकाली है ? यदि निकाली है तो राज्य सरकार ने अब तक उसके लिए क्या कार्यवाही की है क्योंकि उसमें से निरन्तर पानी लिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री शोपतसिंह : महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण को मैस कर दिया। प्रोफेसर साहब ने जो क्वश्चन पूछे थे, पर्टिनेन्ट क्वश्चन थे, जवाब आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने आपस में विवाद करके मैस कर दिया।

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय शोपतसिंह जी, आप लिंक की बात कर रहे हैं क्या ?

श्री शोपत सिंह : हां।

श्री हीरालाल इन्दोरा : लिंक में 114 लाख तो उनको बाढ़ में दे दिया है। 6.31 किलोमीटर कच्ची लाईनिंग का काम हरियाणा सरकार में हो गया है। मैं स्वयं देखकर आया हूं आज से चार महीने पहले वहां के एक्स.ई.एन. को लेकर, जब मैं एम.एल.ए. था। यह नहर हमारे इलाके से सम्बन्धित है। इसलिए मुझे कई बार जाना

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

पड़ा इस नहर पर। इसलिए मैं इस नहर की वस्तु स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूं।

श्री शोपतसिंह : हम भी कई बार गये हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप नहीं गये। आप जाते तो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में विवाद नहीं करें। ओ.के. सिट डाउन। माननीय शोपत सिंह जी बैठें, कृपया।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ फरमा रहे हैं। आप उनका जवाब दे रहे थे न।

श्री उपाध्यक्ष : विद्याजी के सवाल का जवाब आ जाय। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रश्न में दो चीजें शामिल हैं। एक तो लिंक चैनल जो हरियाणा के पोर्शन में आती है। हमने उस गंग कैनाल को रिपेयर करने के लिये राजस्थान कैनाल से निकाल करके एक लिंक चैनल बनाई है। उसमें 6.31, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, किलोमीटर हरियाणा के हिस्से में आती है। जब हमने इसका काम शुरू किया था उस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री भजन लाल जी थे। मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर में हम जल्दी काम शुरू करवा देंगे। उन्होंने 12 क्यूसेक्स पानी मांगा। हमने देने के लिये स्वीकृति दे दी। उसी समय बहुत पहले हमने 1 करोड़ 14 लाख रुपया हरियाणा गवर्नमेंट को भेज दिया था। सदन में भी कई बार यह प्रश्न उठाया गया और आपके दल के नेता नाथूराम जी मिर्धा स्वयं ने भी कहा कि मैं देवीलाल जी से कहूंगा कि जल्दी शुरू कर दें। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में भी मैंने उनसे कहा। मेरे निरन्तर कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद, बहुत कहने के बाद काम शुरू किया। कच्चे काम तो, जैसा मन्त्री जी बता रहे थे, हो गये, लेकिन अभी पक्के स्ट्रक्चर और बाकी हैं। कहीं पर पुलिया है, कहीं पर साइफन है ऐसे करीब 12 या 14 पक्के स्ट्रक्चर हैं जिनका काम अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं किया है। मैंने पहली बार उनसे कहा था कि आप हमको भेज दीजिये कितने एस्टीमेट आपके और हैं, पैसा हम आपको भेज देंगे। लेकिन 1 करोड़ 14 लाख रुपया 3–4 साल तक उनके पास रहा। उसका ब्याज भी तो होता है.... (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : भजनलाल जी से मांगो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्लीज सिट डाउन।

श्री हंसराज मिढ़ा : किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। मिढ़ा साहब, बैठें। (व्यवधान) बात सुननी चाहिये। बात सुनिये नहीं तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो हरियाणा गवर्नमेंट की बात कह रहा हूं मुख्य मंत्री की बात नहीं कह रहा हूं। हरियाणा गवर्नमेंट के पास हमारे 1 करोड़ 14 लाख रुपये

(श्री शिवचरण माथुर)

जमा थे। उन्होंने काम शुरू नहीं किया। बहुत कहने के बाद उन्होंने काम शुरू किया है। अब मैं यहां सदन के मार्फत कहना चाहता हूं हरियाणा गवर्नमेंट से कि उस काम के जो पक्के स्ट्रक्चर्स हैं उनको जल्दी पूरा करा दें ताकि हमारा जो सैकड़ों किलो-मीटर का हिस्सा बचा हुआ है उसमें पानी आने लगे और हम गंग कैनाल की रिपेयर का काम शुरु कर सकें क्योंकि बड़ा काम वही है। जब तक बड़े काम को हम हाथ में नहीं लेंगे तब तक 2700 क्यूसेक्स की जो कैपेसिटी है गंग कैनाल की, उसके अनु-सार सारे गंगानगर के इलाके को पानी देने में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिये हरियाणा गवर्नमेंट को इस सदन की मार्फत कहना चाहता हूं कि पक्के स्ट्रक्चर जल्दी बना दें ताकि पानी का उपयोग हो सके।

इस प्रश्न का भाग 6 जिसके संबंध में आप बात कर रही थी। पिछले साथ बाढ़ आई थी। इस बाढ़ को देखने मैं खुद गया था। वहां एक तरह से प्रलय थी। हरिके का जो बैराज है उसके पास ही पंजाब गवर्नमेंट ने दो कट लगाये थे, एक बस्ती को बचाने के लिये। कट लगाने के बाद हमारी जो कैनाल थी उसमें पानी आना बन्द हो गया। मैं उसी समय दूसरे–तीसरे दिन पंजाब के राज्यपाल जी से मिला था। मैंने कहा, हमारे लिये बहुत वाइटल है, इसमें केवल सिंचाई का सवाल नहीं है इसमें गंगानगर के इलाके की डिग्गियों में पानी आता है जो पीने के काम आता है। इस-लिये मेहरबानी करके इस काम को जल्दी शुरू कीजिये। उन्होंने कहा, मेरे पास अर्थ का अभाव है, यदि आप हमको कुछ पैसा दे दें तो हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। हमने अपने काम के महत्व को समझते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट को उसी वक्त दिया। हमने कहा कि आप जल्दी काम शुरू कर दीजिये, बाद में जो कुछ भी होगा हम भारत सर-कार के पास अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और जो स्वीकृति आयेगी उसमें हम रिएम्बर्स करवा लेंगे लेकिन हमारा काम आप कम से कम शुरू तो कीजिये। हमने एक करोड़ रुपया उनको एडवांस किया। जो दोनों कट्स लग गये थे उसको प्लग किया गया। उनको प्लग करने के बाद हमने 9 करोड़ रुपये के डैमेजेज का एक एस्टीमेट भारत सरकार को भेजा, 9 करोड़ कुछ लाख का, मुझे जबानी याद नहीं है। उसमें पंजाब सरकार ने यह प्ली ली है कि हरिके बैराज भी बहुत बार डैमेज हुआ था और हरिके बैराज भी एक प्रकार से पार्टनरशिप का एक हिस्सा है, उसकी रिपेयर पर जो खर्चा हुआ है उसको भी राजस्थान सरकार को शेयर करना चाहिये। यह डिस्प्यूट पंजाब सर-कार, भारत सरकार और हमारे बीच में चल रहा है मैंने अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। हमने लिखा है कि हमने जो एक करोड़ रुपया दिया था उसको आप मेहरबानी करके रिएम्बर्स कीजिये, इस कैनाल पर जितना खर्चा हुआ है वह हमारे नाम मांडिये। यह भारत सरकार को दुबारा अभी 8–10 दिन पहले मैंने सिंचाई मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। जो कुछ भी हमारा पैसा लगा है उसको रिएम्बर्स करवानें का हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब तो देते कि पंजाब सरकार ने गंग कैनाल में से क्या चैनल बनाई है ।

श्री शिवचरण माथुर : वह अलग से प्रश्न है ।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न करना है । मुख्य मंत्री जी ने अभी यों कहा है कि जिस वक्त भजनलाल जी मुख्य मंत्री थे उस वक्त हरियाणा सरकार को हमने पैसे दिये....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा है हरियाणा सरकार को दिये हैं । अब वह भजनलाल जी के अकाउंट में जायेगा या देवीलाल जी अकाउंट में जायेगा ?

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । भजनलाल जी के बाद बंसीलाल जी वहां मुख्य मंत्री रहे....

श्री शिवचरण माथुर : उससे क्या फर्क पड़ता है ।

श्री लालचन्द डूडी : उस वक्त काम शुरू नहीं हुआ । देवी लाल जी ने आते ही उस काम को शुरू करवा दिया, जिससे 100 पर्सेण्ट कच्ची लाइनिंग का काम खत्म हो गया । दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को यह भी बता दें कि हमारी स्थिति आज भी अच्छी है क्योंकि हरियाणा सरकार ने रेगुलेटर्स बनाने के लिये जो टेन्डर्स काल किये हैं उनके लिये केवल तीन शिफ्ट में काम करने वाले ठेकेदार से ही टेन्डर मांगें हैं ताकि 24 घण्टे काम हो करके वह रैगुलेटर्स ठीक हो, सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । You are a good spokesman. Information has come.

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था । (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट–1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लाडनूं (नागौर) के दानदाता और सरकार के बीच अनुबन्ध

697. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं जिला नागौर सरकारी अस्पताल के भवन के सम्बन्ध में दानदाता और सरकार के बीच कोई संविद हुई थी । यदि हां, तो कब, उक्त अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एग्रीमेंट में यह भी शर्त है की उक्त दानदाता के अलावा इस परिसर में दूसरा कोई दानदाता भवन नहीं बना सकता है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और भवन की आवश्यकता हो तो क्या व्यवस्था की जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि आज से पचास वर्ष पहले की आवश्यकता के अनुसार जो भवन बनाया था अब उसमें वृद्धि की

(श्री हरजीराम बुरड़क),

आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या यह जरूरी नहीं कि सरकार इस भवन का विस्तार करें या दूसरे दानदाता को छूट दे दी जाय ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 12 मई, 1961 में, अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस प्रकार का अनुबन्ध में कोई जिक्र नहीं है ।

(3) जी नहीं, भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो इस भवन का विस्तार किया जायेगा ।

—शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(प्रति के लिए परिशिष्ट—2 देखें)

झुंझुनू जिले के पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना

698. **श्रीमती सुधा** (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने पंचायत समिति स्तर पर सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया हुआ है ?

(2) यदि हां, तो झुन्झुनू जिले में कितने पंचायत मुख्यालय हैं ?

(3) क्या सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है ? जोड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या पंचायत समिति अलसीसर के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या पंचायत समितियों में अलसीसर पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालय को अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार जल्दी से जल्दी सड़कों के जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौनसी सड़कों को कब तक कहां से जोड़ने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यथा संभव जिन पंचायत मुख्यालयों की जनसंख्या 1971 की जनगणना से 1500 से ज्यादा है उन्हें सड़कों से जोड़ने हेतु प्राथमिकता दी जाती है ?

(2) झुन्झुनू जिले में कुल 246 पंचायत मुख्यालय है ।

(3) जी नहीं । कुल 179 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा गया है । जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है ।

(4) जी नहीं । अलसीसर पंचायत समिति में 25 पंचायत मुख्यालयों में से केवल 17 पंचायत मुख्यालयों को ही सड़क से जोड़ा गया है । वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण बचे हुये पंचायत मुख्यालयों को सड़क से नहीं जोड़ा जा सका ।

(5) बिना जुड़े हुए 8 पंचायत मुख्या—

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

लयों (परिशिष्ट 'ख') में से केवल एक मुख्यालय ककडेऊ कलां को ही सड़क से जोड़ा जाने की स्वीकृति है। वित्तीय साधनों की उपलब्धतानुसार यह कार्य किया जायेगा ?

(सूची के लिए परिशिष्ट 3 देखें)

पार्वती नहर से पानी का वितरण

699. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पार्वती नहर सिंचाई परि–योजना के मूल प्रस्ताव में पम्पों द्वारा लिफ्ट करके पानी देना प्रस्तावित था ? यदि नहीं, तो सिंचाई विभाग द्वारा कैनाल से पम्पों द्वारा लिफ्ट करके पानी क्यों दिया जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या गत वर्ष पार्वती नहर के 31500 एकड़ जमीन में से मात्र 5890 एकड़ भूमि को ही पानी उपलब्ध कराया गया है और शेष 25161 एकड़ भूमि को पानी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस टेल के रकबे को इस वर्ष पानी दिये जाने के लिए विभाग क्या उपाय कर रहा है ?

(3) क्या पार्वती नहर के रजवाहा लौन की जमीन को पानी दिये जाने हेतु सन् 1982 में हींकड़ दह और भजरावता शाहगढ़ दह नदी पार्वती पर सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो इन दोनों दह से पानी लिफ्ट करके भी इस योजना को अब तक क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा है ? और दोनों दह की पानी की लम्बाई और गहराई क्या है ? अब कब तक उपरोक्त योजना को मंजूर कर दिया जायेगा ?

(4) क्या पार्वती नहर को पानी देने के लिए नदी पार्वती, अंडेरी और एटासी नदी का पानी है ? यदि हां, तो इन नदियों पर अब तक कितने पम्प और मोटर बिजली की लग चुकी है और पार्वती नहर में आने वाले पानी को लिफ्ट करके किसान अपने खेतों में ले रहा है ?

(5) क्या नदी उंडेरी और एटासी नदी पर सर्वे सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई योजना प्रस्तावित अगले वर्षों में की गई है? यदि हां, तो क्या पार्वती नदी की नहर के लिए इन दोनों योजनाओं में से पानी दिये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या पार्वती नहर का हजारों एकड़ रकबा फसल बुवाई के बाद सिंचाई से वंचित रहता है ? यदि हां, तो इस पानी की कमी को दूर करने के लिए विभाग क्या कर रहा है ? क्या इस पानी की कमी से किसान बरबाद हो रहा है और इस बारे में क्या अविलम्ब कदम उठाये जा रहे हैं।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिंचाई विभाग द्वारा खरीफ की फसल में जब नदी का पानी पिक–अप–वियर के ऊपर से बेकार जाता है, उस समय फसल में लिफ्ट सिंचाई करने हेतु स्थाई स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार का आदेश न्यायालय द्वारा भी दिया गया है।

(2) जी नहीं। गत वर्ष पार्वती नहर के 24895 एकड़ सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया गया है। इस वर्ष नदी

(सिंचाई मंत्री)

में पानी के आवक के अनुसार सिंचाई हेतु कार्यक्रम बनाया जावेगा। टेल पर पानी पहुंचाया जाना नदी में पानी की आवक पर निर्भर हैं।

(3) पार्वती नहर के राजवाह की जमीन को पानी दिये जाने हेतु पार्वती आधुनिकरण योजना बनाई गई है, जिसमें हीकड़ देह और मजरावता देह शाहगढ़ देह से पानी लिफ्ट करके अतिरिक्त सिंचाई का प्रावधान रखा गया है। उक्त योजना का तखमीना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेजा गया था, परन्तु वहां से एतराज के साथ वापस आया है। तखमीना पुनः तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। उक्त दोनों देह की भराव क्षमता क्रमशः 1.31 मिलियन घनफुट व 3.32 मिलियन घनफुट है। केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) उक्त आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत पार्वती व इसकी सहायक नदियों के बहाव को नहर में डालकर सिंचाई किया जाने का भी प्रावधान है। अभी इन नदियों पर सिंचाई हेतु पम्प व मोटर से लिफ्ट करके कृषकों द्वारा अनाधिकृत सिंचाई की जाती है। इनकी संख्या की जानकारी नहीं है।

(5) अण्डेरी व वल्हासी नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा एक-एक बांध की योजना प्रस्तावित की है। पार्वती नदी की नहर के लिए उक्त दोनों योजनाओं से पानी देने का प्रस्ताव नहीं है। उक्त दोनों योजनाओं के पानी का उनके अपने सिंचित क्षेत्रों में ही उपयोग करने का प्रस्ताव है।

(6) पार्वती नदी के सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के लिए नदी के बहाव को नहर में डालकर ही उपयोग में लिया जाता है। पानी के बहाव में कमी होने पर सिंचाई कम होने की संभावना रहती है। वर्षा की कमी होने के कारण इस प्रकार की समस्या बनी रहती हैं क्योंकि उस समय नल में भी पानी का बहाव कम हो जाता है। ऐसे वर्षों में इस समस्या का कोई निदान नहीं हैं।

अधिशाषी अधिकारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (नागौर) द्वारा दौरे

700. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा)
श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :
क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के वर्तमान अधिशाषी अधिकारी ने जिले में अब तक कहां–कहां का कब-कब दौरा किस-किस कार्य हेतु बैंक की गाड़ी से किया ? गाड़ी की लॉग बुक, यात्रा प्रोग्राम, यात्रा डायरी व यात्रा बिलों की प्रतियों सहित विवरण माहवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारी ने अपनी यात्राओं में क्या–क्या कार्य किये ? तथा उनको क्या–क्या कार्य सौंप रखे हैं ?

(3) क्या इन यात्राओं में ऐसी यात्राएं भी हैं जिनका पहिले से प्रोग्राम नहीं था और सुबह नागौर से रवाना होकर शाम

(श्री हरजीराम बुरड़क)

को नागौर चले गये और दूसरे दिन फिर नागौर से रवाना हुये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) नियमानुसार इस अधिकारी का क्या कार्य (जोबचार्ट) है और उन्होंने कहां–कहां तक अपना कर्तव्य पालन किया है ?

उत्तर

(1) नागोर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के वर्तमान अधिशाषी अधिकारी ने अब तक बैंक की गाड़ी से जब–जब दौरा किया उसका विवरण, गाड़ी की लॉग बुक, यात्रा डायरियों में अंकित है, जिनकी प्रति तथा यात्रा कार्यक्रम व यात्रा बिलों की प्रतियां भी सदन की मेज पर रख दी गयी है । परिशिष्ट–अ ।

(2) उक्त अधिकारी ने अपनी यात्राओं में जो कार्य किया है वह संलग्न डायरियों में अंकित है। विभाग द्वारा सौंपे गये कार्य के मापदण्ड संलग्न है। (परिशिष्ट–ब) इसके अतिरिक्त इन्हें बैंक में प्रशासनिक अधिकारी का कार्य भी दिनांक 16.1.89 को सौंपा गया है।

(3) सामान्यतः यात्रायें पूर्व निश्चित प्रोग्राम के अनुसार ही की गयी हैं, किन्तु आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन भी होता रहा है। बैंक के प्रबन्ध संचालक का स्थानान्तरण हो जाने, अवकाश पर रहने अथवा जयपुर आदि बैठकों में जाने तथा बैंक के प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी के अतिरिक्त पद भार को समय–समय पर सम्भालने के कारण बैंक में उपस्थित होना आवश्यक होने के कारण ऐसी भी स्थिति रही है कि मुख्यावास नागौर से दौरे पर गये, शाम को वापस आये एवं आगामी दिवस को पुनः बाहर दौरे पर गये। चूंकि समस्त कार्यवाही बैंक की तत्कालीन परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार की गयी है अतः सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) विभाग द्वारा निश्चित किया गया कार्य विवरण परिशिष्ट–ब पर (जाबचार्ट) पर संलग्न है और अधिशाषी अधिकारी द्वारा किये गये कार्य पूर्ण विवरण यात्रा डायरियों में दिये गये आधार पर परिशिष्ट–स में दिया गया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला बूंदी में स्थित तालाबों से सिंचाई

701. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह)
श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बड़फू (तालाब) बोर का तालाब एवं बुधपुरा तालाब जो लाम्बा खोड पंचायत तहसील व जिला बूंदी में स्थित है यह तालाब कब बनाये गये थे ? इन दोनों तालाबों पर कितना–कितना खर्च हुआ व जब बनाये थे

(श्री कालीचरण सराफ)

तब कितनी–कितनी भूमि इन तालाबों से सिंचित होती थी वर्तमान में इन दोनों तालाबों से कितनी जमीन सिंचित होती है ?

(2) क्या इन दोनों तालाबों के रख–रखाव के लिये हर वर्ष सरकार रकम खर्च करती है ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में नानकसागर बांध बनाया जा रहा है ? इसका सर्वे कब-हुआ था ? नानक सागर बांध से कितनी जमीन सिंचित होगी? इसमें कौन–कौन से गांव आयेंगे और कितनी जमीन डूबेगी ?

(4) क्या यह सही है कि बोर के तालाब पर बांध बंधने से खेती योग्य भूमि नहीं डूबेगी और आठ गांवों को अधिक पानी मिलेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, ये तालाब लाम्बाखो पंचायत तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। ये तालाब रियासत जमाने में बनाये गये थे। उस समय उन पर हुए खर्च व पहले सिंचित होने वाली भूमि के रकबे का रिकार्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अब इनसे कोई सिंचाई नहीं होती है क्योंकि दोनों ही तालाब टूटे हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इसका सर्वे सन् 1985-86 में हुआ था। इस बांध से करीब 113 हैक्टर भूमि सिंचित होगी एवं इसकी डूब में लगभग 33 हैक्टर भूमि आयेगी। इससे बडफू, गणेशपुरा एवं चान्द खेड़ा गांवों की भूमि सिंचित होगी।

(4) जी नहीं।

सिंचाई विभाग का उप-खण्ड कार्यालय जैतारण का स्थानान्तरण

702. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रायपुर बांध, गिरी नन्दा बांध, बाबरा बांध, झिलमिल बांध, सिराटियां खुर्द, गुलाब सागर, चिताड़ सुमेल बांध, बर बांध सिराटिया कलां तालाब इत्यादि बड़े-बड़े बांध, रायपुर तहसील में स्थित हैं फिर क्या कारण है कि सिंचाई विभाग का उप खण्ड कार्यालय जैतारण मुख्यालय पर स्थित है जबकि जैतारण में केवल कुड़की बांध के अलावा एक भी बांध नहीं है ?

(2) क्या बांधों की उपयोगिता, रख-रखाव तथा अतिवृष्टियों में टूटने से बचाने के लिए उक्त उप-खण्ड कार्यालय दोनों तहसीलों के मध्य बर मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बर मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय रहने से बांधों की दूरी कम रहती है। जिला मुख्यालय भी नजदीक रहता है व अन्य खर्चा भी कम होता है ? ऐसी स्थिति में सरकार जांच कर कब तक उक्त कार्यालय को जैतारण से बर अथवा रायपुर तहसील

(श्री हीरासिंह चौहान)

मुख्यालय पर स्थानान्तरित कर देगी? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सिंचाई विभाग का उपखंड जैतारण में रखने का कारण यह है कि यह इस उपखंड के कार्यक्षेत्र के बीच में पड़ता है। साथ ही जैतारण राजस्व उपखंड का मुख्यालय है जहां से प्रशासनिक तौर पर वर्षा के अलावा दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं तार, टेलिग्राम एवं वितन्तु सन्देश द्वारा जिला मुख्यालय पर सुगमता से दी जा सकती है। इसके अलावा जैतारण जोधपुर–जयपुर सड़क पर स्थित है। अतः किसी कारणवश अगर पाली मुख्यालय से बरसात के दिनों में सम्पर्क टूट भी जाये तो भी जोधपुर से भी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। जैसा कि प्रश्न नं. 1 के उत्तर में दर्शाया जा चुका है।

(3) बर कस्बे में कुछ बांधों की दूरी तो कम रहेगी, परन्तु भाग एक में बताये कारणों से जैतारण के अलावा अन्यत्र उपखंड का मुख्यालय स्थानान्तरित करना उपयुक्त नहीं है।

सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भण्डार (जोधपुर) के काउन्टर्स का ठेका

703. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जोधपुर सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भण्डार के काउन्टर्स वर्ष 1985–86 एवं 1986–1987 में ठेके पर दिये गये थे ? क्या सहकारी नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान है। क्या कोई विभागीय स्वीकृति एवं निश्चित प्रक्रिया अपना कर ये काउन्टर्स ठेके पर दिये गये थे। क्या इन काउन्टर्स पर संस्था कर्मचारी कार्य करते थे। यदि नहीं, तो क्या उन्हें छंटनी कर सेवा मुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो बिना काम वेतन दिये जाने हेतु कौन–कौन अधिकारी एवं प्रशासक दोषी थे ?

(2) क्या अधिकतर काउन्टर एक ही पार्टी आर. के. टेक्सटाइल को बिना कोई प्रकिया अपनाए व सहकारिता के सिद्धांत के समान व्यापार करने वाले को कोई सदस्य नहीं बनाया जाने दिया गया है ? क्या सम्बन्धित व्यक्ति नाबालिग था क्या उसने भण्डार का सभी हिसाब किताब सुपुर्द कर दिया है ? क्या यह व्यक्ति भण्डार का सम्पूर्ण सुपुर्दशुदा फर्नीचर आदि उठाकर ले गया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। क्या मामला पुलिस में दिया गया ?

(3) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और क्या वह पर्याप्त है।

(4) क्या सरकार नये सिरे से जांच कराके दोषी को दंडित करेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 85–86 एवं 86-87 में जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के 5 काउन्टर्स कमीशन पर आधा–

(सहकारिता मंत्री)

रित विक्रय अनुबन्ध कर दिये गये हैं। सहकारी नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इस हेतु विभाग द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई। प्रशासन ने अपने स्तर पर दिनांक 23.12.85 को निर्णय लेकर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र "जलते दीप" में 29.12.85 को विज्ञापन प्रकाशित कराया जिसमें 10.1.86 तक इस हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर 5 काउन्टर्स के लिये कमीशन पर आधारित विक्रय अनुबन्ध किये गये। इन 5 काउन्टर्स पर, भण्डार के 5 कर्मचारी कार्यरत थे। जिनमें से अनुबन्ध के बाद भण्डार के 2 कर्मचारी इन काउन्टर्स पर नियोजित रहे एवं शेष दो को अन्य काउन्टर्स पर कार्यभार के अनुसार नियोजित किया गया। बिना कार्य किसी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया।

(2) जी, नहीं। 5 में से केवल 1 काउन्टर मैसर्स आर. के. टैक्सटाइल को दिया गया है। यह सही है कि मैसर्स–आर. के. टैक्सटाइल कपड़े का व्यापार करता है, काउन्टर देने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसका विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दे दिया गया है। आर.के. टैक्सटाइल के प्रतिनिधि की आयु अनुबन्ध में 19 वर्ष अंकित है जो व्यस्क था। उसके द्वारा अभी भण्डार को हिसाब नहीं सौंपा गया है। यह सही है कि मैसर्स–आर. के. टैक्सटाइल भण्डार द्वारा उसे सुपुर्द फर्नीचर भण्डार की अनुमति के बिना ले गया था लेकिन भंडार द्वारा फर्नीचर की कीमत 11300/– रुपये उसकी सहमति से उसके खाते में नामे लिख दी गई है। पुलिस कार्यवाही नहीं की गई है।

(3 व 4) अनियमितताओं के लिये दोषी भण्डार के प्रशासक श्री अविनास रणवाह एवं जनरल मैनेजर श्री मदन लाल राठी के खिलाफ राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 58 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। भण्डार के वर्ष 80–81 से अब तक रहे प्रशासकों प्रधान व्यवस्थापकों द्वारा उनके कार्यकाल में लिये गये निर्णयों एवं कार्यवाहियों से भण्डार को हुई हानि एवं आडिट रिपोर्ट की अनुपालना में दोषी रहने के समस्त मामलों की व्यापक जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर द्वारा कराई जा रही है। जांच परिणाम के आधार पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा। जांच की अवधि अगस्त, 1989 तक निर्धारित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 704
(स्थगित)

पांचना सिंचाई परियोजना

705. श्री शिवचरण सिंह (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पांचना सिंचाई परियोजना का कार्य कब शुरू हुआ कितनी धनराशि आज तक खर्च हो चुकी है? कब तक यह योजना पूरी होगी?

(श्री शिवचरण सिंह)

(2) इस योजना पर खर्च राशि का ब्याज कितना होता है व अब कितनी और राशि खर्च करने पर यह योजना पूर्ण होगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस पिलवे का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने काम बन्द कर दिया है ?

(4) अब तक कितनी राशि का भुगतान किया है व कितना काम हुआ है व पूरा काम कब तक होगा ?

उत्तर

(1) पांचना परियोजना का निर्माण कार्य 1978–79 से आरम्भ हुआ। मार्च, 1989 तक इस परियोजना पर 1740 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। परियोजना का कार्य आठवीं पंच वर्षीय योजना में पूरा होना प्रस्तावित है।

(2) अलग-अलग परियोजना पर खर्च राशि का ब्याज निकालने का हिसाब विभाग नहीं रखता है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है।

(3) जी नहीं।

(4) स्पिलवे की खुदाई के कार्य पर लगभग 50.60 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कुल खुदाई 3.16 लाख घन मीटर में से 1.78 लाख घनमीटर खुदाई का कार्य हो चुका है। स्पिलवे की खुदाई का कार्य वर्ष 1990 में पूरा होने की सम्भावना है।

कुम्हेर क्षेत्र में एम.एम. कैनाल में शटर्स का निर्माण

706. **श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर क्षेत्र के अनेक गांवों में एम.एम. कैनाल से सैराबी होती है ? ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एम.एम. कैनाल में कई जगह मोरियां बनी हुई हैं लेकिन इन पर शटर्स नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में समुचित रूप से पानी नहीं मिल पाता क्योंकि मोरियों को तोड़ दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इन मोरियों पर शीघ्र शटर्स लगाने की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) कुम्हेर क्षेत्र के निम्न गांवों में एम.एम. कैनाल से सैराबी होती है:–

(1) सेह, (2) बोरई, (3) नगला सवाई-राम, (4) नगला करनसिंह, (5) नगला बौरहा, (6) डैहरा, (7) सूरौता, (8) अवार, (9) नगला हरचन्द, (10) नगला मल्लूकी, (11) मंहगाया

(2) यह सही है कि एम.एम. कैनाल में कई जगह मोरियां बनी है। शटर गेट्स नहीं है। क्षेत्र में समुचित रूप से पानी मिल रहा है। मोरियों में तख्ते डालकर बान–गंगा एवं गम्भीर नदी से समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर पानी की समुचित व्यवस्था की जाती है। वर्तमान स्थिति में

(सिंचाई मंत्री)

शटर्स लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।

बांसवाड़ा जिले के कमाण्ड एरिया में पानी की सप्लाई

707. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल)
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि, सिंचाई विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में भूमि कमाण्ड में ली गयी है व भूमि अभी हाल सूखी पड़ी है ? यदि हां तो, बांसवाड़ा जिले में ऐसी कमाण्ड में ली हुई भूमि पानी सप्लाई के अभाव में कितने बीघा और किस-किस गांव पटवार मण्डल व तहसील में है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कमाण्ड एरिया में पानी सप्लाई नहीं होता है व तालाब बनाने लायक भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी तालाब नहीं बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं, तो इसकी छूट कब दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के विधायक द्वारा तहसील घाटोल में गांव गोलीयाबाड़ा में फूटन तालाब व गांव बस्सीआड़ा में पुराना तालाब व गांव देलबाड़ा तरतईपाड़ा में लाम्बा डाबरा नाला पर तालाब बनाने की मांग सिंचाई मंत्री की सेवा में गत 2 वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले गांवों की भूमि कमाण्ड में ली गई है। इस कमाण्ड भूमि पर माही की नहरों का जाल बिछाया जा रहा है व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। माही क्षेत्र में कुछ नहरों का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर बची हुई नहरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा तथा कमाण्ड में ली गई समस्त भूमि को सिंचाई हेतु पानी देने की व्यवस्था किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) कमाण्ड एरिया में, तालाब बनाने का प्रावधान नहीं होता।

(3) उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इन स्थलों की फिजीबिलिटी की जांच की जावेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 708
(स्थगित)

राजस्थान में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता

709. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ)
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कुल कितने अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि इन पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया। यदि हां, तो क्यों ?

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अधिकारी इन पदों पर कहां–कहां कार्यरत हैं। मय नाम पतों के वर्गवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सिंचाई विभाग में कुल 252 अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) 5 अधिशाषी अभियन्ता (यो.) 771 सहायक अभियन्ता (सिविल), 48 सहायक अभि–यन्ता (यो.) 2808 कनिष्ठ अभियन्ता सिविल और 208 कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक कार्यरत हैं।

(2) जी हां, अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण कोटा पूरा न करने का कारण यह है कि सीधी भर्ती के पदों हेतु आवश्यकतानुसार पदों की योग्यता रखने वाले अभ्यार्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। जबकि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पदों का पांच गुणा बढ़ाये हुये जोन के अन्तर्गत पदोन्नति के पदों के अनु–सार कनिष्ठ अभियन्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण इस कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति नहीं दी जा सकी। अधिशाषी अभियन्ताओं के पद पर जितने सहायक अभियन्ता अनु–सूचित जाति एवं जन जाति के सहायक अभियन्ता उपलब्ध पदों के पांच गुणा बढाये हुये जोन के अन्तर्गत उपलब्ध थे उनको पदोन्नति दे दी गयी। बाकी पद रोस्टर प्रणाली के अनुसार इन जातियों के लिए जितने पद बने उतने पद पूर्णतया इन जातियों के सहायक अभियन्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं भरे जा सके हैं।

(3) अधिशाषी अभियन्ता के पदों पर पांच अनुसूचित जाति के व्यक्ति कार्यरत हैं जन जाति का कोई नहीं हैं। सहायक अभि-यन्ता के पद पर दो अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जन जाति के अधिकारी कार्यरत हैं। कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर 215 अनुसूचित जाति के व 103 अनु–सूचित जन जाति के व्यक्ति कार्यरत हैं। वर्गवार सूचियां संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

महाराव भीमसिंह अस्पताल (कोटा) स्थित काटेज की देख रेख

710. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा स्थित महाराव भीमसिंह अस्पताल के तहत चल रहे श्रीराम काटेज हेतु क्या कोई देखरेख के लिए समिति का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो उक्त समिति में कौन–कौन व्यक्ति हैं ? उक्त काटेज वार्ड से गत तीन वर्षों में कुल कितनी आय हुई ? आय–व्यय की देख रेख हेतु अलग से क्या कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कुल कितना धन किस बैंक में कब से जमा है ?

(2) क्या उक्त धन का उपयोग नहीं लिया जा रहा है ? उक्त धन के व्यय हेतु क्या कोई योजना निर्मित की गई है ? यदि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(3) इसी प्रकार क़ाटेज व क्यूबीकल वार्डों का भी क्या कोई आय–व्यय का हिसाब रखा जाता है ? गत 2 वर्षों का आय–व्यय का हिसाब सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, श्री राम क़ाटेज के देख-रेख हेतु समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें निम्न व्यक्ति हैं :–

1. जिला कलक्टर, — अध्यक्ष
2. मु. चि. एवं स्वास्थ्य अधि. कोटा — सचिव
3. श्री एच. ओझा — सदस्य
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग — ,,
5. अधिशाषी अभियन्ता, जलदाय विभाग — सदस्य
6. डी. सी. एम. का प्रतिनिधि — ,,
7. विधान सभा सदस्य — ,,

गत् तीन वर्षों में श्री राम काटेज वार्ड से कुल 280073.75 रु. की आय हुई है जिसकी देखरेख उपरोक्त समिति द्वारा की जाती है । इसका अकाउण्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कोटा में खोला हुआ है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार 1.4.89 को कुल 103263.76 रुपये जमा है ।

(2) जमा राशि में से श्री राम काटेज वार्ड कमेटी के सदस्यों की राय के अनुसार ही वार्ड के विकास नल, बिजली तथा सफाई कर्मचारियों को दैनिक भत्ता एवं अस्पताल विकास हेतु व्यय किया जाता है ।

(3) जी हां, उम्मेद काटेज क्यूविकल वार्डों से गत् दो वर्षों में आय व्यय निम्न प्रकार से है :–

उम्मेद काटेज वार्ड	आय	व्यय
1.4.87 से 31.3.88	79963.00	97040.60
1.4.88 से 31.3.89	77376.00	107451.80

नवलगढ़ में हरिजन छात्रावास का खोला जाना

711. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नवलगढ़ उप-खण्ड मुख्यालय में दो विधान सभा क्षेत्र व दो तहसीलों का क्षेत्र है ? यदि हां, तो फिर यहां हरिजन छात्रावास खोलने की स्वीकृति क्यों जारी नहीं की गई जबकि बुड़ाणा व चूडी अजीतगढ जो बहुत छोटे स्थान हैं वहां हरिजन छात्रावास खोल दिए गये हैं ?

(श्री नवरंग सिंह),

(2) क्या सरकार नवलगढ़ के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से एक छात्रावास को नवलगढ़ स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विकल्पतः वहां हरिजन छात्रावास भवन कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। छात्रावासों की स्वीकृति प्रस्तावों पर विचार कर जारी की जाती है।

यह सही है कि बुड़ाना व चूड़ी अजीतगढ़ में छात्रावास खोले गये हैं।

(2) नवलगढ़ उपखण्ड में 3 अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। फिलहाल किसी छात्रावास को नवलगढ़ स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्ष 1989–90 में छात्रावास/भवन के सम्बन्ध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रायपुर तहसील (पाली) की सड़क मार्गों का डामरीकरण

712. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील का सड़क मार्ग दौरदड़ी से कुशालपुरा वाया पिपालिया को किस प्रकार की योजना के अन्तर्गत पूरा करने का कार्य कितने वर्षों से विभाग ने ले रखा है और उसको अब तक पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) इस वर्ष के एन्युअल एक्शन प्लान में रायपुर तहसील की कौन-कौनसी सड़कें किस-किस मद में से कितने-कितने किलोमीटर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य की प्रगति में अब तक विभाग द्वारा क्या प्रगति कर ली है और कब तक इन पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) हरीपुर से जस्साखेड़ा बर से गिदी झाला की चौकी से कानूजा, ब्यावर से बलाड़ा मुख्य मार्गों को डामरीकरण, करने तथा मेटल रोड की पुनः मरम्मत करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) सर्वप्रथम दौरनाडी से पिपालिया व कुशालपुरा से पिपालिया सड़कें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत दिनांक 14-6-1984 को स्वीकृत हुई थी, जिसकी प्रत्येक सड़क की स्वीकृत लम्बाई 5 कि.मी. थी तथा प्रत्येक सड़क की स्वीकृति लागत रुपये 7.50 लाख रुपये की थी। उसके पश्चात् उक्त दोनों सड़कें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत दिनांक 29-1-1985 को स्थानान्तरित कर दी गई थी। इसमें उक्त सड़कें मेटल की बनाई गई। तत्पश्चात डामरी करण हेतु उक्त सडकों की स्वीकृति 6-12-1988 को पुनः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में हुई। उसमें दौरनाडी से पिपालिया सडक का 5 कि.मी. डामरीकरण कर दिया गया व कुशालपुरा से पिपालिया डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(3) इस वर्ष एन्युअल एक्शन प्लान में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रायपुर तहसील में पिपालिया कुशालपुरा सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 5 किलोमीटर डामरीकरण हेतु स्वीकृत है जिसका इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय साधनों की उपलब्धतानुसार डामरीकरण का कार्य किया जायेगा।

(3) हरीपुरा से जस्साखेडा, बर से गिरी, भाला की चौकी से कानूजा और ब्यावर से बलाडा ये सड़कें पूर्व के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मेटल सड़क बनाई गई थीं। अभी इन सड़कों पर डामरीकरण करने की स्वीकृति देना वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है। समय-पर इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाती रही है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र खटवा तहसील लालसोट का भवन निर्माण

713. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, खटवा तहसील लालसोट जिला जयपुर का भवन निर्माण कार्य छत तक बन जाने के पश्चात् अधूरा ही पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त भवन को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इसमें लागत राशि स्वीकृत कर इसे शीघ्र पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इस भवन के लिये राज्य सरकार द्वारा 16.2.79 को 19,300 रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस स्वीकृति के अन्तर्गत छत तक भवन निर्माण कर दिया गया है। इसी समय में सरपंच खटवा द्वारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा स्थगित आदेश ले लिया गया। यह स्थगन आदेश जमीन के विवाद के कारण दिया गया था। इसी कारण कार्य छत तक बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया था।

(2) कार्य को पूरा करवाने हेतु संशोधित स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य विभाग में मामला विचाराधीन है। संशोधित स्वीकृति मिलने पर कार्य पूरा करवा दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में सड़कों का निर्माण

714. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में कब-कब किन-किन माध्यमों से कहां से कहां तक कितनी-कितनी लागत की कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में अन्य जिले की विधान सभा क्षेत्रों की तुलना में कम सड़कों का निर्माण हुआ ? यदि हां, तो

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

क्या अब इस असन्तुलन को दूर कर नई सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कहां से कहां तक ?

उत्तर

(1) नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में 41 सड़कों का कार्य विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किया गया। जिनमें से 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, बाकी 31 कार्य अपूर्ण स्थिति में है।

इन कार्यों पर कुल लागत 46.232 लाख रुपये की आई है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी नहीं। इस वर्ष 1989-90 के दौरान नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ख") इस विधान सभा क्षेत्र में यथोचित सड़कों का निर्माण हुआ है। एवं कहीं असंतुलन नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 4 देखें।)

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1988 से 1989 के बीच सड़कों का निर्माण

715. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में 1988-89 से 1989-90 के बीच विभिन्न मदों एवं विभागों के बजट से सड़कों का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो सड़कों का नाम उसकी श्रेणी एवं प्रत्येक की लागत सहित नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खनिज सड़कें ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं सार्वजनिक सड़कों के निर्माण के लिए कोई नीति मापदण्ड है ? यदि हां, तो चरण नं (1) में निर्मित सड़कें उन मापदण्डों में आती हैं या नहीं ?

(3) भीलवाड़ा जिले में 1988-89 के बीच बनी सड़कों में किस-किस निर्वाचन क्षेत्र में किस-किस प्रकार की सड़कें कितने लागत की विभिन्न मदों के अन्तर्गत बनी हैं ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले में 88-89 एवं 89-90 के बीच विभिन्न मदों और विभाग के बजट के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हुआ जिनकी श्रेणी व लागत का विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित है।

(2) जी हां। चरण नं 1 में वर्णित सड़कें योजना के मापदण्ड के अनुसार ही स्वीकृत हुई है।

(3) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 88-89 के बीच बनी सड़कों की निर्वाचन क्षेत्र श्रेणी एवं लागत का विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शाया गया है।

(प्रपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

मोरेल नदी (सवाईमाधोपुर) पर पुल का निर्माण

716. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई-माधोपुर दौसा सड़क पर मोरेल नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या पुल बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त पुलिया के शिलान्यास समारोह में विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने उक्त पुलिया का तखमीना तैयार कर लिया है ? यदि हां, तो तखमीना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । पुल निर्माण हेतु 400.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के क्रमांक: एफ-2(39/पी.डब्लू/एएस/87/डी-539 दिनांक 3.8.88 द्वारा प्रदान की गई है ।

(2) पुल के शिलान्यास समारोह में राजस्थान स्टेट ब्रिज कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन द्वारा रुपये 16273.75 खर्च किया गया । खर्च का विवरण परिशिष्ट "क" पर है ।

(3) तखमीना तैयार कर लिया गया है । तखमीने के एब्स्ट्रेक्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" पर है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 717

(स्थगित)

अंता से काचरी अप्रोच रोड की स्वीकृति

718. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर)

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) एक किलोमीटर सड़क बनाने में कितना व्यय होता है ?

(2) कोटा जिले के अंता (नहर) से ग्राम काचरी की दूरी कितने किलोमीटर है ?

(3) क्या यह सही है कि अंता से काचरी अप्रोच रोड की स्वीकृति दे दी गई है ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये आवंटित किये गये हैं ? क्या आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि अंता (नहर) से काचरी गांव की दूरी 4 कि.मी. है ? यदि हां, तो नियमानुसार कितनी राशि आवंटित की जानी चाहिये तथा कितनी की गयी है ? पूर्ण राशि कब तक दे दी जावेगी ?

(5) उक्त सड़क कब तक पूरी तौर से बना दी जावेगी ?

उत्तर

(1) एक किलोमीटर नयी सड़क बनाने में सामान्यतया रु. 1.50 लाख से 5 लाख तक व्यय होते जो विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

(2) कोटा जिले में अंता (नहर) से ग्राम काचरी की दूरी 4 कि.मी. है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति 2.3.89 को रुपये 6.00 लाख की जारी हुई थी। आवंटित राशि सड़क की लम्बाई व पुलियाओं के कार्य को देखते हुए संभवतः पर्याप्त नहीं है। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार संशोधित स्वीकृति के प्रयास किये जायेंगे।

(4) जी हां। संशोधित विस्तृत तखमीने आने के बाद ही संशोधित स्वीकृति के प्रयास वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार किये जायेंगे।

(5) उक्त सड़क को पूरा कराने का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बीकमपुर के चिकित्सालय भवन की वित्तीय स्वीकृति

719. **श्री उम्मेद सिंह** (शिव)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र बीकमपुर के चिकित्सालय भवन जो कि 11/87 में तैयार हो चुका है में स्टाफ पदस्थापन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रयास कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

(2) क्या उक्त अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञ महिला रोग व प्रसूति तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग के पदों पर नियुक्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति वर्ष 1989–90 में प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कोलोनी डिस्पेन्सरी, बीकानेर में महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) विश्व खाद्य कार्यक्रम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर के शिशु रोग विभाग में क्या–क्या विस्तार कार्य किए गए ? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर विभाग जयपुर के पत्र संख्या प. 7 (19) इगानम/विखाका/मो/87 दिनांक 6.10.87 द्वारा 5.00 लाख रुपये के आवर्ती खर्चे (Recurring Expenditure) की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। कोई विस्तार का कार्य नहीं किया गया है।

अंता–सांगोद सड़क का कार्य

720. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की

(श्री शिवनारायण)

कृपा करेंगे :–

(1) अन्ता-सांगोद सड़क का कार्य पिछले वर्ष 1987-88 में स्कीम आर.एल.ई.जी.पी. और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत अन्ता से शुरू 6.5 कि.मी. आर.एल.ई.जी.पी. के तहत अर्थ वर्क 5 कि.मी. शेष 1.5 कि.मी. बाकी रही और एक लेबर की गिट्टी खान पर ही टूटी पड़ी हुई है और सांगोद की तरफ से शुरू कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 2.5 कि.मी. डामर वह आर.एल.ई.जी.पी. में 3 कि.मी. स्वीकृत हुआ था ?

(2) यदि हां, तो क्या ईस अधूरी सड़क को पूर्ण करवाने हेतु वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार या अन्य कोई भी योजना के तहत लिया गया है ? यदि नहीं लिया गया तो इसे इस वर्ष किसी भी योजना के अन्दर लिया जाना अति आवश्यक है।

(3) अन्ता-सांगोद पर लगने वाले कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और अन्ता नगरपालिका की कितनी-कितनी आबादी है और ग्राम पंचायत मुख्यालयों की भी कितनी-कितनी आबादी है ? क्या ऐसे महत्वपूर्ण गांवों और कस्बों को सड़क से जोड़ा जाना अति आवश्यक नहीं है और कितने ग्राम अन्ता से सांगोद सड़क से जुड़ते हैं ?

(4) क्या यह सड़क स्टेट टाइम की बनी हुई है ? क्या इस सड़क पर उस समय के मील एवं पक्के मील गिट्टी बोल्डर से बने हुए हैं ? क्यों नहीं, इस अधूरी सड़क को प्राथमिकता दी जाकर धनराशि उपलब्ध करवाई जाती ?

उत्तर

(1) अन्ता–सांगोद सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चतुर्थ चरण के तहत अन्ता से सांगोद की तरफ 6.5 कि.मी लम्बाई में कार्य करने हेतु स्वीकृति थी। इस स्वीकृति के अनुसार अन्ता से 5 कि.मी. तक मिट्टी का कार्य करवा दिया गया है। मई, 1988 के पश्चात् उक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं होने से स्वीकृत लम्बाई 6.5 कि.मी. तक मिट्टी का कार्य नहीं हो पाया व कार्य 5 कि.मी. तक सीमित रहा तत्पश्चात उपरोक्त योजना चालू नहीं रही इस कारण से उपरोक्त सड़क का स्वीकृत कार्य पूरी लम्बाई तक नहीं हो पाया। अन्ता से सांगोद की तरफ स्वीकृति केवल 6.5 कि.मी. की होने से परवन नदी तक की 20 कि.मी. लम्बाई में कार्य करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि किसी योजना में स्वीकृति नहीं थी।

सांगोद से परवन नदी तक लम्बाई 4.5 कि.मी. है। लेकिन 2 कि.मी. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना फेज प्रथम में की स्वीकृति की योजना पूर्ण हो चुकी है। इसी योजना के चरण चतुर्थ में 3 कि.मी. लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसके अनुसार बकाया लम्बाई परवन नदी तक सड़क बन चुकी है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहुंच सड़क अन्ता सांगोद परवन नदी तक का भाग में 2.5 कि.मी. लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके अन्तर्गत डामरीकरण किया गया है। इसके बाद परवन नदी तक कार्य 2

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कि.मी. लम्बाई में जो डब्ल्यू. बी. एम. बन चुकी है।

(2) जवाहर रोजगार योजना में इस कार्य को लिया जाना जिला स्तर की समिति पर निर्भर करता है अन्य योजनाओं में इस सड़क को लेना वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है।

(3) अन्ता-सागोद सड़क पर 2 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं अन्ता नगरपालिका की जनसंख्या सन् 1971 की जनगणनानुसार 7430 है। ग्राम पंचायत मुख्यालयों खाजूरना एवं सोरसन की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर क्रमश: 451 एवं 3136 हैं। अन्ता-सांगोद सड़क पर मोलकी, आकड़ी, खाजूरना कलां, देवपुरा, सोरसन, टोंक मह ग्राम स्थित हैं। इन गांवों एवं सड़कों को जोड़ना वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है।

(4) अन्ता से सांगोद सड़क कोटा रियासत के समय में केवल फेयरवेदर सड़क थी। 9 सी. डी. वर्क रियासत काल के बने हुए है। और पुल एवं पुलियों की स्वीकृति वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 721
(स्थगित)

चम्बल सिंचित क्षेत्र में किसानों के मुआवजे का चुकारा

722. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में खोदी गई नहरों एवं ड्रेनों का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक किसानों का कुल कितना रुपया चुकाया जाना बकाया है ? प्रत्येक नहर एवं ड्रेन–वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किसानों को मुआवजा चुकाया जाने में हो रहे विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है ?

(3) क्या सरकार किसानों के बकाया मुआवजे के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां कुछ कृषकों को मुआवजा चुकाया जाना शेष है। अभी तक 2530 बीघा क्षेत्र का लगभग 1,00,20,000 रुपये चुकाना शेष है। इस वर्ष 44 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अतः इसके चुकाने के पश्चात 56.00 लाख रुपया और भुगतान करना शेष रहेगा (सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।)

(2) भूमि अवाप्त अधिकारी से अवार्ड प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जा सकता है। इसके लिये कोई भी दोषी नहीं है।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजलदेसर राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर की नियुक्ति

723. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजलदेसर राजकीय चिकित्सालय में लगातार कई वर्षों से कार्यरत डाक्टर का तबादला कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उनकी जगह दूसरे डाक्टर को क्यों नहीं लगाया गया ?

(2) अब दूसरे डाक्टर को वहां कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इनकी जगह दूसरे डाक्टरों को लगा दिया गया है।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परबतसर से बोरावड़ वाया औद्योगिक क्षेत्र की सड़क का निर्माण

724. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर)

श्री केशरदेव महरडा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नागौर में परबतसर से औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद व औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद से बोरावड़ सड़क का कितना कार्य डामरीकरण का हुआ है और कितनी लागत का कार्य बाकी है और क्यों ?

(2) क्या औद्योगिक क्षेत्र की जनता को वाहन आदि के आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इस कार्य को प्राथमिकता पर क्यों नहीं कराया गया है ?

(3) अब इस सड़क का कार्य किस योजना के माध्यम से कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) परबतसर से बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र की लम्बाई 15 कि.मी. में से 7 कि.मी. का डामरीकरण हो चुका है। बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र से बोरावड़ वाया मकराना का डामरीकरण हो चुका है। शेष डामरीकरण के कार्य के लिये अनुमानित लागत 37 लाख रुपये हैं। डामरीकरण के कार्य को वर्तमान में करवाना वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उपरोक्त सड़क का डामरीकरण करवाना वित्तीय साधनों की अनुपब्धता के कारण संभव नहीं है।

निवाई तहसील (टोंक) में सड़कों का डामरीकरण

725. **श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निवाई तहसील में क्या सरकार प्रत्येक पंचायत को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ?

(2) अब तक कितनी ग्राम पंचायतों

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

को निवाई नगर से पक्की डामर की सड़कों से जोड़ा गया हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(2) निवाई नगर से 9 पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ा जा चुका है । विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. मूण्डिया
2. वनस्थली
3. झिलाय
4. जामडोली
5. दतवास
6. नोहटा
7. खरेडा बुजुर्ग
8. तुराकियां महापुरा
9. जुगलपुरा कलां ।

जिला अलवर में सड़कों का निर्माण/मरम्मत

726. श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत पांच वर्षों में अलवर जिले की किस-किस तहसील में कितनी-कितनी किलोमीटर सड़क कच्ची पक्की कहां-कहा बनी और इन सड़कों से कौन-कौन से गांव जुड़े ? कितनी लागत पृथक-पृथक आई ?

(2) किस-किस तहसील की कौन-कौन सी पुरानी सड़कों की मरम्मत की और उन पर पृथक-पृथक कितनी लागत आई ?

(3) बहादुरपुर से रामगढ़, अलावडा से रामगढ़ की सड़कों की मरम्मत कब हुई ? क्या मरम्मत के बाद सड़कों का निरीक्षण किसी अधिकारी ने किया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर में कुल 10 तहसीले हैं इन तहसीलों में पक्की तथा अन्य तरीकों से बनी सड़कों की सूची तहसीलवार संलग्न है । तथा उन पर गत 5 वर्षों में हुआ व्यय अंकित है, तथा इन निर्मित सड़कों से जुड़े गांवों के नाम भी अंकित हैं । (परिशिष्ट "क,,)

(2) पुरानी सड़कों के रख-रखाव हेतु राशि विभिन्न सड़कों पर जरूरतानुसार आवंटित की जाती है । सड़कों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है ।

(3) बहादुरपुर से रामगढ़ व अलावड़ा से रामगढ़ की सड़कों पर यातायात व मनुष्यों का आवागमन जारी है । तथा इन सड़कों की मरम्मत वर्ष 1984-85,86-87, 87-88 व 88-89 में हुई है । इन वर्षों में इन सड़कों पर क्रमश: 2.60 लाख व 2.88 लाख राशि का व्यय विभाग द्वारा किया गया है । उक्त मार्गो का निरीक्षण माह अगस्त, सितम्बर, 86 मई, सितम्बर, 87, मई, जून 88 व अप्रेल, मई, जून, 89 में सहायक अभियंता द्वारा तथा उच्च अधि–

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील शेरगढ़ जोधपुर में सड़क बनाने की योजना

727. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शेरगढ़ तहसील जिला जोधपुर में इस वर्ष कौन-कौनसी सी सड़कें बनाने की योजना है। ये सड़कें कब तक बनकर तैयार हो जावेगी ? प्रत्येक सड़क पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

(2) इस क्षेत्र की सड़कों बाबत क्या-क्या प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? इनमें से कौन से स्वीकृत हो चुके हैं ? बाकी प्रस्तावों बाबत निर्णय कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील जिला जोधपुर में इस वर्ष निम्नलिखित सड़कें बनाने की योजना है। और उनके आगे तैयार होने की अवधि व अनुमानित खर्च की राशि भी अंकित है।

(अ) जोधपुर-जैसलमेर सड़क कि.मी. 37/0 से 57/0 को चौड़ा व मजबूतीकरण करने का कार्यः– इस कार्य को किया जाने की अनुमानित लागत 83.10 लाख रुपये है। कार्य का पूरा किया जाने का समय वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ब) जोधपुर-जैसलमेर सड़क कि. मी. 57/0 से 123/0 तक को चौड़ा व मजबूतीकरण का कार्यः– इस कार्य की अनुमानित लागत 313 लाख रुपये होगी। कार्य को पूरा किये जाने का समय वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(स) चामू-देचू सड़क कि.मी. 102/0 से 108/0 का डामरीकरण का कार्यः– इस कार्य की अनुमानित लागत 4.5 लाख रुपये होगी। कार्य का पूरा किया जाना वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(द) सेतरावा भिनियाणा सड़क कि.मी. 126/0 से 131/0 तक का डामरीकरण का कार्यः– इस कार्य की अनुमानित लागत 3.5 लाख रुपये है। कार्य को पूरा किये जाने का समय वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) नई सड़कों के प्रस्तावों का निर्णय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तहसील बानसूर में किया गया कार्य

728. **श्री जगतसिंह दायमा** (बानसूर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बानसूर तहसील में गत पांच वर्षों में क्या-क्या और कितनी-कितनी राशि का कार्य करवाया है ?

(श्री जगतसिंह दायमा)

(2) क्या कोई सड़क पुल इत्यादि प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन–कौन सी व कब तक कार्य शुरू होगा ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बानसूर तहसील में 20.16 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का कार्य किया गया एवं इन्हीं कि.मी. पर 19.16 कि.मी. बी.टी. कार्य पूर्ण हो चुका है व तीन सी.डी. काजवे एवं एक फ्लश (Flush) काजवे का कार्य कराया गया है। इस पर कुल राशि 23.16 लाख की व्यय की गई है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(2) इस वर्ष नया कोई पुल व सड़क का कार्य प्रस्तावित नहीं है। पुराने ही कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-6 देखें।)

जैसलमेर जिले में सड़कों का डामरीकरण

729. **श्री मुल्ताना राम** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जैसलमेर जिले में 1985 से अब तक किन-किन सड़कों पर किस-किस योजना से कितने कि.मी. सड़कों का डामरीकरण किया गया है ? वर्षवार, सड़कवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर जिले में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन पर पिछले 5 वर्ष से डामरीकरण नहीं किया गया और बेकार हो गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन सड़कों को डामरीकरण की स्टेज पर पिछले 5 वर्ष से छोड़ी गई थी उन पर पुनः डामरीकरण से पूर्व कितना खर्चा करना होगा ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 1984-85 से अब तक जिस जिस सड़क पर जितने किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण किया गया, उसका वर्षवार, योजनावार, सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गयी है।

(2) जैसलमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से बनाई गई ऐसी कोई मेटल सड़क नहीं है, जिस पर पांच वर्षों से डामरीकरण नहीं हुआ और बेकार हो गयी किन्तु दुग्धमार्ग योजना के अन्तर्गत संपर्क सड़क मदासर का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जो तीन कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. तक बनाने के पश्चात् मुख्य नहर पर पुल का निर्माण स्थल का निश्चित न होने के कारण अपूर्ण है। जिस पर डामर न होने के कारण अब यातायात के योग्य नहीं है। उसे डामर स्तर तक पूर्ण करने हेतु दुग्ध योजना या अन्य योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) पिछले पांच वर्षों से जैसलमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से बनाई गई कोई सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डामरीकरण कार्य हेतु अपूर्ण नहीं छोड़ी गई है। किन्तु दुग्धमार्ग योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क मंदासर गत पांच वर्ष से डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक बनी हुई अपूर्ण है। जिस पर व्यय दुग्ध मार्ग योजना के अन्तर्गत रु. 3,41,116 व्यय हो चुका है व रुपये 18,000 की पुरानी देनदारी चुकाना है। इस प्रकार कुल व्यय रु. 3,59,116 हो गया है। अब दुग्ध योजना में सड़क निर्माण बन्द हो चुका है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-7 देखें।)

श्री विजयनगर की अन-कमाण्ड भूमि

730. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि S.D.M. रायसिंहनगर की मध्यस्थता में सर्कल श्री विजयनगर के किसानों के साथ 30 जनवरी, 1987 में अन-कमाण्ड को कमाण्ड क्षेत्र करने का फैसला किया गया था? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फैसले के मुताबिक किसानों को पानी दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? कितना पानी दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। उसके अनुसरण में आदेशों की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) फैसले के मुताबिक पानी दिया जा रहा है। पानी निर्धारित वाराबन्दी व उपलब्धता के अनुरूप दिया जा रहा है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-8 देखें।)

नीम का थाना क्षेत्र में राशन की चीनी का बंटवारा

731. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1987-88 व 1988-89 में अब तक राशन की चीनी का बंटवारा कब-कब व कितना-कितना किया है? प्रति मास व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(1) उक्त क्षेत्र में कौन-की सी संस्थायें राशन प्रणाली का कार्य कर रही हैं? नाम तथा कार्य की अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में राशन प्रणाली में हो रही अनियमितताओं के बारे में कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई क्या उनमें जांच हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1987-88 व 88-89 में तथा अब तक राशन की चीनी का वितरण किया गया, का विवरण ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में राशन प्रणाली के वितरण का कार्य ग्राम सेवा सहकारी समितियां, निजी अधिकृत विक्रेता तथा चल

(खाद्य मंत्री)

इकाई के द्वारा किया जाता है। इसके नाम तथा कार्य की अवधि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त क्षेत्र में राशन वितरण में अनियमितता के बारे में दिनांक 26.5.89, 27.6.89 एवं 30.6.89 की शिकायतें श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल, चल इकाई के विरूद्ध प्राप्त हुई। जिसकी जांच कराई गई। जांचोपरन्त उक्त चल इकाई को दिनांक 17.7.89 को नोटिस जारी किया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–9 देखें)

बांगड़ रिसर्च इन्स्टीट्यूट (जयपुर) में न्यूरोलोजी विभाग

732. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मान–सिंह चिकित्सालय, जयपुर के बांगड़ रिसर्च इन्स्सीट्यूट में न्यूरोलोजी विभाग कार्यरत है ?

(2) क्या यह सही है कि इस विभाग में जीवन-मौत से जूझते हुए गंभीर मरीज आते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस विभाग में रोगियों के लिए पर्याप्त शय्याएं नहीं हैं ? क्या मरीजों को बिस्तर भी उपलब्ध नहीं हो पाते और कूलर की भी व्यवस्था नहीं है ? क्या आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण एवं मशीन सी.टी. स्केन आदि भी उपलब्ध नहीं हैं ?

(4) यदि हां, तो इस विभाग को सभी आधुनिक मशीनों, उपकरणों से सुसज्जित करने तथा मरीजों को शैयाएं उपलब्ध कराने, वार्ड को गर्मियों में ठण्डा रखने हेतु क्या–क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। न्यूरो सर्जरी विभाग में काफी गम्भीर मरीज भर्ती होते हैं।

(3) जी, नहीं। न्यूरोलोजी विभाग में पर्याप्त शैय्यायें उपलब्ध हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग में एक्सीडेन्ट कैसेज अधिक आने की वजह से शैय्याओं की कमी जरूर आती है। न्यूरो सर्जरी में शैय्यायें बढ़ाने एवं एक और यूनिट खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। उक्त विभागों में मरीजों के लिए पंखे, कूलर आदि उपलब्ध हैं, तथा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण एवं मशीनें उपलब्ध हैं एवं सी. टी. स्केन मशीन भी उपलब्ध है जिसकी 21-7-1989 तक चालू होने की सम्भावना है।

(4) उक्त विभागों में रोगियों के उपचार के लिये काम में आने वाले उपकरण वगैर रिसर्च सैन्टर में उपलब्ध है। इस विभाग में शैयायें बढ़ाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है। वार्ड को गर्मियों में ठण्डा रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में सभी ऐसे उपकरण लगे हैं, जो वार्ड को ठण्डा रख सकें।

अतारांकित प्रश्न संख्या–733
(स्थगित)

ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रूलाणा (सीकर) के पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के खिलाफ आरोप

734. **श्री केशर देव महरड़ा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पूर्व अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ग्राम रूलाणा जिला सीकर श्री सरताज सिंह व इनके सगे भाई व्यवस्थापक विक्रम सिंह पर समिति से भारी रकम का गबन का आरोप है ? यदि हां, तो इन लोगों के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन दोनों भाईयों से इनके कार्यकाल का समिति का पूर्ण रिकार्ड अब तक प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इससे रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी ? विलम्ब के कारण क्या हैं और इसके लिए कौन दोषी हैं।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रूलाणा जिला सीकर के पूर्व अध्यक्ष श्री सरताज सिंह द्वारा समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 79–80 एवं 80–81 में 149.90 रु. की राशि का एवं वर्ष 82–83 में 5146.00 रु. की राशि का गबन किया है। उक्त राशि के गबन के लिये विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समि. सीकर के यहां राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीकृत कर कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। इन दोनों भाइयों से इनके कार्य काल की रोकड़ वही 1.7.82 से 31.12.83 तक की एवं इसी अवधि के वाऊचर्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त रिकार्ड तत्कालीन व्यवस्थापक श्री मलखान–सिंह से दिनांक 12.10.84 को श्री सरताज–सिंह व विक्रम सिंह आदि के द्वारा मारपीट कर छीन लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना प्रभारी, दांतारामगढ़ को दिनांक 12.10.84 को पुलिस कार्यवाही हेतु एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी। रिकार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) में काजवे का निर्माण

735. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) के ग्राम नरवर से गगवाना सड़क पर मालपुरा की ढाणी के पास विभाग ने वर्ष 1986-1987 में एक काजवे का निर्माण करवाया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह काजवे अभी तक अपूर्ण पड़ा हुआ है जिससे वर्षा में कभी भी बह जाने का खतरा बना हुआ है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस अपूर्ण काजवे को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में ग्राम

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नरवर से गगवाना सड़क पर मानपुरा की ढाणी के समीप एक काजवे का निर्माण करवाया गया था।

(2) जी नहीं। अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में इस काजवे को दोनों तरफ की दीवारों का निर्माण व तल पर पत्थरों का खरंजा लगवा दिया गया था। वर्ष 1987–88 के अकाल राहत कार्यक्रम के तहत इस पत्थर के खरंजे के ऊपर क्वारी रविश की बिछाई करवाकर कुटाई करवाई गई व पानी की कटाई रोकने हेतु डाउन स्ट्रीम की दीवार के आगे पत्थर भी लगवाये गये। अतः इस काजवे की वर्षा में बह जाने की सम्भावना नहीं है।

(3) काजवे का निर्माण अकाल राहत में पूर्ण हो चुका है।

सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (नागौर) के व्यवस्थापकों की वेतन वृद्धि पर रोक

736. **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा) **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नागौर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा कुछ व्यवस्थापकों के वेतन रोक रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यवस्थापक का कब-कब से और क्यों? तथा किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ व्यवस्थापकों की वेतन वृद्धियां रोक रखी हैं? यदि हां, तो किन-किन की कब-कब से और किस अधिकारी द्वारा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिनकी वेतन वृद्धियां और तनख्वाह रोके रखी हैं उनके विरुद्ध कोई ऐसा फैसला किसी के द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो फिर क्यों वेतन आदि रोका गया है? जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता?

(4) इस सम्बन्ध में किस-किस अधिकारी द्वारा क्या–क्या अनियमितताएं की गई और उनके विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" में रख दिया गया है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वेतन वृद्धियां रोकने की कार्यवाही उन्हीं व्यवस्थापकों के संदर्भ में की गई है, जिन पर गबन के आरोप या तो प्रमाणित हो चुके हैं या ऑडिट/निरीक्षण के दौरान सामने आये हैं, अथवा जो ड्यूटी पर से अनुपस्थित पाये गये हैं या जिन्होंने अपना उपस्थितिकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

(4) इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी द्वारा अनियमितताएं बरतने का मामला सामने नहीं आया, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए परिशिष्ट-10 देखें।)

सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

737. **श्री मुल्ताना राम** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जैसलमेर जिले में सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत की गई थीं और प्रत्येक सड़क पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से कितनी राशि अब तक प्राप्त हुई तथा खर्च कितना हुआ ?

(3) उक्त सड़कें कब स्वीकृत की गईं, कितना बजट प्रत्येक सड़क को आवंटन हुआ ? सड़कें कितने किमी पूरी की जा चुकी हैं ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन सड़कों का उपयोग शुरू हो गया है और सभी सड़कें पूर्ण हैं ? यदि अपूर्ण हैं तो अपूर्ण सड़कों को अब और कैसे पूरा कराया जाएगा ?

उत्तर

(1) सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में 7 सड़कें स्वीकृत हुई थीं एवं उन पर रुपये 185.78 लाख का खर्चा हुआ था। सड़क वार विवरण प्रपत्र "क" पर दर्शाया गया है।

(2) सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले की उक्त सड़कों की स्वीकृति रुपये 360.00 लाख की जारी हुई थी एवं खर्चा 185.78 लाख हुआ है।

(3) उक्त सड़कों पर 86–87 में रुपये 92.55 लाख एवं 87–88 में 207.27 लाख रुपये की बजट का प्रावधान था लेकिन भारत सरकार द्वारा और राशि आवंटन न करने के कारण बजट के अनुसार खर्चा नहीं किया जा सका। प्रत्येक सड़क की भौतिक प्रगति संलग्न प्रपत्र "क" में दर्शाई गई है। सारी सड़कें 17-2-87 को स्वीकृत हुई थीं।

(4) सड़कों की भौतिक प्रगति संलग्न प्रपत्र में दर्शाई गई है। 31 मार्च, 1988 के बाद भारत सरकार द्वारा शेष राशि आवंटन न करने के कारण सड़कों की स्थिति यथावत है। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण उक्त सड़कों को पूरा कराने की स्वीकृति देना संभव नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-11 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 738
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 739
(स्थगित)

राज्य में छात्रावास भवनों का निर्माण

740. **श्री मुल्ताना राम** (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में किस किस जिले में छात्रावास भवनों का निर्माण हुआ है ?

(2) किस–किस जिले में छात्रावास भवनों का निर्माण नहीं हुआ और क्यों ?

(श्री मुल्ताना राम)

(3) राज्य में किस-किस जिले में कितने छात्रावास भवन निर्माण कराने बाकी हैं और उनकी क्या प्रगति है ? उनका कब तक निर्माण करा लिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य के 26 जिलों में छात्रावासों के लिए 143 राजकीय भवन उपलब्ध हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम 3 में अंकित है।

(2) जिन जिलों में छात्रावास के लिए राजकीय भवनों का निर्माण संसाधन के अभाव में सभव नहीं हुआ है, एवं छात्रावास किराये के भवनों में संचालित है उनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4 में अंकित है।

(3) राज्य के विभिन्न जिलों में 341 छात्रावास भवन निर्माण कराने बाकी हैं, उनमें से 147 छात्रावास भवन निर्माण की प्रगति परिशिष्ट "ब" में अंकित है। शेष छात्रावासों का निर्माण भूमि आवंटन तथा संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात किया जा सकेगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट-12 देखें।)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं का वितरण

741. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के जनजाति क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित करने के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार को खाद्य वस्तुएं दी जाती हैं ? यदि हां, तो यह खाद्य वस्तुएं क्या-क्या हैं ? व इनको किस मूल्य पर वितरित किया जाता है ?

(2) पिछले एक वर्ष में राज्य के कितने जिलों के जनजाति क्षेत्रों में ऐसी वस्तुएं कुल कितनी मात्रा में वितरित की गई ? वितरित वस्तु मय मात्रा व जिले के नाम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह खाद्य वस्तुएं गेहूं और चावल हैं। गेहूं 179/- रु. प्रति क्विन्टल, चावल (कामन) 219/- रु., चावल (फाइन) 279/- रु. एवं चावल (सुपर फाइन) 300/- रु. प्रति क्विटल की दर से वितरित किया जाता है।

(2) पिछले एक वर्ष में राज्य के पांच जिलों के जनजाति क्षेत्रों में उक्त वस्तुएं जितनी मात्रा में वितरण की गई का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-13 देखें)

ग्राम रीड़मलास (नागौर) में कुओं का निर्माण

742. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष तहसील लाडनूं जिला नागौर के ग्राम रीड़मलास में अकाल राहत के तहत काश्तकारों के खेतों में सिंचाई के लिये कुओं का निर्माण कराया था? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार ने तथा कार्य कब-कब शुरू हुआ तथा कब-कब बंद हुआ तथा उनकी कितनी राशि का भुगतान करवाया जो कब-कब कितनी–कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसमें से एक काश्तकार श्योभगवान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इसके अलावा भी लाडनूं तहसील के किन-किन काश्तकारों के खेतों में बनाये गये कुओं व कुण्डों के भुगतान नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन के और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष संवत 2044 में तहसील लाडनूं के ग्राम रिड़मलास में अकाल राहत के तहत 10 काश्तकारों के खेतों में निजी सिंचाई के लिये कुओं का निर्माण कराया गया था। काश्तकारों द्वारा कार्य शुरू करने का दिनांक एवं किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। अकाल राहत के तहत ग्राम रीड़मलास तहसील लाडनूं में एक काश्तकार श्री श्योभगवान का नवकूप निर्माण का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि श्री श्योभगवान को जिला कलेक्टर नागौर ने खसरा नं. 107 में कूप निर्माण की स्वीकृति दी थी। जांच करने पर यह पाया गया कि उक्त वर्णित काश्तकार श्री श्योभगवान ने खसरा नं 107 के बजाय खसरा नं. 112 में कूप निर्माण करवाया है। इसलिये स्वीकृति को पुन: संशोधित किया गया। संशोधन के पश्चात पुन: मौके पर जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार लाडनूं के समक्ष दि. 5.9.88 को प्रस्तुत कर दी गई और उसी दिन कूप निर्माण के मस्टररोल भी पारित कर दिये गये। किन्तु उससे पूर्व दि. 3.8.88 को पारित किये गये मस्टररोलों का दि. 7.9.88 को 9,000 का भुगतान किया गया। राशि शेष न रहने के कारण श्री श्योभगवान रीड़मलास को राशि रुपये 8311.00 का भुगतान नहीं किया जा सका। अब यथा शीघ्र जिला कलेक्टर द्वारा राशि आवंटित कर भुगतान कर दिया जावेगा।

(3) इसके अलावा लाडनूं तहसील में 9 काश्तकारों के कुएं व कुण्डों का भुगतान नहीं किया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ख") भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-14 देखें)

बीकानेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

743. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास हैं एवं उनमें प्रत्येक में कितने–कितने छात्रों की संख्या स्वीकृत है ?

(2) उक्त छात्रावास में रहने वाले छात्रों को क्या–क्या सुविधायें दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बीकानेर जिले के नौखा के छात्रावास में वर्ष 1985 से आज तक प्रतिवर्ष कितने छात्र भर्ती किये ? क्या छात्रावास में भर्ती व छात्रावास के संचालन बाबत कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या है और तत्संदर्भ में सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे छात्रावास कहां-कहां खोलने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल 11 छात्रावास संचालित हैं जिनकी स्वीकृति छात्र संख्या निम्न प्रकार है:–

क.सं.	छात्रावास का स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	राज. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बीकानेर	75
2.	राज. अनु. कन्या, बीकानेर	30
3.	राज. अनु. बालक, बीकानेर	30
4.	राज. अनु., कोलायत	35
5.	राज. अनु. बज्जू	25
6.	राज. अनु., छतरगढ़	30
7.	राज. अनु., लूणकरनसर	25
8.	राज. हरिजन छात्रावास, बीकानेर	25
9.	राज. हरिजन छात्रावास, बीकानेर	25
10.	राज. विमुक्त जाति छात्रावास, बीकानेर	25
11.	अनुदानित छात्रावास, नौखा	49

(2) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 1982 के नियम 8 के अनुसार प्रत्येक छात्र को निम्नांकित सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है:–

1. भोजन, नाश्ता, कपड़ा बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन–तेल आदि पर व्यय मैस समिति जो इन नियमों के अन्तर्गत होगी के द्वारा किया जावेगा। इस कार्य के लिये कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु 170/– रुपये प्रति छात्र प्रति माह की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60 रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40 रुपये प्रति छात्र पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु एक मुश्त राशि दी जाती है।

3. प्रत्येक छात्र को एक दरी, दो कंबल, एक तकिया मय गिलाफ, दो चादर एक गद्दा, एक थाली दो कटोरी, एक प्लास्टिक मग बड़ा, एक चारपाई/तख्ता, अलमारी, लोहे का बक्सा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

(3) बीकानेर जिले के नौखा छात्रा–

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

वास में वर्ष 1985 से आज तक प्रतिवर्ष निम्न प्रकार छात्र भर्ती किये गये:–

वर्ष	भर्ती संख्या
1985-86	49
1986-87	49
1987-88	49
1988-89	49

वर्ष 1989–90 में प्रवेश की कार्यवाही की सूची अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस छात्रावास बाबत दो कार्यकारिणीयों के आपसी विवाद और एक दूसरे पर दोषारोपण का मामला वर्ष 1988-89 में जिला कलक्टर, बीकानेर को निर्णय हेतु सौंपा गया। दिनांक 22.8.88 के आदेशानुसार जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा तहसीलदार, नौखा को प्रशासक नियुक्त किया गया एवं उन्होंने दिनांक 3.9.88 से कार्य आरंभ कर दिया। जिला कलक्टर द्वारा छात्रावास का चार्ज नई कार्यकारिणी को सुपुर्द करने के आदेश दिनांक 28.3.89 को दिये गये जिसकी अनुपालना में दिनांक 4.4.89 को नयी कार्यकारिणी को चार्ज दे दिया गया।

फिलहाल कोई नवीन अनुदानित छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

744. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एक अप्रेल, 1985 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज हुए ? उनमें से कितने मामलों का चालान किया गया ? कितनों में अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिए गए ?

(2) जिन मामलों में चालान किया गया उनमें प्रत्येक मामले का क्या–क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1985 से अब तक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत 639 मामले दर्ज किये गये। उनमें से 173 मामलों का चालान किया गया। 205 मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

(2) जिन मामलों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया उनमें से 11 अपराधों में बरी एवं 3 अपराधों में मुलजिमों को सजा हुई है शेष मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। सजा एवं बरी के अपराधों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–15 देखें)

वाहमाफी सहकारी समिति रूपवास का रिकार्ड

745. **श्री विजयसिंह** (रूपवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वाहमाफी सहकारी समिति

(श्री विजयसिंह)

पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर का पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा कब से नहीं है ?

(2) वर्तमान में कार्यरत सैक्रेट्री के पास रेकार्ड कब से नहीं है और क्यों ? तथा अब कब तक दिलवा दिया जावेगा ?

(3) क्या वाहमाफी में बीज गोदाम बनाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? अब तक बीज गोदाम न होने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वाहमाफी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पंचायत समिति रूप-वास जिला भरतपुर का वर्ष 85-86 एवं 86-87 का रिकार्ड तत्कालीन व्यवस्थापक श्री मनोहर लाल ने अपने पास अनाधिकृत रूप से रोक रखा है। व्यवस्थापक को निलम्बित किया जा चुका है तथा जांच विचाराधीन है।

(2) वर्तमान व्यवस्थापक के पास 84-85 के बाद का रिकार्ड नहीं है क्योंकि वर्ष 84-85 के बाद के रिकार्ड को तत्का-लीन व्यवस्थापक श्री मनोहर लाल ने अना-धिकृत रूप से रोक रखा है जिसे प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रिकार्ड प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(3) फिलहाल नहीं। बीज गोदाम निर्माण परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर ही वहां गोदाम निर्माण कराये जाने पर विचार सम्भव हो सकेगा। अब तक स्वीकृति नहीं देने के प्रमुख कारणों में समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होना व निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करना है।

सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बूंदी के अध्यक्ष द्वारा राशि का दुरुपयोग

746. श्री सुल्ताना राम (जैसलमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दी बूंदी सैंट्रल को-ऑप. बैंक के अध्यक्ष का चुनाव किस तारीख को हुआ है ? वर्तमान अध्यक्ष ने अब तक कितना यात्रा भत्ता एवं डी.ए. उठाया है ?

(2) उक्त अध्यक्ष ने कितने किलोमीटर की यात्रा किस-किस वाहन से की है। क्या राज्य सरकार एवं विभाग के आदेश के बिना बैंक की गाड़ी बूंदी जिले से बाहर जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्या नियमों की अनुपालना की गई ?

(3) क्या बूंदी को-ऑ. बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसके बाद भी अध्यक्ष के लिए नई कार खरीद की गई है ? क्या इसे विभाग उचित मानता है ?

(4) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई गई कार एवं जीप में अब तक कितने मूल्य का पेट्रोल एवं डीजल जलाया गया है ?

(5) क्या संचालक मण्डल, बैंक के पूर्व सेवानिवृत ओंकार लाल एम. डी. को गिफ्ट के रूप में कोई राशि खर्च करने का कोई प्रस्ताव लिया है और वह प्रस्ताव नियमानुसार है ?

उत्तर

(1) दी बूंदी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बूंदी के अध्यक्ष का चुनाव 28.5.87 को सम्पन्न हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को 28.5.87 से 31.5.89 तक कुल 10,125/- रुपये यात्रा भत्ता एवं डी.ए. के रूप में बैंक से भुगतान किया गया है।

(2) अध्यक्ष द्वारा 15.7.87 तक बैंक वाहनों से की गई यात्राओं का विवरण निम्न है :-

क्र. वाहन संख्या	यात्रा कुल कि.मी.
1. आर.जे.सी.-122 (कार)	5412
2. आर.जे.जी-6977 (कार)	31730
3. आर.जे.जी-3484 (जीप)	5826

बूंदी जिले से बाहर की यात्राएं संचालक मण्डल के द्वारा अनुमोदित की गई है। जिले से बाहर की यात्राओं के लिये अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं कर विभागीय निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई है।

(3) जी हां। इस बैंक में वर्ष 1975 से ही एक कार थी, जिसे अक्टूबर, 87 में विक्रय कर उस के स्थान पर नई कार नवम्बर, 87 में बिना विभागीय स्वीकृति के खरीदी गई जो विभागीय निर्देशानुसार उचित नहीं है।

(4) बैंक के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग में ली गई कार व जीप पर वाहन वार पैट्रोल एवं डीजल पर औसत के आधार पर व्यय निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	वाहन नाम	राशि पैट्रोल	राशि डीजल
1.	आर.जे.जी-1122 (कार)	4447.14	—
2.	आर.जे.जी-6977 (कार)	41003.08	—
3.	आर.जे.जी-3484	—	2161.52

(5) जी हां। इसके औचित्य बाबत परीक्षण कराया जा रहा है।

उपनिवेशन विभाग (बीकानेर) में कार्यरत पटवारी

747. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपनिवेशन विभाग के बीकानेर क्षेत्र में शुरू से लेकर अभी तक कितने ऐसे पटवारी हैं जो वहां पर ही कार्यरत हैं ?

(2) सरकार की जानकारी है और क्या यह सही है कि पटवारियों में से प्रत्येक पटवारी के पास 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति है ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त पटवारियों का तबादला करना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त सभी पटवारियों की सम्पत्ति की जांच करवायेगी ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) 26 ऐसे पटवारी हैं जो बीकानेर जिले की तहसीलों में परस्पर स्थानांतरित किये जाते रहे हैं।

(2) जी नहीं। केवल कुछ-एक पटवारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त पटवारियों के पास 50 लाख से अधिक सम्पत्ति होने की सूचना विभाग के पास रही है।

(3) आवश्यकतानुसार समय-समय पर तबादले किये जाते रहे हैं।

(4) विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 748
(स्थगित)

जयपुर क्षेत्र में डी. आर. डी. ए. द्वारा विधवा महिलाओं को रोजगार

749. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशन पोल) :–क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहरी क्षेत्र की डी. आर. डी. ए. द्वारा विधवा महिलाओं के रोजगार हेतु वर्ष 1988-89 में कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है व कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) इस योजना में किन-किन संस्थाओं द्वारा कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है व कब से ? प्रशिक्षण की अवधि व उनके कार्य स्थान सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) इस योजना के लक्ष्य कितनी अवधि में पूर्ण प्राप्त किये जावेंगे ? योजना का निरीक्षण किस स्तर पर किया जाता है ?

(4) इस योजना की प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुसार जयपुर में स्काईट/ट्राईसम/ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान में कितनी-कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण करवाया जा रहा है ? संस्थाओं के नाम व उसमें प्रशिक्षित करवायी जा रही महिलाओं के नाम, उनको दी जाने वाली मासिक सहायता व प्रशिक्षण भत्ता आदिनाकुत भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की विधवा महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 1988–89 के अन्तिम मास में स्वीकृत की गई तथा राशि के आहरण पर 31–5–89 तक प्रतिबन्ध लगाया गया। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी महिला को लाभान्वित नहीं किया जा सका तथा कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(2) अब तक जयपुर शहर में इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। विधवा महिलाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

(3) इस योजना के लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

हैं। योजना का निरीक्षण राज्य स्तर पर महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(4) अभी तक प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ है, किन्तु इस संदर्भ में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 750
(स्थगित)

चूरू में राशन के गेहूं का आवंटन

751. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** : (नौखा) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चूरू जिले में वर्ष 1988 को प्रतिमाह राशन के गेहूं का आवंटन हुआ था? यदि हां, तो कितना? जनवरी, फरवरी, 1989 में चूरू जिले के लिए राशन गेहूं कितना आवंटित किया गया? जनवरी, फरवरी, 1989 के महिनों का अवंटन व वितरण पिछले वर्ष 1988 के जनवरी, फरवरी से कितना कम रहा और क्यों?

(2) क्या जनवरी, फरवरी 1989 के लिए चूरू जिले का आवंटित राशन गेहूं लेप्स हुआ है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं की है तो अब कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार है? भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इस बाबत सरकार क्या प्रभावी व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले को वर्ष, 1988 में जनवरी से दिसम्बर तक कुल 45590 मै. टन राशन का गेहूं आवंटित किया गया। जनवरी, फरवरी, 1989 में चूरू जिले के लिए 2500 मै. टन गेहूं का आवंटन किया गया। जनवरी, फरवरी, 1989 के महिनों का अवंटन व वितरण पिछले वर्ष 1988 के जनवरी, फरवरी से अवंटन 11500 एवं वितरण 12850 मै टन कम रहा। इसका कारण चूरू जिले में खरीफ की अच्छी फसल होने से गेहूं की मांग नहीं होना रहा है।

(2) जी हां। वर्ष, 1989 के माह जनवरी, एवं फरवरी में कुल आवंटन 2500 मै. टन हुआ था। मांग कम होने के कारण इसमें से 1300 मै. टन गेहूं समर्पित किया गया। शेष 1200 मै. टन गेहूं में से क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सरदार शहर द्वारा जनवरी, फरवरी, 1989 के आवंटित गेहूं में से 50 मै. टन गेहूं नहीं उठाने से लैप्स हुआ। इसके लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सरदार शहर की जिम्मेदारी मानते हुए उन्हें दिनांक 22.4.89 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इस बाबत विभागीय अ. शा. पत्र दिनांक 11.5.89 से समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश भेजे जा चुके हैं।

चम्बल क्षेत्र कोटा में ड्रेनों का निर्माण

752. **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री हरीश शर्मा)

(1) चम्बल क्षेत्र विकास परियोजना कोटा के कार्य क्षेत्र में वर्ष 1984-85 से अब तक वर्ष वार कितनी नई ड्रेनों का निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया ? कृपया सूची नाम ड्रेन; लम्बाई लागत राशि एवं वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1989-90 में नई ड्रेनों हेतु क्या योजना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? इस पर कितना व्यय किया जाना है ?

उत्तर

(1) चम्बल विकास परियोजना में वर्ष 1984-85 से वर्ष 1988-89 तक 370·26 कि. मी. ड्रेनों का निर्माण किया गया था। इन ड्रेनों के निर्माण पर 168 34 लाख रुपये व्यय हुए। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वर्ष 1989-90 में नई ड्रेनों हेतु 102.50 कि. मी का लक्ष्य है एवं इस पर लगभग 20 लाख रुपये व्यय किया जाना अनुमानित है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 16 देखें)

जिला झालावाड़ में वनों की कटाई

753. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के ग्राम बाव्रेर एवं तारज के पास के वनों को वन चोरों ने काफी वन काट दिया है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों में वन की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों की लकड़ी खानपुर, बारां एवं सीसवाली की आरा मशीनों पर काटने के लिए ट्रकों से ले जाई जाती है ? यदि हां, तो सन् 1987 से अब तक कितने ट्रक पकड़े, कितनी लकड़ी जब्त की ? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वन क्षेत्रों में यदाकदा लकड़ी कटान के कुछ प्रकरण अवश्य पंजीकृत हुए हैं। इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्थानीय तैनात स्टाफ के अतिरिक्त रेंज स्तर तथा मण्डल स्तर पर गस्ती दल का गठन किया हुआ है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

754. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत चल रही 8 सी. डी. परियोजनाओं से में अधिकांश परियोजनाओं में कार्यरत कर्मियों को पिछले 9 माह से वेतन भुगतान

(श्री चम्पालाल बांठिया)

नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व किन परियोजनाओं में कब–कब से भुगतान नहीं हो रहा है ?

(2) अब उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। केवल दो समाज कल्याण परियोजनाऐं-डेगाना एवं कोलायत के कर्मचारियों को माह अप्रेल, 89 से वेतन नहीं मिला है।

(2) सम्बन्धित अधिकारियों को इसी माह वेतन का भुगतान कर सूचना देने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्त ग्रेजुएट बेलदार

755. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या सार्वजजिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर में बेलदारों के पद पर कितने ग्रेजुएट लगे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार शिक्षित कार्यरत बेलदारों के प्रति क्या विचार कर रही है।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में स्नातक बेलदार लगे हुए हैं उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-17 देखें)

वरिष्ठ चिकित्सक (पैथोलोजी) की वरिष्ठता

756. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर)
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में पैथोलोजी के वरिष्ठ डाक्टरों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? तथा रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि पैथोलोजी के डाक्टरों की पदोन्नति के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो पदोन्नति कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि पैथोलोजी के डाक्टरों की वरियता सूची के संबंध में राज्य सरकार को अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) वरिष्ठ डॉक्टरों के जो पद रिक्त हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

वरिष्ठ विशेषज्ञ : 2

जुलाई, 88 से (एक पद के विरुद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) को लगा रखा है।)

कनिष्ठ विशेषज्ञ : 7

4 पद जुलाई, 88 से

1 पद मई, 88 से

(चिकित्सा मंत्री)

1 पद सितम्बर, 88 से

1 पद जून, 85 से जिसके विरूद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) लगा रखा है।

इन रिक्त पदों को डी.पी.सी. द्वारा चयनित (विशेषज्ञों द्वारा भरा जाना है। इनमें से कुछ पद भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुला ली गई है। एवं अन्य पदों के लिए शीघ्र ही बैठक बुलाई जा रही है।

(2) जी हां, डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नति शीघ्र ही की जा रही है।

(3) पूर्व में अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां आमन्त्रित की गई थीं। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर वरिष्ठता सूची जारी की गई थी।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 10-7-1989)

बस्सी (जयपुर) में राहत कार्यों के लिए स्वीकृत राशि

292. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति परिधि में पिछले पांच वर्ष के दौरान राहत कार्यों के लिए किस-किस विभाग को कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई ?

(2) इस राशि से किस-किस विभाग ने किस-किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या-क्या कार्य करवाये और किस-किस कार्य पर कब-कब कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति परिधि में पिछले 5 वर्ष के दौरान विभिन्न अभिकरणों को राहत कार्यों के लिये मंजूर की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) स्वीकृत राशि के अन्तर्गत कराये गये राहत कार्यों का अभिकरणवार, कार्यवार एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ख")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 321
(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले में यमुना-गंगा नदी का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने के संबंध में,

(2) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम बामनपाड़ला जिला बांसवाड़ा का भवन गिरने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

(3) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य,

(श्री उपाध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की लाखेरी नगर पालिका में कार्यरत अधिशाषी अधिकारी द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

(4) श्री गणेशलाल बैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत मुख्यालय भवानीपुरा जिला बूंदी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं खोलने से व्याप्त असंतोष के संबंध में,

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विधेयक लाने में की जा रही देरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

(6) श्री हरिकुमार औदिच्य, श्री नाथूसिंह और सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख द्वारा एक विदेशी महिला के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के संबंध में,

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में नालों, गंदी नालियों की सफाई नहीं होने से जगह-जगह पानी भरने और बस्तियों को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में,

(8) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जलदाय विभाग की ओर से भारत पाइप और डायनाप्लास्ट से पी.वी.सी. पाइप खरीदने के आदेश दिये जाने के संबंध में,

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री हरजीराम बुरड़क, श्रीमती विद्या पाठक, श्री पन्नीलाल, श्री लक्ष्मी नारायण किसान, श्री नवरंग सिंह, श्री प्रभुदयाल मीणा, डा. राजकुमार जयपाल, श्री भंवरलाल शर्मा (99), श्री मुक्तिलाल मोदी, श्री माणक डागी, श्री रामचन्द्र, श्री जगतसिंह दायमा, श्री हरलालसिंह खर्रा, श्री नाथूसिंह, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।)

श्री हरजीराम बुरड़क। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज-मण्डी) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, सरकार तो इस मामले को दबा रही थी उस महिला के साथ 14 तारीख को वारदात हुई... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट आने पर। नियमों से चलें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : और राज्य मंत्रिमण्डल के एक सदस्य रिश्तेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह महिला वहां पर आकर रुकी हुई थी। जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गये और बाद में जब वह महिला चिल्लाई तो वहां के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद वे जीप में बैठकर भाग गये...

(68)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं ।

श्री नाथूसिंह : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर । प्लीज सिट डाउन । (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : विदेशी महिला के साथ बदतमीजी की गई है 17 तारीख को....

श्री उपाध्यक्ष : दबाने की यह प्रक्रिया नहीं चलेगी । जानकारी चाही गई है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मंत्री मण्डल के सदस्य के रिश्तेदार हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके स्थगन प्रस्ताव आते हैं, उन पर आज तक जो व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार जिनको रिजेक्ट किया जाता है उस पर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दी जाती है । इसके अलावा नहीं । आप क्यों परेशान हो रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है ? यह नहीं होगा । (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : पाइंट आफ आर्डर यह है कि उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया है, उनकी बेइज्जती की गई है । (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह 17 तारीख का वाकिया है और तीन दिन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है । (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : गेस्ट हाऊस में बलात्कार का प्रयास किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : दबाया नहीं जायेगा । आपके हर स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जाती है और बोलने दिया जाता है । प्लीज सिट डाउन । (व्यवधान)

श्री गणेशीलाल बैरागी (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है उस पर कोई व्यवस्था नहीं आई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क ।

सुश्री पुष्पा जैन : विदेशी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो, यह उनका अपमान है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने राज्य सरकार को कह दिया है । रिपोर्ट आने दीजिये ।

श्री नाथूसिंह : अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । श्री हरजीराम बुरड़क । (व्यवधान) जिला प्रमुख का पद गरिमापूर्ण है । रिपोर्ट आने दीजिये, जल्दी मंगवा रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है आज तक ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं ? बैठिये आप।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नियम 295 के अन्तर्गत उठाये गये प्रस्तावों का आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : सोमवार को दिला देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, आपको क्या पता है कि में क्या कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : I know it. I know your pulse. मुझे पता है। जयपुर शहर की नालियों के सम्बन्ध में मैंने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जयपुर के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में प्रथम बार वर्षा हुई है और चार बच्चे नाले में बह गये हैं। नालों की सफाई नहीं हो रही है। बाढ़ नियन्त्रण कार्य से पार नहीं पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। श्री हरजीराम बुरड़क कृपया जोर से पढ़े। माननीय भार्गव साहब, आगे नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ब्रह्मपुरी का नाला है। चार बच्चे बह कर मर गये हैं। जयपुर शहर के नालों की सफाई नहीं होगी तो बाढ़ नियन्त्रण से कोई लाभ नहीं। यह जयपुर शहर के लिये बड़ा अहमियत का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार इनसिस्ट कर रहा हूं। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे आसन पर देखते हैं तब ही बोलते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, कल आप आसन पर नहीं थे। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक सप्ताह में व्यवस्था दे दूंगा। यह सप्ताह समाप्त होने जा रहा है। मैंने ओरिजिनल रजिस्ट्री की नकल आपको दे दी है। खसरा नम्बर भी दे दिया है। जिसके अन्तर्गत नामान्तरण हुआ है वह नकल भी मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : आज व्यवस्था कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कृपया सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात को सुन लीजिये, आज दिलवा देंगे व्यवस्था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पाइप घोटाला संबंधी प्रस्ताव दिया है ...

श्री उपाध्यक्ष : वही तो मैं कह रहा हूं। पाइप घोटाला के सम्बन्ध में मुझे देख कर कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक करोड़ बीस लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : वह रिपोर्ट मंगवा ली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कृपया निश्चित रूप से व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसको सोम–मंगल तक रखवा देंगे। रिपोर्ट मंगवा लेंगे और वक्तव्य जरूरी हुआ तो वक्तव्य भी दिला देंगे। आवश्यकता हुई तो वह भी दिला देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंकी तहसील लाडनूं जिला नागौर में सात वर्ष पूर्व एक पक्का तालाब अकाल राहत के तहत बनाया गया था। जिस पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जबकि अकाल राहत के तहत लोगों को रोजी-रोटी देने के लिये सरकार ने मजदूरी पर लगाये थे। फिर भी यदि उनको सात वर्ष तक मजदूरी नहीं मिले, यह कहां तक उचित होगा।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन सरपंच ने मजदूरी का भुगतान सरकार से प्राप्त कर लिया था परन्तु मजदूरों को भुगतान नहीं करके सारी राशि का गबन कर लिया था। सरकार के सामने ये सारे तथ्य आ जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी और मजदूर अभी भी मजदूरी के लिये भटक रहे हैं। सरकार ने न तो तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज करवाया और न ही मजदूरों को भुगतान करवाया। केवल सरपंच के विरुद्ध पंचायत एक्ट की धारा 17(4) के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसका उन्होंने न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया।

मेरे विधान सभा में प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया गया कि मजदूरी भुगतान पर स्टे है। जबकि ऐसा कोई स्टे नहीं है, केवल धारा 17(4) के तहत की जा रही कार्यवाही पर स्टे है। इसमें भी कई वर्ष हो गये जब स्टे लिया था। इसमें कलक्टर व राज्य सरकार भी पार्टी है। इन्होंने आज तक हाई कोर्ट में जवाब तक नहीं दिया।

राज्य सरकार को चाहिये कि इस मामले में तत्परता से कार्यवाही कर मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था करें और यह देखें कि स्थगन आदेश क्या है, उसका स्कोप क्या है। कोर्ट में अभी तक जवाब देकर स्थगन आदेश को रद्द करवाना चाहिये और इसमें ढील बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मेरी सरकार से मांग है कि उक्त मजदूरों की मजदूरी के तत्काल भुगतान की व्यवस्था करावें। इसमें जिन्होंने गबन घोटाले किये हैं, उनके विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज किया जावे और हाइकोर्ट में दर्ज मामले में कहीं कठिनाई आ रही हो तो उसका तत्काल फैसला करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295 के अन्तर्गत एक नोटिस है जिसका सम्बन्ध राज्य भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि.,

(श्रीमती विद्या पाठक)

जयपुर द्वारा भारतीय सेना को 1986-87 में ताजा मांस सप्लाई में भारी घोटाले से है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भेड़ व ऊन मार्केटिंग फेडरेशन लि. जयपुर ने अप्रेल, 1986 से मार्च 1987 के मध्य में भारतीय सेना को ताजा मांस देने का एक अनुबन्ध लिया था। उसने भारतीय सेना की पश्चिमी कमान्ड को विभिन्न केन्द्रों पर, कुल 35 लाख किलोग्राम ताजा मांस देने की निविदा प्रस्तुत की थी, जिसका अनुमानित मूल्य 6 करोड़ रुपये आंका गया था। भेड़ व ऊन मार्केटिंग फेडरेशन के तत्कालीन अधिकारियों ने इस व्यवसाय में 15 लाख रुपये का लाभ सम्भावित बताया था।

फैडरेशन के उपनियमों के अनुसार इस तरह के व्यवसाय किये से पूर्व संचालक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। भारतीय सेना को 1986-87 से पूर्व में सप्लाई की गई है, उसकी पूर्व स्वीकृति संचालक मण्डल से प्राप्त की गई थी परन्तु इस बार फैडरेशन के अधिकारियों ने अत्यन्त शीघ्रता दिखाई। उन्होंने संचालक मण्डल से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निविदायें प्रस्तुत कर दीं। इसके साथ ही इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधनों, सप्लाई की व्यवस्थाओं तथा लागत, मूल्य का निर्धारण आदि पर भी कोई विचार नहीं किया। फैडरेशन के अध्यक्ष को भी सूचना निविदाओं के स्वीकृत होने के बाद में दी गई।

फैडरेशन को निम्न 6 केन्द्रों पर ताजा मांस सप्लाई करने का ठेका मिला (1) दिल्ली (2) हिसार (3) अम्बाला (4) सूरतगढ़ (5) बीकानेर और (6) श्री गंगानगर। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें हिसार व दिल्ली में फैडरेशन द्वारा कार्य किया गया। शेष में सप्लाई ठेकेदारों के माध्यम से कार्रवाई गई थी। इस सप्लाई के लिए माल खरीदने के लिए फैडरेशन के अधिकारियों की क्रय कमेटी बनाई गई जिसने, दिल्ली, जयपुर, अजमेर आदि के निजी व्यापारियों से जानवर खरीदे जबकि फैडरेशन के संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार जानवरों की खरीद भेड़ पालक सहकारी समितियों के माध्यम से की जानी चाहिये थी। परन्तु क्रय समिति ने इसका उल्लंघन किया। इसके साथ ही भारतीय सेना के साथ हुए अनुबन्ध के तहत एक निश्चित वजन के जानवर खरीदे जाने थे। संचालक मण्डल ने उनका मूल्य भी निर्धारित कर रखा था। परन्तु क्रय समिति ने निजी व्यापारियों से मनमानी कीमत पर कम वजन के बीमार तथा कमजोर जानवर खरीद लिए जिससे लगभग चार हजार जानवर यातायात के दौरान ही मर गये। ऐसी जानकारी भी मिली है कि क्रय समिति ने दैनिक खरीद एवं बाजार भाव का कोई रिकार्ड नहीं रखा था एवं उक्त खरीद के बिल अधिकतर सादा कागजों पर बनाये गये है जबकि आढ़तियों के पक्के बिल प्राप्त किये जाने चाहिये थे। निर्धारित वजन से कम वजन के बीमार जानवर खरीदने से मांस की मात्रा कम प्राप्त हुई। यातायात हेतु ट्रक भी सामान्य से अधिक दर पर लिये गये। जानवरों की खरीद भी ऊंची दर पर की गई थी।

इस प्रकार निर्धारित मापदण्ड के नीचे के बीमार जानवरों को खरीद कर उनका मांस भेजने से इस व्यापार में फैडरेशन को हानि हुई है। इस प्रकार समस्त केन्द्रों पर घोटाले हुए तथा जहां इस सप्लाई में 15

(72)

(श्रीमती विद्या पाठक)

लाख का लाभ अनुमानित था वहीं लगभग 20 लाख का नुकसान हो गया। यह कोई सामान्य वाणिज्यिक हानि नहीं थी बल्कि फैडरेशन के अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर की गई हानि थी। इसके अतिरिक्त भारतीय सैना को मांस सप्लाई का काम बीच में ही छोड़ दिया गया जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो गया। उसका निपटारा करने के लिए अधिकारियों को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया। उन्होंने फैडरेशन के विरुद्ध 35 लाख रुपये की राशि की वसूली करने का निर्णय दिया। इस प्रकार इस व्यवसाय में फैडरेशन को 55 लाख का नुकसान हो गया। जबकि एन्टीसिपेटेड था कि 1.50 लाख रुपये का लाभ होगा।

मई, 1987 में यह मामला फैडरेशन की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती चित्रा चौपड़ा की जानकारी में आया। उन्होंने सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार से इस घोटाले की जांच करवाने का आग्रह किया। रजिस्ट्रार ने जांच के आदेश जारी किये। सहकारी विभाग द्वारा जांच भी की गई है परन्तु इसकी जाच रिपोर्ट को कहीं भी आफिशियल लेवल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है क्योंकि श्रीमती चित्रा चौपड़ा एवं सहकारी विभाग के तत्कालीन रजिस्ट्रार स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये। उसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 74 (1) में कार्यवाही की जानी चाहिये तथा जिन अधिकारियों ने उक्त जांच रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है तथा उसको प्रकाशित नहीं किया है उनके विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तत्काल उनके पदों से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना चाहिये। इसके लिये सहकारिता मंत्री तथा भेड़ व ऊन मंत्री को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पन्ना लाल। (अनुपस्थित) श्री लक्ष्मीनारायण किसान

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 295 के तहत माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान तहसील फुलेरा एवं दूदू की जनता जो दोहरा मण्डी टैक्स देती आ रही है उसकी ओर एवं कृषि उपज मण्डी समिति किशनगढ़, रेनवाल व नरैना की ओर दिला रहा हूं। रेनवाल व नरैना कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर जिले की कृषि मण्डी के व्यापारिक क्षेत्र में आती है जयपुर की कृषि उपज मण्डी समिति के व्यापारिक क्षेत्र में आने की वजह से मण्डी समितियां किशनगढ़, रेनवाल, व नरैना मण्डी क्षेत्र में आने वाले कस्बे फुलेरा, रेनवाल, सांभर, जोबनेर, भैंसलाना, भादवा, मण्डाभीमसिंह, करनसर, बागावास, भादवा दूदू, बधाल, नरैना, मौजमाबाद आदि इन कस्बों में व्यापारी व्यापार करते हैं। यहां के व्यापारी सम्पूर्ण माल जयपुर से खरीद कर ले जाते हैं तथा क्षेत्र की जनता को सप्लाई करते है। जयपुर में अलग से कृषि मण्डी हैं जिससे व्यापारियों को माल खरीदने पर जयपुर में मण्डी टैक्स देना पड़ता है। इसी माल को तहसील फुलेरा व दूदू के कस्बों में व्यापारी ले जा करके बेचते हैं

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

तो उसको वहां पर क्षेत्र की मण्डियों का अलग टैक्स देना पड़ता है। मण्डी टैक्स व्यापारी अपने घर से तो देता नहीं है। मण्डी टैक्स उसी माल पर पड़ता है वह माल दोनों मण्डियों के टैक्स जोड़ने से व व्यापारी अपने मुनाफा जोड़ने के बाद उपभोक्ता को महंगा बेचता है। उपभोक्ता को माल खरीदने पर दोनों टैक्स की वजह से माल महंगा मिलेगा। छोटी-छोटी मण्डियों में आमदनी भी कम होती है। जो भी आमदनी होती है तो मण्डी में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा भत्ता दिये जाने तथा मण्डी की व्यवस्था पर खर्च करने पर शेष राशि बचती नहीं। नतीजा यह होता है कि जनता को दोहरा टैक्स देने के बावजूद भी मण्डी में कोई विशेष राशि विकास के लिए बचती नहीं है जिससे मण्डी समिति कोई भी कार्य जनता के विकास के लिये नहीं कर सकती है। ये मण्डियां शरू से लेकर अब तक एक-दो छोटी सड़कों के अलावा कोई भी विकास कार्य अपने क्षेत्र में नहीं कर पाई हैं। एक तरफ उपभोक्ता को महंगा माल खरीदना पड़ता है दूसरी तरफ जनता को टैक्स से वसूल राशि का लाभ नहीं मिलता। जबकि उद्देश्य मण्डियों को कायम करने का यह था कि मण्डियों के टैक्स से किसानों को सड़कों का लाभ होगा लेकिन इन दोनों मण्डियों में किसानों को विकास सम्बन्धी कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसी सूरत में कृषि उपज मण्डी समिति, किशनगढ़, रेनवाल व नरैना को तोड़ कर कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर का क्षेत्र तहसील फुलेरा व दूदू तक बढ़ा दिया जावे एवं उक्त दोनों मण्डियों को जयपुर की मण्डी में ला दिया जावे। किशनगढ़-रेनवाल व नरैना में मण्डी यार्ड के स्थान पर सब मण्डी यार्ड बना दिया जावे।

उक्त दोनों मण्डियों के कर्मचारियों को जयपुर कृषि उपज मण्डी में समायोजित करके दोनों तहसीलों में मण्डियों को ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। इससे खर्चा कम होगा एवं प्रशासन अच्छा चलेगा, जनता को दोहरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी समिति नरैना में लगातार घाटा चल रहा है जिसकी वजह से कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों ने गत पांच साल में अपनी गलती को छिपाये रखने के लिए दो बार राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि कृषि उपज मंडी किशनगढ़ रेनवाल के क्षेत्र से कस्बा सांभर व फुलेरा एवं उसके पास की चार ग्राम पंचायतों को नरैना में मिला दिया जाय जिससे नरैना की आमदनी बढ़ कर नरैना के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा सके। लेकिन पंचायत समिति दूदू और सांभर के अलग-अलग क्षेत्र होने की वजह से इन प्रस्तावों पर वहां की जनता ने आपत्तियां रखी हैं। यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों को रेनवाल मंडी से हटा कर नरैना मंडी में दिया जाता है तो इस समय जो हालत कृषि उपज मंडी समिति नरैना की है वही हालत किशनगढ़ रेनवाल की हो जाएगी। ऐसा करना भी उचित नहीं है। अधिकारी अपनी गलती को छिपाने के लिए एवं कृषि विपणन बोर्ड में मण्डियों की संख्या के मुताबिक बढ़े हुए अफसरों की फौज को कम होने की सम्भावनाओं को देखते हुए ऐसे प्रस्ताव तैयार करते हैं जो कतई गलत हैं और जनहित में नहीं है। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति किशनगढ़ रेनवाल

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

व नरैना दोनों मण्डियों की तोड़ कर कृषि उप मण्डी समिति, जयपुर में मिला दिया जाए।

इसके साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि इसी प्रकार का दोहरा टैक्स राज्य में दूसरी जगह भी लग रहा है तो उसका भी राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराकर छोटी मंडियों को तोड़ कर बड़ी मंडियों में मिलाने की कार्यवाही की जाय ताकि जनता को दोहरा टैक्स नहीं देना पड़े और दिये हुए टैक्स से किसानों को लाभ मिल सके। इस प्रकार राज्य एवं विशेषकर तहसील फुलेरा व तहसील दूदू की जनता में दोहरा टैक्स देने से भारी असतोष व आक्रोश व्याप्त हो रहा है। अतः मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति किशनगढ़–रेनवाल व नरैना को तोड़ कर कृषि उपज मंडी जयपुर में मिला दिया जाए एवं रेनवाल व नरैना में मुख्य यार्ड के स्थान पर सब यार्ड मंडी समिति कायम की जाए। मेरा निवेदन है कि राज्य में सब जगह छोटी छोटी मंडियां हैं। जैसे जयपुर के आसपास के सब व्यापारी जयपुर से माल ले जाते हैं लेकिन वहां दूसरी अलग-मंडियां कायम कर रखी हैं, उनको अलग से टैक्स देना पड़ता है। तो जनता को दोहरा टैक्स देना पड़ता है। यह यहां ही नहीं, पूरे राजस्थान में है। ऐसा सर्वे करवाया जाए और जहां से पूरा व्यापार होता है उस मंडी यार्ड में पूरी तहसील की छोटी मंडी को तोड़ कर बड़ी मंडी में मिला दिया जावे। जहां छोटी मंडिया हैं और जिनका काम नहीं चलता है वे सब यार्ड हो जायेंगी। मंडी के क्षेत्र में मंडी नहीं है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऐसा मेरा निवेदन है कि जो फुलेरा और दूदू में हो रहा है, सर्वे सब जगह कराकर, उनके हालात को देख कर छोटी मंडियों को तोड़ कर बड़ी मडियों में कायम किया जाय। कृषि उपज मंडियों का पुनः सीमांकन करा कर इस पर सरकार विचार करे ताकि जनता को दोहरा टैक्स नहीं देना पड़े, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग-सिंह जी।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना।

(12.45 अपराह्न)

(श्री पंकज पंचौली, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान में 19 जिलों में डाइट के लिये एस.टी.सी. स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत जिला प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) नवलगढ़ को भी क्रमोन्नत कर दिया गया है। वर्तमान में भी यह संस्थान नवलगढ़, जिला झुंझुनू में ही चल रही है। नवलगढ़ में लगातार चलने में भी इस संस्था में कोई बाधा नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश से नवलगढ़ के डाइट संस्थान को झुंझुनूं स्थानान्तरित करने का आदेश देकर नवलगढ़ उप खण्ड की जनता के साथ न्याय नहीं किया गया है। जहां तक जिला मुख्यालयों पर डाइट संस्थान स्थानान्तरित करने का सवाल है उसमें भी समानता नहीं है। मुख्य मंत्रीजी के भीलवाड़ा जिले में प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) स्वीकृत हुआ है

(श्री नवरंग सिंह)

उसका हैडक्वार्टर भीलवाड़ा न रख कर शाहपुरा रखा गया है। इसी तरह सिरोही का माउण्ट आबू, जयपुर का गोनेर, उदयपुर का गोर्धनविलास, झालावाड़ का झालरापाटन, बांसवाड़ा का गढ़ी, अजमेर का ब्यावर तथा पाली का बगड़ी नगर रखा गया है। फिर नवलगढ़ से संस्थान हटाने के आदेश का मतलब है कि राजनैतिक भेदभाव से ऐसा किया जा रहा है। राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के बहाने से नवलगढ़ से संस्थान हटाना न्यायसंगत नहीं है। जहां तक भवन का सवाल है, एस.टी.सी. नवलगढ़ का वर्तमान भवन ठीक और पर्याप्त है। यदि कहीं भवन के बदलने की जरूरत हो तो नवलगढ़ सांवतविक जीवन शाला आदि जो बड़े भवन हैं वे मिल जायेंगे। झुंझुनू में एस.टी.सी. के लिये अभी तक कोई भवन उपलब्ध नहीं है और न किराये पर बड़ा मकान मिल सकता है। वैसे भी ज़िला मुख्यालय पर भवनों का अभाव है। वहां पर राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी को भी कई शिफ्टों में भवन के अभाव में चलाया जा रहा है। यह तर्क भी कि जिला कलक्टर ने संस्थान के लिये 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है, सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिस जमीन को झुंझुनू में अवाप्त होना बताया गया है वह ज़मीन पहले ही शहीद बालूराम के नाम से आवंटित है तथा वहां बालूराम की मूर्ति भी लग चुकी है। अभी तक झुंझुनू में डाइट संस्थान के लिये किसी भी भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है।

नवलगढ़ में मुख्य रोड पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है तथा भवन बनाने के लिये नवलगढ़ की जनता आर्थिक सहायता भी देने के लिये तैयार है। मेरे प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि जनता व जन प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन नहीं आया है। यह कहना बिल्कुल गलत है। मैंने स्वयं व जनता ने कई ज्ञापन सरकार को प्रेषित किये हैं। एक मुख्य बात यह है कि नवलगढ़ एस.टी.सी. में सीकर के छात्र भी अध्ययनरत हैं। नवलगढ़, झुंझुनू और सीकर के बीच में पड़ता है। सीकर में नया डाइट संस्थान खोलने की स्वीकृति है पर वहां भी काम शुरू होने में एक डेढ़ वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। वास्तविकता तो यह है कि मुख्य मंत्रीजी व सिंचाई मंत्रीजी के राजनैतिक भेदभाव के कारण नवलगढ़ के इस संस्थान को बदला जा रहा है जो नवलगढ़ क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अतः नियम 295 के द्वारा मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि क्रमोन्नत शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान नवलगढ़ को यथावत नवलगढ़ में चलने दिया जावे तथा इस संस्थान को स्थानान्तरित करने के आदेश को रद्द किया जावे। इससे पहले भी, सभापति महोदय, मैंने ये सारी सूचनाएं इस सदन को दी हैं लेकिन लगता है कि सरकार राजनैतिक भेदभाव से वहां से एस.टी.सी. स्कूल को हटाना चाहती है। इसलिये मैं सरकार से पुनः पुरजोर शब्दों में यह मांग करना चाहता हूं कि वह स्कूल नवलगढ़ में रखा जाय, नवलगढ़ से हटाया जाय तो कोई नीति निर्धारित की जाय। फिर भीलवाड़ा का भी हैडक्वार्टर पर लाया जाय। वहां राजनैतिक भेदभाव से मंत्री लोगों में इस तरह का अड़ंगा है। केवल इसलिये कि वह मंत्री का हैडक्वार्टर है, मंत्री का क्षेत्र है, झुंझुनू एस.टी.सी. स्कूल

(श्री नवरंग सिंह)

को ले जाया जा रहा है। इसको नवलगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रभुदयाल मीणा। (अनुपस्थित) डा. राजकुमार जयपाल।

श्री राजकुमार जयपाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं।

12 फरवरी, 1988 को बोर्ड भंग हुआ था। तत्पश्चात् 1.9.88 को बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई किन्तु संचालक मण्डल का गठन अभी तक नहीं किया गया है। बोर्ड के पुराने संचालक मण्डल की अन्तिम बैठक 3.12.87 को हुई थी। इस तरह विगत दो वर्षों से बोर्ड में बिना संचालक मण्डल के मनमाने ढंग से कार्य हो रहा है। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा खर्च किये गये लाखों रुपयों की स्वीकृति भी आज तक नहीं ली गई है।

सभापति महोदय, बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री जगमोहन श्रीवास्तव की नियुक्ति 1.9.88 को हुई थी। तब से उन्होंने बोर्ड में मात्र चार माह ही कार्य किया है। शेष समय में वे बोर्ड के खर्चे पर बाहर घूमते रहे हैं और यात्रा भत्ते के रूप में उन्होंने हजारों रुपये बोर्ड से वसूल किये हैं। बोर्ड फण्ड से लगभग तीन हजार रुपये का डिनर सैट अध्यक्ष महोदय के निवास हेतु क्रय किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय में खुद के लिए 3500 रुपये की एक कुर्सी खरीदी जो निश्चय ही एक अपव्यय है। इस कुर्सी को खरीदने के लिए बोर्ड के दो अधिकारी 1500 रुपये का खर्चा करके जयपुर गये और कुर्सी लेकर आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 3500 रुपये की कुर्सी और 1500 रुपये का किराया, यह प्रश्न पहले भी उठाया गया है और अब भी उठ रहा है। न आपकी तरफ से कोई व्यवस्था है, न सरकार जवाब देती है।

श्री राजकुमार जयपाल : अध्यक्ष एवं बोर्ड अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण 30 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें बेकार हो गई, जो निम्न प्रकार हैं:–

1. सामान्य विज्ञान, कक्षा 9, 10
   1,60,000 पुस्तकें
2. सामाजिक ज्ञान, कक्षा 9, 10
   80,000 पुस्तकें
3. बहीखाता, कक्षा 9, 10
   70,000 पुस्तकें
4. व्यापार पद्धति ज्ञान, कक्षा 9, 10
   80,000 पुस्तकें

सभापति महोदय, ये सारी पुस्तकें बेकार पड़ी हैं। सामान्य विज्ञान की 40 हजार पुस्तकों का स्टाक शेष होने के उपरान्त भी बोर्ड के परीक्षा निदेशक सी.एल. बंसल के छोटे भाई प्रणशेखर बंसल द्वारा संचालित फर्म स्नेह प्रिंटर्स, अजमेर से एक लाख बीस हजार पुस्तकें और छपवाने के लिए दी गयी। ये सभी पुस्तकें रद्दी के तौर पर बोर्ड के गोदामों में भरी हुई हैं। इसी भांति वर्ष 1988 में सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा

(श्री राजकुमार जयपाल)

विज्ञान वर्ग की लगभग 60 हजार अक तालिकाएं अधिकारियों की लापरवाही के कारण बेकार हो गई थीं जिसका व्यय भी बोर्ड को भुगतना पड़ा।

सभापति महोदय, बोर्ड अधिकारियों की मनमानी एवं मिलीभगत के परिणाम-स्वरूप मैसर्स प्रेम जनरल स्टोर्स, पुरानी मंडी, अजमेर को लगभग 30 लाख की फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं बनाने हेतु इतनी ही राशि का कागज दे दिया, लेकिन अभी तक चार लाख रुपये का कागज नहीं लौटाया व कागज अभी तक बोर्ड वसूल नहीं कर पाया।

वर्ष 1986 के मार्च माह में ओरिएन्ट पेपर मिल एवं कुछ अन्य मिलों से 6 लाख 35 हजार रुपये मूल्य का 80 मैट्रिक टन कागज बिना टेण्डर के ही खरीद लिया गया। इसी तरह वर्ष 88 के जनवरी माह में भी 15 लाख 60 हजार रुपये मूल्य का दो सौ मैट्रिक टन कागज मनमाने ढंग से बिना टेण्डर के खरीदा गया। कागजों की इस खरीद से पहले ही बोर्ड के स्टाक में पर्याप्त कागज उपलब्ध था। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि 21 लाख 85 हजार रुपये मूल्य का कागज केवल कमीशन के लालच में खरीदा गया था।

बोर्ड अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण 50 हजार रुपये की कीमत के कन्ट्रोल के कागज से भी बोर्ड को वंचित रहना पड़ा। यह कागज जिन व्यापारिक संस्थाओं के पास पड़ा हुआ है उनका विवरण इस प्रकार है:–

प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	58 रीम
इन्दिरा प्रकाशन, जयपुर	24 ,,
विजय बुक डिपो, अलवर	12 ,,
हिन्दी साहित्य मंदिर, अजमेर	27 ,,
जनसेवी, बीकानेर	58 ,,

आज तक भी यह कागज बोर्ड को वसूल नहीं हुआ है।

बोर्ड के अधिकारियों ने समय-समय पर की जाने वाली विभागीय खरीद में ढेरों अनियमितताएं बरती हैं जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ईमानदारी को चुनौती देती है। बोर्ड ने 60 हजार रुपये मूल्य के 14 हजार टाट के थैले भीलवाड़ा की नेमीचन्द एण्ड सन्स कम्पनी से खरीदे। यह कम्पनी सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स विभाग से पंजीकृत नहीं है। इस फर्म का निरीक्षण करने हेतु बोर्ड के अधिकारी गये लेकिन कमीशन खाकर वापिस आ गये। इसी तरह ऊसरी गेट अजमेर स्थित मैसर्स अपराजित ब्रदर्स नामक फर्जी फर्म को मार्च, 88 में 10 लाख 25 हजार रुपये की रद्दी बेची गई। यह फर्म भी सेल्स टैक्स व इन्कम टैक्स विभाग से पंजीकृत नहीं है। इसके प्रोपराइटर सुरेन्द्र अरोड़ा ने बोर्ड को दो नम्बर की राशि का भुगतान किया। इतना ही नहीं, इस फर्म की दरें भी टेण्डर में तीसरे व चौथे नम्बर पर थीं।

बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किये गये घोटालों और घपलों की कड़ी में सितम्बर, 85 में वाउचर नं. 1076/के/सितम्बर के जरिये बोर्ड खाते से तीन हजार रुपये अग्रिम भुगतान के लिए निकाले गये। यह राशि किसे और क्यों दी गई, इसका कागजों पर कोई विवरण नहीं है। प्रति वर्ष बोर्ड द्वारा

(श्री राजकुमार जयपाल)

लगभग 30 लाख रुपयों का भुगतान प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए किया जाता है लेकिन यह भुगतान संबंधित फर्म के नाम चैक द्वारा बिना जांच दिया जाता है। बोर्ड के अधिकारी गोपनीयता का बहाना बना कर सेल्फ चैक द्वारा यह भुगतान करते हैं जिसमें घोटालों की सम्भावना पूरी बनी रहती है।

31 मार्च, 85 को समाप्त हुए सत्र के अन्तर्गत पुस्तिकाओं की सवीक्षा के लिए 57,693 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है किन्तु यह राशि किसे दी गई, इस सवाल को गोपनीयता की ओट में दबा दिया गया। इसी प्रकार 12,682.85 रुपये के एक अन्य भुगतान का तो बिल तक उपलब्ध नहीं है। उधर बोर्ड कार्यालय से वर्ष 1989 में 10 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट ही गायब हो गये। बोर्ड प्रशासन ने इस मामले को रफा–दफा कर दिया और इसके फलस्वरूप बोर्ड को हजारों रुपये ब्याज का नुकसान भुगतना पड़ा। अधिकारीगण उत्तर पुस्तिकाओं को तैयार कराने में भी घपला करते हैं। वर्ष 1985 में तैयार किये गये विवरण के अनुसार 37,84,424 उत्तर पुस्तिकाएं उपयोग में लाना दर्शाया गया है जबकि स्टॉक में 30,80,436 उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गई हैं।

उपर्युक्त घपलों, घोटालों और वित्तीय विसंगतियों को दबाने के लिए बोर्ड ने एक कामचलाऊ वित्तीय अधिकारी को नियुक्त कर रखा है जो केवल एम.काम. है शैक्षणिक योग्यता में। यही अधिकारी बोर्ड के लगभग 15 करोड़ के वार्षिक बजट का लेखा–जोखा रखता है, साथ ही आडिट कराता है। बोर्ड के उच्चाधिकारियों के रहम पर इस वित्तीय अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह बोर्ड के अधिकारियों की घपलेबाजी पर अंकुश लगा सके।

बोर्ड में की जाने वाली नियुक्तियां भी यहां के आन्तरिक प्रशासन में व्याप्त अनियमितताओं को बेनकाब करती हैं। प्रकाशन सलाहकार के पद पर श्री ओ.पी. भार्गव को नियुक्त किया गया। और नियुक्ति में न तो साक्षात्कार हुआ और न ही उक्त पद के लिए योग्यता का ध्यान रखा गया। राज्य सरकार की सेवा से निवृत श्री ओ. पी. भार्गव की यह नियुक्ति किसके इशारे पर की गई और क्यों की गई यह भी एक जांच का विषय है।

राज्य सरकार के पत्रांक–17 (4) शिक्षा–1/84 दिनांक 5.1.88 के अनुसार बोर्ड के सचिव को निर्देश जारी किये गये थे कि बोर्ड ने दिसम्बर, 87 में सहायक निदेशक के तीन पदों पर जिन लोगों को नियुक्त किया है उन्हें अविलम्ब अपने अपने पदों पर पदावनत कर दें। लेकिन बोर्ड के सचिव महोदय ने राज्य सरकार के उक्त निर्देश की परवाह नहीं की और आज तक तदनुसार कार्यवाही नहीं हुई है।

गत वर्ष 1988 के परीक्षा परिणामों में शर्मनाक गड़बड़ियां हुई जिससे बोर्ड की साख धूमिल हुई है। वर्ष 88 की परीक्षा में एक बार घोषित परीक्षा परिणाम के बाद भी लगभग 10 हजार छात्रों के परीक्षा परिणाम में फेरबदल हुआ। इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी वर्ष अंग्रेजी का

(श्री राजकुमार जयपाल)

प्रश्न पत्र गलत ढंग से तैयार किया गया जिसकी उच्च न्यायालय में भी रिट हुई थी।

सभापति महोदय, यह सब जितना भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं विशेष उल्लेख के तहत उठाना चाहता हूं कि आप इन गम्भीर घोटालों की जांच करें और जो भी अधिकारी दोषी हों उनको दण्डित करें।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : सभापति महोदय, राजकुमार ने जो बातें कहीं विशेष उल्लेख के तहत, यह बहुत गम्भीर मामला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीयता के नाम पर लाखों ही नहीं पिछले 10–15 सालों का जितना रेकार्ड अवेलेबल है उसमें करोड़ों के घोटाले निकलेंगे। कम से कम खरीद के नाम पर भयंकर घोटाले हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि विधान सभा की कोई समिति बना कर इसकी जांच करावें क्योंकि फिर स्वायत्तता की बात आएगी। स्वायत्तशाषी संस्थाओं के नाम पर यह कह दिया जाता है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। एक तरफ तो स्वायत्तशासी संस्था की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो दोनों ही परिस्थितयां अपने आप में स्पष्ट नहीं हैं।

अतः मैं यह चाहता हूं कि जो डाक्टर जयपाल ने बात कही है, यह बहुत गम्भीर बात है और इस मसले के ऊपर बहुत गम्भीरता से विचार करते हुए इस बात की जांच की जानी चाहिये और जो बात इन्होंने कही है इसमें काफी दम है।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगनेर) : पाइंट आफ आर्डर। एक बात मैं भी पूछना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदय जब जांच करवायें तो यह भी जांच करवाना जरूरी है कि क्या बोर्ड ने पिछले वर्ष से कोई ऐसे नियम बनाये हैं या सरकार ने बेरोजगारों के लिए ऐसी योजना बनायी है कि जो बोर्ड ने एप्रूव्ड कर दिया या सरकार ने रिकमण्ड कर दिया, जो सैकण्ड्री फैल हैं वे लोग हायर सैकण्डरी की कापियां बोर्ड की जांच कर रहे हैं। जो आब्जेक्टिव् क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन हैं उनको सैम्पल आन्सर्स दे दिये जाते हैं और उन आन्सर्स के आधार पर जो सैकण्ड्री फेल हैं वे हायर सैकण्डरी सब्जेक्ट की कापियां जियाग्राफी और हिस्ट्री जैसी कापियां जांच रहे हैं तो वह क्या न्याय करने वाले हैं। अगर यह मेरी जानकारी सही है तो सरकार इसकी भी जांच करायें और वक्तव्य सरकार इसी सदन में दें क्योंकि यह बच्चों के भविष्य की बात है। माननीय सभापति महोदय, जो फर्स्ट क्लास है वह थर्ड डिवीजन हो जायेगा, सप्लीमेण्टरी आ जायेगा और इससे उल्टा जो फेल होने लायक हैं वे टोप हो जायेंगे। तो यह बच्चों के जीवन, और आजकल तो कम्पीटीशन का जमाना है जहां कहीं भी जाते हैं वहां कम्पीटीशन से एन्ट्री होती है तो ऐसी स्थिति तो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और बड़े बड़े शहरों में अधिकारियों के व्यक्तिगत मकान बने हुए होते हैं उसके बावजूद भी मकान किराये देकर सरकारी आवास में रह रहे हैं ॥ मान्यवर, सरकारी आवंटन के नियम बने हुए हैं उन्हीं के अन्तर्गत मकानों का आवंटन होता है । सभापति महोदय, मेरा गला खराब हो गया है इस–लिए आप इसे पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री सभापति : आपका गला खराब हो गया है तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय । आप चाहते हैं तो पढ़ ले और अगर गला खराब है तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख । मान्यवर, सरकारी आवास आवंटन के नियम बने हुए हैं, उन्हीं के अन्तर्गत मकानों का आवंटन होता है, परन्तु सन् 1982 में श्री जमील हुसैन, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, कोटा में पद स्थापित था और उनका स्वयं का मकान कोटा में होते हुए भी उन्हें मकान नं. के. आर. डब्ल्यू. 02 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर द्वारा आवंटित कर दिया गया जो कतई नियम विपरीत है । उपरोक्त मकान अधिशाषी अभियन्ता के लिए इयरमार्क था और इसी पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता, श्री आर एस. चौरड़िया द्वारा बार–बार मकान आवंटन के लिये लिखने व अधिक्षण अभियन्ता, कोटा के बार–बार लिखने पर भी श्री जमील हुसैन, अधिशाषी अभियन्ता ने मकान खाली नहीं किया और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जमील हुसैन को मकान कोटा में होते हुये भी उन्होंने सरकारी आवास आवंटन कर नियम विपरीत कार्य–वाही की है । अतः इस पूरे प्रकरण की जांच करवा कर इस प्रकार गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे ।

यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसलिए नियम 295 के अन्तर्गत इसे उठाने की अनुमति प्रदान करावें ।

श्री सभापति : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, को–आपरेटिव के क्रय विक्रय के हमारे जो चुनाव हो रहे हैं कोट–पूतली में उसमें काफी गड़बड़ियां हो रही हैं । क्योंकि शाहपुरा क्रय विक्रय की कुछ सोसाइटियां आई परन्तु कोटपूतली क्रय विक्रय संघ ने नोटिस नहीं दिया, न मैम्बर्स को नोटिस दिया, न अखबार में छपाया जबकि कानून में प्रावधान है । उन सोसा–इटीज की जो राशि है वह कौन लें । न शाहपुरा सोसायटी से नाम हटाया क्योंकि कोटपूतली तहसील में पांच सोसायटीज थी और पहले तो 105 रुपये....

श्री सभापति : आप पढ़ें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे से पढ़ा नहीं जायेगा ।

श्री सभापति : नहीं पढ़ सकते तो फिर इसको पढ़ा हुआ मान लिया जायगा ।

एक माननीय सदस्य : जुबानी बोल दें तो कोई बात नहीं है ।

श्री सभापति : नहीं पढ़ सकते, उनको दिक्कत है तो इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जुबानी ही बोल देता हूं। सभापति जी, 105 रुपये, पहले तो मैनेजर, क्रय विक्रय ने कहा, 105 रुपये के सदस्य एक हजार बना लिये और मैनेजर ने यह कहा कि जिसकी जमीन होगी वही सदस्य रहेगा। इतना बड़ा अन्याय किया है जनता के साथ में कि 105 रुपये जमीन के लिए पहले तो दूसरी तारीख दी और फिर अपने आप ही और दूसरी तारीख बढ़ा दी। मैं समझता हूं वहां पर अपने आप चुनाव करवाये गये और मिनिस्टर साहब से हमने कहा कि साहब यह सारी प्रक्रिया दुबारा होनी चाहिये। तो वे कहते हैं कि हम तो मैम्बर बन गये सो बन गये। भई, यह क्या मैम्बर, किसी को पता ही नहीं है, अखबार में छपा नहीं है, नोटिस नहीं है, गांव में नोटिस नहीं है, चिपकाया नहीं है, न सोसायटीज में नोटिस चिपकाया और इस तरह की धांधलियां कर रहे हैं। तो सभापति जी, मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि सारी की सारी प्रक्रिया क्रय विक्रय की दुबारा होनी चाहिये।

श्री सभापति : आपके पास जो लिखा हुआ है वह यहां दे दें। माननीय श्री माणक डाणी।

श्री माणक डाणी : यस सर।

श्री सभापति : आप तो ऐसे बोलें जैसे स्कूल में कोई विद्यार्थी बोलता है।

श्री माणक डाणी : इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा दूर बैठा था।

श्री सभापति : मुझे ऐसा लगा कि मैं यहां पर हैड मास्टर बैठा हूं।

श्री माणक डाणी : वैसे सारी गाइडेंस तो आप ही देते हैं।

श्री सभापति : कृपया बोलें। आर्डर प्लीज।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उल्लेख है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 285 नहीं 295 के तहत बोलो।

श्री माणक डाणी : 295 ही बोला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने अभी 285 पढ़ा था।

श्री माणक डाणी : जी नहीं, 295 पढ़ा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जरा शुद्ध बोला कीजिये।

श्री माणक डाणी : कोई बात नहीं है, आप +++ निकलवा लो।

श्री डूंगरराम पंवार : कोई बात नहीं है, आप 840 बोल दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपनी जुबान को शुद्ध कर लो, मेरे +++ नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री माणक डाणी : मैं भी शुद्ध कर रहा हूं और आप भी +++ ।

श्री सभापति : माणकजी सुनने की गलती हो सकती है पर आप भी ऐसा नहीं कहें। यह आपने ठीक नहीं कहा, +++की बात ठीक नहीं कही। +++वाली बात को एक्सपंज कर दीजिए।

श्री माणक डाणी : मैं वापस लेता हूं जो शब्द मैंने कहे हैं।

विशेष उल्लेख है कि आजादी के 37 वर्ष पूरे होने पर इस देश में सर्वत्र रजत जयंजी समारोह जगह-जगह आयोजित किये गये। सभापति महोदय, स्वतंत्रता की रजत जयंती के उपलक्ष्य में 1972 का मामला प्रस्तुत कर रहा हूं, आप आश्चर्य करेंगे कि क्या मजाक बनी रखी है इन गरीब लोगों के साथ में, आवासहीनों के साथ में। राजस्थान में स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में वर्ष 1972 में जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतें देलवाड़ा एवं नून्दी मेंद्रातान के द्वारा उनके गांवों में अल्प आय वर्ग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवासहीनों को 100-100 रुपये भूमि का अनुदान (चन्दा) लिये जाकर लगभग 1143 व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये गये। इन पट्टेधारियों ने पत्थरगढ़ी के आधार पर कब्जे भी प्राप्त कर लिये। यहां तक कि सैकड़ों परिवारों ने मकानों का निर्माण कर लिया।

ग्राम पंचायत देलवाड़ा में 851 व्यक्तियों को पट्टे खसरा नं. 159 के रकबा 98 बीघा 15 बिस्वा भूमि को आबादी में परिरर्तन करके 20 गुना लगान नियमानुसार जमा करके आवंटित कर दिये लेकिन सभापति महोदय, मात्र टाइपिस्ट की गलती आप देखिए, टाइपिस्ट की गलती के कारण नम्बर 6 छाप जाने के कारण ये लोग सारे आज तक रोते जा रहे हैं। सभापति महोदय, टाइपिस्ट की गलती से टंकण करते समय खसरा नं. 159 के बजाय 169 टंकित हो गया जबकि 20 गुना लगान 98 बीघा 15 बिस्वा भूमि का जमा हुआ। पत्थरगढ़ी इसी खसरा नं. 159 में हुई और कब्जे इसी 159 में प्राप्त किये जबकि खसरा नं. 169 में मात्र 2 बिस्वा जमीन ही है जिनको लगभग 851 व्यक्तियों को पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। लेकिन आबादी में परिवर्तन की पुष्टि के लिए यह मामला जिलाधीश के यहां प्रेषित किया गया तब जिलाधीश ने आवंटन की कार्यवाही 159 की जगह 169 होने के कारण उन्होंने कम्पलीट आवंटन की कार्यवाही को गलत मानते हुए 12.11.1975 के द्वारा आवंटन के आदेश को निरस्त कर दिया तथा उन्होंने इन आदेशों की पुष्टि हेतु मामला धारा 75 (2) राजस्थान पंचायत अधिनियम में राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के यहां प्रेषित हुआ जहां मामले की सुनवाई प्रारम्भ होने पर कहा गया कि जिलाधीश, अजमेर ने जो राजस्व अपील अधिकारी का जैसा नोटिस है उस जजमेंट की जिलाधीश, अजमेर ने बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये आवंटन निरस्त कर दिये जबकि जिस भूमि को आबादी भूमि में रूपांतरित कर पट्टे आवंटन किये थे उसका खसरा नं. 159 रकबा 98 बीघा 15 बिस्वा है।....

+++ अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री माणक डाणी)

मगर उप जिलाधीश, ब्यावर के आदेश दिनांक 23.8.72 में इस भूमि के खसरा नं. 159 के स्थान पर 169 टंकित हो गया। जिस जिलाधीश ने यह कार्यवाही कर दी, उसको कोई दण्ड नहीं मिला, उन गरीबों को, दण्ड मिला जिन्होंने पट्टे प्राप्त कर लिये, पैसे जमा करा दिये। यह सोच करके कि इस देश में स्वतंत्रता की 25वीं जयंती मनायी जा रही है। हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं लेकिन आजाद भारत के प्रति उन लोगों के मन में क्या शंका पैदा की। वहां के उप जिलाधीश ने, इस देश की नौकरशाही ने। उसका हवाला सभापति महोदय, इस प्रकरण में देखिए आप। राजस्व अपील अधिकारी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जिलाधीश, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक. क. अ./पं./87/10338–41, दिनांक 12.11.75 की पुष्टि के अन्तर्गत धारा 75 (2) राजस्थान पंचायत अधिनियम करना सम्भव नहीं होने से इन आदेशों को निरस्त करते हुए विचाराधीन प्रकरण जिलाधीश, अजमेर को लौटा दिया कि वे ग्राम पंचायत देलवाड़ा व अलाटीज को अपना पक्ष पुनः प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नियमानुसार आदेश प्रसारित करें। इसी प्रकार रजत जयंती का दूसरा प्रकरण, इसी प्रकार ग्राम पंचायत नूंद्री मेंद्रातान में 292 आवासहीनों को प्लाट आवंटित किये गये। तथा इस भूमि के आदेश संख्या 864, दिनांक 2.8.72 द्वारा भूमि आबादी विस्तार हेतु दे दी गई लेकिन चरागाह भूमि दर्ज होने के कारण उप जिलाधीश ने 2.9.75 को आबादी के विस्तार हेतु दे दी गयी थी....(व्यवधान) सभापति महोदय, क्यों कष्ट करते हैं ? नीचे ही नीचे का लास्ट पैराग्राफ की छठी सातवीं लाइन पर, उसी पर मैं बोल रहा हूं।

जिससे 292 पट्टेधारी प्रभावित हुए। राजस्व अपील अधिकारी, कोर्ट नं. 1 के यहां अपील करने पर कोर्ट द्वारा दिनांक 4.5.79 को उप जिला–अधिकारी, ब्यावर के पास पुनः रिमाइण्ड किया गया। उप खण्ड अधिकारी, ने इस मामले के पुनः सुनवाई कर 31.8.84 को खसरा नं. 251 के रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा व खतरा नं. 257 के रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा जमीन को आबादी के लिए दी गयी भूमि नियमानुसार सही मानी है। यह वही उप जिलाधीश हैं, जिन्होंने 74 में तो आबादी भूमि को नहीं माना और पट्टे को रद्द करने की बात कही और उन्होंने ही 79 में इसी को कन्टीन्यू मान करके भूमि को नियमानुसार मानते हुए....। चूंकि अन्य मामलों में मामला जिलाधीश, अजमेर को रिमाइण्ड किया गया इस मामले के निर्णय की प्रति साथ पत्रावली जिलाधीश, अजमेर को उनके निर्णय हेतु पुनः भेजी गई है। महोदय, उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में आवासहीनों आवंटित भूमि को 17 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन आवासहीनों को इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ रहे है। मामला पेंडिंग पड़ा है। इन दोनों मामलों के शीघ्र निस्तारण होने पर 1143 आवासहीनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इन आवासहीनों के पास ग्राम पंचायतों के पट्टे होने के बावजूद मकान नहीं बना पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के इस आवंटन को पंचायत समिति ज्वाजा की आज्ञा संख्या 12166, दिनांक 21.12.1972 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था तथा ये पट्टे $30 \times 40 = 1200$

(श्री माणक डाणी)

वर्ग फुट के थे जिनकी आज अच्छी कीमत हो जाने के कारण कई लोगों की बुरी नजरें इन जमीनों पर लगी हुई है सभापति महोदय, ब्यावर के कई लोग चाहते हैं कि गरीबों की इन जमीनों पर कब्जा करके स्वयं के मकान बना लें और इसमें कई लोगों का, तहसील और उपखण्डअधिकारियों का हाथ है। इसलिये वह नहीं चाहते कि इस मामले का जल्दी सुलटारा हो। आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि उक्त प्लाटधारियों में भारी असंतोष व्याप्त होता जा रहा है, कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। गरीब एवं अनुसूचित जाति के आवासहीन व्यक्ति भूख हड़ताल, धरने एवं आमरण अनशन की तैयारी पर हैं। कृपया तत्काल ही इन मामलों को निपटाया जाये व स्वतन्त्रता की रजत ज्यंती के उपलक्ष्य में आवंटित किये गए प्लाटधारियों के मन में स्वतन्त्रता के प्रति एक विश्वास पैदा हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र जाट।

श्री माणक डाणी : मैं सभापति महोदय, अंतिम एक ही बात कहता हूं कि यह पट्टे मेरे पास मौजूद हैं जो उन लोगों को दिये गये। लेकिन आज तक यह सब पट्टे कागजों में हैं। पट्टे के बाद न तो उनको मकान बनाने की परमीशन मिल पायी, मैं राजस्व मन्त्री महोदय से कहता हूं कि वह इस मामले में इन्ट्रेस्ट लें और इन्ट्रेस्ट लेकर के उनको कब्जा दिलायें ताकि केन्द्र सरकार जिस देश के अन्दर रजत जयंती वर्ष मना रही है स्वतन्त्रता की....

श्री सभापति : भाषण नहीं दें। आप बोल लिये, बार-बार कह दिया आपने इस बात को।

श्री माणक डाणी : उसमें राज्य सरकार को फायदा होगा और उसका सपोर्ट मिलेगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र जाट।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत गुलाबपुरा रेफरल अस्पताल के नव निर्मित भवन का लम्बी प्रतीक्षा के बाद भी उद्घाटन रस्म के अभाव में न ले सकने के कारण उत्पन्न जन-असंतोष पर राज्य सरकार की विशेष उल्लेख के रूप में निम्न प्रकार से जानकारी देना चाहूंगा। करीब आठ वर्ष के लम्बे अन्तराल के पश्चात् निर्मित हुए गुलाबपुरा रेफरल अस्पताल की इमारत अपने भाग्य पर रो रही है। सजी-धजी नई नवेली दुल्हन के समान बड़ी आतुरता से उस प्रियतम का इन्तजार कर रही है, जो कब तलवार रूपी कैंची लेकर उसके द्वार पर आकर तोरण मार कर उसके कुंआरे प्रांगण में गुलाबपुरा व आस–पास के क्षेत्र की बीमार जनता को रेफरल अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गृहस्थ धर्म की उपादेयता प्रदान कर सके। भीलवाड़ा जिले के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर के मंत्रिमण्डल में ऐसे रणबांकुरे मंत्रियों की कोई कमी नहीं है इस नवनिर्मित रेफरल अस्पताल की उद्घाटन रस्म पूरी कर दे। परन्तु श्री माथुर के चहेते दो दिग्गज नेताओं की ओर से हरी भण्डी नहीं मिलने से कोई इस कार्य हेतु साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के

(श्री म.एल. डांगी)

जिला प्रमुख स्वयं इस भवन का उद्घाटन करने हेतु लालायित हैं, परन्तु दूसरी ओर एक भूतपूर्व राज्य मन्त्री अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में ताल ठोंक कर ललकार कर रहे हैं कि वे अपने शिकारगाह में अन्य किसी को भी आखेट नहीं खेलने देंगे। उक्त भूतपूर्व राज्य मन्त्री शिलान्यास उद्घाटन के इतने आदी हो गये हैं कि जब भी अवसर मिले, चाहे ग्राम पंचायत का भवन हो, चाहे प्राथमिक शाला का चाहे सब सेंटर का नया भवन हो, चाहे सहकारी गोदाम की इमारत हो, अपने नाम की यशगाथा नाम पट्टियों में अंकित होने देने में कोई चूक नहीं करते। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार इन भूतपूर्व मन्त्री जी से ही उद्घाटन की रस्म सम्पन्न कराने का आदेश दें, जिससे कम से कम नये भवन की रेफरल अस्पताल की सभी सुविधाओं का तो लाभ क्षेत्र की जनता को शीघ्र मिल सके। मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेफरल अस्पताल के नये भवन में स्थानांतरित हो जाने पर भी गुलाबपुरा में वर्तमान अस्पताल भवन में एक सिटी-डिस्पेंसरी स्वीकृत करने की आवश्यकता निहायत जरूरी है। गुलाबपुरा के रेफरल अस्पताल में पर्याप्त सुविधाओं का अब भी अभाव है। दवाइयों का बजट पूरा नहीं है, कुछ डाक्टरों के बर्षों से वहां नियुक्त रहने से निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गये हैं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही रेफरल अस्पताल को नये भवन में स्थानांतरित कराने का आदेश देते हुए वहां पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध करावें, और गुलाबपुरा में एक नई सिटी डिस्पेंसरी की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें जिससे छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज डिस्पेंसरी में ही हो सकें। यदि नयी डिस्पेंसरी की स्वीकृति निकट भविष्य में सम्भव नहीं हो, तो रेफरल अस्पताल के डाक्टरों में से एक मेडिकल आफिसर को वर्तमान भवन में ही इन्चार्ज, डिस्पेन्सरी के रूप में ही कार्य करने देवें, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जगत सिंह दायमा... (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत बानसूर में बाईपास बनवाने के लिये विशेष उल्लेख के द्वारा मेरी सरकार से मांग है।

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बे बानसूर में भारी मात्रा में ट्रैफिक का आवागमन रहता है क्योंकि ट्रैफिक का रास्ता नगर के बीचोंबीच है। हर तीन चार घण्टे में.... सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, आप थोड़ा उनको ध्यान दिला दें तो मेरा काम बन जाये।

श्री सभापति : बोलें आप।

श्री जगतसिंह दायमा : हर तीन घंटे में एक बार अवश्य ट्रैफिक के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक जाम के कारण आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी व अन्य व्यक्ति, जिन्हें कहीं समय पर पहुंचना होता है, वह अपने कार्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच सकते। हर दिन वहां गाड़ियों की काफी तेज रफ्तार से से दो चार छोटी-मोटी दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। आम जन मानस को हर वक्त अपने जानमाल का खतरा बना रहता है। अत: मैं सरकार का ध्यान 295 के तहत

(श्री जगतसिंह दायमा)

विशेष उल्लेख द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक बाईपास रोड, रास्ते से बाहर से बनवाया जाय जिससे इस समस्या का निराकरण हो; लोगों को राहत पहुं–चायी जाये। सभापति महोदय, वहां पर बहुत भारी ट्रैफिक हो जाने के कारण वास्तव में जानमाल का खतरा हर वक्त बना रहता है, सार्वजनिक मंत्री महोदय कल्ला साहब, यहां बैठे हैं, यह ज्यादा की मांग भी नहीं है और दो–चार पांच लाख रुपये का एक छोटा–सा झटका है। अगर आप कह दें, यह काम हो जायेगा। इतना पैसा अगर आप खर्च कर देते हैं, दो-चार-पांच लाख रुपये की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : कृपया देखें इस बारे में। श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापतिजी, अब तो आप निर्देश दे दीजिए, मंत्रीजी हाजिर हैं।

श्री सभापति : मैं उनको अपनी सीट पर देख रहा था।

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम पुकारा साहब ?

श्री सभापति : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री हरलालसिंह खर्रा बोला है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधो–पुर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया बोलें।

श्री हरलालसिंह खर्रा : पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) में गैर कांग्रेसी सर–पंचों के साथ राज्य सरकार व प्रधान द्वारा गैर कानूनी व नियम विरुद्ध राजनीतिक द्वेषता के कारण कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति पर। महोदय, उपरोक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि एक तरफ तो सरकार पंचा-यत राज को मजबूत करने का ढोंग रचती है और दूसरी तरफ राजनैतिक बदले की भावना से नियम व कानूनों को ताक में रखकर सरपंचों को परेशान कर रही है जिसके कुछ उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूं:–

(1) ग्राम पंचायत अजीतगढ़ के सर–पंच जो कि तीनों बार में राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से सरपंच निर्वाचित हुए हैं, उनके खिलाफ राजनैतिक द्वेषता के कारण कई झूठे मुकदमे बनाये गये और यहां तक कि उनका चालान 110 में भी किया गया लेकिन फिर भी वे इस बार एक हजार से अधिक वोटों से विजयी रहे हैं और यही नहीं, फिर उन्हें सस्पेण्ड भी किया गया लेकिन न्यायालय द्वारा सारे केसों में बाइज्जत बरी रहे, यह कहां का न्याय है ?

(1) इसी तरह मैंने इस सत्र में एक प्रश्न रखा था जो दिनांक 19.7.89 को 421 नम्बर पर था परन्तु उसका जवाब तक नहीं दिया गया। एक तरफ तो सर-कार सही ढंग से कार्य करने वाले सरपंचों को परेशान करती है दूसरी तरफ ग्राम पंचायत कोटड़ी (सिमारला), जहां सरपंच के साथ कोई भी पंच नहीं है, उसको मन–माने ढंग से कार्य करने दे रही है। यहां तक कि शिकायत करने पर भी, जिसमें खुला गबन है, जांच तक नहीं करती और

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

एन.आर.पी. में पहले भी और अब जो आपने जवाहर रोजगार योजना चालू की है उसमें भी वह व्यक्ति अकेला पंचायत के बहुमत के खिलाफ मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है।

(3) सरपंचों और पंचों को निलम्बित करने का पंचायत कानून में स्पष्ट प्रावधान है परन्तु कानून की अवहेलना कर राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत कोटड़ा (सिमाराला) के हरिजन पंच को नोटिस तक नहीं दिया न ही जांच कराई गई। उसको राज्य सरकार ने रात के ग्यारह बजे निलम्बित किया क्यों दूसरे दिन सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और 16 में से 12 पंच सरपंच के खिलाफ थे। इसलिए उस पंच को रात को सस्पेण्ड करके ए.डी.डी.ओ. सीकर को स्पेशली कहकर सुबह सात बजे तहसीलदार, जो कि चुनाव अधिकारी था, उसके यहां भेजा गया और उसको नोटेड कराया गया या लिखित में दिया गया कि इस पंच का अविश्वास में वोट नहीं लगेगा। यह कहां का न्याय है? इसी तरह से अब मैंने सुना है कि अभी 18 जुलाई को हमारी ग्राम पंचायत नाथूसर के सरपंच की जो कि पुराने समय से दस-बारह साल पहले सरपंच थे, कोई एक साधारण केस था जिसकी न तो उसको चार्जशीट दी गई और न उसके जवाब पर कोई गौर किया गया, सस्पेण्ड या तो कर दिया गया हैं या करने जा रही है, इस राज्य का इस तरह का व्यवहार न्यायसंगत नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत, मुण्डरू के पंचायत के बिना प्रस्ताव के ही पंचायत समिति द्वारा खेल में कोठा खुरमपुरा में बनाने की कृषि भूमि में मंजूरी दी व उप सरपंच द्वारा खाते की जमीन में वह कार्य शुरू कर दिया गया। मैं समझता हूं यह गैर कानूनी था और उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी तक तो उसका पैसा चुकाया नहीं गया है, मेरी मांग है कि उसका पैसा पेमेण्ट नहीं किया जाये।

(5) गत वर्ष नई पंचायत समिति बनने के बाद जो सरपंच हार गये थे और जिन्होंने एन.आई.ई.पी. और जी.एल.आई.ई.पी. में पंचायत समिति से स्वीकृत शुदा कार्य करवाये थे जिनके कार्य पूरा होने की रिपोर्ट पंचायत समिति के जे.ई.एन. ने दी थी, उनको भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। एक साल से भी अधिक अरसा हो गया, उन सरपचों की हालत खस्ता हो रही है, मजदूर उन्हें परेशान कर रहे हैं। अतः मेरी मांग है कि उनको जे.ई.एन. की रिपोर्ट के मुताबिक तुरन्त पेमेण्ट कराया जाय।

इसी प्रकार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में अनेक उदाहरण हैं। मैं राज्य सरकार द्वारा, वहां के प्रधान द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने व नियमों को ताक में रखकर राजनीतिक बदले की भावना से कार्य कर रहे कर्मों की जांच कराने की मांग करता हूं जिसमें वहां के भूतपूर्व विधायक का हाथ है, जो सरकार से गलत कार्य करवाकर राजनीतिक व आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। उस सम्बन्ध में वहां के विरोधी सरपचों ने मुख्यमंत्रीजी को और मंत्रीजी को भी भूतपूर्व विधायक के खिलाफ उनके कारनामों की शिकायत की थी जिनकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। अतः मैं राज्य

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

सरकार से निवेदन करता हूं कि उसकी जांच करवाई जाय और उपरोक्त जो प्रधान के कारनामे हैं उनकी भी जांच करवाकर जनता में जो आक्रोश है उसको निबटें वरना वह आगे जाकर भयंकर रूप धारण कर लेगी जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत निम्न मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले वर्ष राजस्थानी फिल्मों पर राज्य सरकार की ओर से 75 प्रतिशत कर मुक्ति की घोषणा की गई थी जिससे प्रेरित होकर निर्माताओं ने लगभग 25 राजस्थानी फिल्में बनाने की घोषणा कर दी जिनमें से लगभग दस फिल्में तैयार भी पड़ी हैं लेकिन कुछ समय पश्चात् राजस्थान सरकार ने....

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, माननीय नाथू सिंहजी खुद राजस्थानी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, खुद प्रसिद्ध अभिनेता हैं ...

श्री सभापति : यह किस-किस फिल्म में अभिनेता हैं, मुझे मालूम नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : नेता अलग है, अभिनेता अलग हैं।

श्री सभापति : माननीय नाथू सिंहजी, आप अभिनेता भी हैं, हमें आज ज्ञात हुआ। हम तो आपको आज तक नेता ही मानते थे।

श्री नाथू सिंह : आप फिल्में देख लेंगे, फिर पता लग जायेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : इनकी फिल्मों में अभिनेत्री भी काम कर रही है क्या ?

श्री सभापति : एक सदस्य कह रहे थे, अभिनेत्री को तो मैं नहीं जानता, इनको जानता हूं।

श्री नाथू सिंह : जब अभिनेता होगा तो अभिनेत्री जरूर होगी।

श्री सभापति : वे यह कह रहे हैं आपसे। पढ़ें इसको।

श्री नाथू सिंह : जिनमें से लगभग दस फिल्में तैयार भी पड़ी हैं लेकिन कुछ समय पश्चात् राजस्थान सरकार ने इस छूट को घटाकर मात्र 25 प्रतिशत ही कर दी इससे राजस्थानी फिल्मों का भविष्य अंधकार में हो गया। दूसरे प्रदेशों की स्थिति यदि देखी जाय तो कर मुक्ति ही नहीं, बल्कि वहां की भाषा की फिल्मों को सहायता भी प्रदान करती है। गुजरात सरकार गुजराती फिल्मों पर तीन लाख रुपये की सहायता व सत्तर प्रतिशत कर मुक्ति की छूट भी देती है। महाराष्ट्र में पहली फिल्म पर 75 प्रतिशत व दूसरी फिल्म पर सौ प्रतिशत करों में छूट दी जाती है। आन्ध्र प्रदेश में दो लाख रुपये की सहायता व सत्तर प्रतिशत करों में छूट दी जाती है। राजस्थानी भाषा एवं यहां की संस्कृति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राजस्थानी फिल्में अधिक से अधिक बनाई जाय। यह तभी सम्भव है जबकि

(श्री नाथूसिंह)

राज्य सरकार सौ प्रतिशत करों में छूट दें। करों में छूट न देने से, निर्माताओं एवं जनता में रोष है। सभापति महोदय, इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं इस पर पुनर्विचार करें और राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए करों में छूट दी जावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : छूट देंगे तब आप अभिनेता का रोल अदा करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह नाथूसिंहजी जिस फिल्म में आते हैं उसको तो छूट दे दो।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि नाथूसिंहजी जिस फिल्म में हों उसको तो छूट दे दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह उस लाइन में, पड़ जायें तो आपका भी पीछा छूट जाये।

श्री सभापति : कई लोगों का पीछा छूट जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : डाणीजी भी अभिनेता हैं। यहां पर कल उन्होंने सारी दिक्कत बताई थी। इन्हें भी दिक्कत मालूम थी तो आज आ गये। अब सरकार सुन ले तो इनका काम हो जाये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मौसी का काम तो आप कर लेंगी ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो दादी का भी कर लूं पर आप करावो तो सही।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नोखा जिला बीकानेर में एक लम्बे अर्से से वहां पर महाविद्यालय खोलने की माग चल रही है जो काफी लम्बे अर्से से मांग है। महोदय, बीकानेर जिले की तहसील नोखा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। महाविद्यालय भवन बन कर तैयार है। बाबा श्री छोटूनाथजी के नाम से महाविद्यालय भवन का निर्माण सेठ श्री मांगीलालजी बागड़ी ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य सम्पूर्ण करवा दिया है और जितनी भी सुविधा महाविद्यालय के लिये होनी चाहिये सब दृष्टि से उपलब्ध है।

नोखा में महाविद्यालय खोलने से इसके अधिनस्थ लगभग 15 सेकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों को लाभ होगा। इतना ही नहीं नोखा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 45 मिडिल स्कूल हैं, जिनके विद्यार्थियों का सीधा सम्बन्ध इस नोखा महाविद्यालय से होगा।

नोखा से बीकानेर लगभग 65 किलोमीटर है और नोखा से नागौर लगभग 45 मीटर से अधिक है इस ग्रामीण क्षेत्र में नोखा कस्बा बीच में है और बहुत ही अच्छी मण्डी है व्यापारिक दृष्टि से भी नोखा मण्डी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत ही होनहार एवं जागरुक हैं परन्तु खेद है कि नोखा में महाविद्यालय न होने के कारण शिक्षा के सम्बन्ध में भारी निराशा है। यह क्षेत्र लगभग ढाई लाख से अधिक जनसंख्या का इलाका है। जिसमें विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिससे विद्यार्थी का नया जीवन बनता है वहां महाविद्यालय न खोलकर भारी उपेक्षा बरती जा रही है। जिससे इस क्षेत्र की जनता व विद्यार्थी वर्ग में भारी असंतोष, आक्रोष व रोष फैलता जा रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि नोखा में समय रहते महाविद्यालय खोलने का तत्काल आदेश दे देना चाहिये। यह मामला शिक्षा मंत्रीजी से सम्बन्ध रखता है। अतः मैं नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि नोखा में महाविद्यालय खोला जाय।

श्री सभापति : डाक्टर उजला अरोडा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, उन दोनों को तो अलग–अलग करो कैसे जोड़कर बैठे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप आगे पधारें। विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि आप यहां अच्छे लगते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किसकी बगल में जाकर बैठ गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एम.एल.ए. की।

श्री नाथूसिंह : शुक्र है वहां बीना जी नहीं बैठी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के रूप में निवेदन करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में चार दरवाजे बाहर मण्डी खटीकान विस्तार क्षेत्र में एक रामपुरी हरिजन बस्ती जे.डी.ए. क्षेत्र में अवस्थित है। इस बस्ती में जे.डी.ए. के रिकार्ड के अनुसार 142 आवास हैं। यह बस्ती जब जयपुर बसा और मण्डी खटीकान बसी सम्भवतः उसी समय की बसी हुई है। वर्ष 1968 में इस बस्ती में आग लगी। जिनमें से 24 मकानों में ज्यादा आग लगी थी उनमें से जो ज्यादा जल गये थे 14 मकानों को तत्कालीन यू.आई.टी. ने अलाटमेण्ट कर दिया है। बाकी यों के यों ही रह गये। यह ऐसी बस्ती है जो सर्वे टीम की नजर से छूट गयी। 1971 में सर्वे हुआ, 1981 में भी सर्वे हुआ पर यह बस्ती उनकी नजर से चूक गई और उसमें सर्वे नम्बर वहां डाले नहीं गये। उन सब के नाम 1971 की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। बहुत कहने सुनने से 1981 में यू. आई. टी. ने यहां कैम्प लगाया और प्रमाण मांगे। राशनकार्ड, बिजली के बिल, वोटर लिस्ट और नम्बर, नाम आदि जो भी थे सब दे दिये। उसके बाद कूंचा उखाड़ जमीन होने की रिपोर्ट भी पटवारी ने की जो फाइल पर है। परन्तु खेद है कि उन्हें बसाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक ओर तो सरकार हरिजन सहायता का ढिंढोरा पीटती है और दूसरी ओर देखें तो यह स्थिति आपके सामने है उनके पास 250 वर्ष पुराने प्रमाण हैं, पीढ़ियां गुजर गई, पर न सड़क है, न नाली है, न बिजली है, न पानी है। उनके साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है। मैंने उस समय के सन् 71 के चीफ सेक्रेटरी श्री सुन्दरलाल खुराना से जब वह सर्वे से चूक गये थे, आग्रह किया था कि यहां सर्वे दुबारा कराया जाय पर नहीं कराया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप यह देखें मिठठी चनलाराम के पास 1965 का राशनकार्ड हैं, किशोरीराम चन्दाराम के पास नगर परिषद् की रसीद नं 1971 की है और उससे पहले की है। नेनूराम चंदाराम के पास राशनकार्ड है।

श्री सभापति : बहुत बड़ी सूची है आप सदन की मेज पर रख दें। आपका प्रस्ताव हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें सभापति महोदय लिखा है सम-अप करने का। आप पढ़ लें। सम अप तो करूंगी, मैं सम-अप करूंगी। नाम नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो मुझे कह लेने दें कि 1971 की वोटर लिस्ट का नम्बर नाम सहित मैं प्रस्तुत कर रही हूं और मैं राशन कार्ड के नम्बर नाम सहित प्रस्तुत कर रही हूं....

श्री सभापति : आप सदन की मेज पर रख दें। आपने प्रस्ताव पढ़ लिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और नगर परिषद् की उस समय जो मकानों पर प्लेट लगती थी वह नम्बर भी उन पर लगे हुए हैं। वह नम्बर इसमें लिखे हुए हैं। वह प्रस्तुत करती है। इस तरह जो लोग यहां रहते हैं यह सारे तथ्य आपके सामने रखती हूं। आप कहते हैं तो सारे नाम नहीं पढ़ती। यह देखेंगे कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। मेरा फिर भी आग्रह है आप देखेंगे यह आपके सामने है। इसका एक प्रश्न था जिसका 19 तारीख को यहां उत्तर दिया गया "उक्त बस्ती को विकसित कर बसाये जाने की योजना जे. डी. ए के विचाराधीन नहीं है जे.डी.ए. के द्वारा केवल सर्वे की हुई बस्तियों का ही विकास किया जाता है। मुझे दुख इस बात का हुआ और मैंने रखा भी इसीलिए है कि जब जे. डी. ए. क्षेत्र में बस्ती आती है और 142 आवास बने हुए हैं। जब इनके पास पूरे तथ्य हैं तो इसका विकास जे.डी.ए. क्यों नहीं करता। मैं कहना चाहूंगी कि... फिर भी मेरा आग्रह है कि जैसे जयपुर नगर में ही सूर्य नगर की गौतम पुरी कच्ची बस्ती के जो सर्वे नम्बर रह गये थे लेकिन फिर भी इनका विकास जे. डी. ए. ने कराया, इस बस्ती का भी विकास कराया जाये। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि एक श्री-श्री हरिजन बस्ती है और मण्डी खटीकान है, के विस्तार क्षेत्र में नजर से चूक गई होगी लेकिन चूक गई तो इसका मतलब यह पाकिस्तान की बस्ती तो नहीं है, है तो जयपुर की ही बस्ती। इसका विकास क्यों नहीं करवाया जा रहा है ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं उनसे आग्रह करूंगी कहीं लिख रहे हो तो कि इस हरिजन बस्ती का विकास शीघ्र से शीघ्र कराया जाये क्योंकि इसका एरिया जो है वह ज्यादा बड़ा नहीं है। हरिजनों के मकान छोटे–छोटे होते हैं यह बहुत छोटी बस्ती है इसका विकास तत्कालिक रूप से कराया जाये।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी बिजली और सड़कों और इन्हें पट्टे देकर इन्हें व्यवस्थित रूप से बसाया जाये, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गंगा यमुना नदियों के जल बंटवारे में राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होने से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री डूंगरराम पंवार : मेरा 295 में है, मेरा कहा गया।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है। अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी उसमें नहीं है। कृपया बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, जिस दिन यहां सिंचाई की मांग पर बहस हो रही थी उस दिन यह बात सामने आई थी....

श्री सभापति : मंत्री महोदय....

श्री यदुनाथ सिंह : यह जवाब देंगे ? मेरा ध्यानाकर्षण तो मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से है। मुख्य मंत्री जी भी नहीं है तो सिंचाई मंत्री जी आ जाओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। सरकार की ओर से कौन है।

श्री यदुनाथ सिंह : जाल में मत फंस जाना। यह विषय अन्तर्राज्जयीय नदी जल विवाद का है। इस पर मुझे बड़ा खेद है सभापति महोदय, मुख्य मंत्री मौजूद है, सिंचाई मंत्री मौजूद हैं, आप बुलवा लें। यह घोषणा करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं केसाऊ डेम का हमने तय कर लिया, टिहरी डेम में पैसे लेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिप्लाई शुरू होगा तब मुख्य मंत्री आ जायेंगे, सुन लीजिए आप।

श्री यदुनाथ सिंह : जब वह सुनेंगे नहीं तो क्या रिप्लाई देंगे।

श्री नवरंग सिंह : जब सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री नहीं है तो क्या जवाब देंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय....

श्री सभापति : यदुनाथ जी सक्षम हैं अपनी बात कहने में।

श्री नवरंग सिंह : हमारे जिले का भी काम है। सिंचाई मंत्री वहां कुछ कहते हैं और यहां कुछ आश्वासन नहीं देते हैं।

श्री सभापति : मैंने खुद इस बात का नोटिस लिया है और मैंने यह बात कही है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बुला लीजिए उनको, जवाब उनसे ही लेंगे।

श्री नवरंग सिंह : अगले है ही नहीं, सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री तो किसको सुनाना चाह रहे हो ?

श्री यदुनाथ सिंह : केसाऊ डेम है कहां, वेस्टर्न यमुना कैनाल कहां से निकलती है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यमुना नदी की जो सहायक नदी है रौंस उस पर है....

श्री यदुनाथ सिंह : ताजा वाला हैड पर।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नो, नो।

श्री यदुनाथ सिंह : वेस्टर्न यमुना कैनाल कहां से निकलती है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ओखला से।

श्री यदुनाथ सिंह : अब यह सुन लीजिए यह जवाब आयेगा, यह कुंडा होगा राजस्थान का। उत्तर प्रदेश की सरकार पढ़ेगी, हरियाणा की सरकार पढ़ेगी, केन्द्र सरकार दिल्ली में पढ़ेगी इस बात को तो राजस्थान का बहुत बड़ा हित हो जायेगा कि ओखला से निकलती है जब आपको ये ही पता नहीं कि ओखला कहां है तो जवाब से क्या मतलब है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : ओखला दिल्ली में है।

श्री यदुनाथ सिंह : ओखला दिल्ली में है वहां वेस्टर्न यमुना कैनाल....इसको मजाक मत बनाइये। सभापति महोदय, जिस दिन सिंचाई की मांग चल रही थी उस दिन एक बात स्पष्टतः हमारी सरकार के सामने आई थी और पूरे राजस्थान के सामने भी आई थी कि जो राजस्थान की 26.7 मिलियन हैक्टेयर जमीन है। कृषि योग्य भूमि है, उसमें से हम पूरे सरफेस वाटर का उपयोग कर लें, जो करीब-करीब हम कर चुके हैं पूरे अण्डर ग्राउण्ड वाटर का उपयोग कर लें, अन्डर ग्राउण्ड वाटर को हम एकदम निकाल कर जमीन से बाहर फैंक नहीं सकते। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी जमीन में रखना भी है और उसका रिलेशन री चार्ज से है इसलिए काफी हद तक हम अपने अण्डर ग्राउण्ड वाटर का उपयोग भी कर चुके और हम माही का पानी भी ले लें, कड़ाना का पानी अगर गुजरात सरकार अपने एरिये में ले लें, माही का पानी भी ले ले, चम्बल के पानी का भी पूरा उपयोग कर ले और हम रावी व्यास के पानी का भी पूरा उपयोग कर लें तो इस 26.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन, जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से 6 मिलियन हेक्टेयर जमीन खेती की है, उसी को हम सिंचाई कर पायेंगे सारे पानी का उपयोग करने के बाद। ऐसी स्थिति में राजस्थान बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपना समय गुजार रहा है। हर साल अकाल पड़ता है, सदियों से अकाल पड़ रहा है और अकाल पर भी 900 करोड़ रुपया हमने पिछले साल खर्च किया। मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा आजादी के बाद हमने 6 सौ करोड़ पहले खर्च किया और राजस्थान कैनाल पर 3 हजार करोड़ रुपये के करीब कैनाल और सी. ए. डी. और फोरेस्ट पर खर्च कर चुके हैं लेकिन राजस्थान की जो बाकी भूमि है, 20 मिलियन हेक्टेयर, उसके सिंचाई का क्या प्रबन्ध किया जाये उसकी ओर सदन को, राजस्थान को और सरकार को बहुत गम्भीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, कैसे करोगे ? आप बताओ। पहले आप बोलो, स्टेटमेंट दोगे या मैं कह दूं मेरी बात, जब जवाब दोगे।

श्री नाथूसिंह : 131 में ध्यान आकर्षण करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमंत्री) : मुझे याद है। या तो...

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप स्टेटमेण्ट सुन लीजिए या आप अपनी बात ही दीजिए।

श्री सभापति : आप स्टेटमेंट सुनना चाहें तो सुन लीजिए। राज्य मंत्री जी।

(९४)

श्री यदुनाथ सिंह : आप कुंडा मत करवाइये ऐसे विषय पर जिसमें 14.55 मिलियन पानी हम ले रहे हों उसमें आप कह रहे हो ओखला से वेस्टर्न यमुना कैनाल निकली कम से कम ऐसी जिम्मेदारियां न सौंपे आप ही इसको पढ़ दीजिए और आप ही इसका जवाब दे दीजिए।

श्री सभापति : पढ़ने दें इनको।

श्री शिवचरण माथुर : कल भी हमने जवाब में यह बात कही थी और आज भी आप बहस चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं और उससे आपको सन्तोष होगा।

श्री सभापति : राज्य मंत्रीजी कृपया पढ़ें।

श्री नवरंग सिंह : सिंचाई मंत्री को मुख्य मंत्रीजी बनाना चाहिए था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सभापति महोदय, माननीय पांच सदस्यों द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका जवाब इस प्रकार से है :

राजस्थान राज्य गंगा यमुना नदियों के जल में अपने दावे के प्रति प्रारम्भ से ही जागरूक रहा है एवं इस विषय में लगातार प्रयत्नशील है।

1–गंगा नदी के अधिकाय जल के उपयोग के बारे में :

गंगा नदी के अधिकाय बाढ़ जल का उपयोग करने के प्रश्न को 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण मण्डल की पहली बैठक में दिनांक 3-6-72 को उठाया गया था इस बैठक में यह कहा गया कि राजस्थान व हरियाणा इस विषय में अपने-अपने समुचित प्रस्ताव प्रेषित करें। गंगा नदी के अधिकाय जल को राजस्थान में परिवर्तन हेतु केन्द्रीय सिचाई एवं विद्युत मंत्रालय एवं गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग पटना को दिनांक 1-12-1972 को राजस्थान द्वारा प्रस्ताव भेजा गया। जिसके अनुसार 40,000 क्यूसैक्स बाढ़ का जल वर्ष में 50 दिनों के लिए राजस्थान में गंगा नदी पर एक बैराज बिजनोर के पास निर्माण कर अथवा वर्तमान नरोरा बैराज से राजस्थान के झुन्झुनू, चूरू, श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर एवं जालौर जिलों के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु लाना प्रस्तावित था। इसके पश्चात इस विषय में समय-समय पर इसके निर्णय हेतु तकाजा किया जाता रहा। दिनांक 6-7-1982 को राजस्थान द्वारा फिर से गंगा फ्लड कण्ट्रोल बोर्ड की आठवीं बैठक में यह विषय विचार–विमर्श हेतु उठाया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गंगा नदी के अधिकाय बाढ़ जल को राजस्थान हरियाणा एवं दिल्ली राज्यों में उपयोग की सम्भावनाओं की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग की अध्यक्षता में किया जावे, जो दिनांक 12.5.83 को गठित की गई जिसमें राज–स्थान भी सदस्य था। समिति को विचारार्थ निम्न विषय दिये गये :–

इस बात की जांच करना ही क्या.... हरिद्वार तथा नरोरा के निकट बाढ़ क्षेत्र को हरियाणा के प्रस्ताव के अनुसार करनाल के निकट यमुना में डाइवर्ट किया जा

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सकता है और गंगा तथा यमुना की बाढ़ संभावित समस्याओं पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की जांच करना।

हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अधिकांश भाग जल का उपयोग करने की गुंजाइश की जांच करना और उत्तर प्रदेश में जल संस्थानों की उपलब्धता पर व्यवधान से पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना।

राजस्थान में गंगा नदी के अधिकाय जल को उपयोग में लाने हेतु एक योजना बनाकर 15.6.1984 को विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत की गई जिसके दो भाग है, प्रथम भाग चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में 80 लाख एकड़ फीट एवम् द्वितीय भाग के अन्तर्गत जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्रों में 40 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग 54 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित है। विशेषज्ञ समिति की ग्यारहवीं एवम् अन्तिम बैठक दिनांक 11.2.86 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई जिसमें प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया एवम् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये। प्रतिवेदन के अनुसार अधिकाय भाग जल के विषय में मतैक्य नहीं हो सकता अतः समिति को दिये गये अन्य विषयों पर विचार-विमर्श नहीं हो सका। अध्यक्ष बाढ़ गंगा नियंत्रण आयोग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल संसाधन सचिव, भारत सरकार को मार्च 1986 में प्रेषित की गई है, उस पर कार्यवाही अपेक्षित है दिनांक 14.1.88 को सम्पन्न हुई गंगा बाढ़ नियंत्रण मण्डल की ग्यारहवीं बैठक में राजस्थान में गंगा के अधिकाय भाग जल के बारे में उत्तर प्रदेश द्वारा समिति को प्रस्तुत आंकड़ों को विश्वसनीय होने का प्रतिरोध करते हुए उत्तर प्रदेश की दूरगामी भविष्य की योजनाओं के लिये पानी आरक्षित करने के लिए और वर्तमान में अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को पीने के पानी से वंचित रखने के प्रयास पर आश्चर्य प्रकट करते हुये शीघ्र निर्णय लेने हेतु निवेदन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग विस्तृत अध्ययन कर जिसमें उत्तर प्रदेश द्वारा देय गंगा जल प्रवाह एवम् अन्य आंकड़े चाहे भी सम्मिलित हैं। इस विषय में मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये गंगा जल प्रवाह एवम् अन्य आंकड़े सूचनाएं अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग को जो भारत सरकार के अधीन है, द्वारा अध्ययन किये जा रहे हैं। केन्द्रीय जल आयोग के विस्तृत अध्ययन का प्रतिवेदन अभी अपेक्षित है। गंगा नदी पर लगातार बांध बनने एवम् माही परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश द्वारा मंजूर करने के विषय में निवेदन है कि राज्य सरकार को टिहरी बांध के अतिरिक्त ऐसी किसी योजना के निर्माण की जानकारी नहीं है। टिहरी बांध के लाइम स्टोरेज में दस प्रतिशत भागीदारी के लिए राजस्थान ने वर्ष 1974 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस विषय में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को समय-समय पर पत्र लिखे जाते रहे हैं। जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह सूचित किया कि "इस बांध से राजस्थान को पीने का पानी देना भी सम्भव नहीं है। परन्तु इसी पत्र से उन्होंने यह भी सूचित किया है कि टिहरी बांध से 500 क्यूसेक्स पानी आगरा

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तथा मथुरा संभाग के पीने के पानी की व्यवस्था के लिये प्रावधान किया जा रहा है।

पूर्वी राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले भी उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मथुरा जिलों से लगते हैं। इस क्षेत्र के लिये राजस्थान में पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। राष्ट्रीय जल नीति में भी यह प्रावधान किया गया है कि पीने के पानी को तथा सूखा सम्भावित क्षेत्रों की जल आवश्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। राजस्थान के उपरोक्त सभी मुद्दों को लेकर केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि यह इस विषय में शीघ्र निर्णय करावें। केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री ने मुख्य मंत्री राजस्थान को सूचित किया है कि यह विषय यमुना सम्बन्धी जो बैठक केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा बुलाई जा रही है उसमें उठाया जाये।

जब भी किसी भी राज्य द्वारा कोई योजना, जिसमें एक से अधिक राज्य के जल का उपयोग प्रस्तावित हो, केन्द्रीय जल आयोग को परीक्षण एवं स्वीकृति के लिये प्रेषित की जाती हैं, तब केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग सम्बन्धित राज्यों से अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसी किसी भी योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं करते।

गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गई कोटी मील, उत्यातू, मैरीघाट कर्ण प्रयाग, बेगली तथा पडली योजनाओं के बारे में राज्य सरकार को जानकारी नहीं है। वांछित जानकारी प्राप्त कर सदन को सूचित कर दिया जावेगा। इस विषय में निवेदन है कि इन परियोजनाओं द्वारा जो जलोपयोग बताया गया है, उसके अनुसार यह परियोजनाएं वृहत् योजनाओं की श्रेणी में आती हैं। योजना आयोग की स्वीकृति के बिना उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी योजनाओं को अपने स्तर पर स्वीकृत करने हेतु सक्षम नहीं है।

(1.55 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

2. यमुना नदी के अधिकाय जल उपयोग के बारे में :–

यमुना नदी के जल के विषय में हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में राजस्थान को आमंत्रित नहीं किया गया तब इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की गई व उसके बाद से हर स्तर पर राजस्थान राज्य अपना **पक्ष** प्रस्तुत करता रहा है।

वर्ष 1981 में केन्द्रीय मन्त्री कृषि ग्रामीण विद्युतीकरण व सिंचाई से सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों व दिल्ली के लै. गर्वनर को इस विषय पर विचार विमर्श के लिये आमन्त्रित किया था व उसके बाद एक तकनीकी समिति अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई जिसमें सम्बन्धित राज्यों के तकनीकी अधिकारी भी शामिल किये गये।

इस समिति को विभिन्न राज्यों के बीच उपलब्ध जल के आवंटन हेतु आधार निर्धारित करने का कार्य दिया गया था। समिति ने कई बैठकों के बाद 1985 में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जिसके अनुसार कुल जल की उपलब्धता ताजेवाला व

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

ओखला स्थानों पर 7.42 व 9.10 एम. ए. एफ. निकाली गई। कमेटी की शिफारिश के अनुसार राजस्थान राज्य के चूरू व झुन्झुनू जिलों के लिये 0.1 एम. ए. एफ. जल ताजेवाला हैडवर्क्स से पीने के पानी के लिए सुरक्षित किया गया है अन्तिम निर्णय होने पर ही इसका उपयोग सम्भव हो सकेगा। लेकिन जल के बँटवारे के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है व इसका निर्णय उच्च स्तर पर लेने की सिफारिश की गई है। राजस्थान ने 2.55 एम. ए. एफ. जल का दावा प्रस्तुत किया है। जिससे 4.85 लाख हैक्टयर क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

नये ओखला बैराज के निर्माण के विषय में निवेदन है कि यमुना जल से प्रस्तावित अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी आगरा नहर के माध्यम से ओखला बैराज की बढ़ी हुई क्षमता में राजस्थान की भागीदारी रहेगी।

केन्द्र सरकार ने यमुना व साहिबी के बाढ़ से बचाव व अन्य अन्तर्राज्यीय मुद्दों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में गठित की है जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मुख्य मंत्री व दिल्ली के लैं. गवर्नर सदस्य हैं। राजस्थान सरकार के जल आवंटन शीघ्र करवाने के प्रयासों के फलस्वरूप इस समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि यमुना नदी के जल के बँटवारे का प्रकरण भी इसी कमेटी के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जायें तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी इसका सदस्य बना लिया जावे। इस आशय का प्रस्ताव 3.9.86 को होने वाली बैठक की कार्य सूची में शामिल कर लिया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से उक्त बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी। उसके बाद भी इस समिति की बैठक की कई तिथियां तय हुई पर अभी तक इसकी बैठक सम्भव नहीं हो पायी है।

राजस्थान राज्य द्वारा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के स्तर पर सभी सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों व दिल्ली के लै. गवर्नर की बैठक यमुना नदी के जल आवंटन के मसले को जल्दी सुलझाने के लिए बुलाने के प्रयास भी उच्चतम स्तर पर किये जा रहे हैं।

जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को सूचित किया था कि यमुना के पानी का लाभ राजस्थान को मिले इसके लिये उन्होंने इसी माह में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से बात चीत की है। यमुना की सहायक नदी टौंस पर बनने वाले किशाऊ बांध के बारे में सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है। शिकाऊ बांध का भराव 1.05 एम. ए. एफ. है जिसमें लगभग 22 प्रतिशत राजस्थान के चूरू व झुन्झुनू जिलों के लिए लगभग 20,000 हैक्टेयर सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के प्रयास हैं। इसके अनुपालन में राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ताओं के बीच वार्ता शीघ्र आरम्भ हो रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : (नदवई) उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1972 से गंगा नदी बँटवारे को राजस्थान सरकार, जैसा कि कहा, बहुत जागरूक

(श्री यदुनाथ सिंह)

है, उठा रही है लेकिन उसके बाद प्रयास क्या हुआ है, उनकी मीटिंगें कब हुई, मुख्य मंत्री स्तर की कोई मीटिंग नहीं हो, मंत्री स्तर तक इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हो आपने कहा कि टिहरी डेम के सवाल में 73–74 में आपने पत्र लिखे दस प्रतिशत हिस्सा हमको टिहरी डेम में दिया जाये, उसके जवाब में आपने बताया कि उन्होंने साफ आपको इन्कार कर दिया उत्तर प्रदेश ने यहां तक और जवाब में कह दिया कि हम 500 क्यूसेक्स पानी टिहरी डेम का आगरा और मथुरा में पीने के लिये उपयोग करेंगे। यानि जले पर नमक छिड़कने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं, राजस्थान सरकार भी जानती है कि गंगा जल के बंटवारे के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। कोई बंटवारा करने को तैयार नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार की हमेशा यह दलील रही है, लाजिक रहा है कि गंगा नदी में कोई पानी शेष नहीं है। 1980 से जब मैं विधान सभा का चुनाव जीत कर आया हूं, लम्बी–चौड़ी कारस्पाण्डेंस केन्द्र सरकार से और प्रधान मन्त्री जी से मैंने की। उसके जवाब में जो कुछ इशारा मुझे मिलता है उससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मना करती जा रही है। एक तरफ तो मना कर रही है कि गंगा में सरप्लस वाटर्स नहीं हैं दूसरी तरफ लगातार नयी-नयी योजनायें स्वीकृत करती चली जा रही है। टिहरी डेम का आपने स्वयं स्वीकार किया कि 2,1 एम.ए.एफ. पानी के टिहरी डैम का उत्तर प्रदेश सर–कार निर्माण कर रही है और राजस्थान को उसमें हिस्सा देने से इन्कार किया। आपने इस बारे में क्या किया? इण्टर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्त–र्गत टिहरी डैम में राजस्थान को हिस्सेदार बनाया जाय, इस बारे में आपने कोई कार्य-वाही की? आपने मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा? आपने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखा? क्या आपने कभी प्रधान मंत्रीजी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की? पहले प्रश्न तो मेरे यह हैं। मैंने लगातार कारस्पाण्डेंस की। केन्द्र सरकार का जो दृष्टिकोण है उस सम्बन्ध के 2-3 पत्रों का रेलेवेण्ट पोर्शन पढ़ कर आपको सुनाना चाहूंगा। मैंने एक पत्र लिखा 6 जुलाई, 1981 को श्रीमती इन्दिरा गांधी को। उसके जवाब में राव वीरेन्द्र सिंह का पत्र आया :

"You have also suggested that some allocation should be made to Rajasthan out of the waters of Yamuna and Ganga rivers. In respect of Yamuna waters, the matter is already under considera-tion and discussions are continuing at appropriate lavel with represen-tatives of concerned States, inclu-ding Rajasthan, to determine their respective shares. The position regarding the waters of Ganga, however, is different. The Uttar Pradesh Government has repeate-dly held that there is no surplus water from this river. As such,

(श्री यदुनाथ सिंह)

there may not be much scope for additional supply to Rajasthan from Ganga."

राव वीरेन्द्र सिंहजी ने मुझे लिखा 20 जुलाई, 1981 को, जो पत्र मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा था उसके उत्तर में। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ कहा उसको मान लिया। केन्द्र सरकार ने, केन्द्रीय मंत्री ने यह जांच करने की कोशिश भी नहीं की कि नरोरा और हरिद्वार में कितना डिस्चार्ज किस महिने में रहता है। उस डिस्चार्ज का परीक्षण करने का काम करते लेकिन उन्होंने तो सीधा जवाब दे दिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा। केदार पाण्डे जी का पत्र आता है जो तब सिंचाई मंत्री थे। 1.12.1982 को उनका उत्तर आता है कि

"On the basis on preliminary studies made by the Central water Commission with the available data, the proposal of diversion of surplus water, flood waters of Ganga at Hardwar does not seem to be feasible." Does not seem to be feasible, "The proposal for taking a canal from Bijnaur may involve Comparatively lower lift. But here too, the adequate quantity of surplus flood water may not be available at this point.",

जब कि हम सब जानते हैं, रेलेवेण्ट डाटा बताते हैं कि जहां पर टिहरी डैम बन रहा है वहां पर आज पानी है 7.32 मिलियन एकड़ फीट। उसमें से टिहरी डैम बने टिहरी डैम बन कर अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, मथुरा और कानपुर तक दो लाख साठ हजार हैक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई कर ले, जो एरियाज यमुना में गंगा का जो पानी डाइवर्ट हो रहा है अपर गंगा कैनाल से उससे आलरेडी सिंचित हो रहे हैं, उनकी इण्टैंसिटी बढ़ाने के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए लगातार डैम बनते चले जायं। एक ही डैम नहीं बन रहा है और भी डैम बन रहे हैं। राजस्थान सरकार का ही पेपर है, इन्होंने जवाब दिया है कि टिहरी डैम के अलावा और किसी डैम के बनने की हमें जानकारी नहीं है। कोटी-भील डैम बन रहा है जिसकी क्षमता है 2.13 मिलियन एकड़ फीट।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो कहा है वक्तव्य में।

श्री यदुनाथ सिंह : कब कहा? नहीं बन रहे हैं यह कहा। टिहरी डैम का ही कहा।

श्री शिवचरण माथुर : यह वक्तव्य में कहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : हमें तो मालूम ही नहीं है इनका, योजना आयोग के बिना मंजूर नहीं होगी। तो योजना आयोग ने टिहरी डैम कैसे मंजूर कर दिया बिना हिस्सा तय किये?

श्री शिवचरण माथुर : आप जो नाम ले रहे हैं वह कहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने ऊपर नहीं कहा कि हमें टिहरी डैम के अलावा किसी और की जानकारी नहीं है?

श्री शिवचरण माथुर : यह कहां है ?

श्री यदुनाथ सिंह : अच्छा, मालूम है तो क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछ कर बैठ जायं तो जवाब दिला दें।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी तो गंगा भी पूरी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : गंगा तो पूरी कहां होगी, गंगा तो गंगा है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस-विषय को मजाक में उड़ाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं सीरियसली ले रहा हूं इसलिए मैंने स्टेटमैण्ट अलाऊ किया है।

श्री यदुनाथ सिंह : लेकिन 20 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई का क्या होगा ? 15 जिले, पाली, जालौर और बाड़मेर तक इस इलाके में और पानी राजस्थान के पास है क्या ? और कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकते हैं क्या ? इसलिए इस विषय को बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, इस विषय पर लम्बी बहस होनी चाहिए, खुली वहस करायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगा इस देश की सबसे बड़ी नदी है। पूरी देश की नदियों में जितना पानी है उसका 30 प्रतिशत पानी गंगा में है। उसका कैचमैण्ट एरिया है 3 लाख 80 हजार स्क्वायर मील। छोटी मोटी नदी नहीं है। इस नदी पर पूरे देश का अधिकार है। जितनी भी थ्यौरीज हैं आप ले लीजिए, उन थ्यौरीज में हम बेसिन स्टेट हैं, हमको गंगा का पानी मिलना ही चाहिए। इस तरफ उत्तर प्रदेश सरकार योजनायें बनाती चली जा रही है और दूसरी तरफ आर्ग्युमैण्ट यह दे रहे हैं कि गंगा में पानी नहीं है। यह दोनों चीजें साथ कैसे चल रही हैं, मेरे को बताइये जरा आप। जब उत्तर प्रदेश सरकार कहे और केन्द्र सरकार सपोर्ट करे उसको कि पानी नहीं है तो नयी योजनायें कैसे बनाती चली जा रही हैं, इसके लिए कोई जवाब है ? इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ किया ? पानी को जब यूज कर लेंगे, अपना डवलपमैण्ट कर लेंगे उसके बाद उस पानी को हम किस प्रकार ले पायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, गंगा के पानी में हमें बहुत कठिन लड़ाई और लम्बा समय लग सकता है लेकिन जहां तक यमुना के पानी की हिस्सेदारी का सवाल है, उसको सरकार ज्यादा मुस्तैदी और तेजी से ले। उसमें हमें खुशी है कि हमने एक कदम बढ़ाया है। 1985 में यह फैसला हुआ कि ताजेवाला हैडवर्क्स से चूरू और झुंझुनू इलाके में पीने के पानी के लिए एक लाख एकड़ फीट पानी दिया जायेगा। यह हमारा एक कदम यमुना के पानी की हिस्सेदारी के सवाल पर आगे बढ़ा। लेकिन 1985 के बाद आपने क्या कार्यवाही की ? इस इलाके में पीने के पानी को लाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की ? केन्द्र सरकार से क्या-क्या प्रयास किये ? क्यों नहीं पानी लाने के लिए हमारे यहां योजनायें बनाने का काम शुरू किया गया, यह मेरा प्रश्न है। यह भी तय हो गया। यह भी बता दिया आपने कि ओखला और ताजेवाला हैडवर्क्स पर कितना-कितना पानी मौजूद है, यानी पानी का असैसमैण्ट

(श्री यदुनाथसिंह)

भी हो गया कि सात–आठ मिलियन एकड़ फीट पानी ताजेवाला में है और 9 आड मिलियन एकड़ फीट पानी ओखला में है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी इनके एक कागज से सिद्ध करूंगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार, नये ओखला बैराज के निर्माण के बाद 3210 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी जो उपलब्ध होगा उस पानी को दोनों आपस में हड़प जाना चाहते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने बांट भी लिया है। मुझे दुःख इस बात का है कि हमारे राजस्थान सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट में इस तरह का इन्द्राज कर दिया गया कि इस पानी का एलोकेशन इस प्रकार से होगा, राजस्थान का पानी पांच सौ क्यूसेक्स ही रह जायेगा, हरियाणा अपना पानी बढ़ा लेगा और उत्तर प्रदेश अपना पानी बढ़ा लेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस चीज को सरकार गम्भीरता से ले नहीं रही है। उपाध्यक्ष महोदय, लिखते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर आर.सी. अग्रवाल, गुड़गांवा कैनाल डिवीजन, भरतपुर।

नोट तैयार किया है, इसमें कहा है कि–

"The project estimate of Okhala Barrage, which has nearly been completed by the Uttar Pradesh, The allocation of water for various States has been provided as under :

"Agra canal 4,000 cusec, Gurgava, Haryana ...."

जिसका पहले 1600 क्यूसेक्स था उसका कर दिया 1740 क्यूसेक्स "For Rajasthan 500 cusec. Extra for silt ejector 1,260 cusec." 60 क्यूसेक्स कर दिया बदरपुर थर्मल के लिये– "Extra for future requirement of Agra canal 1,000 cusec."

यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का हिस्सा तो आप बढ़ाकर आप उसको कर दें 3210 क्यूसेक्स और राजस्थान सरकार से हिस्सा नहीं मांगे बढ़े हुये पानी में यह मेरी दुःख और पीड़ा का विषय है। वह क्यों नहीं देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसका एक कारण है यानि 1 करोड़ 90 लाख रुपया हमें देना है न्यू ओखला बैराज के निर्माण में और अभी तक हमने उसमें 10 लाख रुपये दिये हैं, 1 करोड़ 80 लाख रुपया न्यू ओखला बैराज के निर्माण में दे, नहीं तो उत्तर प्रदेश उसका निर्माण कर रहा है कल आपको ठेंगा बतायेगा। हरियाणा गुड़गांवा कैनाल जो हरियाणा पोर्शन में पड़ती है उसकी मैन्टीनेन्स का पैसा सवा करोड़ के करीब होता है वह दे नहीं इसलिये वह उसकी मैन्टीनेन्स करता नहीं हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरे प्रश्न है कि न्यू ओखला बैराज निर्माण के बाद यमुना के पानी में 2310 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा उस पानी में से राजस्थान ने पानी प्राप्त करने के क्या क्या प्रयास किये और किस आधार पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने उस पानी को बांटने का काम कर लिया ? एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा, गंगा के पानी के बारे में जो मैंने प्रस्ताव रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि

(श्री यदुनाथसिंह)

राजस्थान सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और जो निर्माण उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार लगातार इन नदियों पर करती जा रही है उसको रोकने का हम गम्भीरता से प्रयास करेंगे और उस पानी को प्राप्त करने का गम्भीरता से प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा था कि वह बहुत चिन्तित, सचेष्ट और प्रयत्नरत हैं कि पूर्वी राजस्थान के चाहे अलवर, भरतपुर और धौलपुर के जिले हों चाहे सीकर, झुन्झुनूं और दूसरे जिले हों, क्योंकि गंगा का पानी हम पश्चिमी राजस्थान में और चाहते हैं, उसको लाने के लिये बड़े प्रयत्नरत हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे जानना चाहता हूं कि 1972 से गंगा के पानी की बात आप कह रहे हैं। सन् 1974 में इस गंगा के पानी के बारे में मैं भी राज्य सभा में था और आज के विपक्ष के नेता महोदय भी उन दिनों राज्य सभा में थे, हमने वहां सवाल उठाया था, उस वक्त राज्य सभा के नेता थे माननीय कमलापति त्रिपाठी, उस वक्त भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि गंगा में पानी नहीं है, तो हमने उनसे कहा था कि आप तो काशी के पंडित हो, गंगा में और काशी में सबका हिस्सा है, ऐसी बात आप क्यों कहते हैं ? गंगा के पानी का बाढ़ का पानी हम मांगते हैं, बाढ़ का पानी निश्चित रूप से गंगा में ज्यादा है वह मिलना चाहिये। यह यू.पी. कितना भी छुपाये, छुपाये से छुप नहीं सकती है बात।

आपने कहा कि हमने कमेटी बनायी, गुहार की, कमेटी ने रिपोर्ट दी और कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आपने कहा अभी कि हमको पानी मिलेगा 80 लाख एकड़ फीट एक हिस्से में और 40 लाख एकड़ फीट दूसरे राजस्थान के हिस्से में पानी हमने मांगा है लेकिन उसके साथ–साथ यू.पी. इस बात को नहीं मानता है तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जहां तक राजनीतिक क्षमता और राजनीतिक शक्ति आप में नहीं होगी तब तक आपको कोई पानी देने वाला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि गंगा का पानी हमको मिले इसके लिये क्या इतनी दूर तक जाने को तैयार हैं कि यू पी. की सरकार मना करे, हमारा जो क्लेम है वह सही है प्रधान मंत्री तक आप गये हैं और नहीं माना है तो क्या आप अपना मुख्य मंत्रीत्व भी दाव पर लगाने को तैयार हैं कि राजस्थान को पानी मिले ? जब तक आपकी यह हिम्मत नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाय हम पानी लेकर रहेंगे तब तक आपको पानी कोई देने वाला नहीं है। तो मैं एक तो यह बात आपसे पूछना चाहता हूं कि गंगा के पानी के विषय में आप कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं ? जहां तक सवाल यमुना के पानी का है, उसमें दो तरह की शक्तियां आज हमको पीड़ित कर रही हैं एक तो यू.पी. और हरियाणा की बात जो चल रही है और एक राजस्थान सरकार स्वयं है।

(श्री नत्थीसिंह)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि 1973 में ही काफी झगड़े के बाद यह फैसला हुआ कि यमुना में जो न्यू ओखला बैराज बने उसमें राजस्थान का हिस्सा होगा, अपना पैसा दे। 1 करोड़ 90 लाख की बात माननीय यदुनाथ सिंह जी ने कही है. लेकिन कैनाल, चैनल वगैराह सब कुछ मिलाकर यह 3 करोड़ 80 लाख रुपया आपको देना था। सन् 1985 में हम तीबारा इस सदन में आये हैं, जब हमने यहां सवाल उठाया था उस वक्त माननीय कमला जी इरिगेशन मिनिस्टर थीं, उन्होंने कहा कि अब हमने 10 लाख रुपये जमा कराये हैं, 3 करोड़ 80 लाख रुपया देना था और 10 लाख रुपया जमा कराया है और यू.पी. ने कह दिया कि हम इस पैसे को नहीं लेते हैं, आप 13 वर्ष तक सो रहे थे क्या और अपना सारा क्लेम छोड़ दिया और आपका 10 लाख रुपया उन्होंने सस्पेन्स अकाउन्ट में डाल दिया क्या यह ठीक नहीं है ? यह हमारा जो डिफाल्ट है, राजस्थान सरकार की ढील के कारण जो हमें यमुना के पानी में आज तक हिस्सा नहीं मिला, न्यू ओखला बैराज में पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, आपके आफिसर जिम्मेदार है, आपके मंत्री जिम्मेदार हैं, राजस्थान सरकार में कौन के ऊपर आप यह दायित्व डालते हैं कि फैसला हो जाने के बाद क्यों नहीं पैसा जमा कराया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिजेन्द्र-सिंह।

श्री नत्थीसिंह : मैं कह रहा हूं साहब। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप पानी लेना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक राजनीतिक क्षमता नहीं होगी, हमने यह बात हरिदेवजी जोशी जब मुख्य मंत्री थे तब भी....

श्री उपाध्यक्ष : क्षमता की बात कह चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : मेरी बात तो सुनिये, असली बात जो मैं कह रहा हूं वह सुनिये और जब तक यह सरकार नहीं करेगी पानी नहीं मिलेगा। हमने हरिदेवजी जोशी से कहा कि चम्बल हमारे यहां होकर जाती है, चम्बल के पानी पर हमारा अधिकार है, यू.पी. पिनहाट पर हमारी चम्बल पर 100 करोड़ का बान्ध बना रहा है उससे आगरा को पानी देना चाहता है, आगरा की सिंचाई के लिये पानी देना चाहता है तो आप इस पानी को क्यों नहीं रोकते राजस्थान में, क्यों नहीं दबाव डाल सकते? अभी मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने जवाब दिया....

श्री उपाध्यक्ष : Chambal does not concern with this 131.

इसमें गंगा–यमुना की बात है, अब आप डाइवर्ट कर देंगे तो जवाब नहीं मिलेगा।

श्री नत्थीसिंह : गंगा–यमुना का पानी कैसे मिले यह सवाल मैं कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : चम्बल को जोड़ेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा।

श्री नत्थीसिंह : अभी आपने ज़वाब

(श्री नत्थी सिंह)

दिया कि 1 करोड़ 60 लाख की योजना है, हमने लिखा है कि चम्बल के पिनहाट पर बनाने की इजाजत दी जाय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप नदियों के मामलों में इस बात पर आमादा नहीं होंगे जैसे वह अपने यहां से पानी नहीं देते हैं हम भी अपना पानी उपयोग करें और इन इलाकों में देंगे तब तो पानी कम पड़ेगा नहीं, जब तक आपस में समझौता नहीं करेंगे, क्या आपकी तैयारी इस बात के लिये है ? आपकी तैयारी यह भी नहीं है आज वह यू.पी. वाले कहते हैं, हरियाणा वाले कहते हैं कि जो भरतपुर फीडर बनायी हमारे यहां जिसमें 300 क्यूसेक्स पानी आता है, जो आपने गुड़गांवा कैनाल बनायी जो 500 क्यूसेक्स की है आज वह पानी एक में तो 120 से ज्यादा पानी नहीं आ सकता और दूसरी में 150 क्यूसेक्स से ज्यादा आ नहीं सकता और ज्यादा आता है तो वह टूट जाती है।

आप इस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में, पूर्वी राजस्थान के लोगों के मन में यह धारणा है कि राजस्थान में पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है, क्या आप इस भावना को बदलेंगे ? मैं तो कहना चाहता हूं कि राज्यों का जब विलिनीकरण हुआ उस वक्त भरतपुर के लोगों ने आवाज लगायी थी कि अगर हम राजस्थान में जायेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा इसलिये यू.पी. में मिला दें। आज भी शंकरराव कमीशन के अन्दर यह मामला लटका हुआ है। उस वक्त तो मिला दिया और कहा कि उपयुक्त मौके पर इस बात पर सोचा जायेगा। आप यह भावना पैदा मत होने दीजिये, हमारे हितों की रक्षा के लिये लड़िये, जब तक आप इस दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे तब तक पानी हमको मिलेगा नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि साफ तौर से उत्तर आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री विजयसिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनका क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह भी भरतपुर जिले से आये हैं।

श्री विजयसिंह (रूपवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के माननीय सदस्य, श्री यदुनाथसिंह जी ने और श्री नत्थीसिंह जी ने जो बात कही है, मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नाम है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये भी व्यवस्था दी हुई है गंगा-यमुना के पानी के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

श्री विजयसिंह :....कि हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, 4 साल का भयंकर अकाल रहा है, पानी नहीं बरसने के कारण हमारे जिले में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में ही पानी की बड़ी भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है। जो पानी हमें बाहर से मिलना था वह पानी भी नहीं आया और जो पानी प्रकृति से बरसना था वह पानी भी नहीं बरसा इस

(श्री विजयसिंह)

कारण जल स्तर नीचे चला गया और सिचाई की बात तो क्या कहें पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रजी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारी सरकार प्रयास करे और जो पानी वेस्टेज जाता है, हमारे हिन्दुस्तान की भी विचित्र स्थिति है और शुरू से ही इस तरह की स्थिति रही है जिसमें आपस में तनाव, मत-भेद, चाहे कोई चीज बर्बाद हो जाय पर उसका सदुपयोग हम नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जो वेस्टेज पानी जाता है गंगा-यमुना का उस पानी को रोक कर भरतपुर जिले में हमारे राजस्थान को दे दिया जाय। उससे हमारे राजस्थान की सिंचाई भी होगी और जो जल स्तर नीचे चला गया है वह भी ऊपर आयेगा उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा, पैदावार बढ़ेगी और हमारा राजस्थान एग्रीकल्चर की दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से भी लाभदायक होगा, इस मामले में राज्य सरकार हमारी पूरी-पूरी मदद करें। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शमशुल हसन।

श्री शमशुल हसन (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, डीग सब-डिवीजन क्षेत्र में गुडगांवा कैनाल का निर्माण हुआ, गवर्नमेंट का करीब 16 करोड़ रुपया उस पर इनवेस्ट हो गया। हमारा 1966 में जब हरियाणा स्टेट नहीं था, जब पंजाब स्टेट था तो कोई रेनिंग सीजन का एग्रीमेंट तो है नहीं पानी का, पांच सौ क्यूसेक्स पानी देने का। गुडगांवा कैनाल में कोई आज तक एग्रीमेंट नहीं है राजस्थान सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार से और हरियाणा सरकार से। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा जो गुड़गांवा कैनाल में पानी रेनिंग सीजन में दिया जाता है उस पानी को सर्दी और गर्मियों में दिया जाय। गुडगांवा कैनाल के निर्माण का काम इसलिए करवाया गया था कि उस क्षेत्र में धान की खेती करने के लिए आज गुडगांवा कैनाल में 500 क्यूसक्स पानी के एवज में कोई डेढ़ सौ क्यूसेक्स पानी भी नहीं आया और जो इरिगेशन माइनर्स गुड़गांवा कैनाल में से बने हैं वे सारे अधूरे हैं। 32 हजार एकड़ जमीन के करीब इरिगेशन उससे होना था उसके मुकाबले में आज वहां करीब 22 सौ एकड़ का अब तक इरिगेशन हुआ है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वे गुड़गांवा कैनाल में पानी देने की व्यवस्था करवायें उत्तर प्रदेश सरकार से, हरियाणा सरकार से बात करके और जो किसानों का मुआवजा आज तक बकाया है, गुड़गांवा में जिनकी जमीन एक्वायर की गयी थी उनको मुआवजा दिलवाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे। (व्यवधान) अच्छा, एक नवरंग सिंह जी, एक घनश्याम जी तिवाड़ी। नवरंगसिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं भी पूछना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप भी पूछिए, आप हरियाणा सरकार से दरख्वास्त करियेगा।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्योंकि नदबई से और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन्स उन्होंने पूछ लिए हैं।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : पाईंटेड सवाल मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि आपने 72 में गंगा–यमुना के पानी का मामला उठाया। मैंने एक सवाल पूछा था सिंचाई मंत्री जी से उन्होंने कहा कि विशेष तौर से झुन्झुनू का नाम पेश करने के लिए कोई ज्ञापन या कोई रिप्रजेंटेशन दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी सरकार की ढिलाई से वह पानी नहीं मिला और 85 में फिर एक फैसला हुआ पीने के पानी के लिए जिसमें झुंझुनू और दूसरे जिले भी शामिल हैं, उस पानी को भी हम नहीं ले सके और मैं यह पूछना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले में खेतड़ी प्रोजेक्ट है जो सारे हिन्दुस्तान का प्रोजेक्ट है और हिन्दुस्तान के खेतड़ी प्रोजेक्ट के कारण से सारे झुंझुनू जिले का पानी खराब हो गया है, न पीने लायक है, न सिंचाई लायक है ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि भारत सरकार के सामने....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पूछ लीजिए।

श्री नवरंगसिंह : यह इससे भी चला गया और खराब भी हो गया, दोनों स्थितियां हुई हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पानी को जल्दी से जल्दी झुंझुनू जिले में कैसे पहुंचायें क्योंकि जिस रफ्तार से मुख्य मंत्री जी आप चल रहे हैं उससे तो लगता है कि यह पानी आप दिला नहीं सकेंगे। बातों से काम चलेगा नहीं। 72 से मामला चल रहा है। आप स्वयं कोई फैसला कर नहीं सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री नवरंगसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेश्चन पूछकर बात खत्म करें।

श्री नवरंगसिंह : यह राष्ट्रीय नीति जो भी हमारी नीति थी उसमें यह तय है कि जहां भी रेगिस्तान था और जहां भी पीने के पानी की किल्लत थी जैसे जिक्र किया माननीय मंत्री जी ने झुंझुनू जिले से बाड़मेर तक जो पहुंच गये हैं तो मैं चाहूंगा कि इतने बड़े इलाके में आप पानी देने की बात कर रहे थे। आप झुंझुनू जो किनारे पर है उसी को नहीं दे सके हैं तो आगे उसको कैसे देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न अब। माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री नवरंग सिंह : और मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि दूसरे इलाकों में किसी न किसी प्रकार की सुविधायें हैं, चाहे वह गंगानगर का इलाका है, चाहे वह कोटा का इलाका है, चाहे और कहीं के इलाके हैं लेकिन झुंझुनू के इलाके में न तो कोई सिंचाई का इन्तजाम है, न

(श्री नवरंगसिंह)

कोई पानी का इंतजाम है ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस संबंध में आप जल्दी किस तरह से झुंझुनू को पानी दिला सकेंगे पीने के लिए और सिंचाई के लिए भी। मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने यह बताया है कि गंगा से 0.1 एम.ए.एफ. पानी यमुना से चूरू और झुंझुनू के लिए पेयजल के लिए है। पिछली बार जब सिंचाई मंत्री गुलाबसिंह शक्तावत थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि सीकर, झुंझुनू और चूरू इन तीनों जिलों को पेयजल का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। आपने सीकर का नाम इसमें से निकाल दिया। इसका क्या कारण है ?

दूसरा, यह ताजेवाला और ओखला हैडवर्क्स में जो पानी आ रहा है उसमें इधर से आपने गिना है तो अलवर, भरतपुर और जयपुर तक को ले लिया, उधर आपने जब नाम गिनाये तो झुंझुनूं, चूरू, गंगानगर, नागौर, पाली यहां तक ले गये, बीच में सीकर जिले को आपने छोड़ दिया। पहले जो वक्तव्य आया था गुलाबसिंह जी का, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, राज्य सरकार ने पत्र भेजा था उसमें सीकर जिले का नाम था। इसमें सीकर जिले का नाम किस कारण छूटा है ? यह गलती से छूटा है या राज्य सरकार ने जो योजना बनायी है उस योजना में नहीं है ? एक तो वह बता दीजिए।

दूसरा, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि वह गंगा–लूणी जो लिफ्ट कैनाल का मामला था उसका क्या हुआ ? यह आप हरिद्वार से कट लगाकर पानी लेना चाहते हैं, नरोरा से लेना चाहते है या किस प्रकार से लेना चाहते हैं और किसके द्वारा लेना चाहते हैं। एक बार यह भी प्रपोजल था कि जो जवाहर कैनाल और चक्रवर्ती कैनाल बनी हुई हैं जो झुंझुनूं जिले की सीमा तक आयी हैं, उनके थ्रू भी सीकर और झुंझुनूं जिलों में सिंचाई का और पेयजल का पानी लिया जा सकता है। उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं।

मैं अन्त में एक बात निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है। एक भी सिंचाई का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहां नहीं है, एक भी हमारे यहां कोई बड़ा बांध नहीं है। सारी की सारी ट्यूबवैल्स पर सिंचाई होती है। लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर पंचायत समिति का करीब-करीब सारा पानी खारा है इस कारण से ट्यूबवैल्स से वहां सिंचाई नहीं हो सकती है। हमारा एक मात्र सिंचाई का अगर कोई साधन हो सकता है तो यमुना और गंगा के पानी में से ही हो सकता है इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सीकर जिले को इसमें आप निश्चित रूप से शामिल करें और आपकी जो स्कीम है इस पानी को जल्दी से जल्दी राजस्थान में लाने के लिए आप गम्भीरतम प्रयास करें और प्रधानमंत्री के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेबिल पर या सुप्रीमकोर्ट में या इन्टर–रीवर डिस्प्यूट मैटर बने हुए हैं उनमें कहीं भी आप जाकर करें लेकिन पानी के लिए आप गम्भीर रूप से प्रयत्न करें। यही मेरा आपसे निवेदन करना है। सीकर जिले की उपेक्षा नहीं करें। जो नाम छूटा है वह किस कारण से छूटा है आप बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल स्पेसिफिक एक क्वश्चन पूछना चाहूंगी और वह मेरा प्रश्न यह है कि 3.6.72 को सबसे पहले इस बारे में मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि झुंझुनूं, चूरू और भी कई जिलों के नाम थे, 40 क्यूसेक्स पानी आयेगा सिंचाई के लिए। बीच में 81 में मीटिंग हुई और 76 में मीटिंग हुई, 82 में मीटिंग हुई। 86 में मीटिंग में फिर हो गया कि नहीं यह पानी नहीं जायेगा सिंचाई के लिए और अल्टीमेटली 85 में यह तय हुआ कि सिंचाई का पानी तो आया गया हो गया। 85 की जो मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि चूरू और झुंझुनूं को 0.1 एम.ए.एफ. पानी मिलेगा पीने के लिए 17 साल बाद तो प्रगति हुई आपकी यह कि आप सिंचाई से आ गये पीने के पानी पर और उसके बाद 88 में जो मीटिंग आपकी हुई है, यह जो यमुना के बाढ़ का पानी है, यमुना से मिलने वाला है वह ड्रिंकिंग वाटर 0.1 एम.ए.एफ. वह चूरू और झुंझुनूं को मिलेगा और....(व्यवधान) सही बात है कि झुंझुनूं में आता है तो यहां भी आना चाहिए। जैसा सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बोर्डर पर जवाहर कैनाल बहती है।

एक माननीय सदस्य : अब तो ओला साहब आ गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ओला साहब आ गये तो अब और ओले गिरेंगे। क्योंकि यह बड़े अफसोस की बात है, मैं तो कहना भी नहीं चाहती थी, नाम लेकर आपने याद दिला दिया कि आपने सिंचाई मंत्री ऐसे आदमी को बनाया है जो अन्तर–राज्यीय जितने हमारे जल विवाद हैं इसमें हमारे स्टेट के केस को बिलकुल प्लीड करने में सक्षम नहीं हैं। यह तो और भी आपके लिए अफसोस की बात है। (व्यवधान)

श्री रेवतराम चौधरी :....सुनती हैं तो कहती हैं कि आदमी तो शीशरामजी खराब नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिराजें आप। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रही थी कि 17 साल बाद तो आप सिंचाई के पानी से आकर के और पीने के पानी पर आ गये तो जैसा कि शास्त्री जी कह रहे थे मूली लटकायी है अभी तो गधे के सामने और बाकी कुछ नहीं है। पीने के पानी की बात है और कब पूरा करोगे भगवान जाने इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इतनी ढिलाई आप न बरतें। 17 साल तक जैसा कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने 17 साल तक पैसा जमा नहीं कराया इसलिए पानी का हिस्सा नहीं मिला और इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में झुंझुनूं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और चूरू जैसे इलाकों में पानी के लिये तरसते रहे।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी पूछें या आप पूछें। माननीय नाथूराम जी।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कुछ बुनियादी बातों की जानकारी करना चाहता हूं। नेशनल इरिगेशन कमीशन बैठा था उसने चार वाल्यूम्स लिखे हैं बड़े-बड़े। क्या राजस्थान में आपने उनका अध्ययन किया है, पहली बात। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्होंने पूरे राष्ट्र की तमाम नदियों की सारी जानकारी लेकर किस नदी में कितना पानी सरप्लस है, और उसका कैसे उपयोग किया जाय, इसके लिये उन्होंने एक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और वह दृष्टिकोण है कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इसका उपयोग राष्ट्र के हित में होना चाहिए। उनकी वोल्यूम्स को मैंने पढ़ा है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर उसने भी अपनी रिपोर्ट लिखी और उसमें किन नदियों का पानी किन इलाकों में जा सकता है इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में बातें लिखीं। मुझे पता नहीं, आपके यहां पर मंत्रिमण्डल में इसका अध्ययन किया या नहीं। मेरे खयाल में तो कभी इन वोल्यूम्स को देखा भी नहीं होगा। सरकारी लेवल पर इसका किसने कितना अध्ययन किया इसका मुझे ज्ञान नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, के. एल. राव साहब जब सिंचाई मंत्री थे, मैं भी उस समय पार्लियामेन्ट में था और उन्होंने देश हित में एक कानून बनाया कि अभी तक जो हमारे संविधान के नीचे अलग-अलग राज्य समझौता करके देश की नदियों के पानी का उपयोग करते हैं यह व्यवस्था नाकाफी है और इस व्यवस्था में एक नया पार्लियामेण्ट का कानून बनना चाहिए। कानून ड्राफ्ट हो चुका। उस समय इन्दिरा गांधीजी प्रधान मंत्री थी। पर उस समय की परिस्थितियों से वह भी घायल होकर कानून पास नहीं करा सकीं और जब तक वह कानून पास नहीं होता तब तक इन राज्यों के अलग-अलग जो बात करके फैसले करने के कितने ही विवाद उलझे पड़े हैं, आपके राज्य के भी करीब 21-22 विवाद अन्तर्राज्यीय उलझे पड़े हैं। इसी तरह से अलग-अलग प्रान्तों के कई नदी जल बंटवारे के विवाद उलझे पड़े हैं। क्या आपमें कुछ सक्षमता है कि आज का प्रधान मंत्री, मैं सोचता हूं समय तो कम रह गया है, चीफ मिनिस्टर मिलकर उन पर असर डाल सकते हैं कि पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर विशेष रूप से उस कानून को लागू किया जाय जिसका ड्राफ्ट के. एल. राव के वक्त में बन चुका है। आज भी वह ड्राफ्ट आफिस में मौजूद है। जब तक बुनियादी पानी के उपयोग के लिए इन बातों को सोचकर फैसला नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। गंगा नदी में बरसात के दिनों में सरप्लस पानी है, इस बात को इरिगेशन कमीशन कह चुका है, वाटर पावर कमीशन का असेसमेन्ट है और यू. पी. कहे कि पानी नहीं है। इस पानी को राजस्थान जैसे सूखे प्रान्त में, एक वक्त था कि नेहरूजी 100 करोड़ देकर पानी ले आये, कुछ पानी आ गया जो बाड़मेर तक भी चला जायेगा। बहुत इलाका सूखा पड़ा है। चूरू है, सीकर है, बीकानेर है, झुन्झनू है, नागौर है, ठेठ यह पानी बाड़मेर तक जा सकता है। नर्मदा से भी वह पानी जालौर के हिस्से में आयेगा। अजमेर को भी इससे पानी जा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकता है। यह जितना सूखा इलाका है। इधर चम्बल का पानी रोककर आगे के कुछ इलाकों में दे सकते हैं। इन बड़ी-बड़ी नदियों का पानी राजस्थान के सूखे इलाके में लाने की कोशिश करें। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कानून नहीं बनायेंगे और जब तक किसी भी प्रधान मन्त्री की तीखी नजर इस मामले में नहीं आयेगी तब तक देश के पानी का सही उपयोग नहीं हो सकेगा। यह सारी बातें जड़ में मौजूद हैं। इसलिए ऊपर-ऊपर से जितना आप कर देते हैं, कभी मीटिंग हो गई कभी मीटिंग नहीं हुई, कभी हां कह दिया, कभी ना कह दिया You are going on the surface. गहराई से सोचने के लिए, देश के लिए, देश के हित के लिए यह जरूरी है। काश्तकारों के खेत में पानी लाने के लिये, पीने के पानी का इन्तजाम करने के लिए इस नई दृष्टि को असेम्बली में रखना चाहता था और यह एक उपयुक्त मौका मुझे लगा। सरप्लस पानी गंगा में बहुत है। बरसात के दिनों में, अगर यह पानी थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा एक दो जगह, और राजस्थान से भी दुगनी कैनाल बनाकर हम उस पानी को फ्लड कर सकते हैं इन इलाकों के अन्दर। बहुत डिटेल में इरिगेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। मैं यह सोचता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ लिख दी जाय और कागज भरकर फिर उसको कमरे में स्टोर कर दिया जाय, इसके लिये तो शायद यह रिपोर्ट नहीं लिखी थी। इसलिये पहले तो आप स्वयं उनको अध्ययन करें और गहराई में जाकर इस मामले में प्रधान मन्त्रीजी को प्रेस करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय, मुख्य मंत्रीजी को स्मरण होगा, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एक शिष्ट मण्डल के जरिये निवेदन किया और एक आवेदन लिखित में दिया कि दूसरी जगह सिंचाई की परेशानी होती है हमारे यहां पीने के पानी की परेशानी होती है। और हम इस बात के लिए बहुत-बहुत अनुग्रहीत हैं कि पानी की उस वक्त तो टेम्परेरी व्यवस्था कर दी लेकिन जैसी हमने पीड़ा व्यक्त की थी कि 15 दिन बाद वहां पर त्राहि-त्राहि मच जायेगी और यह हर साल वहां परेशानी होती है। इसलिए मानवीय आधार को रखते हुए आप राजनीतिक शक्ति और इच्छा बताते हुए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल सकने की हैसियत में है, उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाब डाल सकने की हैसियत में हैं, हरियाणा सरकार पर दबाव डाल सकने की हैसियत में हैं और दूसरा जो 500 क्यूसेक्स पानी गुड़गांवा नहर में और 300 भरतपुर फीडर में, क्या आज की तारीख में तकनीकी क्षमता हमारी इन नहरों की है कि इतना पानी यह वहन कर सकती है। हमारी जानकारी के हिसाब से हमारे इन्जीनियर्स इस पोजीशन में नहीं हैं कि इससे ज्यादा पानी के लिये दूसरे प्रान्तों से प्लीड कर सकें। माननीय मुख्य मन्त्रीजी पहले आप इसका जायजा ले लें कि ज्यादा पानी के लिए अगर हम प्लीड करें किसी भी स्टेज पर तो क्या हमारी नहरें सक्षम हैं ? तीसरा मेरा सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो रुपया एस. वाई. एल. के निर्माण में हमें अपना हिस्सा देना

(श्री सम्पत सिंह)

चाहिए था, न्यू ओखला बैराज जहां बना, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जहां पर सीमायें मिली हुई हैं, जहां वाटर लोगिंग हो रहा है बारह माह, वहां जमीन सेलाइन हो गई। एक तरफ तो पानी की बहुतायत से और दूसरी तरफ खेत में सूखा होता है वहां किसान और उपभोक्ता इन परिस्थितियों में टुकर-टुकर देखता है, जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है। इस व्यवस्था को कितना राजनीतिक स्तर पर या उच्चतम न्यायालय तक यदि जरूरी हो ले जाने के लिए राजस्थान सरकार अपना इरादा रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा और यमुना के पानी का उपयोग राजस्थान के सूखे इलाके में किया जाय इस समस्या को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये यहां पर रखा गया है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार उसमें प्रकट किए हैं। मैं उनसे सहमति प्रकट करता हूं और सबसे पहले माननीय नाथूरामजी मिर्धा साहब ने जो जो बातें कही उन बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। दरअसल अन्तर्राज्यीय विवाद यदि हम पानी का कर रहे हैं, जब तक सारे देश में पानी को राष्ट्रीय सम्पति नहीं माना जायगा, इन विवादों का हल नहीं निकलेगा। जो बातें आपने कही हैं वही बातें हम लोग भी कहते हैं क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश को तो पानी मिलने का सवाल ही नहीं है जिसके पास केवल जमीन है सूखी और कोई सोर्स सीधा पानी का नहीं है। हमने इस बात को प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि जितना भी रिवर वाटर है उसके उपयोग का राइपेरियन थ्योरी के आधार पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो लेकिन रिवर बेसिन की थ्योरी पर पानी का विस्तार किया जाय और इस सिद्धान्त पर एक प्रकार से सतलज रावी- व्यास के पानी को उपयोग करने की बात स्वीकार कर ली गई। आपको मालूम है अगर राइपेरियन थ्योरी के आधार पर नदियों के पानी की उपयोगिता होती तो शायद इन्दिरा गांधी कैनाल यहां पर कभी नहीं आती और यह पानी सारा का सारा पाकिस्तान में चला जाता लेकिन जवाहरलालजी ने 1960 में सन्धि की उसके बाद में यह बात तय की गई, पानी देश का है और उस पानी का उपयोग अनडिवाइडेड पंजाब नहीं कर सकता तो उस पानी का उपयोग राजस्थान की सूखी धरती पर किया जाना चाहिए और आप जानते हैं कि उस पानी को मोड़ दिया, उसको बांधकर राजस्थान की सूखी धरती पर पहुंचा दिया। वही बात दूसरे वाटर के सम्बन्ध में लागू होती है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मिर्धा साहब कह रहे थे, नेशनल रिवर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आधार मानकर बात कही। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में यमुना के वाटर का जो हमने हिस्सा मांगा है वह नेशनल ईरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें यह माना गया था कि स्टेट्स का जितना केचमेंट एरिया पड़ता है उस हिसाब से उसका हिस्सा तय किया जाय। उसी आधार पर हमने यमुना के पानी में अपना हिस्सा मांगने वाली बात कही है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियां गंगा हो या यमुना हो, पहाडों के थ्रू बहती हैं तो उसमें किसी

(श्री शिवचरण माथुर)

तरह का बांध नहीं बांधा जा सकता, उनसे ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। जब वह प्लेन में आती है, नदी जब मैदान में आती है और जो पेरेनियल नदी है उसमें उत्तर प्रदेश के इलाके में कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिलता जहां कोई बड़ा बांध बनाया जा सके और पानी को इम्पाउण्ड करके सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकें।

इसलिये आपने देखा होगा गंगा और यमुना से उत्तर प्रदेश में जितनी भी सिंचाई होती है वह सब एक रन आफ दी रिवर के थ्रू होती है। पानी नदी का बह रहा है उसमें बीच में कहीं एक बैराज बना दिया और उसमें पानी को डाइवर्ट करके जमीन की सिंचाई की जाने की बात की जाती है। हमने यह कहा कि इस तरह के पानी का उपयोग राजस्थान में भी हो सकता है। जहां तक यमुना के पानी का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, हमने निश्चित रूप से कहा है कि इस पानी का तो हम निश्चित रूप से उपयोग कर ही सकते हैं। कुल मिला कर के 2.55 मिलियन एकड़ फीट का जो पानी राजस्थान को मिल सकता है उसकी क्षमता करीब 4.85 लाख का कमाण्ड एरिया राजस्थान में बन सकता है। इसी प्रकार से गंगा के बारे में हमने यही कहा कि गंगा के पानी को हम इम्पाऊंड करके सिंचाई तो नहीं कर सकते लेकिन गंगा का जो फ्लड का वाटर है जिसको हमने अन्दाज लगाया करीब 14.12 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसके लिये हमने यह कहा कि फ्लड के वक्त में, जब बरसात हो, उस समय 40 हजार क्यूसेक्स पानी को 50 दिन तक लगातार राजस्थान के हिस्से में डाइवर्ट कर दिया जाये तो राजस्थान में जो आपने बात कहीं उसमें झुंझुनू भी आता है चूरू भी आता है, सीकर भी आता है नागौर भी आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर तक के इलाके आते हैं। इन सबमें या सिंचाई का पानी ले सकते हैं या पीने का पानी के रूप में दे सकते हैं यह एक बहुत वैल थाट आउट स्कीम हमने भारत सरकार को भेजी है। जैसे कल भी एक सवाल आया था मैं तो उसमें भाग नहीं ले सका था लेकिन कल आपने देखा होगा जब डार्क जोन का सवाल आया और कहा गया कि राजस्थान का डार्क जोन बढ़ता जा रहा है तो हमारे अध्ययन के आधार पर हमें यह मालूम पड़ा है कि जिस एरिया में हमने पानी को इम्पाउंड करके उसको सिंचाई के काम में लिया है वहां डार्क जोन कम हुआ है और पानी का रीचार्ज हुआ है। आप अगर नक्शे को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन दिनों में गंगानगर के इलाके में जमीन में नीचे पानी बढ़ा है। बांसवाड़ा के इलाके में जमीन में नीचे पानी बढ़ा है। जहां पर हमने इरिगेशन का सिस्टम लागू किया है वहां पर ग्राउंड वाटर का भी रीचार्ज हुआ है और जहां पर ग्राउंड पर पानी फ्लो नहीं करता है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है वहां पर एक प्रकार से रीचार्ज नहीं होता है और वहां पानी का लेवल काफी नीचा गया है। यह स्थिति हमारी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि रिवर बेसिन के सिस्टम को हमने प्रतिपादित करने को भारत सरकार को लगातार कोशिश की है और मैंने तो इन पिछले साल डेढ़ साल के अन्दर केन्द्रीय सिंचाई मंत्री

(श्री शिवचरण माथुर)

श्री शंकरानंद जी से कई बार मीटिंग्स की हैं। हमारे अधिकारियों के लेवल पर भी मीटिंग्स की है और मैंने यही कहा कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी जल विवादों का फैसला कीजिये वरना एक दूसरे की स्टेट में आपस में कटाव बढ़ता रहेगा, तनाव बढ़ता रहेगा और कोई भी प्रदेश अपने पानी को दूसरे प्रदेश में जाने के लिये इजाजत नहीं देता चाहे पानी कहीं जाता हो, चाहे पानी बहकर समुद्र में जाता हो लेकिन कोई अपना पानी दूसरी स्टेट को नहीं देना चाहता यह हकीकत है, वास्तविकता है। हमने इस बात को जब भारत सरकार के सामने कही, एक्सपर्ट कमेटी के सामने भी बात कही, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये। गंगा में जब पानी बचता ही नहीं है। हमने अपने आंकड़े देकर के कहा कि पानी बचता है और नेशनल इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमने कहा कि इतना पानी गंगा में अवेलेबल है, इतना पानी यमुना में अवेलेबल है इतने फ्लड के वाटर को आप डाईवर्ट करके राजस्थान को दे सकते हैं। वह सारा आधार जब हमने बताया उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना दूसरा दावा रखती है कि हमारे पास पानी का बचाव ही नहीं है इसलिये हम दूसरे प्रदेश की सरकार को देने की स्थिति में नहीं है। इसी बात को लेकर के हमने भारत सरकार को कहा है और मैंने पिछली बार भी शंकरानंद जी को यह बात निवेदन की थी कि आप तीनों चारों संबंधित मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बात कर लीजिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून की बात निकलवाओ। के.एल. राव का ड्राफ्ट बना पड़ा है।

श्री शिवचरण माथुर : कानून की बात तो मैं कह ही रहा हूं। वह कानून बनाने की बात भी हमने कही है। यह जो कानून पड़ा हुआ है डा. के.एल. राव के द्वारा बनाया हुआ उस कानून को भी बनाया जाये और अब यह भारत के स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि चाहे पानी का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, दोनों ही एक ऐसे सोर्सेज हैं एक प्रकार से....

श्री नाथूराम मिर्धा : 400 आपके पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं। राजीव जी गांधी अगर यह काम कर दें, इस कानून को लागू करके देश का वाटर सबका कर दें तो शायद पार्लियामेंट में आप वापिस आ जाओ, क्या कठिनाईयां हैं....

श्री शिवचरण माथुर : मिर्धा साहब, उस वक्त तो आप हमारे साथ थे....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं था कोशिश की और मैं फेल हो गया। इसलिये अब आपको कह रहा हूं कि अब करो।

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रयास में दूसरी गवर्नमेंट भी रही है वह भी सफल नहीं हो सकी, क्या कारण हैं उसको आप जानते हैं। हमारा प्रयत्न यह है हम इस कानून को पास कराने में प्रयत्नशील हैं लेकिन एक आल इण्डिया का सवाल है कितना उसमें समय लगेगा यह मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारा यह प्रयत्न है और हम

(श्री शिवचरण माथुर)

इस बात को मानते हैं कि जब तक वाटर को...

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्लियामेंट में आपके 400 मेम्बर हैं क्या कद छोटा है आपका। यह पंचायत राज और ऐसे ऊल जलूल कानून कर रहे हो उसके बजाये इसे करो न ? 400 आदमी हैं आपके पास।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठें आप।

श्री शिवचरण माथुर : इस सारी बहस व। जो आपरेटिव पार्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं कहना चाहता हूं मैंने लगातार पिछले दिनों तीन चार मीटिंग्स की हैं और अभी तीन दिन पहले जब मैं दिल्ली में था तो हमारे जो नये सिंचाई मंत्री हैं मिस्टर जैकब उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आप हमारी मीटिंग बुला लीजिये और इस मसले का कोई न कोई फैसला कीजिये। उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिला था और उन्होंने इस बात की सहमति प्रकट की थी कि राजस्थान हरियाणा और उत्तरप्रदेश तीनों मिलकर के यह कसाऊ का जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग बातचीत कर लें इसकी टेक्नीकल डिटेल्स डिस्कस कर लें और उस पर कोई निर्णय पर आ जाने वाली बात हम करना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि हम यमुना के पानी को भी लाने की कोशिश करें, गंगा का जो फ्लड का वाटर है जो बाढ़ का पानी है उसका भी उपयोग हम राजस्थान में करें इसके लिये हम पूरी तरह से सचेष्ट हैं और मैं समझता हूं कि इसमें आप भी हमारे साथ हैं और आपको जो जवाब आज मिले हैं उसमें जो बात कही है अभी यदुनाथ सिंह जी ने जो चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी उसमें भी वही बात कही है जो उत्तरप्रदेश सरकार कह रही है कि पानी अवेलेबल नहीं है। हम इस बात को डिसप्यूट कर रहे हैं। हमने कहा कि पानी अवेलेबल है और इस पानी को राजस्थान को डाईवर्ट करके इन सूखे इलाकों में सीकर झुंझुनूं नागौर आदि में दिया जा सकता है। यह निरन्तर हमारा मत रहा है और हम आज ही भारत सरकार को कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में आवश्यकता पड़ी तो हम प्रधान मंत्री जी से भी इसका निवेदन करेंगे, उनको भी कहेंगे कि आप इसमें इन्टरविन कीजिये, अगर दो तीन स्टेट्स आपस में बैठकर फैसला नहीं कर सकती हैं तो प्रधान मंत्री जी इसमें इन्टरविन करके फैसला करवायें, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने हिस्से के पानी को राजस्थान के हित में लाने के लिये सचेष्ट हैं। यही मुझे इस मौके पर कहना है।

एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं आपने कहा कि ओखला बैराज के बारे में यह कहा गया कि राजस्थान सरकार ने पैसा नहीं भेजा इसलिए उसकी मरम्मत नहीं हुई या उसका काम नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर ने 1 करोड़ 97 लाख का पहले एस्टीमेट भेजा था और उन्होंने फिर उसको वापिस कर लिया उन्होंने कहा कि हम इसको रिव्यू करके दूसरा एस्टीमेट भेजना चाहते हैं उन्होंने दूसरा एस्टीमेट अभी तक नहीं भेजा है। हमने पहले एस्टीमेट के अगेंस्ट में एडवांस तौर पर उनको 20 लाख रुपया भेज

(श्री शिवचरण माथुर)

दिया और हमने कहा है आप उन एस्टीमेट्स को दुबारा रिव्यू करके जल्दी हमको भेजिये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका एस्टीमेट आने के बाद में हम निश्चित रूप से अपने हिस्से का पैसा उनको दे देंगे इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : वह कभी भेजेंगे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें आब्जेक्शन है। उपाध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अड़चन पैदा कर रही है कि इन नदियों के पानी में राजस्थान को कुछ हिस्सा न मिले। आपने एक बात कही कि मैंने केशाऊ डेम के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से बात की है, के.एल. राव जिस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे सन् 63 में और जिसमें राजस्थान की ओर से माननीय मिर्धा साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। केशाऊ डेम में राजस्थान का हिस्सा आ रहा है 22 पर्सेन्ट का, यह तभी तय हो गया था, यह 63 में तय हो गया था और इतने साल बाद अब आप कह रहे हो कि केशाऊ डेम में हिस्से की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार कहां सचेष्ट है गंगा का पानी और यमुना का पानी लेने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 66 में गुड़गांवा कैनाल का काम शुरू हुआ यानि उन नदियों से पानी लेकर हमको यूजेज बतानी हैं उसकी क्या स्थिति है। यानि 66 में गुड़गांव कैनाल का काम चालू हुआ, दो करोड़ 87 लाख रुपये का। एक साल बाद बन्द कर दिया ? 77 में जनता की सरकार आई उन्होंने उस काम को चालू किया, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स बनाये और कहा कि 73–74 में हम इस काम को पूरा करेंगे। तीन साल वह काम चला फिर 80 में कांग्रेस की सरकार आ गई फिर वह काम बन्द हो गया, और अब फिर रिवाईज्ड एस्टीमेट्स बने हैं और अब आप कह रहे हैं कि 1991–92 में उसका काम पूरा करेंगे और नया जो मास्टर प्लान आपने बनाया है उसमें कह रहे हैं कि, लाइकली टू बी डिलेड। मेरे कहना का तात्पर्य यह है उपाध्यक्ष महोदय, जो इन अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के उपयोग का अपने राज्य में करने का सवाल है चाहे वह रावी व्यास के पानी का सवाल हो, चाहे वह यमुना के पानी के उपयोग का सवाल हो, चाहे यह माही के पानी के उपयोग का सवाल हो।

नर्वदा वाटर के डिस्प्यूट का मामला हो उस पानी का उपयोग करने को हम तैयार नहीं रहेंगे उसका उपयोग करेंगे तो यूजेज को बताने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यह मेरा प्रश्न है। गुड़गांवा कैनाल मेहरबानी करके आप पूरी करें। उत्तरप्रदेश को भरतपुर फीडर का चुकारा करना है तो वह चुकारा करिये, हरियाणा को लिंक चेनल के मेन्टीनेन्स का चुकारा करना है तो वह करिये। इसका चुकारा नहीं कर रहे हैं। हरियाणा उसको तोड़ रहा है। कोई पानी नहीं आ रहा है। आपने बात की नेशनल इरिगेशन कमीशन की। आपके प्रधान मंत्री ने नेशनल वाटर पालिसी बनाई। क्या सिद्धान्त रखे, क्या प्रायोरिटीज तय की, 1991 तक हर गांव में, हर आदमी को पीने का पानी उपलब्ध आप

(श्री यदुनाथ सिंह)

करायेंगे चाहे हमें गंगा के बेसिन से पानी ही ट्रान्सफर करना पड़े। यह तो बेसिन की बात कर रहे हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गुड़गांवा कैनाल को कब पूरा करेंगे यह आप निश्चित रूप से बताइये। ढिलाई से काम नहीं चलेगा। टीहरी डेम में हिस्सेदारी के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करके मीटिंग तय कीजिये। उत्तरप्रदेश ने कोई जवाब नहीं दिया है। केन्द्र सरकार को, प्रधान मंत्री को आप कहिये। आप प्रधान मंत्री को क्यों नहीं कहते हैं कि हमको टीहरी डेम में हिस्सा दीजिये, हमारी हिस्सेदारी है, बिजली में, पानी में हिस्सा मिलना चाहिये। 1500 करोड़ की रशियन एड मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़ी विनम्रता से मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आप बड़ी चतुराई से इस चीज को छिपा गये। हमारी जब टैक्नीकल क्षमता नहीं है....

श्री शिवचरण माथुर : मैं एक बात कहना भूल गया था। पीने के पानी के लिये 300 क्यूसेक्स के लिये हर साल बात करके जुड़वाना पड़ता है। हर साल मुख्य मंत्री से बात करके जुड़वाना पड़ता है। इसके लिये मैंने कहा है कि बैठ करके चर्चा की जाये और फैसला कीजिये।

श्री नत्थी सिंह : गुड़गांवा वाला फीडर आप क्यों नहीं बना देते हैं। यह 500 क्यूसेक्स, 300 क्यूसेक्स पानी क्यों नहीं ले सकता है। यह तो हमारे आफिसरों की गलती है।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारी नहरें हैं जब उनमें क्षमता नहीं है, 500, 300 क्यूसेक्स पानी वहन करने की और इसीलिये हमारी राजनीतिक इच्छा नहीं है दूसरे प्रान्त से लड़ाई, झगड़ा करने की और इस पानी को लेने की। यही वजह है कि मुख्य मंत्री इस चीज को कहीं प्लीड नहीं करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आप कहते हैं वह सही है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी नहरों की क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : जब हम मौके पर जाते हैं और ले मैन यह पूछता है तो इन्जीनियर बगलें झांकता है। जब हमारी क्षमता नहीं है नहरों की तो हम आगे प्लीड ही नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर्राज्यीय जितने विवाद हैं उनके सम्बन्ध में सबका लक्ष्य एक ही है कि राजस्थान का हित ज्यादा से ज्यादा हो। इस सम्बन्ध में आप कुछ जानकारी देते हैं और हम कुछ जानकारी देते हैं। कई बार जानकारी में आपस में इस प्रकार की स्थिति रहती है कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की ओर से अन्तर्राज्यीय विवादों के सम्बन्ध में एक व्हाइट पेपर निकाला जाये ताकि पूरी जानकारी मिल सके कि मध्य प्रदेश से आपका किस प्रकार का विवाद है, पंजाब से क्या है, हरियाणा से क्या है, नर्मदा के मामले को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकर गुजरात से आपका क्या विवाद है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का डाक्यूमेंट यदि आपने तैयार करवा लिया है तो इस डाक्यूमेन्ट के आधार पर कितनी प्रोग्रेस हुई, हर बार चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वर्ना यह पता नहीं लगता कि आपने किस प्रकार के एफ्टर्स किये, क्या एग्रीमेण्ट हुआ था। इस सम्बन्ध में आप व्हाइट पेपर निकालें।

श्री शिवचरण माथुर : व्हाइट पेपर की जरूरत नहीं है। एक पूरा डाक्यूमेण्ट तैयार कर लिया गया है। आप चाहेंगे तो भेज देंगे। इन्टर स्टेट वाटर में क्या हमारी स्थिति है, इसका डाक्यूमेण्ट तैयार है।

श्री नत्थीसिंह : वह भेज दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक व मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक, समय बढ़ाइये।

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बंद का समय सदन की सहमति से एक घंटा बढ़ा दिया जाये। पांच बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन का समय बिल पास होने तक बढ़ाया जावे।

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग पर मुखबंद का समय पांच बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि मुख बंद का समय पांच बजे तक बढ़ा दिया जाये और सदन का समय जब तक कार्य सूची समाप्त न हो तब तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की राय से मुखबंद का समय सायं 5 बजे तक और सदन का समय कार्य-सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री माणक डाणी : He will just draw the attention. उसके बाद मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे और आप सवाल पूछेंगे।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर नगर की कृष्णा मिल के सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्री, मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृष्णा मिल, ब्यावर पर मंत्री का वक्तव्य

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है कृष्णा मिल के बारे में। काफी लम्बे समय से कृष्णा मिल के बारे में आप यह बात सदन के माध्यम से और अन्य माध्यम से हमारे मुख्यमंत्रीजी के सामने कहते रहे हैं। वास्तव में इस इकाई को चलाने के लिये काफी प्रयास किये गये सरकार के स्तर पर। यह बात सदन के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अन्दर भी आई और इसके लिये एक समिति का गठन किया गया लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उसमें अपोजिशन के लीडर और अन्य अधिकारी भी थे। उसमें इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। इस सारे प्रकरण को डी.आई.एफ.आर. के पास प्रपोजल्स के साथ भेजा गया। जो श्रमिकों के रिप्रिजेन्टेटिव थे उनकी बात कही गयी। वे भी अपनी बात कहने गये और अल्टी–मेटली उस मीटिंग के बाद में यह तय हो गया 27 जून को, डी.आई.एफ.आर. ने यह फैसला कर दिया कि यह मिल चलाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद में अभी हाल ही में मुख्यमंत्रीजी ने उद्योग विभाग की मांग का जवाब देते हुए उद्योग विभाग की नीति पर प्रकाश डाला और कुछ निर्णय लिया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस इकाई के बारे में जो निर्णय लेने की बात सोची है, उस पालिसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।

आज राज्य में कई औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं इसका एक बड़ा कारण औद्यो–गिक कु-प्रबन्ध है। हमारा विश्वास है कि मजदूर वर्ग इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

जहां रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने का प्रश्न है, अब हमारी नीति यह होगी कि जहां कम्पनी की हिस्सा पूंजी में मजदूर अपनी भागीदारी से चलाने का प्रयास करेंगे वहां राज्य सरकार उन्हें रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान करेगी। इन प्रयासों में मजदूरों को निम्न त्याग करना आवश्यक होगा :–

1. वह अपने बकाया वेतन को पुनर्जी-वित कार्यक्रम हेतु कम्पनी की हिस्सा पूंजी में विनियोजित करेगा,

2. बोनस व अन्य परिलाभों का रुग्ण इकाई के लाभ में आने तक त्याग करना होगा। आवश्यकतानुसार रेशनलाइजेशन में सहयोग देना, उत्पादकता के सिद्धान्त को स्वीकार करना तथा,

3. हड़ताल आदि से दूर रहना,

4. जब तक इकाई अच्छी तरह से लाभ में न आये वह वेतन व अन्य परि–लाभों के बढ़ाने के बारे में अपनी मांगे स्थगित रखेंगे।

उद्योगों को मजदूर वर्ग की भागीदारी से चलाने के कुछ सफल प्रयोग हमारे सामने हैं, जयपुर मेटल्स एक अच्छा उदा-हरण है। कुशल प्रबन्ध इन प्रयासों में बड़ा स्थान रखता है। मजदूर वर्ग के सम्बन्धित उद्योग को पुनर्जीवित करने के कदम ठोस हो इसके लिये राज्य सरकार कुशल प्रबन्ध व्यवस्था को मजबूत करने में पूरा सहयोग करेगी।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में इस मिल के बंद होने के बाद यह मामला कम से कम 12 बार इस सदन में आया और आज ग्यारहवें सत्र में यह मामला आने के बाद उद्योग राज्य मंत्री ने जयपुर मेटल्स के आधार पर इस मिल को चलाने की बात कही है।

मैं उस बात का तहेदिल से स्वागत करता हूं और मैं ही नहीं बल्कि माननीय

(श्री माणक डागी):

विपक्षी दल के सदस्य जो मेरे बाद में इस मुद्दे पर अपनी बात कहेंगे वे भी इस बात का स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस शहादत के लिए मैं ही नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के जो इस मिल के माध्यम से पलते हैं वे इस कांग्रेस की सरकार को धन्यवाद देंगे। यह तो आने वाला 1990 का चुनाव बतायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना अवश्य है कि यह मिल चाहे जिस परिस्थिति में है यह मिल चला दी जाय, उस चिमनी से धुंआ निकाल दिया जाय तो इस मिल के अन्दर श्रमिक काम पर लग जाय। अगले महीने की पहली तारीख को इस मिल के अन्दर एक बार तनख्वाह मिल जाय चाहे जो परिस्थिति सरकार को पैदा करनी हो, पैदा करें लेकिन यह मिल चले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह मिल सन् 1983 में बन्द हुआ और आज 89 में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद इसके ग्रेच्युटी और वेतन के मामले वेतन अधिनियम के तहत केसेज चल रहे हैं। आज उनका लगभग 40-45 लाख के दावे बकाया हैं और वेतन अधिनियम 17(1) के तहत वेतन अधिकारी ने इनके माल पर अटेचमेंट कर रखा है लेकिन अटेचमेंट के खिलाफ स्टेट बैंक आफ इंडिया हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस माल को नीलामी के द्वारा बेच दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद करीबन 42 लाख की आफर वहां से आ गई। दो-तीन अमाउन्ट का फीगर है वह फीगर इनके पास आ गयी। 43 लाख रुपये नीलामी के फीगर्स इनके पास आ गये। अगर स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 43 लाख रुपये में माल को बेच दिया तो मजदूरों की सहकारी समिति सैक्टर में मिल को चलाने का प्रयास सरकार ने किया तो किस आधार पर शेयर के अन्दर रुपया परिवर्तित हो पायेगा। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार मजदूरों की तरफ से हाई कोर्ट में जाय और उनकी ग्रेच्यूटी के, उनके वेतन के लिए और बोनस के मामले में जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है, बेचने का आदेश दिया है उसे वह रुकवायें, पैरवी करे, राज्य सरकार वकील खड़ा करके और उस पैसे को अंशदान में परिवर्तित कराने के काम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकार अदा करे। नम्बर एक।

नम्बर दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता क्षेत्र की बात पहली बार जब आप मुख्यमन्त्री जी, माथुर साहब पहले 1984 में तब भी आपने कही थी और आज भी आप इस बात के लिए सहमत हैं। आपकी विचार धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सोचता हूं उस समय अगर ये परिस्थितियां विद्यमान होती सम्भवत: यह मिल प्रारम्भ हो जाती एक चीज मैं नहीं समझ पाया तीन करोड़ 42 लाख रुपये की योजना उस समय आई. डी. बी. आई. ने बना कर दी और वही आई. डी. बी. आई. यह जयपुर मैटल्स या अन्य किसी संस्था को दें और वह संस्था उसे 14 करोड़ की वायेबिलिटी बना दे। यह इतना परिवर्तन चार साल में कैसे हुआ? तीन करोड़ 42 लाख रुपये के आधार पर 90 लाख

(120)

(श्री माणक डाणी)

रुपये की स्टेट बैंक ने अपनी गारण्टी जारी कर दी । 90 लाख रुपये की गारन्टी जारी होने के बाद वह मिल चाहे किसी परिस्थिति में नहीं चल पायी होगी लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की जांच करानी पड़ेगी कि 14 करोड़ की वाय-बिलिटि और तीन करोड़ 42 लाख की वायबिलिटी इतना बड़ा अन्तर क्यों हुआ और उस समय राज्य सरकार जब एक करोड़ रुपया या 90 लाख रुपया अपनी तरफ से देने को तैयार थी तो मैं यह चाहता हूं कि इस मिल को चलाने के लिए प्रारम्भिक अवस्था में राज्य सरकार अपने 1985 की 90 लाख के आधार पर अगर 1984 के आधार पर तीन करोड़ 42 लाख की पूंजी वायेबिलिटी के रूप में 14 करोड़ बनती हो तो 90 लाख की गारण्टी के हिसाब से जो पैसा 1986 के आधार पर बनता हो वह राज्य सरकार अगर देवे तो मिल को चलाने में जो क्रियाशील पूंजी चाहिये, जिस पूंजी की आवश्यकता है दैनिक खर्चा के लिये, माल की सामग्री मंगाने के लिये उनके लिये राज्य सरकार दे । दूसरी बात मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं ।

अब तीसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मार्च, 1986 को इसी सदन में एक समिति चाहे तो हो हल्ले के कारण हुई चाहे सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के कारण हुई लेकिन वह समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पाई । यह गलत बात है कि विधान सभा में हल्ला कर लो आप । विधान सभा में धरणा देकर समिति बना लो । लेकिन उस समिति में जब वह सदस्य सम्मिलित हुए क्या वे मिल को चला पाये ? क्या वह मिल चला सकते तो क्या रेलें रोकने से मिल चल पाई ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात महत्वपूर्ण, हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों को समझना होगा कि हो हल्ला करने से, रेलें रोकने से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये केवल ।

श्री माणक डाणी : माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं 19 मार्च, 1988 को समिति बनने के बाद आपकी दो बार बैठकें हुई । और दो बार बैठकें होने के बाद जब मिल नहीं चल पाई । उसके बाद में आपने 31 मई, 1986 को श्रम सचिव और रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक साल दो महिने बाद आपका डिपार्टमेंट उनको यह लिखता है कि कापरेटिव में चलाने की सम्भावनायें ढूंढी जांय । एक साल दो महिने बाद क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : बात आ गई । अब आप जांच की खिड़की क्यों खोल रहे हैं ?

श्री माणक डाणी : मुझे एक दो बात तो करने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, फिर तो सब खोलेंगे ।

श्री माणक डाणी : एक साल दो महिने बाद इतनी लेट कार्यवाही से भी इस मिल की वायेबिलिटी के अन्दर अमाउण्ट बढ़ा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सहयोग करना चाहिये । जो प्रपोजल्स आयें उसकी बात कहिये ।

श्री माणक डाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि राज्य सरकार पहल करके एक अधिकारी की आप आज ही घोषणा करें और वह अधिकारी इसी सप्ताह में ब्यावर पहुंचे, चारों श्रमिक यूनियनों को, वहां के मजदूरों से बातचीत करके कॉपरेटिव सैक्टर में चलाने के लिये जयपुर मैटल्स का जो बेस है, उस जयपुर मैटल्स के बेस के आधार पर इस मिल को चलाने की घोषणा करे चाहे इसके अन्दर वहां पर जमीन बेचना पड़े, जमीन बेचकर पैसा ले। राज्य सरकार जितना पैसा दे सकती है उतना राज्य सरकार उसके अन्दर पैसा दे और इस मिल को चलाने के लिये राज्य सरकार कदम उठाये और राज्य सरकार इस बात की घोषणा करे। मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा का मैं ही नहीं अपितु यह सदन, सारा ब्यावर शहर और राजस्थान की जनता सभी इस बात का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस मिल को दिवालिया घोषित करने के लिये बोर्ड आफ इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स री-कन्स्ट्रक्शन.... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसमें यूं है कि अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ बातें कहनी हो वह कहियेगा ना आप। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तो मैं वही बातें कहूंगा जो वाजिब है, अन्यथा बातें नहीं कहूंगा। 14.3.89 को पेशी हुई और उस पेशी पर मिल के मजदूरों के जितने भी संगठन हैं उन सबको बुलाया गया। उन सबको बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको कॉ-आपरेटिव बेसिस पर चलाना चाहते हैं। हमें समय दीजिये। उनकी दूसरी पेशी 27.6.89 को हुई। 27.6.89 की पेशी पर वहां पर इन मजदूर संगठनों को कहा गया कि यह कॉ-आपरेटिव बेसिस पर किसी भी हालत में मिल नहीं चलाई जा सकती है और इस मिल को चलाने के लिये किसी भी प्रकार का मतलब यह जो इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स एण्ड री-कन्स्ट्रक्शन है इसने कह दिया कि इसको किसी भी प्रकार से दिवालिया घोषित होने से नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है आपके सामने और सरकार से जानना चाहता हूं क्या सरकार वह जो कार्यवाही चल रही है सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश करेगी ? प्रथम सवाल तो मेरा यह है।

दूसरा सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हम इस मिल को चलाना चाहते हैं बशर्ते मजदूर बोनस का फायदा नहीं लेवें, हड़ताल नहीं करें, वेतन वृद्धि की मांग नहीं करें और कुशल प्रबन्ध जो है वह किया जाय। मजदूरों का संगठन या जितने भी वहां संगठन बने हुए हैं वह पिछले दिनों में आया सरकार को यह आश्वासन दिया, इसके लिये भी आज दिन तक इंटक इसमें रोड़ा डाल रही है। जबकि वह संस्था, वह संघ सत्ता पक्ष का एक संगठन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसको भी क्यों नहीं उसके लिये एप्रोच किया जाय ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल है, यह मिल पिछले 6–7 साल से बंद है, अब जब तक इस मिल को चलाने के लिये सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है तब तक केवल एक अच्छे आफिसर को लगा देने से ही यह मिल चालू नहीं हो सकती है। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम दस करोड़ रुपये

(श्री हीरासिंह चौहान)

की इमीजिएट इस मिल को चलाने के लिये सहायता दी जाय ताकि यह मिल तत्काल चल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी उद्योग मंत्री जी ने कृष्णा मिल के बाबत घोषणा की कि मजदूर स्वयं अपनी भागीदारी बनाते हुए इस मिल को चलायें। होना तो यह चाहिये था.... (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : हीरालाल जी देवपुरा मिनिस्टर थे तब घोषणा हो गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : मोहन जी, आप अपनी सीट पर नहीं रहते हैं, तो डिस्टर्ब मत करिए।

श्री शिवचरण माथुर : जो वार्ता चैम्बर में अपनी हुई थी उसके आधार पर आपको तो इसका स्वागत करना चाहिये था, जिन बातों को स्वीकार किया। आप तो नयी बातें कह रहे हैं।

श्री रमजान खां : वही तो मैं कह रहा हूं, नयी बातें थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री मोहन छंगाणी : सरकार ने घोषणा कर दी थी कि हम ले रहे हैं, चला रहे हैं। यह देवपुराजी के समय में हुई थी, मुझे याद है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मोहनजी, अब रोड़ा न डालें आप। कार्य हो रहा है किसी का।

श्री सी.पी. जोशी : ठीक बात है, अजमेर का मामला है।

श्री रमजान खां : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों के भाग्य पर इस मिल को छोड़ दिया। होना तो यह चाहिये था, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस ढंग से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को आपने चालू किया, सरकार की तरफ से उसको वित्तीय सहायता दी, उसी प्रकार से कृष्णा मिल को भी देनी चाहिये थी क्योंकि कृष्णा मिल की वायबल यूनिट थी, वह मेवाड़ टैक्सटाइल मिल से अच्छी मशीनरी वाली मिल आज वहां पर खड़ी है। मगर आपने यह नहीं किया। इससे यह साफ जाहिर है कि आपने राजनैतिक भेदभाव किया। नम्बर एक।

श्री शिवचरण माथुर : यही कहना चाहते थे।

श्री रमजान खां : हमने कहा आपको, हम तो वहां से चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। आपके माणक डाणी जी हैं, अगर आप उनका भला चाहते हो तो जिस तरह से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को आपने चालू किया उसी तरह से कृष्णा मिल को चालू करना चाहिये था, नम्बर एक।

नम्बर दो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। यह बात सही है कि राज्य सरकार ने मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को चालू कर मजदूरों का बकाया वेतन 1 करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान किया है तो क्यों नहीं कृष्णा मिल के मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान किया जाय ?

श्री माणक डाणी : माननीय रमजान खां को मेरी फिक्र है उसके लिये धन्यवाद। आप तो घोषणा कर दो, माणक डाणी को तो कांग्रेस लड़ा देगी, मगर आप मेरे सामने विरोधी उम्मीदवार खड़ा नहीं करना।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। व्यास जी आप बैठें। मैं आपको बोलने दूंगा। आप लेबर के नेता हैं, बोलने दूंगा।

श्री प्रणवीर व्यास : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को जिस तरह से चालू किया है उसी तरह से कृष्णा मिल को चालू करें, बहुत अच्छी बात कही। मैं इनकी बात का स्वागत करता हूं। लेकिन मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के अन्दर एक संगठित यूनियन थी, लीडरशिप थी, उस मिल को चलाने के लिये उनमें अक्ल थी इसलिये वह मिल चली। आप रेल रोकें, आन्दोलन करें, वहां पर घेराव करें, उस मिल को चलाने के अन्दर बाधा उत्पन्न करें, मजदूरों के नाम पर, उनका भला करने के नाम पर उनका शोषण करें उस हालत में सरकार तो क्या कोई भी उस मिल को नहीं चला सकता।

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ प्लीज सिट डाउन। व्यासजी, बैठें।

श्री प्रणवीर व्यास : उस मिल को अगर चालू करना है तो संगठित यूनियन हो, संगठित रूप से उस पर पैकेज डील हो तब जाकर वह मिल चालू हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रणवीर, आप बैठें। माननीय सी.पी. जोशी, प्लीज।

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय मुख्य मंत्रीजी से...

श्री शिवचरण माथुर : इसकी कहां बहस में डाल दिया।

श्री रमजान खां : याद दिला रहा हूं मैं तो आपको कि आपने मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मजदूरों को पैसा दिया तो फिर कृष्णा मिल के मजदूरों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : अब उसके बाद, बहुत एक्सपेरीयेन्स भी होगा, आप बोलें।

श्री रमजान खां : क्या वह राजस्थान के, यहां के रहने वाले नहीं हैं ? क्या, वह भारत के वासी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें, सवाल पूछिये आप।

श्री रमजान खां : आप रोक रहे हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी। अब आखिरी एक बार और निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप कहं रहे हैं इसलिये मान रहा हूं, इनके कहने से तो नहीं मानता क्योंकि भेदभाव बरता है इन्होंने। (व्यवधान) डाणीजी को हराना चाहते हैं, साहब। आपके माध्यम से एक बात और निवेदन कर रहा हूं, भागीदारी मजदूरों की तो आप बनाने जा रहे हैं, आप कहो तो मैं स्वागत भी करता हूं इस बात का, मगर मजदूर शेयर मनी कहां से लायेगा ? जब तक उसका बकाया पैसा है उसका पेमेण्ट करने का आप कोई अरेन्जमेंट करने की घोषणा यहां पर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि मजदूरों की जिंदगी के साथ

(श्री रमजान खां)

आप खिलवाड़ कर रहे हैं। बार-बार घोषणाएं हुई हैं।

चौथी बात, जो कमेटी मार्च, 88 में मुकर्रर हुई, जिसमें विपक्ष के माननीय नेता भी थे, उसकी यह देन है कि आज इस सरकार को मजबूर होना पड़ा कि मजदूरों के शेयर जमा करके इस मिल को चलाने के लिये। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : रमजान भाई, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। उस समिति की देन होती ना तो यह मामला बी.एफ. आई. आर. के पास गया और बी.एफ.आई.आर. में जाने के बाद यह मिल अवसायन में जाने के 27.6. को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही अपना केस खराब करोगे।

श्री उपाध्यक्ष : शोपतसिंह जी का है, फिर आपको बुलायेंगे। वैसे इनका आपस में सुलभाव हो रहा है, आप भी बीच में....

श्री शिवचरण माथुर : वह उस भावना में शामिल नहीं थे इसलिये इन्होंने बात उठाई। उसका जवाब भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा ही जवाब देंगे तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वही जवाब सरकारी जवाब है तो....

श्री शिवचरण माथुर : सरकारी जवाब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी निहाल हो गये और हम भी हो गये और मिल भी चल गई।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; परसों यहां पर हजारों....

श्री उपाध्यक्ष : वह यहां आये थे वह सारी पता है, आप तो इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछिये ना।

श्री शोपत सिंह : मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं।

परसों यहां पर हजारों मजदूर आये थे उनके सम्बन्ध में हमने स्पीकर महोदय के चैम्बर में माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात की थी। हम सोच रहे थे उस दिन हमने जो चर्चा की और जो बातचीत हुई, वह दो दिन बाद में स्टेटमेंट देंगे उसमें यह उम्मीद कर रहे थे कि उन हजारों लोगों के सामने एक बहुत बड़ी भयंकर तस्वीर है जो पिछले 6 साल से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनमें कोई बड़ा पूंजीपति नहीं है, मजदूर हैं, जिनमें आधे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, बड़ा प्रेम उमड़ता है, हम सोच रहे थे कुछ न कुछ करेंगे। मगर अभी मैं एक तो यह चाहता हूं, इससे पहले इसी सदन के अन्दर जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का इसके बारे में क्या कहना है, क्या राय है ? हमारे विरोधी दल के माननीय नेता भी उस कमेटी में थे, इसलिये हम चाहेंगे कि उस कमेटी की राय क्या है? उस कमेटी का इसमें अभी कोई सहयोग लेना बाकी है कि नहीं है ? वह कमेटी अभी परपजफुल है या नहीं है, यह हम चाहते हैं।

(श्री शोपत सिंह)

अभी है क्या परपजफुल ? अगर है तो वह कमेटी इसमें कोई सुझाव दें, क्या आल्टरनेटिव है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन एक कोई थोड़ी समझ बनी थी। सरकार ने तो कह दिया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो कह दिया था हमारे पास तो पैसा हैण्ड-पम्प लगाने के लिये ही नहीं है। हैण्ड पम्प लगाने के लिये नहीं है तो इन गरीबों के लिये तो नहीं होगा ? क्योंकि हजारों गरीब हैं न, उनके लिये पैसा थोड़े ही होगा। आपको पैसा किसी सेठ को देना हो, किसी सेठ को कर्जा देना हो तब आपके बैंक, सारे के सारे खजाने उनके लिये खुल जाते हैं मगर उन गरीबों और मजदूरों के लिये आपके खजाने में पैसा नहीं है। मगर हमने एक बात कही थी, मेहरबानी करके, किसी अधिकारी को नियुक्त कर दें ताकि उन मजदूरों से पिछली दफा समझौते में....

श्री शिवचरण माथुर : थोड़ी जटिल हिन्दी लिख दी इन्होंने, इसलिये आप उसको समझ नहीं पाये। यह बात कही है उन्होंने।

श्री शोपत सिंह : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जिम्मेदार होनी चाहिये यूनियनें। इस कृष्णा मिल की सारी की सारी यूनियन ने लिख कर दे दिया, इंकार किसने किया ? रोड़ा किसने अटकाया ? इंटक की यूनियन ने रोड़ा अटकाया। अगर आप में थोड़ी बहुत भी कोई शालीनता है या कोई अनुशासन है....

श्री प्रणवीर व्यास : मिल को चालू करने की बात हो रही है, वह करें। मेहरबानी करके पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं करें। इंटक ने कहीं पर इसमें रोड़ा नहीं अटकाया। हम तो पूरी तरह से साथ देने को तैयार हैं।

श्री शोपत सिंह : माणक डाणी ने कहा। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य आपके हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि अगर इंटक दस्तखत कर देती, तो उस दिन तो यह आज कारखाना चल जाता, वहां पर मिल चालू हो जाती। मगर जो इंटक, जिसका कोई वारिश नहीं है, जो अनुशासनहीनता में माहिर हो गई है आज, कोई उसमें अनुशासन नहीं रहा।

श्री प्रणवीर व्यास : रींगस में क्या कर रहे हो आप ?

श्री माणक डाणी : आपकी इंटक अलग है और हमारी अलग है। हमारी जो इंटक है उसके काम छोटे हैं इसलिए मैंने उस इंटक की बात कही। इनकी इंटक तारीफ के काबिल है। उन्होंने साइन किया उस दिन मेवाड़ टैक्सटाइल चली। +++ आप क्यों परेशान हो रहे हो।

श्री शोपत सिंह : यह आपकी इंटक है या इनकी इंटक है, देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इंटक को छोड़िये, अपनी बात कहिये, आपके व्यूज क्या हैं ? (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शोपत सिंह)

बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कोई भी संगठन जो रूलिंग पार्टी का संगठन हैं उनके संगठन के सदस्य इसमें सहयोग नहीं देते हैं और मिल को बन्द करने के भागीदार बनते हैं तो हम उनको जिम्मेवार समझेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके उस घोषणा में शरमा क्यों रहे थे, आपने क्यों कंजूसी की, इसमें लिख देते, अभी जो घोषणा राज्य मंत्री महोदय ने पढ़ी उसमें लिखना चाहिए था कि राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त करेगी जो उनसे जाकर जिस चीज की भी जरूरत होगी उनके संगठन को, उनके प्रशासन को चलाने में, उनको समझ देने में, सलाह देने में हम सहयोग देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर मेटल्स का आपको पता नहीं है क्या ?

श्री शोपत सिंह : तो मेहरबानी करके आप बताइये कि परसों बात कही थी उससे इन्कार क्यों कर रहे हैं ? उसको आपने क्यों नहीं कहा इस वक्त....

श्री उम्मेदीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण दे रहे हैं। प्रश्न पूछने चाहिए, उसमें भाषण दे रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि डाणी जी ने कहा कि 8 मार्च, 88 को एक कमेटी बनी थी तत्कालीन श्रम मंत्री के सभापतित्व में उस कमेटी को मैं निवेदन करना चाहूंगा खास तौर से मुख्य मंत्री जी से, उन्होंने उस समय खड़े होकर विश्वास दिलाया था कि यह कमेटी कृष्णा मिल को चलाने का जो भी कोई प्रयत्न करेगी उसके साथ साथ ओ.पी.सी. को भी आपने जोड़ा था। अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इस कमेटी ने ओ.पी.सी. के और कृष्णा मिल को चलाने के क्या क्या सुझाव दिये हैं। कम से कम वह सामने आने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से चार बातों की जानकारी करना चाहूंगा। पहली बात तो वह है कि बी.आई.एफ.आर. ने इस मिल को वाइण्ड-अप करने का मानस बना लिया और उसका शीघ्र ही डिसीजन होने वाला है। क्या सरकार इसका प्रतिरोध करेगी और प्रतिरोध करेगी तो किस रूप में और प्रतिरोध करने के लिए क्या किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी ताकि यह मिल वाइण्ड-अप न हो क्योंकि यदि मिल वाइण्ड-अप हो गई तो आपकी को-आपरेटिव बेसिस पर चलाने की स्कीम का कोई महत्व नहीं रहेगा। अपने आप ही वाइण्ड अप हो जाएगी।

श्री माणक डाणी : मैंने इस बात को कहा और मैंने यह भी कहा कि यह समिति बनने के बाद जब मामला बी.आई.एफ.आर. के पास गया तब वाइण्ड-अप की बात आई। अगर वहां मामला नहीं जाता तो हम लोग यहीं बैठ कर फैसला करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समय कृष्णा मिल का केस खराब करने में लगे हुए हैं। आप नहीं छेड़ोगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि नहीं बोलोगे तो यह फैक्ट्री चल

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

भी जाएगी। बोलोगे तो केस खराब ही होगा।

मेरा पहला प्रश्न है, बी.आई.एफ.आर. के संबंध के जो वाइण्ड-अप करने की कार्यवाही चल रही है उसमें क्या सरकार प्रतिरोध करेगी और इस बात का प्रयत्न करेगी कि मिल वाइण्ड-अप न हो। बी.आई.एफ.आर. ने कहा है कि मिल स्वतः चलने के योग्य नहीं है लेकिन को-आपरेटिव बेसिस पर चलाई जा सकती है। जब यह बात उनके सामने रखी गई तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस आधार पर भी नहीं चलाई जा सकती है। क्या सरकार बी.आई.एफ.आर. के सामने रिप्रजेटेशन करेगी और यह सिद्ध करने की कोशिश करेगी कि लेबर को-आपरेटिव बनने के बाद यह फैक्ट्री चलाई जा सकती है, वाएबल यूनिट है, इसको बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरा, आपने अपने उत्तर में कहा कि मजदूरों को सेक्रीफाइस करनी होगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि बी.आई. एफ. आर. ने वाइण्ड-अप कर दिया तो सरकार की बकाया सैल्स टैक्स की, बिजली की, पी.एच.ई.डी. की हो या चाहे किसी प्रकार की बकाया इस मिल के अगेन्स्ट में हो, वाइण्ड-अप होने से सारी बकाया खत्म हो जाएगी। क्या राज्य सरकार गारण्टी देती है कि यदि लेबर को आपरेटिव बनी तो जो भी सरकार की बकाया हो जो वाइण्ड-अप होने के साथ-साथ अपने आप खत्म हो जाती उस बकाया की इस लेबर को-आपरेटिव से वसूली नहीं की जायेगी।

तीसरा, जैसा शीपतसिंह जी ने कहा कि तीन दिन पहले अपनी बात हुई थी तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सरकार सिसियरली कोई लेबर को-आपरेटिव बनाकर उसको हैण्ड ओवर करना चाहती है तो तत्काल एक अधिकारी नियुक्त करे तो आपको भी लगे और बी.आई.एफ.आर. के सामने एक वाएबल यूनिट के रूप में इसकी एक स्कीम बना कर रखे ताकि बी.आई.एफ.आर. बन्द नहीं कर सके और कार्यवाही नहीं कर सके। आपने कोई अधिकारी की अभी तक नियुक्ति नहीं की है। इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज कृष्णा मिल चलाने के संबंध में राज्य सरकार सहायता करना चाहती है तो कर सकती है। आप जयपुर मेटल्स का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। जयपुर मेटल्स ने स्वयं ने एक लीजिंग फाइनेंस कंपनी बनाई है। वह कंपनी अनाधिकृत है राज्य सरकार से इसकी अनुमति नहीं है लेकिन भीलवाड़ा की एक प्रोसेसिंग यूनिट को एक करोड़ की मनी उधार देकर, वहां तो उधार दे दिया और वह प्रोसेसिंग यूनिट कुछ नहीं है। जिस कावड़िया जी की आप बार-बार तारीफ करते हैं उस कावड़िया ने जयपुर मेटल्स के पैसे से एक प्रोसेसिंग हाउस पर जबरन कब्जा किया है। आप जानकारी करना चाहें तो आपको जानकारी होगी और नहीं करना चाहें तो मेरे पास है लेकिन आप यह मत कहिये कि पैसा नहीं है। आज इसमें कपड़ा पड़ा है। मैं समझता था कि कपड़ा बिल्कुल रद्दी हो गया है लेकिन कपड़े के भी तीस लाख आपको मिल सकते हैं।

श्री माणक डाणी : एक सैकण्ड, यह उच्च न्यायालय का आदेश है दिनांक 19. 4. 89 के अनुसार 18. 5. 89 और 30. 6. 89 को इसकी नीलामी के कागज निकाले उस नीलामी में लोगों ने अपने कागज दिये हैं, नीलामी के उनमें दिया है अन अटैच्ड गुड्स के लिए उन्होंने कीमत लगाई है अपनी तरफ से 12.30 लाख, अटैच्ड गुड्स यार्न 3.30 लाख और अटैच्ड गुड्स क्लोथ बेलेन्स 28.43 लाख कुल 44.03 लाख की सरकार ने हां भरी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब उपाध्यक्ष महोदय, 44 लाख तो कपड़े की कीमत आ सकती है। उसके पास जमीन, मकान है उनको बेचा जा सकता है। एक करोड़ की आय उससे हो सकती है उनका हाउस और बगीची भी बेचा जाय तो एक करोड़ से ज्यादा की आय होगी उससे कम नहीं होगी ...

एक माननीय सदस्य : पांच करोड़ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांच करोड़ नहीं तो 2-3 करोड़ समझ लीजिए । आप उनको डिस्पोज आफ कर दें, अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के हाथ में ही नहीं लेकिन लेबर को-आपरेटिव के हाथ में आ जाएगी तो 3-4 करोड़ की आय तो यह हो सकती है। थोड़ी बहुत यदि आय की आवश्यकता हो तो सरकार उसमें मदद कर दे । इतनी बडी मिल चलेगी, मजदूरों के हाथ में आएगी और भविष्य में कोई उद्योगपति मिल बीमार करके भागने की कोशिश नहीं करेंगे ।

मैं चौथी बात यह पूछना चाहूंगा । अभी माननीय सदस्य हीरासिंह जी ने एक प्रश्न उठाया कि अगर लेबर को-आपरेटिव बनती है और आपने अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि लेबर शेयर्स खरीद ले । अब लेबर्स आज तक जिनको वेतन नहीं मिला, पांच वर्ष से बेकार बैठे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या ऐसी हो सकती है कि वह मार्केट वेल्यू देकर शेयर्स खरीद लें। मैं समझता हूं शेयर्स को प्लेज करके सरकार पैसा दे सकती है और मजदूर शेयर्स खरीद सकते हैं । इन पांच बातों की आप व्यवस्था कर दें तो लेबर यूनियन चाहे इंटक हो, चाहे बी एम. एस. हो, चाहे एटक हो, यह सब इस समय एक साथ होकर चल रही है और इस फैक्ट्री को चलाने की आप से मांग कर रही हैं तो लेबर यूनियन के झगड़े की आड़ लेकर यह फैक्ट्री नहीं चलेगी इस प्रकार की चिन्ता न तो आपको करनी चाहिये, न चर्चा करनी चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बीमार होती हुई इकाइयों की बहुत बड़ी समस्या है और मैं समझता हूं कि इससे हम सब चिन्तित हैं। हम लोग भी चिन्तित हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य भी चिन्तित हैं।

श्री शोपत सिंह : आपको तो धैला भी नहीं है, चिन्ता होती तो बन्द कैसे होती ?

श्री शिवचरण माथुर : आप इतने हर चीज में गर्म क्यों होते हैं। आपके डाक्टर की सलाह मुझे लेनी पड़ेगी....

श्री शोपत सिंह : आपके लिए भी लेनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह डाक्टर को ही मार देंगे ।

श्री शोपत सिंह : हमारे पास भी डाक्टर हैं आपके लिए।

श्री शिवचरण माथुर : हमें आपके स्वास्थ्य की बहुत चिन्ता रहती है, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है।

मैं समझता था कि परसों जो अपनी बात हुई उसमें दस मिनट में बहुत अच्छी भावना से यह बात तय हो जायेगी ऐसा लगता था लेकिन चूंकि हमें कुछ न कुछ अपने दृष्टिकोण से कहना है मैं इसको बुरा नहीं मानता। आपने अपने दृष्टिकोण से बात कही लेकिन इसका हल निकालने की बात तो हमें सोचनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई वर्षों से इस बात का विश्वास करता आया हूं कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाय जिसमें मजदूर हर कम्पनी का मालिक बनने की बात सोचे और इसको अपना एक उद्योग समझे तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। उसी दृष्टि से हमने कुछ बातें यहां पर कहीं। परसों भी जब आप लोग मिले थे तब भी मैंने एक बात कही कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, इन बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। इसमें मुझे आज भी कहने को संकोच नहीं है, मैं आज भी कहता हूं कि बीमार उद्योग हो जायेंगे और उसको चलाने के लिये सरकार 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ देती रहेगी वह कभी सम्भव नहीं है और उसका असर दूसरे विकास के कार्यों पर पड़ेगा। राजस्थान सरकार के पास वैसे भी पैसे नहीं हैं इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इन बीमार उद्योगों को सरकार की आर्थिक सहायता देकर के नहीं चला सकते। हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि जो एक प्रयोग हमने किया उसमें सफलता मिली उस आधार पर यदि उसी पैटर्न पर एक नहीं दो उद्योग हमने जीवित किये हैं, पुनर्जीवित किये हैं और वे चल रहे हैं आज इस पैटर्न को यदि हम लागू कर दें उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे मजदूर साथियों का होगा। मजदूर अगर इसमें सहयोग दें तो निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता है, मैं कृष्णा मिल के बारे में भी आश्वस्त हूं कि कृष्णा मिल भी अगर कोई एक पैटर्न जैसा बताया है, अभी राज्य मन्त्रीजी ने पढ़ कर सुनाया उस पैटर्न के आधार पर इस मिल को चलाने वाली बात सोची जाय तो निश्चित रूप से यह मिल चल सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है लेकिन आप सोचें कि सरकार कोई पैसा देकर के इस मिल को चलाने वाली बात सोच लें तो यह कभी सम्भव नहीं है न सरकार दे सकती है और न मिल चलेगी उस आधार पर क्योंकि आज तो आप तीन करोड़ वाली बात कहते हैं लेकिन आज तो रिवाइज एस्टिमेट के आधार पर इन उद्योगों को चलाने के लिये 7 करोड़ की जब तक पूंजी नहीं हो तब तक ये उद्योग पुनर्जीवित नहीं हो सकते और विपक्ष के नेता भी उस समिति में थे, मैंने उस समिति की प्रोसीडिंग्स भी पढ़ी हैं। आपने और उद्योगों के बारे में भी चर्चा की है, एक व्यापक समस्या के बारे में भी बहुत से सुझाव रखे हैं लेकिन जहां तक इस उद्योग को चलाने के आंकड़े सामने आये हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आज के हालात में इस उद्योगों को चलाया नहीं जा सकता और वही बातें जब बी. आई. एफ. आर. के सामने गई 27 जून को, उन्होंने अन्तिम

(श्री शिवचरण माथुर)

रुप से यह फैसला कर दिया कि इसमें न तो कोई प्रोमोटर्स आगे आने के लिए तैयार हैं और न कोई फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन्स अपनी जिम्मेदारी समझ कर और पैसा लगाने के लिए तैयार है और न कोई लेबर की अपनी तरफ से ऐसी पहल की गई हैं जिसके आधार पर इन उद्योगों को चलाने वाली बात सोची जाय। ऐसी स्थिति में इस उद्योग को वाइण्ड-अप करने के सिवाय और कोई चारा हमारे पास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. का फैसला होने के बाद में एक तरफ.... (व्यवधान) यह कह दिया है। यह मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। उसका एक तरीका हो सकता है कि इसकी अपीलेट अथोरिटी और होती है हम उसमें अगर जो पांच कण्डीशन्स जो अभी उद्योग राज्य मंत्रीजी ने पढ़ करके सुनायी हैं, अगर एक टाइम बाउण्ड प्लान के बीच में ये पांच कण्डिशन्स पूरी हो जायं और एक पैकेज बन करके तैयार हो जाय तो मैं आपको राज्य सरकार की ओर से (व्यवधान) सुनिये। मैं राज्य सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस पैकेज को लेकर के उस अपीलेट अथोरिटी के पास जायेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक अधिकारी की नियुक्ति का सवाल है। मैं इस स्कीम को बनाने के लिए एक-दो दिन में ही अधिकारी नियुक्त कर दूंगा ताकि वह एक स्कीम को बना ले और स्कीम के बनने के बाद में जो भी फीजीबिलिटी हो, आपने जैसा कहा कि वहां पर 44 लाख रुपये का स्टाक पड़ा हुआ है उसको भी शामिल कर लें, उसको डिस्पोज आफ करने का सवाल आता है। जमीन के बारे में मुझे कहा है कि कुल मिलाकर करीब 12 हजार स्क्वायर यार्ड जमीन अवेलेबल है। तो उस जमीन की कितनी कीमत हो सकती है वह भी देख ली जाय और भी जो असैस्ट्स हों वह भी देख लिये जाय। इसको देख करके और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जहां तक मजदूर का हिस्सा-पूंजी में भाग लेने का सवाल है। इस मिल की कुल मिलाकर हिस्सा पूंजी $17\frac{1}{2}$ लाख है, कुल इसकी कैपिटल है वह $17\frac{1}{2}$ लाख है और इसके शेयर की कीमत जीरो है, कोई जीरो के भाव पर भी इसके शेयर्स खरीदने वाला नहीं है। तो कोई शेयर का कहते हैं कि उसकी और प्लेज रख करके और उस शेयर के खिलाफ पैसे ले लो। तो कोई प्लेज उसको रखने वाला नहीं है क्योंकि उसकी जब शेयरों की कीमत ही नहीं है तो उसको प्लेज रखने का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेयर कौन लेगा।

श्री शिवचरण माथुर : वही मैं कह रहा हूं। इसको बैठ करके वह अधिकारी सोचें। जैसे जयपुर मैटल में किया गया। इसमें किस प्रकार से बात को किया जा सकता है यह तो मैं आज नहीं कह सकता लेकिन अगर $17\frac{1}{2}$ लाख की कुल पूंजी कैपिटल है जबकि मजदूरों का बकाया सवा करोड़ के करीब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवा नहीं डेढ़ करोड़ है।

श्री शिवचरण माथुर : जो भी हो सवा-डेढ़ करोड़ है। मैं समझता हूं कि मजदूरों का एक थोड़ा सा हिस्सा भी उसमें अगर

(श्री शिवचरण माथुर)

शेयर कैपिटल के तौर पर आ जाता है तो मैनेजमेण्ट उनके हाथ में रहता है मतलब वह पूरी मिल एक तरह से मजदूर के हाथ में आ जाती है और मजदूरों के हाथ में आने के बाद में फिर जो पैकेज बने उसमें मैं सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि हम हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, उसमें जो कुछ भी सहयोग होगा वह सरकार देगी। हमारी कोशिश होगी कि यह मिल मजदूर के सहयोग से जल्दी से जल्दी चले और जैसा कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस मिल की चिमनी में धुआं निकले, वहां मजदूरों का हित हो और इस कारखाने को हम आगे चलाने वाली बात सोच सकें। मैं यह केवल कृष्णा मिल के बारे में नहीं कहता हूं, इस तरह के पैटर्न को दूसरे उद्योगों पर भी लागू करें तो मेरा विश्वास है कि ये बीमार इकाइयां चल सकती हैं। यही मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी ध्यानाकर्षण करेंगे।

श्री माणक डाणी : वकील के द्वारा पैरवी करने का, क्योंकि एस.बी.आई. ने सारे माल का अटेचमेण्ट करके और उसमें हाई कोर्ट ने आर्डर्स दे दिये हैं एस.बी.आई. को। इसलिए वकील की पैरवी करवाना बहुत जरुरी है। इसलिए राज्य सरकार कोई आश्वासन दे तो उसके बेस पर कोई कार्यवाही हो और उसके साथ ही मजदूरों ने 24.2.89 को फैसला कर चुके हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाणी जी बैठें, प्लीज फिनिश इट। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सड़क दुर्घटनाओं से व्याप्त जन असंतोष

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : डाणीजी, चिमनी में धुआं निकले या न निकले यह सरकार आपकी धुआं जरूर निकाल देगी।

श्री माणक डाणी : यह तो माननीय विपक्ष के नेता महोदय आपका सोचना है और हमारा सोचना है कि हम पता नहीं किस किस की निकालेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है फिर आपकी नहीं निकले मैं तो यही चाहता हूं लेकिन ये निकालने को उत्सुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आप अनुमति देंगे वैसे ही कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण कर लें, उनका स्टेटमेण्ट आ जाये फिर आप जैसा समझें बोल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही कर लूं। मैं यह चाहता था कि मैं बोलूं उसके बाद में यह वक्तव्य दे दें लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है जैसा आप कहें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी पहले बोल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पहले बोलेंगे तो आप बोल लें, मैं आपका हक नहीं छीनना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि से जनता में व्याप्त असन्तोष की ओर मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (नगरीय विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गृह मंत्री आप कब से हो गये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है। आप कैबिनेट में रहे नहीं इसलिए आपको अन्दाजा नहीं है, आप अगर रहते तो यह सवाल, यह प्रश्न नहीं पूछते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : विरोधी पक्ष के नेता ने आपको मौका ही नहीं दिया, तीन साल तक आप टापते ही रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो 40 वर्ष तक टापते रहे हों। मैं समझता हूं कि सड़कों पर जितना आप चले हों इस विधान सभा में उतना कोई नहीं चला है। यह तो शिवचरणजी ने दया कर दी, बुढ़ापे को देख करके आपको मंत्रिमण्डल में लेकर के गाड़ी दे दी।

श्री मोहन छंगाणी : माथुर साहब आपने अच्छा किया। ठाकुर को ठाकुर से आज भिड़ाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने ऐसा पुण्य का काम किया है कि गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी को रिहैबिलीटेट कर लिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और विपक्ष के नेता महोदय ने कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि से जनता में व्याप्त असन्तोष की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

राजस्थान में निरन्तर सड़क दुर्घटनाएं और इसके फलस्वरूप घायलों व मृतकों की संख्या में वृद्धि, यह हम सब के लिए एक चिन्ता का विषय बन गया है। 1987 में जहां 6 हजार 968 दुर्घटनाएं हुई और 2,350 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 6,207 व्यक्ति घायल हुए वहीं 1988 में 8,465 दुर्घटनाओं में 2,567 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9,688 व्यक्ति घायल हुए। यदि इस वर्ष 1989 में 15 जून तक की स्थिति पर दृष्टि डालें तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। इस वर्ष 15 जून तक 4,305 दुर्घटनाओं में 1,394 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 4,816 व्यक्ति घायल हुए।

यह बात अपनी जगह सही है कि दुर्घटनाओं का मूल कारण आबादी और वाहन दोनों की ही निरन्तर बढ़ोतरी है। 1987 में कुल वाहन 6 लाख 58 हजार थे वहां 1988 में वाहनों की संख्या बढ़ कर 7 लाख 43 हजार हो गई और वर्तमान में वर्ष 1989 में आज तक वाहनों की संख्या 8 लाख 44 हजार हो गई है। इस प्रकार 1987 की अपेक्षा 1988 में वाहनों की वृद्धि 14.13 प्रतिशत हुई और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि भी करीब करीब इसी अनुपात से 14.68 प्रतिशत हुई है। इसको दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि प्रति

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

1 हजार गाड़ियों के अनुपात में दुर्घटनाओं का प्रतिशत 1987 में 10.69 था और 1988 में 11.16 प्रतिशत रहा है। प्रति हजार वाहन दुर्घटनाओं में केरल में 41, बिहार 23, गुजरात में 19, आंध्रप्रदेश में 38, कर्नाटक में 22, मध्यप्रदेश में 42 महाराष्ट्र में 38, उत्तर प्रदेश में 17, तमिलनाडु में 48, और राजस्थान में प्रति हजार वाहन दुर्घटनाएं 17 हैं, यह आंकड़े मैं केवल सदन के सूचनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। किन्तु हमारी नजर में यह कतई सन्तोष का विषय नहीं है कि राजस्थान में प्रति हजार वाहन दुर्घटनाओं की संख्या अन्य राज्यों से कम है। दुर्घटनाओं में मृत हर व्यक्ति हमारी नजर में संख्या का बिन्दु नहीं है। यदि सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया जाय, तो स्थिति निम्न प्रकार है: अकुशल वाहन चालक 60 प्रतिशत, अनुपयुक्त वाहन 6 प्रतिशत, पैदल यात्रियों की असावधानी एवं लाहरवाही 6 प्रतिशत, वाहन के यात्रियों की लापरवाही 6 प्रतिशत, सड़कों की खराबी 2 प्रतिशत; अन्य कारण जैसे शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि एवं घनत्व, वाहन संख्या में वृद्धि अतिक्रमण आदि 20 प्रतिशत।

मैं यह भी सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं या तो बड़े शहरों में और विशेष तौर से जयपुर शहर तथा राष्ट्रीय राज मार्गों पर होती हैं, जिनमें दिल्ली अहमदाबाद राजमार्ग मुख्य है। दुर्घटनाओं को कम करने के सन्दर्भ में जो इसके कारण हैं, उन पर ही किसी न किसी रूप में प्रहार करना होगा। अकुशल वाहन चालकों के कारण ही आज 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं। इस संबंध मे भावी चालकों को लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में हाल ही में लागू किये गये मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में सुधार लाया जायेगा। इस संबंध में और अधिक सख्ती बरतनी होगी। चालक की कार्यकुशलता में कमी लाने वाले कारणों, जैसे शराब पीकर वाहन चलाना, अत्यधिक थकान के बावजूद वाहन चलाना, नियमों के विरुद्ध तेज रफ्तार से वाहन चलाना-इत्यादि पर भी ध्यान देना होगा। प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण करना होगा, इनका रजिस्ट्रेशन यातायात विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य हो और इनके पाठ्य क्रम भी निर्धारित किये जायें, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर वाहन चालकों की शिक्षा की व्यवस्था करे, विशेषकर राज्य के पालिटेक्निक एवं आई. टी. आई. में यह पाठ्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। पुलिस विभाग एवं पथ परिवहन निगम भी ऐसे स्कूल चलाये, यह भी आवश्यक है। भावी नागरिकों को यातायात के नियमों की शिक्षा भी मिल सके, जैसे स्कूलों में हर स्तर के पाठ्यक्रमों में इस विषय को शामिल किया जाये, 6 प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण अनुपयुक्त वाहन हैं और उसका संबंध यांत्रिकी खराबी से है। फिटनेस टेस्ट के बारे में भी हमें सख्ती बरतनी होगी। शहरों और विशेष कर राज मार्गों पर पर्याप्त सड़क चिह्नों और निशानों का प्रयोग भी आवश्यक है। रीफ्लेक्टिव सामग्री उपलब्ध करा कर सड़क चिह्नों को स्पष्ट दिखायी देने लायक बनाया जायेगा, हैड लाइटों की चकाचौंध रोशनी को भी कम करने के लिये उपाय किये जाने आवश्यक हैं। कुछ दुर्घटनाएं चालकों द्वारा शराब

(184)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पीने के कारण होती हैं, इन मामलों में सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान पथ परिवहन की बसों से कई दुर्घटनाएं होतीं हैं, इनके विभागीय अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देकर दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करना होगा। इस विषय का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आज की स्थिति हमसे और आपसे छिपी हुई नहीं है कि दुर्घटना के बाद जहां तक एक ओर व्यक्ति, दोषी व्यक्ति मौके से भाग निकलने की कोशिश करता है वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की ओर कोई भी सामान्य नागरिक अपना हाथ डालना नहीं चाहता क्योंकि वह डरता है कि पुलिस अनुसंधान और न्यायालय में वह व्यर्थ ही इस पचड़े में पड़ जायेगा। इसके बाद फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं हो पाती और अस्पताल में भी उसको तीव्र गति से सहायता नहीं मिल पाती जितनी की मिलनी चाहिये। इन सब परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह निर्देश प्रसारित किये जायें कि जो व्यक्ति दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल लायेगा, तो अस्पताल स्टाफ एवं पुलिस द्वारा उस व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई पूछताछ नहीं की जायेगी। साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर जो व्यक्ति उन घायलों को मौके से ले जाकर तुरन्त चिकित्सा सहायता दिलाकर उनकी जान बचाता है, उनको उत्साहित किया जाये ताकि ऐसे कार्य करने को स्वत: व्यक्ति आगे आयें। हरेक सरकारी अस्पताल में डाक्टर घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करेगा और पुलिस द्वारा ली जाने वाली औपचारिक रिक्वीजिशन का इंतजार नहीं करेगा और न हीं मेडिकल ज्यूरिष्ट के अभाव में इनका इलाज रोका जायेगा। इसी संदर्भ में इस प्रकार के मामलों में प्राइवेट डाक्टरों को भी उपचार करने के लिये अपना कर्तव्य समझ कर आगे आने के लिये राज्य सरकार अनुरोध करेगी। बड़े–बड़े शहरों में पुलिस विभाग को दुर्घटना चिकित्सा सहायक वैन उपलब्ध कराने होंगे जिनमें चिकित्सा की सभी सुविधायें उपलब्ध हों और इसमें वायरलेस भी लगे हों जिससे की इन वाहनों को तुरन्त घटनास्थल पर भेजा जाकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल सहायता पहुंचायी जा सके। राज मार्गों पर जहां जहां आवश्यकता हो और संभव हो, अस्पतालों की व्यवस्था की जाये और उसमें इमर्जेन्सी इलाज की भी व्यवस्था की जाये। मैंने सदन के समक्ष उन सारी बातों को रखने का प्रयास किया है, जो इस सम्बन्ध में इस समय राज्य सरकार के विचार में है। क्योंकि कुल मिलाकर के लाइसेंसिंग प्रणाली, फिटनेस, चैकिंग, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और ट्रैफिक पुलिस को अधिक कारगर बनाना होगा, इन सब पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार कर राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी, नये मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों को, जो दिनांक 1.7.89 से लागू हुए हैं, सख्ती से लागू किया जायेगा। इन सभी प्रस्तावों को सही रूप देकर इन नियमों की क्रियान्विति को दिशा देने के हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति भी गठित की जा रही है, जिसमें सभी संब-

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

धित विभागों को शामिल किया जायेगा।

(4.00 म.प.)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि ऐसे गम्भीर प्रश्न पर सरकार ने दुर्घटनाओं को जस्टिफाई करने का प्रयत्न किया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने यह कहा कि केवल सदन की जानकारी के लिये तथ्य दे रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कहीं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर यही तथ्य दिये होते तो बिहार, बंगाल और सबके आंकड़े दिये हैं, उनकी तुलना में वहां पर कितने मरे और राजस्थान में कितने मरे, यह भी आंकड़े देते। यह आंकड़े आपने इसलिये नहीं दिये कि राजस्थान में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, एक्सीडेंट्स में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह एक ऐसा विषय है कि जिसकी वजह से हम कोई तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर किसी कारण को जस्टिफाई करना नहीं चाहते। तथा उसमें जो कमियां हैं, उसको दूर करना चाहते हैं, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो फिर आपने केरल से इसकी तुलना क्यों की ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सारे देश की स्थिति है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस तुलना का परपज यह था कि राज्य सरकार दुर्घटनाओं की जो संख्या बढ़ रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, उसको किसी न किसी रूप में जस्टिफाई करना चाहती है। दूसरी बात और कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया कि वाहनों की संख्या बढ़ेगी और आबादी बढ़ेगी तो दुर्घटनाएं होंगी। यह भी आपने अपने वक्तव्य में अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है, आपने इलाज एक बता दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और इस सारे मसले के ऊपर विचार करेगी। यह समितियां रोज बनती हैं। मुख्य सचिव का पद राजस्थान में कोई नया नहीं है। जब से राजस्थान बना है, तब से मुख्य सचिव का पद है। दुर्घटनाएं भी उस समय से हो रही हैं। राजस्थान में आज तक मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री या राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने यह विचार क्यों नहीं किया कि इस संबंध में कोई समिति बना कर उसके सुझाव लिये जायें और इसका अन्वेषण किया जाये। मैं सभापति महोदय, आपकी जानकारी के लिये, सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि सन् 81 से लेकर इस साल के, अब तक, अप्रेल के अन्त तक राजस्थान में 46,241 दुर्घटनाएं हुई हैं, 15327 आदमी मर गये हैं, 50 हजार 388 आदमी घायल हुए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 15,317 आदमी मरे और 50 हजार के लगभग घायल हुए, क्या राज्य सरकार एक उदाहरण दे सकती है कि दुर्घटना के दोषी को, एक को भी किसी को सजा मिली है ? एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को सजा नहीं मिली है ? 46 हजार आदमी मर जायें, 50 हजार के करीब लोग घायल हो जायें ।। और एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिले, इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि शराब पीने से दुर्घटना होती है, माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि गाड़ियां अच्छी नहीं होती, इस कारण से भी दुर्घटनायें होती हैं, चालक अच्छे नहीं होते, इस कारण से भी दुर्घटनायें होती हैं, सभापति महोदय, मैं प्राइवेट बसेज की बात तो नहीं कह रहा हूं लेकिन राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन किसका है ? यह राज्य सरकार का है जिससे आशा की जाती है कि ड्राइवर शराब नहीं पियेंगे, जिससे आशा की जाती है कि गाड़ी फिटनेस के पोइंट ऑफ व्यू से सब प्रकार से ठीक होगी । यह सब कुछ होने के बाद एक अप्रेल, 85 से लेकर 88-89 तक आर एस. आर. टी. सी. की वाहनों से 1947 दुर्घटनाएं हुई । ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की गाड़ियों से 1947 दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में 690 व्यक्ति मारे गये और 2581 लोग घायल हुए और 18 अपाहिज हुए। इन दुर्घटनाओं में निगम की खुद की सम्पत्ति 33 लाख रुपये की क्षति हुई। 33 लाख रुपये की निगम की सम्पत्ति का ह्रास हुआ । निगम द्वारा मृतकों के परिवार और अपाहिजों को 3 लाख 55 हजार रुपये की सहायता और तीन करोड़ 83 लाख 62 हजार क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये । निगम द्वारा दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार, किनको सजा मिली ? 1947 दुर्घटनाएं हुई, 690 व्यक्ति मारे गये और सजा क्या मिली ? सजा यह मिली कि निगम के 45 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सर्विस से निकाल दिया । यही अगर सरकार का मापदण्ड है तब तो आपने इसको रोक लिया । निगम ने जितने दावे किये हैं, दुर्घटनाओं के निगम के विरुद्ध 1722 दावे हुए। 15 दावे निगम के पक्ष में और 1002 दावे निगम के विरुद्ध में में हुए । अब इससे आप अंदाज लगा लें कि प्राइवेट बसेज ही नहीं, सरकारी बसेज की इस प्रकार की स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रोडवेज की दुर्घटनाओं के साथ-साथ क्या सरकारी गाड़ियों से दुर्घटनाएं नहीं होती हैं जिसमें आपका मोटर गैरेज भी है या और है ? पिछले एक वर्ष में 1.4.88 से 31.3.89 तक जो दुर्घटनायें हुई हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं । जयपुर ग्रामीण में 725 दुर्घटनायें हुई, 313 आदमी मारे गये, 941 आदमी घायल हुए और इसमें 85 सरकार की गाड़ियों से दुर्घटनायें हुई । जयपुर सिटी में 1120 दुर्घटनायें हुई, 190 आदमी मरे, 1049 घायल हुए उसमें 86 गाड़ियां सरकार की थी। उदयपुर में 757 दुर्घटनायें हुई, 206 आदमी मरे, 770 घायल हुए और इसमें 11 सरकारी गाड़ियां थी। अजमेर में 706 दुर्घटनायें हुई, 188 आदमी मरे, 793 घायल हुए और इसमें 39 सरकारी गाड़ियां थी । कोटा शहर में 464 दुर्घटनायें हुई 47 आदमी मरे और 469 घायल हुए और इसमें 6 सरकारी गाड़ियां थी। जोधपुर में 443 दुर्घटनायें हुई, 149 आदमी मरे और 456 घायल हुए, इसमें 27 सरकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गाड़ियां थी। गंगानगर में 442 दुर्घटनायें हुई, 191 आदमी मरे, 547 घायल हुए, इसमें 38 गाड़ियां सरकारी थीं। चित्तौड़गढ़ में 293 दुर्घटनायें हुई, 116 मरे, 781 घायल हुए, उसमें 11 गाड़ियां सरकारी थी। पाली में 276 दुर्घटनायें हुई, 116 मरे, 379 घायल हुए और उसमें आठ सरकारी गाड़ियां थीं। मैं बाकी के जिलों में नहीं जाता, मैंने क्रमबार आधार पर लिखा है, आप चाहें तो मेरे पास पूरे जिलों की लिस्ट है।

सभापति महोदय, ये किस लिये कह रहे हैं, मुझे अफसोस हुआ माननीय मंत्रीजी ने जिस समय जवाब दिया, प्राइवेट वाहनों का आपने जिक्र कर दिया, सरकारी वाहनों का मैंने आपको जिक्र कर दिया, क्या सरकार ने इस बात का अनुसंधान कराया है कि ज्यादा एक्सीडेण्ट अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स से होते हैं ? क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है ? सरकार के पास इस बात की जानकारी है या नहीं कि राज्य में कितने अनरजिस्टर्ड व्हीकल चलते हैं ? सभापति महोदय, कलैंडेस्टइन आपरेशन की तो हालत यह है जब आज के वर्तमान डी. जी. जिस समय आर. एस. आर. टी. सी. के चैयरमैन थे उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि कलैंडेस्टाइन ऑपरेशन जितने चल रहे हैं यदि इनको रोक दिया जाय तो निगम को 25 करोड़ का लाभ होगा। उनके हट जाने के बाद, कुछ दिनों के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि यदि कलैंडेस्टाइन ऑपरेशन रुक जाय तो हमको पचास करोड़ रुपये का लाभ होगा। आज के पन्द्रह दिन पहले आर. एस. आर. टी. सी. के एक अधिकारी के बयान में लिखा है कि अगर सारे कलैंडेस्टाइन ऑपरेशन रुक जाय तो राजस्थान को सौ करोड़ रुपये की आमदनी होगी। आपने कभी उसकी चिन्ता नहीं की। जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स चल रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से फिटनेस नहीं लिया, जिनके पास ड्राईविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं, उन गाड़ियों की चैकिंग करने की या उन गड़ियों को रोकने की आपने कोई व्यवस्था नहीं की। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान रोडवेज ने एक हिसाब लगाकर यह मालूम किया है कि राजस्थान में उनके रूट के ऊपर कितनी गाड़ियां, जो अनधिकृत रूप से चल रही हैं, मैं जोड़ तो नहीं लगा पाया, मैं बाद में बताऊंगा कि टोटल कितनी गाड़ियां आर. एस. आई. टी. सी. के रूट्स के ऊपर चल रही हैं, उससे आपको अन्दाज लग जायेगा कि सब जगह घाटे की व्यवस्था है। अब सभापति महोदय, यह व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती ? मैं कहना चाहूंगा। इस व्यवस्था के कई कारण हैं जिससे नहीं हो पाती।

कानून तोड़ने में राजस्थान के मुख्य मंत्री से लेकर भैरोंसिंह तक कोई पीछे नहीं है। मैं अपने आपको भी शामिल करता हूं। मैं माननीय गृहमंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अपनी गाड़ियों पर रेड लाइट लगाते हैं, कौन से कानून में है ? आप और मंत्री और मैं भी रेड लाइट लगाते हैं, कौन से कानून में है ? जहां तक मैंने कानून को देखा है, सिवाय गवर्नर के कोई रेड लाइट नहीं लगा सकता। सभापति महोदय, कोई रेड लाइट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एरिया में जाने का लाइसेंस हो तो मैं कह नहीं सकता। यह रेड लाइट लगाने का किसी को कानूनन अधिकार नहीं है और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं। मुझे जब गाडी मिली, इस पर रेड लाइट लगी हुई थी। मैंने कहा कि भाई न तो मैं रेड लाइट लगाने के लिए अधिकारी हूं, न झण्डा लगाने के लिए अधिकारी हूं, मेरा यह झण्डा भी हटा दो और यह रेड लाइट भी हटा दो तो कहा कि सरकार के जो आदमी मंत्रियों की लिस्ट में आयेंगे उनके तो रेड लाइट लगेगी, हम इसको हटा नहीं सकते। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि कानून में क्या व्यवस्था है? आज उसका नतीजा यह निकला कि प्रधान भी रेड लाइट लगा रहा है और रेड लाइट भी छोटी नहीं, हण्डा का हण्डा गाड़ी के ऊपर लगाकर चल रहे हैं....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : रेड प्लेट भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेड प्लेट तो लगा लें, उससे कोई एक्सीडेण्ट नहीं होता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह क्यों हो रहा है?

श्री मोहन छंगाणी : जब ये उप मंत्री थे तो इनके टायरों के नीचे नहीं आ जाय इसलिए लगाई...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे आपके जमाने में जब उप मंत्री थे तब उनकी यह हालत थी। वह पहले की बात थी, पुरानी बातों को आप क्यों याद दिला रहे हैं। पर सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि दो तरीके हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भाटी साहब की तो सुन लें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चीफ जस्टिस भी रेड लाइट लगाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है। मैं एक बात भूल गया। गवर्नर और चीफ जस्टिस के अलावा बाकी नहीं लगा सकते न, मेरी ताइद करते हैं। पहला काम तो राजस्थान की सरकार आज यह करें मुख्य मंत्री से लेकर किसी के भी रेड लाइट लगी हो, वह गायब हो, लोगों को यह पता लगे....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हमें तो आशा है नहीं कि इनके कभी रेड लाइट लगेगी इसलिए आज ये हटाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा मतलब यह नहीं है कि अभी आप हटा दें, मैं यह नहीं कहता कि अभी हटा दो। मैं तो केवल....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके तो रेड लाइट ही लगी हुई है, नाथूरामजी के तो रेड लाइट तो लगी हुई है पर गाड़ी भी पूरी रेड है, इनका इलाका कौन सा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने कई बार लोगों को टोका है। गाड़ी के ऊपर लगाने की आजकल एक नई रोशनी आई है उसका नाम है हेलोजिन लाइट।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

उस लाइट में पीली–पीली लाइट आती है। उस पीली लाइट के सामने कोई कार आ जाय तो न तो कार के ड्राइवर को कुछ दिखता है, कुआ है, खड्डा है, सड़क है या आगे कोई ट्रक आ रहा है। मोटर व्हीकल रूल्स में इस प्रकार की लाइट लगाने की परमीशन नहीं है। मोटर व्हीकल रूल्स में मरकरी लाइट लगाने की परमीशन नहीं है और आजकल ट्रक्स में शिवजी की तरह से तीसरा नेत्र बीच में और लगता है। एक तो बीच में लगता है और एक साइड में लगता है, जब नजदीक में आते हैं तो ऊपर भी लाइट, नीचे भी लाइट, ड्राइवर या तो कुएं में पड़े या उस ट्रक के अन्दर जाय, उस ड्राइवर का उस समय कोई जजमेंट नहीं हो सकता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह लाइट शराब से जलती है। यह मरकरी लाइट शराब वालों ने लगा रखी है या हेलोजिन लाइट शराब वालों ने लगा रखी है ?

आज राजस्थान में मोटर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों तय कर लें कि शाहजहांपुर में क्रास करते हुए जिस गाड़ी में नियमित रूप से लाइट का प्रबन्ध नहीं होगा, नियमों की अवहेलना करते हुए कोई ट्रक मिलेगा, वह शाहजहांपुर से राज्य में प्रवेश नहीं करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि इस प्रकार की लाइट लगायें। सभापति महोदय, आपने एक बात और देखी होगी ट्रक्स आते हैं, उन ट्रक्स में आगे तो शिवजी की आंख है और पीछे कोई लाइट नहीं है बैक लाइट नाम की चीज का पता नहीं। जिस समय गाड़ियां टेक ओवर करती हैं उस समय कई बार भगवान ही बचाता है वरना सामने की लाइट से गाड़ी दिखती नहीं और बेक लाइट होती नहीं है। उसके कारण से कई आदमी टक्कर खा जाते हैं। अभी हाल ही मैंने देखा है। मेरे गांव का एक ड्राइवर कार लेकर जा रहा था। उस ट्रक के अन्दर सरिये काफी भरे हुए थे उस गाड़ी के अन्दर लाइट नहीं थी। वह बेचारा ड्राइवर गाड़ी लेकर सरियों में घुस गया। सारे शरीर में उसके वह सरिये लग गये। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी इस राजस्थान के अन्दर सड़कों के ऊपर कितने आदमी लोहे लक्खड़, लाठी यह लेकर घूमते हैं। क्या आपने देखा है ? यह कानून है या नहीं, किसी गाड़ी का इस बारे में चालान किया है ? कोई चालान नहीं किया। लम्बी लम्बी छड़ें 10-10 गज पीछे तक चलती रहती हैं। न तो कोई लाल कपड़ा बंधा रहता है न कपड़े पर कोई लाइट रही होती है।

अब सभापति महोदय, लाइसेंस का सवाल है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा हम इसके लिए प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं ? राजस्थान में गाड़ियों के लाइसेंस दुकानों में मिलते हैं। इस प्रकार राजस्थान में फिटनेस का सर्टिफिकेट बाजार में दुकानों पर मिलता है। राजस्थान में बिना भाव के फिटनेस मिलता है। यह मैं नहीं कहता सभापति महोदय, आर. एस. आर. टी. सी. ने एक मामले में हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट यहां तो बाजार में मिलता है। हम इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इन गाड़ियों की कोई व्यवस्था दूसरे ढंग से करायी जाय।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता है सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन चलते फिरते बूचड़खानों को बंद करो। मैं नहीं कहता हूं इनमें आम जनता मरती है। कोई राजनैतिक सवाल नहीं है, कई मेरे अच्छे कांग्रेस के मित्र इन एक्सीडेण्ट्स में मर गये। हमारे कई आदमी मर गये। ऐसी स्थिति में यह न कांग्रेस का है न हमारा है। इन चलते फिरते बूचड़खानों को आपको बंद करना पड़ेगा। मुझे ताज्जुब है सभापति महोदय, एक आदमी के थप्पड़ मार दो तो 323 का मुकदमा बन जाता है और सजा हो जाती है। कोई किसी की हत्या कर दे तो 302 में 20 साल की सजा हो जाती है। यहां हजारों आदमी मर गये। एक आदमी को एक दिन की भी सजा नहीं हुई। अब डेलीबरेटली कोई मर्डर करना चाहे, उसकी भी यहां पर किसी प्रकार की कोई रोक–थाम नहीं है। सभापति महोदय, सरकार ने कम्पनसेशन की व्यवस्था की। कम्पन–सेशन कमिश्नर एक तो मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्था हुयी है। पहले वाले एक्ट के हिसाब से 15 हजार रुपये।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय काफी अध्ययन करके आये हैं पर विषय की परिधि में ही रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या परिधि है वह बतायें ?

श्री सभापति : आप कम्पनसेशन की बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप समय की बात कह सकते हैं लेकिन परिधि की बात नहीं कह सकते हैं।

श्री सभापति : इसका कम्पनसेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सम्बन्ध है। दुर्घटनाओं से कैसे नहीं है सम्बन्ध ? आप परिधि का क्या ज्ञान दे रहे हो आप समय की सीमा पर कह सकते हैं। सीमा समय की हो सकती है पर परिधि की नहीं। यहां लोगों की हत्यायें हो रही हैं आप परिधि बांध रहे हैं।

श्री सभापति : मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : विपक्ष के नेता महोदय आप सभापति को डरा रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं डराने की कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशी जी अपने आदमी का सवाल नहीं है। परसों मेरा और विद्या जी का झगड़ा हो गया। यह तो उनकी निष्पक्षता का सवाल है। जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, आपको भी प्रशंसा करनी चाहिए। यह मेरा आदमी है जो मुझे भी रोकने को तैयार है। आपके आदमी तो एक-एक घण्टे तक फालतू बोलते हैं और आपकी चेयर उनको रोक नहीं पाती है। मैं समझता हूं यह आपको तुलना नहीं करनी चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : आप कहते हैं तुलना नहीं करनी चाहिये फिर यह क्या कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना तो बता दूं, आपको उनकी हिम्मत तो है, मुझे रोक लिया, कुर्सी पर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कम्पनसेशन की बात इसलिए कह रहा था आप मजाक सुनकर ताज्जुब करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में पहले जो आदमी मर जाये उसके परिवार वालों को 15 हजार रुपये मिलते थे और घायल हो जाये उसको सात हजार। अब अमेण्डमेण्ट हुआ जिससे 25 हजार रुपये मरने वाले के परिवार को और 12 हजार रुपये कोई घायल हो जाये तो उसको। सभापति महोदय, आप इसी आधार पर यदि देखें-अगर कोई आदमी रेल्वे में मर जाये तो उसको मिलते हैं एक लाख रुपये कोई रेल के एक्सीडेण्ट में मर जाये तो उसको तो मिलेगा कम्पनसेशन एक लाख का और कोई हवाई जहाज में मर जाये तो 2.25 फ्रैंच इसका मतलब लगभग साढ़े तीन लाख रुपया। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मरने में भी इतना अन्तर ? हवाई जहाज से मर जाये तो 3 लाख 12 हजार अगर मोटर एक्सीडेण्ट से मर जाये तो 25 हजार रुपये रेल से मर जाये तो एक लाख रुपया, नसबंदी से मर जाये तो 10 हजार रुपये, पुलिस थानों में मर जाये तो पांच हजार रुपये, आगजनी में मर जाये तो 15 सौ, डूबकर मर जाये तो 1500, बाढ़ से मर गया तो 10 हजार, तांगे से टक्कर खाकर मर जाये तो फूटी कौड़ी भी नहीं और बैलगाड़ी से मर जाये तो टक्कर भी नहीं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने मौत के भाव कर रखे हैं। मैं उनके मौत के भावों में किसी प्रकार का अन्तर राजस्थान सरकार से नहीं कराना चाहता हूं।

श्री सभापति : कुछ भाव तो केन्द्र सरकार ने तय कर रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मौत के भाव तय कर रखे हैं चाहे यह केन्द्र सरकार ने तय किये हों लेकिन मौत के भाव समाजवादी सरकार ने तय करे हैं। केन्द्र में समाजवादी सरकार है और यहां भी है। सभापति महोदय, हवाई जहाज में वह बैठता है जो अमीर हो, अमीर मर जाये तो 3 लाख का कम्पनसेशन, उससे कमजोर वर्ग आता है रेल्वे में वह मर जाये तो 1 लाख रुपया, बस में घूमता है गरीब आदमी वह मर जाये तो 25 हजार रुपया। यह समाजवादी सरकार है, यह समाजवाद है ?

श्री रोपतसिंह : डीलक्स बस में रेट अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे पता नहीं है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : नेता महोदय, आपके असत्य आरोप से हार्ट फेल होकर मर जाता है उसको क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बेफिक्र रहो, असत्य आरोपों से तो कोई नहीं मरेगा। सही आरोप से मरना चाहिए वह मरता नहीं है। अब तक मरना चाहिए वह नहीं मरे।

सभापति महोदय, इसमें भी एक और है "हीट एण्ड रन"। एक स्कीम है भारत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार की। मार जाये और पता नहीं लगता तो उसको केवल पांच हजार रुपये। जो आदमी अगर किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है और उस गाड़ी का पता लग जाये तब तो 25 हजार और गाड़ी का पता नहीं लगे तो केवल पांच हजार। जैसे मरने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है तू मर बाद में गाड़ी का पहले पता लगा नहीं 25 हजार की जगह रुपये 5 हजार ही मिलेंगे। इस प्रकार का अन्याय तो मैं समझता हूं राजस्थान में कोई हो नहीं सकता। अन्त में एक बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपकी नीयत पर कोई संदेह नहीं करता हूं। इधर बैठें या उधर बैठें, किसी की नीयत पर कोई संदेह नहीं है। हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं नहीं हों, मैं भी चाहता हूं कि दुर्घटनाएं रुकें। आप तीन काम कर दीजिए। एक तो फिटनेस की व्यवस्था ऐसी अप-टू-डेट हो कि पैसा बिना और कोई रिश्वत लिये बिना जो गाड़ी वास्तव में चलाने योग्य हो उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट मिले।

श्री नारायणराम बेड़ा : यह कहकर आपने रिश्वत की रेट बढ़ा दी है। लाल बत्ती की सारी गाड़ियां रुकेंगी और एक रात में एक-एक लाख रुपये इकट्ठे होंगे एक-एक जिले से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी बात कहना चाहता हूं ड्राइविंग लायसेंस कोई इतने सस्ते नहीं हैं।

श्री सभापति : अब तो नया एक्ट बन गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब नये एक्ट में भी नहीं है। नया और पुराना एक्ट क्या करेगा? जब तक प्रवृत्ति हमारी नहीं बनेगी। वैसे आप सही कह रहे हैं नये एक्ट में कुछ सख्तियां बरती गयी हैं। लेकिन नया एक्ट और पुराना एक्ट क्या करेगा मशीनरी वही है जो मशीनरी पुराने एक्ट को इम्प्लीमेण्ट कर रही थी उसको नया एक्ट हाथ में दे दिया तो उसमें कोई अन्तर आने वाला नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, एक्ट में उन्होंने दुकानें खोलने की व्यवस्था कर दी, प्राइवेट प्रशिक्षण केन्द्र खुलेंगे। मुफ्त में, कम पैसों में आराम से दिलायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं एक तो मैंने कहा ड्राइविंग लायसेंस के बारे में, एक फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितने भी एक्सीडेण्ट होते हैं वह रात को 11 से 7 बजे तक होते हैं। 11 बजे क्यों होते हैं, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि राजस्थान में कहीं पानी की प्याऊ लगी हुयी है या नहीं सब जगह ठेका देशी शराब का एक बोर्ड लगा हुआ है। वहां पर डिप्लोमेट मिलती है, वहां पर दूसरी क्या है, गुलाब केसर वह मिलती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम नेशनल हाइवे के ऊपर कोई शराब का ठेका नहीं हो, उसको बन्द करायें। यह बहुत जरूरी है इससे कोई आपकी आमदनी में फर्क नहीं पड़ेगा। आज गाड़ियां सभापति महोदय, 9 बजे जाकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खड़ी होती है 11 बजे तक तो मस्ती से पीते हैं और 11 बजे से पीकर चलते हैं तो कभी यहां शिकार, कभी वहां शिकार और जहां शिकार मिले शिकार करते हुए आगे तक, और कभी खुद भी शिकार हो जाते हैं अब ऐसी स्थिति में शराब रोकनी है।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा लाइट्स की जो बात कही है और सामान भर कर चलते हैं उनकी बात कही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जयपुर शहर के बारे में। सभापति महोदय, आज जयपुर शहर में रहते हैं, आप अपने निवास स्थान से विधान सभा में आते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा इस जयपुर शहर का एक आदमी एक किलो डीजल की गैस पेट के अन्दर नहीं उतारता हो, कोई दिन ऐसा नहीं होगा। इतना भयंकर प्रदूषण जिस प्रदूषण को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय देंगे। आर.एस.आर.टी.सी. एक डिपार्टमेन्ट है, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट दूसरा है, पुलिस डिपार्टमेन्ट तीसरा इन तीनों डिपार्टमेन्ट का को-आर्डिनेशन कौन करता है? क्या चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी की कमेटी इसका को-आर्डिनेशन कर देगी? मैं चाहता हूं सभापति महोदय, इन तीनों चीजों को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए, राजस्थान में एक कमिश्नर बम्बई टाइप का नियुक्त किया जाये। जिसको मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत काम करने का अधिकार हो, जिसको इण्डियन पैनल कोड के अन्दर काम करने का अधिकार हो, बाकी के और जो कानून इस सम्बन्ध में बने हुये हैं उन कानूनों के अन्तर्गत काम करने का अधिकार हो। इस आधार पर चलें।

अन्त में एक बात कहना चाहूंगा आपने ट्रिब्यूनल बना रखा है। उस ट्रिब्यूनल ने कभी विचार किया कि एक आदमी जो गरीब, सड़क के ऊपर मर गया सभापति महोदय, आज जयपुर अस्पताल में जाकर देखें कई आदमी दुर्घटनाओं में ऐसे आते हैं जिनका अता पता नहीं है और पुलिस इनका दाह संस्कार करती है। उनके घर वालों को जब पता लगता है तो कानून की जानकारी नहीं है कि हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा जो आप कम्पनसेशन आप देना चाहते हैं तो यह व्यवस्था तो कम से कम करिये कि जितने भी कम्पनसेशन के क्लेम्स पेश किए हैं वह क्लेम्स तो डिस्पोज आफ करें ही लेकिन उस ट्रिब्यूनल को यह भी आप अधिकार दीजिए कि उस ट्रिब्यूनल के सामने चाहे मोटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट हो, चाहे आर. एस. आर. टी. सी. हो चाहे पुलिस हो। जिस दिन भी एक्सिडेन्ट हो जाये उस एक्सीडेन्ट की इत्तला ट्रिब्यूनल को दे और ट्रिब्यूनल के सामने कोई रीप्रजेन्टशन विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड टाइम नहीं करें तो सुओ मोटो एक्शन ले सके इस प्रकार की व्यवस्था उसमें करायें ताकि गरीब आदमी को भी कम्पनसेशन मिल जाये या उसकी भी कहीं से सुनाई हो जाये। मैं समझता हूं सभापति महोदय, मोटर व्हीकल्स की संख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई उसके कारण से एक्सीडेन्ट होते रहेंगे तो मेरा विश्वास है राजस्थान सरकार यदि निष्ठापूर्वक इस कतल खाने को रोकने की कोशिश की तो यह कतलखाना रुकेगा, और राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। सभापति महोदय, आपने भी सुना होगा और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब तो मंत्री भी कहते हैं कि दिल्ली रात को नहीं जायेंगे। अब और तो कोई डरे या न डरे लाल बत्ती भी कह रही है रात को नहीं लेकिन ऐसा डर मिनिस्टरों में पैदा हो गया कि रात का रोड ट्रेवलिंग हमें अवाइड करना चाहिए। इससे आप मान कर चलें कि एक बहुत खतरनाक स्थिति हुई है। दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में न तो इन बातों को बताया बल्कि अपने वक्तव्य में एक्सिडेन्ट और दुर्घटनाओं में मरने वाले हैं उनकी संख्या को जस्टीफाई करने की कोशिश की है इससे ज्यादा एक प्रकार की शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए नहीं हो सकती है। सरकार चाहे तो विपक्ष के साथ बैठे, आप बैठें हम ऐसे रास्ते निकाल सकते हैं जिसके आधार पर एक्सिडेन्ट्स की संख्या कम हो और लोग बच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथू सिंह।

श्री मोदी जी को कहने दें पहले मोदी जी। श्री मोदी जी का नाम पहले पुकार लिया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : सभापति महोदय जो बात मैं बताना चाहता हूं, कोटपूतली एरिया के अन्दर 100 बैड्स का अस्पताल है परन्तु मैं आपको बताऊं मंत्री जी इसके अन्दर साल में करीब 6 सौ केस बल्कि इससे ज्यादा केस आये हैं जिनका मर्डर हो गया वह केस और घायलों का तो पता नहीं कितने केस है। तो ऐसी स्थिति में आज कोटपूतली के अन्दर पावटा से लेकर और बहरोड़ तक के अन्दर वहां 100 बैड्स का अस्पताल है।

श्री सभापति : मोदी जी आपका प्रश्न नोट कर लिया है। बिराजें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं आज उन प्राइवेट गाड़ियों को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ।

श्री सभापति : यह प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया है। नई बात कहें आप। प्रश्न पूछ लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं-नहीं मेरी बात तो सुने। सभापति महोदय, हमारी यह स्थिति है मेरी बात तो सुनें। उन्होंने बता दिया मेरे को बताने दें।

श्री सभापति : पूरे राजस्थान में तो चल रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पूरे राजस्थान में तो चल रही है परन्तु सबसे ज्यादा मेरे एरिया में मरे हैं। घायल मेरे एरिया में ज्यादा हुये हैं। 2--3 बात पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : एक ही प्रश्न पूछ लें इकट्ठा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक तो यह है कि प्राइवेट बसें तुरन्त बंद कर दी जायें और जो ट्रक हैं उन ट्रकों के अन्दर अब तो सरकार ने थोड़ी पाबन्दी लगाई है कि 10 टन से ज्यादा वजन नहीं हो और कोई ज्यादा वजन ले जाता है कानून के खिलाफ तो उसको बन्द कर दो।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तीसरी बात यह है कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट दोनों मिल कर जब तक इस काम को पूरी तरह नहीं उठायेंगे तब तक हम लोगों का भला नहीं होने वाला है, हम मरते ही रहेंगे ।

श्री सभापति : बिराजें माननीय सदस्य, श्री नाथू सिंह जी।

श्री नाथूसिंह (टोंडारायसिंह) : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने सारे मुद्दे कह दिये बहुत विस्तार से लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे हैं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आये हैं वह सदन के सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह सही है कि रोड एक्सिडेण्ट जो बढ़ रहे हैं....

श्री सभापति : भूमिका मत बांधिये, काफी समय हो चुका है ।

श्री नाथूसिंह : भूमिका नहीं बांध रहा, सीधा प्रश्न ही कर रहा हूं । रोड्स पर ज्यादा वाहन आने से पोपूलेशन डेंसिटी, एक्सिडेन्ट बढ़ रहे हैं । सभापति महोदय, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है रोड्स पर वाहन आ रहे हैं ।

श्री सभापति : एक प्रश्न पूछ लें। भाषण मत दीजिए।

श्री नाथूसिंह : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। आपने गम्भीरता से कभी इस समस्या पर विचार नहीं किया और न नये-नये मैथड्स आपने रोड एक्सीडेंट को रोकने के इजाद किये । तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा सीधे-सीधे लाइसेंन्स देता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड्स पर ट्रैफिक की व्यवस्था है वह करती है पुलिस । मैं जानना चाहूंगा कि कई स्टेट्स के अन्दर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुलिस के आई. जी. लगाये हुए हैं जैसे आन्ध्र प्रदेश है, यू. पी. है, केरल है, दिल्ली है तो क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुलिस के आई. जी. को लगायेंगे ताकि उन दोनों में आपस में को-आर्डिनेशन हो सके।

दूसरा सभापति महोदय, रोड्स की दशा ठीक करवाने के लिए चौराहों की दशा ठीक कराने के लिए पुलिस बार-बार जयपुर में जैसे जे. डी. ए. है कई जगह म्युनिसिपेलिटीज है कहीं आपका पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेन्ट है उनसे कोन्टेक्ट करना पडता है। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कुछ फंड बड़े-बड़े शहरों में पुलिस के पास देंगे ताकि जेबरा बनाने के लिए चौराहों की ठीक व्यवस्था करने के लिए, डिवाइडर लगाने के लिए इसके लिए पुलिस बार-बार उन लोगों के चक्कर नहीं काटे अपने हिसाब से वह काम करें ।

तीसरा सभापति महोदय, जैसे विदेशों में आप गये होंगे, योरोप और दूसरी जगह माननीय मंत्री सभापति महोदय, आप भी गये होंगे वहां ट्रैफिक कन्ट्रोल करने के लिए कम्पयुटराइजेशन पूरा कर रखा है लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि ट्रैफिक को कण्ट्रोल करने के लिए कम्पयुटराइजेशन कर दें। उसमें स्पीड जो 60 लिखी है अगर 70 चलाते हैं तो आपको वार्निंग मिल जाती है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, साधनों का अभाव है । लेकिन उसको रोकने के लिए सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जैसी वहां व्यवस्था है आप ड्राइवर्स जो वाहन चला रहे हैं उनके लाइसेन्स पर वार्निंग दें। पहली गलती करता है वाहन का ड्राइवर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें आपने सुझाव दे दिये ।

श्री नाथूसिंह ....तीन बार उसके रिमार्क लग जाये लाइसेन्स पर तो उसका 5 साल के लिए लाइसेन्स कैन्सिल करें 10 साल के लिए लाइसेन्स कैन्सिल करें तो उसके बाद इस पर कोई कन्ट्रोल लगेगा । क्या इस विधि को आप चलायेंगे ?

चौथा सभापति महोदय, एक निवेदन और करता हूं, रोड्स के ऊपर....

श्री सभापति : कितने सुझाव हैं माननीय सदस्य आपके ? 10 नये सुझाव हैं ?

श्री नाथूसिंह : जयपुर के अन्दर आपने ट्रेफिक पुलिस लगा रखी है, बड़े-बड़े शहरों में ट्रेफिक पुलिस, सभापति महोदय, आप देखिये दिल्ली में आप जाइये, बम्बई में जाइये, वहां आज कल धीरे-धीरे क्योंकि इस ट्रेफिक पुलिस में भ्रष्टाचार ज्यादा है इसलिये उसको रोकने के लिये उन्होंने लेडीज पुलिस की व्यवस्था कर दी। वह कम्पेरेटिवली ओनेस्ट होती है। इसलिए क्या आप उनको ट्रेफिक की ट्रेनिंग देकर लेडीज ट्रेफिक पुलिस की व्यवस्था करेंगे जैसे दिल्ली और बड़े-बड़े महानगरों में है ताकि यह करप्शन रुके और सख्ती से....

श्री शिवचरण सिंह : स्पीड कण्ट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री नाथूसिंह : दूसरे सभापति महोदय, जो लाइसेन्स की बात है, आज दुकानें चल रही हैं 200 रुपये में 500 रुपये में कहीं से लाइसेन्स ले आये तो लाइसेन्स देने के नियम आप सख्त करिये और यह जो एक्ट आया है इसमें प्रोवीजन है कि स्कूल में प्रशिक्षण दिया जायेगा....

श्री सभापति : सब मंत्री महोदय को जानकारी है ।

श्री नाथूसिंह : यह प्राइवेट अड्डे हो जायेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे । इनको रोकने की व्यवस्था आप अभी से कीजिये मंत्री महोदय । ट्रेनिंग स्कूल पैसे लेकर के झूठे सर्टिफिकेट दे देंगे, इनको रोकने की आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि 20 प्रतिशत दुर्घटनायें शहरों की आबादी निरन्तर बढ़ने के कारण हो रही है । जयपुर शहर में जो 20 प्रतिशत आपने एक्सीडेंट बताये उसमें से जो राजमार्ग आबादी क्षेत्रों में से गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनके कारण ही यह एक्सीडेंट होते हैं । क्या सरकार इस प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग जो आवासीय कॉलोनियों के बीच में से निकाले जा रहे हैं या जो आवासीय कॉलोनियों की बगल से निकल रहे हैं उनको स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? जैसे मालवीया नगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है उसके बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है और आये दिन वहां दुर्घटनायें होती हैं । इसी प्रकार जवाहर नगर और जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बीच में जो बाई पास निकलता है इनको स्थानान्तरित करने का विचार रखते हैं क्या और यह कब तक स्थानान्तरित कर देंगे ?

(श्री कालीचरण सराफ)

दूसरा, क्या सरकार यह भी विचार रखती है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में रोड्स चौड़े किये जाये, जेबरा के निशान लगाये जाये, लाइट की व्यवस्था की जाये, इसके लिये पुलिस को अलग से कोई फण्ड्स सरकार देने का विचार रखती है क्या? इसके बारे में बतायें।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आपने इतना बड़ा भाषण दिया और इतनी एकेडेमिक एक्सरसाइजेज आपने बताई कि एक्सीडेंट का यह कारण है, यह कारण दस प्रतिशत यह, पांच प्रतिशत यह तो उससे आपने क्या नसीहत ली और उसमें आपने क्या सुधार किया?

फिर मैं यह पूछना चाहूंगी कि जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि 1947 एक्सीडेंट पिछले चार वर्ष में हुये और पिछले गत एक वर्ष में ही 503 एक्सीडेंट हुये। यह मैं फिगर्स दे रही हूं जो सरकारी वाहनों से हुये हैं उनके, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह सरकारी वाहनों से जो हुये तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह सरकारी वाहन और सरकारी ड्राइवर्स इन्श्योर्ड हैं? मेरी जानकारी यह है कि नहीं है। इसलिये ना आपकी गाड़ियों को कोई बेनिफिट मिलता है और ना जो मरे हैं उसको भी बेनिफिट में बहुत देरी होती है।

मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि आपने जयपुर शहर की सड़कों पर देखा होगा कि रिक्शों में तीन तीन, चार-चार स्लेब्स लगाकर छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है, रिक्शे वाले हुड नहीं चढ़ाते हैं वैसे यह बच्चों के इन्ट्रेस्ट में तो है ही मगर एक एक्सीडेंट रिक्शे का हो जाय क्योंकि आपकी इन सड़कों पर फास्ट व्हीकल, स्लो व्हीकल, बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी सरिये वाली लम्बी लम्बी यानि बड़ा हैट्रोजिनियस ट्रेफिक एक साथ चलता है। एक्सीडेंट के चांसेज उसकी वजह से भी होते हैं आपने इन बच्चों के लिये क्या व्यवस्था की? आपमें अगर जरा भी हमदर्दी है बच्चों से तो आप सदन को आश्वासन दीजिये कि रिक्शे वाले हुड जरूर लगायेंगे, एक निश्चित संख्या से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठायेंगे और उनकी रेट्स रेस्ट्रिक्टेड रेट्स विद्यार्थियों के लिये होगी।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगी क्या एक्सीडेंट प्रोन्स बहुत सारे स्थान हैं, क्या आपने उनको अभी तक आइडेन्टिफाई किया है जैसे बगरू के पास महला और अजमेर के बीच में दूदू के पास एक्सीडेंट होते हैं और इस तरह से बहुत सारी जगह है जहां प्रेक्टिकली भांखरोटा के पास आपके बहुत ही एक्सीडेंट होते है। वहां स्पीड ब्रेकर है ही नहीं। केसरी चंद चौधरी नगर अजमेर रोड पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्या आपने उन एक्सीडेंट प्रोन्स एरियाज को आइडेन्टिफाई किया है क्या और उसके लिये कोई व्यवस्था की? यदि हां तो कहां कहां?

फिर मैं यह भी पूछना चाहूंगी, मेक्सिमम एक्सीडेंट जयपुर में हुये और उसमें भी

(श्रीमती विद्या पाठक)

सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यहां सरकारी वाहनों से हुये हैं। वहां 171 फीगर जयपुर जिले और शहर का है तो जयपुर शहर और जिले में ही ऐसा क्यों हुआ ?

फिर कम्पनसेशन की बात, डिस्पेरिटी की, एक मौत की कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है ? एक इन्सान की जान की कीमत अलग–अलग एक ही सरकार कैसे कर सकती है उसका मोड़ चाहे कुछ भी रहा हो, कहीं से भी एक्सीडेंट हुआ हो परन्तु एक्सीडेंट के बाद मर जाते हैं उनकी तो आपने सोची नहीं पर एक्सीडेंट के बाद जो जिन्दा रहते हैं, आपने अस्पतालों की हालात देखी है, आपके सिटी वार्ड में क्या हालात है, एक्सीडेंट वार्ड में क्या हालत है ? यहां केट-स्केन जो प्राइमरी चीज हो जाती है एक्सीडेंट के लिये, उसकी व्यवस्था आपके अस्पताल में पिछले हफ्ते हुई है। इससे पहले 1500, 1800 और 2000 रुपया खर्च करके जिसका एक्सीडेंट होता है वह +++ अपना इलाज करवाता है, सिर्फ डायग्नोसिस के लिये लेकर जाते हैं।

लास्ट प्वांइट पूछना चाहूंगी कि गाड़ियां जो डिपर नहीं देती हैं क्या आप ऑटोमेटिक डिपर की व्यवस्था करने वाले हैं ?

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जी।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : सभापति महोदय, आये दिन आप देखते होंगे जयपुर में यह जो मिनी बसें और टैक्सी चलते हैं इनकी दस सीट की तो जगह है और 20-20, 25-25 सवारियां भेड़ों की तरह से भर लेते हैं और उससे भी ज्यादा बाहर लटकते हुये जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं।

दूसरा, आम तौर पर पहले ऐसा देखा जाता था कि जितने भी व्हीकल चलते हैं उनकी लाइट आधी काली होती थी आधी सफेद होती थी लेकिन अब यह सिस्टम बिल्कुल खतम हो गया है। रात को जाते हैं तो पूरी की पूरी लाइट आंखों के ऊपर पड़ती है, सामने से दिखाई नहीं पड़ता है।

एक, यह जो सरकार ने स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं मेरी समझ में नहीं आता कि यह स्पीड ब्रेकर्स एक्सीडेंट रोकने के लिये हैं या एक्सीडेंट करने के लिये हैं ? न तो इनको कोई तकनीकी दृष्टि से बनाया गया है, ना इनके ऊपर कोई सफेद पुताई है मालूम ही नहीं पड़ता कि आगे स्पीड ब्रेकर है। आदमी तीस की स्पीड से भी जाये तो स्पीड ब्रेकर आता है और धम से गाड़ी उलटने से बच जाती है या उलट जाती है। कोई टेक्निकल प्वाइंट आफ व्यू से आप आम तौर पर यह मोती डूंगरी से आप स्पीड ब्रेकर बनायें आपकी यह जो मिनी बसें और टेम्पों चलते हैं रोड पर तो मैं रोज देखती हूं, इसमें एक होड़ होती है कि मैं पहले जाकर सवारियां छोड़कर दूसरी सवारियां लादकर लाऊं, वह सोचता है मैं पहले जाकर लाऊं तो देखते नहीं हैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है धमा धम एक दूसरे के आगे निकलते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

नहीं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, कोई कहता नहीं और मैं कहना चाहती हूं बिना परमिट की गाड़ियां चलती हैं आजकल डीलक्स बसें, वी. सी. आर. बसें चल रही हैं, वीडीयो कोच। जगह जगह पर आपके चुंगी नाके हैं आपकी ट्रांसपोर्ट की पुलिस उसको चैक करने के लिये खड़ी हैं पैसे ले लेते है वह और बिना परमिट की गाड़ियां बरकरार चलती रहती हैं। अभी बहन विद्या जी बता रही थी कि यह जो रिक्शा और स्कूटर हैं इनमें भी स्लेब्स लगाकर बैठते हैं। मैं कहना चाहूंगी कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर श्री राम नारायण जी चौधरी की पोती रिक्शे में जा रही थी, 10-15 बच्चे भरे हुये थे, टल्ला लगा, बच्ची गिर गयी नीचे, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गयी। इस तरह कई एक्सीडेंट होते हैं। इन छोटी-छोटी बातों को आज आपने देखा होगा।

सभापति महोदय, ट्रक जाते हैं, एक तरफ लाइट है और एक तरफ लाइट नहीं है। दिखाई नहीं देता है कि स्कूटर आ रहा है या ट्रक आ रहा है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं समझती हूं कि सरकार अगर इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे तो एक्सीडेंट बहुत बच सकते हैं।

एक बात और कहूंगी अभी तीन दिन पहले 22 साल का एक लड़का काला-डेरा से स्कूल के लिये जा रहा था, मास्टर था, बस छत तक भरी हुई और उस बस पर लटक गया, उसी बस से वह भीड़ का टल्ला लगा, नीचे गिर गया और बस उस की छाती के ऊपर से चली गयी। यह जो ओवरलोडिंग होता है उस पर सरकार को देखना पड़ेगा। आप को थोड़ी बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां प्राइवेट रूट हैं वहां भी अच्छी बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, शादियां होती हैं तो प्राइवेट बस वाले अपना रूट छोड़ देते हैं और शादी में बस लगा देते हैं। जो लोग रूट पर खड़े होते हैं बस की छतों पर भर भर कर जाते हैं। यह सब एक्सीडेण्ट के कारण हैं, आप कृपया इन पर रोक लगायें

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि पुलिस की व्यवस्था तो रहे लेकिन सड़कों पर जब तक गड्ढे होंगे और बिजली का अभाव होगा, निश्चित रूप से एक्सीडेण्ट होंगे। मन्त्री महोदय, सड़कों की हालत बहुत खराब है राष्ट्रीय राजमार्ग ले लें या अन्य मार्ग ले लें सिटी के बीच में स्थिति बहुत खराब है इनको सुधरवायें। एक्सीडेण्ट का एक बड़ा कारण यह भी है। दूसरा, जो स्पीड ब्रेकर बनाते हैं इनकी एक शेप नहीं, कहीं बिल-कुल ऊंचे और कहीं ऊंट की चाल वाले, कहीं कैसे और कहीं कैसे। इनकी एक शेप आप तय कर लें। इनके पास कम से कम चमकने रिफ्लेक्टर लगा दें।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

मुझे तो दो-तीन बातें और कहनी हैं, मैं करती हूं बन्द। मुझे लम्बा थोड़े ही बोलना है।

मैं कहना चाहती हूं कि ट्रैफिक पार्क की घोषणा जनता पार्टी की सरकार के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

समय में की गयी थी। तब से लेकर आज तक आप ने ट्रैफिक पार्क नहीं बनाया। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से अव्यवस्था रहेगी। बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग मिलेगी तो दिक्कत नहीं होगी। एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे एक्सीडेण्ट स्क्वायड में डाक्टर का होना अत्यन्त जरूरी है। आधा खून तो एक्सीडेण्ट के बाद आन दी स्पाट ही वह जाता है। इस स्थिति को सुधारेंगे।

श्री सभापति : माननीय उजला जी, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक अन्तिम सुझाव दे दूं आप कहें तो। शराब पी कर चलाने वाले ड्राइवर्स के लाइसेंस तो जब्त करें, सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों की मेण्टिनेंस पर ध्यान दें। रोडवेज की गाड़ियों को देखा जाय तो हॉर्न क्या सारी गाड़ी बजती है। आप इन व्यवस्थाओं को ठीक कर चलेंगे तो एक्सीडेण्ट नहीं होंगे, यही मेरा आप से निवेदन है।

श्री सभापति : श्रीमती इकबाल कौर कहें, क्या कहना चाहती हैं ?

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मेरे लिए कह दिया उन्होंने।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदय, चौराहों पर जो लाइट लगी हुई हैं यह खराब हो जाती हैं। लाइट को ठीक करने का, मेण्टिनेंस का काम पी. डब्ल्यू. डी. का है। मन्त्रीजी से चाहूंगा कि यह काम पुलिस के जिम्मे करें।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय गुलाब सिंह जी जानते हैं कि थ्री व्हीलर्स हैं जार्डस डिक्लेयर हुए हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिये। यह केरियर थे, राजनीतिक कारणों से इनको ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिये लिया गया। दूसरी बात आपने कही कि इनको हटाया कैसे जाय। यूनियन बना लेते हैं और हमारे आदमी ही जाकर उसकी वकालत करते हैं। बड़ी मुश्किल हो गयी कि इनकी सवारी कैसे कम की जाय। मैंने खुद आर्डर निकाल कर बीच में डण्डा लगाया था ताकि आदमी कम बैठें। यह बाद में हट गये पता नहीं, न जाने कब गायब हो गये। क्यों हट गये, किसलिए हटाये गये, पता नहीं। आज भी जो थ्री व्हीलर्स चल रहे हैं, चाहे लीगल हों या इल्लीगल, कितना धुंआ निकालते हैं, रिंग फ्रेम क्या है, कैसा है, उसका मैजरमेंट करने का तरीका है कि नहीं, यह भी पता नहीं। मन्त्री महोदय इस स्थिति पर विचार करेंगे। तीसरा, इनका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है जबकि आज डेनसिटी बढ़ रही है। सभापति महोदय, तेहरान शहर में एक मिलियन व्हीकल्स हैं, दस लाख। आप समझिये कि जब व्हीकल्स की डेनसिटी बढ़ती है तो मन्त्री महोदय बताने की कोशिश करेंगे कि सड़कों की चौड़ाई कितने बढ़ी, आपका इनवेस्टमेंट कितना बढ़ा, आपने पार्किंग प्लेसेज कहां बनाये ? आपकी जो बसेज अनलाइसेंस्ड चलती हैं इनको कहां रोकना, कैसे रोकना, कोई स्थान नहीं। कार्नर पर हम गाड़ी चलाते है तो वहा पर उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा, सही कहता हूं, अनुभव के आधार पर कहता हूं। आप स्थान बनाइये ठहरने का। इस आधार पर शहर में कुछ न कुछ व्यवस्था

(श्री मोहन छंगाणी)

करनी चाहिये। अगर सरकार दिवालिया है, कुछ नहीं कर सकती तो बात दूसरी है। पुलिस की लापरवाही बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा भी फर्ज है, सरकार कुछ न कुछ करें। पैसा लगाये, सड़कों को चौड़ा करे। पार्किंग प्लेसेज रखे, प्राइवेट पार्किंग प्लेस, अण्डर ग्राउण्ड प्लेस, जो भी करना चाहें। इन्वेस्टमेंट के लिये प्रयास करें।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि यह जो बत्तियां लगी हुई हैं सारी बत्तियां खराब हो जाती हैं, कई कई हफ्ते खराब रहती हैं। इनकी मेण्टिनेंस का काम पी. डब्ल्यू. डी. का है पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि यह काम पुलिस को दे दीजिए, वही उसको ठीक कर लें।

श्री सभापति : माननीय सम्पत सिंह जी, आप भी कह लीजिए। काफी आतुर हैं।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने विस्तार से कहा कि वर्तमान कानून में जहां वायोलेशन होता हो ट्रांसपोर्ट रूल्स का, एक्ट का या जैसे पी. डब्ल्यू. डी. का उदाहरण ले लीजिए कि सड़कों पर जो जहां मर्जी आये स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, गांव के लोग होते हैं, अचानक ट्रक रोकेंगे, उनकी कमानी टूटती है और एक्सीडेण्ट होते हैं। जहां एक्सीडेण्ट होते हैं वहां जिस अधिकारी पर जिम्मेदारी फिक्स की जाय उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

नम्बर दो, ऊलजलूल भाषा लिखी रहती है ट्रकों पर, मोटर पर। कोई बच भी जाय तो उस पर पीछे लिखा रहता है, फिर मिलेंगे।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : मन्त्री महोदय, मैं आपको एक ऐसी बारीक बात बताने जा रहा हूं जिस से भारी वाहनों के एक्सीडेंट होते हैं। वह शायद किसी ने नहीं बतायी। चूंकि मैं इसमें रहा हूं, मुझे इस का पूरा ज्ञान है कि भारी वाहनों में एक्सीडेंट क्यों होते हैं, मै आपको बता रहा हूं, मेरा सुझाव है। माननीय सभापति महोदय, भारी वाहनों का एक्सीडेंट सिर्फ इसलिये होता है कि एक तो माल ज्यादा भरते हैं और एक गाड़ी के अन्दर एक ही ड्राइवर होता है दिल्ली से बम्बई, दिल्ली से इन्दौर, दिल्ली से कोटा चलता है। मुख्य कारण यह है कि कई गाड़ियों में एक ही ड्राइवर होता है। कुछ ही गाड़ियों में डबल ड्राइवर होते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुझाव वह दें जिस पर मन्त्री महोदय अमल करा सकें।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : क्यों होते हैं एक्सीडेण्ट, यह बता रहा हूं।

श्री सभापति : हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते कि दो-दो ड्राइवर रखें।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : वह नहीं कह रहा, यह कह रहा हूं कि जब उनकी शिफ्टिंग होती है कि इतने किलोमीटर एक ड्राइवर चलेगा और उसके बाद दूसरा ड्राइवर चलेगा। हो क्या रहा है, सभापति

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

महोदय, कि एक गाड़ी के अन्दर एक ड्राइवर और एक क्लीनर होता है।

श्री सभापति : कह चुके हैं आप। कहना क्या चाहते हैं अब ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय....

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, आपने सिर्फ महिलाओं को अधिकार दिया था, क्या यह महिलाओं की श्रेणी में आते हैं ? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो आपने कहा मैं तो उसे ही रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा कि सिर्फ महिलाओं को ही बोलने दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको भी महिलाओं में मान लेओ तो क्या एतराज है।

श्री माणक डाणी : तब तो नम्बर आप का भी आ गया।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : मेरा निवेदन यह है कि एक्सीडेण्ट सिर्फ उसी पोजीशन में होता है जब ड्राइवर सो जायेगा और गाड़ी अपने क्लीनर को दे देगा। अधिकतर एक्सीडेण्ट ऐसे होते हैं क्योंकि क्लीनर गाड़ी देखता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय गिरधारी लाल जी, आप तो बहुत गम्भीर विषय पर बोलते हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय वर्मा साहब का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें प्राइवेट बस चल रही हैं कोटा से लाखेरी क्या ऐसी बसों के परमिट....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने दस्तखत कर रखे हैं, यह मेरे साथ अन्याय है। दस्तखत करने वाले को नहीं बुलायेंगे ?

श्री सभापति : मुझे सहयोग करें, मेरी व्यवस्था देखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब मैंने दस्तखत कर रखे हैं आप मुझे क्यों नहीं बोलने देंगे, साहब ?

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिलकुल मेरा नाम है।

श्री सभापति : नहीं, आपका नाम नहीं है। मैं वैरिफाई करके बोल रहा हूं, जो मुझे सूची दी गयी है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका निर्णय उचित नहीं साहब।

श्री सभापति : आपका सूची में नाम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा सूची में नाम है, मैंने दस्तखत किये हैं।

श्री सभापति : आपने दस्तखत किये होंगे, आपके नाम से कोई और बोल गये होंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और कोई कैसे बोल देंगे ?

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है इसमें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा नाम नहीं है तो आप मुझे अनुमति दे दीजिए ।

श्री सभापति : ठीक है आपको अनुमति दे रहा हूं । आप यह कह दें कि आपका नाम नहीं है । फिर भी अनुमति दे रहा हूं । प्रश्न पूछ लें आप ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न पूछ रहा हूं, कुछ रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं ।

श्री सभापति । सुझाव तो बहुत आ गये हैं । प्रश्न रूप में सुझाव दे दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहली बात तो यह है कि जो ले जाने वाला व्यक्ति है, जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है उसको परेशान नहीं किया जाय ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह मैंने कहा है, आपने सुना नहीं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दूसरा यह कि एम्बुलेंस में पूरा सामान हो । तीसरा सुझाव मेरा यह है कि ऊंट गाड़े और लड्ढे नेशनल हाई–वे पर जब चलें तो उनके पीछे रिफ्लैक्टर होना बहुत जरूरी है । वर्ना गाड़ी के पास जाने पर निश्चित रूप से एक्सीडेन्ट हो जाता है । फिर मेरा कहना है कि गाड़ियों पर वायरलैस हों । जयपुर शहर में एक लाख पैंसठ हजार छोटे–छोटे व्हीकल्स हैं इसलिए जयपुर शहर में नगर परिवहन सेवा चालू हो जाय तो एक्सीडेंण्ट की संख्या कम होगी । इसी प्रकार बाई–पास बनाया जाय दुर्गापुरा के पास ।

श्री सभापति : बन रहा है बाई-पास ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह बाई-पास बन्द पड़ा हुआ है । आई.जी. रैंक के अधिकारी वाली बात मैंने कही । ट्रैफिक पुलिस के पास लगभग 10 लाख रुपए होने चाहिए जिससे छोटे-मोटे काम कर सकें । अन्त में मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में नेशनल हाई-वे के पास जहां बस्तियां हैं, वहां पटरियां बनें, रेलिंग लगें और ओवर ब्रिज बने । चुंगी चौकी भी बाई-पास पर आवे । दुर्भाग्य तो यह है कि जयपुर शहर में ट्रैफिक के कुल 327 सिपाही हैं । यहां पर असेम्बली अलग से होगी, उद्घाटन भी अलग से होंगे, मेले अलग से होंगे ।

श्री सभापति : बढ़ा देंगे ट्रैफिक के सिपाही, अच्छा सुझाव है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि 327 की नफरी को बढ़ाया जाय । अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एम्बुलेन्स की एक ही गाड़ी है जो अपर्याप्त है इसकी संख्या बढ़ायी जाय । यह ऑटोमैटिक लाइट्स जयपुर शहर में केवल यादगार, गवर्नमेण्ट होस्टल, रामनिवास बाग, ट्रांसपोर्ट नगर, कुल 5 जगह पर लगी हुयी हैं । इन ऑटोमैटिक लाइट्स की संख्या जयपुर शहर में और बढ़ायी जाय और जैसे दिल्ली में राहगीर जब चलेगा जबकि हरी लाइट हो जायेगी....

श्री सभापति : कृपया विराजें माननीय भार्गव साहब ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह लाइट यहां लगे ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दूसरा निवेदन है कि जयपुर शहर में क्लोज सर्किट टी.वी. यदि यादगार में जहां से ट्रैफिक कन्ट्रोल होता है वहां लगाया जाय तो क्लोज सर्किट टी.वी. से दूर तक गाड़ी, कौनसी कहां पर चल रही है यह देखी जा सकती है। बाकी राज्य सरकार ने जयपुर शहर में संख्या दी है वह अपर्याप्त है, जयपुर शहर में 1988 में 273 मरे और 212 घायल हुए और 1989 में अभी जो लगभग 555 एक्सीडेण्ट हो चुके हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे मुखबन्द लगाना पड़ेगा इस चर्चा पर।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं एक प्रश्न पूछूंगा, केवल एक प्रश्न।

श्री सभापति : पूछ लीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय वर्मा जी के चुनाव क्षेत्र में और मेरे चुनाव क्षेत्र में होकर प्राइवेट बसें कोटा से लाखेरी चल रही हैं क्या मंत्री महोदय, उन बसों की हालत सुधारने के लिये उनको बाध्य करेंगे ?

श्री सभापति : सब जगह की हालत खराब है प्राइवेट बसों की।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, जब भी मैं एक्सीडेंट्स देखता हूं तो मैंने, नेशनल हाइवेज पर खास तौर से, सोचा कि यह एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उनकी निश्चित जगह क्यों है। आपने देखा होगा कि जहां शार्प कर्व हैं, उसके अन्दर की तरफ भी आपकी हैवी थिक प्लान्टेशन हो रही है और उधर से जो ट्रैफिक आयेगा वह ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं देता है। इसलिये मेहरबानी करके ऐसे मोड़ों को जहां पर बहुत शार्प कर्व हैं वहां के अन्दर की तरफ से रोड विजिबल रहे दूर तक, उधर के प्लान्टेशन को हटाने का आप काम करें। तमाम जगह हो रहा है, मैंने कई जगह देखा है।

दूसरी सड़क बनती है, सड़क बनने के बाद सड़क की हाइट कर दी 8 फीट ऊंची और साल भर से मैं देख रहा हूं दिल्ली और आगरा वाली सड़क पर, सड़क तो बन गयी और सड़क के साथ साइड में मिट्टी बिछाने का, कुछ करने का, 8 फीट कुछ इंच ऊंची सड़क बन गयी साइड में गाड़ी उतरेगी तो एक्सीडेन्ट होंगे ही....

श्री सभापति : कृपया माननीय यदुनाथ सिंह जी अपने सुझाव लिखित में मंत्री महोदय को दे दें। आपके सुझाव बहुमूल्य हैं।

श्री भंवरलाल जी शर्मा।

श्री यदुनाथ सिंह : ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): सभापति महोदय, आपने स्वयं ने कहा कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसे और सक्षम करना पड़ेगा। अभी ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने के लिये पुलिस है लेकिन उसके पास न तो कोई पावर है न कोई पैसा है। अपने उत्तर में यह बताइये कि आप उसको सक्षम करने के लिये क्या कदम उठायेंगे ? दूसरा, जयपुर शहर में, ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था बहुत वर्षों से नहीं है। जनता पार्टी के राज

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में यह हमने एक व्यवस्था की थी, उसके लिये 12 लाख रुपये दे भी दिये थे और वह स्थान भी चला गया और उसका कोई पता नहीं है। जब आप यह नहीं करेंगे तो ड्राइविंग सीखने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी कहां से और आज तो हर घर में स्कूटर है, हर बच्चा उसे चलाना चाहता है। तो उसकी ट्रेनिंग आप करवा देंगे तो एक्सीडेण्ट्स कम होंगे। तीसरा, जयपुर शहर में रात को यह जो आपने अलाऊ किये हैं ट्रकों को, कभी विधान सभा देर तक चलती है तो आपको पता लगा होगा कि एक मिनट में बीसों ट्रक निकलते हैं तो यह शहर से निकलना बन्द कर दें आप ?

श्री सभापति : कृपया, रिपीट नहीं करें।

श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : बी. जे.पी. इज मच कन्सर्न्ड अबाउट एक्सीडेंट. (शायद बी.जे.पी. एक्टीडेंटस बाबत ज्यादा चिन्तित है।) (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अब्दुल अजीज जी मैंने आपको समय दिया है, प्रश्न पूछ लें आप।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि जो डाइवर्जन्स होते हैं हाइवेज पर, मोटर वे जिसे कहते हैं उस पर जहां क्रासिंग होता हो वहां पर फ्लाई ओवर का इस्तेमाल करना बहुत जरुरी है। जो मैन हाइवेज हैं और मोटर वे कहते हैं इसकी जो लिंक रोड्स को हमारी ज्वाइन्ट करती है आने-जाने में वहां पर फ्लाई ओवर का इस्तेमाल होना चाहिये। एक मेरा, साथ ही, यह निवेदन है कि अजमेरी गेट पर फ्लाई ओवर का होना बहुत जरुरी है, क्योंकि पार्क और हॉस्पिटल साइड को कमबाइन करता है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के नेता, पाली से आने वाली माननीय सदस्या, सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या एण्ड अदर्स ने इस सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं। जिस प्रकार की चिन्ता विपक्ष के नेता महोदय ने और माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है राज्य सरकार भी इसकी गम्भीरता को महसूस करती है और उसके कारणों में विस्तार में जाकर उसके निदान का विचार रखती है, न केवल विचार रखती है बल्कि इच्छा शक्ति रखती है कि किस प्रकार से एक्सीडेन्ट्स को कम किया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 1 जुलाई, 1989 से नया मोटर व्हीकल एक्ट हमारा भारत सरकार ने जो स्वीकार किया है, वह लागू हुआ है, उसके तहत जो ड्राइविंग लाइसेन्सिंग की प्रणाली है उसमें सख्ती की है और उसको हमने माना है कि ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेन्स ठीक ढंग से हम रेगुलेट कर लें, उसी व्यक्ति जिसको ड्राइविंग लाइसेन्स दिया है जो व्यक्ति सक्षम है और जो ठीक ढंग से लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल्स को चलाने में सक्षम हो, ऐसे व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये जायं और लाइसेन्स देने के बाद भी उनका समय-समय पर परीक्षण किया जाय और परीक्षण

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

करने के बाद अगर वह ठीक पाया जाय तो उनके लाइसेन्स रखें जायं नहीं तो उनके लाइसेन्स डिस्कंटीन्यू करने की बात आयी है मेडिकल एग्जामिनेशन भी उनका रखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि लाइसेन्स दिये जायं। उनकी आई साइट या और कोई डिफैक्ट तो नहीं है। जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को लाइसेन्स न मिल जायं जिसकी वजह से वह मोटर चलाने के योग्य भी नहीं हों। और जैसा कि आपने कहा कि पहले लाइसेन्स बिना किसी परीक्षण, बिना किसी बात के दे दिये जाते थे। उसमें इस एक्ट के अन्तर्गत ऐसी सख्ती की जायेगी और सख्ती से उसको लागू किया जायेगा। ताकि सक्षम व्यक्ति ही लाइसेन्स प्राप्त कर सकें ताकि ड्राइवर्स की नेगलिजेन्स से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे बचाया जा सके।

मेडिकल सर्टिफिकेट भी गवर्नमेण्ट ऑथोराइज्ड डाक्टर्स हैं उन्हीं का सर्टिफिकेट होगा। ट्रेनिंग स्कूल की व्यवस्था की है लेकिन यह नहीं है कि केवल ट्रेनिंग स्कूल हैं उनके सर्टिफिकेट को हम मान्यता दे देंगे। उसकी भी हम सख्ती से जांच करेंगे कि जो ट्रेनिंग ली गयी है, लेकर आये हैं वह हमारे उस नार्म्स में पूरे उतरते हैं या नहीं, क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लाइसेन्स देने के बाद निश्चित रूप से इसमें सुधार आयेगा।

अभी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कौनसा विभाग काम करेगा आपका, पुलिस करेगी या....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक मिनट पूरी बात सुन लें आप मेरी। नये एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट ही है अभी तक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट को जो गाइड लाइन्स गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ने जो एक्ट बनाया है उसके तहत दी गई है।

माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने इन्सान के मरने की मुआवजे की रकम के बारे में जिक्र किया है। हवाई जहाज से मर जाये तो ज्यादा मिलता है, दूसरे किसी से मर जाय या साइकिल से मर जाय तो उसको कुछ नहीं मिलता है, यह बात सही है कि अलग अलग दरें हैं और यह जो एक्ट लाया गया है वह भारत सरकार का एक्ट है और भारत सरकार ने जो राशि तय की है वह राशि अभी 25 हजार रुपये और अपंग हुये व्यक्ति को 12 हजार रुपये तक की राशि देते हैं।

अभी आपने यह भी जिक्र किया है कि हिट एण्ड रन स्कीम के तहत जो मुआवजा दिया जाता है वह 5 हजार रुपये बताया लेकिन 5 हजार सही नहीं है यह 8,500 रुपये उसके अन्दर मुआवजा दिया जाता है और 2 हजार रुपये घायल को भी दिये जाते हैं।

यहां यह भी जिक्र आया कि राजस्थान सरकार की जो मोटर गाड़ियां हैं वह चूंकि इन्श्योर्ड नहीं होती हैं और इन्श्योर्ड नहीं होने की वजह से उनका जब एक्सीडेन्ट हो जाता है तो उनका क्लेम पेश नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे रूल्स हैं कि अगर वह क्लेम पेश करेंगे तो कम्पनसेशन ऑथोरिटी है वह उसके खिलाफ भी डिग्री पास कर सकती है।

श्रीमती विद्या पाठक : ड्राइवर मर जाता है, वह भी इन्श्योर्ड नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ड्राइवर मर जाता है उसको तो अभी नहीं कह सकता। यहां इस बात को भी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि रेड लाइट जो ऊपर का मामला है। यह रेड लाइट माननीय विपक्ष के नेता महोदय की गाड़ी पर भी लगी हुई हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : लगी नहीं यह तो गाड़ी आ गयी....

श्री यदुनाथ सिंह : आप इस पर डेफिनेट जवाब दीजिये।

(4.50 म.प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के, भारत सरकार ने जो नया मोटर व्हीकल एक्ट और जो उसके रूल्स बनाये हैं उसमें राजस्थान सरकार को यह अधिकार दिया है कि राज्य सरकार उनमें कर सकती है कि किन व्यक्तियों की गाड़ियों पर रेड लाइट लगायी जायेगी, उन नियमों के तहत ही जो तय किया है उन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों पर रेड लाइट से केवल इतना ही फायदा है कि जल्दी से व्यवस्था की दृष्टि से निकल जायं।

यहां यह भी जिक्र किया गया कि ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पास लाइसेन्स नहीं हैं और अन-अथोराइज्ड गाड़ियां....

श्री दिग्विजय सिंह : रेड लाइट जल्दी से जल्दी से करके रह गए। आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। रेड लाइट जल्दी से जल्दी करके यह नहीं कहा कि वह रहेगी या जायेगी? या एक और लगाओगे? कुछ तो बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ गये जवाब। Now please sit down. (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लाल लाइट से तो आदमी रुकता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह बात सही है कि अवैध वाहन राजस्थान में कई मार्गों पर चलते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और उनके खिलाफ कार्यवाही भी होती है। हमने पिछले वर्षों में सितम्बर से लेकर अब तक लगभग 19 हजार चालान किये हैं और 4,372 गाड़ियों को हमने जब्त किया है, सीज की हैं और उनके खिलाफ जुर्माने भी किये हैं और एक करोड़ 40 लाख रुपये उन अवैध वाहनों से हमने दण्ड के रूप में राशि भी वसूल की है। हमारी मंशा यह है कि अवैध वाहन न चलें उसके लिए हमने....

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय, डेढ़ अरब का आपको नुकसान हुआ है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक ज्वाइंट चैकिंग सिस्टम किया है जिसमें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर भी होंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी होंगे। दोनों मिलकर इसको देखेंगे, ताकि कम्पोजिट चैकिंग हो सके और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इसी तरह से, फिटनेश के बारे में भी जो गाड़ियां सड़क पर चलने लायक नहीं हैं, खराब हैं कुछ

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

किलोमीटर तय कर चुकी हैं और उसके बाद भी किसी कारण से वे गलत सर्टि–फिकेट लेकर उस गाड़ी को चलाते हैं और उससे दुर्घटनायें होती हैं। उसके भी इस सैन्ट्रल एक्ट में कुछ प्रोविजन्स आए हैं उनका हम सख्ती से पालन करेंगे ताकि ठीक कन्डीशन की गाड़ी को ही हम सर्टिफिकेट दे सकें।

ड्राईविंग लाइसेंस के बारे में मैंने कहा, चैकिंग के बारे में मैंने आपसे कहा। शराब की दुकानों के बारे में यहां एक सुझाव आया कि कम से कम नेशनल हाई–वे के ऊपर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। सिद्धान्ततः बात भी ठीक लगती है कि सड़क के किनारे पर दुकानें नहीं होनी चाहिए। यह जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है इन सुझावों के ऊपर भी विचार करेगी और यह राय निश्चित रूप से आपके सुझावों के संबंध में विचार किया जायेगा। दूसरी भी कुछ बातें ऐसी हैं कि इन गाड़ियों में मरकरी लाइट का लग जाता और उसे मरकरी लाइट की चका–चौंध पैदा कर देना और सामने वाली गाड़ी के मरकरी लाइट नहीं होने की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। मरकरी लाइट का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है और मरकरी लाइट की आधी स्थिति काली की जाय या आधी सफेद की जाय। यह सुझाव भी आपने अभी दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, वह तो रूल्स में है। माननीय मंत्री जी रूल्स में है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनिए। मरकरी लाइट के प्रभाव को किस तरह से कम किया जाय सफेद या काली करके....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, उसको हटा देना है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : या मरकरी लाइट को हटाकर के उसकी बजाय क्या रिप्लेसमेंट किया जाय। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कैसे किया जाय यह क्या उत्तर है आपका ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपकी जान-कारी के लिए बताना चाहता हूं। जो गाड़ी ओरिजनली आप डिलीवरी लेते हैं उस वक्त उसमें मरकरी लाइट नहीं होती है, उसके अन्दर बल्ब लाइट होती है और रिफ्लेक्टर्स होते हैं, बाद में चेंज करते हैं तो आपका प्रोवीजन तो मौजूद है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो, हैल्यूजन लाइट तो एक्सट्रा लगाते हैं, एक्सट्रा लगाना मुमानियत है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं वही कह रहा हूं मरकरी लाइट और हैडलाइट जो लगाते है जो एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है उनको हम सख्ती से रोकेंगे ताकि इस प्रकार की प्रवृति को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सके।

आपने यहां कहा कि पुलिस कमिश्नर बनाया जाना चाहिए। अन्य प्रान्तों में जिस तरह से पुलिस कमिश्नर हैं इन कमिश्नर्स को ये पूरे पावर देने चाहिए ताकि रेगुलेट कर सके। इस सुझाव पर भी जो कमेटी बन रही है उसमें हम विचार करेंगे। मैंने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जैसा कि निवेदन किया कि जयपुर से देहली वाली सड़क पर जो नेशनल हाई-वे नम्बर 8 है उसको हम फोर लाइन करने के लिए जा रहे हैं। अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को हमने इनक्लूड किया है और....(व्यवधान) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया है और इसकी जयपुर से देहली तक फोर लाइन करने की योजना हमने बनायी है, जो स्वीकृत हो चुकी है। इसी प्रकार से कई जगह बाई-पास की वजह से हमें प्राब्लम आती है चाहे मालवीय नगर हो, चाहे और हो शहरों में हाई-वे ट्रेफिक नहीं पास हो इसके लिए हमने कुछ रोडस को भी आइडेंटिफाई करके रेगुलेट करने की कोशिश की है और जहां जहां बाई-पास बनाने की और आवश्यकता है, ट्रेफिक को कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है उस संबंध में भी हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं और कुछ स्टेप्स (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है। बीच में क्यों बोलते हैं आप ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उदयपुर में नहीं बनी तो निवाई में जरूर बन रही है। आपको अन्दाजा होगा कि निवाई का बाई-पास....(व्यवधान) मेरे पास वे फीगर हैं जिनको मैं देने की स्थिति में हूं तो इसी तरह से सड़कों पर....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : बाई-पास तो बन रहे हैं साहब लेकिन मरने वालों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला हैं।

श्री उपाध्यक्ष : होम-मिनिस्टर से बात कर रहे हैं या पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से बात कर रहे हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सड़क पर स्पीड ब्रेकर के बारे में कहा कि इससे दुर्घटनायें हो जाती हैं और कुछ बातें हो जाती हैं। कई माननीय सदस्यों ने अमूल्य सुझाव हमको दिये हैं जिनमें खास तौर से स्पीड ब्रेकर, गाड़ियों को तेज चलाने का कम्पीटिशन। हमारा जो नया एक्ट आया है, उस एक्ट में गाड़ियों की रफ्तार कितने किलोमीटर पर कौनसी गाड़ी किस रूट पर चल सकती है इसको भी आइडेंटिफाई किया है। इन सारी चीजों को, जितना लोड होगा पांच टन की गाड़ी, सात टन की गाड़ी कैपेसिटी के आधार पर जो ज्यादा लोड भर देते हैं और ओवरलोडिंग कर देते हैं उनके भी हमने चालान किये हैं और जुर्माने भी किये हैं। इसको और तेजी से सख्ती से लागू करेंगे ताकि ओवरलोडिंग नहीं हो।

माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें लम्बे के लम्बे सरिए भर देते हैं और लम्बे के लम्बे एंगिल भर देते हैं और पीछे उनकी तरफ कोई भी कपड़ा या ऐसा निशान नहीं होता है जिससे कि टकराने की संभावना, नहीं है। गाड़ियों के ऐसे ट्रक-लोड के संबंध में निश्चित रूप से हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पीछे कोई रोड-लाइट हो या कोई और व्यवस्था हो जिसकी वजह से पीछे आने वाली गाड़ी को महसूस हो कि उस गाड़ी के पीछे भी कुछ लोहा या इस तरह की चीज निकली हुई है जिससे एक्सीडेंट का खतरा नहीं हो सकेगा।

(160)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक मिनट ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ग्रोवर-लोडिंग के लिए मैंने कहा हमने चैकिंग की है और हमने जुर्माने भी किये हैं और इस व्यवस्था को हम निश्चित रूप से मजबूती से लागू करेंगे । (व्यवधान) हम हर वर्ष इस बात की कोशिश करते हैं कि...

सदन की कार्यवाही

मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मुखबंद का समय साढ़े पांच बजे तक के लिए सदन की सहमति से बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मुखबंद का समय साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ाया गया । (व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तो मैं यह निवेदन कर रहा था । इसी तरह से हम रोड....(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो उचित नहीं है कि आधा घन्टे के बाद खत्म करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोदी जी बैठें आप ।

माननीय मंत्री जी समाप्त करें । थैंक यू वेरी मच ।

श्रीमती विद्या पाठक : कैसे थैंक यू वेरी मच साहब ? रिक्शाओं की बात तो की ही नहीं । छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट में मर जाते हैं । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री जी से, शायद वे तैयार नहीं हैं और मैं समझता हूं हो नहीं सकते । सदन यह जानकारी करना चाहेगा कि 1985 से लेकर अब तक जो एक्सीडेंट हुए हैं, उन एक्सीडेंट में किन किन व्यक्तियों के खिलाफ आपने एक्शन लिया और किस किस को सजा मिली या नहीं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप 26 तारीख तक, असेम्बली खत्म हो उसके पहले पहले इस सदन में एक स्टेटमेंट सक्यूलेट कर दें । हाऊस में कहना चाहें तो कहें कि इतनी दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें इस प्रकार का एक्शन लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहुत जरूरी है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री शिवचरण माथुर : क्या जानकारी करना चाहते हैं आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानकारी यह करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी कि मेरी जानकारी में अभी तक यह 15 हजार आदमी जो मरे हैं, एक भी आदमी को सजा नहीं मिली और इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराया । जब तक इस सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और एक्सीडेंट करने वालों को पनिशमेंट नहीं होगा उस समय तक यह पनिशमेंट रुकने वाला नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है इसलिए मैं चाहूंगा कि आज जानकारी सरकार के पास नहीं हो तो सरकार एक स्टेटमेंट तैयार करे, चाहे पांच साल का लें लें, 1985 से लेकर 1989 तक का कि जितनी भी दुर्घटनायें हुई हैं....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस पांच साल के विश्लेषण में थोड़ा समय लगेगा। कब, कहां, कैसे चालान हुआ ? कौन आफिसर उसका रेस्पांन्सिबल था, कौन उसकी पैरवी कर रहा था, कहां नेग्लीजेंसी हुई ? थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसका विश्लेषण कराने की बात मैं स्वीकार करता हूं और विश्लेषण से हमको भी आगे एक गाइड-लाइन मिलेगी कि हम उसको कैसे रेग्यूलेट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से एग्री नहीं करता कि इसमें समय लगेगा। मैं कम्पाइल नहीं कर पाया वरना मैं खुद ही जानकारी दे देता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कम्पाइल कर पाया तो मैं निश्चित रूप से आपको जानकारी दे दूंगा। राज्य सरकार की मंशा इसको छिपाने की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को कहिए...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी बैठे हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको कम्पाइल कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वे कम्पाइल करके इस हाउस में मैं आपको हाउस की इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कहता कि हाउस में आएं लेकिन हाउस में आने से कम से कम आपको एक जानकारी मिलेगी कि इसके प्रोसीक्यूसन में किस प्रकार की कमियां हैं, उन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाय। ताकि जो भी एक्सीडेन्ट के लिये रेस्पान्सिबिल हो उसको कोई न कोई सजा दिलाई जा सके।

दूसरा क्वेश्चन मैंने रेज किया था जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि आज कम्पन्सेशन कमिश्नर है वह सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता। एक्ट में प्रावधान रख दिया लेकिन उसको जानकारी नहीं होगी तो रोड साइड के ऊपर जिन आदमियों का कोई परिचय नहीं, जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति जो मर जाते हैं, तो जो भी एक्सीडेन्ट हो उसकी सूचना क्लेम्स कम्पन्सेशन कमिश्नर के पास लाजिमी तौर पर पुलिस या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट भेजे। इस प्रकार की आप व्यवस्था कर दें ताकि वहां स्क्रीनिंग करने के बाद में जिनकी एप्लीकेशन नहीं आई हैं उन पर सुओ मोटो एक्शन ले, इस प्रकार की व्यवस्था करें। मुख्य मंत्रीजी, आपकी गाड़ी के जो रेड लाइट लगी हुई है वह गैर कानूनी है, वह रेड लाइट,

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नियमों के अन्तर्गत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे नियम ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सैण्ट्रल व्हीकल्स एक्ट में राजस्थान सरकार को पावर दी है कि वह चाहे तो गाड़ी में रेड लाइट लगा सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह रूल बताओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह रूल बताओ, आप नोटिफिकेशन बताओ। न रूल है, न नोटिफिकेशन है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रूल्स बनाने का अधिकार राजस्थान सरकार को है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please, sit down.

श्री दिग्विजयसिंह : आज की तारीख में रूल बता दें।

श्री भूदरमल वर्मा : प्राइवेट व्हीकल्स वाले भी लाल बत्ती लगाकर चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं लगा सकते।

श्री भूदरमल वर्मा : इसके लिए क्या रोकथाम है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लगा लेना, रेड या ब्लेक लाइट, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं, आप लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी पर लाल लाइट गैर कानूनी लगी हुई है, लीडर ऑफ दी अपोजीशन की गाड़ी पर रेड लाइट है जो गैर कानूनी लगी हुई है। तो हम दोनों अब अपराधी हैं तो बाकी अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में आप विचार करिये। मैं तो अपने आपको इसमें शामिल करता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे कोई रेड लाइट लगाने का शौक नहीं है। न मैं कोई इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानता हूं। अगर कोई नियमों के विरूद्ध बात है, तो उसको दिखवा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, दिखवालें।

तीसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे संसार में ऐसी गाड़ियों की परमीशन नहीं दी जाती और परमीशन मिलती भी है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। इन गाड़ियों से पोल्यूशन होता है। यह भयंकर पोल्यूशन है और शहरों के अन्दर तो इस पोल्यूशन के कारण से भयंकर बीमारियां होने लगी हैं। मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय, इस प्रश्न के ऊपर भी गम्भीरता से विचार करें कि पोल्यूशन किस प्रकार रोका जाय। यही मेरे प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें-प्रथम संकलन वर्ष 1989-90 (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, वे जवाब दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया कि गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देते वक्त इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जायेगा कि गाड़ी की कण्डीशन कैसी है और वह कितना एयर पोल्यूशन या दूसरी तरह का पोल्यूशन फैलाती है, इस बात को भी निश्चित रूप से ध्यान में रखा जायेगा जिससे की मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। इस बात को, जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, हम ध्यान में रखेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 1989-90 की प्रस्तुति एवं विचार

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 1989-90 पर विचार एवं मतदान।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (वन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,50,000/- रु. तक की राशि प्रदान कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री माणक-डाणी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि यह कट मोशन जो हैं, आधा घण्टे बाद आप गुलेटिन एप्लाई करेंगे। इसलिए ग्रान्ट को पूरी को मन्जूर करा लिया जाय। जो बोलना चाहें वह अप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लें। यह कर लीजिये, चाहे डाणीजी बोलें, चाहे कोई भी बोलें, मुझे आपत्ति नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधे घंटे बाद गुलेटिन एप्लाई करेंगे तो कोई बोल नहीं पायेगा इसलिए डिमाण्ड को पास करावें और गुलेटिन अभी एप्लाई कर दें। उसके बाद में अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में ले लीजिए। जो बोलना चाहेंगे बोल लेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : अच्छा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय हो तो मुखबन्द का प्रयोग अभी किया जाय और....

श्री माणक डाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर गलत परम्परा हो जायेगी। पहले प्रस्ताव लाकर पांच का साढ़े पांच किया जा चुका है। अब साढ़े पांच का वापस पांच करना कौनसे नियम की परम्परा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री माणक डाणी : मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यह परम्परा गलत होगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड पास करा देनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इतने पुराने आदमी मुक्तिलालजी कह रहे हैं।

मुख बन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दो बातें करते हैं विनियोग विधेयक पर बुलवा लेंगे।

मुखबन्द का प्रयोग करते हुए मैं मांगें प्रस्तुत कर रहा हूं।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,50,000/- (बासठ लाख

(श्री उपाध्यक्ष)

पचास हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,51,000/- (बाइस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,72,000/- (तीन लाख बहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–18-जनसम्पर्क के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,97,000/- (चार लाख सत्यानवें हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,16,10,000/– (चार करोड़ सोलह लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–22-क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध

(श्री उपाध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,58,-51,000/- (दस करोड़ अट्ठावन लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–24-शिक्षा कला और संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,17,-93,000/- (आठ करोड़ सत्रह लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/– (एक हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,28,60,-000/– (चौदह करोड़ अट्ठाईस लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,90,000/– (तीन लाख नब्बे हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जन जाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,00,01,000 (दस करोड़ एक हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86,21,000 (छियासी लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,14,000/- (तीस लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–40 राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,47,000/- (आठ लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,26,000 (बियालीस लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,89,000 (छब्बीस लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

(श्री, उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000 (आठ हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,56,50,000 (तीन करोड़ छप्पनलाख पचास हजार) तक की राशि प्रदान कर दी जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,00,000 (बारह लाख) तक की राशि प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1989 का पुरः स्थापन

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृति)

पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1989 को पुरः स्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1989 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री माणक डाणी ।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों की

(168)

(श्री माणक डाणी)

मांग संख्या (9) वन के ऊपर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान के अन्दर 33 प्रतिशत हिस्से के अन्दर वन होना चाहिये। वह वन की स्थिति हमारी अभी बन नहीं पाई है। और 33 प्रतिशत राजस्थान में ही नहीं अगर हम इस देश के आंकड़ें देखें तो इस देश के आंकड़ों में भी मात्र 22 प्रतिशत स्थान पर ही वन हैं। और राजस्थान में मात्र 9 प्रतिशत स्थान पर ही वन हैं। इसलिये इस बात की अत्याधिक आवश्यकता है कि राजस्थान के अन्दर अधिक से अधिक स्थान पर वन लगाये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा लम्बी बात न कहते हुए प्रारम्भ से ही इस बात के लिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम वन के विकास के लिए बनाये हैं उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के अन्दर वहां ट्री अथॉरिटीज बनी हुई हैं जिस प्रकार से जयपुर में जयपुर विकास प्रधिकरण बना हुआ हैं। उसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर वनों के विकास के लिये, पेड़ जिन्दा रह सकें, पेड़ों के लिये एक ट्री आथोरिटी की अगर स्थापना की जाये तो इसका काफी अच्छा फायदा राजस्थान को मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है कि एक पेड़ तीन किलो आक्सीजन प्रतिदिन देता है और एक व्यक्ति को 15 किलो की आवश्यकता है। आपको ध्यान है, हम किताबों में पढ़ते हैं, पहले लोग कहा करते थे कि पहले पंचवटी हुआ करती थी। पंचवटी के मायने सिर्फ इतना सा था कि उसके अन्दर अशोक, पीपल, बड़, बेहड़, और आंवला यह पांच तरह के जो पौध हैं यह पंचवटी कहलाती थी। अगर एक आदमी को 15 किलो आक्सीजन की आवश्यकता होती थी तो उन पांच पेड़ों से प्रतिदिन 15 किलो आक्सीजन निकलती थी जो एक स्वस्थ इन्सान के लिये अत्याधिक आवश्यकता थी।

आज राजस्थान में कितने स्थानों पर पंचवटियां हैं? अगर हम इस चीज का मुआयना करके देखें तो बहुत कम ऐसे स्थान मिलेंगे। आज यही कारण है कि इस वर्तमान व्यवस्था में इंसान को जितना स्वस्थ होना चाहिये, इंसान को जितना स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिये वह उपलब्ध नहीं है। इसलिये मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और राजस्थान में टी अथॉरिटी के मामले पर अपना मानस बनायें।

इसी के साथ ही साथ अरावली विकास प्राधिकरण के बारे में भी राज्य सरकार से कहना चाहता हूं। अरावली विकास प्राधिकरण की एक योजना केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन पड़ी है। पिछले दिनों जब कृषि की मांग आई तब भी मैंने इस बात को कहने का प्रयास किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय बूटा सिंह जी जब राजस्थान आये और ब्यावर पधारे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी विशाल योजना, जो करोड़ों रुपये की है, केन्द्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन होने की बात कही थी। आज राजस्थान की सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार से सम्पर्क

(श्री माणक डाणी)

करें और यह मालूम करे कि इस योजना का क्या हुआ, योजना कहां अटकी हुई है। अगर अरावली विकास प्राधिकरण बना दिया जाये, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक अरावली की शृंखला घिरी हुई हैं, अगर अरावली विकास प्राधिकरण की उस योजना को आप फाइनल करवा दें तो जहां करोड़ों रुपया केन्द्र सरकार से राजस्थान को मिलेगा वहीं राजस्थान के अपने बजट से बहुत कम पैसा खर्च करना होगा और यह जो नंगी पहाड़ियां हैं, यह सारी पहाड़ियां हरी भरी हो सकेंगी। इसके साथ ही साथ इसका हैड क्वार्टर खोला जाये वह राजस्थान के मध्यस्थ होने के नाते, गुजरात हरियाणा और दिल्ली का मध्यस्थ केन्द्र राजस्थान है, इस मध्यस्थ केन्द्र पर जब हैड क्वार्टर खोला जाये तो उसमें अजमेर को प्राथमिकता दी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पर्यावरण के मंच भी बनाये जाने की अत्याधिक आवश्यकता है।

ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो, ऐसे नार्म्स फिक्स हो, कि जब कभी कोई नई कॉलोनी डवलप हो तो उस कॉलोनी में जितने मकान बने, जितने परिवार रहें, उतने उनकी आवश्यकतानुसार प्रारम्भ से ही पेड़ लगाने की व्यवस्था की जाये। इसके लिये अत्यधिक आवश्यक है कि वन विभाग बाकायदा नार्म्स बनाकर, एक मास्टर प्लान जारी करे।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि, मिस्टर सेम पित्रोदा, जो हमारे प्रधान मन्त्री के सलाहकार हैं, वे इस विषय के हैड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार बंजर भूमि, बाढ़ ग्रस्त और सूखे के निवारण के लिये एक योजना, श्री सेम पित्रोदा को मिशन के द्वारा तैयार कर रही है। राजस्थान के अधिक से अधिक व्यक्ति उस मिशन में जायें ताकि राजस्थान के हितों की रक्षा कर पायें और राजस्थान की बात कह सकें। इसके लिये राज्य सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अपनी बात को कहे तो काफी अच्छा फायदा राजस्थान को मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई जगहों पर वनों का विकास किया है। कहीं पेड़ लगाये हैं, कहीं पौध पनपायी है। राजस्थान के अन्दर कितने पेड़ जिन्दा हैं, वनों के विकास में कितने प्रतिशत वन जिन्दा रह पाये हैं, इस बारे में राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार यह बात कह देगी कि हमने सर्वे कराया है लेकिन वास्तविक रूप से सर्वे कितना हुआ, कितने प्रतिशत वन जिन्दा हैं, इस बात की अत्याधिक आवश्यकता है। सर्वे कराया जाये कि राजस्थान में किस स्थान पर कितने बीज डाले गये, कितनी उसकी उत्पत्ति हुई पौधों के रूप में और कितने प्रतिशत वह जिन्दा रह पाये। अगर किसी एरिया में ज्यादा अच्छा प्रतिशत जिन्दा रहने का निकले, तो वहां के फारेस्ट गार्ड को, रेन्जर को राज्य स्तर पर सम्मानित करने की योजना बनावें, तो निश्चित रूप से फारेस्ट गार्ड और रेन्जर इस मामले में सर्वाधिक ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, रेन्जर के मामले में

(श्री माणक डाणी)

एक सजेशन देना चाहूंगा। उन्हें कम से कम जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, जहां स्वयं उनका घर है, उस जिले के अन्दर इन रेन्जर्स को नहीं भेजा जाये। उनकी सर्विसेज राजस्थान सर्विसेज रूल्स के तहत हैं। ये राजपत्रित अधिकारी हो चुके हैं। राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, जिस प्रकार के रूल्स हैं तो रेन्जर पर भी इस प्रकार के रूल्स लागू किये जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं अपने एरिया की बात कहना चाहता हूं। जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र अजमेर जिले के अन्तर्गत है अजमेर जिले का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अगर कहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा डवलप वन क्षेत्र मिलेगा, सबसे कम लकड़ी कटी होगी, तो वह जवाजा पंचायत समिति का वन क्षेत्र है। माननीय वन मन्त्री सौभाग्य की बात है कि आप इस जिले को रिप्रिजेन्ट करते हैं और इस नाते आप राजस्थान की केबिनेट में हैं, सबसे ज्यादा हित जहां आप राजस्थान का देखते हैं, तो हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप अजमेर जिले को इसके अन्दर सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ?

लेकिन मुझे दुःख है कि जवाजा पंचायत समिति के इस अरावली रेन्ज को, जो राजस्थान में अपना स्थान रखती है, यह अभयारण जवाजा क्षेत्र से निकाल कर उदयपुर के कुम्भलगढ़ क्षेत्र के अधीन कर दिया गया है। यह कुम्भलगढ़ क्षेत्र जवाजा से 300, 350 किलोमीटर दूर है और जवाजा अजमेर से नजदीक है। पता नहीं किस स्तर पर जाकर यह तय हुआ। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतनी जानकारी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का अरावली रेंज, जो अभयारण के नाम से धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है, जिसमें लकड़ी नहीं कटती है, जहां आज घना जंगल है, उसको इस कारण से कि जंगल की कटाई हो सके, दूसरे लोगों को फायदा मिल सके, इस बात के लिये इस रेंज को 400 किलोमीटर दूर कुम्भलगढ़ रेंज में सम्मिलित कर लिया गया है। आखिर क्यों ? वन मंत्री महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे आश्वसन चाहता हूं कि आप अपने जवाब में इस बात की घोषणा करेंगे कि इस अरावली रेन्ज को वापस अजमेर जिले में रखेंगे, जवाजा पंचायत समिति के अन्तर्गत रहेगा और अच्छे अभ्यारण की दृष्टि से इसको बजट देंगे। इस वन के अन्दर अधिक से अधिक वन प्राणी जीवित रह सकें, अच्छे पशु, पक्षी आयें, इसका डवलपमेन्ट हो, इस बात का आप अधिक प्रयास करेंगे, अधिक बजट देंगे और इसको अजमेर रेंज में सम्मिलित करेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं।

माननीय वन मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर जवाब देते समय इनका समर्थन करने की कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी फारेस्ट की बात हो रही है। मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर में विधान सभा से करीब 16-17 किलोमीटर की दूरी

(सुश्री पुष्पा जैन)

पर कूकस है। कूकस की करीब 100 बीघा जमीन, जिसमें वन विभाग की जमीन है, और वन पेटे की जमीन है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा ही नहीं किया, उस पर दीवार बना दी। दीवार बनने से यदि नदी का रुख बदल गया तो मैं कहना चाहती हूं कूकस गांव बर्बाद हो जायेगा। इस दीवार के बनने से कूकस, हांडीपुरा, ढाबकाकला आदि गांवों में पानी का संकट खड़ा हो जायेगा। अतिक्रमियों ने वहां एक महादेव का मन्दिर भी बना दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि गांव वालों ने इसकी लिखित में शिकायत की। गांव वाले डेपुटेशन लेकर मुख्य मंत्री से मिले लेकिन आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह मुख्य मंत्रीजी, मैं जानना चाहती हूं। क्या सिर्फ इसलिये कि यह अतिक्रमी आनन्द कुमार डालमिया, उनकी पत्नि और रसिक बिहारी माथुर और बी. एन. घीया जैसे लोग हैं? जाहिर है, मुख्य मंत्री जी, आप रसिक बिहारी माथुर के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं चार्ज लगाना चाहती हूं, रसिक बिहारी माथुर आपका भाई है, इसलिये आपने आज तक एक्शन नहीं लिया वह 100 बीघा जमीन जिसमें वन विभाग की जमीन है, वन पेटे की जमीन है, आज भी अतिक्रमियों के चुंगल में फंसी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 1980 में जमीन का अलाटमेंट हुआ। जिन गरीबों को पेटे काश्त की जमीन का तीन तीन साल के अलाटमेंट हुआ, वे आज तक दर दर घूम रहे हैं, उनको कब्जा नहीं दिया गया। जमीन पर कब्जा दूसरे लोगों ने कर रखा है। जब "सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का।" इस तरह के लोगों पर आप अंकुश नहीं रखेंगे तो मैं समझती हूं कि वन के विकास की बात करना बेकार है। (व्यवधान) हां, मैं सुधार कर लेती हूं... भैया "भये कोतवाल।"

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में हमें शिकायत थी कि पुलिस अधिकारी की मदद से बड़े बड़े पेड़ कट कर कुम्भलगढ़ के पास जो देसूरी क्षेत्र है, वहां बड़े बड़े ठेकेदारों को जा रहे हैं। छोटा सा गरीब आदमी अपने घर जलाने के लिये दो-चार सूखी लकड़ियां गट्ठर बांध कर साइकिल पर ले जाये, तो उनके खिलाफ कानून जल्दी ही हरकत में आता है। उसके गट्ठर को पकड़ कर थाने में रखा दिया जायेगा, उन पर जुर्माना किया जायेगा और कोई बड़ी बात नहीं कि उनको दो–चार दिन थाने में बिठा कर डंडे मारे जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कानून गरीबों के लिये है, तो बड़े बड़े अमीरों के लिये भी है। मैं पूछना चाहती हूं कि आपने सैंदड़ा, बीजागुढ़ा के जंगलों को कुम्भलगढ़ की रेंज में क्यों मिला दिया। कैसे उनकी रक्षा होगी? क्या चोरी नहीं होगी? पाली जिले का क्षेत्र ब्यावर से मिला हुआ है, उसको आपने कुम्भलगढ़, उदयपुर जिले को दे दिया तो इस तरह से आप वनों को नहीं बचा सकते हैं, बचाने की बात करना बेकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में उमा शर्मा की मौत का जिक्र आया। कल गृह मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था इस सदन में कि अगर हम सी. आई. डी. की जांच से सन्तुष्ट नहीं होंगे, तो यह जांच

(सुश्री पुष्पा जैन)

जो हम चाहेंगे उसी एजेन्सी से करवायी जायेंगी। वे इसे बहुत गम्भीर मानते हैं और उचित समझेंगे तो सी. बी. आई. से भी जांच करवा ली जायेगी। आज अखबार में पढ़ कर मुझे ताज्जुब हुआ कि उमा की की जांच अब महानिरीक्षक, सी. आई. डी. करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहती हूं। मुझे श्री थानवी पर विश्वास है। उन पर डाउट नहीं करती हूं।

मैं उनकी इनटेगरिटी पर डाउट नहीं करती, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रोसीडिंग देख लेती।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जहां सम्बन्धों की बात आती है। यह जनरल एप्रोप्रियेशन....

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यह कह रहा हूं प्रोसीडिंग देख लेती।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने देख ली हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह जो अखबारों में न्यूज आई है। क्या प्रवक्ता ने दी है? सरकारी प्रवक्ता ने दी है क्या?

सुश्री पुष्पा जैन : उसके बाद मैंने प्रोसीडिंग जाकर देखी है। आप मेरा विश्वास करें। मैं कोई गलत तथ्य नहीं रखूंगी यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें तो आई. जी. की बात नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : सी. आई. डी. के आई. जी. की है। मैं यही कह रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ना तो थानवी साहब की इनटेगरिटी पर डाउट करती हूं, बहुत इज्जत करती हूं और ना मैं अपना कोई मोटिव इम्प्यूट कर रही हूं। लेकिन सम्बन्धों की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति विशेष में या पार्टी विशेष में इन्टरेस्ट है, तो मैं कहना चाहती हूं कि स्वयं ही उन्हें जांच के लिये आगे नहीं आना चाहिये। मैं जानती हूं कि दुर्गा दत्तजी से उनके किस तरह के सम्बन्ध हैं और ऐसे लोगों के रहते हुए क्या यह जांच फेयर हो सकेगी? मैं मांग करती हूं राज्य सरकार से, उमा शर्मा की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। यह बहुत बड़ी हत्या है। इसमें किस तरह से एवीडेन्स को खराब किया गया है, वह तो अपना एक पार्ट है। उसके ज्येष्ठ सुमनेश शर्मा एक रिपोर्ट करते हैं जिसमें वे कहते हैं दफ्तर गया था, मेरी भतीजी ने मुझे टेलीफोन किया। टेलीफोन के बाद में मैं आया और दुर्लभजी अस्पताल में उसको भर्ती करवाया। दूसरे दिन आॅन ओथ स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ऊपर सो रहा था, नीचे शोर की आवाज आई। मैं नीचे आया और अपनी भाभी को लेकर दुर्लभी अस्पताल में गया। उधर दुर्लभजी अस्पताल का जो सर्टिफिकेट है उन्होंने साफ कहा है कि इस तारीख को इस नाम की कोई औरत ना आउटडोर पेशेन्ट थी और न ही इनडोर पेशेन्ट थी। ये सारी बातें कैसी थी? जांच रिपोर्ट का सारा ब्यौरा मैंने कल रखा था इस सदन में। इस सारे ब्यौरे के बाद में मैं

(सुश्री पुष्पा जैन)

कहना चाहूंगी सरकार से कि इस तरीके से दफनाने की कोशिश न करें। उमा की हत्या हो चुकी है लेकिन अगर हत्यारे को सजा नहीं दी गई और जो जांच में गड़बड़ कर रहे हैं, विसरा जांच के लिये जो लेबोरेटरी के अधिकारी हैं उनको सजा नहीं दी गई तो निश्चित रूप से कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। इस जांच को अगर सही ढंग से करवाना चाहते हैं तो सी. बी. आई. से करवायें, किसी हाई कोर्ट के जज के साथ कुछ एक्सपर्ट्स को लें आप, जो विसरा की जांच को समझते हों और उनके साथ में जांच हो, तब मैं समझूंगी कि सरकार न्याय दिलाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सवेरे एक जिक्र आया था कि सवाई माधोपुर के रणथम्भौर गैस्ट हाउस में जिला प्रमुख ने एक विदेशी युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की।

एक माननीय सदस्य : क्या हुआ कर दिया तो ?

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इसके विस्तार में जाकर कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस महिला ने रिपोर्ट की कलक्टर को। 17-18 तारीख से आज हो गई 21 तारीख, आज तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। क्या इससे हम समझ नहीं सकते कि वह जिला प्रमुख आपके दल का व्यक्ति है। अगर और कोई मामूली आदमी होता और विदेशी युवती के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करता तो क्या राज्य सरकार दखल देती ? गरीबों और मामूली कमजोर लोगों के साथ आपका एक कानून और सत्ता दल के साथ व अमीरों के साथ दूसरा कानून, तो कहना पड़ेगा कि इस न्याय के कोई मायने नहीं रह जाता, बेमाने है। सरकार को न्याय की बात करनी चाहिये।

न्यूनतम मजदूरी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव सदन को दिया था। सरकार ने जवाब दे दिया लेकिन सदन में आया नहीं। आज विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती हैं, मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ सकती हैं, अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ सकती हैं, लेकिन इस राजस्थान में अगर किसी के पैसे नहीं बढ़ सकते तो वह है गरीब मजदूर जो पी. डब्ल्यू. डी. में काम करता है या इरिगेशन में काम करता है या अकाल राहत में कड़कड़ाती धूप में पत्थर तोड़ता है अपने दो वक्त पेट की रोटी पाने के लिये, या आर. एस. ई. बी. में काम करता है या कहीं और काम करता है। उपाध्यक्ष महोदय, 1987 में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हुई।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : आ रहा है आपका एम. एल. एज. के वेतन वृद्धि का भी, और पेन्शन का भी। तो आपकी जो तनख्वाह बढ़ी है, क्या आप नहीं लेंगी ?

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि गरीब का आप पहले पैसा बढ़ायें। उसके लिये अगर हमको सेक्रिफाइस करना पड़े तो मैं सबसे पहली व्यक्ति हूंगी जो बढ़ी हुई तनख्वाह छोड़ दूंगी लेकिन सत्ता दल को भी यह निश्चय करना पड़ेगा। सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि हमको प्रायोरिटी किसको

(174)

(सुश्री पुष्पा जैन)

देनी है। आप एम. एल. एज. को खुश करने के लिये अपनी कुर्सी को चिरंजीव करने के लिये हमारी तनख्वायें बढ़ायें तो मुझे कहना पड़ेगा विधायक महोदय....

एक माननीय सदस्य : अब छोड़ रही हैं क्या आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भाषा में सभ्यता रखें। 'दे रही हैं आप' बोलिये। क्या हो गया आपको ?

श्री हीरासिंह चौहान : दैनिक मजदूरों को आप कम्परिजन कर रहे हैं और उसमें आप इनको क्यों उलझा रहे हो ?

श्री पोकरलाल परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य गरीबों के हित में तनख्वाह नहीं लेना चाहते हैं, वह मुख्य मंत्री कोष में जमा करा सकते हैं। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी तनख्वाह से आप मजदूरों की मजदूरी बढ़ा सकते हैं तो मैं इस सदन में घोषणा करूंगी कि मुझे तनख्वाह न दें, बढ़ी हुई ही नहीं, आप बिल्कुल न दें।

श्री हीरासिंह चौहान : अब बोलो आप।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय अनुसार या तो दो वर्ष में मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिये या फिर 50 पाइन्ट महंगाई बढ़ने पर उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिये। दो वर्ष भी कब के हो गये, 1 मार्च, 1989 को दो वर्ष पूरे हो गये और साथ ही महंगाई 70 प्रतिशत बढ़ गई, लेकिन गरीब आज भी खड़ा है वहां का वहां। उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी बल्कि उनको तो आज मजदूरी मिलती है, दो रुपया, तीन रुपया, चार रुपया। आप टास्क बेसिस पर उनको मजदूरी देते हैं और आप बातें करते हैं अपनी तनख्वाहों की। हमें तो एक रूप से यह संकल्प लेना चाहिये और प्रस्ताव करना चाहिये, सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि सबसे पहले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकारी जमीनों पर लोग कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों का बेचान हो रहा है और लोग रजिस्ट्रियां यहां नहीं करवाते हैं, बम्बई में जाकर रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। बजासिया गांव की 12 बीघा जमीन एक व्यक्ति ने अपनी बता कर बम्बई में उसकी रजिस्ट्री करवा दी। यहां विधान सभा में हमने सवाल पूछा तो सरकार ने कहा यह व्यक्ति अतिक्रमणी हैं, इस जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। यह नहीं नगरीय सीमा में आने वाली करीब 400 बीघा जमीन के बेचान की रजिस्ट्री कुछ समय पहले बम्बई में हो गई। और उसके अब प्लाट भी बिक रहे हैं। ऐसे में कहना पड़ेगा कि सरकार अगर आय के साधन जुटाना चाहती है तो इन जमीनों को बेच कर आय के साधन बढ़ा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक तार मिला है जिसमें सीकर गांव की करीब ढ़ाई करोड़ की जमीन पर कुछ कबाड़ियों ने कब्जा कर लिया। सरकार को तार दी, उन्होंने

(सुश्री पुष्पा जैन)

जे. डी. ए. में टेलीग्राम दिया, लेकिन सरकार का ध्यान इस टेलीग्राम की तरफ नहीं गया लोगों की शिकायत की तरफ नहीं गया। जाहिर है कबाड़ियों ने मुफ्त में कब्जा नहीं किया है, इस कब्जे के पीछे किन लोगों का हाथ रहा, उसे, सरकार अच्छी तरह से जानती है। सरकार से छिपा हुआ नहीं है। मैं कहना चाहती हूं बड़ी चर्चा हो रही थी इस सदन में पंचायत भसेडा कुरकडा की 318 बीघा 10 बिस्वा जमीन की जिसमें 98 बीघा जमीन राजस्थान के बाहर के लोगों को अलाट हो गई। 125 आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र दिये थे जिसमें हरिजन थे, विधवायें थीं, गरीबी की रेखा से नीचे के लोग थे, एक्स-आर्मी मैन थे। 125 की दरख्वास्तें कैंसिल हो गईं और उन 11 लोगों को जमीन दे दी गई जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं। आज वह जमीन करोड़ों रुपयों की है। दारुहेड़ा में वह जमीन स्थित है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, एक तो लालगढ़ स्टेशन का किस्सा हुआ, उससे सबक लेना चाहिए था। मैं आर्मी मेन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दारू पीकर स्टेशन और रेल गाड़ियों में जाकर अगर हंगामा करे कुछ लोग और सरकार अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले तो मुझे कहना पड़ता है। लूणी स्टेशन पर कुछ सैनिक दारू पीकर डिब्बे में घुस गये। वहां पर गार्ड ने उनको रोका कि यह रिजर्व डिब्बा है, आप दूसरे में बैठिये, तो उसको मारना चालू कर दिया डूंगरमल गार्ड और एक जी. आर. पी. का पुलिस वाला आया मालीराम उसने रोका तो उन्होंने उसको भी मारना चालू कर दिया। जब पब्लिक आई तो उन्होंने पब्लिक को मारने के लिये कोका कोला की बोतलें उठा लीं। नीचे उतर आये बाबूलाल विश्नोई लड़के को इतना मारा, इतना मारा कि जिस तरीके से सोने के बिस्कुट में डाइ फिक्स होती है इस तरह से उसके शरीर में जूते की डाइ फिक्स हो गई। मैं स्वयं जाकर देख कर आई हूं। राज्य सरकार ने किसी को आज तक अरेस्ट नहीं किया।

मैं कहना चाहूंगी जमीनों के कब्जे पाली जिले में किस तरह से हो रहे हैं। रामदेव मन्दिर के पास गन्दे नाले के किनारे 500 अतिक्रमणियों ने पूरी की पूरी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। कई बार भारत सरकार से कहा, प्रशासन से कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। बया गांव नगरपालिका आवासीय योजना में 176 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। ट्रांसपोर्ट नगर जो पाली में अभी बना नहीं, जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटी ने जमीन दी थी, उसमें 176 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाई। कब्रिस्तान के पास पांचानाड़ी के पास कई लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब इस तरह से लोग अतिक्रमण करें और राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले, तो मैं कहना चाहती हूं कि आखिर जाकर किससे कहें। पाली में रोहित पंचायत समिति के पास नहरा बान्ध बन रहा है, यह बान्ध सिंचाई विभाग की योजना है। उसको कभी अकाल में ले लेते हैं, कभी आई. आर. डी. पी. में ले लेते हैं, कभी किसी में ले लेते हैं। वह आज अधूरा पड़ा है। अगर बरसात हो जाय, तो आपका

(176)

(सुश्री पुष्पा जैन)

जितना लाखों रुपया लगा हुआ है, कल्ला साहब, वह पूरा का पूरा पैसा बह जायगा और बान्ध का कोई सदुपयोग नहीं होगा। मैं निवेदन करती हूं कि सिंचाई विभाग की योजना है, उसे तुरन्त राज्य सरकार सिंचाई विभाग से कह कर पूरा करवाये।

पिछली विधान सभा में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि पाली में आर. एस. ई. बी. का सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर का आफिस शीघ्र ही आ जायेगा। क्यों परिहार साहब, मैं गलत तो नहीं कह रही ? लेकिन नहीं आया वह। क्यों नहीं आया मैं नहीं जानती। मैंने जानकारी की तो मालूम पड़ा कि जो कर्मचारी हैं जोधपुर में वह पाली आना नहीं चाहते। उन्होंने प्रस्ताव दिया है, एस. ई. की एक पोस्ट और क्रियेट करके पाली में भेज दीजिए, हम सब यहां हैं, हम बैठे रहेंगे। तो पोस्ट क्रियेट करें या न करें, यह तो सरकार के सोचने का विषय है, बहरहाल मैं राज्य सरकार से सिर्फ यह चाहती हूं कि शीघ्र से शीघ्र एस. ई. आफिस को आप पाली में ले आयें तो बेहतर होगा क्योंकि जोधपुर में उसका कोई सदुपयोग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।

इसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी, एक घोषणा करके आये थे कि बस डिपो पाली में बनाया जायगा। अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं, अगर मुख्य मंत्रीजी घोषणा मंत्री नहीं है, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वह यथाशीघ्र पाली में बस डिपो बनायें और उसका उद्घाटन वह करें या कोई और करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

अन्त में एक बात और कहना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पाली में पेयजल का बड़ा भारी संकट है। आज पानी की बूंद बूंद को पाली के लोग मोहताज हैं, पाली जिले के लोग मोहताज हैं। खास तौर से रोहट पंचायत समिति, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, वहां के तालाबों को जवाई बांध से नहीं भरवाया गया है। मैं मांग करती हूं राज्य सरकार से कि यथा शीघ्र जवाई बांध से या जहां से आप भरवाना चाहें, भरवायें। लेकिन एक मात्र साधन है जवाई बांध, उससे पाली के तालाबों को भरवाया जाय। आपने जो स्विमिंग पूल को भरवाया है, कल्ला साहब, मैं जानकारी देना चाहती हूं, उस स्विमिंग पूल में 20 लाख लीटर पानी इन्होंने भरवाया। एक तरफ लोग पानी की बूंद-बूंद को मर रहे हैं दूसरी तरफ 20 लाख लीटर पानी स्विमिंग पूल में डाल दिया, उसका 15 हजार लीटर पानी जो है, वह रोज का वेस्टेज है, वह रोज, इनको देना ही पड़ेगा। हर तीसरे महीने पानी बदलना पड़ेगा क्योंकि आप कैमीकल कितने डालेंगे, आखिर शरीर में चर्म रोग हो जायेंगे, कई बीमारियां हो जायेंगी। इसलिए कम से कम उतना तो सरकार सोचे, इस कड़ाके की गर्मी में जब लोग पानी को मर रहे हैं, जहां पानी की बूंद मुहैया नहीं होती है, वहां 20 लाख गैलन आप तरनताल में डालें अमीरों के तैरने के लिये, तो यह न्याय नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करती हूं राज्य सरकार से कि या तो अफसरों की छिछोली से और अफसरों के कहने से काम करेंगे या सेठों की गिरफ्त में रहेंगे तो राज्य सरकार चल नहीं पायेगी और गरीबों के प्रति न्याय नहीं कर पायेगी। इसलिये मैं

(सुश्री पुष्पा जैन)

मांग करती हूं राज्य सरकार से कि पाली के तालाबों को यथा शीघ्र भरवाया जाय और पाली में अकाल राहत काम खोले जायं जिससे कि मजदूर राहत की सांस ले सकें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामधन मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री मदन महाराजा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी तीन मिनट दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दूंगा, अभी दूंगा। बैठिये आप। बुलवायेंगे।

श्री मदन महाराजा (अटरू) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं वन से संबंधित बातों पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि वन विभाग के माध्यम से प्रदेश में गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर वन की उपज और पेड़ों की सुरक्षा के लिये जो काम किये जा रहे हैं, विभाग जिस काम को करता है, उससे हमारे देश में हरियाली, लकड़ी, कोयला और कई चीजों का उत्पादन होता है। इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति करता है, इसकी वजह से वनों की आवश्यकता है। हमारे देश में 1950 में वन विभाग की स्थापना हुई। उसके माध्यम से आज सारे देश में वन विभाग जिस तरीके से वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है वह सराहनीय है।

इसके साथ साथ मैं वन विभाग में जो थोड़ी बहुत सुधार की आवश्यकता महसूस करता हूं वह निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार अभी मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने वनों से संबंधित और वन विभाग की कमियों के बारे में निवेदन किया, उसी तरह से मैं आपके माध्यम से वन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र अटरू के अन्दर एक शेरगढ़ गैम सैंक्चुरी बनाई गई है। शेरगढ़ गैम सैंक्चुरी को बने हुए आज कम से कम 10 साल से ऊपर होने को आये लेकिन उस गैम सैंक्चुरी में सिवाय पत्थर के, बेरों की झाड़ियों के आज तक न तो कोई विकास हुआ है, न वन विभाग ने उस पर ध्यान दिया है। जो वन विभाग राजस्थान में इस बात की प्रेरणा देता है कि हम जगह जगह पेड़ लगायेंगे, जगह जगह इस प्रकार के गैम सैंक्चुरी बनायेंगे, सरकार और सरकार के मंत्रियों को वन विभाग के अधिकारी किस प्रकार से गुमराह करके जगह जगह रेवेन्यू की जमीनें हैं उनको वन सम्पदा के नाम से और गैम सैंक्चुरी के नाम से अपने कब्जे में लेते हैं इससे लोगों को जो प्रताड़ना और तकलीफें पैदा होती हैं उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि वन विभाग जितनी चाहे वह जमीन ले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको जंगल लगाने के लिये जमीन दे, यह खुशी की बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गैम सैंक्चुरी के नाम से जमीन ले और गैम सैंक्चुरी घोषित करने के बाद उसमें न तो कोई जानवर है, न उसमें कोई देखने वाला है, न कोई उसकी रक्षा करने वाला है। आज गैम सैंक्चुरी में सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा की चोरियां हो रही हैं। जो वहां

(श्री मदन महाराजा)

के रेंजर हैं, जो वहां के सुरक्षा प्रहरी हैं, उन गांव वालों को तंग करते हैं, बुरी तरह से उनसे पैसा निचोड़ते हैं। इस तरह एक तो खनिज सम्पदा की चोरी होती है और गैम सैंक्चुरी की भी सुरक्षा नहीं हो रही है। यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में वन मंत्रीजी ध्यान दें और विभाग को पाबंद करें कि गैम सैंक्चुरी के जो नियम हैं, जिस प्रकार से गैम सैंक्चुरी का डेवलपमेंट होना चाहिये उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जंगलात के नाम से पंचायत और पंचायत समितियों के एरिया में जो छोटे-छोटे गांव बसे हुए हैं, आसपास की जो फारेस्ट के खाते में जमीन है, जहां पर न तो उनका प्लांटेशन है, न उनकी कोई योजना हैं, न उनके लिये उसके प्लान है, ऐसे गांवों के अन्दर भी न तो कोई आरा मशीन लगाने की परमीशन देते हैं, न आटा मशीन लगाने की परमीशन देते हैं। अगर कोई लगा भी लेते हैं तो उनके ऊपर इतना जुल्म ढाया जाता है कि आप परमिशन लीजिये। परमिशन लेने जाते हैं तो उनसे पैसा मांगते हैं। मैं मेरे अटरू की बात कहना चाहूंगा। मेरे पास सांगोद पंचायत समिति लगती है, इसी तरह मेरे पास बारां पंचायत समिति लगती है। बारां पंचायत समिति के अन्दर जो हमारा मण्डल वन अधिकारी है उनके अन्तर्गत मेरी 12 ग्राम पंचायतें आती हैं। लेकिन 12 ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप से जंगलात विभाग तानाशाही कर रहा है और लोगों को तंग कर रहा है, मैं चाहता हूं कि वन मंत्रीजी इन बातों पर ध्यान दें और जो नाजायज तरीके से लोगों को तंग किया जाता है उसमें थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करें।

मैं आपके माध्यम से पंचायत समिति, सांगोद के ग्राम बोरीनाकलां की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जंगलात विभाग ने सामाजिक वानिकी के नाम से जो योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है और चलनी चाहिये। उसके माध्यम से ग्राम पंचायत को प्लांटेशन के लिये जो इन्होंने जमीन दी, जो पौध दी उस पर पंचायत ने प्लांटेशन किया, उस पर फोरेस्ट विभाग ने कब्जा कर लिया है। न तो वह पंचायत की जमीन है, न गांव वाले उसमें अपने जानवर चरा सकते हैं। न किसी तरह से उसमें घुस सकते हैं, ऐसी जमीनों पर तो ध्यान देना चाहिये जो जंगलात की नहीं है। पंचायत की स्थिति सुधारने के लिये, गांव में पेड़ पौधे लगाने के लिये जो पंचायत की जमीन दी गई थी उन पर भी इन्होंने कब्जे कर लिये हैं, उसे हटाया जाना चाहिये।

इस प्रकार मैं आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। एक सोरसन गैम सैंक्चुरी है जो पंचायत समिति सांगोद में आती है। वहां पर केन्द्र सरकार ने एक फर्टीलाइजर कारखाना लगाने की परमीशन भी दी है। 800 करोड़ रुपये की लागत से कारखाना लगना है। वहां पर एनीमल्स पाये गये उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की दृष्टि नहीं है, फोरेस्ट विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वहां जो कारखाना लगेगा उससे जो प्रदूषण होगा, वहां पर जो गोडावण जानवर है उस गोडावण की

(श्री मदन महाराजा)

सुरक्षा की क्या गारण्टी है, इस पर भी मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जंगलात विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, न कोई एतराज किया। बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर फर्टिलाइजर का कारखाना लगेगा, बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर 800 करोड़ रुपये की लागत का कारखाना लगेगा जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, कोटा का विकास होगा, सारी बातें होंगी, लेकिन उन जानवरों की सुरक्षा की गारण्टी क्या होगी, उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर वन मंत्रीजी का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं।

इसी प्रकार अभी पानी की समस्या की बात आई। पानी की समस्या में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सामाजिक वानिकी के तहत इनके पास पानी का बजट होता है। यह पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के लिये पानी का बजट होता है। आज तक इन्होंने बारां से लेकर अटरू तक जितने भी पेड़ लगाये हैं रोड के किनारे, एक भी पेड़ पैदा नहीं हुआ। इनके पास कोई हिसाब नहीं है कि उस पानी का उपयोग कहां किया गया। जो दैनिक वेतन पर पेड़ों की रक्षा के लिये कर्मचारी लगाये थे उनका कोई पता नहीं है।

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र अटरू में कम से कम 11 गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को जंगल से निकलने नहीं दिया जाता हैं, वहां के लोगों को जबरदस्ती वहां के रेंजर द्वारा पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि जंगलात के लोग, फारेस्ट के रेंजर और सुरक्षा प्रहरी जितना जुल्म करते हैं नाजायज तरीके से, जिस प्रकार से असत्य आरोप लगा देते हैं, इतना तंग करते हैं, मुझे कहने में हिचकिचाहट हो रही है, जितना जुल्म पुलिस भी नहीं करती उतना जुल्म यह फारेस्ट के लोग करते हैं। मैं यहां पर इस बात को साबित करने को तैयार हूं कि मेरे इलाके के लोगों को इस कदर उन्होंने पीटा है, उनकी टांगें तोड़ दी, फ्रेक्चर हो गये, कई प्रकार से उनको तंग किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। कई बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। मैं केवल एक बात आपके सामने निवेदन करूंगा। यहां पर जो अनुसूचित जाति और जन जाति के रिजर्वेशन का प्रश्न है, उस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने हमारा 28% का रिजर्वेशन रख रखा है। आज ही अखबार में आया कि मुख्य सचिव ने जितने भी राजस्थान में इस प्रकार के पद थे उनको समाप्त कर दिया। कर दें, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन हमारे भारत के प्रधान मंत्री रोजाना इस प्रकार की बात करते हैं, देश के लिए और अनुसूचित जाति और जन जाति के विकास के लिए और उनके उत्थान के लिए चिन्तित हैं। वह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग आगे आयें लेकिन आज यह स्थिति है राजस्थान में कि इन लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार को केन्द्र सरकार की नीति का अनुसरण करना चाहिए और अनुसूचित जाति और जन जाति के

(श्री मदन महाराजा)

लोगों को नियुक्तियां दी जानी चाहिए। जो पोस्टें रिजर्व की जा रही हैं उनका बैंक लाग भरने के लिए घोषणा करनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

बड़े दुख की बात है, यह एक ऐसा प्रश्न है, यहां पर विपक्ष के माननीय सदस्य भी विराजमान हैं, नगरपालिकाओं की बात कई माननीय सदस्यों ने कही, पूर्व मांगों पर भी कही, यह भी कहा कि मेहतरों के साथ यह हो रहा है, वह हो रहा है, नियुक्तियां नहीं दी जाती। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बात समझ में नहीं आती, हमारे यहां अनुसूचित जाति, जन जाति का कोटा 28% पंजाब में 50% दिल्ली में 30% गुजरात में 33%, महाराष्ट्र में 45% और राजस्थान में 28%, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन नगरपालिकाओं के अन्दर सौ प्रतिशत रिजर्वेशन सफाई कर्मचारियों का रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 100% कोटा केवल सफाई कर्मचारियों का समाप्त कर इसे भी 28% किया जाना चाहिए तो मैं समझूंगा कि सरकार की नीति सबसे बढ़िया है। जो मेहतर समाज कहलाया जाता है, वह समाज जो केवल सफाई का ही काम करता है, उन मेहतरों का रिजर्वेशन नगरपालिकाओं में 100% न रख कर 28% किया जाय तो मैं समझूंगा कि सरकार इस बारे में मेहतरों के प्रति और समाज के प्रति और हरिजनों के उत्थान के प्रति जागरूक है। अगर आप इस प्रतिशत को कम कर देंगे तो समानता का दर्जा हरिजनों और सवर्णों के बीच में बढ़ेगा।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गौर फरमाए। जब जरूरत पड़ती है तो हरिजनों की भर्ती हो जाती है 14 रुपये रोज में 10-15 दिन या एक महीने के लिए। आज हमारे निदेशालय, स्थानीय निकाय ने इस तरह का प्रतिबन्ध लगा रखा है एक ऐसे समाज पर जो शोषित समाज है। हिन्दुस्तान और राजस्थान में जो दलित समाज है उसके लिए यह प्रतिबन्ध लगा रखा है, इस समाज को इस प्रकार से कुचलने की स्थिति है, कि उनके 90 दिन के लिए काम लिया जाता है, उनसे 15 दिन के लिए काम लिया जाता है और वह भी 14 रुपये रोज में। जो ऐसा काम है जिसको कोई समाज करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति इस काम को करना पसन्द नहीं करता। यह जरूर कहा गया कि हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने इस काम को जरूर किया और उन्होंने देश की जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि अपना काम खुद करें लेकिन आज हमारे देश की जनता इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और इस समाज से एक ऐसा घृणित काम कराती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनमें भी एक भेदभाव नजर आता है। इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे, आज हरिजनों की टट्टी को हरिजन ही साफ करता है। चाहे बैरवा हो, चाहे चमार हो चाहे, जाटव, मीणा, किसी भी कौम का हो, उसकी सफाई भी वही व्यक्ति करेंगे जो महतर कहलाते हैं और आज भी वह जब कहीं

(श्री मदन महाराजा)

दरख्वास्त देता है तो उसमें साफ लिखता है, जो हमारे हरिजन समाज को महात्मा गांधी ने एक आदर्श नाम दिया-हरिजन। वह हरिजन ही लिखता है। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, चाहे बी.ए. हो, चाहे एम.ए., एल.एल.बी. हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो लेकिन अपने आवेदन पत्र में लिखेगा-हरिजन, निवासी फलां। दूसरी दूसरी कास्ट के लोग क्या लिखेंगे-बैरवा या फलां, फलां। मुझे माफ करेंगे आज ऐसे समाज को जिसको घृणा की निगाह से देखा जा रहा है, अगर सरकार समानता लाना चाहती है, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में जो बैक लॉग है उसको पूरा किया जाय और नगरपालिका में 100% नियुक्तियों के कोटे को कम किया जाय तो समानता का दर्जा मिलेगा और मैं समझूंगा कि हरिजनों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया है। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह (अनुपस्थित)

माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मोदी जी, क्या बोल रहे हो, मंत्री जी हैं ही नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मंत्री जी न हों तो मेरा क्या लेंगे। आप तो बैठे हो।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो पंचायतों की बात मुख्य मंत्री जी ने कही है उसके लिए जब तक राजस्थान के अन्दर जो 8-10 हजार की जन संख्या की बड़ी पंचायतें हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपको सिर्फ पेयजल और शिक्षा पर बोलना है, आपने लिखकर दिया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : लिख कर दिया है लेकिन सभी के ऊपर बोलूंगा।

बड़ी पंचायतों को जब आपने अधिकार दे रखे हैं और राजीव गांधी भी चाहते हैं कि पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जायें तो बड़ी पंचायतों को छोटी पंचायतें करना चाहिए। जो नगरपालिका क्षेत्रों में पंचायतों के वोटर हैं और वहां रहते हैं उनको नगरपालिकाओं के अन्दर जोड़ा जाय और उन पंचायतों का जिसका एरिया लगता है नगरपालिकाओं से, उन वोटर्स को उन नगरपालिकाओं में जोड़ा जाय और उसकी आबादी बढ़ाई जाय।

उपाध्यक्ष जी, मेडिकल विभाग में जो डाक्टर लेते हैं, आप सब कहते हैं कि वहां पर रहते नहीं हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि रहते नहीं हैं, परन्तु जितने भी एम.एल.ए., प्रमुख और प्रधान हैं, वह अस्पताल खुलवाने के लिए तो तैयार हैं, परन्तु डाक्टरों के रहने की सुविधा बनाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं। अगर आज प्रयत्न करें तो कोई कमी नहीं है और वह प्रयत्न पूरा हो सकता है। डाक्टर को पढ़ा दिया, उनकी वाइफ भी डाक्टरणी, कोई एम.ए. हैं, कोई एल एल.बी. है कोई क्या हैं। तो उनके रहने का जब तक कोई साधन नहीं करेंगे, डिस्पेंसरी के साथ मकान पूरी तरह से नहीं बनाएंगे, तो डाक्टर कैसे रहेंगे ? तो मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जहां भी मिनी पी.एच.सी., एड पोस्ट,

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

रेफरल हास्पीटल खोलें वहां डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्सेज को रहने की पूरी सुविधा हो। पूरी सुविधा सरकार करे। सरकार नहीं करती है, तो पब्लिक करे।

आज यह हालत स्कूल्स की है। आज गांव गांव में 10+2 स्कीम लागू कर दी। राजीव गांधी जी को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नवोदय विद्यालय खोल कर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक नयी चीज पैदा की है। आज नवोदय विद्यालय से लड़के निकलेंगे तो आपके सेंट जेवीयर के लड़के भी उनके सामने कुछ नहीं होंगे, मेरे को यह विश्वास है क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय में हर महीने जाता हूं और उन लड़कों से पूछता हूं, बात करता हूं।

आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, स्कूल्स के जो इन्सपेक्टर हैं, वे साल में एक दफा भी नहीं जाते है, जोइंट डायरेक्टर नहीं जाता है, डायरेक्टर नहीं जाता है। पहले 1952, 1957, 1962 में इन्सपेक्टर जाता था एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, तो उनको इस बात का डर रहता था कि इन्सपेक्टर साहब आयेंगे और जो कमी है वह हम उनको बताऐंगे। स्कूल आप खोलें तो उन स्कूल्स के लिये मकान होना चाहिए। अगर पक्का मकान नहीं बने तो टीन का मकान बने और ऐसे गांवों में स्कूल खोलें जहां मास्टरों को रहने के लिए कम से कम मकान मिल जाय। मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल के लिए तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि स्कूल वहीं खोलेंगे जहां मकान होगा। जहां मकान नहीं होगा वहां कम से कम स्कूल नहीं खोली जायेगी।

दूसरी बात यह है कि आज गांव में

(6.00 सायं)

(श्री इकबाल अहमद, सभापति, पदासीन)

मिडिल स्कूल खोलते हैं, हाई स्कूल खोलते हैं लड़कियों की, पर गांव में अध्यापिका इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर उनको काफी असुविधा होती है, उनको रहने के लिये कोई मकान नहीं मिलता है। तो सरकार को चाहिये या पब्लिक को चाहिये कि वहां मकानों की सुविधा करें तभी गर्ल्स स्कूल के अन्दर अध्यापिका जायेंगी नहीं तो नहीं जायेंगी।

माननीय सभापतिजी, आज मेरे इलाके के अन्दर सीमेण्ट फैक्ट्री बनी उसके पास में ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं।

माननीय सभापतिजी, सीमेण्ट फैक्ट्री के अन्दर गवर्नमेण्ट का करीब 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यूको का खर्च हुआ और 3 करोड़ रुपया लोन लिया। कुल 11 करोड़ रुपया लिया परन्तु वह सीमेण्ट फैक्ट्री छह महीने चली उसके बाद से बन्द पड़ी हैं। आज वहां मजदूर बेकार बैठे हैं, मजदूर परेशान हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि कहना मुश्किल है। वहां पर माइन्स है, पहले वह माइन्स चलती थी। मिनरल डवलपमेण्ट कारपोरेशन उनको चलाती थी, आज वह माइन्स रीको के पास हैं। वह तो 15 करोड़ रुपया खा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

गया, छह महीने चली और तीन वर्ष से वह बन्द पड़ी हैं। इसके लिए निवेदन है कि माइन्स तो कम से कम चलें ताकि उसके अन्दर 200-300-400 मजदूर लगेंगे, उनके पेट भरेंगे, यह मेरा कहना है।

आप नयी इण्डस्ट्रीज को लोन देते हैं। तो नयी इण्डस्ट्रीज को लोन देते समय पूरी तरह से देखें कि इण्डस्ट्रीज वाला लोन लेकर वापस चुका सकता है या नहीं, उसने क्या प्रोपर्टी रखी है। कुछ गवाही हो, जैसे बैंक की गवाही होती है। आप पूरी तरह से गवाही लें, गवाही देने वाले के पास भी प्रोपर्टी है या नहीं है यह भी देखें। आज आप ऐसे आदमी को लोन देते हैं जो रुपया खा जाय, फैक्ट्री बन्द करके चला जाय। इसके कारण से आज मजदूर भूखे मर रहे हैं, मेरे इलाके के अन्दर परेशान है, इतना मेरे को दुःख है। जब यह फैक्ट्री खुली थी तब मैंने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि इस फैक्ट्री का सारा काम बेकार है और यह फैक्ट्री वाला रुपया खा जायेगा परन्तु मेरी किसी ने सुनी नहीं। आज वही दशा हुई कि उस फैक्ट्री के अन्दर 11 करोड़ रुपया लगा और बड़े आदमियों को रिश्वत देकर के उन्होंने सारा लोन मंजूर करवा लिया, पूरी तरह से सब चीजें करवा लीं परन्तु वह फैक्ट्री छह महीने भी नहीं चली। उस फैक्ट्री पर कम से कम 11 करोड़ रुपये खर्च हुए और वह फैक्ट्री छह महीने चली और सातवें महीने बन्द हो गई, कितने अफसोस की बात है। ऐसे पूंजीपतियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब, कि आज हमारा जो पैसा है, जो आपने बजट बनाया है, मेरे को इस बात का दुःख है कि यह पैसा हमारे खून का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतने एम.एल.ए. के सामने कि मैं सरकार के पैसे को अपना पैसा मानकर आज तक चला हूं और आगे भी चलूंगा। भले ही मैं एम.एल.ए. रहूं या नहीं रहूं परन्तु सरकार के पैसे को अपना पैसा मानता हूं। मैंने फारेन कन्ट्रीज में एक बात देखी कि वहां पर जनता सरकार के पैसे को अपना पैसा मानती है। इसलिए, चीफ मिनिस्टर साहब, आप किसी को भी पैसा दें तो बैंकों की तरह पाबन्द करें और उनसे पूरी तरह से पैसा वसूल हो, चाहे जे.के. फैक्ट्री हो। तो इससे एक भी फैक्ट्री बन्द नहीं होगी। जब आप दो आदमियों से बैंक की तरह गारण्टी लेंगे, सारी प्रोपर्टी की गारण्टी होगी कि तुम्हारे को पैसा जब दिया जायेगा जब तुम्हारी प्रोपटी की गारण्टी होगी, गवाह की प्रोपर्टी की गारण्टी होगी तो एक भी फैक्ट्री राजस्थान के अन्दर बन्द नहीं होगी। ये सारी चीजें नहीं होने से फैक्ट्री बन्द हो जाती है और वह पैसा खा जाता है और पूंजीपति हम लोगों से सिफारिश करवा लेते हैं, नेताओं से सिफारिश करवा लेते हैं कि उनको कुछ भी मत कहो। आज 1987 से हमारे यहां फैक्ट्री बन्द पड़ी है। 21 मिलियन टन लाइम स्टोन को इतनी बड़ी माइन्स थी जिस माइन्स को रूंगटा को दे दी तब भी मैंने विरोध किया और सब जगह चिट्ठी लिखी कि यह खा रहा है, इसको आप मत दो सीमेंट फैक्ट्री की इजाजत। परन्तु उसको दी और वह फैक्ट्री चालू नहीं हुई, छह महीने चली और बन्द हो गयी और वह पैसा खा गया, 11 करोड़ रुपया खा गया, आज उसके ऊपर ब्याज जुड़ कर 17 करोड़ रुपया हो गया। तो, माननीय सभापतिजी, मेरे को इस बात

(१८४)

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

का इसलिए दुःख है कि सरकार पैसा गावों में लगाती है, इण्डस्ट्रीज में लगाती है, इण्डस्ट्रियल एरिया खोलती है लेकिन इस तरह से कुछ नहीं होगा जब तक गांवों के अन्दर कोई भी इण्डस्ट्रीज नहीं खोलेंगे। आज यूनियन बाजी की बात करते हैं। कहां से यूनियनबाजी होगी ? आप आज गांव में बहुत सारी इण्डस्ट्रीज खोलेंगे तो यूनियन-बाजी होगी। एक ही जगह पर सारे इकट्ठे हो जायेंगे और इकट्ठे हो करके फिर यूनि-यनबाजी फैलाते हैं और यूनियनबाजी फैलाकर फैक्ट्री बन्द करवा देते हैं। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप इसके अन्दर बदलाव लाइये कि गांव-गांव के अन्दर इण्डस्ट्रीज खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। मैं माननीय सभापतिजी, खुद देख-कर आया हूं, फारेन कण्ट्रीज के अन्दर। वहां पर हिन्दुस्तान की तरह नहीं हैं। वहां पर एक गांव में एक इण्डस्ट्री, दूसरे गांव के अन्दर दूसरी, तीसरे गांव के अन्दर तीसरी और चौथे गांव के अन्दर चौथी। वहां पर इस तरह का सिस्टम है। परन्तु यहां पर मैं समझता हूं एक जगह बना दी और रीको के हाथ में प्लाट है और लोने देने वाला फाइनेंस कारपोरेशन है। तो माननीय सभापतिजी, इस तरह का जो ढांचा है जब तक आप इसको बदलेंगे नहीं तब तक ठीक नहीं होगा।

आज बेरोजगारी की बात करते हैं। आज जितने ठेकेदार हैं, चाहे मिलिट्री में ठेकेदार हों, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. में ठेकेदार हों, चाहे इरिगेशन में ठेकेदार हों, इस तरीके को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब कुछ नहीं होगा। मैं यह सब बातें राजीवजी को लिखता हूं, मेरी मानें या नहीं माने मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। जब तक हिन्दुस्तान के अन्दर ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आज इंजीनियर्स हैं, 4 हजार, 3 हजार इंजीनियर्स डिप्लोमा लेकर बैठे हैं। आप उन इंजीनियर्स से कहिये कि हम यह काम इरिगेशन का बांध देते हैं, आप इसको बनाओ, इतने पैसे में बनाकर देओ और 7 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में पेमेण्ट करेंगे तो इससे बेरोजगारी दूर हो जायेगी।

परन्तु यह सब जगह आज पूंजीपति इस सरकार की बदौलत बनते हैं, नहीं तो वह पूंजीपति बन ही नहीं सकते। यह सर-कार पूंजीपतियों को बनाती है, अपन समाजवाद का नारा देते हैं, सब असत्य नारे हैं, सब गलत बात है। आज पूंजीपति क्यों बने ? पूंजीपति बन ही नहीं सकते, चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की, प्रोवीडेंट फण्ड की चोरी करते हैं, जितने तरह के टैक्सेज हैं, उनकी चोरी करते हैं और उनको सहारा हम लोग देते हैं, हम लोग+++ असत्यवादी हैं, जनता को यह बातें कह करके भुलाते हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

श्री सभापति : माननीय मोदी जी, समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो खुद भी उनमें शामिल हूं। मैं कोई दूसरा नहीं हूं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

परन्तु मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में दर्द है, जनता का प्रतिनिधि चुन कर आया हूं। आज पैसे की कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। मैं, माननीय सभापति जी, कहता हूं, आज 50 करोड़ रुपये चाहिये, सही आदमी होगा, उसको 50 करोड़ रुपये मिलेंगे, नकली होगा उसको पचास करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आज रुपये की कमी नहीं है, पूंजीपति देंगे। परन्तु, अगर इस तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं, तो आपको पूंजीपति के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद, सरकार ही, सारा काम कर देगी।

शिक्षा के अन्दर देखिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें मोदी जी। माननीय मोदी जी, बैठें अब।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज किताबों की बात कर रहे थे। रशिया तो पूरी किताबों से यूनिवर्सिटी और शिक्षा चलाता है। चेकोस्लोविया के अंदर चलती है, आप लोग खुद किताब बेच करके बदनामी उठावें, वह ठेकेदारी सिस्टम सारा आपको खत्म करना पड़ेगा, तब आज हिन्दुस्तान के अन्दर बेकारी दूर होगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भले ही कुछ भी हों, आप कई डिपार्टमेंट में ठेकेदारी प्रथा खत्म करें एक दम सारा का सारा। आपके जितने लोग हैं, वह लग जायेंगे और राजस्थान के अन्दर जो बेकारी है, वह नहीं रहेगी। परन्तु आप कर नहीं सकेंगे, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवीलाल जी।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, वनों की रक्षा और कटाई के संबंध में मैं निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान के अन्दर परम्पराओं से वनों की हरियाली थी और मैं यह भी मानता हूं कि देश के अन्दर परंपरा से तीन तरह की आमदनी थी। एक खेती की, दूसरी पशुधन की और तीसरी वनों की। उस आमदनी पर पशु, पक्षी और मनुष्य ही निर्भर हैं। इन तीनों पर ही जिंदा हैं। आज वनों की कटाई से जो पुराने पेड़ थे, वह सब नष्ट हो गये। अब वन विभाग के द्वारा वनारोपण में थोड़ा-बहुत पैसा लगाते हैं, यह वन विभाग के रेंजर और गार्ड्स, इनको लगाया गया था वनों की रक्षा के लिये, मगर यह वनों का भक्षण कर रहे हैं। वनों को अंधाधुन्ध कटवाया और इन पेड़ों को काटकर पहाड़ों और जंगलों को नंगा कर दिया। जंगल बिल्कुल उजाड़ हो गये और यह धरती सूनी हो गयी। वनों की यह स्थिति हो गयी है।

आज यह स्थिति हो रही है कि अगर एक लाख पेड़ लगायें तो भी मुश्किल से सौ पेड़ जिंदा रहते हैं और इस कारण से आधे से ज्यादा तो यों ही सूख जाते हैं। थोड़ी-बहुत जो संख्या इनकी बच जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उससे यह सूख जाते हैं। थोड़े-बहुत पेड़ उदई से सूख जाते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि एक लाख पेड़ों में से

(श्री देवी लाल)

एक हजार भी मुश्किल से ही पनपते हैं। यह मेरा अनुभव है और यह जो इनके ऊपर करोड़ों रुपये सरकार खर्च कर रही है, फिर भी इस देश के अन्दर मैं मानता हूं कि पेड़ नहीं रहेंगे। जिस देश के अन्दर पेड़ नहीं रहेंगे, उस देश की हालत क्या होगी ? इन पेड़ों की इस धरती पर माया है। कितनी ही बीमारियां इन पेड़ों से नष्ट हो जाती हैं, कितनी ही बीमारियां पत्ते लगाने से सही हो जाती हैं। चाहे कितनी बीमारियां और गंदगी हो, यह पेड़ उनको साफ कर देते हैं। पेड़ों की वजह से ही वह शक्ति अपने अन्दर है। उसमें एक शक्ति है आवाज को, दूसरी प्राणों की और इन पेड़ों में तीन प्रकार की शक्ति है, एक आकाश में, दूसरी पाताल में और तीसरी पृथ्वी में। पेड़ में और मनुष्य में क्या फर्क है ? हम में पांच तत्व हैं और पेड़ों के अन्दर चार तत्व हैं। आकाश उसमें भी है, अपने में भी है, पृथ्वी, जल उसमें भी है और अपने अन्दर भी है। अग्नि उसमें भी है और अपने में भी है। एक फर्क यह है कि वह जड़ है और अपन चेतन हैं। पेड़ों को नींद आती है, अपने को भी नींद आती है। पेड़ बोलते नहीं हैं, लेकिन वह सारी बात समझते हैं। आपकी पौराणिक कथाओं, महाभारत और भागवत, रामायण आदि में इनकी कथा मिलती है। यह जड़ हैं और जिस तरह से अपने को नींद में ध्यान नहीं रहता है, उसी तरह से इनको भी ध्यान नहीं रहता। इस देश के अन्दर पेड़ों की जरूरत है। परम्परा के अनुसार तीन प्रकार के दूध हैं, एक दूध है माता का, दूसरा दूध है गाय का और तीसरा दूध है वनराय का। जिस देश के अन्दर वनराय का दूध सूख गया, तो गाय और माता का भी दूध सूख गया। अगर यह वनराय का दूध है, तो बाकी दूध भी हर जगह है। अपने अन्दर भी 36 रंग हैं और पेड़ के अन्दर भी 36 रंग हैं। अपन तो दो रंगों को ही प्रकट कर सकते हैं, मगर पेड़ छत्तीसों रंगों को प्रकट कर सकते हैं। काला, पीला, शाम, सफेद, नीला, लाल सभी तरह के। इतना ही नहीं, अपने में भी 36 राग हैं और उनमें भी 36 राग हैं। अपन 36 रागों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह 36 रागों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे पुंगी है, ढोलक है, बंशी है, बाजा है, यह लकड़ी के हैं। उनके राग हमारे से बढ़िया हैं। पेड़ों की कितनी महिमा बताऊं ? महापुरुष कह गये हैं कि यह पेड़ देवताओं के देवता हैं, यह ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। यह पेड़ जैसा माताजी का स्थान है, देवनारायण जी का स्थान है, अपन उनके माथे पर फूल–पत्ते चढ़ाते हैं, वह पाती बन कर आयेंगे पेड़।

सभापति महोदय, ये दरख्त देवताओं से कम नहीं होते। ये दरख्त तो अपने प्यारे मेहमानों से भी प्यारे हैं तभी तो उनके गले में फूल और पाने चढ़ाते हैं। ये दरख्त उनसे भी प्यारे हैं। दरख्तों के लिए यह कहा गया है कि "तरवर, सरवर, संत धन और चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे, ये चारों धारी देह।" यह दरख्तों की महिमा है।

अब मैं एक–दो बात और निवेदन कर दूं। हमारे मुख्यमंत्रीजी ने सहकारी समितियों के अन्दर गरीबों की कितनी भी रक्षा की हो पर एक–दो बातें मेरे को निवेदन करनी है। उनकी किश्तें भी बांध दीं, उनके ब्याज में भी छूट कर दी परंतु जिस आदमी

(श्री देवी लाल)

ने पैसा भर दिया उनको कच्ची रसीदें दे दी और उनको कहें तो वे कहते हैं कि चुका दिये। दूसरा निवेदन है कि जिस आदमी ने पैसा ही नहीं लिया, उसके नाम पर लोगों ने झूठा कर्जा ले लिया और किसी के झूठे दस्तखत करा दिये और फिर दी तो एक बोरी बीज की, पर लिख दी चार बोरी। एक बोरी के पैसे भी दे दिये और तीन बोरी के बाकी हैं। ऐसे मामले कम से कम दस हजार हैं। आपके पास सहकारी समितियों की कार्यवाही भी है, उनके इन्सपेक्टर ने जांच की है और करीब दस हजार मिसलें आपके पास पड़ी हैं। लोगों ने मुकदमें लड़े तो वे हार गये पर ऐसे केसों के लिए आप गांव-गांव के अन्दर सहकारी समिति का अभियान चलाकर ऐसे केसों को देखकर एक-एक दिन में फैसला करें, आप अपना एक आदमी भेज दें....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : वहां एक प्रधान है, एक सरपंच हैं, एक एम.एल.ए. हो जायेगा, एक तहसीलदार साहब है, एक थानेदार साहब को पीछे कर दो, साथ की साथ फैसला हो जायेगा। एक निवेदन यह है।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि आज विधान सभा में बार-बार लोगों ने खड़े होकर कहा कि भ्रष्टाचार है। मेरे से पूर्व वक्ता किसी भी महकमें में भ्रष्टाचार होने की बात कहने से नहीं चूके हैं, मेरा यह निवेदन है, पहली बात तो मेरी बुद्धि के अनुसार मैं यह सोचता हूं कि सब काम निचले दरवाजे से होकर आते हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : दो-तीन मिनट तो और रुकना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि पूरी विधान सभा में ज्यादा टाइम मुझे आज ही मिल रहा है। जितने भी काम निचले पहाड़ से आते हैं गांवों से और ढाणियों से, चाहे सड़क का हो, चाहे डाक का हो, स्कूल का कार्यक्रम और फिर राजीव गांधी, सीधा काम पंचायतों और गांवों से मंगा रहे हैं। ये तीन काम ऊपर से आ रहे हैं। इन तीन कामों को वहां से रोक दो तो भूख, भ्रष्टाचार और महंगाई ये तीन चीजें ऊपर से जाकर गांवों में बस गई, इनको रोक दें तो सब काम ठीक हो जायेगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवी लाल : ये तीन चीजें इधर से जा रही है, बाकी सब काम उधर से आ रहे हैं। एक तो भूख और महंगाई और.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीलाल : एक तो महंगाई भी उधर से आती है, महंगाई का मैं उत्तर दे दूं। महंगाई कैसे कि हमारे गांवों में तो पहले दो सौ रुपये बीघा में बारानी जमीनें थी और ये रजिस्ट्री करवा रहे थे पांच सौ रुपये की। ये इधर से जाते और पांच सौ रुपये के भाव से स्टाम्प खरीदते, तो महंगाई इधर से जा रही है। हमारी पंचायत के अन्दर तो दो आना-चार आना गज में जमीन बिक रही थी और इधर से क्या कार्यवाही कर भेजी ? वहां बाड़ा के वास्ते

(श्री देवीलाल)

और बूणी के वास्ते आठ रुपया गज भेजकर बनवा रहे हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय-देवीलाल जी।

श्री देवीलाल : हमारे नेता और हमारे सभी अधिकारी जी आठ रुपये गज में आज बाड़ा बना रहे हैं तीन पशुओं का। तीन पशुओं का बाड़ा बनायें तो उसका कम से कम एक बीघा का दस हजार रुपया बनता है। आठ रुपये गज के हिसाब से दस हजार रुपये बनते हैं। अब हम ढाई हजार रुपये में बाड़ा बनाते हैं। आज ढाई हजार में पशुओं का बाड़ा या हमारे मकान बना सकते हैं क्या ? तो इन गांवों की जमीन का एक भाव नहीं है। अब एक बात निवेदन करूं कि फैक्ट्री के अन्दर और खानों में ये जो जमीनें देते हैं, आज खानें लग रही हैं तो सौ फीट धरती को खोद देते हैं। हम तो सिर्फ ऊपर बैठे हैं, न तो उसको खोदते हैं, न उसको परे ले जाते हैं और वे उसको सौ फीट गहरा खोद देते हैं जिससे वहां न तो घास उगता है, न उसमें वृक्ष लगते हैं न उसमें कोई मनुष्य रह सकता है। तो मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर ये जो आठ रुपये गज के किये हैं, लोग दे नहीं सकते हैं, गरीब आदमी हैं, न वहां मकान बना सकते हैं, न वहां बाड़ा बना सकते हैं। हम तो पंचायत से जो जमीन लेते हैं तो एक बाड़े के वास्ते अस्सी नब्बे रुपये देकर बाड़ा बना लेते हैं। आज ढाई हजार रुपये बाड़ा के दे सकते हैं क्या ? मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि गांवों में जो ये आठ रुपये लगाये इसके बारे में पहले भी मैंने पूरी लिखा पढ़ी करी थी और आपसे निवेदन किया था कि यह आठ रुपये हम नहीं दे सकते। गांवों में जब प्रशासन चला था तो एक भी आदमी को हम बाड़ा नहीं दे सके थे, इस मंहगाई के कारण बाड़ा नहीं लिया। तो आप गांवों और शहरों की जमीनों को बराबर मत रखिये। यह मेरी है और मैं समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल जी।

श्री नाथूसिंह : साहब, हमारी आंखों पर रिफलेक्शन पड़ता है इधर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर सभापति जी, सौभाग्य से माननीय मुख्य–मंत्री जी भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। जय–पुर में नगर परिषद आपने बना रखी है, यह हम तब एम. एल. एज. की छवि को, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, खराब करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर जगह जहां जायेंगे वहां शिका-यह मिलेगी। कहने वाली बात नहीं है, अभी भी मैं जब दो बैठकों में जाकर आया तो मुझे लोगों ने कहा कि कूड़े का ढेर पड़ा है....(व्यवधान) या तो आप बोल लीजिए। मैं तो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। मैं मेरे शहर की बात करने के लिये यहां पर आता हूं और कहूंगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : साहब, इनको बाहर भेज दो थोड़ी देर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे यहां पर यह निवेदन करना है कि इस नगर परिषद का बजट 21 करोड़ 52 लाख रुपये है। केवल सफाई कार्य पर 10 करोड़ 78 लाख 43 हजार 400 रुपये खर्च होता है, यानि लगभग 11 लाख रुपये। आधा केवल सफाई कार्य पर खर्च हो जाने पर भी आप शहर की दशा को भली प्रकार से देख लीजिए। आज आप जयपुर शहर में किसी भी प्रमुख मार्ग पर जायें, किसी भी गली में जायें, गलियां भरी होंगी, वर्षा का मौसम प्रारम्भ हो गया, नालियां भरी हुई हैं, बाजार की पटरियों के नीचे जो नाली बनी हैं, उनकी सफाई नहीं। उप नगरियों में सफाई नहीं। ऐसा लगता है कि आप यदि लोगों को रिबेट दें कि भाई हाउस टैक्स में पचास रुपये या सौ रुपये आपको प्रति वर्ष की छूट दी जाती है, अपने आप सफाई व्यवस्था कर लो, तो मेरे ख्याल से वे लोग सफाई की व्यवस्था कर लेंगे, फिर आपको कहेंगे नहीं।

इतना बड़ा अमाउण्ट खर्च हो जाने के बाद भी सफाई वाले मामले में जयपुर नगर परिषद बिल्कुल अकर्मण्य है।

आपने प्रशासनिक खर्चा बढ़ा दिया। 17–17 कमिश्नर जयपुर नगर परिषद में हैं। पहले कभी एक कमिश्नर हुआ करता था। एक कमिश्नर पर लगभग दो लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च आयेगा। उनको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। आखिरकार 17 कमिश्नर जयपुर नगर परिषद में क्या करेंगे, यह थोड़ा विचार करें। कभी कार्यकाल में एक कमिश्नर होता था जनता पार्टी के राज में।

विद्युत व्यवस्था के नाते मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 37 लाख 81 हजार 662 रुपये तो ट्यूब लाइट बल्बों पर और 13 लाख 88 हजार 923 रुपया मरकरी लाइट्स पर और कर्मचारियों का वेतन है 18.75 लाख रुपये। उस सब के बावजूद भी माननीय सभापति जी, किसी भी गली में जायें, किसी भी मौहल्ले में जायें, रोशनी की व्यवस्था नहीं है।

इसके अलावा सफाई के जो उपकरण आप खरीदेंगे वह 10 लाख के खरीदेंगे। 10 लाख का सामान तो खरीद रहे हैं और हर वर्ष आप लगभग 37 लाख रुपया किराये के ट्रेक्टर और ट्राली पर लगा रहे हैं। यह कहां का तुक है? 37 लाख रुपये किराये पर और केवल 10 लाख रुपये का आप सामान खरीदना चाहेंगे इस वर्ष में। इसी प्रकार से आपने परकोटे की नालियों को पक्का कराने के लिए 3 लाख का प्रावधान रखा है। पहले भी आपने कहा था, पर वह गलियां तो पक्की हुई नहीं होंगी जो जयपुर के मकानों के बीच में हैं तब तक वह गन्दी रहेंगी। मोटर गाड़ियों के गैरेज की भी इसी प्रकार की स्थिति है कि वहां पर 25 गाड़ियां खराब पड़ी हैं। और कौनसी खराब पड़ी हुई हैं जो गाड़ी जयपुर शहर में मच्छरों को मारती हैं, फोगिंग मशीन, वह खराब पड़ी हैं। जो गाड़ी सफाई की व्यवस्था करती हैं, रोड़ स्वीपर वह खराब पड़ी हुई है। इसी प्रकार से जयपुर शहर में एक फायर स्टेशन है घाट दरवाजे में। अगर कहीं पर आग लग जाये, मैं यह नहीं कहता कि आग लग जाये, पर विश्वकर्मा में अगर कहीं पर औद्योगिक एरिया में आग लगती है, जयपुर शहर में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पांच ग्रौद्योगिक एरिया हैं ग्रौर पांच गाड़ियां हैं फायर स्टेशन पर। आग बुझानी है तो वह गाड़ी घाट दरवाजे से विश्वकर्मा तक छोड़ेगी। यह एक दशा है। इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा यह सारी दशा इसकी है। ग्राप म्युनिसिपलेटी की हालत को ठीक करें ग्रौर नहीं करे, तो हमने समय समय पर ग्रापसे मांग की है कि ग्राप जयपुर शहर में नगर निगम बनायें। जब मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट ग्रा गयी है. उत्तर प्रदेश में जब तीन लाख की जनसंख्या पर नगर निगम बने हुए हैं, ग्रौर ग्रापने स्वीकार भी किया है कि हम नगर निगम बनाने पर विचार करेंगे, तो यह विचार कब तक चलता रहेगा ? इसलिए, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप जयपुर शहर में नगर निगम की व्यवस्था करने की घोषणा करें। यह मेरा ग्रापसे विनम्र निवेदन है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जे. डी. ए. पर तो मैं, जब बिल ग्रायेगा, उस समय विस्तार से ग्रपने विचार रखूंगा। लेकिन मैं ग्रापको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि ग्रापके समय पर यह कृषि भूमि रूपान्तरण वाला मामला चला था। ग्रौर सन 1981 में ग्रापने लोगों को कहा कि चाहे वह भूमि ग्रवाप्ति में हो चाहे भूमि मास्टर प्लान के विपरीत हो, चाहे ग्रीन बेल्ट में हो, ग्रापने लोगों को सब्ज बाग दिखाकर 21.8.81 से जो लोगों ने पूर्व से जमीनें ले ली, उन सब लोगों से ग्रापने पैसे ले लिये। ग्रब ग्राप कहते हो कि हमारी विज्ञप्ति नहीं। हम तो करेंगे नहीं। उस ग्राधार पर लोगों ने सारी भूमि रूपान्तरण की रकम जमा करा दी तो 28 करोड़ तो ग्रापने जमा कर लिये 1981 से। 28 करोड़ का ब्याज तो दे दिया जाये लोगों को। ग्रगर नियमन नहीं करना है तो ब्याज सहित ग्राप लोगों की रकम लौटा दें। ग्राज लोग दुखी हैं, गरीब ग्रादमी, ईमानदार ग्रादमी मकान नहीं बना सकता है। जे. डी. ए. में रिश्वतखोरी का बोल–बाला है। कीमत बराबर बढ़ रही है ग्रौर ईमानदार ग्रादमी ग्रपनी जमीन को लेकर के बैठा हुग्रा है। हाऊसिंग बोर्ड ने लोगों को मकान दिये नहीं, जे. डी. ए. ने लोगों को जमीन दी नहीं, तो उस गरीब ग्रादमी ने कृषि भूमि लेकर के ग्रपनी सारी गाढी कमाई को लगाकर के मकान बना लिये, तो उसने क्या गुनाह किया ? मैं निवेदन करना चाहता हू कि ग्रापने 28 करोड़ तो भूमि रूपान्तरण के। करोड़ विकास शुल्क के जमा कर लिये ग्रौर 30.10.85 तक 74 हजार 571 ग्रापके सामने मानचित्र ग्राये। 1112 स्कीमें थी, इनमें से 674 तो प्रथम में रिजेक्ट कर दी ग्रौर 438 केवल ग्रापने स्वीकृत की। 438 में से भी 75, जिनका रूपान्तरण हो चुका, इसको भी कलक्टर साहब ने 17.4.87 से लीज देना बंद कर दिया। इसका मतलब 1112 स्कीम के लोग, जिन्होंने 28 करोड़ रुपये जमा कराये, ग्राज घूम रहे हैं। कीमत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जे. डी. ए. में ग्रनाप शनाप लोग नक्शे पास करते हैं। प्रभावशाली लोगों को ग्राप चाहें, उनके ग्राप नक्शे पास कर रहे हैं। इसलिए मेरा ग्रापसे निवेदन है कि ग्राप इस मानवीय समस्या की ग्रोर देखें। मैं सोसायटी की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं वकालत कर रहा हूं जिन लोगों ने मकान बना लिये, जिन लोगों ने कृषि भूमि रूपान्तरण की रकम जमा करा दी, आपकी विज्ञप्ति पर जमा करायी, उनकी। सरकार भी, असत्य बोलेगी तो भविष्य में लोग इसको मानेंगे नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने मकान बना लिये, इन सब भूमियों में उन सब लोगों के मकानों का नियमन होना चाहिए और 21.8.81 से पहले जिन्होंने भूमि ले ली, पर मकान बनाये नहीं, उन्होंने क्या अपराध किया है ? उनके भी आपको नक्शे पास करने चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

लीज मनी के बारे में भी मैंने आपको कई सुझाव दिये हैं कि आप लीज मनी भी एक मुश्त लें। यह 99 साल वाली जो लीज मनी लेते हैं, हाउसिंग बोर्ड में आप 99 साल की लीज मनी लेते हैं, उसको एडवान्स रख लेंगे और उस एडवान्स लीज मनी को आप कब एडजेस्ट करेंगे 99 साल बाद ? एकाउण्ट कौन रखेगा ? न तो जमा कराने वाले रहेंगे न लेने वाला रहेगा न वह रसीद रखेगा। पड़पोता आखिर कार रसीद देगा। आपने 250 रुपये भी ले लिये, तो आप उसको इंदिरा विकास पत्र में जमा करा दें, 99 साल में तो इतनी लीज मनी की कीमत हो जायेगी कि आपको लोगों को वापस लीज मनी की कीमत जमा करानी पड़ेगी।

इसी प्रकार से हायर परचेज के आधार पर, आपने 25 साल के लिए किश्त करी और आप 5 महीने का एडवान्स ले लेंगे और पांच महीने के एडवान्स को आप अपने पास रखेंगे। 25 साल बाद 10 हजार या 5 हजार को ऐडजेस्ट करेंगे। उसका आप ब्याज नहीं देते हैं, उसका आपको ब्याज देना चाहिए। उसको भी आप इंदिरा विकास पत्र में जमा करा दें तो बहुत सारा हो जायेगा। पार्कों की हालत आप अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है कि आप इस समय यों नहीं मानें कि मैं विपक्ष के नाते आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी सही बात को निश्चित रूप से सही मानेंगे। विकास शुल्क ले लिया, फायर बिग्रेड शुल्क ले लिया। मैं ही यह बात नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने स्वयं ने हाउसिंग बोर्ड के मकानात कैसे है उन सबका चित्रण, आपने कहीं पर उद्‌घाटन भाषण था, उसमें आपने मेरे से भी ज्यादा हाउसिंग बोर्ड की बुराई की है। इसलिए आप निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड की वर्किंग को ठीक करेंगे। जे. डी. ए. को ठीक करेंगे। जे. डी. ए. तो जयपुर शहर के लिए अभिशाप है।

मेरा तो आपसे कहना है कि इस जे. डी. ए. को आप भंग कर दें। इस जे. डी. ए. का एक भी आदमी पक्षधर नहीं है। मैं आपसे यदि पूछूं यहां पर आप मुख्य मन्त्री हैं यहां पर जितने एम. एल ए. हैं, जयपुर के प्रत्येक नागरिक से आप वोट डलवा लीजिएगा। एक भी व्यक्ति जे. डी. ए. के पक्ष में नहीं होगा। सब कहेंगे यह जे. डी. ए. जयपुर डुबोओ एसोशिएशन है। यह जे. डी. ए. वाले लूट के खा रहे हैं। इसको भंग करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अंत में, मैं आपसे वन विभाग की मांग पर निवेदन करना चाहूंगा। आज राजस्थान में कुल कितने वन हैं ? 9.2 प्रतिशत वन हैं यह आप कहते हैं। लेकिन आपका हैदराबाद स्थित भारत सरकार का संस्थान है, नेशनल रिमोट सेंसिग एजेंसी उसके द्वारा जो सेटेलाइट चित्र लिये गये उसमें कहा गया 8.7 प्रतिशत। फिर आपने कहा कि राज्य सरकार ने तो वनों का कोई सर्वे नहीं कराया। अब आप करते हैं कि सर्वे तो करवायेंगे नहीं। देहरादून स्थिति भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपगृह से प्राप्त चित्रों के आधार पर सम्पूर्ण भारत का राष्ट्रीय वनस्पति मानचित्र तैयार किया जा रहा है। उस राष्ट्रीय वनस्पति मानचित्र तैयार हो जाने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में कित्ते प्रतिशत वन हैं। इससे बढ़कर के और अफसोस की बात क्या होगी ? यहां पर घोषणा की गयी थी कि नाहरगढ़-जयगढ़ मार्ग पर वृक्षारोपण किया जायेगा। मैं तो चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, यदि आप मुझे अनुमति दें तो प्रत्येक एम. एल. ए. को परिवार सहित नाहरगढ़-जयगढ़ पर भोजन भी कराना चाहता हूं, पर आप कोई डेट तो तय करें। पता नहीं फिर अगली बार कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। उस नाहरगढ़-जयगढ़ पर मेरे खर्चे पर, जो कुछ मुझ को वेतन मिलता है, उसमें से खर्च करने को तैयार हूं, मुझे खुशी होगी। लेकिन आप पहल तो करें। उस नाहरगढ़-जयगढ़ पर वृक्षारोपण हुआ नहीं है। क्षेत्रों में सौंदर्यकरण किया जायेगा वह हुआ नहीं है। आज यदि आप वहां से रात्रि को उतरें तो मैं कहता हूं कि माउण्ट आबू भी कुछ नहीं है। उस पर वृक्षारोपण हुआ नहीं। आपने नाहरगढ़-जयगढ़ पर हरिण अभ्यारण की बात कही थी वह हुआ नहीं। झालाना पहाड़ी के निकट झालाना में पार्क बनेगा। वह कैसा पार्क बनेगा, विश्व वानिकी उद्यान। देश की विभिन्न प्रजातियों के पौधे होंगे और यह योजना बनायी थी 1986 में....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर।

सभापति जी, 30 लाख रुपये उस पर खर्च होंगे। आप बताइये जयपुर शहर की सारी पहाड़ियां नंगी हो गयी। सारा हरा भरा नजर आता था और अब आप यहीं से बाहर देख लें, सब पहाड़ ही पहाड़, सब भाटे निकले हुए हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि आप इसको हरा भरा करें। जयपुर शहर हरा-भरा है। चारों तरफ पहाड़ी हैं। वृक्ष उद्यान में न केवल नैसर्गिक सौंदर्य का दिग्दर्शन करायेगा, बल्कि जल स्त्रोतों में निरन्तर बहाव करेगा और यदि यह उद्यान बनेगा तो छात्रों अध्यापकों के लिए, वनस्पति विशेषज्ञों के लिए, उपयोगी होगा इसमें राजस्थान की वनस्पति होगी। अन्य देशों के वृक्ष लगाये जायेंगे। निर्गुट राष्ट्र जो होंगे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा सारा कहना यह है कि यदि यह वृक्ष उद्यान बन जाये, माननीय सभापति महोदय, तो यह देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बनेगा। आपको ध्यान है पूरे प्रदेश में, जो झालाना में वृक्ष उद्यान बनाने वाले हैं, उसका कहीं पर भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मुकाबला नहीं है। अन्त में मुझे यही निवेदन करना है कि आप इनको हरा भरा करें और सब प्रकार से जयपुर शहर सर्व-सुखी हो, सब प्रकार का काम हो, क्योंकि आखिरकार सब विधान सभा के सदस्य भी यहीं पर आते हैं।

जयपुर राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी है। इस गुलाबी नगरी का जो रंग हो रहा है, पर्यटन विभाग ने मुझे उत्तर दिया था कि हर विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष जयपुर के बाजारों में गुलाबी रंग करायेंगे। अब यह गुलाबी रंग कहां है ? कैसा रंग कराया ? किरमिची रंग।

सही मायने में जो गुलाबी रंग है वह बाजार में हुआ नहीं। दरवाजे में अतिक्रमण हो रहा है, रेड लाइट दरवाजे पर लग जायेगी, वह हुआ नहीं। इसलिए जयपुर शहर जो गुलाबी नगरी है, राजस्थान की राजधानी है उसके अनुरूप आप करेंगे।

अन्त में मैं मानवीय समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको यदि यही हो कि यहां विधान सभा के लोग आयें, प्रदर्शन करें, तो मैं प्रयास करूंगा जन मानस जगा करके कच्ची बस्ती के बारे में आपने कोई घोषणा नहीं करी। आपके पूर्व मुख्य मंत्री सन् 1985 में घोषणा कर गये थे। इसलिये मेरा निवेदन करना है सन् 1985 की बात नहीं है, 1985 में सर्वे हुआ नहीं। आज जो कच्ची बस्ती में व्यक्ति बैठा हुआ है, उस बैठे हुये व्यक्ति का काम पूरा का पूरा सर्वे कर लेंगे, होना यह चाहिए। परन्तु हो यह रहा है कि आपने जितने लोगों को मकानात दिये, उनको आपने आवंटन तो दे दिये, कब्जे नहीं दिये। कच्ची बस्तियों की नारकीय स्थिति हो रही है, वह लोग दुखी हैं, सड़कें टूट गई हैं, नालियां टूट गई हैं। इसलिये आज जो कच्ची बस्ती का सर्वे करें उनको वहीं पर बिठायें या अन्यत्र कहीं पर अच्छी जगह, हाउसिंग बोर्ड जो योजना बना रहा है या जे. डी. ए. योजना बना रहा है, उसके बीच में उन लोगों को भी बिठाया जाये और रास्तों का सर्वे किया जाये, यही मुझे आपसे मांग करनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह। (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीनारायण जी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय सभापति जी, विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा चल रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, इस राज्य में धन कमाने के सोर्सेज बहुत हैं लेकिन हो क्या रहा है कि इस धन के आने में भी चोरी है और खर्च करने में भी चोरी है। मैं आपको मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण बताता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये, तीन तीन लाख रुपये जो लोगों के डकार गये उनको उस जगह लगा दिया। माननीय सभापति जी, पंचायत समिति सांभर में एक हुडको योजना चली और हुडको योजना में 175 व्यक्तियों को कर्जा दिया गया और भारत सरकार की हुडको योजना में 275 को कर्जा दिया गया तीन-तीन हजार रुपये। और उस कर्जे को पूरे के पूरे को लोग

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

डकार गये। और डकारने के विषय में हमने जांच कराई, उसका यहां विधान सभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया, और उसका जो जवाब मुझे मिला है वह आप सुनिये। राज्य सरकार ने मुझे जवाब दिया है जांच में ऋणियों के साथ धोखा हुआ है, उनसे पूरे तीन हजार रुपये की राशि नकद प्राप्त करने की रसीद पर हस्ताक्षर, निशानी कराई गई जिन्हें सरपंचों द्वारा प्रमाणित किया गया। जबकि मात्र 700 रुपये नकद दिये गये हैं एवं अधिक से अधिक 12 सौ रुपये कीमत की पाटोल इस प्रकार प्रति ऋणी एक हजार रुपये का घपला प्रतीत होता है। सभी ऋणियों ने पाटोल, कमजोर होने के कारण और उनके कभी भी टूटने की सम्भावना होने के कारण हटा दी है और दूसरे कामों में इन पत्थरों को ले लिया गया है। विकास अधिकारी सर–पंच गण के पत्रों की गुणात्मकता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों के साथ धोखा किया गया है, यह प्रतीत होता है। कलक्टर जयपुर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रति पाटोल में लगभग एक हजार रुपये का घपला हुआ है जिसमें विकास अधिकारी, प्रधान गण एवं नौ सरपंच संयुक्त रूप से इस मामले में दोषी पाये गये हैं। कलक्टर जयपुर के उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र राज्य सरकार को दिनांक 1-11-87 को प्राप्त हुये हैं जिन पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।" यह मेरी रिपोर्ट और जांच अधिकारी की नहीं है, राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया है विधान सभा में उसी की है। मैं माननीय सभापति जी, पंचायत राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया, हमने यह कहा कि आप जिन ऋणियों को कर्ज के पैसे दिये हैं, उनके लोग पैसे खा गये और उनसे आप जबरन वसूली करते हो, कम से कम उन पर तो स्थगन आदेश दें।

माननीय सभापति जी, उस समय पंचायत राज्य मंत्री बाकोलिया जी थे उन्होंने यह कहा था कि ऋण वसूली नहीं होगी जब तक उन घोटालों की जांच पूरी हो जाय। यह उनसे वसूल की जायेगी जिन्होंने पैसा खा लिया। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि जिन व्यक्तियों ने, जिस विकास अधिकारी ने, जो पैसे खाये, तीन लाख दो सौ पिचहत्तर रुपये, जो पाटोल थी उनमें से प्रति पाटोल एक हजार के हिसाब से 2 लाख और 75 हजार रुपये का गबन करने वाले विकास अधिकारी को अब राज्य सरकार ने वापस पंचायत समिति सांभर में लगाया और वह माननीय मुख्य मंत्री ने लगाया स्वयं ने लाकर। इसीलिए लगाया गया है कि कांग्रेस की छवि उज्जवल कराने के लिए डण्डे मार मार कर हरिजनों से पैसे वसूल किये जायें। जिन्होंने पैसे खा लिये हैं, जिन्होंने तीन लाख रुपये का गबन कर दिया उस विकास अधिकारी को वहां पंचायत समिति सांभर में लगा कर उन गरीबों से वसूल कराने की कार्यवाही करने को उसको वापस लगाया। कुछ दिनों पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा जब उसको वापस हटाने की कार्यवाही पंचायत मंत्री जी ने की तो तत्काल हाई कोर्ट से स्टे आ गया और उन्हीं पंचायत मंत्री जी ने उसको पंचायत समिति सांभर में लगा दिया।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

इसी प्रकार से यह सरकार अपने आप चला कर इस प्रकार के घपले कराती है।

इस सरकार ने जो मुखर्जी कमेटी बनाई थी उसमें पंचायत और नगर पालिकाओं का पुनर्गठन किया था, इसमें सरकारी ठप्पा लगा होगा, अनायास लोगों का दिमाग इस पर लगा है, पंचायतों के पुर्नगठन के लिये गजट नोटिफिकेशन गये, हजारों ग्राम पंचायतें नई बना कर सरकार वाह-वाही ले रही थी। आज कहां गई वह मुखर्जी कमेटी ? आज कहां गई वह छोटी-छोटी पंचायतें बनाने वाली ? कहां गई, जो छोटी नगरपालिका घाटे में चल रही थी, उनको तोड़ने की बात ? लेकिन यह सरकार सिर्फ वाह-वाही लूटने के लिए कार्यवाही करती है और गरीब को फायदा देने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं एक उदाहरण बताता हूं कि इसी दरमियान किशनगढ़ रेनवाल जो नगर पालिका है, जिसमें 48 वर्ग कि. मी. में नगर पालिका बना दी गई, उसके लिए 2 जुलाई, 1986 को नगर पालिका अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (ए) के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन किया उनको पुनः पंचायत बना दी जायेगी और माननीय सभापति जी, 2 जुलाई, 1986 को तो यह जारी हुआ और तीन तारीख को वहां रेनवाल में मीटिंग रखी गई और मीटिंग में गजट नोटिफिकेशन को बांटा गया। कौन बांटने वाले हैं ? माननीय कृषि मंत्री श्रीमती कमला जी, पंचायत मंत्री श्री भैरूंलाल जी भारद्वाज, और टौंक के सांसद माननीय बनवारी लाल जी बैरवा, जयकिशन जी तोसावड़ा और शिवरामजी शर्मा। इन्होंने वहां ढोल पिटा कर और 6 हजार की मालायें और पहनी कि हम पंचायत बना देंगे। घोषणा कर दी उसके बाद भी यह नगर पालिका पंचायत नहीं बनी। माननीय सभापति जी, यह तो मन्त्री थे। इनके अलावा वहां दूसरी घोषणा किसने की, माननीय मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी ने की। ये तो मंत्री थे और एम. एल. ए. थे, इन्होंने की होगी, तो पार नहीं पड़ी होगी। दूसरी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की, वह भी प्रेस रिपोर्टरों को, यूं, किसी के आश्वासन नहीं। यह उनकी घोषणा है जो पढ़ कर बताता हूं :

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : "राजोस्थान सरकार, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय। किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका ग्राम पंचायत बनाई जायेगी। जयपुर, 29 अक्टूबर। जयपुर जिले की किशनगढ़ रेनवाल नगरपालिका को ग्राम पंचायत में परिवर्तन किया जायेगा। मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी ने यह आश्वासन विधायक लक्ष्मीनारायण किसान को दिया।"

माननीय सभापति जी, किसकी घोषणा मानें, मंत्री जी की घोषणा कोई कामयाब नहीं, मुख्य मंत्री जी की घोषणा कामयाब नहीं, तो इस सरकार पर किस पर भरोसा किया जाए कि आज जो घोषणायें की हैं उनका क्या होगा।

आपने ग्राम पंचायतों के लिए जितना-राजस्व वसूली वह करेगी वह ग्राम पंचायत

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

को देने के लिए कल घोषणा की है। माननीय सभापति जी, इससे क्या होगा ? इससे सरपंचों की पिटाई होगी, सरपंचों की बेइज्जती होगी, उस राजस्व का जितना लगान आयेगा वह वसूली होना बन्द हो जायेगा गांवों में और उन ग्राम पंचायतों के सरपंच पटवारी साथ लेकर जायेंगे, वह आय पंचायत को होगी। वह उसको साथ लेकर जायेगा तो लोग उसके धक्के देंगे कि यह सरपंच पंचायत के लिए लगान वसूल करता है। तो इस प्रकार उनकी हालत बिगड़ेगी। आप तो इस प्रकार वाह-वाही लेना चाहते हो, इससे सरपंचों की और जन प्रतिनिधियों की बेइज्जती होगी। जो आप ढाई रुपये देते थे वह सीधे उसको मिल तो जाते थे और आज आपने जो चार रुपये और लगान की बात की है तो न तो रुपये आयेंगे और उन पंचायतों की दुर्दशा होगी। आज आप अधिकार देने की और मदद देने की बात कह रहे हो, इसका नतीजा आप दो साल बाद में देखना सारे सरपंच ऊंचे हाथ कर लेंगे और आपके पास रोते-रोते आयेंगे कि यह हमारे साथ क्या धोखा किया। इसी प्रकार माननीय सभापति जी....

श्री माणक डाणी : यह पंचायतों में जो देने की बात है, उसके आप विरोध में हो क्या ?

श्री सभापति : माननीय डाणी जी बैठें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं आयेगा, अगर पैसा आपको देना था, चार रुपये प्रति व्यक्ति राज्य सरकार से सीधी राशि देनी चाहिए थी। वह सरपंच+++पटवारी के पीछे पीछे जैसे चपरासी घूमता है वैसे घूमता फिरेगा वसूल करवाने के लिये और लोग धक्के देंगे उसके....वह पटवारी जब जमा करायेगा तब वसूली होगी।

श्री मदन महाराजा : राज्य सरकार की घोषणा से यह भयभीत हैं.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्री का भाषण नहीं सुना क्या आपने ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री मदन महाराजा : राज्य सरकार की घोषणा से यह भयभीत हैं, इसलिए इनका यह मानना है कि....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : तो गांव का पैसा गाव में ही आना होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : यह धारणा है कि यह पैसा पंचायत को आयेगा, इसलिए वह पैसा वसूल नहीं होता है।

श्री पोकरलाल परिहार : पूरी जानकारी प्राप्त करो, यह वसूली करने का काम पटवारी करेगा... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है, पटवारी वसूली

+++ अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

करेगा लेकिन यह वसूली नहीं होगी, तहसीलदार और अधिकारी यह कहेंगे कि सरपंच है। मुझे जानकारी सारी है, मैं भी सरपंच रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : यह तो पंचायत राज्य मंत्री जी की धारणा बता रहे हैं क्योंकि उनके मित्र हैं। यह हालत होने वाली है।

श्री पोकरलाल परिहार : जब मुख्य मंत्री जी ने बात कही थी, उस समय माननीय सदस्य सदन में नहीं थे, इसलिए इनकी जानकारी में नहीं है। यह वसूलियां पटवारी द्वारा की जायेंगी, पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यह नोट करें। (व्यवधान)

श्री नवनीतलाल नीनामा : सरपंच सस्पैण्ड कर सकेंगे, एस. डी. एम. कोर्ट आज सस्पैण्ड करने का दम रखते हैं, तो वसूली.... (व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार : पटवारी तहसील के अण्डर में ही रहेगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : सभापति जी, मैं एक और निवेदन करता हूं। जैसे आपने सन् 1974 में कांग्रेस का नरोरा अधिवेशन करके एक ऐसा आदेश जारी किया कि गरीब को पट्टा दिया जायेगा, मैं उस समय के हालात बताता हूं और उस समय के आदेश हैं मेरे पास। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, राजस्व अभियान आपने अभी बनाया है, इसलिए उसमें गलती हुई है। राज्य सरकार ने उस समय गरीब को पट्टे देने के लिए तय किया था और यह आदेश जारी किये थे कि सब जगह गरीबों को पट्टा दिया जाये। वह पड़त आबादी भूमि, पड़त सिवाय चक और यदि इसमें भूमि उपलब्ध नहीं हो तो, गोचर भूमि और फिर जंगलात की भूमि इस हेतु कन्वर्शन करके आवंटन करने के लिये कार्यवाही करें। इसलिए पड़त, सिवाय चक और गोचर व जंगलात की भूमि रूपान्तरण करने के अधिकार तहसीलदारों को प्रदत्त कर दिये गये हैं। सभापति जी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय अनाप शनाप–दुनियां भर के पट्टे दे दिये हैं और गोचर में भी दे दिये, सिवाय चक में भी दे दिये और एग्रीकल्चर लैण्ड में भी दे दिये। लेकिन वह पट्टे तो दे दिये गए हैं और अब तक वह जमीन जो गोचर थी वह गोचर ही पड़ी है। उसमें तहसीलदार को पावर दिये थे। वह पट्टा देने की वाह वाही तो लूट ली लेकिन किसी ने भी उस जमीन को आज तक परिवर्तन नहीं किया और यह हालात गांव-गांव में हैं, आप कहीं भी तलाश कर लें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से उनको परिवर्तन करना चाहिए, मूल जो जमीन खातेदारी थी उसमें उनको परिवर्तन करना चाहिए।

इसके साथ मैं एक और निवेदन करूं, सभापति जी। राजस्थान में राजस्व ग्राम घोषित किये हैं और उनकी बहुत बड़ी संख्या है। आपने राजस्व ग्राम घोषित करके वाहवाही तो लूट ली लेकिन अब तक भी बिजली की जो प्रायोरिटी है, किसी भी जगह गांवों में उनको अलग न करके उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी है।

एक मेरा निवेदन और है, किसानों के लिये आज धरती में पानी भी खतम हो

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

गया, काश्तकार अपने खेत में पानी कम हो गया तो कहीं भी जाकर कुंआ बनाना चाहता है। कुंआ बनाने के लिये अगर कोई जमीन नहीं मिले तो वह आबादी में, अगर मीठा पानी हो, तो वहां जाकर बनाना चाहता है। आपने आबादी का दो बीघा बिस्वा भी खातेदारी देने का कहीं प्रावधान नहीं किया। मैंने कई बार प्रस्ताव दिये हैं तो कहा कि प्रस्ताव हैं, लेकिन कहीं भी आपने कर नहीं रखा। अभी मैंने फिर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है जिसमें आपने जवाब दिया है कि पंचायत स्तर से पट्टा देने का प्रावधान किया जा सकता है। पट्टे के आधार पर विद्युत विभाग को विद्युत कनेक्शन दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार का उत्तर गलत है कि विद्युत विभाग आदेश जारी कर दे कि पंचायत जो पट्टा देगी उसके आधार पर उसको कनेक्शन दे दिया जायगा। लेकुना जो है आपने कर रखा है और गांव गांव में किसान परेशान होते हैं, लोग परेशानी में पड़े हुए हैं।

दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग में जितनी जमीन किसानों की आप लेते हो, आज भी मेरे पास इन्फार्मेशन है....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

माननीय श्री रामधन जी मीणा।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : पैसा नहीं देते हो आप उनका, पैसा नहीं देने से किसान परेशान हैं। सड़कें बन गयी, जमीन अवाप्त कर ली, लेकिन उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो सरकार यह आदेश जारी करे।

इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने यह तय किया कि राजस्थान में और देश में कर्जे माफ किये जायेंगे दस हजार तक। और हमने इसलिए किया कि, हमने जो अभी उदाहरण बताया आपको, इन कर्जों का और पिछले जो कर्जे दिये गये हैं उनका किसी प्रकार सदुपयोग नहीं हुआ है। कहीं लोग बीच में खा गये, कहीं उनको उद्योगों के बराबर सुविधा नहीं मिली। इसलिए हमने यह तय किया है कि यह जो कर्जे हैं पिछले अभी मैं बता रहा था कि तीन लाख रुपये एक ही आदमी खा गया और वह हुडको का कर्जा था। अब आप बतायें वह कर्जे देंगे कहां से? कर्जा माफ कराने की बात हो रही है उसमें देंगे कहां से? मिला ही नहीं उनको तो कर्जा, लोग बीच में खा गये। इसलिए हमारी जो नीति है उसमें यह है कि दस हजार तक है कर्जे रखने का जो प्रावधान नहीं किया है वह करना चाहिए। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामधन मीणा।

श्री रामधन मीणा (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं कृषि, शिक्षा, पशुपालन सिंचाई और बिजली के ऊपर, जिससे कि राजस्थान की 90 प्रतिशत जनता का जन-जीवन जुड़ा है, इस पर चर्चा करूंगा।

सभापति महोदय, कृषि की पैदावार ज्यादातर या तो कुओं से होती है या बरसात से होती है। किन्तु लगातार चार-पांच साल से बरसात कम होने की वजह से कृषि के क्षेत्र में जिन काश्तकारों के पास में नहर और कुंओं का साधन नहीं है, आपको जानकारी है, वह काफी परेशान रहे हैं।

(श्री रामधन मीणा)

मेरा इसमें एक सुझाव है । पिछली बार माननीय मंत्री महोदय ने एक सुझाव दिया था कि जहां भी बरसात का पानी बहकर जाता है वहां छोटे बांध या एनीकट ज्यादा से ज्यादा बनाये जायें तो कुओं का जल स्तर ऊंचा हो जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एनीकट और बांध बनाये जायें ताकि कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी हो ।

कृषि के सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा कि बाजरा की पैदावर नवम्बर दिसम्बर में हो जाती है और जिस समय बाजरे की बुवाई होती है तो काश्तकार बोने के लिये तैयार होता है, जब बीज पहुंचता है । उस समय काश्तकार किसी भी प्राइवेट दुकान से खरीद करके बोता है जिसका फल अच्छा नहीं होता है । मैं एक सुझाव दूंगा कि नवम्बर दिसम्बर में जब बाजरा का बीज पैदा हो जाता है तो चाहे सोसायटी की दुकान हो, चाहे पंचायत के जरिये, जैसे भी जहां पहुंचा है, काश्तकार के पास में बीज पहुंच जाना चाहिए ।

इसी प्रकार गेहूं का बीज भी समय पर नहीं मिलता है। समय से तीन महीने पूर्व सोसायटी या किसी एप्रूव्ड कृषि की दुकान पर बीज पहुंच जाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है ।

(7.00 सायं)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में राजस्थान सरकार लगातार प्रगति करती जा रही है। इस साल तो और भी ज्यादा बिजली के कनेक्शन गांवों में देने का रखा है। किन्तु हर साल सरकार बिजली के सम्बन्ध में नुकसान बताती रही है। नुकसान क्यों होता है इसकी गहराई में जाकर जानकारी नहीं की । महोदय, आप गांवों में जायं तो देख लेना, जहां सीमेण्ट का खम्भा है, एक खम्भा गड़ा हुआ होगा तो दूसरा टूटा पड़ा होगा । इस अनुपात से आप लगा लें कितने खम्भे टूटे हुए हैं। मैं आपको वायदे के साथ कहता हूं कि जितने खम्भे गड़े हुए हैं उतने टूटे हुए पड़े हैं। गांवों के अन्दर कनेक्शन पहुंच गये, हर काश्तकार ने, हर व्यक्ति ने घरों में बिजली ले रखी है लेकिन उनको मीटर नहीं दिये हैं। मीटर नहीं दिये तो चोरी हो रही है। चोरी के फलस्वरूप राजस्थान बिजली बोर्ड नुकसान में जा रहा है। मेरा इसमें एक अनुरोध है कि जिस गांव में बिजली पहुंच जाय, हर घर को मीटर दे देना चाहिए और चार्जेज फिक्स कर देना चाहिए ताकि बिजली बोर्ड को नुकसान नहीं हो । खम्भे बन कर तैयार होते हैं उन पर यह पाबन्दी लगायी जानी चाहिए; ऐसा मैटीरियल लगाया जाना चाहिए कि खम्भा टूटे नहीं। यदि चोरी और बर्बादी दोनों पर सरकार ने ध्यान रख कर कण्ट्रोल किया तो विश्वास के साथ कहता हूं कि बिजली बोर्ड नुकसान में नहीं जायेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थान सरकार ने आजादी के बाद इतनी प्रगति की है कि जिसे कहा नहीं जा सकता । जहां गांव में कागज बांचने वाला नहीं था कोई वहां

(श्री रामधन मीणा)

आज हर घर में कागज बांचने वाला हो गया है। वहां केवल शहरों में स्कूल होता था वहां आज गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में स्कूल हो गया है। किन्तु एक सुझाव आपके माध्यम से सरकार को है। जहां प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं वहां एक अध्यापक लगाया गया है। एक अध्यापक यदि छुट्टी पर चला जाता है तो बन्द हो जाता है स्कूल और बच्चे बाहर डोलते रहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ढाणियों में, छोटे गांवों में या गांवों में स्कूलों में अनिवार्यतः दो अध्यापक लगाये जायं। चाहे और कहीं से कटौती कर ली जाय लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर बजट का पैसा खर्च किया जाय, मेरा सरकार से यह अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान में जितनी जनसंख्या है उतनी संख्या पशुओं की है। काश्तकार के पास आमदनी का साधन कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर पशु है। सरकार ने हर गांव में, हर पंचायत में, हर पंचायत हैडक्वार्टर पर पांच किलोमीटर पर, तीन किलोमीटर पर हॉस्पिटल खोल रखा है वह चाहे एड पोस्ट हो, चाहे सब सैण्टर हो, चाहे डिस्पैंसरी हो, चाहे आयुर्वेदिक औषधालय हो पर पशुओं के लिए 20-20 किलोमीटर तक औषधालय की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार मनुष्यों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की है उसी प्रकार पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की जाय, कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर पर पशुओं का एक दवाखाना अवश्य खोल दिया जाय। बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवचरण सिंह जी।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, भूतपूर्व रियासतों के विलीनीकरण के समय चाहे भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के आमोद-प्रमोद के लिए, चाहे जंगल में शिकार के लिए लेकिन राजाओं को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने वन की रक्षा की। राजस्थान बनने के पश्चात् जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ 1947 में तब राजस्थान की कुल भौगोलिक सरफेस 2,42,271 स्क्वायर किलोमीटर में 52580 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र था। रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् 1954-55 में वन घट कर 41557 स्क्वायर किलोमीटर रह गये। एकदम 16 पर्सेण्ट से 12 पर्सेण्ट हो गये राजस्थान बनने के पश्चात् 1947 से 1954 तक। आज यह स्थिति है, सरकारी आंकड़ा है कि 9 प्रतिशत वन हमारे यहां बचे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की पुराने जमाने की संस्कृति में जायं तो घर में बैठे रहने वाले इस तरफ के और उस तरफ के सदस्य, चाहे आफिसर्स गैलेरी में बैठे हुए आफिसर्स, सभी तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं और केले की पूजा करते हैं। लेकिन वनों का जिस रफ्तार से विनाश हुआ है इस देश के अन्दर उस बारे में किसी ने कभी कल्पना नहीं की कि कुदरत इस बात की सजा देगी कि नहीं देगी। हमारी हिन्दू माइथोलोजी में वृक्ष की क्या महिमा थी, क्या उसकी इम्पार्टेंस

(श्री शिवचरण सिंह)

थी, चाहे वह हाइजीनिक हो, चाहे वह पोल्यूशन के पाइण्ट आफ व्यू से हो, चाहे आमोद–प्रमोद के लिए हो, चाहे वह शिकार खेलने के लिए हो। हमारे राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार वनों का विनाश हुआ है देश के किसी भाग में नहीं हुआ। राजस्थान को वनों की बड़ी भारी जरूरत थी लेकिन हमारे राजस्थान में वनों की रक्षा नहीं की गयी, द्रुत गति से सरकार ने वनों की कटाई का कार्यक्रम चालू रखा जो आज तक चालू है। माननीय उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार की सिफारिश है कि देश को अगर पोल्यूशन और रेगिस्तान से बचाना है, तो हमारे देश के अन्दर 32 प्रतिशत वन होने चाहिये। आज हमारे राज की क्या दशा है ? इसी सैशन में, राज्य सरकार ने एक उत्तर दिया है, उस उत्तर को मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। राज्य में 1954-55 से 1986-87 तक वन क्षेत्र के प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर है। वन क्षेत्र में कमी होने का मुख्य कारण नहरों एवं बांधों के निर्माण के कारण वन भूमि मुक्त करना, वन क्षेत्र में खनन कार्य, सड़क निर्माण, अतिक्रमण एवं कृषि हेतु वन भूमि का आवंटन है। यह तारीख 30.6.1989 को राज्य सरकार ने उत्तर दिया है। इन्दिरा गांधी की जय बोलने वाले लोगों, 1980 में जिस इन्दिरा गांधी ने फारेस्ट कनर्वेशन एक्ट बनाया था उसकी क्या मंशा थी ? हे इन्दिरा गांधी की जय बोलने वालों, क्या आपने कानून की अनुपालना की है या उसका विनाश किया है ? इस देश को कहां ले जाना चाहते हो ? इन्दिरा गांधी चाहे सैर–सपाटा करने गयीं लेकिन देहरादून वैली में जब उसने देखा वनों का विनाश....

श्री पोकरलाल परिहार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री शिवचरण सिंह : महोदय, बिराजिये आप। सत्यानाश तो कर दिया। मैं इन्दिरा गांधी की तारीफ कर रहा हूं। उनकी आत्मा से बनने वाले कानून का किस दुर्गति से आप लोगों ने सत्यानाश किया है। मुख्य मंत्री चाहे हरिदेव जोशी हों, चाहे शिवचरण माथुर हों, चाहे जगन्नाथ पहाड़िया हों, इस पिछले दशक के अन्दर जिस कदर वनों का विनाश हुआ देश के किसी भाग में नहीं हुआ। किया किसने ? आपके राज का जवाब है, जवाब देने वाले मंत्री के कान खींचते। (व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार : जनता राज ने कितने वन लगाये ?

श्री शिवचरण सिंह : जनता राज ने किया है मैं बताता हूं अभी आपको, अपने ऐबों को सुनना चाहिये और दुरूस्त करना चाहिये, जनता राज ने ढाई वर्ष चाहे वनों का नाश किया लेकिन आप 37 वर्षों में क्या कर पाये हैं ? ढाई वर्ष अगर जनता पार्टी ने वनों का नाश किया तो वह भी दोष के भागी हैं लेकिन 37 वर्षों तक आपको वनों का सर्वनाश करने का कोई अधिकार नहीं था....(व्यवधान)

श्री विजयसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। No need of you. Not to be recorded.

श्री विजयसिंह : ×××

श्री शिवचरण सिंह : सैर सपाटा बुरा नहीं है, आप सैर सपाटे शब्द का मायना नहीं समझते हैं।

श्री विजयसिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

श्री शिवचरण सिंह : सैर सपाटा बुरा नहीं है। बुरा तो यह जो रणथम्भोर अभयारण्य में हुआ है कल इंगलैण्ड की लेडी के साथ, आपकी पार्टी के नेता ने रेप किया है यह बुरा है सैर सपाटा बुरा नहीं है। जो बुरा काम करने वाले लोग हैं, कौनसे अभयारण्य की बात बताऊं, अलवर की बताऊं, आपके सवाई माधोपुर की बताऊं, भरतपुर की बताऊं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरणसिंह जी।

श्री शिवचरण सिंह : मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं वरना माननीय सदस्य के पास जो वन हैं वहां की भी है मेरे पास में, नहीं जाना चाहता हूं मैं केवल यह चाहता हूं कि वनों की रक्षा कैसे हो, कौनसा चीफ मिनिस्टर है जिसने फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट का वायोलेशन नहीं किया।

मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के तहत राज्य सरकार ने भारत सरकार से किसी मामले में चाहे सड़क बनवाने की बात हो, बन बनवाने की बात हो कोई परमिशन नहीं ली। यह सारे अधिकारीगण बैठे हैं, यह आई.ए.एस. कैडर के हैं। भारत सरकार का जो कानून है इनका सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि भारत सरकार के कानूनों की अनुपालना हो लेकिन इनकी निजी पोस्टिंग च्वाइस पोस्टिंग के लालच में कोई अधिकारीगण एतराज नहीं करते हैं, फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट का किस बुरी तरह से राज्य के अन्दर उल्लंघन हुआ है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैण्ट दिया था कि जिसमें फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट का माइन्स के बारे में विवरण था। माइन्स सैक्रेटरी उस जमाने में हुआ करते थे माननीय मजीठिया। उन्होंने व्यू लिया माइन्स की तरफ, फोरेस्ट की तरफ नहीं लिया। अभी अगस्त, 1988 के अन्दर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैण्ट दिया, अनुपालना नहीं करते सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जेब में रखा है, कानून-कायदे भी इनकी जेब में रखे हैं लेकिन चाहिये मिनिस्टर को भ्रष्टाचार करने के लिये। 1980 के पश्चात् मैं बताना चाहता हूं मेरे अकेले के क्षेत्र में 134 वन क्षेत्र के अन्दर लीजेज दी इन्होंने, सारे राजस्थान के अन्दर ढाई हजार लीजेज दी हैं वन क्षेत्रों के अन्दर। कौन देता है, कौन गलत काम करता है? सारी लीजेज में रिश्वत खायी है, बगैर रिश्वत के कोई नहीं दी। तो किसी क्षेत्र में लीज देने का कोई अधिकार नहीं है।

मेरे से पूर्व माननीय सदस्य जो सांगोद से आये हैं वह बता रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं अलवर सैन्चुरी एरिया में, एक तरफ सैन्चुरी के लिये करोड़ों रुपया भारत सरकार से लाते हैं और सैन्चुरी का बहुत बड़ा

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवचरण सिंह)

भारी महत्व बताते हैं, अलवर सैंक्चुरी एरिया में लीज किसने दी, कौन ने दी है, कौन करेगा ? मैंने एक बार हरिदेव जोशी पर चार्ज लगाया था, उन्होंने कहा कि कोर्ट में चले जायं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई नागरिक, कोई जन-प्रतिनिधि कानून की रक्षा के लिये, एक केस के लिये कोर्ट में नहीं जा सकता है। यह राज्य का कर्तव्य था, मैंने जो चार्जेज लगाये होम मिनिस्टर के यहां फाइल भेजी, कितनी फाइलों पर निर्णय हुये ? चारों तरफ भ्रष्टाचार का वातावरण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पिछले 20 सालों के अन्दर टोटल जो इन्होंने आंकड़े दिये हैं, 38 करोड़ पेड़ों के आंकड़े दिये हैं। मैं रोड साइड के प्लान्टेशन की बात तो नहीं करता जो इन मंत्रियों और इन अधिकारियों को धोखा देने के लिये लगाये हैं, रोड साइड पर प्लान्टेशन में कुछ पेड़ जीवित हैं। 38 करोड़ पेड़ों में से इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट दी है कि 20 पर्सेन्ट कैजुअल्टी हुई है, 20 पर्सेन्ट कैजुअल्टी होने के पश्चात् भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके आंकड़ों के अनुसार टोटल प्लान्टेशन हुआ है, 29 करोड़ पेड़ होने चाहिये थे। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं और सरकार को चैलेन्ज करना चाहता हूं कि जिस जिस जगह इन्होंने वन लगाये हैं, वनों के जो हुप्स बनाये हैं, वनों के जो क्षेत्र लगाये हैं, प्लान्टेशन किया है उनमें अगर 29 पर्सेन्ट पेड़ जीवित हों, गंगानगर एरिया की बात नहीं करता, हो सकता है कि प्राकृतिक पेड़ हो रहे हों और उनको यह गिन रहे हों लेकिन इनके लगाये हुये पेड़ कहीं नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा स्वयं का जो क्षेत्र है वह पूरा वन क्षेत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका जो व्यापार मण्डल है उस व्यापार मण्डल वालों ने लकड़ी काटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट इनको फोरेस्ट डिमांस्ट्रेशन की इजाजत देता है ? नहीं देता है लेकिन यह इस कानून के रखवाले, मैं इस सदन के माध्यम से, भारत सरकार को यह कह देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और गलत काम और गैर कानूनी तरीके से चलाने वाली राज्य सरकार को भारत सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहिये और फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट की अनुपालना के लिये उनको सेपरेट व्यवस्था करनी चाहिये।

अभी इसी साल हम कर्नाटक गये, हम आन्ध्र प्रदेश गये और वहां के फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के लोगों को हमने एस्टीमेट कमेटी में एग्जामिन किया, मौके पर जाकर हमने उनकी प्रगति देखी। वहां की हालत को देखकर जो हमारे यहां हालत देखते हैं तो हमको रोना आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के लोगों को जितना स्वयं के एरिया में पेड़ लगाने का प्लान और नान-प्लान का जितना काम है क्या वह काम करते हैं ? एक फोरेस्टर को 100 किलोमीटर क्षेत्र के वन में लगा दीजिये वह सारे वन को समाप्त कर देगा, एक रेन्जर को लगा दीजिये यह हालत फोरेस्ट के रेन्जर की, सी.सी.एफ.. ऊपर से नीचे तक वन काटने का एक अभियान है। जितना बड़ा एरिया लिया उन्होंने देखा

(श्री शिवचरण सिंह)

कि बांसवाड़ा के अन्दर सागवान उस जमाने में अगर साफ हो गया तो इस इलाके में बचा-कूचा वन साफ क्यों नहीं होंगे ?

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अन्दर यह कैलादेवी अभयारण्य है, 700 किलोमीटर का क्षेत्र है, इनकी सारी सैंक्चुरी में इतने शेर नहीं होंगे जितने शेर उस प्राकृतिक सैंक्चुरी में हैं, एक पैसा खर्च नहीं किया और उसमें 40 शेर आज हैं, 40 शेर मौजूद हैं और इस वन विभाग के स्टाफ के लोगों को भेज दें तो सारे शेर मर जायेंगे। जो बिना वन गार्ड के, बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी फतेहसिंह, अंजरसिंह, पंजरसिंह के 40 शेर मौजूद हैं लेकिन इन अधिकारियों को लगा दें तो यह सारे शेर मरवा देंगे। अलवर में देखिये भाई, सवाई माधोपुर में देखिये भाई कितना रुपया बर्बाद किया गया। मैं आपको गारन्टी देता हूं कि अगर 40 शेर...

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो डकैतों की वजह से बच रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : डाकुओं की वजह से बच रहे हैं तो वह डाकू तो उनको बचा भी रहे हैं, +++ यह दशा है।

श्री उपाध्यक्ष : नाउ प्लीज माइण्ड योर लैंगवेज, आप भाषा पर कन्ट्रोल नहीं रखते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : यह छेड़ते हैं बार बार, इनकी आदत है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप अपनी भाषा भी भूल जाते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी उम्र में छोटा हूं। जो वनों का नाश हुआ है आप कृपा करके ताड़ना दें, माननीय मंत्रीजी वनों में कुछ मोह रखने वाले हैं, निष्ठावान भी हैं लेकिन कितनी इनकी चलेगी यह देखना पड़ेगा। क्योंकि वनों की रक्षा आज अगर नहीं हुई....

श्री सम्पत सिंह : जातिवाद का सहारा ले रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : जातिवाद पर तो सारा देश ही चल रहा है मुझे क्या कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है, समाप्त करें आप।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पूरी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और वन मंत्रीजी की प्रशंसा कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सम्पतसिंह जी विराजें आप भी, इनके ही साथी हैं।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वनों के विनाश का ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां जहां एलाइड वन हैं, थोड़े बहुत वन बचे हैं वहां ऊंट और घोड़ों को परमिट देकर सर्वनाश करवा रहे हैं। आप अन्दाज कीजिये फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के अन्दर क्लियर कट लिखा हुआ है कि नान फोरेस्ट एक्टीविटीज जो भी हैं वह

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवचरण सिंह)

प्रोहिबिटेड है लेकिन नाश करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये इन्होंने सारे वनों के अभयारण्य में व्यापार मण्डल करे, इल्लीगल परमिट दें, इनके डिपार्टमेंट के लोग कटायें। मेरे इलाके के अन्दर मैं आपको बताता हूं 400 रुपये प्रति माह एक ऊंट की रेट है, डेढ़ सौ रुपये प्रति माह एक गधे की रेट है तमाम लकड़ी उत्तर प्रदेश के अन्दर चली गयी। व्यापार मण्डल के जो अधिकारी हैं वह पेड़ काटते हैं, सर्वनाश करते हैं, एक ट्रक लकड़ी जयपुर के अन्दर और 4 ट्रक लकड़ी चली जाती है आगरा के अन्दर, यह दशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वन क्षेत्र के अन्दर पिछले 20 साल के अन्दर जितनी अनियमिततायें हुई हैं, फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आने के बाद जितना भी अनियमित खनन हो रहा है चाहे वह फोरेस्ट सैंक्चुरी एरिया में हो, चाहे जंगल के अन्दर हो, उन सबकी जांच होनी चाहिये और जो अधिकारीगण, जो-जो मंत्रिमण्डल इस दोष के भागी हों उनको सजा मिलनी चाहिये तब तो राजस्थान बचेगा। वरना राजस्थान के अन्दर भारत में 9 पर्सेण्ट वन रह गये हैं 32 पर्सेण्ट वन की जरूरत है। भारत सरकार के इन्स्ट्रक्शन के बावजूद राजस्थान सरकार लगातार वनों का नाश करती चली जा रही है उसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमारा सारा राजस्थान रेगिस्तान में बदल जायेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और उसका दुष्परिणाम है कि आज हम वर्षा के लिये वेट करते हैं, वर्षा नहीं आयी, अकाल पड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोलाराम सैनी। आप बताना नहीं चाहते हैं आप समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : राजस्थान सरकार की यह योजना हो कि वनों का सर्वनाश करो, हर साल अकाल पड़े, और करोड़ों रुपया अकाल के नाम पर लूटकर खायेंगे तब तो बात अलग है, भारत सरकार को धोखा दें और करोड़ों रुपया लावें और लूटें और खावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोलाराम सैनी।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जो हमारी पहाड़ियां सफेद हो गयी थीं, कोई पेड़ नहीं था, लोगों ने काट लिये थे। आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारी भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस फोरेस्ट के ऊपर इतना जोर लगाया कि हर जगह पेड़ लगने चाहिए, हर पहाड़ी पर पेड़ लगने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार यह कह रही थी कोई भी चाहे गोविन्दसिंह जी बैठे हों, चाहे नारायणसिंह जी बैठे हों लेकिन जनता दल का कोई नहीं देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार देख रही है।

श्री भोलाराम सैनी : तो मैं यह कह रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे

(श्री भोलाराम सैनी)

विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं चाहूंगा कि जो जगह-जगह पहाड़ियां पड़ी थी, छोटी-छोटी उनके ऊपर फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने बीज बिखेर-बिखेर कर, गड्ढे खोद खोद कर पेड़ लगाये हैं उससे पेड़ों की हरियाली हुई है। इस हरियाली से काफी विकास होगा और जो नंगी पहाड़ी दिख रही थी उनकी सुन्दरता बढ़ेगी।

श्री नवनीतलाल नीनामा : पेड़ों की जो जड़ें होती हैं न उनको सबको काट दी हैं, फैंक दी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नीनामा जी बैठें।

श्री भोलाराम सैनी : आज हमारी पहाड़ियों में जो लोहागर है, नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किरोड़ी है, बागौरा है, गरावड़ी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है। आज जितने फोरेस्ट के काम किये हैं क्लोजर लगा लगा करके और उनमें बीज बिखेरे हैं वहां हरियाली दिख रही है और सुन्दरता भी फैली है। मैं यह भी कहूंगा कि इतिहास के हिसाब से हम यह कहते हैं कि जहां हरियाली होती है, पेड़ ज्यादा होते हैं वहां बरसात होती है तो जितने पेड़ होंगे उतनी ही हमारे यहां बरसात की आशा बंधेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो कमेटी गयी थी दक्षिण भारत में उसमें हम देखकर आये थे कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का है। वहां एक दिक्कत है कि फोरेस्ट में जो पुरानी बस्तियां बसी हुयी हैं और जहां बड़े बड़े जंगल हैं लेकिन जो आबादी है उसको रास्ता दिया हुआ है। हमारे मंत्री जी से आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो क्लोजर लग रहे हैं वहां हमारी आबादी ढाणियां बसी हुयी हैं उसके रास्ते में क्लोजर लगा दिया गया। वहां रास्ता उनके लिए आने जाने के लिए रखा जाय। यह मेरा सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ी जातियों के लिए बजट में जो प्रावधान रखा है बोर्ड गठित करने का इसलिए मुख्य मंत्री जी शिवचरण जी माथुर एवं प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बारे में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। नवरंग सिंह जी बैठें।

श्री नवरंग सिंह : नारायणसिंह जी को धन्यवाद दो कि उन पहाड़ों को रोक दिया।

श्री भोलाराम सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फोरेस्ट हैं और हमारे कुओं का जो लेवल नीचे चला गया है इसके बारे में हिन्दुस्तान कॉपर माइन्स खेतड़ी है उसमें सारा पानी खर्च होता है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से जा रहा है। मैं इसके बारे में आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी जा रहा है और जो कुएं बने हुए हैं वह पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को दिया जाय और जब बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री थे अब तो वहां देवीलाल जी जनता दल के बन गये इसलिए हमें आशा नहीं है। हमारी सरकार कांग्रेस

(श्री भोलाराम सैनी)

की आयेगी तब हमको पानी मिलने की आशा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा से जो जवाहर नहर आने वाली थी और हमारा जो प्रावधान था, बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी राजस्थान को जवाहर नहर से पानी दूंगा। 1975-76 में यह योजना तैयार हुयी थी और यह घोषणा हुयी थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कॉपर माइन्स खेतड़ी में जो पानी खर्च हो रहा है मेरे क्षेत्र का वह रोक कर के और जवाहर नहर का पानी कॉपर माइन्स खेतड़ी को दिया जाय तो विकास बढ़ेगा, अनाज ज्यादा पैदा होगा जो देश के हित में होगा और हमारे अनाज में कमी नहीं आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भोलाराम जी बैठें। बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री भोलाराम सैनी : इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र को करोड़ों का घाटा हुआ है इसलिए देवीलालजी आये जिससे मेरे क्षेत्र में अकाल ही अकाल पड़ा है और हरियाणा झुंझुनूं जिले से लगता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में डिपार्टमेंट से, राज्य सरकार से निवेदन करता आ रहा हूं परन्तु मेरे क्षेत्र को टाल-मटोल करके वंचित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : देवीलालजी के आने के बाद तो जमाना हुआ है, पहले तो अकाल पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नवरंगसिहजी आपको क्या हो गया है ?

श्री भोलाराम सैनी : इसलिए मैं पैरवी कर रहा हूं, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अब मैं आपसे डार्क जोन के बारे में निवेदन करूंगा। इसके बारे में अधिकारियों से मैं मिल चुका हूं और निवेदन कर चुका हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दुबारा.. (व्यवधान) जब मेरे क्षेत्र में पानी है और हिन्दुस्तान कापर माइन्स को पूरा पानी दिया जा रहा है तो डार्क जोन में पानी की कमी कहां से आ गयी ?

श्री नवरंग सिंह : आपका डार्क जोन इसलिए हो गया कि आप कांग्रेस के मैम्बर हैं, मेरी तरह से जनता दल के मैम्बर होते तो डार्क जोन नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : नवरंगसिंह जी क्या बात है ? आप बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं। श्री फूलचन्द जी बोलें। (व्यवधान) फूलचन्द जी का टर्न है। मैं बुलवाता हूं आपको भी, चुन्नीलाल जी भी बोलेंगे।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पूर्व मैं वन मंत्री महोदय का वनों के बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी वनों के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। दोनों तरफ से काफी चिन्ता प्रकट की गयी है कि किस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है। आज हमारा सारा जंगल जो सारा भू-मंडल हरियाली में था आज सारा नगण्य के रूप में, बीहड़ के रूप में हो गया है, सारे पहाड़ नंगे हो गये हैं। आज वनों की कटाई किस प्रकार से भयंकर

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

रूप से हो रही है। इस ओर सरकार का ध्यान अभी जिस दृष्टि से, गहनता से आना चाहिए था वह नहीं जा पा रहा है। केवल मात्र यह घोषणा कर देने से कि हम राजस्थान में, 25 करोड़ और पेड़ लगा रहे हैं इन्हीं से अगर हम वनों का विस्तार कर रहे हैं तो फिर यह हमारी सोच बहुत पीछे है। मैं मंत्रीजी जिनको पूर्व में वन मंत्री रहने का काफी अनुभव रहा है उनसे आग्रह करूंगा कि वनों की कटाई के बारे में वनों का जो हनन हो रहा है इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसकी ओर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी। जब तक हम वनों की सुरक्षा नहीं कर सकते जब तक हम एक मापदण्ड नहीं तय करेंगे, कि हमारे राजस्थान के भू-मण्डल पर कितना बड़ा वन क्षेत्र है। उनकी तुलना में हम उनकी सुरक्षा के लिए कितने सुरक्षा प्रहरी, कितने संख्या में विभाग के कर्मचारी नियुक्त कर पायेंगे तब तक हमारे जो पेड़ वनों में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई कर्मचारी नहीं लगा पायेंगे तो हमारे वन जो इस तरह से कट रहे हैं वह नहीं रुक पायेंगे। इसलिए मंत्री महोदय आप जब तक इन वनों की कटाई के बारे में तुलनात्मक स्टाफ नहीं लगायेंगे तब तक यह वनों की कटाई नहीं रुकेगी। वन लगातार कट रहे हैं और इसके लिए सारा वन विभाग अक्षम रहा है।

इसी के साथ साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि आज हम कैटल-गार्ड्स की संख्या जो 10-10, 5-5 साल से लगे हुए हैं आज भी उनकी हालत बहुत खराब है, और अस्थायी हैं उनको वर्क चार्ज पर लगा रखा है। उनको विभाग के प्रति कहीं सन्तोष नहीं है कि उनको नौकरी की कोई गारन्टी है। आप जब जब भी कोई घोषणा करते हैं तो यही की जाती है कि उनकी छंटनी की जा रही है, उनमें कितनों को और निकाला जा रहा है। यह लगातार उनके साथ अन्याय हो रहा है इसलिए मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसके बारे में आप जब तक मापदण्ड नहीं तय करेंगे कि कितने समय तक अगर कोई कैटल-गार्ड वन विभाग में सर्विस करता है तो उसको सर्विस से नहीं निकाला जायेगा, उसको वर्क चार्ज के बजाय स्थायी किया जायेगा। इस तरह की व्यवस्था अगर आप विभाग में नहीं कर पायेंगे तो यह वनों की सुरक्षा नहीं हो पायेगी।

इसी के साथ साथ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज भयंकर रूप से वन कटाई की खाई बंध रही हैं, वह हमारी अवैधानिक आरा-मशीनें हैं। मैंने पिछली बार नीम का थाना के बारे में एक विधान सभा में वश्वेचन लगाया था कि हमारे यहां कितनी मशीनें अवैधानिक रूप से चल रही हैं। उत्तर था 36 आरा-मशीनें अवैधानिक रूप से चल रही हैं और ऐसी जगह चल रही हैं जहां वन विभाग की पहाड़ियां हैं। आप उनको लकड़ी नहीं देते हैं। रोज हरे वनों को काट काट कर जंगलों की अनापशनाप लकड़ियों की कटाई होकर दिल्ली और हरियाणा को जा रही हैं और लगातार उनसे केवल मात्र विभाग और पुलिस उनसे चौथ वसूली का काम करता है। चौथ

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

वसूली को वहां आज तक नहीं रोक पाये हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जानकारी हमारे विभाग और सरकार दोनों को हो गयी है कि कितनी अवैधानिक मशीनें हैं जिनके खिलाफ आप आज तक कार्यवाही नहीं कर पाये इसलिए जब तक इन अवैधानिक मशीनों के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक ये वनों की कटाई नहीं रुकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि आज तक आपके वर्क चार्ज के जो कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी हैं । यह गांव वालों के साथ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं । क्लोजर के नाम पर जो दीवारें लगाते हैं गांवों के आसपास उनसे कुछ दूर लोगों के मकान होते हैं लेकिन उनके साथ कई प्रकार की बदमाशी करके, धमकी देकर कि यह वनों का क्षेत्र है अगर वह कहीं खान चला रहा है या मकान बना रहा है तो काफी अनाप-शनाप पैसा रिश्वत का लेते हैं ।

इसलिए जो परिसीमा है उसके बाद में जो एरिया रहता है उसके ऊपर भी आप रोक नहीं लगायेंगे,

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

तब तक कार्यवाही नहीं हो सकती ।

इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है,

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, सभी जुड़े हुए मामले हैं ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : जो खनिज विभाग वनों की कटाई में सहायक हो रहा है । पहाड़ों में, मुझे लग रहा है, मैं मेरे क्षेत्र की बात बता रहा हूं । हमारे यहां जगतेलपुरा एक जगह है जहां बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं, बहुत बड़े जंगल थे लेकिन वहां जन लघु उद्योग का एक सीमेन्ट का कारखाना लगा दिया । सारे पेड़ काट दिये गये हैं । उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । लगातार लोग पहाड़ियों के पास में अनाप-शनाप उद्योग-धन्धे या खनिज के नाम से कई प्रकार से लीज लेकर सारे खनिज का हनन कर रहे हैं । इसी तरह वनों के बारे में एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी होगी । मेरे साथ पार्टी में भी बहुत बड़ा भेदभाव होता है । इसलिए मेहरबानी करके कुछ मिनिट दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, बोलो ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : जब भी मुझे नम्बर दिया जाता है, एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

इसके साथ-साथ मैं प्रमुख रूप में ग्रामीण विकास के बारे में दो मिनट बोलूंगा । आज सरकार किस तरह से शहर और गांवों के बीच में भेदभाव कर रही है । हमारा भारत गांवों का देश है । इतनी बड़ी सरकार के इस खजाने में गांव का कितना बड़ा हिस्सा होता है, उनकी तुलना

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

में उनको मदद मिलनी चाहिए उनके बारे जो मेरी जानकारी में है वह बता रहा हूं। आज सुविधाओं की तुलना में गांव शहरों में पिछड़े हुए हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो गांव की शालाओं में अध्यापक नहीं है या भवन नहीं है, या इतनी कम संख्या में हैं कि दस दस किलोमीटर तक छात्रों को पढ़ने के लिए कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं, सरकार बार बार घोषणा करती है कि हम 400, 600 हाई स्कूल खोलेंगे लेकिन आज भी मेरे यहां ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां दस-दस किलो–मीटर तक आस-पास में हाई स्कूल नहीं है और 1960 से वहां प्राथमिक शाला चल रही है लेकिन वहां नहीं खोली जा रही। इसी तरह से रायपुर है, सावता चौरान है, जो कि शिक्षा की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। प्राथमिक शालाओं की यह हालत है कि अध्यापक केवल राजनीति करते हैं। वहां कोई पढ़ाई नहीं होती। जब तक आप एक व्यवस्था नहीं कायम करेंगे, शिक्षा–संस्थाओं पर ऐसा कानून नहीं बनायेंगे कोई अध्यापक की, छात्रों की संख्या के हिसाब से उनके मापदण्ड के हिसाब से नियुक्ति की जाय और ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कोई शाला ऐसी नहीं बचे जिसमें अध्यापक की व्यवस्था नहीं हो।

इसी के साथ-साथ हम ग्रामीण चिकित्सा के बारे में जानकारी लें तो देखेंगे कि आज स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे गांव पिछड़े हुए हैं। गांवों में आयुर्वेदिक औष–धालय खोले गये हैं, सरकार ने घोषणा तो कर दी, वैद्यों की तनख्वाह भी एम. बी. बी. एस. डाक्टर्स के बराबर कर दी लेकिन आज उनकी जांच करायें, सर्वे करावें कि आयुर्वेदिक औषधालय में एक साल में दो सौ रुपये की दवाई नहीं दी जाती है और केवल सड़ा गला चूर्ण इस तरह का दिया जाता है कि लेने के बाद में अगर आदमी बीमार नहीं हो तो भी बीमार हो सकता है। इस तरह की आयुर्वेदिक औषधालयों की हालत है। सब-सेन्टर खोल दिये और बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि सारे राज–स्थान में 1600-2000 सब-सेन्टर खोले हैं। आज अगर सब-सेन्टर की हालत देखी जाय तो वहां जो एन. एम. लगाते हैं, दो-दो महीने तक उनके दर्शन नहीं होते। उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास पट्टी बांधने के लिए पट्टी का सामान नहीं है। हम क्या दे सकते हैं, हम तो केवल वेतन महीने के महीने उठा लेंगे और जब तक आप दवाइयों की व्यवस्था नहीं करायेंगे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तब तक हम इसमें सुधार नहीं कर सकते। यह हालत वहां की चिकित्सा सुविधाओं की है और हमारे गांव पिछड़े हुए हैं।

एक लास्ट बात कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। गांवों का विकास अगर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ा है, तो वह हमारी सड़क और विद्युत योजनायें हैं। मैं हरियाणा की बात कहूंगा, चाहे वह कांग्रेस सरकार में ही योजना बनी हो लेकिन ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी को सड़कों से जोड़ दिया। राजस्थान में गांवों का विकास करना है, जब तक

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

गांव–गांव और ढाणी-ढाणी को सड़कों से नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं हो सकता। आज हमारे बहुत से गांव दूरदराज के सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं सरकार घोषणा करती है कि हम सभी पंचायतराज कार्यालयों को सड़कों से जोड़ देंगे लेकिन आज गांवों का सर्वे कराया जाय तो आधे से ज्यादा पंचायत कार्यालय वहां पड़े हुए हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं है। दस–दस किलोमीटर तक लोगों को वहां नहीं मिलते हैं, वहां से उनको बैठने के लिए जाना पड़ता है।

(समय–समाप्ति–सूचक-घण्टी)

इसी के साथ मैं एक हिम्मत की बात और कह देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के मामले में गांव और शहर में कितना भेद कर रखा है। आज हमारे गांवों के अन्दर किस तरह से विद्युत के कनेक्शन के लिए लालायित रहते हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं है कि कितने समय तक कृषि का कनेक्शन मिलेगा। आज गांवों के प्रकाश की, बिजली का अध्ययन करते हैं तो शहरों में 24 घण्टे एक फैज दो फैज की बिजली मिलती है। लेकिन गांव के आदमी को 6.00 बजे से 10.00 तक बिजल मिलती है।

इसी के साथ एक और सवाल जुड़ा है कि आज कई कालोनीज शहर के बाहर जाकर बसती है तो सरकार का यह दायित्व होता है कि इस कालोनी में बसने वालों के लिए पहले सरकार बिजली की लाइन डाल देती है और जैसे ही निवासी वहां बसते हैं उनको बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं लेकिन आज गांवों की कालोनीज हैं, गांवों की बड़ी से बड़ी ढाणी गांव से बाहर जाते हैं तो वहां यह कह कर बिजली नहीं दी जाती है कि यह राजस्व गांव नहीं है। यह राजस्व की संज्ञा में नहीं आता। इसलिए सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि वह इस ढाणी में बिजली दे जबकि, उपाध्यक्ष महोदय, वह ढाणी भी उसी गांव की....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

कालोनी है। उस कालोनी में जब तक सरकार शहर की तरह व्यवस्था नहीं करेगी तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता और एक लास्ट बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, जिनको हमारे क्षेत्र में काफी समय रहने का मौका मिला है, नीम–का–थाना की सुन्दरता के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके रहते हुए हमारे बलेश्वर और गणेश्वर ऐसे पर्यटन के क्षेत्र हैं जहां कि हरियाली और सुन्दरता है, वहां मेहरबानी करके जैसे पूर्व बजट में घोषणा की गई थी कि बलेश्वर और गणेश्वर दोनों का पर्यटन विकास किया जायगा, जरूर उनके रहते हुए उनका पर्यटन विकास करें। यही मेरा कहना है। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया-आवश्यक है बोलना ? जरूरी नहीं है। दो मिनिट।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपको भी दे रहा हूं। नाम तो नहीं है, आपको भी समय दे रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : भेजा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं चैक करवा लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनका नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या पता ? How do you know ? Do not be a wrong witness.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे सामने दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं खुद देकर गया हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में वन विभाग, बिजली और पानी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वनों का विकास कैसे हो, यह दोनों ही पानी और बिजली से सम्बन्ध रखते हैं। इस वक्त जो हमारे बुजुर्ग वन मंत्री हैं उनसे हमें बहुत आशाये हैं। उनका अनुभव है जिससे राजस्थान को लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक पूरा पानी नहीं होगा तो वनों का विकास निश्चित रूप से कम होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान में बहुत से ऐसे जिले हैं, खास तौर से बीकानेर, कुछ चूरू जिले का भाग है और नागौर, धरती के नीचे बहुत मीठा और अधिक मात्रा में पानी है। बीकानेर जिले में पिछले साल लगभग साढ़े चार सौ कुएं खोदे गये। हमारे कुओं की गहराई तीन सौ फीट से कम नहीं है लेकिन धरती के नीचे पानी इतना है, काश्तकारों ने कुएं खोदे हैं, और किसानों की बहुत अच्छी फसलें हुई हैं और खेती में हम कायम कामयाब हुए हैं। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने इस जिले को स्कीम में नहीं लिया फिर भी चेष्टा करके वहां की जिला परिषद् से, पंचायत समितियों से किसानों को मामूली सहायता मिली, काफी मात्रा में कुएं खोदे हैं और उससे गांव में हरियाली हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि सरकार में गांवों का प्रतिनिधित्व कमजोर है, कई तो बहुत ही कमजोर हैं और कमजोर ही नहीं आत्मा से दबे हुए लोग हैं जो गांवों के बारे में नहीं बोलते, चाहे सत्ता पक्ष में हों। लेकिन गांवों के विकास के बारे में बोल नहीं सकते। उनकी मजबूरियां हैं। मैं चाहता हूं कि खेती के लिए गांवों में अधिक से अधिक मीठा पानी है, खास तौर से बीकानेर जिला वहां के किसान के खेत में ट्यूब वैल खोदकर एक प्लान बनाकर, सरकारी ट्यूब वैल, अगर उपाध्यक्ष महोदय, पांच-पांच बीघा में दस किसानों को पानी दिया जाय तो बहुत बढ़िया कामयाबी है। खास तौर से बीकानेर का किसान मजबूत किसान है। उन्होंने एक साल में पांच सौ कुएं खोद दिये और मैं आपको ले जाऊंगा और दिखाऊंगा। राज्य सरकार ने किस तरह से हमें दबा रखा है फिर भी वहां के किसान ने पिछले दो तीन सालों में हिम्मत करके काफी तादाद में कुएं खोदे हैं, खास तौर से मेहनसर स्कीम है। सात-आठ गांवों में उपाध्यक्ष महोदय, पहले से बहुत कुएं खोदे गये

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

लेकिन सरकार की तरफ से न तो बिजली की सुविधा है, न इनको पानी की सुविधा है लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि वहां के काश्तकारों ने हिम्मत करके इस काम को हाथ में लिया है। मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार किसानों को अधिक से अधिक धरती के नीचे जो मीठा पानी है ट्यूब वैल और ओपन वैल खोदने में मदद करें। वहां एक लाख से कम, हमारे इलाके में कुआं नहीं बन सकता। इसलिए मेरी मांग है वहां काश्तकारों को कुआं खोदने के लिए 50 हजार तक सब्सिडी दी जाये और 50 हजार रुपये बिना ब्याज दिया जाये तो कामयाब होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है दिल्ली में बैठे हुए राज चलाने वाले लोग वहां लड़कियों को नचाकर घूमर देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं लेकिन खेद इस बात का है कि किसान के हितैषी नहीं हैं, देश के हित में उनका नजरिया नहीं है, वह देश के शोषण करने की प्रवृति करने से है। उपाध्यक्ष महोदय, उनका दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में ऐसा है कि यदि.... (व्यवधान) दिल्ली में नाच घर बना है....

श्री मदन महाराजा : वह अलग चीज है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, नाच घर बने हैं, बड़े-बड़े होटल बने हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि होटल गांव के काम में नहीं आयेगा बड़े बड़े फाइव स्टार होटल जो दो दो, ढाई करोड़ के होटल हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है,....

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सरकार ने बनवाई हैं क्या ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान की सरकार होती, किसान का प्रतिनिधि होता तो धरती के नीचे के पानी को ऊपर लाकर के इस देश में विभिन्न प्रकार का विकास होता, देश में हरियाली होती और हरियाली से देश में बरसात होती। लेकिन दुख इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय, राज, जिस राज के लिये महात्मा गांधी, जिस सत्ता के लिये पण्डित जवाहर लाल नेहरू अंग्रेजों की विदेशी हकूमत को समाप्त करने के लिए इस देश के नौजवानों ने देश की आजादी के लिये आन्दोलन किया। जलियां वाला बाग इसका सबूत है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां अंग्रेजों ने बन्दूकों से भून दिया था लाखों को। आज सत्ता में वही लोग हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो अंग्रेजों को पनाह देते थे उनकी दलाली लिया करते थे। हम राजाओं के खिलाफ लड़ते थे, हम पुरानी जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते थे वह लोग हमारे खिलाफ थे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह आज सत्ता में बैठे हैं। +++ इसलिये हमें उम्मीद नहीं है कि देश के पानी का विकास होगा। आशा नहीं है कि आप फारेस्ट का विकास करोगे। आप जरूर किसानों का शोषण करोगे। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी को 42 साल हो गये दुख इस बात का है कि अगर किसानों की सरकार होती, किसान प्रतिनिधि होता तो निश्चित रूप से देश में खेती

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का विकास होता । पैसा फाइव स्टार होटलों पर नहीं लगता, नाच घरों पर पैसे का दुरुपयोग नहीं होता....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में भुखमरी नहीं रहती, देश में वन का विकास होता, देश में खेती से किसान मजबूत होता और मैं निश्चित रूप से कहता हूं देश मजबूत होता।...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : देश के साथ सत्ता में बैठे हुये सत्ता के नशे में न यह नरेश, न यह जागीरदार यह भूल गये महात्मा गांधी को, भूल गये इन्दिरा गांधी को, भूल गये लाल बहादुरशास्त्री को यह सब कुछ नशे में भूल गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब आप खत्म करें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं, एक मिनट लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप राजस्थान से दिल्ली पहुंच जाते हैं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक मिनट । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सीन याद आता है जिस वक्त हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, जिस वक्त हम राजाओं के खिलाफ थे, जिस वक्त हम जागीरदारों के खिलाफ लड़ते थे तो जिस तरह से हमारे माननीय सदस्यों का सीन वही उस वक्त के नवाब हमारे सामने आ जाते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों के बारे में क्या बोल रहे हो, आप भी उनके साथ हैं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया :....इसलिये माननीय सदस्यगण समय रहते चेतो, गरीबों के लिये चेतो, खेती का विकास करो वन का विकास करो । देश आपका हमारा है, विचार मजबूत होगा, देश मजबूत होगा । जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय-सिंह ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार वन संबंधी चर्चा के ऊपर रखूंगा । मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो माननीय सदस्यों ने यहां कही हैं कि वन की कटाई और वन का नुकसान गत 20-25 वर्षों में कितना हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि 1947 में जो हमारा वन पर्सेन्टेज था वह आज कागजों में आपके सर्वे के हिसाब से 8 पाइंट समथिंग आप बताते हैं पर सैटलाइट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5.8 पर्सेन्ट बन रह गया है । उसके कई कारण बताये कि अन्धाधुन्ध कटाई फारेस्ट डिपार्ट-मेंट के लोगों ने मिलकर कटाई, क्या किया ? मैं उन सब कारणों में इसलिये नहीं जाना चाहता उपाध्यक्ष महोदय, कि उसके कई कारण हैं । और इसमें हम एक ही पक्ष को

(श्री दिग्विजय सिंह)

दोषी बनाकर चलें कि इसमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट ही दोषी है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसके अन्दर कई फैक्टर्स हैं, एक्सप्लोजन ऑफ पापुलेशन, यह आज इण्टरनेशनल फिनामिना है यहां का ही नहीं है, सब जगह हुआ है उस वजह से भी हमारे वन की कटाई हुई है और यह स्वभाविक है कि अगर उनको आल्टरनेटिव नहीं देंगे, उधर तो पापूलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उधर हमारी वन सम्पदा जो भी थी जितनी पर्सेन्टेज थी, उस अनुपात में पापुलेशन आज इतनी बढ़ गई कि आखिर के अन्दर गांव वालों को लकड़ी जलाने के लिये, अपनी रोटी बनाने के लिये, सबके लिये उनको लकड़ी चाहिये और उसके लिये वह चोरी भी करेंगे। वन काट कर के भी लायेंगे। जहां तक हम इस पहलू को नहीं सोचेंगे कि हम उनको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप के अन्दर कैसे क्या दें यह वनों की कटाई आप एकदम से रोकना चाहें वह विभाग भी नहीं रोक सकता। इसके लिये हमको और सरकार को इस बात के लिये सोचना पड़ेगा कि विलेज फारेस्ट्री जो आप डवलप करना चाह रहे हैं, विलेज फारेस्ट्रीज को आप ज्यादा से ज्यादा डवलप करें और इसमें जब तक आप पब्लिक का इन्वाल्वमेंट नहीं करेंगे, वह आपकी पब्लिक फारेस्ट्री सक्सेस होने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमने योजना के अन्तर्गत पब्लिक इन्वाल्वमेंट भी रखा है और यह पब्लिक फारेस्ट्री के लिये बनाया भी है। पर आज वस्तुत स्थिति यह है कि पंचायत स्तर से लेकर के और पंचायत समिति स्तर तक आपका एक्टिव इन्वाल्वमेंट पीपल्ज पार्टीसिपेशन नहीं है। जब तक आप फारेस्ट्रीज में पीपल्ज पार्टीसीपेशन नहीं लेंगे आपका फारेस्ट डवलप नहीं हो सकता न ही आपका इसमें प्रोडक्शन हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो फारेस्ट एरिया है, फारेस्ट एरिया के फारेस्ट गार्ड्स के जो बीट्स हैं वह आज उनके पास इतने लम्बे बीट्स हैं कि 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के एरिया के अन्दर एक फारेस्ट गार्ड सारे फारेस्ट को गार्ड करता है और जब आप अगर हिसाब लगायें तो 8–10 किलोमीटर एरिया के अन्दर कम से कम पांच छः गांव आ जाते हैं। अगर आप 5–6 गांवों की पापूलेशन जोड़ लें तो यह कम से कम 7–8 हजार पापूलेशन हो जाती है। अब वह एक वार्ड जिसका आपने जिम्मा दे दिया 8–10 किलोमीटर की बीट का और 7–8 हजार की पापूलेशन जो उस पर एन्क्रोच करती है तो वह कैसे रोक पायेगा।...

एक माननीय सदस्य : शेर तो बहुत हैं जंगल में।

श्री दिग्विजय सिंह : शेर रहते तो वन कटते ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह बात कह रहा था, यह बात मैंने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में भी कही और डिमाण्ड के वक्त भी मैंने कही कि आप फारेस्ट गार्ड का जो बीट है, आप गार्ड की भर्ती और कर लीजिये। बीट तो आपने वही रख रखी है, स्ट्रेन्थ आप बढ़ा नहीं रहे हैं, फारेस्ट आपके दिन व दिन कट रहे हैं इसलिये आप इसके अन्दर कंजूसी मत करिये। हम सब इस बात के लिये चिन्तित

(श्री दिग्विजय सिंह)

हैं कि फारेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिये तो आप गार्ड की संख्या बढ़ाइये, उनकी बीट्स को कम करिये और अगर यह नहीं हो सकता हो तो कम से कम आप उनको मोबिलिटी दीजिये। उनको आप मोटर साइकल एला-उंस दीजिये, कुछ भी दें ताकि वह घूम सके। आज उनके पास साईकल है। चोरी करने वाला जो आता है ट्रेक्टर में भर के ले जाते हैं जब तक यह पहुंचे वह ट्रैक्टर पूरा लोड होकर के बाहर निकल जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे कि एक तो जो आपके गार्ड का बीट है उसको आप किस तरह से नियं-त्रण करेंगे कम करेंगे और गार्ड्स की अगर आवश्यकता हो तो और भर्ती करेंगे और उसके साथ साथ अगर आप मोबिलिटी देना चाहे वह भी दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको एक्सपैरिमेंटली ट्राई करें जैसे फारेन कन्ट्रीज में है। खास तौर से मेरा अनुभव है मैं बैनसुवर गया था तो कैनाडा की बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर भी इतनी फारेस्ट्री है खासतौर से बैनसुवर में कि आज 90 पर्सेन्ट जो वहां का डैवलपमेंट है वह फारेस्ट्री पर निर्भर है और वहां की सारी फारेस्ट्री प्राइवेट व्यक्ति कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप कुछ एक्सी-पैरिमेंट तौर पर जो आपके फारेस्ट अब बच गये हैं उनको आप किसी प्राइवेट, व्यक्ति को दे दें, उनको सम्भला दें और यह कह दें कि इसके ऊपर रेगुलेशन एक्ट जो कुछ भी वह फारेस्ट डिपार्टमेंट का लागू होगा। इन्सेन्टिव के रूप में दे सकते हैं। फारेस्ट में से घास बेच दे या चराई ले लें और कोई वह नहीं काट सकता है। इस प्रकार प्राइवेट आदमी को देंगे तो मैं सम-झता हूं कि निश्चित रूप से एक कम्पेरिजन आपके सामने हो जायेगा। प्राइवेट को देने पर कितना प्रोटेक्शन होगा, कितना डवलप-मेंट हुआ, और गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट के जो फारेस्ट है वह किस हालत में है। इस कम्पीटीशन के अन्दर हम फारेस्ट डिपार्टमेंट को सही रूप से आगे बढ़ा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की स्थिति अजीब है। शायद 1986 की बात है, आपने एक वन निगम बनाया था। वन निगम बना कर उसमें एम.डी. भी लगा दिया। वह वन निगम वन भवन में ही रह गया। वन भवन से वह आगे नहीं बढ़ा। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि एक साल बाद में राज्य सरकार ने वन निगम को भंग कर दिया। वह कुछ भी काम नहीं कर पाया। आपका आब्जेक्टिव यह था कि निगम बनेगा तो इन्स्टीट्यूशन आफ फाइनेन्स मिल जायेगा तो वन के सम्बन्ध में डवलपमेंट का काम करेंगे, उनकी रक्षा के लिये पैसा आयेगा। परन्तु वह आपका वन निगम बेकार पड़ा रहा। उसकी कोई उपयोगिता नहीं हुई। वन मंत्रीजी आप कृपया इस ओर भी ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महो-दय, आज रामायण आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आज माननीय चुन्नी-लालजी की बात सही हो जायेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महो-दय, एक और जानकारी मैं माननीय वन

(श्री दिग्विजय सिंह)

मंत्रीजी से चाहूंगा। शायद आप भी इस बात से चिन्तित होंगे। हम बार बार अखबार में पढ़ते हैं कि घाना सेन्चुरी में आग लग जाती है। वहां आधी दर्जन बार आग लग चुकी है। इसके पूर्व कितनी बार आग लगी। पूर्व मंत्री श्री शीशराम ओला ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा है कि, हमने इस बात के आदेश कर दिये हैं कि वहां कोई नहीं जायेगा, कोई माचिस लेकर नहीं जायेगा, कोई सिगरेट नहीं पीयेगा, कोई बीड़ी नहीं पीयेगा। अभी थोड़े दिन पहले, दो, ढाई महीने पहिले दो बार इस घाना सेन्चुरी में आग लग गई एक महीने के अन्तराल में। आखिर क्यों? इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। वहां आपकी जो घास कटती है, और जो उसको इकट्ठा करके रखते हैं, उसकी काउन्टिंग में हेराफेरी करते हैं, गड़बड़ी होती है। मेरी समझ में नहीं आता है। वहां पर चारदीवारी है, आपका स्टाफ लगा हुआ है फिर भी हमेशा आग लग जाती है। यह तो मानते हैं कि बांस के जंगल में आग लग जाती है परन्तु यहां बांस का जंगल नहीं है। घास है और वहां बार बार आग लग जाना एक सन्देहजनक स्थिति है। आप इसकी जांच कराइये।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर म्यूनिसिपैलिटिज के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। नगरपालिका के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। आपने हमको कहा था कि मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट आने पर नगरपालिका के चुनाव होंगे और जो करना है वह करेंगे। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे राजस्थान में एक ऐसी नगरपालिका है जिसके ऊपर बोम्बे म्यूनिसिपल एक्ट लागू है। राजस्थान के अन्दर नगरपालिका हो उस पर राजस्थान का एक्ट लागू नहीं हो परन्तु बोम्बे का एक्ट लागू हो। वह नगरपालिका कहां है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था। उसका जवाब आया है। माउण्ट आबू की बात है। क्या यह सही है कि आबू नगरपालिका में सफाई टैक्स मकान मालिक को देना पड़ता है। यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं और क्या यह अन्य नगरपालिकाओं में है या यहीं पर है यदि नहीं, तो आबू पर्वत पर ही क्यों? उत्तर दिया है, जी हां। इसके नियम संलग्न है। यह कर नगरपालिका आबू पर्वत में लागू है एवं बोम्बे राज्य के समय से ही वसूल किया जाता है। इस कारण इस कर की वसूली की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाने में आबू जरूर बोम्बे में चला गया था।

श्री शिवचरण माथुर : पैसा तो म्यूनिसिपैलिटी को ही जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : बोम्बे म्यूनिसिपल एक्ट लागू है। यह बता रहा हूं। मेरा निवेदन करना माननीय मुख्य मंत्रीजी यह है कि किसी जमाने में यह बोम्बे में चला गया था, उसके ही नियम चल रहे हैं, उसके तहत ही वसूली हो रही है। इसको आप दिखवाइये और जो प्रोविजन लागू हो रहे हैं उसको आप रीपील करिये तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इससे वहां काफी लोग परेशान हैं।

(श्री दिग्विजय सिंह)

अन्त में मैं आबू डवलपमेण्ट बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी आबू डवलपमेन्ट बोर्ड की मीटिंग में आप पधारे थे। मैं भी वहीं था। आपने काफी अच्छे सुझाव दिये। मेरा एक निवेदन है। उनका जो मास्टर प्लान बनाया है उसके अन्दर जहां हमेशा से आरचेज लगे रहते थे उसको तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और जो एरिया पथरीला है, जहां होटल बन सकते हैं उसको आरचेज के लिये कर दिया। जब भी आप मास्टर प्लान तैयार करें इस बात को आप देखें। यह जो डिस–प्रेन्सीज हो गई है उसको आप देखें। आबू की जो खूबसूरती है, आज हमारे पास राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है और मैं कहता हूं कि आज ऐसी स्थिति बन गई है कि इस वर्ष कश्मीर, श्रीनगर में टूरिस्ट बहुत कम गये और माउण्ट आबू में इतने टूरिस्ट आये हैं कि वह राजस्थान का एक अच्छा टूरिस्ट स्थल बन सकता है। इसको अगर हम सही तरीके से नहीं देखेंगे, वहां पर अगर हमने प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि हमारे हाथ से निकल जाये। खासतौर से मैंने आपको वहां पर निवेदन किया था कि यह जो आप फेयर आर्गनाइज करते हैं, उसमें राजस्थान प्रशासन गेट लगाता है, उस पर गुजराती में लिखा रहता है " राजस्थान सरकार आपको स्वागत करे छै। अब वहां गुजराती में सारे होर्डिंग्स लगे हैं और सरकार भी गुजराती में लिख रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर साउथ में चले जाइये वहां कोई गुजराती में लिखा होता है, पंजाब में चले जाइये क्या वे हिन्दी में लिखते हैं ? वे आपकी भाषा की परवाह नहीं करते हैं और हम में इतना कम्पलेक्स है, चूंकि वहां गुजराती टूरिस्ट आते हैं, गुजराती लिखते हैं, इसलिए कि गुजराती भाई नहीं आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : गुजराती भी हमारे देश की लेंग्वेज है।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा विरोध नहीं है। आज वहां पर चर्चा चल गई है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। गत अक्टूबर में मैं आबू था। डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर श्री मंगलभाई बारोट वहां ठहरे हुए थे। मैं भी वहां था। उन्होंने खुद ने मुझे इन्डीकेट किया आपकी सरकार आबू में इन्टरेस्टेड नहीं है। यहां ज्यादा गुजराती टूरिस्ट आते हैं। गुजराती में होर्डिंग्स हैं। आप इसको हमको क्यों नहीं दे देते ? हम आन्दोलन करके इसको ले लें। यह लाइटली लेने की बात नहीं है। उनके दिमाग में धीरे-धीरे यह भावना आ रही है। मुख्य मंत्री जी मैं चाहूंगा कि आप कम से कम प्रशासन को कहें कि अपनी तरफ से जो मेलों का आयोजन किया जाये, उसमें हिन्दी का प्रयोग करें, जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं वे भी हिन्दी में लगवायें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हमारा जो आबू हिल स्टे–शन है उसको हम सुरक्षित रख पायेंगे। धन्यवाद।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वन के सम्बन्ध में और वन का क्या महत्व है उससे सारा सदन और विद्वान सदस्य परिचित हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जिस प्रकार का पर्यावरण का सन्तुलन

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

बिगड़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह वनों का विनाश है । ऐसा कुछ मेरे यहां माननीय साथियों ने और विधायकों ने, माननीय सदस्यों ने कहा है । इसके बहुत सारे कारण हैं । उन कारणों के बारे में अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। सबसे मोटा कारण यही है कि हमारी जो जनसंख्या है उसका विस्फोट हुआ है और उसके कारण एक समय ऐसा था जब जगल इतने अधिक थे कि न तो उनकी रक्षा की चिन्ता थी न उनके लगाने की कोई चिन्ता थी लेकिन समय समय पर जो ह्रास हुआ है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा उसके कारण सबसे पहले हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात का आभास किया कि अगर इसी गति से वनों का विनाश होता रहा तो चाहे हम उसे कयामत कहें या उसको हम किसी भाषा में केस्ट्रोफी कह सकते हैं। वह दिन हमें देखना पड़ेगा और उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय फोरम के ऊपर इस बात को उठाया और मुझे खुशी है उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को बताते हुए कि उन्हीं के प्रयासों के कारण वनों के घटते हुए प्रभाव को और वनों में होने वाले ह्रास को रोकने के लिये कारगर उपाय किये गये। जैसा कि अभी यहां माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि वास्तव में वन एक जंगल में मंगल के साधन थे। कुछ लोग शिकार करने के लिये, अपना शौक पूरा करने के लिये वनों में जाते थे, शौक होता था, शिकार करने का और उसको पूरा करते थे लेकिन... (व्यवधान) आज आवश्यकता इस बात की है कि तिवाड़ी जी, कि अगर हमें जिन्दा रहना है और दो टाइम रोटी बनानी है तो आपको आटा तो मिल जायेगा लेकिन लकड़ी नहीं मिलेगी। यह हालत आने वाली है दो हजार में, अगर यही हालत रही तो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तब तक तो हम मर जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं, आप नहीं मरेंगे, मैं भले ही मर जाऊंगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनायें वनों को विनाश से बचाने के लिये और वनों का विस्तार करने के लिये बनाई गई। मैं मानता हूं कि आज हमारा जो क्षेत्र किताबों में हैं वह 9 परसेन्ट है लेकिन जो वास्तविक क्षेत्र, संघन वन जिसे हम कह सकते हैं वह 2 परसेन्ट के आस-पास ही है। वह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है और मैं मानता हूं कि हमारे विभाग के और स्वयं मेरे अपने प्रयासों से छोटा सा दो परसेन्ट का जो हमारा इलाका रह गया है, उसको राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 35 पर्सेन्ट पर लाना है, नहीं ला सकते हैं जब तक कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य और हमारे प्रदेश के रहने वाले सभी नागरिक इसके महत्व को समझकर इसे एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तो इस बात की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि आज जो लकड़ी को जलाने की आवश्यकता है वनों से तो वह केवल 7 पर्सेन्ट ही मिल पा रही है बाकी सारी की सारी आवश्यकता दूसरे तरीकों से चाहे वह चोरी करके आ रही है या हमारे जो खेत है,

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

खातेदारों की जो जमीन है, उन पर जो पेड़ हैं वहां से लाकर उसको पूरा किया जा रहा है और उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जब कोई चीज सस्ती मिलती है तो महंगी चीज कोई नहीं लेना चाहता है और यही वजह है कि बहुत सारे वैकल्पिक साधन हैं। सौर ऊर्जा के भी कुछ चूल्हे हैं, वैसे भी कुछ चूल्हे बने हैं, गैस भी है, कोयला भी है, मिट्टी के तेल के स्टोव भी है लेकिन इन सबके बावजूद भी आज अधिकांश लोग लकड़ी जलाकर ही दो टाइम का खाना बनाते हैं तो इन सब बातों के देखते हुए कुछ योजनायें भारत सरकार की तरफ से, कुछ योजनायें हमारे यहां से चालू की गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की करीब आधी पड़त भूमि हमारे राजस्थान में है। करीब 128 लाख हैक्टेयर भूमि पड़त हमारे यहां पड़ी है। आपको ध्यान होगा उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्यों को भी ध्यान होगा कि वर्तमान प्रधान मंत्री राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री बने थे प्रथम बार और उन्होंने प्रधान मंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद अपना भाषण दिया था उसमें एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है कि हम प्रति वर्ष 50 लाख हैक्टेयर जो पड़त भूमि है वैस्ट लैण्ड है, बंजर भूमि है उसको वनों से आच्छादित करें और उसी के तहत एक वैस्ट लैण्ड डवलपमेंट बोर्ड बना। इसके द्वारा कुछ योजनायें चालू की गई उसमें मुख्य तौर से नर्सरी का काम है ताकि हर आदमी जो पेड़ लगाना चाहता है हमारी योजना भी है कि हर व्यक्ति हमारे प्रदेश का रहने वाला कम से कम दो पेड़ लगाये। हर पंचायत में एक नर्सरी हो और हर क्षेत्र में कम से कम 100 पेड़ हर किसान के क्षेत्र में लगायें। इस प्रकार की व्यवस्था हम आने वाले समय में करना चाहते हैं। इस नर्सरी को लगाने के लिये हम एक पौधे के ऊपर 20 पैसे उस लगाने वाले व्यक्ति को देंगे और यह सबके लिये खुला हुआ है चाहे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई लगाना चाहे या और दूसरे किसान लगाना चाहें जिनके पास जमीन है उनको 20 पैसे प्रति पौधे के जो वे हमें बनाकर देंगे पौध उसको देने के लिये तैयार है। इसी प्रकार अभी तक जो कुछ भी बीज धन हमें मिलता था जंगलों से, उसी की पौध बनाते थे। इस योजना के तहत बीज के बारे में अनुसन्धान करना, इसकी भी एक योजना लागू की गई है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जैसे खेजड़ी का एक वृक्ष बहुत लम्बा समय लेता है 15-20 साल अपनी पूरी ग्रोथ को लेने के लिये। कोशिश यह की जा रही है कि ऐसे बीज खेजड़ी के बनाये जावें जो कम समय में अपने पूरे यौवन पर आ सकें। इसी प्रकार सिल्वी पेटर्न के बारे में कुछ कट मोशन्स यहां पर जो सारे कट मोशन्स आये उपाध्यक्ष महोदय, वे सब सिल्वी पेटर्न के बारे में है। सिल्वी पेटर्न का मतलब है कि हम जो पंचायत की भूमि है, चारागाह की भूमि है या ऐसी भूमि है जो चराई के काम में आ सकती है उसका 75 पर्सेन्ट भाग में तो घास लगायेंगे और 25 पर्सेन्ट में हम पेड़ लगायेंगे ताकि ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां और टहनियां जानवर खा सकें। इस प्रकार की योजना वैस्ट लैण्ड डवलपमेंट बोर्ड की तरफ से यहां लागू की जा रही है।

इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण ईंधन। गांवों के लोगों को ईंधन प्राप्त हो

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उनके गांवों के पास ही ताकि वे लोग पेड़ों को नहीं काटे। इसकी भी योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आने वाले समय में कुछ और नई योजनायें जिनसे हमारे प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा यहां लागू की जा रही हैं और उसमें सबसे बड़ी जो योजना है वह है कि बंजर भूमि के सघन विकास के लिये एक बहुत बड़ी योजना हाथ में ली जा रही है। उसके लिये वन विभाग तो उसमें काम करेगा ही लेकिन उसके साथ कृषि विभाग, हमारा पशुपालन विभाग तीनों चारों विभाग मिल करके काम करेंगे और पूरे जिले के सघन विकास के लिए उसका सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा मिलेगा और डूंगरपुर के लिए मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस काम के लिये चयनित किया गया है। इसी तरह से किसानों को कौन से पेड़ लगाने चाहिये, किस प्रकार से लगाने चाहिये इस प्रकार का पायलेट प्रोजक्ट है। हर जिले में जहां भी किसानों को यह बताया जा सके, किस प्रकार से पेड़ लगाने चाहिये, कौन से पेड़ लगाने चाहिये, किस प्रकार से उनकी रक्षा करनी चाहिये, इस प्रकार की पायलेट प्रोजेक्ट की योजना हम यहां पर आने वाले सालों में लागू करने जा रहे हैं।

एक और योजना है जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। वह है राष्ट्रीय वाटर शैड प्रोग्राम। इसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग मिल कर काम करेंगे। जो हमारी पहाड़ी हैं, या ऐसे इलाके हैं जो वैसे ही पड़े हैं उस इलाके में जो पानी बह कर समुद्र में चला जाता है उस पानी को रोक कर वहां पेड़ लगाकर, एनीकट वगैरह बना कर नीचे का हिस्सा है वह खेती के लिए ठीक करके हम वहां के किसानों को उपलब्ध करायेंगे ताकि उस पानी को वहीं जज्ब करके वहां पेड़ लगाये जा सकें, खेती की जा सके और पशुओं के के लिए चारा पैदा किया जा सके। इस प्रकार की योजनायें, कुछ अभी चल भी रही हैं और आने वाले समय में भी हम इसको करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां वन्य जीवों के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं। मुझे खुशी है सदन को यह बताते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने 792 लाख की एक योजना रणथम्भौर के विकास के लिए सिद्धांततः मंजूर कर ली है और कल या परसों अखबार में अपने प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार करने की घोषणा पालियामेंट में की है। मैं समझता हूं, रणथम्भौर के ऊपर जो चराई का प्रेशर है उस प्रेशर को हम इस योजना के माध्यम से और जो अभी यदा-कदा घटनाएं होती हैं, नागरिकों और वन विभाग के आपस में कन्फ्रन्टेशन होता है उसमें कुछ लाभ मिल सकेगा। इसी प्रकार जो लघु उपज है, हमारे जो आदिवासी हैं, वन के जो उनके इलाके हैं, उसकी उपज उनको मिले इसके लिये 1250 हैक्टेयर में एक योजना लागू की गई है जिसको हम इस साल लागू कर रहे हैं ताकि उनको इस उपज का लाभ मिल सके। क्योंकि वनों का और उससे जुड़े हुए लोग हैं आदिवासी, उनका आपस में चोली दामन का साथ है। इसलिए जब तक हम उनके विषय

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

में नहीं सोचेंगे तब तक हम कोई बड़ी भारी बातें कर सकें, यह सम्भव नहीं होगा।

इसी प्रकार एक नई योजना हमारे जो रेगिस्तान के इलाके हैं उन इलाकों में लागू की है। । टीबा स्थरीकरण योजना है। जहां बहुत बडे टीबे होते हैं उनको रोकने के लिये उड़ कर इधर उधर जाते रहते हैं, वह नहीं उड़े। पहले यह काम केवल जो सरकारी भूमि है उसमें किया जाता था लेकिन अब डी. पी. ए. पी. और डी. डी. ए. में इस काम को प्राइवेट लोगों के खेतों में जहां टीबे हैं उनमें करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं । इसके लिए पैसा भी इस योजना के तहत मंजूर किया गया है। अभी अरावली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने एक बात यहां कही थी। माननीय प्रधान मंत्री जब माउण्ट आबू पधारे थे उनके सामने यह योजना राज्य सरकार की तरफ और हमारी दूसरी जो यहां संस्थाएं हैं उन्होंने प्रस्तुत की थी । इस योजना को बना कर हमने योजना आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया है । वह करीब 266 करोड़ की योजना है। इसमें 179 करोड़ रुपये पेड़ लगाने के सम्बन्ध में हैं। इस योजना पर योजना आयोग बहुत ही गम्भीरता से विचार कर रहा है। मैंने अभी जब यहां के कागजात देखे हैं, माधवसिंह जी सोलंकी, जो योजना मंत्री हैं, ने भी लोक सभा में एक जबाव में बताया है, यह योजना हमारे विचाराधीन है। इसमें न केवल राजस्थान बल्कि इसमें गुजरात का कुछ भाग, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली यह राज्य सम्मलित हैं। इस योजना को हम कितनी जल्दी स्वीकार करा सकें, इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है और जो उनको उत्साह नहीं मिल रहा हैं पेड़ लगाने के लिए वह उनके ऊपर लगी हुई बहुत सारी पाबन्दियां हैं । आज किसान पेड़ लगाना चाहता है लेकिन उसे काटने के लिए बहुत सारी पाबन्दियां हैं । हमने यह निर्णय किया है कि उन पाबन्दियों को हटाया जाय और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं आठ-दस जिनके बारे में कोई परमीशन या इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह प्रजातियां हमारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें नहीं पाई जातीं । इसको सरलीकरण करके हम कोशिश करेंगे कि पांच-सात रोज में इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकालना हो विभाग की तरफ से, वह निकल जाय ताकि उन किसानों को पेड़ लगाने में जो हमारी फार्म फारेस्ट्री है या सोशल फारेस्ट्री का कंसेप्ट है वह कंसेप्ट पूरा हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने कुछ अपनी बातें यहां कही हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ बातें तो मैंने यहां बता दी हैं लेकिन कुछ जो प्रश्न उन्होंने रखे हैं, कोई शिकायतें हैं, कुछ और दूसरी बातें हैं उनके बारे में तो इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन....

श्री दिग्विजय सिंह : वन निगम का क्या कर रहे हो आप ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वन निगम की कल बैठक है उसमें कोई निर्णय लेंगे। वह मामला विचाराधीन है। मैं चाहता हूं कि वन निगम जिस लक्ष्य से बनाया गया

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

था, जैसा आपने बताया, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स हमें मिल जाय। यह जो एक इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर वृक्ष आ रहे हैं और काफी अब मैच्योर भी हो गये हैं उनको काटना जरूरी है, वह हम काट सकें। उनको एक वैज्ञानिक तरीके से दोहन कर सकें इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

यहां माणक जी डाणी ने रावली के रेंज के बारे में कुछ बातें कही हैं। पहले वह अजमेर में थी, मैं देखूंगा कि किस वजह से कुछ और माननीय सदस्यों ने इस बात को यहां उठाया है। उसका कारण जो मुझे बताया गया है, हमारे यहां वन्य जीवों का एक अलग से विंग है उस विंग के अण्डर में कुछ जगह हमने दी है, उसी तरह से रावली, कुछ कुम्भलगढ़ और सैंदड़ा के आस-पास की बातें पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने बताई थीं इनको इस वजह से उनके अण्डर में किया गया है इसलिये देखूंगा किस तरह से इसको हम वापस नजदीक ला सकें ताकि उनका निरीक्षण, सुपरवीजन ठीक ढंग से हो सके।

अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ अपने इलाके की समस्याएं और वहां सेन्चुरी वगैरह हैं उनमें वन विभाग के द्वारा जो कुछ नाजायज कब्जे की बात की है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की भविष्य में कोई शिकायत मेरे ख्याल से सुनने को नहीं मिलेगी। एक बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, वहां बिड़ला द्वारा एक कारखाना खाद का लगाया जा रहा है। वह सैन्चुरी है उसके नजदीक है। लेकिन मुझे खुशी है यह बताते हुए माननीय सदस्यों को कि उसकी पूरी की पूरी दीवार और पेड़ लगाने के लिए उस खाद कारखाने के जो मालिक हैं उन्होंने पूर्व में ही इसके लिए जितना भी फाइनेन्स वित्त चाहिये वह जमा करा दिया है। उन गोडावण और दूसरे जो पशु-पंक्षी हैं, उनकी रक्षा करने के लिये भी उन्होंने पूरा पैसा देने के लिए सरकार को वायदा किया है। मैं समझता हूं, उससे इस सैंक्चुरी को और बढ़ाने का मौका हमें मिलेगा।

इसी तरह से यहां भार्गव साहब ने कुछ जयपुर के नाहरगढ़ और जयगढ़ के पेड़ों के लिये बात कही है। कुछ उसके सौंदर्यकरण की बात कही है। झालाना में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने की बात कही है। मेरे पूर्ववर्ती मंत्री थे उन्होंने इस बात को यहां कहा था। मैं समझता हूं कि इस काम को हम अभी कर भी रहे हैं, मैंने प्रश्न के जबाव में कुछ माननीय सदस्यों को बताया है कि नाहरगढ़ के ऊपर निश्चित रूप से हम वृक्षारोपण का जो हमारा कार्यक्रम है उसको कर रहे हैं। पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए भी करीब 86 लाख रुपये इस वर्ष में रखे गये हैं। इससे हम पहाड़ों को हरा भरा करने का जो हमारा कार्यक्रम है उसको करने की कोशिश करेंगे। करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने....

एक माननीय सदस्य : वह चले गये हैं, जो हैं उनका जवाब दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : चले गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको आप इण्डिविजुअली जवाब भेज दीजियेगा अगर भेजना चाहें तो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसी तरह से उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा । कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा है और बहुत ही रचनात्मक सुझाव कि किस प्रकार से वन्य जीवों और वनों की हम रक्षा कर सकते हैं, खास तौर से बीज को बढ़ाने और कम करने की उन्होंने बात कही है और उसके ऊपर स्टाफ बढ़ाने की बात कही है । इसके ऊपर निश्चित तौर से हम विचार करेंगे और इसके लिए और जो पैसा चाहिए वह पैसा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं....(व्यवधान) मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों के सबके जवाब दे दिये हैं और मैं निवेदन करूंगा कि इसको पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे या गिरिजा जी बोलेंगी । आज हो जाय गिरिजा जी का परफारमेंस ।

सुश्री गिरिजा व्यास (राज्य मंत्री, महिला-शिशु एवं पोषाहार विभाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने परीक्षा के लिए मुझे चुना इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में आज जो कुछ भी समस्याएं उठीं उनके सम्बन्ध में काफी बातें कही थी लेकिन आज भी कुछ विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाये । मैं उन बातों का जवाब इस वक्त नहीं देना चाहती हूं । केवल एक शेर अर्ज करना चाहती हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शेर से पार नहीं पड़ेगी, आप जवाब दीजिए ।

सुश्री गिरिजा व्यास : शेर सुनना पड़ेगा साहब –

"वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते,
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ।"

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आह क्यों भरते हैं आप ?

सुश्री गिरिजा व्यास : भरना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, कल भी इसी विषय पर बात हुई थी कि जनता राज के दौरान क्या हुआ । मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत वह बात कही उसको मैं दोहराना नहीं चाहती लेकिन हमारी सरकार का मुख्य मुद्दा और हमारी सरकार की मुख्य प्रतिबद्धता कल्याण की है और नीचे के तबके के लोगों से विशेष रूप से कल्याण की है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी कुछ घोषणाएं इस सम्बन्ध में कर दी थी लेकिन आज माननीय सदस्यों ने अपनी समस्याओं के साथ-साथ कुछ ऐसे पाइंट्स भी रखे जिन पर आज घोषणा की जानी आवश्यक प्रतीत हो रही थी और खास करके कल्याणकारी सरकार की ओर से ।

पहले मैं उनकी बात करना चाहूंगी । माननीय मदन जी महाराज ने एक मुद्दा उठाया था कि केन्द्र ने एस.सी., एस.टी. के बैंक लॉग को खत्म करने के लिए काफी कुछ नये सुझाव रखे हैं और सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि एस. सी., एस.टी. के बैक लॉग को खत्म किया जाय । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगी । राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है उन

(सुश्री गिरिजा व्यास)

पदों पर अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। अर्थात् अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने पर उन पदों को सामान्य व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा जाएगा।

श्री सम्पतसिंह : "जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया।

सुश्री गिरिजा व्यास : आता है। यह भी निर्णय लिया गया है कि नवीन नियुक्तियों पर वित्त विभाग द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है और अनुसूचित जाति, जन जाति के रिक्त पदों के लिए बैक लॉग सम्मिलित करके राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं में सीधी भर्ती पर से हटा दिया जाएगा।

अध्यापक, अध्यापिकाओं ग्रेड द्वितीय एवं तृतीय, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरा मेडिकल स्टाफ आदि पदों के लिए जिनमें बैक लॉग अधिक है, बैक लॉग पूरा करने के लिए विशेष अभियान केवल अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों की भर्ती के रूप में चलाया जाय। पंचायत समितियों के तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की अनुसूचित जाति, जन जाति हेतु आरक्षित पदों को भरने के लिए जिला संस्थापन समितियों को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं। कनिष्ठ लेखाकार की सीधी भर्ती हेतु ली गई परीक्षाओं का अनुभव रहा है कि अनुसूचित जाति, जन जाति के अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते और इस कारण काफी बड़ी संख्या में कनिष्ठ लेखाकारों के पदों का बैक लॉग चला आ रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक, कोष एवं लेखा कनिष्ठ लेखाकारों के पदों हेतु केवल अनुसूचित जाति, जन जाति के अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेंगे एवं उनमें से योग्यता के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को तीन माह का एक विशेष प्रशिक्षण परीक्षा की तैयारी हेतु दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा प्रशिक्षणार्थी को इस दौरान स्टाइफण्ड भी दिया जाएगा।

निगमों एवं मण्डलों की सेवाओं में भी अनुसूचित जाति, जन जाति के बैक लॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य सचिव ने पद समाप्त करने के लिए सर्कुलर निकाल दिया कि चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पदों को समाप्त समझा जाएगा। तो जो रिटायर होंगे, उनको क्या करेंगे, उनको एस.सी. से भरिये ना।

सुश्री गिरिजा व्यास : जितने पद हैं उससे बैक लॉग को भरा जाएगा।

श्री यदुनाथ सिंह : वह पद आप समाप्त कर रहे हैं। जो भी रिटायर होंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में।

श्री शिवचरण माथुर : उन जगहों को जो सरप्लस स्टाफ है उससे पहले भरने के बाद....

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रमोशन का जो बैक लॉग ड्यू है उसको भी भरा जाएगा क्या?

श्री यदुनाथसिंह : यह बैक लॉग कितना है राजस्थान में ?

श्री उपाध्यक्ष : वर्क आउट किया जाएगा ।

सुश्री गिरिजा व्यास : अलग-अलग है ।

श्री यदुनाथ सिंह : कोई कम्पाइल तो किया होगा । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : हम तो यह जानना चाहते हैं कि आपने तालिका तो बनवाई होगी कि इतना बैक लॉग भरेंगे, वह बताइये तो सही कितना है ?

श्री यदुनाथ सिंह : प्रधान मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि 13 अगस्त तक सारे पद भर दिये जाएंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह वर्क आउट किया जाएगा, नवरंगसिंह जी, जवाब नहीं सुनना है आपको ?

श्री शिवचरण माथुर : अगर आप ध्यान से सुनते तो जिनमें बैक लॉग है उन्हीं का जिक्र किया गया है । कनिष्ठ लेखाकार, इंजीनियर्स का किया गया है....

श्री यदुनाथ सिंह : नम्बर क्या है ?

श्री दिग्विजय सिंह : क्वाण्टम क्या है ?

श्री नवरंग सिंह : कितने प्रतिशत बैक लॉग आपको पूरा करना है ?

सुश्री गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आई.टी.डी.एस. के सम्बन्ध में नहीं कहूंगी तो अपनी परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण नहीं होऊंगी । इस वर्ष 26 महिला-बच्चे परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं जिससे प्रदेश के सभी जिले लाभान्वित हो सकेंगे । इनमें ट्राइबल एरिया के सभी ब्लाक पहले से ही लाभान्वित हैं, गत वर्ष हमने लाभान्वित किये थे और 30% से अधिक एस.टी. की जनसंख्या वाले ब्लाक कवर कर दिए जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सजेशन दिये और खास करके पुष्पा जी के सम्बन्ध में जिन्होंने उमा शर्मा की मौत....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : घोषणाएं पूरी हो गई क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : सेटिस्फाई हो गये आप । भंवरलाल जी आप तो घर के हैं । पुष्पा जी के सम्बन्ध में घोषणा हो रही है । आप बैठिये तो सही ।

सुश्री गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता सम्पूर्ण जनता के लिए है विशेषकर पिछड़े और नीचे के तबके के लिए और हम प्रतिबद्धता से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री नाथूसिंह : हम बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आगे आएगा । पहले पारित कर लेते हैं ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (सं: 4) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ।

श्री नाथूसिंह : मैं दो-तीन सवाल पूछ रहा हूं....(व्यवधान) मैं सीरियस होकर पूछ रहा हूं । एक तो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माइनिंग डिपार्टमेण्ट में कुछ रूल्स बदले हैं, बिजौलिया के लिए और जोधपुर के लिए एम.एम.सी.आर. में नियम बदले हैं। उन्होंने कहा कि बिजोलिया के अन्दर जो व्यक्ति माइनिंग लेंगे उनको उसी पंचायत समिति के लोगों को प्रिफरेंस दिया जायेगा। इसका मतलब यह है कि जो सोसायटीज बनी हैं इल्लीगल वहां और बेनामी सोसाइटीज बनी हुई हैं और जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह अमेण्डमेण्ट रूल्स में किया कि नहीं किया और यह क्यों किया है ? इसका परपज क्या है ? एक तो यह है । उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे को ऐसी जानकारी मिली है कि आपने....

श्री उपाध्यक्ष : अब फिर आप दूसरे पर आ गये ।

श्री नाथूसिंह : हां, उसी पर लेट मी कम्पलीट मुझे मेरी जानकारी के अनुसार आपने पहले यह आदेश दे रखा था कि वहां पर जो खेती की जमीन है उस पर माइनिंग की लीज नहीं दी जायेगी और उसके बाद जब आपने यह बदला है । वहां पर लोगों ने कब्जे कर लिये, कुछ बड़ी-बड़ी सोसायटीज और इण्डिविड्युअल लोगों ने उस जमीन पर बाड़े बना लिये हैं, उनको रेग्युलराइज करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए 840 प्लाट तैयार किये जा रहे हैं उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए । तो क्या यह एक पंचायत समिति की लिमिट करना या उनको विशेष रूप से उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और आपके पर्सनल हित में यह बात नहीं है क्या ? इस पर आप पर आरोप लग रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने जो यह, रूल्स में अमेण्डमेण्ट कराया है । दूसरा, मेरा सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह का, अभी इन्होंने एक्साइज के अन्दर, आप दिखवा लीजिये, एक्साइज के अन्दर कुछ लोगों में पैसे बाकी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप फिर दूसरे पर आ गये ।

श्री नाथूसिंह : मैं उसमें ही बोल देता हूं उसी में ही जवाब दे दें । (व्यवधान) हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में अगली पार्टी ले गई ।

श्री प्रणवीर व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथूसिंह जी आपने जो इन्फोर्मेशन दी है अभी जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर कोई प्लाट दिये जा रहे हैं तो वह उसी पंचायत समिति क्षेत्र के गरीब लोगों को जो माइनिंग में काम करने वाले हैं, जो माईनिंग का धन्धा जानते हैं और दूसरों की नौकरी करते हैं उन लोगों को । हजार या 800 या 900 जो भी प्लाट हैं उनकी एप्लीकेशन्स लेकर

(श्री प्रणवीर व्यास)

के लॉटरी निकाल करके उनको दिये जा रहे हैं। यह एक समाजवाद का बहुत बड़ा काम है, गरीब लोगों को ऊंचा उठाने का काम है और जो माइनिंग के अन्दर....

श्री नाथूसिंह : यह नहीं है।

श्री प्रणवीर व्यास : नाथूसिंह जी मेरी बात सुनिये आप। जो माइनिंग के अन्दर वहां पर जो एक तरह की+++किन्हीं लोगों की जमी हुई थी उस+++को खत्म करने के लिए यह प्रोवीजन किया गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर जो कदम उठाया है वह गरीबों के उत्थान के लिए उठाया है और वहां पर कोई भी चार्ज मुख्य मंत्री के ऊपर नहीं लगा सकता। अगर एक सिंगल इन्स्टेंस भी आपके पास हो तो आप लाइये। हमारे मुख्य मंत्रीजी बेदाग हैं और बिल्कुल ईमानदारी से उस क्षेत्र का विकास करने में लगे हुए हैं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप व्यासजी को जवाब देंगे क्या ?

श्री नाथूसिंह : उनको जवाब नहीं दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह दें, जवाब आपका आ जायेगा।

श्री नाथूसिंह : He is not competent to give the reply.

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री नाथूसिंह : वह मिनिस्टर होते तब तो मैं ओथेन्टिक....

श्री उपाध्यक्ष : अब आखिरी सवाल, दूसरा सवाल पूछ लीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री खान) : माननीय नाथूसिंह जी, आपने दो बात कही हैं कि स्थानीय लोगों को, क्या लाइसेंस देने की नीति निर्धारित सरकार ने की है। वह इसलिए नीति निर्धारित की क्योंकि बाहर के लोग जो जाकर वहां कब्जा कर लेते थे और वहां माइनिंग में काम करने वाली लेबर थी उनको चांस नहीं मिलता था। इसलिए यह नीति निर्धारित की गई कि स्थानीय लोगों को लॉटरी सिस्टम से वहां पर लाइसेंस दिया जाय। उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी का कुछ नहीं है। यह तो एक नीति निर्धारण का मामला था और राज्य सरकार ने उचित समझा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाये जो माइनिंग क्षेत्र में लेबर का काम करते हैं। दूसरी बात आपने कही....

श्री नाथूसिंह : यह नहीं माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यही है। जो हमने नीति निर्धारित की है, पांच नीति निर्धारित की हैं....

श्री नाथूसिंह : आप जरा सुन लीजिये। क्या यह सही नहीं है कि आपने, मुख्य मंत्रीजी ने यह आदेश दिया सख्ती से कि इस जमीन के ऊपर, खेती की जमीन के ऊपर माइनिंग नहीं होगी। जो आदेश

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नाथूसिंह)

मुख्य मंत्रीजी आपने दिया है और उसको सख्ती से....

श्री उपाध्यक्ष : नो आर्ग्यूमेण्ट।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय नाथूसिंहजी उसमें एक नीति नहीं है बाकी 6-7 नीति निर्धारित की गई हैं जिसमें एक वह भी है, जिसमें फोरेस्ट का है।

श्री नाथूसिंह : माननीय मंत्रीजी एक मिनट विराजे। क्या यह आदेश मुख्य मंत्री जी का नहीं था कि इसकी सख्ती से पालना की जाय कि माइन्स नहीं दी जाय। अब वह मजदूरों के नाम पर उपाध्यक्ष महोदय, पहले कमजोर तबके के, उन लोगों के नाम पर तो फर्जी सोसायटी बनी, आज कितने कमजोर तबके के लोग माइन्स में काम कर रहे हैं ? आप चलिये, आपके साथ मैं भी चलता हूं। उन कमजोर तबकों के नाम के ऊपर बड़े-बड़े सेठ, वहां पर लम्बे चौड़े प्लाट लेकर के बैठ गये और उसमें भी यही होगा। +++

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow it.

आप आरोप नहीं लगायें।

Strike it off.

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सख्त एतराज करता हूं इस बात पर। श्री नाथूसिंह जी यह समझते हैं कि यहां आकर किसी के बारे में कुछ भी कह दें। मैं इसमें सख्त एतराज करता हूं और मैं कहना चाहूंगा इस तरह की बातें आप कर रहे हैं....

श्री नाथूसिंह : आपके यह आदेश थे कि नहीं कि सख्ती से पालन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I have already struck it off.

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) : आप जो बात कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। नाथूसिंह जी आप अन्दाज बता रहे हैं। ऐसा होगा तो ऐसा हो जायेगा। अगर हमारे घर वाले नहीं मरते तो फौज अपने घर में ही हो जाती। ऐसा होता तो ऐसा होता, कैसे होता।

श्री नाथूसिंह : आपको तो पता ही नहीं है।

श्री भूदरमल वर्मा : हमको सब पता है, उनको सब पता है।

श्री नाथूसिंह : माननीय भूदरमल जी आपको पता नहीं है।

श्री भूदरमल वर्मा : उनको पता है माननीय नाथूसिंहजी।

श्री नाथूसिंह : आपके लड़के को फर्जी आदमी बता करके आपने रायपुर में जमीन अलाट करा ली नाजायज रूप से, आपको तो यह पता है। (व्यवधान) आपको तो यह पता हो, रायपुर के अन्दर अपने लड़के को फर्जी आदमी बता करके....(व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : मैं तो यह कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस कल्याणकारी सरकार के जो माननीय मुख्य मंत्री माथुर साहब ने जो अभी घोषणाएं करी हैं, देश

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भूदरमल वर्मा)

का लीडर इसका प्रतीक है कि ये वास्तविकता में शैड्यूल्ड कास्ट के, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास को किस तरह से चाहते हैं। माननीय राजीव गांधीजी की जो घोषणाएं हैं उस कार्यक्रम को राजस्थान में सबसे आगे लेकर के और शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्स ट्राइब्स का विकास करना चाहते हैं और वास्तविकता में उसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं और जो वर्षों से बैक लॉग पूरा करना चाहते थे वह आपने पूरा कराया है। इसलिए मैं राजस्थान के प्रदेश के शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से माननीय माथुर साहब को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिये इन्होंने साहसिक कदम उठाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंहजी, अब आप दूसरा सवाल बोल लीजिये।

श्री नाथूसिंह : दूसरा सवाल है। मैं सरकार के फायदे की बात कह रहा हूं। एक्साइज के अन्दर 1987-88 एण्ड 1988-89 उसमें पांच करोड़ का ठेका दो वर्ष के लिए भीमसेन एण्ड पार्टी को दिया और 67 लाख रुपये की रिकवरी करनी थी....

श्री उपाध्यक्ष : कहां पर, कौन से एरिया में ?

श्री नाथूसिंह : मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिये। 42 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट के एडजस्ट करके 25 लाख रुपये जमा कराये हैं राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया इसके बाद 14.10.1988 को पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट में और 14.10.1988 को 28 लाख की बैंक गारण्टी देकर के ली जाय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। सरकार के फायदे की बात कह रहा हूं। आपने यह कह दिया कि 28 लाख की बैंक गारण्टी ले ली जाय। उसके विरुद्ध आज तक उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने, मैं निवेदन करता हूं, मैं इसमें किसी मंत्री का हाथ नहीं बता रहा हूं, आपके जो अधिकारी हैं तो आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिप्लाई तक फाइल नहीं कराया। तो कृपया इससे आपको 28 करोड़ रुपये का फायदा होगा। कम से कम यह काम आप करें। यही निवेदन करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामचन्द्रजी।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मंत्रीजी एक घोषणा और कर दीजिये, मेरे रेफरेल हॉस्पिटल के बारे में आपने कहा था उसकी घोषणा कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। अभी पहले जो माननीय नाथूसिंहजी ने मुख्य मंत्रीजी के सम्बन्ध में आरोप लगाये थे मैंने उसको एक्सपंज का आर्डर दे दिया है। The press to not it.

श्री नाथूसिंह : अजी, इनका आदेश है कि माइनिंग का काम नहीं होगा और बाद में यह होगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसके लिए बात कह रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : पहले आदेश दिया कि माइनिंग.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह माइनिंग की बात आपकी नहीं काटी है।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को या मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि आपने बिजोलिया क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से जो प्लाट दिये हैं लेकिन आपने सहकारी समितियों को एन ब्लाक नहीं देकर उनको आपने इण्डिविज्युअल डिस्ट्रीब्यूट किया है। सहकारी समितियों को जो भी अलाटमेंट होता है वह एन ब्लाक होता है सब प्लाट्स का इकट्ठा उसमें किसी ओनरशीप और इण्डिविज्युअल उसका नहीं होता है लेकिन आपने कुछ चन्द व्यक्तियों को लाभ देने के लिए जितनी भी को-ऑपरेटिव सोसायटीज बनायी हुई हैं उसमें से इण्डिविज्युअल आदमी को सलेक्ट करके पर्टिकुलर प्लाट्स दिये हैं। क्या यह को–ऑपरेटिव सोसायटी के अनुकूल हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो आज प्लाट्स दिये हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से या वहां के मिनरल लेबरर्स को, क्या सरकार ने चैक किया है कि वह मिनरल लेबरर्स के नाम से जो अलाटमेंट हुआ, क्या दरअसल में वह मिनरल लेबरर्स थे ? क्या इसका फिजिकल वेरीफिकेशन आपने किया है और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार उन तथाकथित मिनरल लेबरर्स को, जिनके नाम आपने खानों का अवंटन किया है, वह बहुत से भीलवाड़ा के व्यापारी हैं, राजनीतिक हैं, उन्होंने फर्जी असत्य एप्लीकेशंस देकर के अपने आपको मिनरल लेबरर्स बनाये हैं और उनको अलाटमेंट किया है। लेकिन आपमें साहस नहीं है। मैं कहता हूं कि यहां विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बैठायी जाये और वह जांच करे कि जिन आदमियों को आपने मिनरल लेबरर्स के नाम से अलाट किया है, वह वास्तव में मिनरल लेबरर्स हैं या नहीं हैं ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष जी, कराओ मंत्री जी से जांच।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन, एक ही सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, आप जवाब देंगे। (व्यवधान) माननीय किसान जी, आप 20-25 मिनट बोले हैं, आपको सेटिसफैक्शन नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्रालय शराब के ठेकेदारों का 18 प्रतिशत ब्याज बकाया रकम पर माफ कर रहा है, इस शर्त के साथ कि बकाया रकम जमा कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठिये आप।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पंचायत समिति सांभर में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही तो बिल ला रहे हैं माफ करने का।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : 275 गरीब अनुसूचित जन जाति के परिवार, जिसके 2.75 लाख रुपये गबन होना इसी सदन में सरकार ने स्वीकार किया है और अब उसी राशि को उन गरीब हरिजनों से

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

जबरन वसूल कराने का सरकार इरादा रखती है, इसलिये अधिकारियों को वहां डैप्यूट किया है कि वह गबनशुदा राशि वापिस की जाये और अनुसूचित जन जाति के हरिजन मेहतर, रेगर और बढ़ई से वसूल करना चाहते हैं, जिनको खा गये। इसी सदन में सरकार स्वीकार कर चुकी है कि खा गये।

श्री उपाध्यक्ष : O.K. Now please finish it.

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय, वन विभाग के सम्बन्ध में जो पहले चौकियां थीं, आप उनको दुबारा चालू करना चाहते हैं या नहीं। वनों की कटाई को आप लोगों की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जयपुर शहर में मैं कहती हूं, हर रोज सड़कों से आने वाली गाड़ियों से पांच-पांच सौ, छः-छः सौ गाड़ियां सारी रात चलकर आती हैं। न केवल जलाऊ, लकड़ी के लिए आती हैं, वह मकान बनाने के लिये और फर्नीचर बनाने के लिये अन्य कामों के लिये आती हैं। आप इसको रोकना पसंद करेंगे कि नहीं, मुझे बतायें। जो पहले टी.पी. सिस्टम था, उसको चालू करेंगे या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बता देंगे, अब आपका सवाल आ गया। माननीय नाथूसिंह जी, प्लीज सिट डाउन। आ जायेगा जवाब बाद में। श्री भंवरलाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां विधान सभा में दो बातें आ गई, बिजोलिया की जो माइंस हैं, उसके बारे में सरकारी पक्ष का तो कहना यह है कि हमने बड़े नियमित और जो रोजगार में नहीं थे, उन मजदूरों के लिये हमने माइंस दी हैं और माननीय सदस्य रामचन्द्र जी ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। यह आपने कांग्रेस के नेताओं....

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आप ले रहे हैं। उसमें बी.जे.पी. वाले भी आ सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यापारियों को, पालिटिकल लीडर्स को दिया है। सवाल यह है कि हाउस के सामने दो बातें आ गई। इन्होंने बड़ी गम्भीरता और ईमानदारी के साथ कहा है और सरकार का कहना यह है, क्या तय करें कि वास्तविकता क्या है ? मेरा सुझाव था कि इसके लिये हाउस की एक कमेटी बैठायी जाये तो माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर यह बात सही है और जैसा आप कहते हैं कि सरकार का दावा साफ है, तो क्यों नहीं जांच करा लेते ? जांच करा दें अगर सही बात है तो। Be bold and tell it.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी। ओ.के. नाऊ प्लीज सिट डाउन। नाथूसिंह जी, बैठिये अब आप।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल यह है, यहां पर यह कहा गया कि आरक्षण की पूर्ति की जायेगी। आरक्षण की बाबत पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आरक्षण की पूर्ति करेंगे। प्रधान मंत्री जी का तीन महीने का जो कार्यकाल है, वह 13 अगस्त को

(श्री नवरंग सिंह)

समाप्त हो रहा है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार जो घोषणा कर रही है, वह 13 अगस्त तक कर देगी ? क्या उसने कोई प्रोग्राम तय किया है, तो वह प्रोग्राम बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सवाल, मेरा दूसरा यह है कि चूंकि बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना मामला बताया है, इसलिये उन सब मामलों में जो भी अलाटमेंट वास्तव में है, जिनको भी किया है, वह किसी भी टाइप के लोग हैं, उस सारे मुद्दे में जो माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ आरोप आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हाउस कमेटी से जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी बोलें।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : इस सदन में दो वर्सन आये हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटे गरीब लोगों को प्लाट दिया है, गरीबों को दी है, अगर वास्तव में दिये हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ बिल्कुल कैटेगरीकल जनता दल के नेता ने यह कहा है कि वह प्लाट....

श्री उपाध्यक्ष : Government's version is authentic.

श्री शोपतसिंह : गरीबों के नाम से न होकर दूसरों के नाम से है। फर्जी गरीब बने हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय शोपत सिंह जी, पालीटिकल फोर्जरी में कौन लोगों के प्लाट हैं, नाम तो बताइये उनका।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : माननीय रामचंद्र जी और नाथू सिंह जी दोनों माइन्स मिनिस्टर से मिल लीजिये और सारी स्थिति समझ लीजिये। आपको सन्तोष नहीं हो, तो फिर मुझे बता दीजियेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्दसिंह जी, जवाब दे दीजिये डा. उजला अरोड़ा का।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, शायद यह भूल गई होंगी कि जब हमने ज्यादा सख्ती करी तो भार्गव साहब और उजला अरोड़ा जी, दोनों मेरे पास आये कि लकड़ी क्यों बंद कर दी, मुर्दों को जलायें कैसे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, यह बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। मैं कभी नहीं गया आपके पास।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ मोरपगी के लिये कहा था, काहे के लिए कहे जा रहे हैं।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1989 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1989 को पारित किया गया। नाऊ टेल इट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप अपने पाप को छिपाना चाहते हैं। मैंने मोरपगी के लकड़ी के लिये कहा था। जो उंगली के बराबर होती है। आज गाड़ियां देख लीजिये पूरी की पूरी पेड़ से लद कर आती हैं। अफसोस की बात है आप उसको रोकना तक नहीं चाहते। इस तरह की बातें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्या।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप मेरे पास आई थीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मोरपगी की लकड़ी के लिये मैंने कहा था आदि-कालीन सिस्टम था, अफसोस की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर विधेयक है। माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने बहुत गम्भीर बात कही है। आप असत्य मत बोलिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैं कभी किसी के कमरे में नहीं जाता।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं जाते, भार्गव साहब नहीं जाते हैं। चलिये, बैठिये आप। नहीं जायेंगे। अब....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं, बिल्कुल असत्य बात बोले हैं आप। मैं, क्या रखा है आपके पास, आऊंगा ? अफसोस है आप असत्य बोलते हैं। मैं लकड़ी कटवाऊंगा ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जब मैं पहले वन मंत्री था, तब आप आये थे। आप दोनों आये थे। आपने प्रयास किया है। मैं असत्य नहीं बोलता हूं। मैं इतना ओछा नहीं हूं, अब आप भार्गव साहब आप असत्य बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गम्भीर बात है। मैं कभी ऐसे असत्य नहीं बोलता। यह मेरा अपना तरीका है बात करने का। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप बिल्कुल असत्यवादी हैं। मैं आपको गाली देकर के बोलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप असत्य बोल रहे हैं, आपकी याददाश्त खत्म हो गयी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको अपशब्द बोलूंगा सबके सामने। यह आपका ठीक व्यवहार नहीं है। मैं कब गया था। आपके चैम्बर में ? मैं आपका सम्मान करता हूं, आप असत्यवादी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सारी लकड़ी आप हमारे नाम पर बेच रहे हैं। लोगों में हंसी उड़ा रहे हैं। वहां रहेंगे, वहां....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपकी दया पर चुनकर नहीं आया हूं। जयपुर की जनता के टिकट पर चुनकर यहां आया हूं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आपकी धौंस नहीं चलेगी मेरे ऊपर। मैं असत्य के बिल्कुल विपरीत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे मीरपगी लकड़ी को ले जाने की बात कही गई थी, जो आदिकालीन नियमों में है, जो मीणा जाति के लोग इतने-इतने टुकड़े ले रहे थे, मैं तो....। पूरी की पूरी गाड़ियां लद-लद कर निकाल रहे हैं, आपसे निवेदन है, अब इन्हें बन्द कर दीजिये। अब भी आप चेत जाइये, वरना आपके माथे पर कलंक लगेगा।

श्री रघुनाथ परिहार : गिरधारीलाल भार्गव साहब तो इतने क्रुद्ध होते ही नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप मंत्री जी मेरी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded now. I have said.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, भार्गव साहब, बैठिये। शांत हो जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, अब बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ प्लीज स्टॉप इट, आई से। माननीय मंत्री जी।

विधायी कार्य
विधेयकों का पुरः स्थापन

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1989

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

सुश्री गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करती हूं।

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष : आप रजिस्ट्रीकरण वाले के लिए प्रस्ताव करें। आज्ञा मांगें।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

सुश्री गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करती हूं ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथजी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश 1989 परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989.

माननीय श्री गिरधारी लालजी भार्गव

श्री रघुनाथ विश्नोई : भार्गव साहब को थोड़ा पानी पिला देते तो अच्छा रहता ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चिन्ता मत करिये इसकी । पानी-वानी तो आपको पिला दूंगा मैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ठण्डे दिमाग से । संतुलित, एज ए डॉक्टर गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बिल्कुल ठण्डे दिमाग से बात करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी आदत को जानते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और आज से नहीं, बहुत पुराना मेरा वह है....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, चलिये-चलिये ।

श्री शिवचरण माथुर : हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैंने पहली बार ही आपको ऐसे देखा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप सब्जेक्ट पर ही बोलिये । यह भी बुजुर्ग आदमी हैं, इस तरह की बात मत कीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप छोड़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, नाऊ ।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बुजुर्ग आदमी हैं, आपको सम्मान करना चाहिए । इस तरह नहीं बोलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ओ. के. ओ. के. । गिरधारीलाल जी, प्लीज स्टार्ट इट । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये नाच कर आये हैं मेरी गूजर घाटी में, इनको बता रही हूं मैं, पर इतना असत्य बोल रहे हैं, इस पर इन्हें धिक्कार है....

श्री उपाध्यक्ष : उजलाजी, आप बैठें । आग में घी न डालें आप । कृपया बैठें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यादेश को निरस्त किया जाय, यह बात मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा । एक छोटी सी बात के लिए अध्यादेश निकाला गया । कमिश्नर का नया पद सृजित किया गया और जो नया पद कमिश्नर का सृजित किया गया, उसको पावर मिलनी चाहिए इसके नाते राज्य सरकार ने अध्यादेश निकाला अध्यादेश नम्बर तीन, 1988 यह निकाला, 22 जून, 1988 को । बिल लाये बिल नम्बर, 19, 1988, अध्यादेश के स्थान पर लाये और यह कहा गया कि नौवें विधान सभा सत्र में बिल पास नहीं हो सका । उसके बाद अध्यादेश नम्बर 16 लाये, 8 नवम्बर, 1988 को फिर यह कहा गया कि बिल नम्बर दस जो है, वह भी सत्र में पास नहीं हो सका । दो बार तो इनका ऑर्डिनेन्स लैप्स हो गया । फिर तीसरी बार ये ऑर्डिनेन्स लाये हैं, फिर अध्यादेश नम्बर चार लाये 1989 को और राज्यपाल महोदय ने इसको असेन्ट दी 22 अप्रेल, 1989 को । महामहिम राज्यपाल महोदय को इन्होंने तीन बार व्यायाम करा दिया कि आप ऑर्डिनेन्स निकालो, ऑर्डिनेन्स निकालो, ऑर्डिनेन्स निकालो । तो यह यदि ऑर्डिनेन्स की गति में मंदी राजस्थान में है और बिना ज्ञान के है तो मैं समझता हूं मैंने इसलिए बार-बार निवेदन किया है कि ऑर्डिनेन्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑर्डिनेन्स नहीं निकालने चाहिये । ऑर्डिनेन्स निकालने से हमारी राज्य सरकार एक अध्यादेश के आधार पर चल रही है । विधान सभा का इन्तजार करें । एक छोटी सी बात के लिए इन्होंने ऑर्डिनेन्स निकाला है तो मैं यहां पर तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो इस प्रकार से ऑर्डिनेन्स निकालती है, मैं इसकी निन्दा करता हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह जो अध्यादेश निकाला है, इस पर मैं अपना परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल, 1989

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की प्रख्यापित राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 4) को अस्वीकार करता है।" इसको निरस्त किया जाय, यह मेरा पहला प्रस्ताव है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूसिंह, डॉक्टर उजला अरोड़ा।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभियान चला है, मैं तो सरकार से यही जानना चाहूंगा कि इसमें कितने बेनामी लोगों को जमीनें आवंटित की गई हैं, कितने फर्जी लोगों को जमीन आवंटित की गई हैं; कितने नेताओं के लड़कों को लैण्डलैस बताकर जमीन अलॉट की गई हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई घटना तो बताओ।

श्री नाथूसिंह : बहुत है। जैसे भिवाड़ी के अन्दर ग्यारह लोगों के नाम बेनामी जमीन आवंटित की गई। जिनका अता-पता नहीं; उस गांव के रहने वाले नहीं और जैसा कि आरोप आया....

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें इन्क्वायरी चल रही है, आपने कहा है, पर्सनलिटी का नाम बार–बार लेते हैं...

श्री नाथूसिंह : कई जिला प्रमुख, कई प्रधान, कई एम.एल.एज., आदमी दूसरा खड़ा किया, अलाटमेंट करा लिया, वहां के रहने वाले नहीं। क्या सरकार एक कमेटी बैठायेगी इसकी जांच कराने के लिए, जो राजस्व अभियान के नाम पर जमीनों का स्कैण्डल हुआ है, उसकी जांच कराये कि किन–किन लोगों ने फर्जी जमीन अलॉट कराई है। मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार साफ-सुथरा अपने आपको जनता में बताना चाहती है तो एक कमेटी अपाइंट करे।

श्री दिग्विजय सिंह : अलॉटमेंट जो हुआ उसमें एम.एल.एज. भी तो साथ थे ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने शायद सुना नहीं है, एम.एल.एज का नाम ले लिया है इन्होंने।

श्री नाथूसिंह : ले लिया है मैंने। उन्होंने भी अपना कर लिया और दूसरी बात क्या है कि आदमी दूसरा खड़ा कर दिया और अलॉट किसको हो गई, सामने किसको दिखा दिया और डाक बंगले में जाकर फर्जी अलाटमेंट कर लिये तो ऐसे मामलों की क्या सरकार किसी भी तरह की उच्च स्तरीय कमेटी बैठाये और इन मामलों की जांच कराये तो आपको बड़े–बड़े स्कैण्डल इस जमीन के मिलेंगे, बहुत बड़ा घपला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों को बनाना और उनकी अनुपालना करना राज्य सरकार का वास्तव में ही काम है कि लोगों की हित–चिन्तना से काम करें। नियम बनाये, उनकी अनुपालना करे। लेकिन दुःख की बात है कि जिस स्थिति को आपात काल समझ कर, बड़ी इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में अध्यादेश

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लाये, चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और इसलिए बात को दिन कितने हो गये ? कितने दिन से इमरजेंसी चल रही है ? मैं समझती हूं कि राज्य सरकार को अपने विधि विभाग को या अलग से प्रकोष्ठ बनाकर नियम बनाने का मसौदा अलग से तय करना चाहिये। जब आया तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय हर सत्र में, राजस्थान विश्वविद्यालय हर सत्र में, अजमेर विश्वविद्यालय हर सत्र में और अभिधृति कानून हर सत्र में। एक परमानेन्ट फीचर बना लिया, ऐसा लगता है और ये असफलता का फीचर मानती हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरी बात पूरी करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह पूरी हो गई आपकी। माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाप्त करने दीजिए आप। यह कानून की बात है, यह कोई हंसी–मजाक नहीं है। यह शेरो-शायरी की बात भी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी, श्री रामचन्द्र जी जाट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि सरकार को अगर इतनी इमरजेंसी हो तो लाना ही चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इतना सारा बोलेंगी क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अन्यथा तीन तीन सत्रों में घुमा फिरा करके इस तरह से बिल लायें और अध्यादेश लायें, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि यह सदन इसको स्वीकार करता है। मेरा संकल्प लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी जाट।

श्री रामचन्द्र जाट : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश आया है, इस प्रकार मेरे ख्याल से शायद और भी अध्यादेश आते रहेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार का विधि विभाग पूरा जागृत नहीं है कि क्या कानून में संशोधन किस स्थिति में लाया जाय। यह जो 183 (बी) में अमेंडमेंट ला रहे हैं और जिसके लिए पहले अध्यादेश लाये, उसमें शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए समय की रेमेडी प्रोवाइड की थी और उस समय की रेमेडी प्रोवाइड करने के पीछे उद्देश्य था कि उनको जल्दी से जल्दी कब्जा मिले। राजस्व मंत्री महोदय, आप अपने अधिकारियों से यह तो कहें कि जो 183 (बी) में अध्यादेश द्वारा अमेंडमेंट कर रहे हैं वैसा ही अमेंडमेंट 184 में भी लाते। 184 में यह बन्दिश है कि इजेक्टमेंट ऑर्डर की पालना केवल ढाई महीने में होगी और उसमें एक्सेप्शन दिया है क्योंकि 183 का जो इजेक्टमेंट ऑर्डर है उसमें कहीं सीमा लागू नहीं है। आपने 183 (बी) में कोई इजेक्टमेंट ऑर्डर अगर देंगे तो उसकी पालना के लिए आपने एक्सेप्शन जैसा 183 के लिए रखा है वैसा 184 के लिए नहीं रखा है। आप एक तरफ तो शिड्यूल कास्ट वालों को लाभ देना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह बन्दिश देना चाहते हैं कि उनके पक्ष में कोई इजेक्टमेंट ऑर्डर है तो उसकी पालना समय पर नहीं हो सकेगी।

(श्री रामचन्द्र जाट)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो श्रमेण्डमेण्ट ला रहे हैं। यह राजस्व अभियान में घोषणा की कि शिड्यूल्ड कास्ट श्रौर ट्राइब्स के लोगों को भी उनकी जमीनों के कब्जे दिलाये जायेंगे। राजस्व अभियान में एक दिन का कैम्प होता है। मैं राजस्व मंत्री महोदय, श्रापसे पूछना चाहता हूं कि अभियान में श्रापने यह विषय रखा कि शिड्यूल्ड कास्ट वालों को श्रौर ट्राइब्स वालों को उनकी जमीन पर कब्जे दिये जायें। श्रापने जो प्रोविजन 183–बी में है उसमें यह भी रखा है कि ट्रेसपासर्स को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। समरी इन्क्वायरी की जायेगी। क्या एक दिन में सम्भव है कि इन अतिक्रमियों को बुलाकर के उनको सुनवाई का मौका देकर के एक दिन में ही राजस्व अभियान में श्रादेश दे दिया जाय ? श्राप इस तरह की मखौलबाजी करते हैं। राजस्व अभियान में लोगों को बुलायेंगे, लोगों की शिकायतें इन्वाइट करते हैं श्रौर उनको डिस्पोजल के लिये श्राप कहते हैं कि उसी दिन कब्जा दिलाया जायेगा। यह किस लीगल प्रोसेस में दे रखा है कि एक ही दिन में रेवेन्यु श्राफिसर समरी इन्क्वायरी करके एक ही दिन में कब्जा दिलवा देगा ? कब्जा दिलाने के श्रादेश श्रापने 183 में पाबन्द कर दिया है कि कोई भी इजेक्टमेण्ट श्रॉर्डर जो कि 183 में नहीं श्राता है उसकी पालना 15 अप्रेल से 30 जून के बीच में ही की जायेगी। तो जिस श्रादमी ने शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन पर अगर नाजायज कब्जा कर लिया है श्रौर वह 15 अप्रेल श्रौर 30 जून के बीच कार्यवाही कराने नहीं श्राता है तो उसको साल भर तक कब्जा नहीं मिलेगा। तो यह जो श्राप कानूनी प्रावधान करते हैं यह श्राप अपने अधिकारियों से कहें कि पूरे प्रावधान जो एक्ट में हैं उनकी सबकी समीक्षा करें कि किस-किस में श्रमेण्डमेण्ट करना श्रावश्यक है किस में श्रावश्यक नहीं, यह देखें। जब श्रापने 183-बी में श्रमेण्डमेण्ट करना श्रावश्यक समझा तो 184 में भी क्यों नहीं किया ? जो इजेक्टमेण्ट श्रॉर्डर की पालना के लिए जो समय अवधि की बंदिश रख दी श्रापने, 184 में। क्या श्राप इसका जवाब देना चाहेंगे ? मैं यही जवाब चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) माननीय मंत्रीजी।

श्री नरपतराम बरवड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व से संबंधित समस्याश्रों के बारे में जन-प्रतिनिधियों ने, सरपंचों ने, प्रधानों ने, विधायकों ने, सांसदों ने बराबर अवगत कराया कि धारा 42 श्रौर 183-बी के अन्दर जो समस्यायें बनी हुई हैं, उन समस्याश्रों को हल करने के लिए इसके अन्दर सुधार किये जाय। उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलायी गयी जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री ने की। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जन जाति के विधायकों, प्रधानों, जिला प्रमुखों की एक बैठक अलग से मैंने बुलायी थी। सभी से विचार विमर्श किया श्रौर उसके बाद यह उचित समझा कि धारा 42 (ए) श्रौर 183 (बी) के अन्दर संशोधन करना बहुत ही श्रावश्यक है श्रौर इसके साथ ही पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका था कि कमिश्नर का पद पहले था श्रौर उसको समाप्त कर दिया गया था

(श्री नरपतराम बरबड़)

उसको प्रशासनिक दृष्टि से पुन: सृजित किया। तो उस पद को कमिश्नर तथा एडीशनल कमिश्नर के पद को परिभाषित करने के लिए धारा 5 क्लाज 8 के अन्दर भी परिभाषित करना आवश्यक था। इसलिए वह आर्डिनेंस लाया गया और धारा 42 (ए) और 183 (बी) को संशोधित करने के लिए भी आर्डिनेंस लाये जिससे प्रशासन गांवों की ओर जो कार्यक्रम चला उसके अन्दर भी काम हो सके और मजमे आम के अन्दर भी इन दोनों धाराओं के अन्दर जो संशोधन आये, उनकी सराहना की गयी है। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने एतराज उठाये हैं, वे आधारहीन हैं। अतः परिनियत् संकल्प अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प कि, "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या-4) को अस्वीकार करता है।" को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री नरपतराम बरबड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जनाने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया लेकिन मैं फिर कहूंगा कि तीन-तीन, चार-चार बार अध्यादेश निकालना उचित नहीं है। अब यह

"According to the provisions of section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the sale, gift or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding was void if the area sold, gifted or bequested was less than the minimum area prescribed for the purpose of sub-section (1) of section 53 of the Act." याने जितना होल्डिंग का एरिया होना चाहिये, यदि उसको सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, छोटा सा एरिया भी दे दिया तो वह कह रहे हैं "Thousands of transfers had, however, been made in violation of the aforesaid provision and as a consequence thereof a number of cases were pending in different courts...." इसके कारण से हजारों मुकदमें कोर्ट में चले गये और फिर क्या बहाना लगा रहे हैं।

"...and the entries with respect of transferors and transferees of

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

the lands involved had become difficult to be made in the land records." लेण्ड रिकार्ड्स में इतने उसके ट्रान्सफर हो गये। छोटे–छोटे टुकड़े भूमि के होकर के लेण्ड रिकार्ड में उसको दर्ज करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए राज्य सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान लाकर होल्डिंग्स भी जितनी होनी चाहिए थी उससे भी छोटे सेल में अगर हो गयी है तो उसको रेगुलराइज करना चाहा है। बात तो ठीक है। परन्तु मैं कह रहा हूं कि कि इतने समय से क्या कर रहे थे ? चुनावी स्टंट बनाना है, चुनाव का अवसर है। हजारों मुकदमे हो गये, यहां तो कह रहे हैं, लेण्ड रिकार्ड में एन्ट्री करना मुश्किल था यह एक प्रकार से इस समय चुनाव के अवसर पर इस बात को लाना, यह लगता हैं, जैसा कल ही हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि चुनावी घोषणा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह भी चुनावी स्टंट ही है एक प्रकार से। एक तो मेरा यह आक्षेप है।

दूसरा यह है कि यहां पर अतिरिक्त कमिश्नर को, कमिश्नर की पावर देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अतिरिक्त कमिश्नर को कमिश्नर की पावर देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यु अपीलेट अथोरिटी का जो अधिकारी होता है वह अगर आर. ए. एस. आफिसर है और यह जो एडीशनल कमिश्नर है वह भी आर. ए. एस. आफिसर तो आर.ए.एस. आफिसर की जो रेवेन्यु अथोरिटी है उसकी अपील आर. ए. एस. ही सुनेगा तो मैं समझता हूं कि वह किसी प्रकार से उचित न्याय नहीं कर सकेगा। दोनों समकक्ष अधिकारी होंगे तो न्याय मिलना मुश्किल है। दूसरा यह कहना है कि नियमन करने वाली बात कर ली, हो रहे हैं, वह बात सही है। एग्रीकल्चर लेण्ड के बारे में हो रहा है लेकिन उन्होंने जो होल्डिंग जिनके पास है उनसे लेण्ड रेवेन्यु का 10 गुणा देने पर नियमन करने वाली बात कही। वह एप्लीकेशन दे सब डिवीजनल आफिसर के पास और वह नियमन कर देगा। यह बात उसमें कही है। मेरा निवेदन यह है कि यह सारा इस प्रकार से करने की बात सोची है। बहुत अच्छी है। इसको पहले से करते तो शायद बहुत बढ़िया बात होती।

दूसरी बात कही है हरिजन हैं, हरिजनों की जमीन किसी सवर्ण ने ले ली है तो पब्लिक सर्वेण्ट्स की एप्लीकेशन देने पर कार्यवाही होगी और सवर्ण को बेदखल कर दिया जायेगा। और वह आदमी जितने समय तक पजेशन में रहा, पहले 15 गुना जुर्माना था उसको यहां पर 50 गुना जुर्माना करने वाली बात की है। एक यह प्रावधान लाये हैं और यह एक अतिरिक्त कलक्टर की जगह तहसीलदार हो जाय यह डाला है। तो मेरा विनम्र निवेदन करना यह है कि हरिजन वाली जमीन तो निश्चित रूप से खाली होनी चाहिए पब्लिक सरवेन्ट के कहने पर लेकिन जुर्माने का जो प्रावधान आपने ज्यादा रख दिया है उसको, वह ठीक है आपकी दृष्टि से बहुत अच्छा है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि हरिजन की जमीन खाली नहीं हो, यह तो मैंने नहीं कहा,....

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी कहता हूं। राज्य सरकार यह अमेण्डमेण्ट लाई कि हरिजन की जमीन खाली हो इसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जुर्माने वाली जो बात है, मैं इसको उचित नहीं समझता कि 15 से इसको जो 50 किया जाये।

मेरा सारा निवेदन करना है कि इन सारी बातों को देख कर यह राज्य सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये बैठिये। प्लीज सिट डाउन नाऊ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कह लेना, साहब, जब आपका नम्बर आये। मैंने जो रखी है वह बात मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो सिर्फ आपका नम्बर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो मैं बात पूरी कहूंगा, यह आपकी कृपा है। मैं समझता हूं कि बिलों पर ही मुझ गरीब को बात कहने का अवसर मिलता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो शुरू में एडीशनल कमिश्नर को कमिश्नर की पावर देना चाहते हैं तो वह भी रैंक के हिसाब से वह न्याय नहीं कर सकेगा। मगर मेरा निवेदन है। दूसरा राज्य सरकार यदि पहले लाती तो बहुत अच्छा होता। यही निवेदन है। बाकी हरिजन की जमीन निश्चित रूप से खाली हो। इसलिए मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपध्यक्ष महोदय, आपने यहां समय की रेमेडी की बात कही कि जल्दी उनको जमीन मिल जाये बहुत अच्छा। मेरे यहां 1975 में, उस समय श्रीमती कमला मंत्री थी, जमवारामगढ़ में जाकर के उन्होंने पट्टे बांटे और पट्टे हरिजनों को दिये और इतनी जल्दी में पट्टे दिये उनके पीछे इन्द्राज, उस जगह का नक्शा बनाना था, वह भी नहीं किया और उन पट्टों को लेकर के जब वह कब्जे करने गये जगह पर तो लड़ाई झगड़े प्रारम्भ हुए। जब यह बात मेरे नोटिस में आई तब मैंने सरकार से कहना शुरू किया कि वह इनको कब्जे दें क्योंकि इनको जमीन दी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जोशी जी भी रह गये और दो बार श्री शिवचरणजी माथुर भी आ गये और अभी रेवेन्यू के केम्प भी दो-तीन बार लग गये लेकिन उनको पट्टे की जो जमीन थी वह आज तक कब्जे में नहीं आई। इस बार मैं तो यह पूछना चाहती हूं कि कब्जा करा देंगे पर मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र को जिसको आपने जे डी. ए. में डाल दिया और जहां रेवेन्यू का कोई काम नहीं हुआ तब वहां पर इसका नियमन कैसे करेंगे? मैं यह पूछना चहती हूं। मैंने इस बिल के आने से पहले इस विधान सभा में बात रखी है कि जहां रेवेन्यू केम्प आपने लगाये वहां की उपलब्धियां भी आपने देखी हैं क्या? किस तरह से लोगों को आकर्षित किया गया जैसे कोई एक टुकड़ा दिखा करके अपने पास बुला ले और कह दे तुम तो भाग जाओ। मैं समझती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह आप काम करें इसमें मुझे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई आपत्ति नहीं है। यह तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिये था लेकिन जो इसमें अव्यवहारिकता आप पैदा करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूं गलत है, कि आप जिसके कब्जे में, हो सकता है आपने मेज पर बैठ कर पट्टा दे दिया हो और वह दूसरे की जमीन हो । तो मैं कहना चाहूंगी, उसको पैनल्टी में डालेंगे तो आप एक को उबारेंगे और एक को डालेंगे, तकलीफ दें यह मंशा सरकार की नहीं होनी चाहिए । सरकार को जिनका हक है उनका हक दिलाने की बात करनी चाहिए । इसीलिए यह हाई कोर्ट में चैलेन्ज होते रहे हैं आपके कानून कि आपने व्यवहारिकता का पुट नहीं दिया उनमें । मैं समझती हूं, अभी भी आपको सोचना चाहिए और इसमें जो अव्यवहारिकता है, उसको निकाल कर ही इसको लाना चाहिए इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरदमल सिंघवी जी। (अनुपस्थित)

श्री चम्पालाल जी बांठिया (अनुपस्थित)

श्री नाथू सिंह (अनुपस्थित)

श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी (अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जानकारी चाहूंगा मंत्री महोदय से। आप क्लेरिफाई करें इन बातों को। एक तो आपने जो यह स्टेटमेन्ट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स भेजा और मेमोरेन्डम इसमें जो दिया है, उसमें आपने तहसीलदार का कहीं उल्लेख नहीं किया। असिस्टेन्ट कलक्टर के बजाय आप तहसीलदार लगायेंगे इसका उल्लेख नहीं किया। शिड्यूल थर्ड है उसमें कालम चार है उसमें असिस्टेन्ट कलक्टर के बजाय तहसीलदार करेंगे। तो कालम चार में पीरिअड आफ लिमिटेशन 12 साल है 12 साल के बजाय आप तहसीलदार लिखेंगे क्या ? कालम चार में। आप जब शिड्यूल देखेंगे, शिड्यूल थर्ड, उसमें कालम चार में अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं आप....

श्री उपाध्यक्ष : तो बोलिये ना आप। I want to help him.

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरा आपने यह जो टाइम्स दिखाया इसमें 4(1) में, "15 टाइम्स" इसके बजाय आपने "50 टाइम्स" तो टाइम्स तो थे ही। अमेन्डमेन्ट तो आपको इतना करना है "15 के बजाय 50" करना था। अननेसेसरी आपने इसमें जोड़ दिया यह । "टाइम्स" तो पहले था ही ।

तीसरा यह है कि पब्लिक सर्वेण्ट जो है उसको आपने अधिकार और दे दिया कि पब्लिक सर्वेण्ट भी एप्लीकेशन दे देगा और इससे शिड्यूल कास्ट के मामले में यह कार्यवाही चालू हो जायेगी डिस्पजेशन के लिए। मेरा इसमें निवेदन यह है कि आपने अधिकार दिया तहसीलदार को। अब तहसीलदार को आपने अधिकार दे दिया और इच्छा आपकी यह है कि शिड्यूल कास्ट के लोगों को जमीन के ऊपर नोन-शिड्यूल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कास्ट के लोग कब्जा कर लेते हैं। उनको जल्दी से जल्दी आप कब्जा दिलायें। तहसीलदार नाम का जो प्राणी है, अधिकारी है उसके पास इतना काम रहता है कि वह एक तरह से राज्य का बेगारी होता है। इतना काम रहता है अगर आपने उसको अधिक काम दे दिया तो आपकी जो स्पिरिट है इस लॉ को आगे लाने की, वह कैसे पूरी होगी ? उसके पास बहुत काम वैसे ही रहता है। आज उनके दौरे हैं, कभी उनकी जनगणना है, कभी अकाल का काम है, कभी और काम है। तो मेरा तो सुझाव यह है कि यह जो असिस्टेन्ट कलक्टर आपने रखा है, इसके पास और कोई काम नहीं होता है यह केसेज का डिस्पोजल करते हैं केवल। तो अगर आप इसका जल्दी डिस्पोजल करना चाहते हैं तहसीलदार को देकर तो आप इसमें कई वर्ष गुजार देंगे और यह काम नहीं होगा। और जो अधिकारी नियुक्त करेंगे, वह कौन करेंगे ? तहसीलदार के नीचे और किसको अधिकारी नियुक्त करेंगे ? तो वह भी एप्लाई करे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तहसीलदार को तो हटा दें और जो असिस्टेन्ट कलक्टर है उसके जिम्मे यह काम रख दें। तो जो आपकी इसकी स्पिरिट है उसको पूरी कर सकेंगे।

श्री पोकरलाल परिहार : तहसीलदार को पावर देने से क्या है कि लोगों को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिये, आप जवाब दे रहे हैं क्या मंत्रीजी की ओर से ?

श्री पोकरलाल परिहार : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका समर्थन करता हूं। मंत्रीजी ने जो बिल रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : उनको जवाब देना नहीं आता है क्या ? आप देंगे क्या जवाब उनका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बहस का विषय नहीं है यह समझने का विषय है। यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल या कोई बहस का सवाल नहीं है आप विचार करें तसल्ली से इस पर कि जो काम आप करना चाहते हैं, जिस स्पिरिट से आप यह कानून लाये हैं उसके अनुरूप यह काम हो सकेगा या नहीं, यह देख लें आप। अगर आप समझते हैं कि तहसीलदार अवेलेबल ज्यादा होगा, अवेलेबल रहेगा डिस्टेन्स के हिसाब से लेकिन सीट पर नहीं मिलेगा क्योंकि इतने काम होंगे कि वह इसको कर नहीं पायेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमको तहसीलदार से ही कराना है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। पर मेरी मान्यता यह है कि आप तहसीलदार के द्वारा इसको स्वीकृत नहीं करा पायेंगे। इसलिए आप यह अमेण्डमेन्ट तो न करें, इसको तो असिस्टेंट कलक्टर रहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दें, माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो कमिश्नर आपने लगाया है, इसका क्या उपयोग था ? कमिश्नर लगने के बाद कोई आपके रेवेन्यू केसेज जल्दी निपटे ? गांवों में जो अभियान हुआ 'प्रशासन गांवों की ओर', 'प्रशासन शहरों की ओर', और 'प्रशासन जेबों की ओर' इसमें कोई सुधार कर सकेंगे कमिश्नर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लोग ? क्या उपयोग हुआ इनका, वह देख लीजिए। यह केवल आपने सरकार पर, जनता पर खर्चा डाल दिया है। इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नरपतराम बरबड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों ने समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार, कभी ब्याह-शादी के अन्दर, कभी बीमारी के अन्दर, आवश्यकता के अनुसार अपनी जमीन को टुकड़ों के अन्दर बेच दी और बेचने के बाद में जो खरीददार था, उसके नाम नहीं हो रही थी। तो दोनों ही परेशान थे और बराबर वह कोशिश कर रहे थे कि हमारी किसी तरह से जमीन जो बेची गयी है वह नियमन हो जाये। इस मांग को लेकर के धारा 42 (ए) के अन्दर यह संशोधन लाकर के 1 अप्रेल, 1989 तक जितने भी यह अपखण्डित हुए हैं उन सबको नियमन करने के लिये....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने डेट रखी यह, यह चेन्ज हो सकती है क्या ? साढ़े 31 हो जाये, 31 हो जाये, 2 अप्रेल हो जाये, ऐसे कुछ कर लो, यह एक अप्रेल थोड़ी ठीक नहीं लगती है, इसे संशोधन कर लें।

श्री नरपतराम बरबड़ : यह सबसे उचित तारीख है। इसके अलावा कमिश्नर के कार्य के बारे में माननीय सदस्य ने बताया तो कमिश्नर के बढ़ते हुए कार्य को देखकर के बहुत ही जरूरी है। केवल 'प्रशासन गांवों की ओर' ही नहीं समय समय पर सम्भागीय स्तर पर कई मामले ऐसे होते हैं जिनको देखना पड़ता है और नीचे के अधिकारी हैं उनके काम काज को भी देखना पड़ता है। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये भी सारी जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त को सौंपी गयी है। इसलिए जहां कहीं भी इस प्रकार के दंगे हुये हैं, सम्भागीय आयुक्त बराबर वहां पर पहुंचे हैं और देखभाल की है।

इसके अलावा जो उजरात पेश किये हैं, वह मानने काबिल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड–2, कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-दो स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-दो स्वीकार किया गया।

खण्ड–3, माननीय श्री रामचन्द्र जाट।

श्री रामचन्द्र जाट : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना के साथ वह संशोधन लाया गया है उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक विशेष प्रयोजन इस अमेंडमेंट को प्रस्तुत करने का यह है कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय को शायद जानकारी है या नहीं है, जब राजस्थान में पुराना सीलिंग लॉ, जो कि राजस्थान टीनेन्सी के चेप्टर 3 (बी) में समाविष्ट था और उसके बाद में सन् 1973 में नया सीलिंग लॉ बना। जब उसका एनफोर्समेंट हुआ मैं गवर्नमेंट का एडवोकेट था सीलिंग केसेज में। मुझे मालूम है कि बहुत से जागीरदारों ने, भूमिधारियों ने एक-एक, दो-दो बीघा की जमीनों के डीड लिख दिये थे क्योंकि स्टाम्प रजिस्ट्री ही नहीं करवाना चाहते थे वह। सीलिंग लॉ को इवेड करने के लिये 100 रुपये से कम की कीमत के दो-दो, तीन-तीन बीघा के ट्रान्सफर्ड डीड, अन–रजिस्टर्ड उन्होंने मान्यता दिलाने के लिये प्रस्तुत किये थे। ऐसे मामलों में हमने यह कहा था कि यह ट्रांसफर्स केवल इवेड करने के लिये किये गये हैं क्योंकि बड़े भूमिधारियों ने पहले से ही स्टाम्प अपने पास खरीद कर रख लिये थे। रजिस्ट्री वह करा नहीं सकते थे। 100 रुपये से ज्यादा की उसकी कीमत बता नहीं सकते थे। 100 रुपये से कम की कीमत बताकर के दो–दो तीन-तीन बीघा के इन्होंने ट्रांसफर्स कर दिये। वह सारे ट्रांसफर्स बेनामी थे। बहुत एण्टीडेट उन्होंने जान-बूझकर के कर दिये कि वह 1.1.64 के उस नोटिफिकेशन की परव्यू में न आवे। इस तरह के ट्रांसफर्स इनके मिनिमम एरिया से कम के थे, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड थे, एवं इनिशियो वोइड थे इसलिये उनको मान्यता नहीं दी। बहुत से मुकदमें रेवेन्यू बोर्ड में पेण्डिंग हैं, बहुत से मुकदमें रिमाण्ड होकर के आये हैं।

मैंने जो अमेंडमेंट दिया है उसमें मैं यह शब्द जुड़वाना चाहता हूं।

"In the proviso sought to be added in section 42–A, after the words 'transfer of land' the words 'not affecting any proceedings under chapter III B of this Act of the Rajasthan Imposition of ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973' shall be inserted."

मेरा इस संशोधन का अभिप्राय केवल यह है कि ऐसे सीलिंग के मामलों में जिनमें छोटे मिनियम एरिया के ट्रांसफर्स हुए हैं और जिनको मान्यता नहीं हैं, इसमें यह छूट नहीं दी जाय, वह पेण्डिग केसेज में या जो केसेज रिमाण्ड हुए हैं उसमें जो बड़े भूमिधारी या बेनामी ट्रान्सफरीज हैं, वह इन डाक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करके इनको नियमित करवा लें। सरकार का फैसला होने पर जो जमीन सरकार में वैस्ट हो गयी, वह जमीनें अलाटमेंट से भूमिहीन

(श्री रामचन्द्र जाट)

काश्तकारों को अलाट हो गयी, अगर उन लोगों को इसका लाभ दिया गया तो ट्रांसफर डीड को और जो बेनामी हैं, जो मिनिमम होल्डिंग से कम के हैं, उनको कोम्पीटेंट आफिसर के पास, आथोराइज्ड आफिसर के पास प्रस्तुत करके इनको रेगुलेट करवा देंगे और रेगुलेट होने पर वह उन पेण्डिग केसेज में, सीलिंग केसेज में प्रस्तुत करेंगे कि इनको मान्यता मिल गयी है और सरकार के लिए बड़ा कठिन हो जायेगा कि जो जमीनें सरकार में वैस्ट होने पर अलाटीज को अलाट हो गयी उन जमीनों को वापस मुक्त कराने के लिए एक नयी परेशानी आ जायेगी। सीलिंग केसेज में जो जमीनें ली गयी हैं उसके कम्पन्सैशन के बारे में, उसकी वेलीडिटी के बारे में भारतीय संविधान में संशोधन होकर के सब-डिवीजनल कोर्ट से उनको इम्प्यून न किया जाय। उसका उनको बिल्कुल एब्सल्यूट प्रोटेक्शन दे दिया गया है।

तो मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इस संशोधन को मंजूर करें इसमें जो बोनाफाइड एग्रीकल्चररिस्ट हैं, जिन्होंने जमीन ट्रान्सफर कराई अपने एग्रीकलचर परपजेज के के लिए, उसको भी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा लेकिन बड़े भूमिधारियों ने सीलिंग लॉ को अवोइड करने के लिए, उसका इवेजन करने के लिए बेनामी ट्रान्सफर्स कर दिये। पुराने स्टाम्प्स उनके पास रखे हुए थे उनको 100 रुपये से कम मालियत के बीघा-दो बीघा के बिकाऊ करके उन्होंने सीलिंग लॉ अवोइड किया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार मेरे संशोधन को मंजूर करे और इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये अन्यथा इसमें और कोम्प्लीकेशन्स हो जायेंगे और इसको इनको मंजूर करना चाहिए। मैंने राजस्व मंत्री महोदय से परसों स्वयं ने मिलकर कहा था कि आप इसको एग्जामिन करवा लें अपने सब अधिकारियों से। और मेरा यह अमेण्डमेण्ट इनोकुअस हो, पब्लिक इण्ट्रेस्ट में है, सीलिंग की जो जमीन है, जो सरकार में वैस्ट हुयी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है तो इनको इस संशोधन को मान लेना चाहिए और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि बहुमत के आधार पर इसको रिजेक्ट न करायें। अगर कोई इस तरह के तर्क हैं कि साहब इससे हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो तर्क से संतुष्ट करायें इस सदन को और यदि मुझे संतुष्ट करा देंगे तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल जनहित में किया है और यह मानकर किया है कि अगर मेरे अमेण्डमेण्ट को स्वीकार नहीं किया गया तो वह सीलिंग कैसेज जो रेवेन्यु बोर्ड में चल रहे हैं और जो बाद में रिमाण्ड होकर के दूसरे सब-आर्डिनेट कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनमें एक गतिरोध आ जायेगा, काम्प्लीकेशन्स आ जावेगा, मैं चाहूंगा कि सरकार इस अमेण्डमेण्ट को स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नरपतराम बरवड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे से व्यक्तिगत मिले थे और इन्होंने प्रार्थना-पत्र भी दिया था जिसका मैंने विभाग से पूरी तरह से परीक्षण कराया और परीक्षण के बाद मैंने यह पाया कि माननीय सदस्य को यह मात्र भ्रम है और....(व्यवधान) तो सीलिंग के जो अमान्य किये हुये फ्रेग-

(श्री नरपतराम बरबड़)

मेंट्स हैं, उन फ्रेगमेंट्स के मामलों को नियमित नहीं किया जा सकेगा। जो भूमि सरकार में वेस्ट हो गयी है वह भूमि किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होगी। अतः नियमन नहीं किया जा सकता। क्योंकि सीलिंग एक्ट के अन्दर एक सीमा बांधी हुई है कि एक यूनिट को कितनी भूमि मिलेगी, कितना उसका अधिकार होगा। तो उस अधिकार के अन्दर, अधिकार सीमा के अन्दर कोई भी फ्रेगमेंट है तो वह तो नियमन हो जायेगा, बाकी नहीं होगा। इसलिए यह जो संशोधन है वह अस्वीकार किया जाये।

श्री रामचन्द्र जाट : मुझे मालूम है कि सीलिंग केसेज में अधिकतम सीमा है लेकिन उसमें एक था कि जो ट्रांसफर्स रिकोग्नाइज नहीं किये गये हैं उस एक्स्टेंट तक, उस जागीरदार की जमीन कम ली जायेगी। अगर अधिकतम सीमा 48 स्टेण्डर्ड एकड़ है और जागीरदार ने ट्रांसफर्स ऐसे कर दिये हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है तो 48 बीघा जमीन नहीं रखी जायेगी और इस एक्स्टेंट तक अन–रिकाग्नाइज ट्रांसफर्स हैं उस एक्स्टेंट तक उसकी जमीन कम हो जायेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, कि जिन ट्रांसफर्स को रिकोग्नाइज नहीं किया गया है, छोटे टुकड़े के रूप में ट्रांसफर्स हुए हैं, उस एक्स्टेंट तक बड़े भूमिधारियों की जमीन पर जो सीलिंग रखी गयी थी वह कम की गयी है। अगर उन ट्रांसफर्स को मान्यता मिल गयी तो बड़ा भूमि अधिकारी जिसको कि जमीन सीलिंग में कम रखी गयी है वह कहेगा कि साहब इन ट्रांसफर्स को मान्यता मिल गयी है, 48 स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन छोड़ना चाहिए तो आपने तीस छोड़ी, 18 एकड़ के जो ट्रांसफर्स थे उनको मान्यता नहीं मिली तो वह क्लेम करेगा कि मुझे पूरी 48 एकड़ दी जाये। इसलिए यह जो बात आप कह रहे हैं यह बिल्कुल इतनी आसान नहीं है। उसमें जो बेनामी ट्रांसफरीज हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा और जो बड़े भूमिधारी हैं जिनकी जमीन आपने सीलिंग में ली है वह भी क्लेम करेगा कि हमारे खाते में और ज्यादा जमीन रखी जाय। इस ट्रांस–फर की मान्यता मिलने पर बड़े भूमिधारियों को ज्यादा जमीन आपको देनी पड़ेगी। वह जमीन देनी पड़ेगी जो सीलिंग में वेस्ट होकर आपने अलाटीज को अलाट कर दी है। वह जमीन वापस क्लेम करेंगे। इस–लिए आप इसका एग्जामिन करवा लें ठीक तरह से।

श्री नरपतराम बरबड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले का पूरी तरह परीक्षण करवा लिया है, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें कोई सार नहीं है। अतः संशोधन अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामचन्द्र जाट ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 से 5, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये जायं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड, मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ ? इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : संशोधन नहीं है पर मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनूं आपकी बात ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जो कहूं वह।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में कहियेगा, जनरल डिस्कशन आये तब कहियेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी एक सैकण्ड में।

श्री उपाध्यक्ष : जब संशोधन नहीं है तो कैसे सुन लूं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें गलती है।

श्री उपाध्यक्ष : गलती है तो आपने पहले नहीं बतायी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो कालम चार है, कालम चार में आप क्या अमेण्डमेण्ट करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, खण्ड 1 मे कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

पारित करने के लिए कहें।

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सैक्शन 5 में इन्होंने लिखा है :

"In the Third Schedule appended to the principal Act, in Serial No. 68-C of part II, for the words 'Assistant Collector'; in column 4,...." Now see what is column 4. कालम 4 में कितने समय में दावा होगा, उसकी लिमिटेशन है। अब आप उस लिमिटेशन में तहसीलदार लिखेंगे क्या ? जरा देखिये इसको आप। मेरा यह निवेदन है कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कालम 4 की बजाय इस कालम में जो भी तहसीलदार का आता है; कालम बदलिये। इसका तब ठीक होगा। कालम नम्बर चार नहीं है यह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तृतीय वाचन पर बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अधिकार सम्पूर्ण सुरक्षित है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यहां जयपुर में मीणा समाज के लोगों ने सोसाइटी बना कर जमीनें बेच दी हैं क्या वह इसमें कवर हो जायेगी? क्या वह रेगुलराइज हो जायेगी, जरा बताइये, स्पष्ट कीजिए।

श्री नरपतराम बरबड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में कालम नम्बर 4 के अन्दर प्रिण्टिंग मिस्टेक है। इसको सही किया जा रहा है।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया गया।

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री राजेन्द्र चौधरी (देवस्थान राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, सुमिता मुखर्जी ने जो यह अवार्ड स्थापित किया है इतने दिन हो गये, इसको अब आप लागू करने जा रहे हैं। जिस कारण यह विधेयक लाये हैं इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझती। इसलिए मैं मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, भगवान के घर में भी प्रापर्टीज के बारे में झगड़े होंगे, यह बात इस अध्यादेश से प्रतीत होती है।

There was a long standing dispute. झगड़ा था प्रापर्टी के बारे में, टैम्पल बोर्ड और तिलकायतजी महाराज गोविन्द सिंहजी दोनों का झगड़ा। प्रापर्टी भगवान की और झगड़ा दोनों में। बहुत इसमें गलतियां हैं। इसके बाद यह हुआ कि टैम्पल बोर्ड और तिलकायत महाराज का फैसला कराने के लिए एक आर्बीट्रेटर नियुक्त हुआ। वह हुई सुमति मोरारजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मोरारजी नहीं मुखर्जी।

(252)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं, मोरारजी। सुमति मोरारजी बन गयीं। इन्होंने 14.7.1987 को अवार्ड दिया। यह अवार्ड भी रिट्रोस्पैक्टिव है, सन् 1977 से नहीं है। जो धन मिलेगा महाराज को वह भी पीछे से मिलेगा। वह डेट इसमें मौजूद है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यह सारा डिस्प्यूट तो सैटल हो जायेगा लेकिन "....that the Tilkayat Maharaj and members of his family shall be entitled to increased allowances as per details mentioned in the VI Schedule appended to the award."

अब यह सिक्स्थ शिड्यूल कौन-सा है ? इसमें है ही नहीं कहीं पर। श्रीमती सुमती जी ने क्या अवार्ड दिया इसका शिड्यूल पूरे पन्ने पर कहीं है ही नहीं। एक बात तो यह रही। अब दूसरी गलती देखियेगा :

"Rule 31 of the Nathdwara Temple Rules, 1973 framed under the Nathdwara Temple Act, 1959, authorise payment of allowances to the members of the family."

जो रूल्स हैं उन रूल्स में कहा गया है कि महाराज की फैमिली को रकम मिल जायेगी, उनको अलाउंस मिलेगा।

"Rule 31 of the Nathdwara Temple Rules, 1973 framed under the Nathdwara Temple Act, 1959, authorise payment of allowances to the members of the family of Goswamiji,..."

गोस्वामीजी के परिवार को मिलेगा।

"....but under the Nathdwara Temple Act,...."

जो एक्ट बना उस एक्ट में

"....the payment of allowances of any sort to the members of the family of Goswamiji is not envisaged."

एक्ट में था ही नहीं। रूल्स में तो हो गया कि गोस्वामीजी के परिवार को मिलेगा लेकिन एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। एक्ट बड़ा कि रूल बड़ा ? फिर एक गलती आगे जा कर जो हुई है।

"Even in respect of payment of allowances to Goswamiji himself there is total absence of any substantive provision in the Act."

गोस्वामीजी को भी मिलेगा। एक्ट में, गोस्वामीजी को भी मिलेगा, यह बात नहीं थी। एक्ट और रूल्स के झगड़े के नाते इन्होंने लिखा :

"In order to remove these difficulties and implement the aforesaid award of Smt. Morarjee, it is essential to make necessary amendment in the Nathdwara Temple Act."

यह इस प्रकार अमैण्डमैण्ट लाये। अमैण्डमैण्ट लाने का अर्थ यह हो गया कि जो कुछ भी पैसा इन महाराज को मिलेगा वह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से मिलेगा। इसलिए कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कितना फाइनेन्सियल बर्डन इस पर होगा, इन सब बातों पर जाये बगैर जल्दी में अध्यादेश राज्य सरकार लायी है, बोर्ड और महाराज का झगड़ा, उसका अवार्ड होना, आर्बीट्रेशन में जाना, आर्बीट्रेशन में क्या फैसला हुआ, सारी बातें बताये बगैर यह आर्डिनेंस लाया गया है इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं इण्टरवीन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैमोरेण्डम, में जो रैंफरेंस दिया गया है उसमें बताया गया है कि तिलकायतजी और नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड के बीच में प्रापर्टीज का झगड़ा था उसके लिए आर्बीट्रेशन का रैफरेंस किया गया था। मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो डिस्प्युट था उसमें इमोल्युमैण्ट्स को रिवाइज करने का कोई मसला था या नहीं ? अगर इमोल्युमैण्ट्स को रिवाइज करने का मसला नहीं था और उसके बारे में अवार्ड किया तो it is not binding on the State Government.

केवल यह प्रापर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का ही डिस्प्युट था और उसके बारे में कोई अवार्ड दिया है तब तो ठीक है। इसलिये इन्होंने जो मैमोरेण्डम दिया है, उस मैमोरेण्डम में इन्होंने कहीं इस बात का इन्डिकेशन नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने कि जो जो रेफर किया गया था आर्बिट्रेटर के पास, उसमें गोस्वामीजी को या उनकी फैमिली मैम्बर्स को इमोल्यूमैंट देने के बारे में भी कोई परिवर्तन करने का या घटाने-बढ़ाने का भी कोई मामला विवाद में था, नहीं था। इसलिये मैं देवस्थान मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कृपया वह इस बात को स्पष्ट करें कि जो आर्बीटेशन का क्लॉज था उसमें कौन कौन से विवादास्पद प्रश्न थे और इन विवादास्पद प्रश्नों में इनके इमोल्यूमेंट्स को रिवाइज करने का भी मामला था या नहीं था ? बस मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें कोई जरूरत नहीं है यों ही आर्डिनेन्स लाया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है, इसके पीछे जो उद्देश्यों और कारणों का विवरण पढ़कर उन्होंने बताया है तिलकायतजी महाराज और टैम्पल बोर्ड के बीच में प्रापर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था। टैम्पल बोर्ड का जो अपना एक्ट बना है वह 1959 में बना है। टेम्पल बोर्ड का एक्ट बनने के बाद में प्रापर्टी का जो डिस्प्यूट था उसके बारे में टेम्पल बोर्ड और इसके बीच में आर्बिट्रेटर के रूप में श्रीमती सुमति मोरारजी को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति करने के बाद में उन्होंने यह फैसला दिया, उनके फैसले के बाद में हाई-कोर्ट बम्बई ने उस फैसले की डिक्री कर दी और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मान लिया। उस फैसले के मानने के बाद में बाकायदा यह बात कही गयी और हमने उस बात को स्वीकार किया जैसा बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात उठायी, उसके अन्दर इस बात का भी फैसला हुआ है कि

(254)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

यह फैमिली के मैम्बर्स हैं, उनको लिया जायेगा और आज तक जो इनको मिलता रहा है उनको भी बढ़ाया जाये। वह बात भी है और उसमें वह भी तय किया है।

अब हमारे पास में आज स्थिति यह है कि इतना समय निकल गया है हम इसको बराबर विधानसभा में लाने की कोशिश कर रहे थे और वह आ नहीं पाया, इस कारण से बार बार आर्डिनेन्स लाना पड़ रहा था। और मेरे ख्याल से इस बात को समझ जायेंगे। जो कानूनी स्थिति है, उसके अन्दर हम यह करने के लिये लाये हैं मुझे आशा है कि मेरे उत्तर से माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे। यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड–2 व 3

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड–4

प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मंत्रीजी को सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "अध्यादेश 1988 (1988 का अध्यादेश संख्या 12)" के स्थान पर "अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 2)" प्रतिस्थापित कीजिये।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय भार्गव साहब बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप यहीं से बोलिये। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप यहां से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि सुमति मोरारजी ने जो यह फैसला दिया,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

14–7–1977 को दिया और यह भी दिया रिट्रास्पैक्टिव। यानी 1977 से लागू नहीं होगा। यह फैसला कब से लागू होगा ? जहाँ तक मेरी जानकारी है यह फैसला लागू होगा एक्ट यह बना तब से।

श्री रामचन्द्र जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री महोदय से अमेण्डमेण्ट्स तो मूव करवा दिये तो पहले इन अमेण्डमेण्ट्स को पास करवाइये और उसके बाद थर्ड स्टेज आयेगी तब यह चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद। You have made my job very easy. Thank you very much.

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। प्रभारी मंत्रीजी संशोधन मूव करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "अधिनियम" 1988" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिनियम, 1989" प्रतिस्थापित कीजिये तथा विधेयक के अधिनियमन खण्ड में अभिव्यक्ति "उनतालीसवें वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीसवें वर्ष" प्रतिस्थापित कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये गये। पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव।

श्रीमती कमला : जो बोल चुके हैं वह मत बोलना ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसको नहीं बोलूंगा और ऐसी मेरी कभी आदत भी नहीं रही है । आप तो थीं भी नहीं जब मैं बोला था । आप तो भोजन-वोजन कर कराकर घर से लौटी हैं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुमति जी ने जो फैसला दिया 14-7-1977 को, रेट्रोस्पेक्टिव दिया । यानी गोस्वामीजी के परिवार के लोगों को जो रकम मिलेगी वह कब से मिलेगी ? नाथद्वारा टैम्पल एक्ट 1959 से मिलेगी । यानी हिन्दुस्तान के इतिहास में भी कहीं पर ऐसा नहीं हुआ होगा, 1959 से सारा उनको अलाउन्सेज मिलेगा और उनको ही नहीं मिलेगा, उनको, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनकी बहन यानी ऐसी फैमिली के बिल पर परिवार बनायी होगी उन सबको मिलेगा । तो रेस्ट्रोस्पेक्टिव एक तो जो ला रहे हैं, नाथद्वारा एक्ट, 1959 से मिलेगा ? एक तो मुझे यह बतायें ।

दूसरी बात क्या है कि यह आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या दिया है ? यह इस किताब में तो कहीं है नहीं । उन्होंने लिखा है कि शिड्यूल्ड फलां में दिया गया है । तो मेरा मतलब यह है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड भी, माननीय मंत्रीजी, आपको इस सदन में रखना चाहिये था जिसकी वजह से आप यह बिल लाये हैं । वह बात मैंने आपको यहां पर बतायी थी ।

फिर आखिर कार यह टेम्पल बोर्ड है, जनता का पैसा है । जनता का पैसा, जनता के चढ़ावे का पैसा है, इससे कितना नुकसान होगा ? लाभ होने का तो सवाल ही नहीं । यह बात आपने नहीं बतायी । जो आखिरकार फाईनेंशियल बर्डन हम पर कितना पड़ेगा, यह बात भी आपने नहीं बतायी । यह सारी राशि, आप भी पधारे होंगे श्रीनाथजी के मन्दिर में, जो लोग रकम चढ़ाते हैं, कहीं घी का कड़ावा भरा हुआ है और सब जो चढ़ाते हैं, आखिरकार जनता का पैसा है । मेरा निवेदन करना यह है एक उदाहरण दूंगा दक्षिण में एस्टीमेट कमेटी के साथ मैं भी गया था । तिरूपति बालाजी का मैंने मन्दिर देखा है । तिरूपति बालाजी के मन्दिर में भी इसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ता है । वहां पर उन्होंने टेम्पल टाउन बना रखा है । टेम्पल टाउन की वहां पर यूनिवर्सिटी भी चलती है, उनके अस्पताल भी चलते हैं, उनकी गौशाला भी चलती हैं । तो क्यों नहीं यह जो कुछ भी हुआ है इस सब में जब जनता का पैसा है तो जनता के काम में आये और नाथद्वारा का टैम्पल टाउन बनाकर वहां पर विश्वविद्यालय, अस्पताल और गौशाला भी चलें ।

मेरा अन्तिम निवेदन करना यह है कि फैमिली की परिभाषा जो दी है, यह फैमिली की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा हो गई है । इसमें लिख दिया है कि-

"The expression 'family' for the purpose of this Act, shall iuclude the wife, sons, daughters mother, brothers and sisters of the Goswami." तो मेरा सारा निवेदन करना यह है कि फैमिली की परिभाषा बड़ी हो गई है । (व्यवधान) मेरे लिए पूज्यनीय है ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं भी श्रीनाथजी का भक्त हूं, गोस्वामीजी का मैं भी भक्त हूं। हां, श्रीनाथजी का भी भक्त हूं लेकिन गोस्वामी जी के परिवार को लाभ देने के नाते इतनी बड़ी डेफीनेशन तो मैं समझता हूं परिवार की कहीं पर भी लागू नहीं हुई है। (व्यवधान) हां, मैं तो आपका भी भक्त हूं। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी तो इनसे भी लड़ाई नहीं है। मैंने तो इन्होंने कहा इसलिए कहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज तो आपका विकराल रूप देखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : भक्त तो आप भी हो लेकिन आप कम हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी किसी से नहीं है, इनसे भी नहीं है। आज तक सभी के साथ सद्व्यवहार रहा है और ईश्वर करे मेरे साथ सबका सद्व्यवहार रहे। (व्यवधान) मेरे ख्याल से वह तो आप नहीं करना चाहते। मैं तो आज भी विधान सभा के सदस्यों को न्यौता देता हूं मय-परिवार के, जयगढ़ पर आप रखें। मुझे खुशी होगी। पैसा मैं मेरे वेतन से लगाऊंगा, एक पैसा किसी से लूंगा नहीं। (व्यवधान) और जिस समय, माननीय कल्ला साहब, आप सचेतक थे। मैंने उस समय भी सुझाव दिया था और आज भी यदि आप मेरी बात सुन रहे हों तो धन मैं मेरे पास से लगाऊंगा। मुझे खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। मेरे सारे जो एम. एल. ए. साथी हैं उनको मय परिवार ले चालूं। (व्यवधान) इंकार इसलिये किया कि दिन ऐसा रखियेगा कि मैं अपनी सामग्री भी बनाऊं। रात के 12 बज जायं यहां पर, फिर मैं आपको जयगढ़ में ले चलूं, उसके बाद आप लोग कहें हम तो घर जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन चुन लें जिस दिन पांच बजे सदन की कार्यवाही पूरी हो जाय और अगर आपको मुझे सजा देनी हो तो मैं मेरे बिलों पर अमेण्डमेंट्स मूव नहीं करूंगा। इसलिये आप मेरे साथ चलो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फैमिली की परिभाषा जो दी गयी है वह बहुत बड़ी हो गयी है। अन्त में मैं समझता हूं कि जो काम करे और उस पर आश्रित जो लोग हैं केवल उन तक ही यह सुविधा मिलनी चाहिए बाकी किसी को नहीं मिलनी चाहिये।

मैनेजमेंट के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा में दर्शन करने की सुविधा जनता को मिलनी चाहिये। मैं भी वहां एक दो बार गया हूं वह सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है। वह सुविधा मिले।

इसलिए, माननीय मंत्री जी, मैंने जो कुछ भी रचनात्मक सुझाव दिये हैं और फिर वह जो देवस्थान मंत्री हैं। धार्मिक मंत्री को कम से कम धर्म की बात स्वीकार करनी चाहिये, हठधर्मी की बात नहीं करनी चाहिए। यह नहीं कि बहुमत के आधार पर मैं तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसी बात तो नहीं करेंगे। यदि उनमें देवता वास करता है तब तो नहीं करेंगे और यदि और ही कुछ उनमें वास करता है तो मेरी बात को रिजेक्ट करेंगे। यही बात मुझे आपसे निवेदन करनी थी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्री नाथद्वारा मन्दिर में गये थे तो शायद उन्होंने कन्डीशन रखी होगी कि 40 साल के विवाद को निपटाने के लिए आप ऐसा करें। मैं समझती हूं कि यह सदन में तभी लाना चाहिए था और इसको तभी पास कराना चाहिए था जब अवार्ड हुआ। लेकिन तब तो यह आया नहीं और अब कम से कम जो अवार्ड है उससे हमको अवगत करा दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप इतनी सुविधा देने चले हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप इतनी लम्बी फैमिली की डेफीनेशन देने के हिन्दू उत्तराधिकार नियम के तहत ही इसको ले आते कि जो फैमिली की डेफीनेशन इधर है वह इसमें भी लागू हो जाय तो उनके पोते, पड़पोते, दोयते, दोयती को भी मिल जाता। मैं समझती हूं आप अगली बार इसको और ले आइये और जो कमी रह गयी है उसकी पूर्ति कर लीजियेगा।

दूसरी बात आप उनको यह तो पाबंदी या सुझाव दे दें कि इस धन का उपयोग जो इकट्ठा मिलेगा, कई बार बड़ी परेशानी हो जाती है वह धन मन में खपता नहीं है और उसके लिये बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं यह कहना चाहूंगी उसके लिए सामाजिक सेवाओं के कोई नये आयाम खोलें। जो बच्चे गरीब हों उनके लिए पुस्तक, फीस वगैरह के लिए या अन्य जो असहाय लोग हों उनकी सहायता के लिए करें, भगवान के नाम पर ही करें। तो मैं समझती हूं कि इस तरह का भी उनको कुछ सुझाव दें वरना यह धन पचेगा नहीं। यह मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बिल मूव किया है हाउस में उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेंशन किया गया है कि

"Rule 31 of the Nathdwara Temple Rule, 1973 framed under the Nathdwara Temple Act, 1959, authorise payment of allowances to the members of the family of Goswamiji, but under the Nathdwara Temple Act, the payment of allowances of any short to the members of the family of Goswamiji is not envisaged."

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नाथद्वारा टेम्पल एक्ट, 1959 में बन गया और 1973 में रूल्स बन गये। यहां की राजस्थान विधान सभा के तत्कालीन जितने मैम्बर्स थे उन्होंने डिस्कशन किया होगा, लॉ-डिपार्टमेंट ने किया होगा और करने के बाद वे रूल्स बने होंगे और रूल में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं डिपार्टमेंट ने ध्यान रखा या नहीं रखा। रूल 30 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल 29 में लिखा हुआ है :–

(श्री सी.पी. जोशी)

"Allowances to the Goswamiji."

रूल 30 में लिखा है :-

"Other expenses for the maintenance of the residence, staff and conveyance allowance etc."

रूल 31 में लिखा हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

"Allowances to the family members of the Goswamiji. The following members of the family of the Goswamiji shall be paid out of Temple funds allowances as specified below against them :...."

The word I am using once again, 'out of Temple funds', and the other is 'allowances to the family members of the Goswamiji'.

ये 1973 के रूल में प्रोवीजो कर रखा हैं। तो आज भी समझ में नहीं आता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स में यह बात लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि फैमिली मेम्बर्स के बारे में प्रोवीजन में नहीं लिखा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी जानकार आश्चर्य करेंगे कि एक्ट का इन्टरप्रिटेशन कैसे किया गया है। जो एक्ट में रूल बनाया गया है उसमें मैं जहां तक समझ पाया, एक्ट के 28 सैक्शन में यह लिखा हुआ है :-

"Saving of established usage and customs : Save as otherwise expressly provided in or under this Act, nothing here-in contained shall affect any established usage of the Temple or the rites, owners' emoluments and perquisites to which any person may by customs or otherwise be entitled in the Temple."

एक्ट 22 के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल जो बनाये गये हैं 1973 के उसमें 29,30 और 31 के सैक्शन इसमें एड किये गये हैं।

उसके अन्तर्गत उन्होंने गोस्वामीजी के फेमिली मेम्बर्स को भी अलाउंन्सेज देने का प्रोविजन रखा है। मैं जानकारी करना चाहूंगा, आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जो एक्ट हम लाये हैं उस एक्ट में हमने एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। अब उस एक्ट में क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट में लिखा हुआ है-

"In sub-section (1) of section 28 of the Nathdwara Temple Act, 1959 (Rajasthan Act 13 of 1959). hereinafter referred to as the principal Act, after clause (vi)...." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "after clause (vi)" क्लाज 28 क्या कहता है, मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यह जो क्लाज लाया गया है, यह क्लाज रेलेवेन्ट नहीं है। और यदि क्लाज रेलेवेन्ट नहीं है तो 1973 के विधान सभा में जो रूल्स पास किये गये

(श्री सी.पी. जोशी)

हैं उनकी विज्डम को चैलेन्ज किया गया है। और एक्ट 29 क्या कहता है ? एक्ट 29 में लिखा हुआ है-- "purposes for which the fund of the temple may be utilised" परपज क्या रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? परपज रखा है :

"the administration and maintenance of the temple and the performance of the daily worship and ceremonies and the observance of festivals therein...."

नं. 2 लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "the foundation and maintenance of hospitals and dispensaries for the relief of the pilgrims and worshippers visiting the Temple."

तीन में लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "the construction and maintenance of dharamshalas and rest houses for the use and accommodation of such pilgrims and worshippers"

फोर्थ लिखा है, "the provision of water supply and other sanitary arrangements therein...."

फिफ्थ लिखा है-- "the acquisition of any property authorised by the State Government,,

एण्ड सिक्स्थ लिखा है–

"the construction and maintenance of roads and communications and the lighting thereof for the convenience of the pilgrims and worshippers."

एक्ट 28 की सिक्स्थ धारा में यह कहीं भी प्रोविजन नहीं किया गया था कि गोस्वामीजी महाराज या उनको फेमिली मेम्बर्स को अलाउन्सेज दिया जायेगा। उस रूल के अन्तर्गत धारा 28 की 22 के अन्तर्गत आपने रूल बनाकर फण्ड के आधार पर अलाउन्सेज देने का प्रोविजो 29,30 और 31 में रखा है। और आज इस एक्ट के अन्दर सेवन्थ क्लाज एड करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं इन 6 क्लाज पर आपने टेम्पल पर कितना पैसा खर्च किया। एक क्लाज में पैसा खर्च नहीं किया फिर सेवन्थ को लाने की जरूरत क्या है। और सेवन्थ क्लाज का हेडिंग क्या है, सेवन्थ क्लाज का हेडिंग रखा-- "Purpose for which the fund to the Temple may be utilised" 6 जो टेम्पल एक्ट में प्रोविजो लिख रखे हैं उस एक्ट के प्रोविजन का टोटल वायोलेशन और सातवां क्लाज हम एड करवा रहे हैं कि गोस्वामी महाराज की फेमिली को इस फन्ड से पैसा मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय, आप टोटल एक्ट की विज्डम चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इसकी मेरिट में नहीं जा रहा हूं, कि यह अवार्ड क्यों किया गया। मैं मानता हूं कि 1977 में आपका अवार्ड फाइनल

(श्री सी.पी. जोशी)

हो गया था। गवर्नमेन्ट ने कमिटमेन्ट दे दिया इसलिए महाराजश्री के कमिटमेंट को ओनर किया जाना चाहिए। मैं इसको मना नहीं करता, यह गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। आपने कमिटमेन्ट दिया, अवार्ड को आपने माना। अवार्ड आप मान चुके हैं। आप किन परिस्थितियों में 12 साल तक नहीं लाये ? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। 12 साल बाद जिस एक्ट के तहत आप लाना चाहते हैं, वह एक्ट न्याय नहीं कर रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से।

श्री सी.पी. जोशी : आप अपनी बात कह दें। रिट्रोस्पेक्टिव से मिले, मुझे इसमें भी तकलीफ नहीं। इतने बड़े महाराजश्री के, आपने उनके मन्दिर, उनके मन्दिर की व्यवस्था से लाखों करोड़ों आदमी आते हैं और लोग अपनी जीविका अर्जन करते हैं। नाथद्वारा की टोटल इन्कम उस पर डिपेण्ड करती है। उसमें आप लाख, दस लाख पच्चीस लाख रुपया दें मैं इसको बुरा नहीं मानता। मुझे इसमें तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि Nathdwara Temple came into existence after much disputes. सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद टेम्पल एक्ट आया और टेम्पल एक्ट आने के बाद एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत उन्होंने यह एन्टीसिपेट किया था कि गोस्वामी महाराज को अलाउन्सेज देंगे। गोस्वामी महाराज की फेमिली को अलाउन्सेज देंगे और आज आप जो नया एक्ट लाना चाहते हैं वह आप धारा 22 में नहीं ला रहे हैं आप एक्ट की 28 धारा में ला रहे हैं जिसके अन्दर लिखा है कि किस परपज में पैसा खर्च होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोन ऑफ कण्टेन्शन यह है। यह विधान सभा है। विधान सभा में मेरी अकाउण्टेबिलटी उस जनता के साथ में है, टेम्पल बोर्ड में काम करने वाले आदमियों के साथ में है। नाथद्वारा की जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में, माननीय मन्त्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि 1959 से 1989 हो गया,–तीस साल के अन्दर यह जो 6 क्लाज मैंने आपको बताये,

"Purpose for which the Fund of the Temple may be utilised."

मुझे बताया जाय कि नाथद्वारा में आने वाले यात्री के लिए, किस-किस क्लाज में आपने पैसा खर्च किया ? इसकी धर्मशाला की व्यवस्था करने के लिए, इसकी लाइट की व्यवस्था करने के लिए, रोड मेन्टीनेन्स करने के लिए, हास्पिटल की व्यवस्था करने के लिए, यात्रियों के आने-जाने की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए, आपने खर्चा क्या किया ? हमने खर्चा क्या किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कोबाल्ट प्लान्ट उदयपुर में दो लाख रुपया दे दिया हमने, क्या खर्चा किया दो लाख रुपया दे दिया रिलीफ फण्ड में। हमने क्या खर्चा किया, वल्लभ सेठ की कुर्सी हमने रखी उदयपुर के अन्दर, पर इसके लिए तो प्रोविजो रखा हुआ है। इससे ज्यादा हो सकता है इस बात की है कि 1959 से 1989 में नाथद्वारा की पापुलेशन क्या हो गई। नाथद्वारा की पापुलेशन आज 28

(श्री सी.पी. जोशी)

हजार हो गई है। जब 1959 में एक्ट आया था पापुलेशन कितनी थी नाथद्वारा की। उसके बाद नाथद्वारा में कितना डवलपमेन्ट हुआ, उसकी रोड्स कौन मेन्टेन करेगा, उसकी बिजली की व्यवस्था कौन करेगा, उसके पानी की व्यवस्था कौन करेगा। जितने यात्री आ रहे हैं उनकी सुविधा की व्यवस्था कौन करेगा। इस सम्बन्ध में हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया। और आज उस एक्ट की धारा के अन्दर हम सातवां क्लाज ला रहे हैं कि हम उनकी फेमिली को पैसा देंगे। आप पेमेन्ट कितना कर रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से पैसा दे रहे हैं। एक साल में खर्चा आयेगा 96 हजार प्रति वर्ष और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लगायें तो तीस लाख रुपये। कम है, आप एक करोड़ रुपया दे दीजिये। मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं कि महाराजश्री को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अवार्ड को ओनर करना चाहिए। पर माननीय मंत्री महोदय, 1977 में अवार्ड आ गया। जनता पार्टी का राज था, 1977 में अवार्ड को मानना ही होगा। क्यों नहीं माना गया, क्या परिस्थितियां थी, उस सम्बन्ध में हमने कुछ नहीं कहा। शिड्यूल सिक्स्थ के अन्दर जो हमें प्रोपर्टी लेनी थी कितनी प्रोपर्टी हमने ले ली। प्रोपर्टी हमने ली उस प्रोपर्टी में कितनी प्रोपर्टी डिस्प्यूटेबल है। उस डिस्प्यूटेबल प्रोपर्टी का क्या फैसला होगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम प्रोपर्टी का फैसला करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम न्याय नहीं कर पायेंगे।

इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी अकाउण्टेबिलिटी है एक जन-प्रतिनिधि के रूप में मंत्री महोदय को सबसे पहले इस बात को अस्योर करने की कि आप हमको यह अस्योर करें कि नाथद्वारा में जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों की फ्लोटिंग पापुलेशन नाथद्वारा की पीस को डिस्टर्ब करती है। नाथद्वारा में सेनिटेशन की प्रोब्लम क्रीएट करती है। नाथद्वारा में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करती है। नाथद्वारा में जो फेसिलिटी मिलनी चाहिए यात्रियों को, जो लाखों करोड़ों रुपया वरशिप में देते हैं उनको फेसिलिटी की व्यवस्था करने के लिए, हमको जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी उतनी व्यवस्था हमने आज दिन तक नहीं की। इसलिए मैं वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वहां दो तरह के कर्मचारी काम करते हैं। एक बाई कस्टम काम करते हैं। उन लोगों को, माननीय मंत्री महोदय, आप जानकार आश्चर्य करेंगे कि उनको खाली डेढ़ मन धान मिलता है। डेढ़ मन धान की कीमत 120/- रु. होते हैं। 125 रुपये होते हैं। पिछली बार सरकार ने सौ रुपये बढ़ाये तीन सौ रुपये में वहां पर चार सौ आदमी काम कर रहे हैं। चार सौ आदमियों की तनख्वाह केवल मात्र चार सौ रुपया। उसकी व्यवस्था कौन करेगा। उनके लिए हम पैसा नहीं देना चाहते। वहां पर सेने–टरी का और दूसरी तरह का काम करने वाले आदमी हैं उनकी तनख्वाह हम स्टेट गवर्नमेन्ट से नहीं देना चाहते। उनको अलाउन्सेज नहीं देना चाहते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप महाराजश्री को अपने अवार्ड से, जो अवार्ड किया उसे ओनर किया जाना चाहिए।

(श्री सी.पी. जोशी)

उसके साथ-साथ वहां पर मन्दिर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी सरकारी कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनको डी.ए. उनके मुकाबले मिलना चाहिए, टी.ए. उनके मुकाबले मिलना चाहिए। और खास तौर से कस्टम में जो काम करने वाले आदमी हैं, कस्टम के नाम पर जो काम करने वाले जो हैं, जो काम करते हैं उनको डेढ़ मन धान, एक साबुन की बट्टी, एक किलो घी। इस तरह से अगर हम केलकुलेट करें तो केवल मात्र चार सौ रुपये मिलते हैं। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, उन लोगों को वेजेज ठीक ढंग से मिले। आज चार सौ रुपये में किसी की जिन्दगी बसर नहीं हो सकती है। वहां पिलफ्रेज जो हो रहा है, जितना मन्दिर में चढ़ावा आना चाहिए वह चढ़ावा मन्दिर में इसलिए नहीं आ रहा है। हमको उनकी सेलेरी के सम्बन्ध में भी कुछ निर्णय करना पड़ेगा। आपके एक्ट में जो प्रोविजन रखा है उस एक्ट में यह भी प्रोविजन रखने की जरूरत है कि जहां महाराजश्री के फेमिली मेम्बर को अवार्ड के हिसाब से पैसा मिले, मन्दिर में काम करने वाले कर्मचारी को जिसको आज चार सौ रुपये मिल रहे हैं उसको कम से कम मिनिमम वेजेज है उसके मुताबिक तनख्वाह तो मिले। यदि हम यह व्यवस्था नहीं करते तो हम क्या करना चाहते हैं। आज नाथद्वारा के डवलपमेन्ट के सम्बन्ध में आजादी के बाद हमने क्या किया। वहां पर हमने बस स्टेण्ड बनने की जमीन दी, कितने समय बाद, 6 साल बाद। अस्पताल के लिए हमने निर्णय किया है उसका फैसला कब करेंगे, आठ साल बाद। मुख्य मंत्रीजी लेटर लिख दें देवस्थान मंत्रीजी लेटर लिख दें। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला हमारे से ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा। मैं एक्ट की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस एक्ट में प्रोविजन है कि बोर्ड की मीटिंग नाथद्वारा में होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, एक्ट के 14वें सेक्शन में लिखा है–

"for the transaction of its business, the Board shall meet at such intervals as may be prescribed at Nathdwara" आज दिन तक नाथद्वारा में कितनी मीटिंग हुई? साल में एक मीटिंग केवल मात्र। यह एक्ट में प्रोविजन है। मीटिंग नाथद्वारा में नहीं करते हम। इस एक्ट में लिख रखा है कि बोर्ड का बजट बनने के बाद स्टेट गवर्नमेन्ट को सबमिट करेंगे हम। स्टेट गवर्नमेन्ट के पास बजट नहीं आता है। हम आडिट कराने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजेंगे उस आडिट का हम प्रोविजन नहीं करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोटल एक्ट का फ्लाउट हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक चार्ज है वहां के उपाध्यक्ष हैं सुमति मोरारजी जिनकी कम्पनी है। उसकी कम्पनी के सैकड़ों आदमी टेम्पल बोर्ड के खर्चे से बम्बई में नौकरी कर रहे हैं आज की तारीख में उनके रिक्रूटमेंट के कोई रूल नहीं, उनके सैलरी के कोई रूल नहीं उनके चढ़ावे में जिस तरह से हो रहा है कोई कुछ नहीं

(श्री सी.पी. जोशी)

कहने वाला है लेकिन सुमति मोरारजी जो इसकी उपाध्यक्ष हैं उसने अपनी कम्पनियों के आदमियों को, उनकी कम्पनी लिक्वीडेटेड में आ गई तो उन लोगों को टेम्पल बोर्ड के खाते में बम्बई में नौकरी लगवा दी। टेम्पल बोर्ड का जो एफ.डी. है उस एफ.डी. के अगेंस्ट में अपने विद्युत का पैसा लें इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं ? इसमें लिखा हुआ है कि कोई जमीन तीन साल से ज्यादा लीज पर नहीं दे सकते, कितने लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है कितने लोगों को 90 साल के लिये जमीन लीज पर दे रखी है ? नाथद्वारा के डवलपमेंट के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि नाथद्वारा म्युनिसीपैलिटी लिमिट्स में या तो जमीन फोरेस्ट की है या टेम्पल बोर्ड की है। वहां टेम्पल बोर्ड की जमीन नाथद्वारा के डवलपमेंट के लिये नहीं मिल सकती। वहां टैम्पल बोर्ड की जमीन पर लोग नाजायज कब्जा कर सकते हैं लेकिन नाथद्वारा के डवलपमेंट के लिए टेम्पल बोर्ड की जमीन नहीं मिलेगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपने एवार्ड को लेट लागू किया इसके लिये तो आपको जितना कन्डेम किया जाये उतना कम है। इसलिये कन्डेम करने की बात मैं कहना चाहता हूं कि एक धर्मगुरु के साथ में जो आपने जिस स्पीड के साथ में आपने समझौता किया एवार्ड 77 में आ गया एवार्ड को इमीजियेटली लागू कर देना चाहिये था। लेकिन हमने इस एवार्ड को डिले किया, एवार्ड को डिले करने के बाद हमारी व्यवस्था खराब होने लग गई। और व्यवस्था खराब होने के अलावा जो इस एक्ट में प्रोवीजो है उस एक्ट में इस प्रोवीजन के साथ-साथ आपको यह भी प्रोवीजन लेने की आवश्यकता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गवर्नमेंट डाइरेक्शन देगी कि दो करोड़ सर्माथग का, उसका जो टोटल बजट है हम उसको 10 पर्सेन्ट, 15 पर्सेन्ट 20 पर्सेन्ट कुछ तो नाथद्वारा के डवलपमेंट के लिये खर्च करें ? वहां की जनता की कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। जनता के वैलफेयर के लिये उस टैम्पल बोर्ड की कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप रिट्रासपेक्टिव डेट से बजट दे रहे हैं, दें, लेकिन रिट्रासपेक्टिव डेट से जितना पैसा नाथद्वारा के डवलपमेंट में खर्च होना चाहिये उतना भी आप गवर्नमेंट को डाइरेक्शन दें। आपने जो पावर ले रखी है उपाध्यक्ष महोदय, दी गवर्नमेंट कैन गिव डाइरेक्शन्स। माननीय मंत्री महोदय, मै आपसे पूछना चाहता हूं एक्ट के धारा 28 के अन्तर्गत जिसमें सेवेन्थ क्लाज आप एड कर रहे हैं सिक्स्थ क्लाज के इम्प्लीमेंटेशन के लिये आप हमको एश्योर करें कि बोर्ड की मीटिंग में हम डाइरेक्शन देंगे। बोर्ड की मीटिंग का क्या हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेम्पल बोर्ड, जो लोगों की निष्ठा और आस्था है उस आस्था और निष्ठा को कुछ चन्द लोग अपने निजी स्वार्थ के लिये केपीटलाइज कर रहे हैं। केपीटलाइज किस तरह से कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। बाम्बे हास्पिटल में गोकुल प्रसाद जी वहां के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं अच्छे आदमी हैं टोटल नाथद्वारा की गुड-

(श्री सी. पी. जोशी)

बिल को उन्होंने बाम्बे में कन्वर्ट करवा रखी है। नाथद्वारा का डवलप नहीं होगा डवलपमेंट उनकी गुडविल का बाम्बे हास्पिटल की डवलपमेंट में होगा। श्रीमती मोरारजी का टोटल गुडविल का डवलपमेंट का कहां होगा किसी स्लीपिंग कार्पोरेशन की वेलफेयर के लिये होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के टेम्पल बोर्ड के एक मैम्बर ने एक रुपये में वहां पर प्रापर्टी ले ली और वहां पर खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और खाने का चार्ज करते हैं 20 रुपया, 25 रुपया उस प्रापर्टी की कीमत आज दो-तीन करोड़ रुपये है, हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्ट के तहत जो एमेंडमेंट मूव किया है माननीय मंत्री महोदय ने वह अमेंडमेंट टोटल राजस्थान की लैजिसलेटिव की विजडम को चैलेंज है। विधान सभा के जिन माननीय सदस्यों ने 73 के रूल्ज को पास किया, इस रूल्स को इस नये प्रोवीजो के अन्तर्गत नल एण्ड वायड हो जायेगा। यदि 22 और 28 के एक्ट के प्रोवीजो के अन्तर्गत रूल बन सकते हैं गोस्वामी महाराज को एलाऊंस की व्यवस्था की जा सकती है उनके फेमिली मैम्बर्स को एलाउंस की व्यवस्था की जा सकती है सैक्शन 31 के अन्तर्गत तो आज 28 के अन्दर सेवन्थ क्लाज लाने की आवश्यकता क्या है। इसलिये मेरा फण्डामेंटल विरोध 28 के अन्दर सेवन्थ क्लाज एड करने का है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आप 28 क्लाज में भी एमेंडमेंट ला रहे हैं तो 28 के क्लाज के दूसरे सिक्स जो प्रोवीजो हैं उन प्रोवीजो को एडहेयर करने के लिये आप हमको यह बतायें कि आप टैम्पल बोर्ड को क्या डाइरेक्टिव देंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके उन डाइरेक्शन्स से आने वाले समय में नाथद्वारा का डवलपमेंट ठीक ढंग से हो पायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। नाथद्वारा से दस बसें पर डे बाम्बे की जाती हैं नाथद्वारा से 5 बसें सूरत और अहमदाबाद की जाती हैं पर नाथद्वारा में एस.टी.डी. की व्यवस्था नहीं हो सकती आज अगर नाथद्वारा में एस. टी. डी, की व्यवस्था हो जाये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो बाम्बे और अहमदाबाद से फुल, एवरी डे आई कैन एश्योर यू आयेगी और जायेगी। बाम्बे से आने वाले आदमी आज दिल्ली की व्यवस्था इस तरह की हो गई है उदयपुर की लिंक ठीक नहीं है। हमारा लिंक बाम्बे, औरंगाबाद उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और दिल्ली से कर रखा है। बाम्बे से आने वाले लोगों को उदयपुर के लिये टिकट नहीं मिलता नाथद्वारा की तो बात छोड़ दें। नाथद्वारा से अगर कोई बम्बई और अहमदाबाद का आदमी टेलीफोन लगाये तो उपाध्यक्ष महोदय उसका टेलीफोन तीन दिन तक मैच्योर नहीं हो सकता। और हमने एक्ट में प्रोवीजो कर रखा है कि टेम्पल बोर्ड के मेम्बर हिन्दुस्तान की अलग-अलग जगह के होंगे। टैम्पल बोर्ड के वैष्णव सम्प्रदाय के आदमी कलकत्ता में भी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में भी है, हिन्दुस्तान के कौने-कौने में हैं। आज तो हिन्दुस्तान की बात नहीं है, हिन्दुस्तान के बाहर भी वैष्णव

(श्री सी. पी. जोशी)

सम्प्रदाय को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं। इनकी नीड्स को केटर करने के लिये हमने उस नाथद्वारा के डवलपमेंट में टैम्पल बोर्ड एक्ट बनाने के बाद कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं किया। हां, मैं यह बात मानता हूं कि पिछले दो साल में टैम्पल बोर्ड को कम प्रॉफिट हुआ है पर आज भी इफ्स एण्ड बट्स हैं। आज भी कोई कमिटमेंट नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक कमिटमेंट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किया उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं पर वह कमिटमेंट इन्होंने किया स्टेडियम बनाने के लिये 20 लाख रुपये, इन्होंने कन्ट्रीब्यूट करने थे अभी मात्र तीन लाख समथिंग डाईवर्ट किये हैं। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराजश्री को और एवार्ड के माध्यम से उनके फैमिली मैम्बर्स को जो आप दे रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिये करता हूं कि उस नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था के कारण, आज नाथद्वारा ही नहीं, उदयपुर का डवलपमेंट, नाथद्वारा में बहुत से यात्री आ रहे हैं उसकी टोटल इकॉनामी नाथद्वारा मन्दिर के कारण है और उसमें महाराजश्री की फैमिली ने जितना कन्ट्रीब्यूट किया है उसका जितना हम फाइनेन्शियली कम्पनसेट करें उतना कम है। इसलिये उनका मनी के साथ कोई कम्पनसेट नहीं किया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में तो खाली इतना ही निवेदन करना चाहता हूं लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वह एक्ट की धारा 28 के अन्दर सेवन्थ क्लाज जो आप एड कर रहे हैं, वह सेवन्थ क्लाज़ का मैं सख्त विरोध करता हूं और एक्ट की धारा 22 में जो प्रोवीजो था जिसके अन्दर 73 में रूल बन गये थे उसकी धारा 29, 30 और 31 है 31 के अन्दर जहां सिस्टर और ब्रादर लिख रखा है वहां सिस्टर ब्रादर वाईफ मदर और उनके सन का प्रोवीजन कर दें और जो व्यवस्था आप कर रहे हैं उस व्यवस्था को आप इम्प्रूव कर दें तब इस एक्ट के लाने की जो आपकी मन्शा है वह ठीक हो सकेगी बाकी आज का जो एक्ट है उससे मन्शा ठीक नहीं होगी।

अन्त में माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं आप जब इस रूल में प्रोवीजो करें तो मंत्री महोदय, भगवान के लिये उस रूल में प्रोवीजो इस तरह का करें कि टैम्पल बोर्ड के मनी का यूटीलाईजेशन यात्रियों की सुविधा के लिये भी हो सके, नाथद्वारा के डवलपमेंट के लिये हो सके और नाथद्वारा का डवलपमेंट होगा तो एक एम्बेसडर के रूप में जो दुनिया के दूसरे कौने-कौने से लोग आते हैं वह राजस्थान स्टेट का एक अच्छा इम्प्रेशन लेकर के जायें इस दृष्टि से व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। मैं विश्वास करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि यह जो प्रोवीजो 28 में ला रहे हैं टू स्प्रिट आफ एक्ट भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्प्रिट में ठीक नहीं होगा, अब आप ला रहे हैं आपकी मन्शा है लॉ डिपार्टमेंट ने पहले कैसे वेट किया अब कैसे वेट किया आप जानें और कानून की व्यवस्था जाने। मैं आपको अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं कि महाराजश्री को जो आप इतना लेट एवार्ड दे रहे हैं उसका तो मैं आपको कन्डेम करता हूं। पर वहां के काम करने वाले एम्पलाईज और खास

(श्री सी. पी. जोशी)

तौर पर सेवा में काम करने वाले आदमी हैं उनकी सैलरी की व्यवस्था सुधारी जाये नाथद्वारा के डवलपमेंट में सरटेन पर्सेन्टेज फिक्स किया जाये जिससे वहां का डवलपमेंट ठीक ढंग से हो सके, यात्रियों को सुविधा ठीक ढंग से मिल सके और उस धार्मिक स्थान से जो लोगों की जो निष्ठा जुड़ी हुई है उस निष्ठा का दिनों दिन लोगों के प्रति आस्था बढ़े जिससे वहां इकॉनामी सुधरे, राजस्थान की एकॉनामी सुधरे और देश में इस धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा बढ़ सके इस संबंध में निश्चित तौर से व्यवस्था की जानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि आप सदन में इस संबंध में कोई आश्वासन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सी.पी. जोशी साहब, अब आप इसका क्या चाहते हो इसका सुझाव तो दो। अब क्या करें? क्या इसको वापिस करें ?

श्री उपाध्यक्ष : पारित किया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या कहा, हमारी समझ में नहीं आया ? इसको वापिस करने के लिये कहा या क्या कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलाल जी, अब आपको जो कुछ कहना है कह दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे यह कहना है साहब कि यह जो फैमिली को यहां पर डिफाईन किया है

"The expression of the 'family' for this purpose of this Act shall include the wife, sons, daughters, mother, brothers and sisters."

अब यह ब्रदर्स रीयल है या कजन ब्रदर्स है या सारे ब्रादर्स हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : ब्रदर्स तो ब्रदर्स ही होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं नहीं, सब होते हैं। यही मैं कहता हूं ब्रदर्स तो सब होते हैं। जब यह एवार्ड के पैसे मिलेंगे तो कई ब्रदर्स खड़े हो जायेंगे। Real brothers ? Why not cousin brothers ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समय का थोड़ा ध्यान रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : रीयल ब्रदर्स नहीं लिखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नवरंग सिंह जी, इस पर भी आपको बोलना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिये इसकी डैफिनेशन को, वैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें बहुत सारे लोग जोड़ दिये हैं इसको कम करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी, क्या कहेंगे ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यतः तो यह बात कहूंगा कि नाथद्वारा के मन्दिर में हरिजन पुजारी को लगाया जाय, यह मेरी मुख्य

(श्री नवरंग सिंह)

बात है, और इस बात को सरकार आश्वस्त करे कि हरिजन पुजारी को लगाया जायेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय भी आपको मजाक सूझ रही है। बहुत सीरियस है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, देवस्थान) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी लम्बी चर्चा की और उन्होंने कानूनी मुद्दों की ओर काफी ध्यान आकर्षित किया। यह बात सही है कि अवार्ड के 1977 में आने के बाद में इसको लागू किया जाना चाहिये था। सरकार ने इस बात को उसी समय स्वीकार कर लिया था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आर्डिनेन्स लाना कोई जरूरी नहीं था। हमारी खुद की मंशा थी कि जल्दी से जल्दी बिल लायें लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी। जो बात आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही फैमिली के बारे में, अवार्ड के अन्दर इस बात का फैसला किया गया है। उन्होंने फेमिली को डिफाइन किया है। उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। उसके अन्दर ब्रदर का जिक्र है, सिस्टर का है, मदर का है, सन का भी है और डॉटर का भी है। उसमें यह तय है कि कितना देना है। यह बात सही है कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इस एक्ट के अन्दर, धारा 22 के अन्दर जो बात कही गयी है उसमें गोस्वामीजी और उनकी फैमिली का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि अवार्ड उसके बाद का है। इसके बाद हमने महसूस किया कि अवार्ड के अनुसार अमेंडमेंट लाने की बात थी। इसके अन्दर जो पावर्स दिये हैं, धारा 30 के अन्दर जो रूल्स 1973 में बने हैं, उसमें हमने कारण बताये हैं। बिल लाने का मतलब यही है और यह बताया है कि यह गलती रह गई थी, उसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं। हमने इस बात को देखा। धारा 28 में परपज आफ यूजेज आफ फण्ड आफ टेम्पल बोर्ड, इसके अन्दर विकास के लिये, सड़कों के लिये, पी.एच.ई.डी. के लिये, यह बात सही है, और उसके अन्दर इसको जोड़ने की बात की गई। इस बात को मैं महसूस करता हूं और उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं क्योंकि माननीय सदस्य वहां से चुन कर आते हैं और वहां की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्ट की भावना यह थी और बहुत लम्बे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के इन्टरवीन के बाद यह एक्ट आया था। इसके अन्दर बाकायदा इस बात का प्रोवीजन किया गया। धारा 28 में यह बात कही गई कि टेम्पल बोर्ड के फण्ड का और यूज होगा। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ लेकिन मैं इस बात से जरूर सहमत हूं और मैं यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज के बाद हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस फण्ड से नाथद्वारा टाउन के विकास के लिये पैसा खर्च हो। इस बात के लिये हम डाइरेक्शन देंगे। इसके अलावा जो बात माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के लिये कही, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सदन में उठाया था और उन्हीं के सुझाव के अनुसार कार्यवाही की गई थी। पहले 100/- रुपये दिये जाते थे उसको 140/- रुपये देने का निर्णय भी आपके आग्रह पर किया गया है। इसके अलावा 75 पर्सेण्ट मंहगाई भत्ते की बात टैम्पल बोर्ड ने स्वीकार कर ली है। यह भी आपके सुझाव के अनुसार ही किया गया है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गम्भीर बात कही है कि टैम्पल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेन्ट जो श्रीमती सुमति मोरारजी हैं, उनका कोई शिपिंग कार्पोरेशन लिक्वीडेशन में है और उसके कर्मचारियों को टैम्पल बोर्ड में ले लिया गया है। कैसे ले लिया, क्यों ले लिया इस बात की जांच करवाई जायेगी। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई इर्रेगुलेरिटी हुई तो उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे। सटरेण्डम मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे ख्याल से मेरी बात से माननीय सदस्य सहमत होंगे।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 संशोधित रूप से पारित किया गया।

नैक्स्ट। राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक।

श्री नवरंग सिंह : मैंने छोटा-सा प्रश्न किया था और मैं इन मंत्री महोदय से यह उम्मीद करता था, कम से कम श्री राजेन्द्र चौधरी तो यह कहेंगे, इस बात के लिये प्रयास करेंगे, इतना तो विश्वास दिलाइये कि आखिर स्टाफ में हरिजन को तो महत्व मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Now I order you to sit down. आप आज कल बहुत बार उठते हैं।

विधेयक पर विचार
राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आबकारी विधेयक में यह प्रावधान रखा है कि जो ठेकेंदार यह वाजिब समझता है कि यह रकम उसको जमा करानी है और वह उस रकम को जमा नहीं कराता है और अपील में जाता है और वह रकम जमा नहीं कराता है। इसलिये राज्य सरकार ने इस संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया है कि वह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अपील में तब ही जायेगा जब कि वह 75 प्रतिशत डिमाण्ड का जो अमाउण्ट होता है उसको जमा करा देगा। यह ठीक है।

राज्य सरकार ने तो यह ठान ली है कि हम दारू की आमदनी से ही राज्य चलायेंगे। तो वो तो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सी.पी. जोशी, माननीय भार्गव साहब सीरियसली बोल रहे हैं। आपको बराबर एप्रीशियेट कर रहे थे। प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यहां पर राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया है कि ठेकेदार जो रकम वह वाजिब मानता है, उसका 75 प्रतिशत वह जमा कराने के बाद ही अपील में जायेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो यह कहता हूं आप यह बिल लाये। दारू की रकम से ही राज्य चलाना है तो मेरा निवेदन है कि महात्मा गांधी का स्लोगन है कि जो राज्य दारू की रकम से राज्य चलाता है, क्षमा करना, यह वैश्यावृत्ति से भी खराब है। यह महात्मा गांधी का बताया हुआ स्लोगन है लेकिन आपको दारू की इनकम से ही राज्य चलाना है। इस प्रावधान का मैं विरोध नहीं करता हूं, इसको रखें। बाकी यह जो आपने रखा है कि ब्याज इतना चढ़ गया, कि मूल रकम से कई गुना ज्यादा हो गया तो मूल रकम जमा नहीं हो रही है और ब्याज काफी चढ़ गया है तो कमिश्नर को आप यह पॉवर देना चाहते हैं कि वह चाहे तो कम कर दे और चाहे तो वेव कर दे। तो वेव करने की बात चलने लगी तो मैं समझता हूं, मेरे पास ठेकेदारों की सूची है जिनमें लाखों रुपया बकाया है, यदि कमिश्नर को वेव करने की पावर दे दी तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर और ठेकेदार दोनों मिल जायेंगे और वेव करवा लेंगे। इसलिये रिजनेबल इन्ट्रेस्ट कम हो जाये, आपकी रकम आपको मिल जाये, यह प्रावधान करना चाहिये। इसलिए इस वेव करने की बात को हटावें। कम करने की बात यदि कमिश्नर करे तो अच्छा है। दारू के ठेकेदारों में बहुत बड़ी रकम बकाया है। कमिश्नर ने जो फैसले किये उनका जिक्र करना आवश्यक नहीं है। हाई कोर्ट का आर्डर हो गया है तो भी वह कम रकम जमा करें। इसलिये इस प्रकार की पूरी पावर कमिश्नर को देना नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी, श्री चम्पालाल बांठिया, श्री प्रतापसिंह जी, श्री हीरालाल जी, श्री नाथूसिंह जी, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे को यह निवेदन करना है :

"Notwithstanding anything contained in this Act, the Excise Commissioner may, on an application made in this behalf by a licensee and after recording his reasons for so doing, reduce or waive the amount of any interest payable by the licensee under this Act, if he is satisfied that (a) to do otherwise would cause genuine hardship to the licensee havingre gard to the circumstances of the case.

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक तो ग्राउन्ड यह होगा कि वह यह अनुभव कर ले कमिश्नर कि वास्तव में इसको बड़ी कठिनाई थी और यह नहीं दे सकता था। एक तो यह कर लें और दूसरा रीजन क्या दिया आपने....

"(b) The licensee has co-operated in any proceeding for the recovery of any amount due from him."

क्या मतलब इसका कि वह उसके खिलाफ जो कार्यवाही चल रही थी उसको सेव किया उसने और वह हार्डशिप न बता सका, अगर जिनाइन केस नहीं है तो आपने एक तरीका निकाल लिया है कि बिना उसके भी आप किसी को माफ कर देंगे और यह लाइन लिख देंगे कि ब्याज की वसूली में, रकम की वसूली में इसने बड़ी मदद की, खुद की वसूली में, खुद के अमाउन्ट की वसूली में, दूसरे में नहीं। खुद का जो अकाउन्ट है उसके खिलाफ वसूली की जो कार्यवाही हुई उसमें मदद की थी। क्या मदद करेगा साहब। कोई एग्जाम्पिल दीजिये आप। आप समझाना मुझे। आप, मंत्री महोदय समझाना कि वह जो लाइसेन्सी है वह उसकी रकम की वसूली में क्या मदद करेगा, क्या कोआपरेट करेगा जिससे आप उसकी रकम को, ब्याज की रकम को माफ कर देंगे या कम कर देंगे ? यह आपने एक रास्ता निकाल लिया। एक कमिश्नर को पूरा डिस्क्रीशन दे दिया और एक लाइन लिख देगा कि वसूली में बड़ी मदद करी। जिसकी वसूली नहीं हुई उसको तो ब्याज भी दिया। आपसे वसूल नहीं होगा उससे वसूली ही होगी उसका ही ब्याज कटेगा तो यह आप अपना दूसरा ग्राउन्ड बताया है इस ग्राउन्ड की क्या उपयोगिता है, कब उपयोग होगी ? एक उदाहरण तो आप मुझे समझा दें वरना यह तो केवल आपने एक हथियार दे दिया, माफ करने का। इसलिये मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनपोल और हवामहल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों ने.... (व्यवधान) एक बात कही है कि एक्साइज कमिश्नर को ब्याज और पैनेल्टी रिड्यूज के पावर दे दिये गये हैं। मैं दो एग्जाम्पिल्स आपके सामने पुट-अप करूंगा। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954 की धारा 17 (क) में तथा आयकर अधिनियम 1959 की धारा 273 (ए) में ब्याज व पैनेल्टी को कम रिड्यूस करने व माफ करने का है। उसी आधार पर हमने इसमें 1954 की इसको एक्साइज एक्ट में लिया है 30 (क) में और उसको 30 (क) करके वेव करने का और माफ करने का दिया है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से आपके बिक्री कर में है कमिश्नर को पावर है, उसी प्रकार से आयकर कमिश्नर को पावर है। इसी प्रकार से हमने आबकारी कमिश्नर को इसमें पावर दिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पावर की बात नहीं है। मैंने ग्राउन्ड की बात कही है। आप दे सकते हैं क्या ? आप किस ग्राउन्ड पर देंगे, उस पर आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : ग्राउन्ड इस पर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : सैकिन्ड नम्बर को पढ़िये आप (बी) वाला।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो बकाया थी वह इतनी हो गई है। उसको वसूल करने के लिये उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है क्योंकि जितना प्रिन्सिपल अमाउन्ट था उसके बराबर ही ब्याज का अमाउन्ट हो गया था। (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : यह कोई मार्जिनल फारमर है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, नहीं, यह ठेकेदारों से....

श्री शोपत सिंह : हमने कहा कि मार्जिनल किसानों का और गरीबों का कर्जा माफ करो तब तो आप कहते हैं हमारा दिवालिया पिट गया और हमने कहा ब्यावर में मजदूरों की मदद करो और अब आप ठेकेदारों को निहाल कर रहे हैं मुकाबला है आपका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी, बैठिये आप। शोपत सिंह जी बैठिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो ग्राउन्ड सेल्स टैक्स में है और जो इन्कम टैक्स में है उसी ग्राउन्ड पर हमने इसको दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है, ठीक है। (व्यवधान) बेनामी जवाब तो ऐसा ही आयेगा। चलिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। बैठिये मोदी जी, मोदी, आप बैठिये....(व्यवधान) हां, बुलवाऊंगा साहब, सबको बुलवाऊंगा। आप बैठिये। (व्यवधान) आपकी नींद अभी खुली है।

खण्ड (2) कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

खण्ड (3) श्री रामचन्द्र जाट (अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह (अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराना (अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष) --

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया ।

खण्ड (1) अधिनियम सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

विधेयक को पास करने का प्रस्ताव करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी आबकारी संशोधन बिल हाउस के अन्दर आया है और वह भी ऐसा बिल आया है, माननीय उपाध्यक्ष जी आप खुद इस विचारों के हैं कि आबकारी राजस्थान के अन्दर बन्द करने का राजस्थान सरकार ने एलान किया था कि हम आबकारी बन्द कर देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आबकारी बन्द करने का ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आबकारी बन्द नहीं हुई, माननीय उपाध्यक्ष जी सुनिये। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो शराब है वह बन्द नहीं हुई और उसके बाद कान्ट्रेक्ट बेसिस पर ठेका दिया गया और उन ठेकों के अन्दर उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। कमाया, यह नहीं कि नहीं कमाया करोड़ों रुपया कमाया और उसके अन्दर करोड़ों रुपया कमा करके और सरकार के मुलजिमान आफिसर्स सब मिले हुए थे। उन्होंने रुपया जमा नहीं करवाया। अगर वे हर महीने रुपया जमा कराते, यह पहले किया गया था कि पहले रुपया सरकार लेती थी ठेकेदार से और उसके बाद, तीन महीने के बाद अगर उसने रुपया जमा नहीं कराया तो उसका ठेका कैन्सिल करके दूसरे लोगों को जो देती थी सरकार परन्तु माननीय उपाध्यक्ष जी इन्होंने साल भर का, दो साल का ठेका एक आदमी को दिया और उन्होंने बंटवारा किया। दो आदमियों को दिया, तीन आदमियों को दिया और आज उसका ब्याज माफ कराते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है। शोपत सिंहजी (व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्योंकि मैं भी उसके अन्दर सदस्य हूं....(व्यवधान) शराब बन्दी आन्दोलन के अन्दर हूं....(व्यवधान) इसलिये मैं आपसे माननीय उपाध्यक्ष जी यह कहना चाहता हूं कि अगर उनको यह ब्याज का पैसा माफ किया तो बहुत ही गलत होगा और जनता में इसका बहुत ही

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बुरा असर पड़ेगा, इतना मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग शराब को बन्द कराने के अन्दर लगे हुए हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठिये, मोदी जी। बैठिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : और गोकुल भाई ने शराब के पीछे अपनी जान दे दी परन्तु शराब बन्द नहीं हुई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मोदी जी अब, आप समाप्त करें। समाप्त करें। ध्यान रखें। 10-30 हो गये हैं। बैठिये आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कमाई करी, माननीय उपाध्यक्ष जी, उनको ब्याज की छूट देना चाहते हैं। यह कितना बड़ा अन्याय होगा राजस्थान की जनता के साथ....(व्यवधान) बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। मैं यह करना चाहता हूं और जगह जगह आज....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बस, समाप्त करें। माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : लोग यह कहेंगे माननीय उपाध्यक्ष जी कि आज सरकार ने, अगर आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जिन्होंने सोसायटी से या ग्रामीण बैंक से कर्जा लिया उनको ब्याज छोड़ देते तो हमको बड़ी खुशी होती परन्तु आप उन पूंजीपतियों को छोडते हैं। आज मैं बताता हूं, कोई रीको से लोन लेता है, कोई फाइनेन्स कार्पोरेशन से लोन लेता है और उसको ब्याज छोड़े, बड़ा अन्याय करेंगे। इसी तरह से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठें। सहयोग करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जनता के अन्दर इसकी खिलाफत करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी आज आपके सामने हाउस के अन्दर कहना चाहता हूं कि जनता में इस बात का प्रचार करूंगा कि सरकार ने यह बहुत बुरा काम किया है जो, देशी शराब के ठेकेदारों को, उन लोगों से जो गांव-गांव में शराब निकालते हैं उनसे मिल करके पैसा खाते हैं और दूसरी जगह से पैसा खाते हैं और उनको आप ब्याज माफ करों। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो साफ है कि हम इस पवित्र सदन में बैठ कर इस पर चर्चा कर रहे हैं। उन ठेकेदारों के प्रति इस सरकार की हमदर्दी और साफ्ट् कार्नर है, इससे जाहिर होता है कि यह सरकार किस की है। यह सरकार दरअसल, माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा जो आदिवासी हैं, माननीय सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति के बैठे हैं उनके सामने खास तौर से कहना चाहूंगा, बाकी लोगों की बात नहीं करूंगा जो कांग्रेस में हैं, अपने आपको समाजवादी कहते हैं, कम से कम मेहरबानी करके इस समाजवाद के नाम को बदनाम तो मत करो। इसके उद्देश्यों में लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, "तथापि कतिपय मामलों में ब्याज की रकमों की अत्यधिक वृद्धि हो गई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें शोधित राजस्व की वसूली करना ही कठिन है.... इसलिये आप उन पर मेहरबान हो रहे हैं।

(श्री शोपत सिंह)

सारे अधिकार आप सौंपना चाहते हैं कि मर्जी आये जिसको कुछ दे दो, करोड़ों रुपया उन ठेकेदारों को दे दो । ठेकेदार वाईन किंग्स हैं । इस राजस्थान में किसको छोड़ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग जानते है । मेरे गंगानगर के हैं, यहां पर बैठे हैं, वाइन किंग्स हैं । उनके पास करोड़ों रुपये की जायदाद है मगर यह सरकार वसूली नहीं कर सकती ।

एक माननीय सदस्य : सब गंगानगर के हैं ?

श्री शोपत सिंह : नहीं, जो वाइन किंग है गंगानगर के ही एक गंगासिंह की कम्पनी और एक सुरजीतसिंह की कम्पनी है । कभी वह मुख्य मंत्रियों के साथ कनाडा जाते हैं, कभी मंत्रियों के साथ घूमते हैं । देखते हैं यहां पर सारा का सारा । उन लोगों के प्रति आपको इतना रहम आ गया कि उन लोगों से क्या करना चाहते हैं ।

इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुमत है, यह लायेंगे, इसको ले जायेंगे मगर यह इस सरकार का एक्स-पोजर है, इससे ज्यादा और कोई एक्सपोज नहीं हो सकता । एक स्वामी बाम्बे में बैठा है करोड़पति, उसके आपको भत्ते की फिक्र है, उसको विकास की फिक्र नहीं । नाथ-द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े समझदार हैं, वह अपने वोट पक्के करते हैं । वह उनको भी कहते हैं, यह भी महान हैं, महाराज जी भी । उन महाराज के बारे में बहुत दफा मुझे याद पड़ता है आज से आठ-दस साल पहले जब सुरैया जवान थी तब तक के किस्से हमारे उन स्वामियों के आये हुए हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन पर कितने मेहरबान हैं ? कहते हैं, महाराज जी हैं, यह तो बहुत महान हैं । यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, एक्सपोज है । इस तरह के करेक्टर के लोगों को, इस तरह के ठेकेदारों को, एक्सपोज हो गया, यह उनको सरकार देती है । मैं सुबह बात कह रहा था मजदूरों की तो हमारे मुख्य मंत्रीजी को मेरे लिए डाक्टर की फिक्र थी । यह तो जनता के हाथों में है, अभी चेतना नहीं आई है जिस वक्त जनता को मालूम हो गया, यह बन्दूकें, गंडासियां ले लेकर निकलेगी और जहां मिल जाओगे वहीं काटेगी । मैं यह कहना चाहता हूं, क्रिमिनल एक्ट है । + + +

श्री उपाध्यक्ष : आपको बड़ी देर बाद दिखी है, आपने बड़ी देर बाद पढ़ाया है ।

श्री शोपत सिंह : इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह जो आप ब्याज से उसको मुक्ति देंगे उसका एक ग्राउण्ड केवल यह लिखा है आपने कि उसके खिलाफ जो वसूली है, उसमें जो रकम बकाया है वह उसकी वसूली में आपको मदद कर रहा है । उसे माफ करने का एक ग्राउण्ड यह होगा इसका एक उदाहरण मुझे समझा दें आप कि ऐसा कौनसा मामला होगा जिसमें वह लाइसेन्सी अपने पर बकाया है उस बकाया की वसूली

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(276)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में सरकार की मदद करता होगा और वह इस बात का अधिकारी होगा कि उसको वेव किया जाय। तो ऐसा क्या रीजन होगा, कैसे होगा ? उसने पेमेन्ट नहीं किया तब तो पेमेन्ट बाकी रहा, फिर ब्याज बढ़ गया उसका, उसके बाद भी उसको आप मुक्ति दे देंगे, यह सिवाय इसके कि आप कुछ लोगों को ओब्लाइज करना चाहते हैं, कोई तरीका नहीं है। आप जरा अपने भाषण के अन्दर समझाइये हमको, आप उदाहरण से समझाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया डा. उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास इस समय कागज नहीं हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती, मेरा नाम कहां पर है ।

श्री उपाध्यक्ष : कागज नहीं है तो फिर बोलती क्यों हैं ? बगैर कागज के बोलती क्यों हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बराबर रोज यह सुनती हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने ढाई साल में अपने हाथों से इसको बन्द करने के लिए शनैः शनैः प्रयास किया जब मालूम पड़ा तो केवल एक लाख रजिस्टर्ड शराबी कुल राजस्थान भर में थे, जिनको नामजद फोटो सहित कराया था और कोशिश यह थी कि शनैः शनैः वह भी शराब पीना बंद कर दें। राजस्थान से यह जहर हटायें, हिन्दुस्तान से यह जहर हटायें। कोशिश तो यह थी। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने संविधान की धारा 47 में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, हम नशे की चीजों को धीरे-धीरे कम करेंगे। महात्मा गांधी ने यहां तक कहा था, एक घंटे को मुझे राज मिल जाय तो मैं बिना मुआवजा दिये शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। दूसरी ओर आपने अभी कांग्रेस पार्टी के जो मेम्बर हैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए बड़े-बड़े बोर्ड जयपुर में लगाये हुए है और यह लिखा है इसमें कि शराब बन्द करनी चाहिये। "दारू छोड़ो जीवन मोड़ो" एक ओर तो वह चाहते हैं दारू छूटे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 12 सूत्री कार्यक्रम दिया उसमें उन्होंने यह कहा था कि शराब बन्द की जायेगी, इमर्जेन्सी के टाइम में था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो शराब बंद हो जायेगी। आप ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर इस तरह का बिल लाते हैं, अफसोस की बात है। आपको चाहिये तो यह कि आप शराब बंद करें। श्री सुखाड़िया जी के समय अपने यहां 12 जिले बंद हो चुके थे, 13 जिले बचे थे। उसमें श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 10 जिले बंद किये एक साल के अन्दर और तीन जिले बाद में बंद करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। यह नशे की चीज, यह जहर की चीज जो सारे समाज को खराब करती है, सेहत को खराब करती है, असामाजिकता उत्पन्न करती है, इसको समाप्त किया। मैं समझती हूं, श्री शिवचरण माथुर ने आते ही शराब खोली, एक पाप किया और दूसरी बार यह इन ठेकेदारों को प्रोत्साहन देकर एक और पाप करने जा रहे हैं। मैं समझती हूं, यह कदापि उचित नहीं है। अपने विनिश्चय से वापस लेना चाहिये। मैं तो कहना चाहूंगी, यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बिल क्या आप वह बिल लायें जो आज फिर दर्शायें कि महात्मा गांधी की इच्छा क्या थी कि मेरा भारत कैसा बने। श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छा थी देश से दारू बन्द हो। आप उनकी इच्छाओं के विपरीत उनके नाम की कमाई खाने वाले लोग इस तरह का बिल लाते हैं, मैं इसका विरोध करती हूं।

मैं कहना चाहूंगी, आप आबकारी के लोगों के हाथ सशक्त करते नहीं, अभी मेरे जयपुर में 8 बीघा जमीन पर जो खेती हो रही थी भांग और अफीम की, उसको जिन्होंने पकड़ा, आप एक्ट में वह प्रावधान करें, जो अपना एक्ट है नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट, कि वह चालान भी कर सकें और जांच भी कर सकें। वह जांच कर लें और फिर चालान आप करने नहीं देते, उनके हाथ आपने काट कर बांधे हुए हैं। आप ऐसी चीज तो लाते नहीं और ऐसा बिल लाते हैं जिनको बिना पढ़ा हुआ आदमी भी यह नहीं कह सकता कि, यह कोई अच्छा है, पढ़ा लिखा तो इसको अच्छा कह ही नहीं सकता। मैं देश भर की भावनाओं के विपरीत जिस तरह का आप बिल लाये हैं, मैं इसको मना करती हूं कि ना लायें और इसके विरोध स्वरूप में वाक आउट करती हूं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी। अब आपकी आंखें खुल गई हैं ना।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के मार्फत जो शराब के ठेकेदारों को सरकार रियायत देने की मंशा रख रही है उसके विरोध में तो इतना ही मैं दृढ़ता से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रान्त में शिक्षा जैसे मद पर हम ब्लैक बोर्ड आपरेशन के ऊपर गर्त जमा चुके हैं, जिस प्रान्त में छोटे-छोटे गांव, बड़े-बड़े शहर, कस्बे आज भी देख लीजिये, चिकित्सा मन्त्री होकर आये हैं अस्पतालों में कोई व्यवस्था वहां नहीं मिली। गांवों में बैंडेज जैसी छोटी-छोटी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं जिस प्रान्त में, हम पीने के पानी में काबू नहीं कर सके।

जिस प्रान्त में ज्वार और बाजरे की निकासी पर रोक लग सकती है, जिस प्रान्त में कोई भी विकास का काम हाथ में लें तो सबसे पहली बात यह आती है कि वित्तीय संसाधनों की बहुत कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता से अपनी इस मान्यता को जोड़ना चाहता हूं कि शराब के ठेकेदारों के लिए जो आप रियायत दे रहे हैं वह एक बहुत खतरनाक कदम है और मैं यह भी मानता हूं कि शराब बन्दी खाली उपदेशों से नहीं हो सकती। माननीय गोकुल भाई भट्ट, मास्टर आदित्येन्द्र, जिन-जिन के प्रयासों की यहां चर्चा की जाती है और नशाबन्दी हुई थी जनता पार्टी के राज में और वह भी अक्षरशः यथार्थ में उसके नुकसान लाभ दोनों ही सामने आये थे लोगों ने इल्लिसिट लीकर कंज्यूम करना शुरू किया था उससे लोगों की तन्दुरुस्ती के दुगुने नुकसान भी हुए थे। यह एक अलग से बहस का मुद्दा है कि आप नशाबन्दी दुबारा से करें लेकिन जो मौजूदा कानून हमारे प्रान्त में है आबकारी के मुतल्लिक उस कानून को दृढ़ता से लागू

(श्री सम्पत सिंह)

किया जाय और ठेकेदार जो कोई कमजोर वर्ग नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत मंत्रणा क्या हो रही है ? वाक आउट करोगे या....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनको मनवा कर छोड़ेंगे, वाक आउट क्या करेंगे। आप देखें तो सही, योजना बनाई है, 11 बजे बाद हमारा मुहुर्त खुलेगा।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जो मौजूदा कानून हमारा है आबकारी में उस कानून को हम अक्षरशः लागू क्यों नहीं करते ? जहां हमको नुकसान हो रहा है उस एक्साइज को हम कलेक्ट करें। आज राजस्थान से एक वर्ग को खुश करने के लिए हम दूसरे प्रान्त में जहां नशाबन्दी है वहां गैर कानूनी रूप से हम छूट दे रहे हैं कि राजस्थान की शराब गुजरात में जाकर बिके यानि हम अपने खुद के बनाये हुए कानून को ही वायोलेट करेंगे, माफ करना उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में कितनी आस्था रह जाएगी। आज इस प्रान्त में इंजीनियर के लिये रोजी रोटी नहीं है आज इस प्रान्त में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तक के लिये आप क्या जीवन स्तर देते हैं, वह सन् 1952-57 से आज भी अपनी साइकिल पर सवार होकर जाता है....आप हमेशा गलत बात मत किया कीजिए, चार दिनों की चांदनी है फिर वही अंधेरी रात होगी और आपका जब जूती गांठने का नम्बर आएगा तब नानी याद आ जायेगी। हर वक्त आप उपहास करेंगे हिन्दुस्तान के वाम के जज्बातों के साथ तो आपकी यह चार दिनों की चांदनी बिल्कुल सामने से उतर जाएगी और यह जो चेहरे पर नूर नजर आ रहा है....

श्री भूदरमल वर्मा : जनता आपकी धज्जियां उड़ा देगी।

श्री सम्पत सिंह : जनता तो आपकी उड़ाएगी धज्जियां। आप एक इंजीनियर को वजीफा नहीं दे सकते। आप एक पढ़ने वाले छात्र को विदेश नहीं भेज सकते।

श्री शोपत सिंह : शराब बन्दी की बात भी करते हो और ठेकेदारों की पैरवी करते हो....

श्री सम्पत सिंह : एक कांग्रेस की टिकट क्या मिल गई अपने आपको जमीन से दो गज ऊपर समझने लगे हैं। आप एक खिलाड़ी को चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, बड़े शर्म की बात है कितने तगमे लाया आपका प्रान्त। एक खिलाड़ी को आप दूध नहीं पिला सकते, फल नहीं खिला सकते उसको आम सहूलियत नहीं दे सकते चाहे वह आपकी पुलिस में कर्मचारी है चाहे स्कूल, कॉलेज का खिलाड़ी है। उन मदों पर पैसा खर्च करने के लिये आपके पास एक ही जवाब रहता है कि हमारे पास वित्तीय संसाधनों की कमी है और आज आप उस अभिजात्य वर्ग के लिए रियायत देने की बात करते हो जिनके चांदी सोने के किवाड़ और गुसलखानों में पायदान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास

(श्री सम्पत सिंह)

में कोई जबान नहीं है +++ कितने गलत शब्दों में निन्दा की जाय वह भी कम है उपाध्यक्ष महोदय, और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारे गांधीवादी उसूलों के जमाये हुए लोग, हमारे गांधीवादी सिद्धान्तों पर राज करने वाले लोग अगर उस अभिजात्य वर्ग के लिए रियायत की बात मन में लाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मर्दे हैं प्रान्त में, जिन पर आप अपनी राज्य की कामगारी योजनाएं लागू कर सकते हैं लेकिन यह नहीं करेंगे और उन पर रियायत करेंगे। कल ही सदन की बहस में आया कि रेवेन्यु से दस करोड़ रुपया, बारह करोड़ रुपया उगाह कर वसूल करते हैं। वह बारह करोड़ तो आप माफ नहीं कर सकते। सहकारी बैंकों में और कोई नहीं, हरिजन और अल्पसंख्यक जो बहुत गरीब लोग हैं उनका दस-बीस करोड़ रुपया माफ नहीं कर सकते लेकिन इस अभिजात्य वर्ग के लिए, माफ करना मंत्री महोदय आन दी ईव आफ इलेक्शन आप पर यह चार्ज लगाएगी राजस्थान की जनता कि आपने महेन्द्रा जीप खरीदने के लिए विधान सभा और लोकसभा के चुनावों में चांदी के जूते से वोट खरीदने के लिए लोगों के कदमों में अपनी गांधी टोपी को डाला है और इस चार्ज से आपका बचना मुश्किल हो जाएगा और जो दौसा से आने वाले माननीय सदस्य बोले हैं इनको नानी याद आ जाएगी जब उस आम जनता और गरीब के सामने जाएंगे।

इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में, दृढ़ता से उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्कुल एक कलम से उनकी रियायत को काटा जाय और आबकारी का जो मौजूदा कानून है उसको विद लेटर एण्ड स्पिरिट दृढ़ता से लागू किया जाय। आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद और शर्म का विषय है। हम पूरे सैशन में जिस उम्मीद में, जिस आशा में बैठे थे उसका आज तो उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बिल्कुल कलेजा उछाल दिया। आशा थी कि सरकार हरिजनों का ब्याज माफ करेगी उनका कर्जा माफ करेगी। आशा थी कि चयनित परिवार और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का विकास करने की सरकार कुछ बात सोचेगी लेकिन आज इस सरकार ने साबित कर दिया है, गांधी के कदमों में बैठने वाले लोगों, देश माफ नहीं करेगा। वक्त आएगा 5-10 साल बाद इनकी तस्वीरों पर, इनकी शक्लों पर लोग थूकेंगे। मुझे याद है इस तरह से भूतपूर्व रियासतों के राजा लोग, जब हम मीटिंगें करते थे आजादी के लिए तो इस तरह की मुस्कराहट, इस तरह के हालात उन लोगों के चेहरे पर थे। आज कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है आज उन शराब के ठेकेदारों का लाखों करोड़ों रुपये का ब्याज माफ कर दे ऐसे पूंजीवादी लोगों के सामने आपने गांधी और नेहरू के सारे सिद्धान्तों

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

को दफना दिया। आप किसी लायक नहीं होओगे। दुनिया में आपकी तस्वीर पर लोग थूकेंगे। खत्म हो चुके हैं आप लोग। आप में कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो बात करते हरिजनों की उनका कर्जा माफ करने की, और उनके विकास की। मामला खत्म है, मामला बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इन देश के शोषण करने वाले लोगों का इतिहास में, गरीबों के खून चूसने वाले लोग, इतिहास इनका साक्षी होगा, गवाह होगा। ये मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह जी। (व्यवधान) इनकी बात रेकार्ड नहीं होगी।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नवरंग सिंह जी, बोलें अब। जल्दी करें। शराब की बात से सबकी आंखें खुल गई हैं। नींद खुल गई आप सबकी।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक्साइज के बिल पर चर्चा हो रही है तो मुझे विधान सभा का 1977–78 का नजरिया याद आता है जब आज के विधि मंत्री भी इस हाउस के मैम्बर थे और हम लोगों को, अपनी सरकार को मनाने के लिए हाउस के अन्दर और थानवी जैसे लोगों के साथ भूख हड़ताल करनी पड़ी थी।

हमने दिल्ली तक भाग दौड़ करके उस समय के प्रधान मंत्री मोरारजी भाई देसाई को इस बात के लिए तैयार किया था कि वह शराब से जितनी आमदनी है उसका आधा हिस्सा राज्य सरकार को देंगे और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग शराब बन्दी में उस समय अगुवाई में थे वे लोग भी हम लोगों को यह समझाने में थे कि इतनी जिद मत करो, शराब बन्दी से राज्य का नुकसान होगा। लेकिन हम लोगों का ध्येय और कार्यक्रम था, हम महात्माजी के रास्ते पर चलने वाले कार्यकर्ता थे इसलिए जैसे तैसे करके, आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, बहिन माननीय सदस्या उजला जी जिन पर उस समय बहुत दबाव था कि वह इन लोगों के साथ बाहर जाकर शराब बन्दी के लिए नारेबाजी नहीं करें लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया और वह भी हमारे साथ उस रास्ते पर चल पड़ीं तब जाकर के लोकतान्त्रिक सरकार ने उस शराब बन्दी के फैसले को लागू किया। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं आपको, 1981–82 में जब माननीय मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर ने इस शराब बन्दी को खोला तो मैं अपने घूमचक्र नवलगढ़ में गया। जो शराब की दुकान थी, जो मेरा विरोध करते थे, शराब की बोतल लेकर मेरे सामने आये कि आपने तो इसको बन्द करा दिया लेकिन आज हम ले आये

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नवरंग सिंह)

हैं, इसको आप पीजिये। इसलिए तकलीफ है उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलना नहीं चाहते थे इस मुद्दे पर, आखिर आमदनी का संसाधन बढ़ाने का इस राज्य को, यह जो बुराई का है, शराब का है, क्या यही एक रास्ता आपको सूझा ? जबकि केन्द्रीय सरकार ने हमको कहा, उस समय यह तय करवा दिया था कि आधा उसको जो भी नुकसान होगा वह भारत सरकार देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से और चले गये अभी वित्त मंत्रीजी, उस समय में विधि मंत्रीजी वहां मौजूद थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस पर भी आप कहते हैं कि उन ठेकेदारों को रियायत करने के लिए हम इस चीज का विरोध करते हैं....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आपके नेता +++ मालूम है कि नहीं। वह भी नशा ही है।

श्री नवरंग सिंह : सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि जिस शराब को हमने बन्द करवाया था आपने उसको खोल करके राज्य का नुकसान किया है, आपने उस गरीब को.... (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : यह आपकी कार्य-वाही में रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोले हैं, किसी के समझ में नहीं आया।

श्री शोपत सिंह : वह, +++ कहते हैं तो हम फिर उनके लिए क्या कहें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात कही है, अब आप एक जना बोलो ना।

श्री शोपत सिंह : उन्होंने कहा है कि +++

श्री रतनलाल ताम्बी : हां सही कह रहा हूं, मैं चैलेन्ज के साथ साबित करने को तैयार हूं। डेली खाते हैं।

श्री शोपत सिंह : हम क्या कहें अब इनके लिए। बोलो क्या कहें ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ तो ?

श्री रतनलाल ताम्बी : डिबिया लट-काये कई मीटिंग में मैंने देखा है। (व्यव-धान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री शोपत सिंह : इसको एक्सपंज कीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी भीलवाड़ा में आये तो डिबिया खोल-खोल कर....

श्री शोपत सिंह : इसको एक्सपंज नहीं करेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : किस चीज को ?

श्री शोपत सिंह : एक्सपंज नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : पोस्त के जो छिलके होते हैं उनको भिगो कर खाना पड़ेगा अफीम बन्द हुआ तो।

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शोपत सिंह : माननीय ताम्बी ने यह बात कही है कि+++(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : तो क्या यह कार्यवाही में अंकित रहेगी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या ? मुझे कहो ना।

श्री शोपत सिंह : +++

श्री उपाध्यक्ष : कौन ?

श्री शोपत सिंह : +++

श्री उपाध्यक्ष : तो इसमें क्या असंसदीय भाषा हो गई ?

श्री शोपत सिंह : फिर हम क्या कहें इनके लिए हमको कोई बढ़िया-सा नाम बतायें, हम इनके लिए बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोल देना। आप बोलते नहीं हो क्या।

श्री शोपत सिंह : हमने यह कहां कहा है कि +++ व फलां-फलां करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत कुछ कहा है अब आप इस बात को छोड़िये। (व्यवधान) +++ आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए।

श्री शोपत सिंह : उनको कहना नहीं चाहिये।

श्री सम्पत सिंह : हम इनकी चतुराई को समझ गये हैं। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान) एक्सपंज कर दिया है। अब शोपत सिंहजी, आप बैठ जाइये, बहुत हो गया है। मैंने एक्सपंज कर दिया है।

श्री शोपत सिंह : तो परेशान क्यों हो रहे हैं ? मेरे से ज्यादा परेशान हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत परेशान करते भी हैं।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने..

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम मुद्दा है और मैंने आपको कहा 1977–78 से हम चले आये हैं। इसलिए मेरी..

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत कह दिया। अब खत्म हो गया....

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर हम नहीं मानेंगे। आपको दो बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा सरकार से और अंतिम बात सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इस शराब को, मैं आपको यह कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : सुनाने के लिए इस तरह मुझे प्रेस नहीं करेंगे आप I will not concede to you. मैं इस तरह से....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जहां आप पूंजीपतियों को राहत दे रहे हैं तो आपको सुनना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा सुनना

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

पड़ेगा। What do you mean by that ?

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से अंतिम बात कहना चाह रहा हूं कि इस पाप को आप अपने सिर पर लेकर मत जाइये, थोड़े दिनों में आपको पता चल जायेगा कि जैसे 1977 में इन्दिराजी की हालत हुई, वैसे इस सरकार की हालत होगी। इसलिए आप घोषणा करिये, इस बिल को विदड्रा करिये और शराब बन्दी की घोषणा करिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराजजी चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी विधेयक, 1989 संशोधन करने के लिए जो सदन के सामने बिल लाया गया है इसके जरिये धारा 30 (ए ए) को जोड़ा जा रहा है और उसके द्वारा ठेकेदारों की जो बकाया राशि है मय ब्याज के उसे माफ करने के लिए कम करने के लिए जो प्रावधान रखा गया है वाकई में यह बहुत ही एक ऐसा प्रावधान है जिसे किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आबकारी आयुक्त को यह भी अधिकार दे दिया जायेगा तब तो कभी भी और किसी भी सूरत में जब वह ठीक समझेगा अपने विवेक से वह इस प्रकार से निर्णय ले लेगा और मेरे ख्याल से इसके कोई वाजिब समुचित कोई आधार भी नहीं होंगे क्योंकि मैंने बिल को पढ़ा है उसमें उन्होंने यह बात कही है कि जब भी आबकारी आयुक्त यह समझे, मैं थोड़ा इसको पढ़ रहा हूं

"Power to reduce or waive interest in certain cases: Notwith standing anything contained in this Act, the Excise Commissioner may, on an application made in this behalf by a licensee and after recording his reasons for so doing, reduce or waive the amount of any interest payable by the licensee under this Act, if he is satisfied.... किस आधार पर ? to do otherwise would cause hardship to the licensee...."

लाइसेंसी को जब भी हार्डशिप अगर महसूस होगी आबकारी आयुक्त तब उस हालत में माफ कर पायेगा यानी कम कर पायेगा अथवा उसको वेव कर पायेगा। हार्डशिप वाली बात है जिस किसी व्यक्ति को जब कोई भी सरकारी राशि अथवा कोई टैक्स बकाया हो और देना होता है तो हर व्यक्ति को हार्डशिप होती है, बात यह है। किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है मगर हार्डशिप के आधार पर केवल मात्र मैं समझता हूं कि बकाया राशि को वेव करना अथवा कम करने वाली जो बात इस बिल में कही गयी है किसी भी सूरत में न्याय संगत नहीं है। दूसरा जो आधार है

"the licensee has co-operated in any proceeding for the recovery of any amount due from him."

तो अगर मान लो कोई बकाया रकम उसमें थी और उसमें किसी प्रकार से उसने देने के लिए अगर मान लो कोआपरेट किया

(श्री भगराज चौधरी)

है तो मैं समझता हूं कि वह बात भी समुचित कारण नहीं है क्योंकि जिस किसी व्यक्ति में कोई राशि बकाया है मय व्याज के चाहे बिना व्याज के और उसके अदायगी के पेटे उसने अगर मान लिया सरकार को कोआपरेट किया, राशि जमा करायी है क्योंकि राशि जमा करवाने का उसका दायित्व था इसलिए ऐसी सूरत में उसे यह कहा जाय कि उसने कोआपरेट किया है उस आधार पर....

श्री शोपत सिंह : यह मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आज शोपत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आखिर, बीच-बीच में बोलते रहते हैं। would you not stop it now ?

श्री भगराज चौधरी : आबकारी आयुक्त को यह अधिकार दिया जाय कि वह ठेकेदार पर कोई बकाया राशि अगर है तो कम कर पायेगा अथवा उसे माफ कर पायेगा मैं समझता हूं किसी भी सूरत में वाजिब नहीं है। आज अगर यह बात जो लाखों हमारे गरीब प्रांत के अन्दर काश्तकार ऋणी हैं जिनमें कोआपरेटिव का कर्जा बकाया है और मूल धन की राशि के बराबर ब्याज दे दिया बल्कि मूल धन की राशि से 4-4, 5-5 गुणा उन्होंने रकम चुका दी है मगर फिर भी आज उनके कर्जे भी सरकार माफ नहीं कर पा रही है, कर्जे माफ करना तो दूर रहा ब्याज की राशि भी सरकार माफ करने की स्थिति में नहीं है। छोटे काश्तकार, सीमान्त काश्तकार और दूसरे बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन पर लाखों करोड़ों रुपये ब्याज का बकाया है और जब उन्होंने मूल धन चुका दिया है तो ऐसे हार्ड केसेज के अन्दर अगर सरकार उनको माफ करने को तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का यह बिल के जरिये शराब के ठेकेदारों में जो बकाया राशि हो उन्हें कम करने के बारे में अथवा उन्हें माफ करने के बारे में किसी भी सूरत में आबकारी आयुक्त को अधिकार दिया जाना इस बिल के जरिये किसी भी सूरत में उचित नहीं होगा, बात यह है। और न ही यह जनहित में होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पांच वर्षों से लगातार अकाल पड़ा मगर आपको ताज्जुब होगा सरकार ने जो वायदा किया था राजस्व लगान माफ करने का उसकी भी सरकार ने वसूली करली है। जबकि राजस्थान लैण्ड एक्ट में जो रूल्स बने हुए हैं उसमें इस बात की व्यवस्था की हुई है कि जब-जब भी अकाल पड़ेगा, अकाल तो खैर, पड़ता ही रहता है, मगर जब भी 50 प्रतिशत फसलों की हानि होगी, तब लगान कम से कम माफ किया जायेगा, उसमें तब रैमिशन दिया जायेगा, मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने पांच साल लगातार अकाल पड़ते रहने के बावजूद किसी प्रकार की माफी नहीं दी है, उन को कम नहीं किया है, रैमिशन नहीं दिया है, उस प्रकार के केसेज के अन्दर भी माफ नहीं किया है, क्या वह हार्ड केसेज नहीं थे ? मैं समझता हूं वे बिल्कुल हार्ड केसेज थे और उससे लाखों करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं, जो कि आज रोजी रोटी के लिये तरस रहे हैं, अपनी जीवनलीला के लिये जूझ रहे हैं, मगर उन केसेज के अन्दर सरकार को उनकी हार्डशिप नजर नहीं आयी, और

(श्री भगराज चौधरी)

ग्राज कुछ इन्डीविजुग्रल केसेज पर ठेकेदारों पर लाखों रुपया बकाया हो सकते हैं, करोड़ों रुपये बकाया हो सकते हैं, मगर उनके प्रति बहुत ही ज्यादा दयालुतापूर्ण रवैया ग्रपना करके....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समझ गये। गिरधारीलाल जी भार्गव। ग्रापका बहुत-बहुत शुक्रिया, कृपया बैठें।

श्री भगराज चौधरी : इस बिल के जरिये जो मौजूदा संशोधन करने जा रही है, कानून में शराब के ठेकेदारों को जो उसके जरिये फायदा दिया जाने वाला है, मैं समझता हूं बहुत ही गलत कदम होगा ग्रौर किसी भी सूरत में यह जनहित में नहीं है, इस कदम का हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं ग्रौर विरोध के स्वरूप विपक्ष के सारे विधायक—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वाक-ग्राउट कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): एक मिनट में निवेदन कर दूं ? मेरा निवेदन करना यह है मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची है, लगभग 40 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों का, ग्रभी तक पूरा ग्रर्थमेटिक तो नहीं लगा पाया ग्रांकड़ों में सरकार ने बताया था, सप्लीमेंट्री में ग्राया था। राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना हो, तो दिक्कत है, इन पुलिस कर्मचारियों का कहीं मैस भत्ता बढ़ाना हो, तो पांच रुपये बढ़ा दिये ग्रौर वापस लूट लिये। नाइट ड्यूटी दें, इनकी कहीं कोई फिक्र नहीं, कष्ट बढ़ते जायें ग्रापके पास उसके लिए पैसा नहीं है। पर यह 40 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों में बकाया है, उसको माफ करने का तरीका ग्रापने निकाला है ग्रौर कमिश्नर साहब ने ग्रभी पिछलीबार भी वर्ष 1988 में शराब के लाइसेंसियों के विरुद्ध बिना ग्राबकारी शुल्क चुकाये, 1296 बोतलें बीयर की, मुकदमा धारा 54 में दर्ज हुग्रा। जबकि उक्त धारा में प्रावधान है कि पूरी राशि जब्त की जाये व ठेके दुबारा नीलाम किये जायें। वर्तमान ग्रायुक्त महोदय ने ऐसा न करके मात्र 34.68 लाख रुपये जुर्माना किया जबकि दो करोड़ चालीस लाख ग्रमानत जब्त करनी थी। इससे राज्य सरकार को दो करोड़ का चूना लग गया, इसकी जांच करायी जाये, मेरा मतलब है कई ग्रारोप हैं। यदि इस प्रकार से ग्रायुक्त महोदय को ग्रब ग्राप पावर देना चाहते हैं, तो यह गलत बात होगी। बाकी जो महात्मा गांधी वाली बात है, वह सबने ग्रापसे निवेदन कर दी, मैंने भी निवेदन कर दी कि इस दारू के ठेके से, ग्राप से ग्रापको राज्य चलाने का कहीं भी ग्रापको नैतिक ग्रधिकार नहीं है। महात्मा गांधी को सम्मान जनक ग्राप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, महात्मा गांधी तो चले गये, वह इस पक्ष में भी नहीं थे, इसलिये जो महात्मा गांधी ग्रापके वोट में काम ग्राते हैं, कम से कम उनके कहे हुए उद्देश्यों की बात तो मानियेगा ग्रौर जनता पार्टी के राज में तो हमने बिल्कुल माफ कर दिया था। शिवचरण जी माथुर ग्राये, उन्होंने वापस चालू कर दी, चालू कहां तक कर दी, यदि ग्रापने यही निर्णय कर लिया हो कि जिनाइन हार्डशिप। यह जिनाइन हार्डशिप कौन तय करेगा, उसको वास्तविक कष्ट है कि नहीं, जिनाइन कष्ट है कि नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह कौन तय करेगा, बात नम्बर एक । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अब आपको वोट चाहिये, वोट चाहिये तो नोट भी चाहिये । नोट चाहिये तो दारू वालों से किसी प्रकार से आप वोट प्राप्त करेंगे । गरीबों की बात आप करेंगे नहीं, हरिजन की बात करेंगे नहीं, किसानों का कर्जा माफ करने की बात आप करेंगे नहीं, जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट भी आपने दारू के ठेके खोल रखे हैं, मन्दिरों के पास खोल रखे हैं, मस्जिद के पास खोल रखे हैं, स्कूल और कालेज के पास खोल रखे हैं । इस समय जब आप दिल्ली से सुभाष चौक पर आते हैं, तो इस सुभाष चौक पर जो प्रतिमा लग रही है, जहां तक दारू का ठेका है, और इस समय माननीय मंत्री जी आप मेरे साथ पधारें तो लोग सड़क पर लेटे हुए मिलेंगे । बाहर से जो लोग आते हैं... (व्यवधान) यहां प्रोपर वक्त है, जब आप वहां चलोगे तो सड़क पर लोग पड़े मिलेंगे । जो विदेशी आते हैं, वो कहते हैं क्या पड़ा हुआ है ? वह राजस्थान की सरकार को रोकते हैं कि भई, यह ठेका सुभाष चौक पर है, चांदपोल के हनुमान जी के पास ठेका है, राम मन्दिर के पास ठेका है, और यह सूची मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, कब की है, सन् 1977 की पुरानी सूची है । इसमें चार तो मन्दिर हैं, चार मस्जिद हैं । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो कुछ भी यह सारा काम आपने किया है, सार्वजनिक स्थानों पर भी दारू के ठेके चल रहे हैं और यही नहीं बड़े बड़े बाजारों में चल रहे हैं । श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर जो बाजार बना हुआ है, उस इंदिरा बाजार के पास वाले मंदिर के पास भी ठेके चल रहे हैं । यह दारू के रास्ते पर चलने वाली जो सरकार है, आप इस प्रकार से माफी का जो कमिश्नर को अधिकार दे रहे हैं, यह कमिश्नर को अधिकार नहीं, कमिश्नर की आड़ में आप चुनाव का चन्दा लेंगे, पैसा लेंगे । चुनाव का चंदा लेंगे, इसलिए हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा गुलाब सिंह जी मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, यह अभियान चलता नहीं है, जिस समय आप मंत्री नहीं थे उस समय तो बात ठीक-ठीक मानते थे और जब से आप मंत्री बन गये, थोड़े से आप फूल फाल गये हो और अब उसके बाद बात-चीत भी करना बंद । इसलिए घमण्ड नहीं चलेगा यह कोई आपका स्थायी मंत्री पद चलने वाला नहीं है । इसलिए कांग्रेस के बन्धुओ, हम आपको सचेत करना चाहते हैं, महात्मा गांधी की आत्मा आपको दुराशीष दे रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा आपको दुराशीष दे रही है, और आप पर सारे लोग रो रहे हैं अफसोस कर रहे हैं । उस मामले में तो क्या कहना ? इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ये दारू के बल पर चलने वाली सरकार, दारू के ठेके से चलने वाली, चंदा लेने वाली सरकार, महात्मा गांधी के विपरीत चलने वाली सरकार, सर्वोदय के सिद्धान्तों के विपरीत चलने वाली सरकार । चलिये आप मेरे साथ किशोर निवास में ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं और ऐसी सरकार यह बिल हमारे सामने पास करे, ऐसा गंदा कानून पास करे, इसके विरोध स्वरूप जो सारे एम. एल. एज विरोधी दल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके यहां से वाकआउट कर जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded. रेकार्ड नहीं होगा ।

(विरोधी दल के समस्त सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

आप चले जाइये अब । आपकी बात रेकार्ड नहीं हो रही है ।

श्री नवरंग सिंह : ×××

श्री शोपत सिंह : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded. कह दिया । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट सर ।

श्री उपाध्यक्ष : हेमाराम जी, क्या, बोलेंगे अभी ? आपकी आत्मा जागृत हो गयी क्या अभी ? हो गयी ।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, साहब । आत्मा जागृत हो गयी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये ।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने शराब बंदी खोल दी, शराब की छूट दे दी तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि जो गांव में गरीब किसान, मजदूरी करने वाले हैं, जो पोस्त के डोडे का सेवन करते हैं । हमारे बाड़मेर जिले में पचास पर्सेन्ट से अधिक लोग टी.बी. के पेशेन्ट हैं । इस पोस्त के डोडे में मोर्फिन होती है....

श्री उपाध्यक्ष : मान गये आपको । आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री हेमाराम चौधरी : टी.बी. की जितनी भी दवाइयां होती हैं, उसमें मोर्फिन की मात्रा होती है, मोर्फिन यूज होता है, इसलिये टी.बी. के जो पेशेंट हैं, उसके लिये पोस्त के डोडे एक तरह से मेडिसिन है....इसलिये मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहूंगा कि आपने पोस्त के डोडों के परमिट पहले दिये हैं, और उन लोगों की मात्रा आप दिनों दिन कम करते जाते हैं, करते-करते आपने उनकी मात्रा बहुत ही कम कर दी । उस मात्रा में उसका उपयोग कम कर नहीं पाये, क्योंकि उनको जरूरत है ज्यादा और आप कम देते हैं जिससे डोडों का ब्लैक होता है । 80 रुपये किलो आपके डोडे वहां पर बिकते हैं..

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करेंगे या....चाहते क्या हैं आप ? कितना टाइम हुआ है, देखा है टाइम को आपने ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : बोलने तो दो ।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यों को आप बता दो न । मैं बताऊंगा, यह मेरा काम नहीं है । माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिये । जवाब दीजिये आप ।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

288

श्री हेमाराम चौधरी : मैं यह अर्ज करूंगा कि आप पोस्त के डोडों के परमिट बढ़ायें, जो परमिट दिये हैं, वह बढ़ाने की आज आप घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप। बैठिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, आबकारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी भावनात्मक विचार इस सदन में रखे हैं, उनका मैं आभारी हूं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की कतई मंशा नहीं है कि ठेकेदारों को कोई मदद की जाये। एक रास्ता निकाला गया है, यह बकाया वसूली थी, वह एक नये एक्ट के द्वारा वसूल हो जाये। माननीय सदस्य इस संशोधन की भावना को समझ नहीं पाये।

इस नई धारा के लाने से ही ब्याज माफ नहीं हो जायेगा था कम नहीं हो जायेगा, बाकायदा अदालत में केस चलेगा, अथॉरिटी के यहां, एक्साइज कमिश्नर के यहां हीयरिंग होगी और उसके बाद में जब वह निर्णय होगा तब जाकर उस पर होगा.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो। राजेन्द्रजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य समझते हैं कि आज ही हमने सारा बकाया माफ कर दिया है उसका ब्याज, ठेकेदारों का, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हवामहल, किशनपोल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वे तो चले गये, उनका क्या रिप्लाई दे रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो आने दो साहब। इट शुड कम ऑन दी रिकार्ड।

श्री हीरालाल इन्दौरा : चालीस करोड़ रुपया बकाया बताया लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि 31.3.88 को 6.80 करोड़ रुपया बकाया है जबकि उन्होंने कहा चालीस करोड़ बकाया है। चालीस करोड़ नहीं है, 6.80 करोड़ रुपया बकाया है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य यहां भाषण देकर गये हैं, सरकार की कतई मन्शा नहीं है ठेकेदारों को मदद करने की, सरकार की मन्शा तो जो बकाया रकम है उसको वसूल करने का रास्ता, एक नई धारा लागू करके निकालने की है, यह मैं कहना चाहता हूं।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया गया। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24.7.89 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.23 बजे सोमवार दिनांक 24.7.89 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

गंग कैनाल की लिंक चैनल

465. **श्री केदार नाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंग कैनाल लिंक चैनल कब शुरू हुई और कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ? इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

(2) हरियाणा राज्य ने अपने क्षेत्र में इस चैनल का कितना काम पूरा कर लिया ?

(3) गंग कैनाल की मरम्मत के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक कुल कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई ?

(4) अब तक इस कार्य में कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है ?

(5) क्या यह सही है मौजूदा नहर केवल 2200 क्यूसेक्स पानी ही ले सकती है ?

(6) गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ था ? पंजाब सरकार ने कितनी धन राशि मरम्मत के लिये मांगी ?

उत्तर

(1) गंग नहर लिंक चैनल का कार्य वर्ष 1984 में आरम्भ हुआ एवं माह जून, 1990 तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके निर्माण पर लगभग 2044 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है।

(2) हरियाणा राज्य में स्थित 6.31 कि. मी. नहर में मिट्टी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब एक मुख्य रेगुलेटर एवं 4 अन्य पक्के कार्य बनने शेष हैं।

(3) गंग कैनाल की मरम्मत के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक 820.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(4) 891.54 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

(5) बीकानेर नहर की कुल क्षमता राजस्थान सीमा पर 2640 क्यूसेक है इसके स्थान पर नहर की लाईनिंग खराब हो जाने के कारण लगभग 2100 क्यूसेक पानी पहुंचता है।

(6) गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के कारण बीकानेर नहर बुर्जी 0 से 45 तक पूर्ण जलमग्न हो गयी थी व इसमें जगह जगह पर कटाव हुए। बीकानेर नहर को जोड़ने वाली फिरोजपुर फीडर में भी तीन जगह कटाव हुए। पंजाब सरकार ने फिरोजपुर फीडर, बीकानेर नहर, इन्दिरा गांधी फीडर एवं हैड वर्क्स इत्यादि पर हुए नुकसान की मरम्मत के लिये 8.75 करोड़ रुपये की मांग की थी।

मेवा नगर (बालोतरा) क्षेत्र में रॉयल्टी की चोरी

466. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि मेवा नगर (बालोतरा) क्षेत्र की खंडा, मुरड़ एवं कांकरी की बिना रायल्टी चुकाये चोरी हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नाकोड़ा तीर्थ द्वारा मेवा नगर गांव की ओर बनाये गये बड़े गंदे पानी के नाले से निकाली गई कांकरी व खण्डा को कतिपय ठेकेदार ले जाते हैं ?

(3) उक्त चोरी की रोकथाम एवं राजस्व की चोरी बाबत राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त संबंध में जांच करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन खनिजों की चोरी की कोई शिकायत व जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्व की चोरी न हो इस हेतु पूर्व में ही मेवा नगर व उसके आस पास के क्षेत्रों से निकलने वाले खनिज वाहनों की जांच के लिये एक विभागीय चैक पोस्ट जसोल-मेवा नगर रास्ते पर कार्यरत है जहां पर विभागीय रवन्ना चैक किये जाते हैं।

(4) जी हां, अनाधिकृत खनन के बारे में जांच की जावेगी।

राजस्व अभियान में पास बुक वितरण

467. **श्री विजेन्द्र पाल सिंह** (आसींद) **व श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उप निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हाल के राजस्व अभियान में वितरित की गई पास बुक में खेत का नक्शा संलग्न नहीं था ? यदि हां, तो पास बुक में राजस्व विभाग की भांति नक्शा संलग्न कर किसानों को क्यों नहीं दिया जाता है ?

(2) विभाग किसानों को नक्शे सहित पास बुक कब तक वितरित करवा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अनपढ़ किसान सिंचित क्षेत्र में जहां मौके पर पत्थर नहीं लगे हैं, उस स्थान पर बगैर नक्शे अपनी जमीन की स्थिति की जानकारी किस प्रकार करना है ?

(4) उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 में मुरब्बा पत्थर किस-किस मुरब्बे में है व किस मुरब्बे में पत्थर नहीं लगे हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि हाल के राजस्व अभियान में वितरण की गई पास बुक में खेत का नक्शा संलग्न नहीं था, कारण कि

(उपनिवेशन मन्त्री)

राजस्व मण्डल से प्राप्त पास बुक में मान-चित्र का ट्रेसिंग क्लोथ संलग्न नहीं था। इसके अतिरिक्त राजस्व अभियान में और भी अन्य कार्य कर्मचारियों को करने होते थे कि मौके पर ही नक्शे बनाकर दिया जाना संभव भी नहीं था। इसका यह भी कारण है कि कार्य की अधिकता एवं विभिन्नता को देखते हुए संभव भी नहीं था। इसका यह भी कारण है कि काश्तकार के मांगने पर ही पास बुक तैयार की जाती है।

(2) अधीनस्थ कर्मचारियों को मौखिक हिदायत कर दी गई है कि जिन काश्तकारों को बिना नक्शे के तैयार कर पास बुक वितरण कर दी गई है उन्हें उनके नक्शे तैयार कर उपलब्ध करवा देवें।

(3) यह संभव है कि कई स्थानों पर जहां पूर्व में पत्थर गढ़ी तो कर दी गई थी किन्तु मौके पर पत्थर न लगे हो ऐसे मामलों में चूंकि अलोटियों को पूर्व में कब्जा दिया जा चुका है और वे हाल आबाद होकर काश्त कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है कि उन्हें उनकी जमीन की जानकारी करने की आवश्यकता पड़े। प्रायः पूरे सिंचित क्षेत्र में मुरब्बा पत्थर गढ़ी कर दी गई है, केवल जैसलमेर जिले के 26 ग्रामों में मुरब्बा पत्थर गढ़ी नहीं हुई है जिसके अभाव में इन ग्रामों का सर्वे होकर भू-आवंटन का कार्य नहीं किया गया है।

(4) उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 में मुरब्बा पत्थर जहां पर नहीं लगे हुए हैं, उसकी सूची संलग्न है। इस सूची के अलावा शेष समस्त मुरब्बों के पत्थर लगे हुये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा संभाग के औषधालय

468. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा संभाग यानि कोटा-बूंदी झालावाड़ में वर्ष 1988-89 व मई 1989 तक कहां–कहां किस–किस श्रेणी के किन–किन स्थानों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये? क्या उक्त नवीन खोले गये औषधालयों के लिए भवन उपलब्ध थे या करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां कहां?

(2) क्या यह सही है कि औषधालयों के खोलने की घोषणा के बाद भी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में नियुक्त स्टाफ, यथा वैद्य, उप वैद्य व परिचारक कहां बैठते रहे?

(3) क्या यह भी सही है कि भवन न होने से उक्त स्टाफ जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के दफ्तर में ही उपस्थिति दर्ज करते रहे? यदि हां, तो क्यों? क्या यह परि–पाटी सही है?

(4) क्या इन नये चिकित्सालयों को फर्नीचर व औषधियां दे दी गई हैं? यदि हां, तो कितने-कितने मूल्य का कौन-कौन सा फर्नीचर औषधालय खोलने की घोषणा के बाद दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

औषधालय खोलने के बाद कब–कब औष–धियां कौन-कौनसी कितने-कितने मूल्य की उपलब्ध करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ में वर्ष 1988–89 तक स्वीकृत किये गये नवीन औषधालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं (परिशिष्ट–क) इनमें जहां जहां भवन उपलब्ध हो गये हैं, उसकी सूचना भी परिशिष्ट-क में समाविष्ट कर दी गई है। सभी औषधालय 'बी' श्रेणी के हैं।

(2) नवीन औषधालय खोलने की घोषणा के बाद कुछ स्थानों पर भवन उपलब्ध नहीं हो पाये है। जिन स्थानों पर भवन उपलब्ध हुए हैं, वहां पर ही अधिकतर स्टाफ का पदस्थापन किया गया है। जहां पर औषधालय भवन उपलब्ध नहीं हो पाये है तथा स्टाफ लगा दिया गया है, उन्हें औषधालय आरम्भ होने तक संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय में ड्यूटी देने के आदेश दिये गये हैं।

(3) जी हां। जब तक भवन उपलब्ध नहीं हो जाता, नवीन औषधालयों में पद-स्थापित स्टाफ जिला कार्यालय में ही उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण औषधालय आरम्भ नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में इन स्थानों पर लगाये गये कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करने के निर्देश दिये गये है, ताकि नियुक्त स्टाफ संबंधित सरपंच, जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी आदि से सम्पर्क कर भवन, फर्नीचर आदि प्राप्त करने का प्रयत्न कर सके। यह परिपाटी व्यवस्था की दृष्टि से की गई हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित हैं।

(4) वर्ष 1988–89 में खोले गये नवीन औषधालयों में अभी तक फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां फर्नीचर सरपंच अथवा अन्य स्त्रोतों से अस्थाई रूप से प्राप्त किया गया है, उनका मूल्य दिया जाना सम्भव नहीं है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के नवीन खुले 14 आयुर्वेदिक औषधालयों में से अभी तीन औषधालयों में औषधियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' में अंकित कर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-क

वर्ष 1988-89 में कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों में स्वीकृत किये गये औषधालयों के स्थान, चिकित्सा पद्धति, भवन व्यवस्था एवं फर्नीचर आदि का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	जिला	चिकित्सा पद्धति	भवन व्यवस्था	फर्नीचर व्यवस्था
1	2	3	4	5	6
1.	मुन्डवा	कोटा	आयुर्वेद	–	–
2.	वसूलिया माताजी	"	"	है	है
3.	कडैया नोहर	"	"	–	–
4.	पीलाई कला	"	"	है	है
5.	कोटडी (गोवर्धनपुरा) कोटा	"	"	है	है
6.	काचरी (अन्ता)	"	"	है	–
7.	सीतापुरा	बूंदी	"	है	–
8.	दुगारी	"	"	है	है
9.	बसवाड़ा	"	"	है	–
10.	गुढा	"	"	है	–
11.	झालरापाटन	झालावाड़	"	–	–
12.	पारा पीपली	"	"	है	–
13.	सुनैन	"	"	–	–
14.	बनेट	"	"	है	–

नोट :— फर्नीचर व्यवस्था जन सहयोग से स्थानीय स्तर पर अस्थाई रूप से उपलब्ध हुई है।

परिशिष्ट "ख"

नवीन औषधालयों को दी गई औषध वितरण मात्रा कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले के नवीन औषधालयों हेतु

क्र.सं.	नाम औषधि	विवरण दिनांक	नाम औषधालय	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	आनन्द भैरव रस	27-5-89	कोटड़ी गोरधनपुरा	100 gr.	13.80
2.	विषाण भस्म	,,		250 ,,	33.00
3.	कशीन बटी	,,		100 ,,	19.00
4.	कपूरधारा	,,		100 ,,	44.90
5.	शिरसुलहर बटी	,,		250 ,,	12.25
6.	सद्योव्रण बन्ध	,,		1 शीशी	55.00
7.	बैण्डेज	,,		1 दर्जन	17.00
8.	चन्द्रोदय वर्ती	,,		100 gr.	17.20
9.	यशद पुष्प (जिंक)	,,		250 ,,	16 50
10.	कपर्दिका भस्म	,,		250 ,,	19.00
					247.65
1.	संजीवनी बटी	27-5-89	सम्बूलिया-माताजी	400 gr.	70.00
2.	गोदन्ती भस्म	,,		1 kg.	17.00
3.	शिसुवन कीर्तिरस	,,		—	—
4.	बालसुधा	,,		500 gr.	33.00
5.	रामदेव सिद्ध हरड	,,		1 नग	1.60
6.	आंवला चूर्ण	,,		500 gr.	9.00

1	2	3	4	5	6
7.	आरोग्य वर्धनी	27-5-89	सम्बूलिया माताजी	100 gr.	19.00
8.	शुम्बिभस्म	,,		500 ,,	105.00
9.	हरितकी चूर्ण	,,		250 ,,	4.25
10.	दशमूल क्वाथ	,,		500 ,,	9.00
11.	कर्पापदिका भस्म	,,		500 ,,	39.00
12.	चन्द्रभृता रस	,,		200 ,,	35.60
13.	रशोनारी बटी	,,		250 ,,	42.50
14.	लवंगादी बटी	,,		100 ,,	25.60
15.	चन्द्रप्रभा बटी	,,		100 ,,	25.40
16.	लक्ष्मीविलाश	,,		100 ,,	23.70
17.	श्वास कुसार	,,		100 ,,	14.30
18.	प्रवाल भस्म	,,		250 ,,	33.25
19.	त्रिशुल हर बटी	,,		250 ,,	12.25
20.	सप्तामृत लेह	,,		250 ,,	23.50
21.	त्रिफला चूर्ण	,,		250 ,,	4.00
22.	लघु गंगाधर चूर्ण	,,		250 ,,	4.50
23.	शुभ्र भस्म	,,		250 ,,	8.25
					559.70

1.	इत्ताकुठार	5.7.89	पोलाड़े कलां	200 gr.	28.60
2.	अविपत्तिकर चूर्ण	,,		750 ,,	42.00
3.	अमा सुन्दरी	,,		100 ,,	8.40
4.	बालसुधा	,,		750 ,,	49.50
5.	अर्क विशुत्तिकान्तक	,,		8 पोण्ड	86.80
6.	आंवला चूर्ण	,,		500 gr.	9.00

296

1	2	3	4	5	6
7.	हिंग्वाष्टक चूर्ण	5.7.89	पोलाडे कलां	500 gr.	62.00
8.	दशून संस्कार	,,		1 kg.	80.00
9.	बहेड़ा छाल चूर्ण	,,		2 kg.	24.00
10.	प्रवाल भस्म	,,		1 kg.	133.00
11.	वमन कुठार	,,		100 gr.	6.20
12.	दसुदावानल	,,		250 ,,	7.00
13.	त्रिफला चूर्ण	,,		500 ,,	8.00
14.	वृष्ण योग	,,		400 ,,	82.00
15.	रज:प्रवर्तन वटी	,,		300 ,,	70.80
16.	विषाण भस्म	,,		750 ,,	99.00
17.	साबुन	,,		10 दर्जन	310.00
18.	रामबाणरस	,,		100 gr.	13.50
19.	कपूरधारा	,,		300 ,,	134.50
20.	सद्योवृण बन्ध	,,		1 शीशी	55.00
21.	मुस्कापुष्प चूर्ण	,,		500 gr.	71.50
22.	इशवगोल भूसी	,,		500 ,,	18.50
23.	मजिसादी क्वाथ	,,		1 kg.	20.00
24.	लाणा चूर्ण	,,		250 gr.	15.00
25.	आरोग्य वर्धनी	,,		100 ,,	19.00
26.	रशोनादी वटी	,,		250 ,,	42.50
27.	कृष्णमरहम	,,		2 kg.	98.00
28.	कर्पादिका भस्म	,,		1 kg.	78.00
29.	चन्द्रमृतारस	,,		100 gr.	25.40
30.	रशोन वटी	,,		800 ,,	340.00
31.	शिरशुल वटी	,,		500 ,,	24.50
32.	एलादी वटी	,,		500 ,,	45.50

1	2	3	4	5	6
33.	तालशादी चूर्ण	5.7.89	पोलाडे कलां	1 kg. 500 gr.	49.50
34.	दशमूल क्वाथ	,,		500 ,,	9.00
35.	गोजी वाटी ,,	,,		1 kg.	62.00
36.	गोदन्ती भस्म	,,		250 gr.	4.25
37.	यवानी खाण्डव चूर्ण	,,		500 ,,	14.00
38.	लवण भास्कर	,,		750 ,,	24.00
39.	सामाजग्य	,,		100 ,,	41.40
40.	चन्द्रोदय वर्ती	,,		200 ,,	34.40
41.	कपूर रस	,,		25 ,,	14.45
42.	डब्बा plastic (बड़े)	,,		11 नग	
43.	,, (छोटे)	,,		3 नग	
				योग	2360.00

क्रमशः राशि 247.65+559.70+2360.00=316735

ह./-

करौली छात्रावास का भवन

469. **श्री शिवचरण सिंह (करौली) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग का करौली में स्थित छात्रावास किराये के मकान में चलता है ?

(2) क्या नये छात्रावास भवन का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा कब ? क्या छात्रावास भवन का कार्य शुरू हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वह छात्रावास कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान श्री शिवचरण माथुर द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1989 को किया गया था। छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रशासनिक एवं

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

वित्तीय स्वीकृति 60 छात्रों हेतु 14.60 लाख रुपये की दिनांक 23.8.88 को जारी कर दी गई है। निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रक्रियायें प्रगति पर हैं।

(3) निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्य अविलम्ब चालू किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

बैंकों के संचालक मंडल के एवं बैंक अध्यक्ष को हटाने का नोटिस

470. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत किस-किस बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य एवं बैंक के अध्यक्ष को हटाने का कब-कब नोटिस दिया गया ?

(2) नोटिस के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विभिन्न बैंकों के वर्तमान निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्य एवं अध्यक्ष को हटाने संबंधी जारी नोटिसों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम अध्यक्ष/संचालक	बैंक	नोटिस की तारीख
1.	श्री सुजानसिंह, अध्यक्ष	झालावाड केन्द्रीय सह. बैंक	20.11.87
2.	श्री नत्थीसिंह, अध्यक्ष	भरतपुर के. सह. बैंक	31.4.88
3.	श्री तेजराज सिंह, अध्यक्ष	कोटा के. सह. बैंक	30.7.88
4.	श्री दानाराम भांभू अध्यक्ष	चूरू के. सह. बैंक	3.6.89
5.	श्री सूरजकरण गूर्जर अध्यक्ष	अजमेर प्रा. सह. भू. वि. बैंक	16.12.87 13.4.89
6.	श्री जसवंत सिंह श्री मोती राम संचालकगण	,, ,,	25.3.89
7.	संचालक मण्डल के सभी सदस्य	,, ,,	1.6.89

(सहकारिता मंत्री)

श्री सुजानसिंह, अध्यक्ष, झालावाड़ केन्द्रीय सहे. बैंक लि., के केस में राज सहकारी संस्थाऐं नियम 35 एवं 36 के अन्तर्गत दिनांक 30.1.89 को निर्णय पारित कर श्री सिंह को झालावाड़ केन्द्रीय सहे. बैंक लि., झालरापाटन एवं बिन्दाखेड़ा ग्रा. सेवा सह.समि. लि., के संचालक मण्डल के सदस्य एवं अध्यक्ष के पद से अपदस्थ घोषित किया जा चुका है।

श्री तेजराजसिंह अध्यक्ष, कोटा सैन्ट्रल कोप. बैंक लि. के केस में दिनांक 31.1.88 को निर्णय पारित कर उन्हें पद से निर्योग्य घोषित किया गया था। श्री सिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट पिटीशन दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहकारी विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील किये जाने पर उच्च न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया।

(2) श्री नत्थी सिंह, अध्यक्ष, भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक; श्री दीनाराम, अध्यक्ष, चूरू केन्द्रीय सह. बैंक तथा श्री सूरजकरण गूर्जर, अध्यक्ष व संचालकगण अजमेर प्रा. सह भू. विकास बैंक को जारी नोटिसेज के क्रम में मामले विचाराधीन हैं। इससे पूर्व श्री सूरजकरण गूर्जर को दिनांक 16.12.87 को जारी किये गये नोटिस के क्रम में दिनांक 1.1.88 को निर्णय पारित कर उक्त मामले को समाप्त किया गया।

नागौर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र

471. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) सन् 1989 में नागौर जिले में कहां-कहां नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो जिले की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नागौर जिले में उपरोक्त केन्द्रों पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो किस-किस केन्द्र पर कब-कब से तथा केन्द्रों पर नियुक्ति करने व खाली छोड़ने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन उप केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है, वहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रायः स्थान रिक्त रहने का क्या कारण है और इस हेतु सरकार स्टाफ को क्या इन्सेन्टिव्ज देकर प्रोत्साहित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 में नागौर जिले में कुल 103 उप केन्द्र खोले गए। पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी हां, नागौर जिले में 22 उच्चीकृत उप केन्द्रों में से 20 में स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है तथा 103 उप केन्द्रों में से 29 में स्टाफ पदस्थापित कर दिया गया है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को उप केन्द्र पर भवन व्यवस्था के आधार पर लगाया गया है।

(4) प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर इनके रिक्त केन्द्रों पर लगाया जा सकेगा। पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी।

(5) वर्ष 1988-89 में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा संस्थाऐं खोलने के कारण एवं प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण कुछ पद रिक्त है। प्रशिक्षित स्टाफ की कमी आगामी कुछ वर्षों में पूरी कर ली जावेगी।

नागौर जिले में 1989 में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये की सूचना मय पंचायत समितिवार:–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम
1	2	1	2
(1)	**पं.स. कुचामन सिटी**	2.	मांजू
1.	हुडील	3.	गालियास
2.	आसपुरा	4.	कचुआ
3.	सरगोट	5.	पुन्दलोता
4.	प्रेमपुरा	6.	गोरेडी चाचा
5.	अडकार	7.	झगडवास
6.	इन्डाली	8.	कितलसर
7.	नालोट	9.	बारला
8.	चितावा	(3)	**पं. स. मकराना**
9.	पालड़ी	1.	अलतावा
10.	लाम्बा	2.	सरनावडा
(2)	**पं.स. डेगाना**	3.	जाखली
1.	रामसरी	4.	बरवाली

1	2
5.	बासडा
6.	लाडोली
7.	खारडिया
8.	पिण्डालिया
	(4) पं. स. नागौर
1.	श्यामसर
2.	चूटीसरा
3.	दातिणा
4.	कुमारी
5.	बूढी
6.	सेवढी
7.	सिगड
8.	बुनकर मोसोता
9.	जाखनिया
10.	मांडोकणा
11.	कंवलीसर
12.	सेवडी
13.	देऊ
	(5) पं. स. मेड़ता सिटी
1.	देसवाल
2.	ग्रोलादन
3.	इन्दावड
4.	नेतडिया
5.	सिडला
6.	टुकलिया
7.	बासनी सेजा
8.	जोरदीकला
9.	बड़गांव
	(6) पं. स. मूण्डवा
1.	भाकरोद
2.	खारानल
3.	सीलगांव
4.	मेंन्डाना
5.	काठिया
6.	फिडोद
7.	सेनणी
8.	हिलोडी
9.	पांचोडी
	(7) पं.स. लाडनूं
1.	खामियाद
2.	बाकलिया
3.	सिलनवाद
4.	हुडास
5.	मनु
6.	उदरासर
7.	लाछडी
8.	रताऊ
	(8) पं. स. रियाबी
1.	टहला
2.	सनोडिया
3.	मुगछडा
4.	मोर्रा
5.	ग्राकोली
6.	धनेरिया

1	2	1	2
7.	गुढ़ा	4.	वरूण
8.	मूगदडा	5.	मालावास
9.	जलवाना	6.	बरैंव
10.	डोटालाई	7.	निम्बोला
(9) पं.स. जायल		8.	हुलडाणी
1.	ग्राकोडा	9.	श्यामपुरा
2.	डिडियाकलां	(11) पं.स. डीडवाना	
3.	बोरडी	1.	तोसीना
4.	तोसीना	2.	निम्बी खुर्द
5.	इग्यार	3.	पालोट
6.	बोसेरी	4.	बेडबा
7.	उचाहेडा	6	सेरानी ग्राबाद
8.	छाजोली	7.	लोरोली खुर्द
(10) पं. स. परबतसर		8.	ग्रम्बापा
1.	किनसरिया	9.	चुगनी
2.	कुराड़ा	10.	प्यावा
3.	नेतियास		

भाग दो एवं तीन की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	नवीन उपकेन्द्र का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन तिथि
1	2	3	4	5
1.	कुचामनसिटी	हुडील	विमला कालोचा	3/89
2.	डेगाना	रामसरी	मोली मेथ्यू	3/89
		सांजू	डेसी थोमस	3/89

1	2	3	4	5
		पालियास	जेसीमोल पीके	3/89
3.	मकराना	अलताबा	अनिता कुमारी	3/89
		जाखली	साली सी	3/89
4.	नागौर	चूटीसरा	सेरला टी.जी.	3/89
		कुमारी	रामप्यारी	3/89
		बूड़ी	निर्मला बी	3/89
		सेवड़ी	रणजीत कौर	3/89
		सिगड	मन्जू पालीवाल	3/89
5.	मेड़तासिटी	इन्दावड	बसन्त कुमारी	3/89
		बडगांव	कमला रानी	3/89
6.	मुण्डवा	भाकरोद	गिरीजेश शर्मा	3/89
		खरनाल	माया गहलोत	3/89
		सीलगांव	अणियम्बा टीडी	3/89
7.	जायल	आकोडा	लाजवन्ती बाल्टर	3/89
		डिडियाकला	अलसी अम्मन	3/89
8.	लाडनू	खामियाद	कुलदीपकौर	3/89
		बाकलिया	बलजिन्द्रकौर	3/89
		सीलनवाद	मनजीतकौर	3/89
9.	डीडवाना	तोसीना	सीमा ओझा	3/89
		निम्बीखुर्द	विमला अग्रवाल	3/89
		पालोट	विजय लक्ष्मी	3/89
10.	परबतसर	किनसरिया	षासी जोन	3/89
11.	रियाबडी	टेहला	सारम्मा पी.ओ.	3/89
		सनेडिया	सोसम्मा चाको	3/89
		मूंदडा	रमा उन्नी	3/89
		मोरा	मोहनीदेवी	3/89

पंचायत समितिवार उच्चीकृत उप केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	उच्चीकृत उपकेन्द्र का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन तिथि
1.	कुचामनसिटी	खारिया	शैलेन्द्रसिंह	6/89
		देवली	रमेशचन्द सेठी	5/89
2.	नागौर	रोहिणी	श्री धन्नादान	7/89
		ताउसर	बजरंग लाल	6/89
3.	रियाबडी	भेरून्दा	यशवन्त सिंह	6/89
		लाडपुरा	रामेश्वर लाल	6/89
4.	परवतसर	गुलर	हेमचन्द गौतम	6/89
		ढाडोता	—	रिक्त
5.	मेड़तासिटी	मोकाला	मांगी लाल विश्नोई	5/89
		रियाश्यामदास	मांगी लाल सेन	5/89
6.	मूण्डवा	रूण	खेताराम	6/89
		कडलू	भाकरराम	6/89
7.	डेगाना	मेवडा	धनीलाल	5/89
		पालडी	भंवरसिंह	6/89
8.	डीडवाना	धनकोली	पोकरराम	5/89
		कोलिया	रूस्तम खां	5/89
9.	मकराना	पालवा	श्यामसुन्दर	5/89
		गिंगालिया	—	रिक्त
10.	लाडनू	रताऊ	भंवरगिरी	5/89
11.	जायल	रोटू	मुकेश कुमार	6/89
		तरनाऊ	दुर्गाराम	5/89
		लूणसरा	दानाराम	6/89

पुष्कर में चैक डेम

472. **श्री रमजान खां (पुष्कर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तीर्थ राज पुष्कर के पवित्र सरोवर में तीन ओर से पानी की आवक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन आवों में पानी के साथ बहकर हर वर्ष लाखों टन मिट्टी पवित्र सरोवर में आकर जमा होती रहती है ?

(3) यदि हां, तो इस मिट्टी की रोक थाम के लिए कितने चैक डेम सरकार ने किस–किस आव पर बनवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब इन आवों पर कितने चैक डेम और बनाने की आवश्यकता है जिससे मिट्टी बहकर सरोवर में नहीं पड़े ? क्या शेष चैक डेमों का सरकार शीघ्र निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1988 में एक चैक डेम का निर्माण पुष्कर फीडर पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था किन्तु जुलाई 1988 में अकाल राहत कार्य बन्द होने से पूर्ण नहीं हो सका।

(4) इन आवों पर 17 चैक डेम के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनकी स्वीकृति व धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

खनिज विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध गबन के मामले

473. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खनिज विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ गबन सम्बन्धी मामले कितने व किन-किन के विरुद्ध चल रहे हैं तथा कब कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्री चन्दनमल पामेचा कार्यालय अधीक्षक एवं श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध भी कोई गबन सम्बन्धी जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब-कब से तथा उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई।

(3) क्या पामेचा कार्यालय अधीक्षक से गबन की जांच राशि वसूल करने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या श्री पामेमा कार्यालय अधीक्षक को संस्थापन अनुभाग में लगा रखा है, ? यदि हां, तो क्यों जबकि उक्त कर्मचारी के खिलाफ जांच चली है और चल रही है ?

(5) क्या वरिष्ठ लिपिक को भण्डारपाल के पद पर पदस्थापित कर रखा है ? यदि हां, तो कब से ? जांच कार्यवाही

(306)

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

प्रक्रिया अवधि में यह पदस्थापन क्यों दिया गया ?

उत्तर

(1) खनिज विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के निम्न दो मामले चल रहे हैं :–

1– यह मामला भूतपूर्व कलेक्शन क्लर्क श्री भंवर सिंह के विरुद्ध पाया गया था जो वर्ष 1986 से चल रहा है ।

2– यह प्रकरण निम्न कर्मचारियों के विरुद्ध पाया गया जो दिनांक 28.4.83 से चल रहा है :–

1. श्री ध्रुवेन्द्र भारती, क. लि.

2. श्री हरी मोहन सक्सैना, कनिष्ठ लेखाकार

3. श्री रामबाबू शर्मा, क. लि.

(2) श्री चन्दनमल पामेचा, कायलिय अधीक्षक एवं श्री पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध कोई गबन का मामला नहीं चल रहा है ।

(3) इस प्रकार के आदेश नहीं हुए हैं ।

(4) जी हां । श्री पामेचा के विरुद्ध भण्डार लेखों की जांच की कार्यवाही चली जो बाद में आरोप सिद्ध न होने से बन्द कर दी गई ।

(5) जी, हां । जांच से प्रभावित भण्डार गृह से इनका स्थानान्तरण दिनांक 23.3.81 से कर दिया था ।

ग्राम बुहाना–बलौदा सड़क

474. **श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम बुहाना से बलौदा वाया कलवा होते हुए सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था ?

(2) यदि हां, तो सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया या नहीं ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों व आगे अधूरे निर्माण कार्य को सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने सम्पर्क बालोदा वाया धूलवा, अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की थी ।

(2) कार्य, अकाल राहत कार्यक्रम बन्द होते ही बन्द कर दिया गया एवं पूर्ण नहीं हुआ ।

(3) वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण अभी इस कार्य की स्वीकृति नहीं हो पा रही है ।

होम्योपैथिक महाविद्यालयों में नकल

475. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रान्त में होम्योपैथी चिकित्सा के कुल कितने महाविद्यालय कहां-कहां हैं ?

(श्री हीरालाल आर्य)

इस वर्ष कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे ? महाविद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के वक्त यह पाया कि परीक्षा में भारी तादाद में सामूहिक नकल हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि परीक्षकों ने होम्योपैथी बोर्ड को यह भी लिखा है कि सामूहिक नकल की वजह से परीक्षा परिणाम घोषित करने का कोई अर्थ नहीं है तथा पुनः परीक्षा कराये जाने की मांग की है ?

(4) यदि हां, तो इस गम्भीर प्रकरण में सरकार ने क्या विचार किया है ?

(5) क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित कर शीघ्र पुनः परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान प्रान्त में कुल तीन होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर अलवर एवं भरतपुर में चल रहे हैं। वर्ष 1988-89 में आयोजित परीक्षा में कुल 453 छात्र बैठे।

महाविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) कुल 68 में से चार परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के वक्त यह पाया कि परीक्षा में सामूहिक नकल हुई है।

(3) जी, नहीं। इस प्रकार का सुझाव किसी भी परीक्षक ने नहीं दिया।

(4) व (5) यह प्रकरण बोर्ड की सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 30 मई, 1989 को रखा जा चुका है और सलाहकार समिति के निर्णयानुसार एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई है। एक्सपर्ट्स की राय प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा और जो भी निर्णय सलाहकार समिति लेगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जिन प्रश्न पत्रों के सामूहिक नकल के संबंध में जानकारी बोर्ड को प्राप्त हुई है, उसके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं।

परिशिष्ट- "अ"

वर्ष 1988-89 में आयोजित होम्योपैथी चिकित्सा की परीक्षा में बैठे छात्रों का महाविद्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :-

	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा में प्रविष्ट हुए छात्रों की सं.
1.	डा. एम. पी. खूंटेटा, राजस्थान होम्योपैथी मेडीकल कालेज, जयपुर।	137

1	2	3
2.	युवराज प्रतापसिंह मेमोरियल होम्योपैथी मेडीकल कॉलेज, अलवर।	147
3.	भारतीय होम्योपैथी मेडीकल कॉलेज, भरतपुर।	139
4.	होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अजमेर।	30
	कुल :	453

गामदा चौराहा से कुशलगढ़ तक सड़क

476. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के सब डिवीजन बांसवाड़ा खण्ड 1 अन्तर्गत गामदा चौराहा से कुशलगढ़ जाने वाली सड़क का कार्य निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उक्त सड़क को बनाने में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई व कितनी धनराशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क 1988–89 में बनाकर पूरी करनी थी? यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य अभी तक धीमी गति से क्यों चल रहा है और कब तक पूर्ण होने की संभावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क का कार्य किस ठेकेदार से करवाया जा रहा है? क्या ठेकेदार हल्का मेटेरियल डालकर उक्त कार्य को पूरा करवा रहा है? यदि हां, तो ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। इस सड़क निर्माण हेतु रुपया 30.00 लाख केन्द्रीय सड़क फण्ड (सी.आर.एफ.) के तहत एवं रु. 30.00 लाख एम.एन.पी. (टी.ए.डी.) के तहत स्वीकृत हुए थे। इस प्रकार कुल 60.00 लाख रुपये धनराशि में से माह जून, 1989 तक कुल रु. 48.46 लाख रुपये व्यय हुआ है।

(2) जी नहीं। निर्माण कार्य वांछित गति से उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार चल रहा है। कार्य का पूरा होना वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) यह कार्य मैसर्स पी.सी. जैन एण्ड

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री).

क. बांसवाड़ा द्वारा ठेके पर किया जा रहा है।

जी नहीं। मेटेरियल मापदण्ड के अनुसार है।

व्यवस्थापक, ग्राम सहकारी समिति, दिलोई

477. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री गुलाब खां, व्यवस्थापक, दिलोई ग्राम सेवा सहकारी समिति जिला झुंझुनूं ने समिति के सदस्यों से 1-7-1986 से लेकर 30-8-1988 तक लाखों रुपये की वसूली की है परन्तु झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक में एक भी पैसा जमा नहीं करवाया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों से व्यवस्थापक ने वसूली कर ली थी अब उन्हीं से दुबारा उसी रकम की वसूली की जा रही है ?

(3) क्या व्यवस्थापक पर प्रत्यक्षत: गबन का मामला नहीं बनता है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो व्यवस्थापक के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो कब तक क्या कार्यवाही किये जाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि श्री गुलाब खां व्यवस्थापक, दिलोई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जिला झुंझुनूं ने समिति के सदस्यों से 1-7-86 से 30-8-88 तक लाखों रुपये की वसूली की है। श्री गुलाब खां व्यवस्थापक ने उपरोक्त अवधि में रुपये 17,341.45 पैसे की वसूली की है, जिसमें से रुपये 1200/- झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनूं में जमा कराये हैं तथा शेष राशि समिति के कार्यों में काम ली गई है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्णित अवधि में उक्त व्यवस्थापक पर गबन का मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। उक्त अवधि का ऑडिट जारी है। अतः फिलहाल कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ए. सी. एम., नावां के विरुद्ध शिकायत

478. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां): क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नावां के पूर्व ए. सी. एम. श्री नरेन्द्र देव शुक्ला द्वारा रिश्वत लेकर खसरा नं. 622/11 की मात्र 3 बीघा भूमि को 30 बीघा बनाने का निर्णय दिनांक 21-9-1985 को दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध, एक शिकायत दिनांक 4-1-1989 को राज्य के भ्रष्टाचार विभाग को प्रस्तुत हुई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर अब तक क्या जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जांच की गई हो तो उसका नतीजा क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(2) यदि जांच नहीं हुई, तो कब तक कराई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत वाद सत्यापन प्राथमिक जांच संख्या 2/25/89 दिनांक 31–3–89 को पंजीबद्ध की गई है जिसकी जांच चल रही है।

(2) जांच प्रगति पर है।

तारांकित प्रश्न सं. 479
(स्थगित)

बस्सी में विश्राम गृह

480. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह हैं लेकिन बस्सी में नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बस्सी में पहले एक डाक बंगला मोहनपुरा में था जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग–11 के स्टोर के रूप में व चौकी के रूप में काम में लिया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बस्सी तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय का नगरीय कस्बा है जहां पशु अनुसंधान केन्द्र व डेयरी फार्म भी है लेकिन इस कस्बे में विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध न होने से अधिकारीगण रात्रि में विश्राम नहीं कर पाते हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण स्थान पर भी विश्राम गृह का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक विश्राम गृह बनवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले में जयपुर, चाकसू, दौसा, दूदू, सांभर, कोटपूतली, शाहपुरा, पावटा, विराटनगर एवं चौमूं में विश्राम गृह बने हुए हैं। बस्सी में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह नहीं है।

(2) जी हां। मोहनपुरा में स्थित पूर्व विश्राम गृह अब राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकी है।

(3) जी हां।

(4) विश्राम गृह की स्वीकृति वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ के वहन पर व्यय

481. **श्री के. सी. विश्नोई (सांगरिया):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ में वर्ष 1981 से 1984 तक कार के पैट्रोल व मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री के. सी. विश्नोई)

(2) यह पैट्रोल किस–किस स्थान से व कब–कब खरीदा गया ?

(3) क्या यह सही है कि 1982–83 में हुए आडिट में कार लॉग बुक खोने बाबत वर्णित किया है जबकि प्रबन्ध संचालक ने अपने पत्र क्रमांक 7971 दिनांक 20–5–1986 को मुख्य आडिटर को पत्र लिखकर बताया है कि यह लॉग बुक खोई नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि प्रबन्ध निदेशक ने उक्त लॉग बुक तत्कालीन अध्यक्ष के पास होना बताया है ? यदि हां, तो यह लॉग बुक प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त चैयरमेन के कार्यकाल में कार का भयंकर दुरुपयोग हुआ है व मिल को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल में वर्ष 1981–82 से 1983–84 तक मिल की कार के पैट्रोल एवं मरम्मत पर निम्न राशि व्यय हुई है:–

वर्ष 1981–82	रुपये 55,133.36
वर्ष 1982–83	रुपये 30,569.99
वर्ष 1983–84	रुपये 48,705.17

(2) सूचना विस्तृत एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित है। अतः अल्पकाल की जानकारी प्राप्त सूचना देना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। मिल की कार की एक लॉग बुक जो दिसम्बर, 1982 तक की थी, के उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र दिया गया था। वर्णित पत्र दिनांक 20–5–86 में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि उक्त लॉग बुक मिल के एक कर्मचारी द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष को भेजी गई थी, जो उसके द्वारा नहीं लौटाई गई है। लॉग बुक खोने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रबन्ध निदेशक ने संबंधित लॉग बुक तत्कालीन अध्यक्ष के दूरभाष संदेश पर मिल के एक कर्मचारी के द्वारा उनको भिजवाई थी किन्तु उक्त कर्मचारी द्वारा यह वापस नहीं लौटाई गई, अपितु उक्त लॉग बुक प्राप्ति में भी उसने इन्कार कर दिया जिसके लिए उसको चार्जशीट जारी की गई।

(5) जी नहीं।

सीकर जिले के गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र

482. **श्री केशर देव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या सरकार का सीकर जिले की पंचायत के सबसे बड़े गांव व पंचायत हैड क्वार्टर तहसील के पूर्व में अबीर ग्राम बीडोदी बड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इसी जिले के ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर वादूसर व पोसानी गांव में भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का सरकार का

(312)

(श्री केशर देव महरड़ा)

विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, भविष्य में अन्य स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलते समय पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बीडोदी बडी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार किया जायेगा।

(2) जी हां, भविष्य में अन्य स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलते समय इस पर भी विचार किया जायेगा।

चिन्हित जल-वायु प्रदूषण-इकाइयां

483. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कौन-कौनसी इकाई जल एवं वायु प्रदूषण के लिए कब—कब से चिन्हित की हुई हैं ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से कितना—कितना क्षेत्र व कितनी—कितनी जनसंख्या प्रभावित हो रही है ?

(3) क्या ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की यह जांच करवाई गई कि ऐसे प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर किस—किस प्रकार का कितना—कितना प्रभाव पड़ रहा है ?

(4) प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण मण्डल द्वारा अब तक किस—किस इकाई को सुझाव दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के क्रमशः दिनांक 23–3–74 एवं दिनांक 16–5–81 को प्रभावी होने के पश्चात राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण की सम्भावना वाली वृहत एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन या शोध अभी तक नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर किसी विपरीत प्रभाव की सूचना नहीं है।

(4) प्रदूषण रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए, जल एवं वायु प्रदूषक तत्वों के निस्त्रात/उत्सर्जन के लिए सम्मति देते समय उद्योगों को सुझाव देता है और मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों तक प्रदूषित जल अथवा प्रदूषित वायु का उपचार करने एवं इसके लिये आवश्यक व्यवस्था व उपकरण स्थापित करने हेतु बाध्य करता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बांध निर्माण

484. **श्री रघुवर दयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ पंचायत समितियों में भू–जल स्तर काफी नीचे चला गया है जिससे न केवल सिंचाई बल्कि पेय जल की उपलब्धि न्यूनतम रह गई है ?

(2) क्या इसके लिए टूटे बांधों को बांधने अथवा नये बांध बनाने का कोई प्रयास हुआ है ? यदि हां, तो कौन–कौन से बांध बांधना या बांधों की मरम्मत कराया जाना कब तक होना स्वीकृत हुआ है ?

उत्तर

(1) वर्षा के अभाव में पिछले 5 वर्षों में भू-जल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार भू-जल का स्तर लगभग 2.8 मीटर नीचे गिरा है।

(2) पंचायत समिति रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ में स्थित सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कोई भी बांध टूटा हुआ नहीं है। इन पंचायत समितियों में नई परियोजनाओं की उपयुक्त साइट नहीं है।

बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली

485. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दांतौर वितरिका, बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली की मुख्य एवं वितरण प्रणाली गत दो वर्षों में कब, कहां-कहां क्षतिग्रस्त हुई व इसकी मरम्मत पर कितने दिन लगे व राशि व्यय की गई ?

(2) वर्तमान में उक्त प्रणाली कहां–कहां से कब से क्षतिग्रस्त है व कौनसी दिशा में किस आर. डी. पर कितनी कितनी बैठी हुई है व कब तक इसकी सही मरम्मत कर दी जाएगी ?

(3) क्या यह सही है कि बरसलपुर शाखा के घटिया स्तर के निर्माण की जांच की गई थी ? क्या वह जांच रिपोर्ट वर्षों से मुख्य अभियन्ता कार्यालय में बिना कार्यवाही के विचाराधीन पड़ी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही व अपराधिक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज कराये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बरसलपुर शाखा की आर. डी. से 1 आर. डी. के बीच में नहर के बैड में लाईनिंग की ही नहीं गयी व मंत्री महोदय के गर्मियों के दौरे पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एक माह में लाइनिंग कराने के आश्वासन देने के उपरान्त भी वह कार्य क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक यह कार्य पूर्ण होना सम्भव है ?

(5) अहमद वाली माइनर कुल-कितनी आर. डी. बनाई गई व आखिरी छोर पर तथा बीच-बीच में कितने फुट लम्बाई में टूटी हुई है ? क्या यह सही है कि नहर जगह–जगह से व आखिरी छोर पर वर्षों से टूटी होने के कारण इसमें आवश्यकतानुसार

(श्री देवीसिंह भाटी)

पूरा पानी नहीं छोड़ा जा सकता और आवंटी व अन्य किसान अपने खेतों में पानी नहीं लगा सकते ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य नवम्बर, 1989 तक करवा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) दातौर वितरिका एवं उसकी प्रणाली पिछले दो वर्षों में कहीं से भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है व न ही मरम्मत पर किसी प्रकार की राशि व्यय की गई। बरसलपुर शाखा एवं उसकी नहर प्रणाली गत दो वर्षों में 10 स्थलों पर क्षतिग्रस्त हुई है। इसकी मरम्मत में 80 योम व 0.68 लाख रुपये व्यय हुए हैं। क्षतिग्रस्त स्थान, तारीख व अन्य विवरण प्रपत्र 'क' में संलग्न है।

वर्तमान में दातोर वितरिका व प्रणाली कहीं से भी क्षतिग्रस्त व बैठी हुई नहीं है। वर्तमान में बरसलपुर शाखा व प्रणाली जहां से क्षतिग्रस्त है व जिस दिशा में बैठी हुई है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

(2) क्षतिग्रस्त नहरों का विवरण:–

(I) बरसलपुर शाखा : बुर्जी 0 से 1 के बीच बांई ओर की लाईनिंग कुछ स्थानों पर उखड़ी व सरकी हुई है। इसकी मरम्मत 15 दिन की बन्दी लेकर यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

(II) प्रणाली : चौलेवाली वितरिका बुर्जी 27.100 से 27.130 (दोनों ओर)

अहमदवाली माइनर बुर्जी 20.000 से 20.020 (दोनों ओर)

बुर्जी 23,000 से 23030 (दांई ओर)

बुर्जी 23.200 से 23.300 (दोनों ओर की टाइलें उखड़ी हुई हैं।)

(III) रूपसिंह माईनर बुर्जी 19.000 से 19.100 (दोनों ओर)

(IV) चिल्लन वितरिका बुर्जी 19.100 से 19.200 (दोनों ओर)

(V) रणजीतपुरा वितरिका बुर्जी 16.800 से 16.840 (दोनों ओर)

उक्त क्षतिग्रस्त लम्बाईयों का मरम्मत का कार्य-माह सितम्बर, 89 के अन्त तक प्रस्तावित है।

बैठी हुई नहरों का विवरण :

(I) बरसलपुर शाखा : बुर्जी 52·375 से 52.500 (दांयी ओर)

बुर्जी 60.000 से 60.200 एवं 60.475 से 60.525 (बांई ओर)

सेटलमेंट 6" से 1 फुट की गहराई में हुआ है। इसकी मरम्मत का कार्य डावल ऊंचा करके पूर्ण कर लिया गया है।

(II) प्रणाली : मानकसर वितरिका की बांई ओर बुर्जी 35.010 से 35.110 में इसी माह (जुलाई 89) में प्रथम सप्ताह में नहर औसतन 9" की गहराई में बैठी है। इसकी मरम्मत माह सितम्बर 89 के अन्त तक कर ली जाएगी।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(3) यह सही हैं कि बरसलपुर शाखा के निर्माण कार्य के स्तर की जांच की गई परन्तु यह सही नहीं है कि यह जांच रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता कार्यालय में वर्षों से पड़ी हैं। इस सम्बन्ध में परियोजना स्तर पर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता इंगानप, व अति. मुख्य अभियन्ता (सतर्कता) ने दिनांक 2-10-86 को इस शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण कर एक प्रतिवेदन इंदिरा गांधी नहर मण्डल को 26-11-86 को प्रस्तुत किया था। इंदिरा गांधी नहर मण्डल ने मुख्य अभियन्ता (सतर्कता) की सिफारिशों को मध्य नजर रखते हुए इस प्रकरण को बन्द कर दिया। इसमें किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

(4) जी हां, परन्तु अधीक्षण अभियन्ता ने मन्त्री महोदय के दौरे पर एक माह में लाइनिंग कराने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। अगली सर्दियों में जब पानी की मांग फसलों के लिये कम होती है उसी समय बन्दी लेकर यह कार्य करना सम्भव होगा।

(5) अहमद वाली माइनर कुल 23,750 फीट लम्बाई में बनाई गई थी। वर्तमान में यह माईनर बुर्जी 20,000 से 20,020 (20 फुट) व 23,000 से 23,030 (30 फुट) में मात्र दो स्थानों पर ही टूटी हुई है तथा इन स्थानों पर मिट्टी द्वारा इसकी मरम्मत कर दी गई है तथा बुर्जी 20 एवं 22 पर स्थित जलदाय विभाग की डिग्गियां पानी से भर दी गई है। इसके अतिरिक्त यह माइनर अन्तिम छोर में बुर्जी 23,2000 से 23,300 में टाइलें उखड़ जाने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं किन्तु इसमें उपरोक्त कारण से आवश्यकतानुसार पानी चलाने में कोई कठिनाई नहीं है तथा किसानों को अपने खेतों में पानी लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। माइनर के उक्त क्षतिग्रस्त कार्यों को माह नवम्बर, 89 से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।

परिशिष्ट–क

गत दो वर्षों में क्षतिग्रस्त हुई व मरम्मत की गई नहरों का विवरण बरसलपुर शाखा एवं इसकी वितरण प्रणाली

क्र.सं.	नहर का नाम	क्षतिग्रस्त स्थल	क्षतिग्रस्त होने की तिथि	मरम्मत में लगा समय दिनों में	मरम्मत में किया गया व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मापकासर वितरिका	54.750–54.795	6–1–88	8 दिवस	5532/–	पक्की मरम्मत कर दी गई
2.	मोहम्मदवाला माइनर	10.300–10.370	5–6–88	6 ,,	3240/–	,,
3.	ली माइनर	7.025–7.100	13–2–89	10 ,,	5600/–	,,
4.	चोलेवाली वितरिका	27.150–27.190	22–5–89	5 ,,	4138/–	,,
5.	चिलन वितरिका	19.030–19.130	27–4–89	8 ,,	3640/–	मिट्टी से बांध दी गई है
6.	रूपसिंह माइनर	19.100–19.200	8–5–89	4 ,,	3264/–	,,
7.	बरसलपुर शाखा	78.250–78.350	18–7–88 (मध्य रात्रि)	18 ,,	20300/–	पक्की मरम्मत कर दी गई है

1	2	3	4	5	6	7
8.	रणजीतपुरा माइनर	18.620–18.645	5–6–88	6 दिवस	2660/–	पक्की मरम्मत कर दी गई है
9.	महेन्द्र धोरा माइनर	5.800–5.825] 7.700–7.725]	5–6–88	8 ,,	4745/–	,,
10.	बरसलपुर शाखा	107·682–107.760	1–2–89	7 ,,	14700/–	,,

ह./
अधिशाषी अभियन्ता
ब. सा. खण्ड II
बरसलपुर

राजफैड का श्राइस प्लांट

486. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजफैड का श्राइस प्लाण्ट जयपुर वर्ष 1984–85 एवं 1985–86 में निजी पार्टियों को लीज पर दिया गया था ? सम्बन्धित विवरण मय श्रनुबन्ध पत्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों वर्षों में निजी पार्टियों से श्रनुबन्ध में प्रावधान होने के बावजूद बैंक गारण्टी नहीं ली गई जिसके कारण वह पार्टियां लीज मनी तथा श्रन्य राशियों का भुगतान किये बिना प्लाण्ट को छोड़कर चली गयीं तथा भारी भरकम राशि उन पर बकाया रह गई ? यदि हां, तो क्यों ? इसका उत्तर–दायित्व किस पर है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उन पार्टियों के विरुद्ध वसूली हेतु न्यायालय में मुकदमे दर्ज कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1983–84 में मैसर्स शेखावाटी ट्रेडिंग कम्पनी, जवाहर नगर जयपुर वर्ष 84–85 में श्री ज्ञानचन्द श्ररोड़ा निवासी नदबई को राजफैड का श्राईस प्लाण्ट निष्पादित श्रनुबन्ध श्रनुसार लीज पर दिया गया था। श्रनुबन्ध की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट–श्र) (1) एवं (2)

(2) यह सही है कि पार्टियों ने प्लाण्ट चालू करने से पहले श्रनुबन्ध के प्रावधानों के श्रनुसार बैंक गारण्टी नहीं दी परन्तु प्लाण्ट संचालन के प्रसंग में व्यापारिक रवैया श्रपनाते हुए राजफैड प्रशासन ने उन्हें प्लाण्ट चलाने की श्रनुमति दी। राजफैड ने संबंधित पार्टियों से श्रनुबन्ध श्रनुसार जमा करवाई जाने वाली राशि व बैंक गारण्टी की मांग की थी किन्तु पार्टियां इसमें विफल रहीं तथा सीजन के बीच में ही प्लांट को विधिवत रूप से सौंपे बिना ही छोड़कर चली गई। इन पार्टियों की श्रोर क्रमशः 91,732 रुपये 56 पैसे तथा रुपये 78,895 पैसे 6 का दायित्व शेष रहा। इन राशियों की वसूली के लिए सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मुकदमे दर्ज करवाये जा चुके हैं। राजफैड स्तर पर लीज राशि वसूल नहीं हो पाने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। श्रतः किसी श्रधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि मामला श्रभी न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(श्रनुबन्ध की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सिंचाई विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग के माध्यम से श्रकाल राहत कार्य

487. **श्री मानिकचन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या श्रकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 3 वर्षों में श्रकाल राहत विभाग द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से

(श्री मानिकचन्द सुराना)

व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से क्या अलग-अलग जिलों में धन-राशियां खर्च की गई हैं ? यदि हां, तो जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अकाल सहायता विभाग से प्राप्त राशियों का ब्यौरा सिचाई विभाग वापिस अकाल राहत विभाग को दे चुका है ? क्या अकाल राहत विभाग ने अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग को जो राशियां दी गई थीं उनका सम्पूर्ण उपयोग हो चुका है ?

(3) सिंचाई विभाग द्वारा अकाल सहायता विभाग से प्राप्त राशियों का जो जिलेवार खर्च किया गया है, उसके फलस्वरूप किस-किस जिले में कितनी कितनी सिंचाई क्षमता में अभिवृद्धि हुई है ? जिलेवार हुई वृद्धि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) सिंचाई विभाग ने अकाल सहायता विभाग को मद नम्बर 3 में पूछे गये तथ्यों से सर्व प्रथम कब अवगत करा दिया था ?

उत्तर

(1) जी हां, विगत 3 वर्षों में सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों पर जिलेवार खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "क") इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से खर्च की गई राशि मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वर्ष 1987–88 में 9.00 करोड़ एवं वर्ष 1988–89 में 11.00 करोड़ आबंटित की गई है।

(2) जी हां, सहायता विभाग से प्राप्त राशियों के खर्चे का विस्तृत ब्यौरा सिंचाई विभाग हर माह राज्य सरकार के सहायता विभाग को भेजता रहा है । सिंचाई विभाग से समय-समय पर प्राप्त आवंटित राशि एवं खर्च के लेखों के अनुसार राशि का पूर्ण उपयोग होना पाया जाता है ।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों पर जो जिलेवार खर्चा किया गया, उसके फलस्वरूप जिलों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है । जिलेवार हुई वृद्धि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(4) सिंचाई विभाग से सहायता विभाग को अकाल राहत कार्यों की पूर्ण सूचना पूर्व में समयानुसार भिजवाई जा चुकी है ।

परिशिष्ट "क"

(व्यय लाखों में, सिंचाई क्षमता हैक्टेयर में)

क्रमांक.	जिला	सम्वत 2042		सम्वत 2043		सम्वत 2044	
		कुल व्यय	सिंचाई क्षमता का सृजन	कुल व्यय	सिंचाई क्षमता का सृजन	कुल व्यय	सिंचाई क्षमता का सृजन
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	554.31	703	531.66	1416.50	605.94	723.00
2.	अलवर	–	–	9.55	–	13.63	–
3.	बांसवाड़ा	202.24	882	187.76	321.00	216.61	155.00
4.	बाड़मेर	54.38	170	25.82	126	87.01	323.22
5.	बीकानेर	2.13	–	8.68	–	4.09	–
6.	भरतपुर	255.42	1722	104.58	1500	127.38	141.00
7.	भीलवाड़ा	747.87	1447	381.34	237.50	647.86	227.00
8.	बून्दी	35.22	20	43.36	25	70.45	133.50
9.	चित्तौड़गढ़	310.53	849	198.69	753	342.09	439.00
10.	धौलपुर	–	–	–	–	7.93	–
11.	डूंगरपुर	133.85	896	72.98	–	155.22	80.00
12.	जयपुर	633.15	1160	551.15	27	441.25	20.57
13.	जैसलमेर	37.74	380	13.70	–	34.39	–

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	जालौर	98.99	–	125.81	195	331.72	689.74
15.	झालावाड़	14.80	–	13.03	–	8.33	–
16.	झुन्झनू	5.98	–	–	–	–	–
17.	जोधपुर	246.50	727	81.96	120	105.22	777.00
18.	कोटा	1.93	–	14.49	–	11.18	–
19.	नागौर	25.18	204	22.53	145	71.78	60.00
20.	पाली	179.84	1141	167.52	20	627.12	120.00
21.	स. माधोपुर	70.24	–	49.17	–	42.70	–
22.	सीकर	30.51	87	23.66	4	53.79	25.00
23.	सिरोही	230.41	753	152.05	362	228.39	108.00
24.	टोंक	107.04	317	15.57	31	114.40	288.00
25.	उदयपुर	881.96	1043	478.90	259	977.89	837.54
26.	श्रीगंगानगर	–	–	–	–	20.01	–
	योग :–	4860.20	12492	3234.98	5542	5346.39	5147.57

परिशिष्ट—2

अतारांकित प्रश्न संख्या 697 की प्रति

नान जुडिशियल स्टाम्प
दो रुपया पचास नये पैसे

राजस्थान

यह प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 12 मई सन् 1961 को सेठी गनपतराय ट्रस्ट, लाडनूं के प्रतिनिधि सेठ गनपतराय सरावगी जिसे आगे इस प्रतिज्ञा पत्र में 'ट्रस्टी' शब्द से संबोधित किया गया है प्रथम पक्ष, तथा श्रीमान राज्यपाल, राजस्थान सरकार जिन्हें आगे इस प्रतिज्ञा पत्र में सरकार शब्द से संबोधित किया गया है द्वितीय पक्ष के दरमियान पूर्व प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 22 मार्च सन् 1957 व प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 7 अप्रेल सन् 1960 को संशोधित कर व कुछ शर्तें और बढ़ा कर लिखा गया है।

जो कि सेठ गनपतराय सरावगी सेठी निवासी लाडनूं ने दिनांक 26 मार्च, सन् 1951 को सेठी गनपतराय ट्रस्ट की स्थापना की और एक ट्रस्ट डीड बाकायदा लिख कर रजिस्टर करवा दिया जिसके ट्रस्टी निम्नलिखित थे:—

(1) सेठ हनुमानमल बैंगानी (2) सेठ श्री किशन झावर (3) सेठ मोहनलाल पाटनी (4) सेठ मदनलाल अग्रवाल (5) सेठ गनपतराय सेठी स्वयं।

यह ट्रस्ट विधिवत कायम है और ट्रस्टीगण इसे यथोचित रूप से चला रहे हैं। ट्रस्ट के आदेशानुसार समस्त ट्रस्टीगण ने सर्व सम्मति से यह निश्चय किया कि ट्रस्ट में प्रसूति गृह के निर्माण के लिये निर्धारित धनराशि को प्रसूति गृह के निर्माण में ले लिया जावे इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से बातचीत की गई और राजस्थान सरकार इस बात पर रजामन्द हुई कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनराशि से प्रसूति-गृह भवन का निर्माण लाडनूं स्थित सेठ गनपतराय सरावगी अस्पताल के अहाते के अन्दर करवा लिया जावे तो राजस्थान सरकार भवन निर्माण के पश्चात प्रसूतिगृह सम्बन्धी सारी व्यवस्था अपने खर्चे से सदैव स्थाई रूप से करती रहेगी और इस बात पर ट्रस्टीगण के स्वीकार करने पर ट्रस्ट प्रथम पक्ष व सरकार द्वितीय पक्ष के बीच दिनांक 22 मार्च, सन् 1957 को प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया।

उक्त प्रतिज्ञा पत्र को कार्यान्वित किये जाने में राज्य सरकार एवं ट्रस्टीगण में कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसे साफ किये जाने के लिये एक सप्लीमेन्टरी प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 7 अप्रेल, सन् 1960 को और लिखा गया जिससे पहले वाला प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 22 मार्च, सन् 1957 वाला सप्लीमेन्टरी प्रतिज्ञा पत्र के साथ पढ़ा जाने को था, लेकिन इस 7 अप्रेल, सन् 1960 के सप्लीमेन्टरी डीड के बाद जब 2 मई, सन् 1961 को जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह का उद्घाटन हो गया

तो इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों में कुछ संशोधन एवं कुछ शर्तें बढ़ाई जाना जरूरी हो गया। उन सब शर्तों को इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों में शामिल करके यह फाइनल प्रतिज्ञा पत्र इन शर्तों के साथ लिखा जाता है:–

1. इस संस्था का नाम श्रीमती केसर देवी सेठी जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह लाडनूं सदैव रहेगा तथा इस नाम को बदलने का द्वितीय पक्ष सरकार को कतई कोई अधिकार नहीं रहेगा।

2. इस संस्था की ओर से जितना पत्र व्यवहार सरकार द्वितीय पक्ष से या अन्य लोगों से होगा, वह सब इस ही नाम से होगा व पेसेन्ट टिकट आदि भी इसी नाम से होंगे। इस नाम को पूरी तौर से इस संस्था के लिये काम में लिया जायेगा।

3. इस जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह भवन में स्मृति स्वरूप श्रीमती केसर देवी धर्मपत्नि सेठ गनपतराय सेठी का एक तैल चित्र :लाइफ साइज : स्थाइरूप से प्रमुख स्थान पर हमेशा द्वितीय पक्ष लगाये रखेगा जिसको बनवा कर देने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

4. यह कि लाडनूं नगर में एक अस्पताल सेठ गनपतराय सरावगी के नाम से बना हुआ है। इस अस्पताल के अहाते में ही प्रथम पक्ष द्वारा जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह द्वितीय पक्ष सरकार से स्वीकृत रेखा चित्रों के अनुसार बनाया जाने को था।

5. यह कि उक्त प्रसूतिगृह का निर्माण प्रथम पक्ष द्वारा लगभग 30,000) रु. तीस हजार रुपया की लागत से कराया जाने को था और सरकार द्वितीय पक्ष अपने निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर उक्त निर्माण कार्य की देख रेख परामर्श के रूप में करती रहेगी लेकिन निर्माण काल में एक दफा निर्मित हो जाने के बाद उसको तुड़वाने या रेखा चित्रों में परिवर्तन करने का सरकार द्वितीय पक्ष को कोई अधिकार नहीं रखा था।

6. लेकिन उक्त अहाते में भवन के निर्माण में कुछ ज्यादा समय लग जाने का भय था जिससे जनता को इस अस्पताल एवं प्रसूतिगृह से लाभान्वित होने में निष्कारण देरी होती देख कर सेठी गणपतराय ट्रस्ट के ट्रस्टीगण ने इसे सेठ गनपतराय सरावगी अस्पताल के आहते के सामने ट्रस्ट की अन्य संपत्ति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रेखा चित्रों के अनुसार अस्पताल एवं प्रसूतिगृह चलाने के लिये एक भवन का निर्माण कर दिया जिसमें राज्य सरकार जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह का कार्य शुरु कर सके ताकि जब सरकार वहां काम

शुरु कर दे तो ट्रस्टीगण उपरोक्त सेठ गनपतराय सरावगी अस्पताल के अहाते में नया भवन का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरु करवादें ।

7 यह कि उपरोक्त उद्देश्य से ट्रस्टीगण ने ट्रस्ट की अन्य जमीन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रेखा चित्रों के अनुसार जो जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह का भवन बनाया था उसमें जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह का उद्घाटन मंगलवार दिनांक 2 मई सन् 1961 को राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के कर कमलों से करवा कर कार्य शुरु करवा दिया गया है जिसका नाम श्रीमती केशरदेवी सेठी जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह स्थाई रूप से (परमानेन्टली) रख दिया गया है । राज्य सरकार के डाइरेक्टर आफ हैल्थ एण्ड मेडिकल सर्विसेज डा. बी.एन. शर्मा ने इस बिल्डिंग को देख कर ट्रस्टीगण को यह सुझाव दिया कि भविष्य में जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के लिये तथा लेडी डाक्टर, नर्स मिडवाइफ एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रहने के लिये सेठ गनपतराय सरावगी अस्पताल के अहाते में कोई नये मकानात अब नहीं बनायें जैसा कि पहले बनवाने का निश्चिय किया था और यह भवन जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के लिये बिल्कुल उपयुक्त मान कर स्थाई रूप से ट्रस्टीगण से सरकार को दिये जाने का भी सुझाव दिया और यह भी सुझाव दिया कि सेठ गनपतराय सरावगी अस्पताल के अहाते में वार्ड्स व कमरे व बरामदे और बनवा कर मौजूदा बिल्डिंग में ट्रस्ट अपने खर्चे से विस्तार करा देवें जिनके लिये रेखा चित्र भी साथ में दिये । ट्रस्टीगण ने डाइरेक्टर साहब डा. बी.एन. शर्मा के इन सुझावों को ठीक मानकर जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह की मौजूदा बिल्डिंग को जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के लिये स्थाई रूप से देने का निश्चय कर यह भवन सरकार को दे दिया है इसके अलावा उक्त रेखा चित्रों के अनुसार सेठ गनपतराय सरावगी अस्पताल के अहाते में नये कमरे व वार्ड्स व बरामदे बनाने का भी निश्चय कर लिया । लेकिन सरकार द्वितीय पक्ष अपने निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर उक्त निर्माण कार्य की देख रेख करती रहेगी और विस्तार संबंधी कार्य बिल्डिंग मेटेरियल व रेखाचित्रों का विवरण आदि सरकार ट्रस्ट प्रथम पक्ष को देगी तथा जिसके खर्चे का भार ट्रस्ट प्रथम पक्ष वहन नहीं करेगा परन्तु निर्माण काल में एक दफा निर्मित हो जाने के बाद उनको तुड़वाने या रेखा चित्रों में परिवर्तन करने का सरकार द्वितीय पक्ष को कोई अधिकार नहीं रहेगा सरकार द्वितीय पक्ष सीमेंट, गार्डर इत्यादि कन्ट्रोल रेट पर प्रथम पक्ष ट्रस्ट को दिये जाने का प्रबन्ध करेगी ।

8. यह कि जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह में तत्सम्बन्धी सारे यंत्र व दवाइयां तथा अन्य सामान इत्यादि उपलब्ध करने व बिजली, पानी की व्यवस्था करने का व उनके सब खर्चे का उत्तरदायित्व व भार सरकार द्वितीय पक्ष

पर होगा, जिसको सरकार वहन करेगी और आवश्यकतानुसार सरकार हमेशा स्थाई रूप से इन सब का यथोचित प्रबन्ध पचास (50) शय्याओं (बैड्स) के अस्पतालों के माफिक अपने खर्चे से करती रहेगी। इसके अलावा जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के निर्माण के पश्चात् सरकार द्वितीय पक्ष को अस्पतालों की मरम्मत, सफाई एवं रंग, सफेदी विस्तार आदि हमेशा अपने खर्चे से कराते रहना पड़ेगा।

(9) यह कि ट्रस्ट सम्पत्ति में जो भवन ट्रस्टीगण ने जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के लिये निर्माण किया है उसमें सरकार द्वितीय पक्ष को अनुभवी व पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कम से कम एम.बी.बी.एस. लेडी डाक्टर व ट्रेण्ड नर्से तथा मिडवाइफ दाई, नौकर आदि पूरा स्टाफ हमेशा स्थायी रूप से रखना ही होगा।

(10) यह कि जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह में किसी भी लेडी डॉक्टर, नर्स, मिड-वाइफ, दाई व स्टाफ इत्यादि को कोई फीस किसी किस्म का लेने का अधि-कार नहीं होगा।

(11) यह कि भविष्य में यदि किसी कारण जनाना अस्पताल एवं प्रसूतिगृह लाडनूं में न रखा जायेगा तो सरकार मौजूदा बिल्डिंग वापिस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण को खाली करके उसी हालत में संभला देगी जिस हालत में ट्रस्टीगण ने सरकार को दी है लेकिन सरकार द्वितीय पक्ष किसी अन्य दाता के नाम से अथवा अपने नाम से लाडनूं में कोई दूसरा अस्पताल एवं प्रसूतिगृह चालू न कर सकेगी और जो बिल्डिंग अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के लिये दी गई है उसमें अस्पताल एवं प्रसूतिगृह के अलावा कोई दूसरी संस्था न चला सकेगी।

अतः यह प्रतिज्ञा पत्र पर अपनी अपनी स्वीकृति के रूप में सेठी गनपतराय ट्रस्ट लाडनूं प्रथम पक्ष की ओर उसके प्रतिनिधि सेठ गनपतराय सरावगी व श्रीमान राज्यपाल राजस्थान राज्य द्वितीय पक्ष की ओर से सील सहित श्री सत्य–प्रसन्न सिंह जी भंडारी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।

साक्षी	हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
ह./	ह./
वेदप्रकाश शर्मा	गनपतराय सरावगी 22.5.61

साक्षी-2 ह.

दुरजनसिंह

साक्षी
ह./
Aditya Nath
Assistant Secretary to the
Government of Rajasthan
Medical & Public Health
Department, JAIPUR

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
ह./
सत्यप्रसन्न सिंह भंडारी
Medical and public Health
Secretary to the Government
of Rajasthan, JAIPUR

साक्षी–2 ह./
आर.सी. चौबे
Section Officer
Medical and Health Department
State Secretariate, Rajasthan.
दिनांक 12 मई, 1961

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न सं. 698 की सूची

झुन्झुनू जिले में सड़कों से जुड़े/नहीं जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों का सारांश

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	कुल पंचायत मुख्यालय	पंचायत मुख्यालय के नंबर जो सड़कों से जुड़े हैं				पंचायत मुख्यालयों की संख्या जो सड़क से नहीं जुड़े हैं
			बीटी	डब्ल्यूबीएम	ग्रेवल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	झुन्झुनू	30	22	1	—	23	7
2.	अलसीसर	25	13	4	—	17	8
3.	चिड़ावा	24	19	2	—	21	3
4.	सूरजगढ़	30	14	1	—	15	15
5.	खेतड़ी	33	20	6	—	26	7
6.	गुढ़ाना	37	19	7	—	26	11
7.	उदयपुरवाटी	35	25	4	—	29	6
8.	नवलगढ़	32	18	4	—	22	10
	योग	246	150	29	—	179	67

परिशिष्ट "क"

झुन्झुनू जिले में सड़क से जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम
1	2	1	2
1.	हनुमानपुरा	3.	मेहरादेशी
2.	कुहराऊ	4.	आबूसर

1	2	1	2
5.	प्रतापपुरा	32.	गंगियासर
6.	कुलोडकालन	33.	अलसीसर
7.	अजीतगढ़	34.	धांधूरी
8.	सिरयासर कालन	35.	महानसर
9.	उदावास	36.	निराधाना
10.	जय हहाड़ी	37.	डाबडी धीरसिंह
11.	पट्टूसरी	38.	तेन
12.	बीबासर	39.	लादूसर
13.	कासिमपुरा	40.	सोनासर
14.	वहीदपुरा	41.	धातरवाल
15.	भोजासर	42.	किशोरपुरा
16.	नुआ	43.	बजवा
17.	चूरी अजीतगढ़	44.	बदनगढ़
18.	माखड़	45.	गोठड़ा नूनिया
19.	इस्लामपुर	46.	केहरपुरा कालन
20.	अजेरी कालन	47.	गीदानिवा
21.	बुदाना	48.	सोलाना
22.	डेरवाला	49.	गोवाला
23.	ईण्डाली	50.	अलीपुर
24.	जबासर	51.	भुखाना
25.	चूरेला	52.	भक्तावरपुरा
26.	बिरमी	53.	नरहर
27.	हमीरी कालन	54.	अरदावता
28.	खोदेसर	55.	ओजाटू
29.	पीलानी खुर्द	56.	कितहाना
30,	तमकोर	57.	सुल्ताना
31.	मलसीसर	58.	बुदानिया

1	2	1	2
59.	छनाना	87.	शिमला
60.	मण्डरेला	88.	बूदवा
61.	भारूण्डा कालन	89.	पपूरना
62.	जीनी	90.	गोरिर
63.	लखू	91.	बडऊ
64.	मोरेवा	92.	कलोटा
65.	बंगोत्री कालन	93.	बबाई
66.	बेरी	94.	सिहोरी
67.	कजरा	95.	बसाई
68.	पीपली	96.	नलपुर
69.	डूलानिया	97.	दादा फतेहपुरा
70.	देवरोड़	98.	तुण्डा
71.	अरूका	99.	छरवास
72.	भेरली	100	नांगली
73.	लिखवा	101.	रासुलपुरा
74.	लोटिया	102.	माधोगढ़
75.	भावथारी	103.	गाधाखेड़ा
76	जखोड़	104.	कजला
77.	तिब्बा	105	थाली
78.	रनवा	106.	बसावता खुर्द
79.	गदराता	107.	मोईसडा
80.	करड़िया	108.	खुरावास
81.	लोयल	109.	कालाखेड़ी
82.	मेहड़ा गुजरवास	110.	सनवालोद
83.	मेहड़ा जाटूवास	111.	पुहानिया
84.	गोथड़ा	112.	मुरादपुर
85.	जसरापुर	113.	भूंभा
86.	बावड़ी खेतड़ी ग्रामीण	114.	गरदाना कालन

1	2	1	2
115.	हीरावा	143.	सिगनोर
116.	पछेरी खुर्द	144.	भोरकी
117.	माकरू	145.	गुदाह गोजीका
118.	बरबर	146.	छापोली
119.	बुहाना	147.	पोंख
120.	पछेरी कालन	148.	छनवारा
121	सिंगनाना	149.	मण्डावरा
122.	गरदाना खुर्द	150.	मानकसस
123.	दूलवा	151.	गुडा
124.	लाम्बी अहीर	152.	पापड़ा छाजूसिंह
125.	धादोत कलां	153.	बगोली
126.	भिर	154.	पछलांगी
127.	खण्डावा	155.	छऊ
128.	डूमोली खुर्द	156.	बमलास
129.	पोसाना	157.	थमोरा
130.	नांगल	158.	मण्डासी
131.	भज	159.	लोहारगल
132.	गोपालपुरा	160.	टोंक छिलेरी
133.	बगोरा	161.	जेजूसर
134.	नेवरी	162.	दीगल
135.	रघुनाथपुरा	163.	डूंडलोद
136.	बजावा	164.	डूंगरा
137.	सराय	165.	ढानी बडवाना
138.	हंसिलसर	166.	नावलरी
139.	सितहल	167.	बिरोल
140.	बड़ागांव	168.	भजार
141.	छवासरी	169.	गोथारा
142.	तितानवर	170.	परसरामपुरा

1	2	1	2
171.	बसावा	176.	करी
172.	खिरोड	177.	वाई
173.	चिराणा	178.	कोलासिया
174.	छेलारसी	179.	बुगाला
175.	बरवासी		

परिशिष्ट "ख"

पंचायत समिति अलसीसर के पंचायत मुख्यालयों की सूची जो सड़क से नहीं जुड़े हैं

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम
1.	भुडा का बास
2.	हरीपुरा
3.	बाढेट
4.	कलियासर
5.	कंकरेऊ कालन
6.	कोलिण्डा
7.	दिलोई
8.	हंसासर

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 714 की सूची

गत तीन वर्षों में नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में जिन–जिन सड़कों का निर्माण करवाया गया उसका विवरण निम्नांकित हैं:-

(1) **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम**

क्र.सं.	सड़क का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	लागत मई, 1989 तक
1	2	3	4
1.	खाखेरा से मांवडा कलां वाया दयाल की नांगल	अपूर्ण	6,32,995
2.	चीपलाटा से अजमेरी	अपूर्ण	2,34,421
3.	भूदोली से गणेश्वर	पूर्ण	5,16,986
		योग	13,84,402

(2) **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम**

1.	मावन्डा से टीबा बस्सी	पूर्ण	4,48,358
2.	अप्रोच सड़क मांडोली	पूर्ण	93,274
3.	नीमकाथाना से पुरानावास	पूर्ण	2,59,086
4.	अप्रोच सड़क किशोरपुरा वाया अजमेरी खटगढ़	अपूर्ण	17,063
		योग	8,17,781

(3) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम**

1.	कोटपूतली से मीना की नांगल	अपूर्ण	1,96,910
2.	बड़ी जोड़ी से टटेरा वाया अजमेरी	अपूर्ण	1,95,136
		योग	3,92,046

1	2	3	4
(4)	अकाल राहत कार्य		
	1. रायपुर पाटन से जेतपुरा कुन्डाला	अपूर्ण	29,875
	2. हांसपुर से काला खेड़ा	अपूर्ण	69,210
	3. बेगा की नांगल से सीमा बैनार वाया मोठूका	अपूर्ण	1,23,262
	4. सम्पर्क सड़क दीपावास	अपूर्ण	1,16,759
	5. टौडा से माकलवास	अपूर्ण	98,050
	6. सम्पर्क सड़क गोड़ावास	पूर्ण	1,09,916
	7. सिरोही से भूदोली	अपूर्ण	34,717
	8. भूदोली से प्रीथमपुरी	अपूर्ण	4,56,743
	9. सिरोही से मागा	पूर्ण	1,10,245
	10. महुआ से निमोद	अपूर्ण	—
	11. सम्पर्क सड़क दलपतपुरा वाया हरीपुरा	अपूर्ण	71,876
	12. नीमकाथाना कोटपूतली सड़क से बांधला	अपूर्ण	2,368
	13. चीपलाटा अजमेरी सड़क से जुगलपुरा	अपूर्ण	2,60,425
	14. नीमकाथाना खेतड़ी से माकड़ी	पूर्ण	42,542
	15. डाबला पाटन से सीमली	अपूर्ण	13,727
	16. नीमकाथाना पाटन से न्यासाना	अपूर्ण	21,268
	17. चीपलाटा रोड़ से सिरोही	अपूर्ण	31,739
	18. गोडावास से नापावाली	पूर्ण	34,148
	19. गांवड़ी से बिहारीपुर	पूर्ण	53,461
	20. डाबला पाटन सड़क से विहार	अपूर्ण	16,054
	21. सम्पर्क सड़क श्यामपुरा	अपूर्ण	58,065
	22. सम्पर्क सड़क बल्लुपुरा	अपूर्ण	4,883

1	2	3	4
23.	सम्पर्क सड़क रामपुरा वाया छाजा की नांगल	अपूर्ण	—
24.	सम्पर्क सड़क नाथा की नांगल	पूर्ण	65,061
25.	चीपलाटा से सांवलपुरा	अपूर्ण	43,465
26.	रायपुर पाटन से हसामपुर	अपूर्ण	23,435
27.	डाबला रेल्वे स्टेशन से जिला सीमा तक	अपूर्ण	295
28.	काला खेड़ा से जीताला	अपूर्ण	29,102
29.	सम्पर्क सड़क घासीपुरा	अपूर्ण	—
30.	डाबला से जीला	अपूर्ण	40
31.	अप्रोच सड़क भारिण्डा	अपूर्ण	—
32.	शाहपुरा चिड़ावा सड़क को चौड़ा करना	अपूर्ण	1,17,270
		योग	20,29,001

परिशिष्ट 'ख'

इस वर्ष 1989–90 में नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र में निम्नांकित योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है :—

(1) **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम**

1. खोखरा से मावण्डा कलां वाया दयाल की नांगल — 3.00 लाख
2. चीपलाटा से अजमेरी — 3.00 ,,

(2) **जवाहर रोजगार योजना**

1. कोटपूतली से मीना की नांगल — 0.90 लाख

1	2	3
	2. बड़ी जोड़ी से टटेरा वाया अजमेरी	2.60 लाख
(1)	नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत	
	1. कोटपूतली से मीना की नांगल	3.50 ,,
	2. भूदौली से गणेश्वर	5.00 ,,
(4)	सैन्ट्रल रोड फन्ड	
	1. निर्माण कार्य पेलार–मोठूका सड़क (6 कि.मी) (बगा की नांगल से मोठूका बेनार सड़क)	15.00 ,,

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की योजनायें अब समाप्त हो चुकी हैं।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 716 की सूची

मोरे नदी पर पुल के शिलान्यास दिनांक 12 एवं 13 जनवरी, 1989
पर किये गये खर्चे का विवरण

क्र.सं.	विवरण	कुल व्यय
1.	निमन्त्रण पत्र	198.00
2.	निविदा सूचना	960.00
3.	शिलान्यास का पत्थर	2,800.00
4.	माइक इत्यादि के लिये	2,000.00
5.	फोटोग्राफी (कलर)	1,235.00
6.	एनवल्प कार्ड	126.50
7.	बेनर्स	360.00
8.	टैन्ट	8,594.25
	कुल योगः–	16,273.75

(337) परिशिष्ट–2

परिशि

अतारांकित प्रश्न

बानसूर तहसील में विगत पांच वर्ष

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	स्वीकृत राशि	84–85
1	2	3	4	5
1.	सड़क निर्माण कार्य बानसूर, रतनपुरा कराना वाया ज्ञानपुर।	एफ-2(14)पीडब्ल्यू/ ए.एस./84 दिनांक 14.6.84	13.50	0.21
2.	पहुंच मार्ग कराना से नयाबास ग्रा.भू.रो.गा. कार्यक्रम के तहत।	एस.एस.ओ./11804/86 दिनांक 28.8.86	4.00	---
3.	सड़क निर्माण कार्य चतरपुरा से नीमूचाना			
(1)	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत	एफ–2(14)पीडब्ल्यू/ ए.एस./84 दिनांक 14.6.84	8.25	0.05
(2)	राष्ट्रीय ग्रा.भू.रो. कार्यक्रम	एफ–40/एस.एस.ओ./ 86–87 दिनांक 4.3.87	9.00	---
4.	निर्माण कार्य रतनपुर बहराम का बास।			
(1)	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत	एफ–2(14)पीडब्ल्यू/ एएस/84 दिनांक 14.6.89	3.00	---

1	2	3	4	5
(2)	रा.ग्रा.रो. कार्यक्रम के अन्तर्गत	एफ–2(14)पीडब्ल्यू एएस/84 दिनांक 14.6.89	3.00	0.48
5.	अप्रोच सड़क हमीरपुर ग्रा.रो.ग्रा.प्रो.	एफ–1/आर/20/राज/ 84–85 दिनांक 9.11.84	1.00	0.01
		योग		0.75

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 729 की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद जिसमें कार्य करवाया गया	वर्षवार डामर सड़क का निर्माण (कि.मी. में) का विवरण 1984–85	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सोढाकोर से जावंध	दुग्ध मार्ग योजना	13	—	—	—	—
2.	पोकरण से सांकड़ा	3054 सड़क मरम्मत एवं अकाल राहत कार्य	—	1	5	13	—
3.	धोतिया से भादरिया	राहत कार्य	—	—	—	1.7	—
4.	सेतरावा से देवीकोट	3054 सड़क मरम्मत एवं अकाल राहत	13.5	2.5	7	—	—
5.	सम्पर्क सड़क आशापुरा	राहत कार्य	1.5	—	—	—	—
6.	अमरसागर से बडाबाग	राहत कार्य	—	3	1	—	—
7.	लवुवा से कनोई वाया कुछडी	राहत कार्य एवं एम.एन.पी.	—	—	04	7	—
8.	भागू के गांव से रासला	3054 सड़क मरम्मत एवं राहत कार्य	—	—	5	—	—
9.	फतेहगढ़ से झिनझिनयाली	बी.ए.डी.पी.	—	—	—	20	14

(339)

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जैसलमेर से जेठवाई	डिपोजिट राहत कार्य एवं एम.एन.पी.	—	—	2	4.5	—
11.	सोनू से हाबूर	राहत कार्य	—	—	—	9	—
12.	खाबा से कुलधरा	डिपोजिट कार्य (पर्यटन विभाग)	—	—	—	1	—
13.	काठौड़ी बरमसर चौधरिया	राहत कार्य एवं एम.एन.पी.	—	—	—	7	—
14.	भीकोडाई से राजमथाई	राहत कार्य एवं एम.एन.पी.	—	—	—	9	—
15.	रामगढ़ से बांधा	बी.ए.डी.पी.	—	—	—	—	18
16.	रामगढ़ से नाचना	बी.ए.डी.पी.	—	—	—	—	5
17.	नाचना से बाहता	बी.ए.डी.पी.	—	—	3	—	—

(341)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 730 की सूची

आज दिनांक 30.1.87 को श्री विजयनगर सिंचाई विभाग कार्यालय में हड़ताल पर बैठे काश्तकारों के प्रतिनिधिगण, सिंचाई विभाग के अधिकारीगण के बीच उप जिलाधीश की अध्यक्षता में वार्तालाप हुआ। वार्ता के दौरान कृषकों की मांगों पर निम्नलिखित समझौता हुआ :–

(1) सीएडी के तहत जो रकबा कमाण्ड से अनकमाण्ड हो गया है, उसके लिए संबंधित चक के कृषकगण दिनांक 31 मार्च, 1987 तक संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को प्रार्थना पत्र देंगे। प्रार्थना पत्र के साथ कृषकगण एक शपथ-पत्र एवं सर्वे को फोल जमा करवायेगा, शपथ पत्र में यह अंकित होगा कि सर्वे के बाद यदि रकबा अनकमाण्ड घोषित होता है तो विभाग को सिंचाई सुविधा से वंचित करने का अधिकार होगा। सर्वे भी 16.4.87 से 15.10.87 की अवधि में विभाग द्वारा कर लिया जावेगा। स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दी जावेगी।

(2) यह बिन्दु उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से संबंधित है एवं उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जावेगी। जिन कृषकों की फसलें मौके पर बीजान है उनके द्वारा दिनांक 15.2.87 तक प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र देंगे तदउपरान्त उन्हें पानी देने की अस्थाई सुविधा दी जावेगी। रकबा अनकमाण्ड से कमाण्ड होने पर कृषकगण कमाण्ड की कीमत देने के लिए बाध्य होगा। यह स्वीकृति 15.4.87 तक मान्य होगी। जिसके पूर्व सर्वे कर लिया जावेगा।

(3) यह बिन्दु उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 एवं 2 से सम्बन्धित है एवं काश्तकार द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र देने पर पानी की सुविधा दी जावेगी।

(4) गिरदावरी स्लिप एवं मांग पत्र विभाग के पटवारियों द्वारा काश्तकार की मांग पर दिया जावेगा। जिसके लिए संबंधित पटवारी अपने हल्के में लिखित नहीं दिया जाता या गलत मांग पत्र दिया जाता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

(5) टेलों पर पानी पहुंचाने के लिए संबंधित अधिशाषी अभियन्ता अपने निरीक्षण में सिल्ट निकालने की कार्यवाही, मोगो की जांच एवं खाले के व नहर के बेड को मरम्मत करवायेंगे।

(6) खालों की वसूली एवं टूटे हुए खालों की मरम्मत के लिए उप जिलाधीश

रायसिंहनगर एवं जिलाधीश श्री गंगानगर राज्य सरकार के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अनकमाण्ड से कमाण्ड किये जाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा जो सर्वे किया जावेगा उससे संबंधित समस्त प्रकार की शिकायतें की सुनवाई हेतु एक कमेटी का गठन किया जावेगा जिसमें सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि एवं जिलाधीश श्रीगंगानगर का प्रतिनिधि होगा।

इस प्रकार के क्षेत्र जो सर्वे में छूट गये हैं या किसी भी चक में शामिल होने से रह गये हों (8 ए.एस.) को सर्वे शीघ्र करवा कर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवाने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

1. ह./–
उप जिलाधीश,
रायसिंहनगर।

2. ह./–
एच.जी. आचार्य,
अधीक्षण अभियन्ता,
विजयनगर, सिक्षेवि वृत,
इंगानप, श्री विजयनगर।

3. ह./–
हंसराज मिढा,
विधायक

4. ह./–
अधिशाषी अभियन्ता,
अनूपगढ़ शाखा खंड प्रथम,
श्री विजयनगर।

5. ह./–
अधिशाषी अभियन्ता,
पूर्व खंड, श्री विजयनगर।

6. ह./–
अधिशाषी अभियन्ता, सरदारपुरा खंड,
इंगानप, श्री विजयनगर,

Government of Rajasthan

Command Area Development, IGNP

Bikaner

OFFICE ORDER

Sub : Providing the irrigation facilities to the lands allotted as command and which can or already getting irrigation facilities at the field but declared as uncommand in CAD survey.

Vide this office U. O. Note No. 2602 dated 28-7-86 some instructions regarding Hardeswali Disty. off-taking from RD 56 (R) of Anupgarh Shakha and Silvani Disty, off-taking from RD 14.8 (R) of Anupgarh Shakha were conveyed to the Chief Engineer, CAD. IGNP., in which it was stated that there should be no change in the CCA from what has been indicated in the approved project report.

In this connection, it is clarified that the land which was originally shown as command in chaks of IGNP allotted as command by Colonisation Department and was irrigated also till water stopped by CAD Department on account of land declared as uncom and in chak plan prepared by CAD may be given water now. But before allowing this irrigation facility all essential formalities including legal formalities as required by CAD Deptt. Colonisation Deptt. and ITDC may be observed.

Sd./

Area Development Commissioner,
Indira Gandhi Nahar Project.,
Bikaner.

No. 671 Dated the/June. 1989

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

The Addl. Chief Engineer (M), CAD, IGNP., Bikaner.

Sd./-

T.A. to Area Development
Commissioner, IGNP., Bikaner.

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER COMMAND AREA DEV.
IGNP, BIKANER

No. F. 220/A/Hardeswali/EEW/2969 Dated the 5-6-89

Copy forwarded to the following for information and necessary action :–

1. The Superintending Engineer CAD..................................
Circle, IGNP.,... ....

2. The Executive Engineer CAD..
Divn., IGNP.,..

Sd./–
Executive Engineer (Works).,
O/O the Chief Engineer.,
CAD, IGNP., Bikaner.

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 731 की सूची

(मात्रा क्विंटलों में)

क.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वर्ष 1987–88 अप्रेल 87	मई 87	जून 87	जुलाई 87	अगस्त 87	सितम्बर 87	अक्टूबर 87	नवम्बर 87	दिसम्बर 87	जनवरी 88	फरवरी 88	मार्च 88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पाटन	19	19	31	—	16	15	22	18	18	21	18	17
2.	डोकन	41	—	33	—	21	20	24	21	21	21	21	16
3.	मांवण्डा खुर्द	61	—	28	28	28	28	33	33	33	33	28	28
4.	सिरोही	66	—	74	—	35	37	43	43	43	43	37	37
5.	भूदोली	144	—	88	—	44	44	56	56	56	56	44	44
6.	रायपुर पाटन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	10
7.	रायपुर पाटन II	46	—	18	36	—	18	21	21	—	22	—	10
8.	छाजा की नांगल	44	—	40	—	19	18	24	24	24	24	20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	बल्लुपुरा	—	—	38	—	19	16	22	22	22	22	19	19
10.	पुरानाबास	18	18	13	14	14	14	17	17	18	18	15	14
11.	महावा	45	—	42	—	19	20	24	25	25	25	21	20
12.	बासड़ी खुर्द	—	—	—	—	16	14	19	19	19	19	16	16
13.	डाबला	35	—	16	32	—	37	—	—	—	31	—	11
14.	बिहार	25	—	24	—	24	24	28	29	—	28	52	—
15.	राजपुरा	59	—	42	—	21	46	—	25	25	24	21	16
16.	खटकड़	10	10	9	9	9	9	11	11	11	9	9	9
17.	टटेरा	12	12	12	12	12	12	14	14	12	12	12	12
18.	दयालकी नांगल	12	13	12	12	12	12	12	14	14	14	12	12
19.	बिहारीपुर	23	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	नांवा का नांगल	19	29	—	17	37	—	21	21	—	21	17	17
21.	जीलों	19	19	36	—	15	18	—	21	21	21	18	18
22.	चीपलाटा	48	—	48	—	25	24	29	29	29	21	18	18
23.	पीपाबास	18	—	15	—	8	8	9	9	9	9	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	दीपावास	32	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	8
25.	पीथलपुर	17	—	7	7	7	—	9	9	9	14	—	7
26.	पीथलपुर	12	—	6	6	6	6	7	7	7	7	7	6
27.	रायपुराजागीर	29	—	13	13	13	—	15	15	15	26	—	13
28.	मावण्डाकला	18	18	13	13	13	15	15	15	15	15	13	—
29.	गणेश्वर	52	—	24	24	24	24	29	29	29	24	24	—
30.	सांवलपुरा तंवरान	20	—	—	—	—	—	—	48	—	20	40	—
31.	गोड़ावास	63	—	29	29	29	29	33	35	33	35	29	29
32.	मण्डौली	35	—	—	—	17	14	21	20	20	21	17	17
33.	नाथावाली	14	14	13	13	13	13	15	15	15	15	12	13
34.	मण्डौली	10	—	4	5	4	10	—	10	—	9	—	5
35.	दरीबा	7	8	7	7	7	7	9	9	9	8	6	6
36.	दरीबा	15	—	6	6	6	6	7	8	7	8	6	6
37.	टोड़ा	—	—	14	14	14	14	17	17	17	17	14	14
38.	नाथावाली	58	—	32	—	16	16	19	19	19	19	19	19
39.	श्यामपुरा	41	—	22	—	22	—	22	—	22	22	22	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	बेगाकीनांगल	18	19	17	17	17	37	—	20	20	20	17	17
41.	रामपुरा	21	—	—	—	15	11	18	18	15	16	16	—
42.	दलपतपुरा	11	—	—	—	8	9	14	13	13	11	11	—
43.	घासीपुरा	11	20	—	18	—	19	—	10	10	11	18	—
44.	हसामपुरा	13	13	12	24	—	26	—	28	—	26	—	13
45	मोकलवास	11	11	12	12	12	12	14	14	14	14	12	12
46.	गावड़ी	34	34	29	29	29	29	34	34	29	35	28	29
47.	लादीका बास	12	14	—	13	14	14	—	13	12	12	9	11
48.	अजमेरी	12	—	18	—	—	12	—	7	7	7	5	6
49.	किशोरपुरा	34	—	16	16	16	—	—	—	—	14	14	14

क.सं.	नाम ग्राम पंचायत	अप्रेल 88	मई 88	जून 88	जुलाई 88	अगस्त 88	सितम्बर 88
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पाटन	16	15	18	17	16	16
2.	डोकन	19	15	50	21	18	21
3.	मावण्डा खुर्द	28	56	—	56	—	–
4.	सिरोही	37	37	37	37	37	36
5.	भूदोली	44	88	—	88	—	48
6.	रायपुरपाटन	7	6	—	7	17	–
7.	रायपुरपाटन II	10	10	20	—	20	–
8.	छाजा की नांगल	20	20	20	20	20	20
9.	बल्लूपुरा	19	19	19	19	19	19
10	पुरानावास	14	12	30	—	30	–
11.	महावा	20	20	21	20	20	21
12.	बासड़ीखुर्द	16	16	32	—	32	–
13.	दाबला	13	32	—	14	32	–
14.	विहार	48	—	48	—	48	–
15.	राजपुरा	21	18	19	21	20	46
16.	खटकड़	9	—	—	19	—	20
17.	टटेरा	12	12	12	24	—	26
18.	दयाल की नांगल	12	12	12	12	24	–
19.	बिहारीपुर	—	15	15	15	30	–
20.	नांथाकीनांगल	17	17	17	34	—	17
21.	जिलो	18	18	18	36	—	18
22.	चीपलाटा	25	25	25	25	25	25
23.	दीपावास	8	8	8	8	8	8
24.	दीपावास	8	7	7	7	7	7

8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8	8	9	8	8	8	8	—
7	8	7	7	7	7	7	7	7
13	15	14	15	14	14	15	14	—
13	15	13	15	13	13	13	13	13
—	—	—	—	24	24	24	24	—
—	—	11	18	15	15	15	15	15
29	35	29	64	—	32	29	29	29
18	21	18	21	18	18	18	18	18
12	14	12	14	12	12	12	12	12
5	6	5	6	5	5	5	5	5
—	9	7	9	7	7	7	7	7
6	8	6	8	7	6	7	6	6
—	—	—	5	14	14	14	14	—
—	19	17	19	16	18	18	17	17
—	—	—	—	11	10	11	11	—
18	38	—	20	15	15	—	—	—
—	18	16	18	16	16	16	16	—
—	14	12	14	10	12	12	11	—
—	20	—	10	10	10	—	—	—
14	14	14	15	13	14	14	14	14
12	14	14	14	12	11	12	12	12
29	34	29	35	29	29	29	29	29
—	14	12	—	14	14	13	13	14
6	7	6	7	6	6	7	6	—
15	15	14	17	—	—	—	—	—
18	24	—	12	12	12	12	10	18

(सूची 2)

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम डीलर	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1.	पाटन	जी.एस.एस. पाटन	13-3-80
2.	डोकन	,,	13-3-80
3.	मावण्डा खुर्द	जी.एस.एस. मावण्डा खुर्द	12-2-85
4.	सिरोही	जी.एस.एस. सिरोही	27-4-77
5.	भूदोली	जी.एस.एस. भूदोली	29-6-77
6.	रायपुर पाटन	1. जी.एस.एस. रायपुर पाटन	5-4-77
		2. अनूपचन्द सोनी	12-3-80
7.	छाजा की नांगल	जी.एस.एस. छाजाकी नांगल	18-5-77
8.	बल्लुपुरा	,,	18-5-77
9.	पुरानाबास	जी.एस.एस. पुरानाबास	26-7-77
10.	महावा	जी.एस.एस. महावा	29-7-77
11.	बासड़ी खुर्द	जी.एस.एस. पीथमपुरी	22-4-77
12.	डाबला	जी.एस.एस. डाबला	13-4-80
13.	बिहार	छाजूराम यादव	4-9-82
14.	राजपुरा	जी.एस.एस. राजपुरा	18-10-77
15.	खटकड़	साधूराम यादव	29-3-80
16.	टटेरा	साधूराम यादव (अस्थाई)	29-3-80
17.	दयाल की नांगल	हरीराम रागेरा	7.6.82
18.	बिहारीपुर	चल इकाई एवं जी.एस.एस. दयाल की नांगल	13.5.77
19.	नाथा की नांगल	जी.एस.एस. नाथा की नांगल	2.2.80
20.	जिलो	राधेश्याम मीणा	2.2.85
21.	चीपालाटा	जी.एस.एस. चीपलाटा	22.4.77
22.	दीपावास	1. जी.एस.एस. चीपलाटा	22.4.77
		2. श्री रामनिवास अग्रवाल	8.2.88
23.	पीथलपुर	1. जी.एस.एस. पीथलपुर	23.8.88
		2. श्री कानसिंह	25.8.80

1	2	3	4
24.	रायपुरा जागीर	जी.एस.एस. पीथलपुर	23.8.80
25.	मावण्डा कला	रावत सिंह	3.6.80
26.	गणेश्वर	साधुराम (अस्थाई व्यवस्था)	3.6.80
27.	सावलपुरा तवरान	1. श्री लालू खां, वार्ड 6 से 10	8.2.88
		2. श्री सुवालाल, वार्ड 1 से 5	15.6.89
28.	गोडावास	लाम्बा ट्रेनिंग कम्पनी, नीमकाथाना	2.2.80
29.	मण्डोली	1. जी.एस.एस. कोटड़ा	29.6.77
		2. श्री मालाराम मीणा	8.1.86
		3. ग्रामीण सेवा रोवर दल मंडोली	13.2.80
30.	दरीबा	1. श्री मालीराम	5.4.78
		2. ,, रामजी लाल	25.7.78
31.	टोडा	श्री मगन सिंह	8.8.85
32.	नापावाली	श्री जयनारायण दास स्वामी	18.2.80
33.	श्यामपुरा	जी.एस.एस. नाथा की नांगल (वैकल्पिक व्यवस्था)	21.2.87
34.	बेगा की नांगल	श्री पोखरराम	14.3.80
35.	रामपुरा बैगा की नांगल	जी.एस.एस. बैगा की नांगल	17.1.77
36.	दलपतपुरा	जी.एस.एस. बैगा की नागल	17.1.77
37.	घासीपुरा	तेजपाल यादव	23.5.87
38.	हुसामपुरा	श्री सतीश कुमार	25.8.82
39.	मोकलवास	श्री मदनसिंह	11.12.84
40.	गांवड़ी	जी.एस.एस. गांवडी	21.12.87
41.	लादी का बास(ग्रामदानी)	जी.एस.एस. लादीका बास	29.6.77
42.	अजमेरी (ग्रामदानी)	जी.एस.एस. अजमेरी	7.4.78
43.	किशोरपुरा (ग्रामदानी)	जी.एस.एस. अजमेरी (वैकल्पिक व्यवस्था)	5.3.87

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 736 की सूची

दी नागौर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., नागौर द्वारा व्यवस्थापकों के वेतन रोकने सम्बन्धी सूचना

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	कब से कब तक वेतन रोका गया	वेतन रोकने का कारण	किस अधिकारी द्वारा रोकी गई
1	2	3	4	5
1.	श्री बद्रीराम/रामाराम	जनवरी 89 से जून 89	संस्था में गबन	प्रबन्ध संचालक
2.	,, सम्पतराज/भीखाराम	अगस्त 88 से जून 89	,,	
3.	,, किशनाराम/चूनाराम	,,	,,	,,
4.	,, किशन/गट्टूदास	,,	,,	,,
5.	,, खेमाराम/मालाराम	,,	,,	,,
6.	,, बिहारीलाल/मांगीलाल	,,	,,	,,
7.	,, रामजीवण/पंचाराम	,,	,,	,,
8.	,, नेमाराम/लिखमाराम	,,	,,	,,
9.	,, शोभाराम/उर्जाराम	अगस्त 88 से सितम्बर 88	,,	,,
10.	,, मोहनलाल/भंवरलाल	अगस्त 88 से जून 89	,,	,,
11.	,, चूनाराम/धनाराम	,,	,,	,,
12.	,, सीताराम/रामदीन	सितम्बर 88 से जून 89	समिति से अनु.	,,
13.	,, मनीराम/पुरखाराम	,,	संस्था में गबन	,,
14.	,, हरिराम/पीथाराम	,,	,,	,,
15.	,, जीताराम/मांगाराम	,,	समिति से अनु.	,,
16.	,, मौ. कयूम/मौ अस्वात	सित. 88 से अक्टूबर 88	संस्था में गबन	,,
17.	,, रामगोपाल/कैलशाचन्द	सितम्बर 88 से जून 89	,,	,,
18.	,, प्रतापराम/मोहनराम	,,	समिति से अनु.	,,

1	2	3	4	5
19.	श्री महेन्द्रसिंह/थानसिंह	नवम्बर 88	संस्था में गबन व अनुपस्थित	प्रबन्ध संचालक
20.	,, रामकिशन/भोलाराम	अक्टूबर 88 से जून 89	संस्था में गबन	,,
21.	,, युगराज/रामदेव	सितम्बर 88 से जून 89	,,	,,
22.	,, रामराज/जयराम	सितम्बर 88 से जून 89	संस्था में गबन व अनुपस्थित	,, ,,
23.	,, लक्ष्मीनारायण/धनराज	अक्टूबर, 88 से मार्च 89	संस्था में गबन	,,
24.	,, लालराम/वेणाराम	,,	,,	,,
25.	,, श्रवणकुमार/गोरूराम	अक्टूबर 88 से जून 89	,,	,,
26.	,, भंवरलाल/द्वारकाप्रसाद	अगस्त 88 से जून 89	,,	,,
27.	,, रामानन्द/धनराज	नव. से जून 89 से फर. 89	सं. से अनुपस्थित	,,
28.	,, बलदेवराम/हरदीराम	अक्टूबर 88 से नवम्बर 89	,,	,,
29.	,, रामसिंह/किशनसिंह	अगस्त 88 से जून 89	संस्था में गबन	,,
30.	,, चैनसिंह/गिरधारीसिंह	फरवरी 89	सं. से अनुपस्थित	,,
31.	,, चनणाराम/इन्णाराम	अगस्त 88 से जून 89	संस्था में गबन	,,
32.	,, हरदीराम/मोडाराम	मार्च 89 से जून 89	,,	,,
33.	,, बलदेवराम/हेमाराम	मार्च 89 से जून 89	,,	,,
34.	,, भवानीसिंह/कल्याणसिंह	,,	,,	,,
35.	,, मुमताजखां/पनीखां	अगस्त 88 से जून 89	निलम्बित	,,
36.	,, धन्नाराम/भीणाराम	,,	संस्था में गबन	,,
37.	,, शंकरलाल/प्रमाराम	,,	निलम्बित	,,
38.	,, सावताराम/पूसाराम	,,	सं. से अनुपस्थित व गबन	,,
39.	,, लूणकरण/किशनलाल	,,	,,	,,
40.	,, पूनाराम/सूरजमल	,,	,	,,

परिशिष्ट–ब

दी नागौर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नागौर

बैंक द्वारा व्यवस्थापकों की वेतन वृद्धियां रोकने सम्बन्धी

सूचना

क्र सं.	नाम व्यवस्थापक	वेतन वृद्धि कब कब की रोकी गई	वेतन वृद्धि रोकने का कारण	वेतन वृद्धि रोकने वाला अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	श्री मुमताज खां/पन्नेखां	1-7-87 व 1-7-88	निलम्बित	प्रबन्ध संचालक
2.	,, लक्ष्मीनारायण/धनराज सोनी	,,	संस्था में गबन का दोषी	,,
3.	,, मोहनलाल/भंवरलाल	,,	,,	,,
4.	,, नथमल/कानाराम	,,	,,	,,
5.	,, चुनाराम/धन्नाराम	,,	,,	,,
6.	,, रामजीवन/पाचाराम	,,	,,	,,
7.	,, किशनाराम/चूनाराम	,,	,,	,,
8.	,, श्रवणकुमार/गौरूराम	,,	,,	,,
9.	,, रामेश्वरलाल/सोहनलाल	,,	,,	,,
10.	,, चनणाराम/जनकाराम	,,	,,	,,
11.	,, धन्नाराम/भीणाराम	,,	,,	,,
12.	,, युगराज/रामदेव	,,	,,	,,
13.	,, नेमाराम/लिखमाराम	,,	,,	,,
14.	,, रामगोपाल/कैलाशचन्द	,,	,,	,,
15.	,, खेमाराम/मालाराम	,,	,,	,,
16.	,, शंकरलाल/पेमाराम	,,	,,	,,
17.	,, प्रतापराम/मोहनराम	,,	,,	,,
18.	,, हरीराम/पीथाराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
19. ,,	सम्पतराज/भीखाराम	1-7-87 व 1-7-88	निलम्बित सं. में गबन का दोषी	प्रबन्ध संचालक
20.	श्री किशन/गट्टूदास	,,	,,	,,
21. ,,	भवानीसिंह/थामसिंह	,,	,,	,,
22. ,,	महेन्द्रसिंह/कल्याणसिंह	,,	,,	,,
23. ,,	रामकिशन/भालूराम	,,	,,	,,
24. ,,	मोहनराम/नेमाराम	,,	,,	,,
25. ,,	जीताराम/भोलाराम	,,	,,	,,
26. ,,	बलदेव/हेमाराम	,,	,,	,,
27. ,,	मन्नाराम/पुरखाराम	,,	,,	,,
28. ,,	रामसिंह/किशनसिंह	,,	,,	,,
29. ,,	भंवरलाल/द्वारकाप्रसाद	,,	,,	,,

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 737 की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	जॉब नं. एवं स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत लम्बाई	व्यय लाख में जून,89तक	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सम से खुहडी वाया सुदाखरी	6/499 17-2-87	96,00	27 कि.मी.	17.21	सुमखुहडी सड़क की लम्बाई 27 कि. मी. है व स्वीकृति 27 कि. मी. है। जिसमें 20 कि.मी. प्रथम लेयर मेटल सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया है। धनराशि के अभाव में कार्य रोक दिया गया है।
2.	फतेहगढ़ से भिनभियाली	7/499 17-2-87	105.00	45 कि.मी.	90.00	फतेहगढ़ भिनभियाली सड़क की लम्बाई 60 कि.मी. है। इसकी स्वीकृति 45 कि.मी. (40+5) की प्राप्त हुई, जिससे ग्राम भिनभियाली से सम्पर्क नहीं जुड़ पाया है। अतः

1	2	3	4	5	6	7
						मिसिंग लिंक 45/0 से 60/0 तक की निर्माण पूर्ण करवाने हेतु नवम् वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
3.	रामगढ़ से बांधा तक बी.टी. सड़क का निर्माण कार्य	8/499 17-2-87	69.00	23 कि.मी.	58.74	रामगढ़ से बांधा सड़क की लम्बाई 27 कि.मी. है व स्वीकृत 23 कि.मी. प्राप्त होने से बांधा गांव (27 कि.मी.) से सम्पर्क नहीं जुड़ पाया है।
4.	रामगढ़ से साधना वाया राघण से ऊआ सड़क का निर्माण	11/499 17-2-89	15.00	5 कि.मी.	13.00	रामगढ़ से साधना का उपयोग पूर्ण-रूप से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस सड़क की कुल लम्बाई 23 कि.मी. है व स्वीकृति 5 कि.मी. की ही प्राप्त हुई है। इस कारण से ग्राम साधना (9 कि.मी.) से ऊआ 11 कि.मी. (राममल 18 कि.मी.) व साधना 23 कि.मी. से नहीं जुड़ पाया है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	नाचना से नाहला सड़क का निर्माण कार्य	12/499 17-2-87	30.00	10 कि.मी.	6.41	नाचना से बाहुल्त निर्माण कार्य की स्वीकृति 10 कि.मी. है जिसमें 5 कि.मी. कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य सीएडी अधिशाषी अभियन्ता, सानिवी बीकानेर (कालोनाइजेशन) के तहत कराया जावेगा। जिससे नाचना से बहुल्त गांव तक सम्पर्क नहीं हो पाया है। मुख्य अभि.सा.नि.वि.राज., जयपुर के क्र.एफ (36) अनु–2/87/डी–1843 दिनांक 12–6–87 के द्वारा इस कार्य पर व्यय की सीमा रु. 7.00 लाख तक की निश्चित की थी व 3 कि.मी. तक का ही निर्माण करवाया था।
6.	सम से लुणार	10/499 17-2-87	15.00	5 कि.मी.	.007	सम से लुणार सड़क का निर्माण कार्य अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि.राज., जयपुर के पत्र क्र. एफ/जन2/कक्ष–प्र/86/भाजा/2939

1	2	3	4	5	6	7
						दिनांक 22–6–87 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
7.	सम से खुईथाल	9/499 17-2-87	30.00	10 कि.मी.	.42	सम से खुईथाल —,,—
			360.00 लाख रुपये	125 कि.मी.	185.78 लाख रुपये	

(361)

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 740 की सूची

जिन जिलों में छात्रावास भवनों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है उनकी संख्या

क. सं.	जिले का नाम	भवनों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	अजमेर	7	छात्रावास भवनों के निर्माण की स्थिति
2.	अलवर	8	— — — — — — — —
3.	बाड़मेर	5	1 – 61 छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु
4.	बांसवाड़ा	9	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष–88
5.	भरतपुर	6	89 में जारी की जा चुकी है ।
6.	भीलवाड़ा	12	
7.	बीकानेर	6	(2) 7 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक
8.	बूंदी	4	एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 89–90 में
9.	चूरू	2	जारी की जा चुकी है ।
10.	चित्तौड़गढ़	5	
11.	धौलपुर	3	
12.	डूंगरपुर	7	(3) 46 भूमि अवाप्ति प्रगति पर है ।
13.	गंगानगर	9	
14.	जयपुर	12	
15.	झालावाड	1	(4) 33 छात्रावास भवन निर्माणाधीन
16.	जैसलमेर	5	है।
17.	जालौर	2	
18.	झुन्झनूं	6	
19.	जोधपुर	4	
20.	कोटा	6	
21.	नागौर	3	
22.	पाली	7	

1	2	3	4
23.	सवाईमाधोपुर	4	
24.	सिरोही	2	
25.	सीकर	3	
26.	टौंक	3	
27.	उदयपुर	6	
	योग	147	

परिशिष्ट–अ

जिन जिलों में छात्रावास भवन उपलब्ध हैं एवं जिन जिलों में छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं, उनका विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	उपलब्ध भवनों की संख्या	किराये के भवनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	2	12
2.	अलवर	–	13
3.	बाड़मेर	4	8
4.	बांसवाड़ा	23	19
5.	भरतपुर	4	9
6.	भीलवाड़ा	3	17
7.	बीकानेर	5	6
8.	बून्दी	3	8
9.	चूरू	3	3
10.	चित्तौड़गढ़	9	13
11.	धौलपुर	1	4

1	2	3	4
12.	डूंगरपुर	10	32
13.	गंगानगर	5	13
14.	जयपुर	5	32
15.	झालावाड	1	5
16.	जैसलमेर	2	6
17.	जालौर	3	3
18.	झुन्झुनूं	2	15
19.	जोधपुर	7	12
20.	कोटा	14	10
21.	नागौर	4	10
22.	पाली	3	10
23.	सवाईमाधोपुर	2	13
24.	सिरोही	5	8
25.	सीकर	1	16
26.	टौंक	1	6
27.	उदयपुर	21	38
	यौग	143	341

परिशिष्ट — 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 741 की सूची

(मात्रा मै. टनों में)

क्रमांक	नाम जिला	गेहूं	चावल
1.	बांसवाड़ा	38145.6	1901.8
2.	डूंगरपुर	54748.0	1145.0
3.	चित्तौड़गढ़	13630.0	120.0
4.	सिरोही	5138.0	60.0
5.	उदयपुर	76392.9	1860.1

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 742 की सूची

क्र. सं.	काश्तकार का नाम मय वल्दियत ग्राम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य बंद की तिथि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि
1.	श्री पूर्णाराम/जेताराम, रिडमलास	4.1.88	30.6.88	13,230/-	9.8.88
2.	,, किशनलाल/गुमानीराम रिडमलास	1.1.88	30.6.88	13,230/-	9.8.88
3.	,, बिहारीलाल गुमानीराम रिडमलास	कार्य शुरू नहीं हुआ			
4.	,, नन्दा/गोरूराम रिडमलास	6.4.88	30.6.88	8,483/-	10.8.88
5.	,, गोपालराम/गोरूराम रिडमलास	6.4.88	30.6.88	8,490/-	10.8.88
6.	,, तुलसीराम/रामूराम रिडमलास	12.4.88	30.6.88	674/-	9.8.88
7.	,, हरिसिंह/माधोसिंह रिडमलास	13 4.88	30.6.88	8,311/-	9.8.88
8.	,, पेफसिंह/नाथूसिंह रिडमलास	16.4.88	30.6.88	2,186,84	9.8.88
9.	,, श्योभगवान/हेमाराम रिडमलास	13.4.88	30.6.88	8,311/-	भुगतान होना शेष है
10.	,, कानाराम/हेमाराम	–	30.6.88	कार्य शुरू नहीं हुआ।	

परिशिष्ट "ख"

सूची जिनका भुगतान नहीं किया है

क्र. सं	नाम काश्तकार	भुगतान नहीं होने का कारण
1.	श्री सायरसिंह/ रिद्धसिंह, छपारा	भुगतान राशि के अभाव में नहीं किया गया है ।
2	,, नारायण राम/लालाराम, छपारा	,, ,, ,,
3.	,, पुरखाराम/उमाराम, ओडीर	लाभान्वित व्यक्तिय द्वारा पूरे मस्ट्रोल जमा नहीं कराने के कारण ।
4.	,, मालासिंह/प्रतापसिंह, डाबरी	,, ,, ,,
5.	जगदीश सिंह/ मोहन सिंह, खामियाद	मस्ट्रोल गुम होने के कारण मामला जिला कार्यालय में विचारधीन
6.	उमाराम/ रामकरण, झरडिया	कुण्ड पुराना होने की शिकायत के कारण
7.	,, जैसाराम/ परताराम, उदरासर	लाभान्वित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि में कुण्ड पूरा नहीं किया गया तथा निर्धारित अवधि के झूठे मस्ट्रोल पेशकर पूर्ण स्वीकृत राशि का भुगतान चाहा गया है । विवादास्पद होने से भुगतान बकाया है ।
8.	,, बजरंगलाल/ मोहन लाल, चुण्डासरिया	काश्तकार ने निर्धारित अवधि में कुण्ड पूरा नहीं किया । निर्धारित अवधि तक मूल्यांकित राशि अनुसार मजदूरी राशि भुगतान हेतु तहसील में भेजी जा चुकी है । तहसील से मिली सूचना अनुसार कृषक द्वारा मूल्यांकित राशि से भुगतान लेने से मना करने के कारण ।
9.	,, हनुमानमल/ मोहनलाल, चुण्डासरिया	,, ,, ,,

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 744 की सूची

दिनांक 1-4-85 से अब तक जिन अपराधों में न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये उनमें लिये गये निर्णय में बरी की सूची

क्र.सं.	अ.सं.	विरुद्ध	बरी
1	2	3	4
1.	78/86	श्री बलदेव गोस्वामी व अन्य	दि. 8-7-87 को डिस्चार्ज किया गया।
2.	41/85	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	जयपुर से दि. 24-3-87 को बरी किया गया।
3.	131/85	श्री सत्यनारायण।	9-6-87 को बरी किया
4.	141/85	श्री दिनेशचन्द्र गर्ग।	12-10-87 को बरी किया।
5.	105/85	बलवन्त लाल।	16-11-88 को बरी किया।
6.	167/86	रामजीलाल शर्मा	18-4-88 को बरी किया।
7.	13/87	श्री जसवन्तसिंह क.लि.	14-3-89 को बरी किया।
8.	24/86	श्री सत्यनारायण।	26-11-88 को बरी किया।
9.	78/85	श्री खुशी मोहम्मद पटवारी	18-11-88 को बरी किया।
10.	112/86	श्री अब्दुल लतीफ	13-4-88 को बरी किया।
11.	88/85	श्री शीतल प्रकाश जैन रीडर	24-4-89 को बरी किया।

दिनांक 1-4-85 से अब तक जिन अपराधों में न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये उनमें लिये गये निर्णय में सजा की सूची :-

क्र.सं.	अ.सं.	विरुद्ध	सजा
1	2	3	4
1.	43/86	श्री प्रमोद कुमार पटवारी जिला अजमेर।	विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक मामलात,

1	2	3	4
			जयपुर के न्यायालय से दिनांक 12-5-89 को धारा 161 भा.द.स. व 5 (1) डी (2) पी.सी. एक्ट में क्रमश: एक साल की साधारण सजा व दो दो सौ रुपये जुर्माना किया गया ।
2.	96/85	श्री रमजानी	जयपुर के न्यायालय से दिनांक 12-5-87 को धारा 165 ए भा.द.स. में न्याया-लय उठने तक की सजा व 200/- रु. जुर्माना किया गया ।
3.	91/85	श्री राधेश्याम यू.डी.सी.	जयपुर के न्यालयाय द्वारा दिनांक 4-8-83 को धारा 161 भा.द.स. व 5 (1) डी (2) पी.सी. एक्ट में क्रमश: एक एक साल की सजा व दो दो सौ रुपये जुर्माना किया गया । अदम अदायगी जुर्माना 2 माह की कैद की सजा दी गई।

(369)

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 752 की सूची

तालिका वर्षवार ड्रेन निर्माण

क्रमांक	नाम ड्रेन		वर्षवार निर्माण कार्य कि.मी.					
			1984–85	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	योग कि.मी
1.	मेन ड्रेन/मेन सब ड्रेन(कि.मी.)		1.38	4.93	—	—	7.50	13.81
2.	कैरियर ड्रेन	,,	17.42	70.26	26.24	43.99	35.79	194.20
3.	सीपेज ड्रेन	,,	47.05	24.63	22.77	42.83	24.97	162.25
		योग :–	65.35	99.82	49.01	86.22	68.26	370.26

वर्षवार व्यय तालिका

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (लाखों में)
1	2	3
1.	1984–85	37.95

1	2	3
2.	1985–86	44.53
3.	1986–87	33.36
4.	1987–88	27.50
5.	1988–89	25.00
	योग:–	168.34 लाख

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 755 की सूची

जयपुर में कार्यरत ग्रेजुएट बेलदारों की सूची:–

1. श्री लवलेश कुमार, बेलदार
2. ,, लालचन्द, बेलदार
3. ,, चिरंजीलाल, बेलदार
4. ,, राजेन्द्र कुमार, बेलदार
5. ,, अशोक कुमार, बेलदार
6. ,, रामजीलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल, बेलदार
7. ,, अमरनाथ गोपाल, बेलदार
8. ,, ओमप्रकाश पुत्र श्री श्यामबाबू, बेलदार
9. ,, सुमेर सिंह, बेलदार
10. ,, राधाकिशन, बेलदार
11. ,, सत्यनारायण, बेलदार
12. ,, ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर, बेलदार
13. ,, बसन्तकुमार शर्मा, बेलदार
14. ,, सुरेश पुत्र श्री रघु नन्दन, बेलदार
15. ,, भंवर सिंह, बेलदार
16. ,, विशाल शर्मा, बेलदार
17. ,, नाथू लाल पुत्र कन्हैया लाल, बेलदार
18. ,, कृष्ण मोहन पुत्र श्री शंकर लाल, बेलदार
19. ,, रामजी लाल पुत्र श्री हर नाथ, बेलदार
20. ,, मदन लाल पुत्र श्री नारायण सहाय, बेलदार
21. ,, अशोक कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद, बेलदार
22. ,, मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहिम, बेलदार
23. ,, महेश टिकर, बेलदार
24. ,, बोदू राम, बेलदार
25. ,, महेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा, बेलदार
26. ,, सत्य नारायण पुत्र श्री शीश राम, बेलदार

शुद्धि-पत्र

क.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	30	21	(लाडनूां)	(लाडनूं)
[illegible]	31	1	बुरडक	बुरड़क
[illegible]	62	17	बुरडक	बुरड़क
[illegible]	43	फोलियो	ताराकित	तारांकित
[illegible]	55	फोलियो	तागंकित	तारांकित
6.	57	19	श्रीमती सुधा	श्रीमती सुधा देवी
7.	61	फोलियो	अताराकित	अतारांकित
8.	232	19	श्री भैरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह शेखावत
9.	237	19	श्री उपाघ्मक्ष	श्री उपाध्यक्ष
10.	411	1	(श्र भोलाराम सैनी)	(श्री भोलाराम सैनी)
11.	471	18	विघेयक	विधेयक
12.	474	12	ॉडिनेन्स	आॅडिनेन्स
13.	475	25	श्री उपाध क्ष	श्री उपाध्यक्ष
14.	592	3	वताने	बताने